




Digitized by srujanika@gmail.com



द्वयोः एकं सुयोगोक्तिपत्रं पुस्तकालय
नैजी सायल

Class no. *94.1*
Book no. *C-3864*
Reg no. *1056*

Digitized by srujanika@gmail.com

ज्ञानमण्डल ग्रन्थमालाका सत्ताइसवाँ ग्रन्थ

हिन्दूभारतका उत्कर्ष

अर्थात्

राजपूतोंका प्रारंभिक इतिहास

[मध्ययुगीन भारत भाग २]

(सन् ७५० से १००० ईसवी तक)

लेखक—श्री चिन्तामणि विनायक वैद्य

एम. ए., एल्.एल्. बी., आनरेरी फ़ेलो

बम्बई विश्वविद्यालय

तथा

भारत—ए क्रिटिसिज़्म, रिडिल आफ़ दि रामायण, एपिक


इरिडिया, हिस्ट्री आफ़ मिडीव्हल हिन्दू इंडिया, महा-

भारत उपसंहार, श्रीरामचरित्र, श्रीकृष्ण-

चरित्र, महाभारतमीमांसा आदिकें

रचयिता ।

प्रकाशक—
श्रीमुकुन्दीलाल श्रीवास्तव
श्रीकाशी विद्यापीठ, काशी ।



मुद्रक—
बा० वि० पराङ्कर
ज्ञानमण्डल यंत्रालय, काशी

हिन्दूभारतका उत्कर्ष ।
अर्थात्
राजपूतोंका प्रारंभिक इतिहास ।

प्रशंसन ।

श्री चिंतामणि विनायक वैद्यजीकी यह इच्छा हुई कि उनके लिखे हुए “मध्यकालीन भारतके इतिहास” के हिन्दी रूपका उपस्थापन, हिन्दी भाषा बोलनेवाली जनताके सामने, मैं करूँ । श्री वैद्यजीकी उदारबुद्धि, देशभक्ति, देशसेवा, भारतोद्वारेच्छा, बृहत्पांडित्य, पौरस्त्यपाश्चात्योभयविद्यापूर्णता, सरलहृदयता, प्रसन्न-चित्तता, श्रमशीलता और वयोवृद्धताके लिये मेरे मनमें जो भूयिष्ठ आदर है उसने मुझको विवश किया कि उनकी आज्ञाका पालन करूँ । तथा भारतीय मध्यकालीन इतिहासके विषयमें मेरी अल्प-ज्ञता विवश करती है कि प्रस्तावनाको संक्षिप्त करूँ ।

इस पुस्तकके अंग्रेजी रूपकी तीनों जिल्द मैंने अक्षरशः आद्यो-पांत पढ़ीं । मेरे ज्ञानमें ऐसा कोई दूसरा ग्रन्थ अबतक नहीं लिखा गया है, जिसमें ६०० से १२०० ई० (अर्थात् ६५७ से १२५७ वि०) तक छः सौ वर्षका इतिहास, भारतका, इस योग्यतासे, इस विस्तारसे, इस शृंखलाबद्ध क्रमसे, इस तथ्यान्वेषणके भावसे, इस युक्तिपूर्ण कार्यकारणसम्बन्धप्रदर्शनसे, और भारतके उद्धारके कार्यमें सहायता देनेकी ऐसी नियतसे, लिखा गया हो । प्रत्येक भारतवासीको चाहिये कि इस ग्रंथको पढ़े और इसमें एकत्र किये हुए ज्ञानको अपने मनमें विचारपूर्वक ले आवे, किन किन कारणोंसे कब कब भारतवर्षके भिन्न प्रांतोंके जनसमुदायोंका उत्कर्ष हुआ और किन किन कारणोंसे क्या क्या आपत्ति उनपर आई और उनका अधःपात हुआ, इसको विशेष ध्यानसे अपने मनमें स्थिर

करै, और तब देशोद्धार कार्यमें यथाशक्ति स्वयं प्रयत्न करै और दूसरोंकी सहायता करै ।

इतिहासकी बड़ी महिमा प्राचीन आर्य ग्रन्थोंमें तथा पाश्चात्य आधुनिक विद्वद्ग्रन्थोंमें कही है ।

इतिहास-पुराणं पञ्चमं वेदानां वेदं भगवोऽभ्येति । (छांदोग्य उपनिषत्) ।

इतिहासपुराणाभ्यां वेदं समुपबृंहयेत् ।

विभेत्त्यल्पश्रुताद्देवो मामयं प्रतरिष्यति ॥

(मनु-महाभारतादि)

इतिहासके उदाहरणोंसे वेद वेदांत और तन्निष्ठ धर्मका समझ ठीक ठीक समझमें आता है, अन्यथा नहीं । जो बहुश्रुत नहीं, जो विविध ज्ञान नहीं रखता, जिसको इतिहासका विषय विदित नहीं, उससे वेद डरता है कि यह मेरे अर्थका प्रवचन नहीं प्रवचन करेगा, प्रसारण प्रचारण नहीं प्रतारण करेगा, वह धर्मके स्थानमें अधर्मका उपदेश करेगा । ऐसे मनुष्यका अपनेको धर्म-व्यवस्थापक कहना दुष्ममात्र है । वह वेदके अर्थका भी और समस्त जनताका भी प्रतारण प्रवचन करेगा ।

महाभारतादि आर्य लोकहितैषी कारुणिक ग्रन्थोंमें भीष्मादि महाप्रामाणिक महापुरुष जब उपदेश करते हैं तो बीच बीच में,

अत्राप्युदाहरंतीममितिहासं पुरातनम् ।

कहके उदाहरण द्वारा उस उपदेशको समझा देते हैं, श्रोता के मनमें बैठा देते हैं । सर्वाङ्गीण शिक्षा उत्तम इतिहासके ग्रन्थसे जैसी हो सकती है वैसी किसी दूसरे विरोध शास्त्रके ग्रन्थसे नहीं ।

इसलिये ऐसे ग्रन्थोंका परिशीलन, जैसा वैद्यजीका यह ग्रन्थ है, सब भारतीयोंके लिये नितांत उपयोगी है ।

यदि इसमें दोष है तो इतना ही कि यह तीन ही जिल्दोंमें क्यों समाप्त हो गया है, इसको तो नौ नहीं तो छः तक में विस्तीर्ण होना चाहता था । श्रेयसि केन तृप्यते । यदि इसके दूसरे संस्करणमें, तत्कालीन साहित्यका इतिहास भी समाविष्ट किया जाय तो बिना आयास इसका परिमाण दूना हो जाय, तात्कालिक सामाजिक रहन-सहनपर प्रकाश पड़े और उसका भी हाल बहुत सा विदित हो, और ग्रन्थकी सरसता भी बढ़ जाय । इन छ-सौ वर्षोंमें बहुतसे संस्कृत, प्राकृत, हिन्दी, उर्दू, तामिल, तेलगू, तथा अन्य देशभाषाओंमें वैदिक, बौद्ध, जैन, इस्लाम आदि संप्रदायों के अनुयायी विद्वान् हो गये हैं जिन्होंने सहस्रों ग्रन्थ विविध काव्य और विविध शास्त्रके लिखे हैं । उनकी जीवनी और उनके ग्रंथोंके विशेषोंका अति संक्षिप्त वर्णन भी, उनके समयकी बड़ी बड़ी प्रभावशालिनी परिवर्त्तनकारिणी घटनाओंके सम्बन्धमें, यदि कुछ इस ग्रन्थके दूसरे संस्करणों में मिला दिया जाय तो यह ग्रंथ अधिक रोचक और शिक्षाप्रद हो जाय । पुनरपि, श्रेयसि केन तृप्यते । मैं बहुत आशा करता हूँ कि इस उत्तम ग्रन्थके निदर्शनसे प्रभावित होकर नयी पीढ़ीके भावी उत्तम विद्वान् “मध्यकाल” के पूर्वकाल और पश्चात्कालका भी इसी प्रकारसे विस्तृत इतिहास लिखकर देशकी सतज्ञानवृद्धिमें सहायता देंगे ।

नहि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते ।

दीपावली, १९८५ }

भगवान् दास

विषय-सूची

तीसरी पुस्तक राजपूतोंकी उत्पत्ति

प्रकरण	पृष्ठ
१—राजपूत	१
२—क्या राजपूत विदेशी हैं ?	११
३—अग्निकुलकी कल्पना झूठी है	१८
४—क्या अग्निकुलवाले गूजर हैं ?	३२
५—राजपूतोंके गोत्र	५४
६—राजपूतानेमें आर्योंकी बस्तियाँ	९३

चौथी पुस्तक अन्यान्य हिन्दू राज्य

१—चित्तौड़के गुहिलोत और वाघारावल	१०५
२—बाप्पाके पीछेके राजा	११५
३—साँभरके चाहमान	१३७
४—कन्नौजके सम्राट् प्रतिहार	१५२
५—अनहिलवाड़ पाटणके चावडे	१८१
६—धारके परमार	१८६
७—खुन्देखण्डके चन्देल	१९८
८—चेदी अर्थात् त्रिपुरके कलचूरी	२१२
९—बंगाल अथवा मुंगेरके पाल	२१९
१०—दक्षिणके राष्ट्रकूट	२२९
११—अन्य छोटे राज्य	२४७
१२—समकालीन अरब लेखक	२५३

प्रकरण

पृष्ठ

पाँचवीं पुस्तक साधारण परिस्थिति

१३—भाषा	२६५
१४—धार्मिक परिस्थिति	२७२
१५—सामाजिक स्थिति और वर्णव्यवस्था	३०४
१६—राजनीतिक परिस्थिति	३३५
१७—सुल्की और फौजी व्यवस्था	३५०
१८—भारतके इतिहासमें अत्यन्त सुखसमृद्धिका समय	३७६

परिशिष्ट

(१) सूर्यवंशी और चन्द्रवंशी आर्योंका वेदोंमें बल्लेख	३९६
(२) थानेके शिलाहारोंका एक नवीन ताम्रपट	४३८
(३) अर्वाचीन भाषाओंकी उत्पत्ति	४४१
(४) मनु और याज्ञवल्क्य इन दो स्मृतियोंके अतिरिक्त शेष महत्त्वपूर्ण स्मृतियोंके मध्ययुगीन समयकी सामाजिक अविलष्ट परिस्थितिके निदर्शक अवतरण			४४३
(५) महाराष्ट्रके मध्ययुगीन राजवंश मराठा-क्षत्रिय थे	४४७
(६) बाप्पारावलेके विषयमें १० व० पं० गौरीशंकर ओझाका लेख			४५८
(७) हालकी ऐतिहासिक खोज और इस कालके इतिहासके सम्बन्धमें उससे उपलब्ध तथ्य	४८८
अनुक्रमणिका	५०१

प्रस्तावना ।

‘मध्ययुगीन भारत’ का यह दूसरा भाग आज हम पाठकोंको भेंट कर रहे हैं। जैसा कि पहले भागकी प्रस्तावनामें कहा जा चुका है, ‘मध्ययुगीन भारत’ भारतवर्षका मध्ययुगका इतिहास है और यह काल ६०० ई० से १२०० ई० तक माना गया है। पहले भागकी प्रस्तावनामें यह भी दिखाया जा चुका है कि भारतवर्षके प्राचीन इतिहासके तीन विभाग होते हैं—१. आर्यकाल (५००० ई० पू० से ३०० ई० पू० तक), २. आर्य-बौद्ध-काल (३०० ई० पू० से ६०० ई० तक) और ३. हिन्दू-काल (६०० ई० से १२०० ई० तक)। इसी तीसरे कालका इतिहास हम लिखने जा रहे हैं। इस कालको हम हिन्दूकाल इसलिये कहते हैं कि इसमें हिन्दूधर्मको वह रूप प्राप्त हुआ जिसमें हम आजकल उसे पाते हैं। थोड़ेमें यों कह सकते हैं कि दूसरे कालविभागमें प्राचीन आर्यधर्म और बौद्धधर्मका जो संघर्ष चलता रहा इस कालमें वह मिट गया और आर्यधर्मको हिन्दूधर्मका रूप प्राप्त हुआ जो प्राचीन आर्यधर्म और बौद्ध धर्म दोनोंका मिश्रण है। भारतवर्षके इतिहासका इसे मध्ययुग ही कहना उचित होगा, क्योंकि इस कालके अन्तमें उत्तरी हिन्दुस्थानमें सुषलमानोंकी सत्ता स्थापित हो गयी और थोड़े ही दिनोंमें—१३०० ई० के लगभग—दक्षिण भी उनके अधीन हो गया।

पहले भागके मुखपृष्ठपर इस इतिहासका एक और नाम दिया गया है—“हिन्दू राज्योंका उदय, उत्कर्ष और उच्छेद।”

इस नामकी सार्थकता प्रस्तुत प्रस्तावनामें दिखाई जा सकती है। हिन्दूकालके भी मोटे हिसाबसे तीन उपविभाग होते हैं और प्रत्येक उपविभागमें साधारणतः भिन्न भिन्न हिन्दू राजा दिखाई देते हैं। प्रथम दो सौ वर्षोंके उपविभागमें पहले हिन्दू राज्य स्थापित हुए देख पड़ते हैं--अर्थात् आर्य-बौद्ध राज-वंशोंका नाश होकर उनकी जगह नये हिन्दू राज्य स्थापित हुए। फलतः प्रथम उपविभाग (६०० से ८०० ई० तक) हिन्दू राज्योंका उदयकाल उहरता है। दूसरे उपविभागमें ये राज्य भी नष्ट हो गये और दूसरे नये हिन्दू राज्योंकी स्थापना तथा अतिशय उत्कर्ष हुआ अतः इस विभागके राज्योंका काल हिन्दू राज्योंका उत्कर्ष-काल है। ये राज्य प्रायः सब एक साथ ही नष्ट हुए और तीसरे उपविभागमें हिन्दू राज्योंकी तीसरी श्रेणीकी स्थापना हुई जिसे महम्मद गोरी आदि मुसलमान बादशाहोंने लगभग २५ सालके अरसेमें ही नष्ट कर डाला। फलतः अगले विभागमें हमें हिन्दू राज्योंके विनाशका वर्णन करना पड़ेगा। इस उपविभागका विस्तार १००० ई० से १२०० ई० तक है। इसमें महम्मद गुज़नवीके आक्रमणोंसे लगाकर महम्मद-गोरीके साथ पानीपतके मैदानमें हुए पृथ्वीराजके घोर संग्राम तकका इतिहास देना होगा। अस्तु, इस भागमें हमें हिन्दू राज्योंके उत्कर्ष-वर्णनका प्रिय तथा महत्वयुक्त कार्य करना है। इसीसे हमने इस भागके अन्तमें एक प्रकरण खास तौरसे बढ़ाया है जिसका शीर्षक है--“नवीं और दसवीं शताब्दी-अर्थात् भारतके इतिहासमें अत्यन्त सुखसमृद्धि का समय” उसमें जो विवेचना की गयी है वह कहाँतक आद्य है, इसका निर्णय पाठकोंपर ही छोड़ देना ठीक होगा।

इस भागका एक और भी नाम हमने दिया है--“राजपू-

लौका प्रारंभिक इतिहास”। इस महत्वमय नामकी यथार्थता इस भागको पढ़नेसे सहज ही प्रकट हो जायगी। राजपूत लोग इस कालके अर्थात् ८०० ई० के आसपास कहांसे भारतीय इतिहासकी रङ्गभूमि पर आगये, यह इस देशके प्राचीन इतिहासका एक बहुत बड़ा प्रश्न है। इसका उत्तर यह है कि ये लोग वैदिक आर्योंके वंशज थे और मुसलमान धर्मने जो भारतपर पहला आक्रमण कर सिंधु देशको पादाक्रान्त किया उससे जागृत होकर ये हिन्दूधर्मकी रक्षा करनेको आगे बढ़े थे। प्रस्तुत उपविभागमें इन लोगोंके राज्य हिन्दुस्थान भरमें स्थापित होगये थे। और इनकी बहादुरीकी बदौलत इस्लामका भारत-प्रवेश और ५०० वर्षों तक रुका रहा। ये राजपूत राज्य मुख्यतः मेवाड़के गुहिलोत, सांभरके चाहमान और कन्नौजके प्रतिहार थे। इन लोगोंने इस कालमें बड़ी ही वीरता दिखायी। ये लोग धर्मरक्षणके उत्साहसे आगे बढ़े थे, अतः इनकी नीतिमत्ता उच्च प्रकारकी थी और शासन-व्यवस्था भी उत्तम थी।

इस भागमें वर्णित इतिहास हिन्दी पाठकोंके लिये प्रायः अज्ञातसा है, बल्कि कह सकते हैं कि अंग्रेजी जाननेवालोंके लिये भी बहुत कुछ यही बात है। कर्नल टाड लिखित राजस्थानका इतिहास प्रसिद्ध ग्रंथ है, परन्तु उसमें राजपूतोंका प्रारंभिक इतिहास बहुत ही थोड़ा है और वह भी बहुत करके दन्तकथामूलक है। हां, मुसलमानी कालसे इधरका जो इतिहास उन्होंने दिया है वह सिलसिलेवार तथा साधारण है। राजपूतोंका प्रारंभिक इतिहास ठीक प्रकारसे न दे सकनेके लिये कर्नल टाडको दोष नहीं दिया जा सकता। कारण यह कि उस समयतक शिलालेख आदि प्राचीन इति-

हासकी सामग्रीका अध्ययन बहुत ही थोड़ा हो पाया था। खुद हमें भी यह सामग्री अधिकतर प्राच्य तथा पाश्चात्य इतिहास शोधकोंके परिश्रम तथा आलोचनाओंसे ही प्राप्त हुई है। इस संबंधमें यहां कीलहार्न, फ़्रीट, स्मिथ, ब्यूलर, होर्नल, भाण्डारकर, डाक्टर डी. आर. जान्सन इत्यादि शोधक विद्वानोंके प्रति कृतज्ञता प्रगट करना कर्तव्य है। पर हमारी राय है कि इन लोगोंने जो यह भ्रान्त धारणा कर ली थी कि राजपूत हिन्दुस्थानके बाहरसे आये हुए अनार्य लोग थे, उसके कारण इनसे सम्पूर्ण भारतवर्षका क्रमबद्ध तथा संगत इतिहास न देते यना। हमने उक्त खोजी विद्वानोंकी खोजोंका उपयोग कर तथा हिन्दू दृष्टिसे उनकी विवेचना कर प्रस्तुत इतिहास तैयार किया है। विसेटस्मिथका इस कालका इतिहास बहुत ही संक्षिप्त और उपर्युक्त कारणसे अनेक स्थलोंपर गलत भी है। हमें भरोसा है कि पाठक इस इतिहासको उसकी अपेक्षा अधिक विस्तृत तथा अधिक संभव-कोटिका पायेंगे।

पाश्चात्य तथा प्राच्य विद्वानोंके उपर्युक्त भ्रमका निरसन हमने इस भागकी एक स्वतंत्र पुस्तकमें किया है। हमने यह बात सिद्ध करनेका प्रयत्न किया है कि राजपूतोंकी उत्पत्ति शक, हूण आदि विदेशी अथवा इसी देशकी गोंड, भर आदि अनार्य जातियोंसे नहीं है, बल्कि वे वैदिक आर्योंके वंशज हैं। चौथी पुस्तकमें हमने हिन्दू राज्योंकी दूसरी श्रेणी अर्थात् राजपूत राज्योंका इतिहास दिया है। प्रथम कालविभागके सम्बन्धमें जिस प्रकार विदेशी यात्री हुएन्सांग द्वारा लिखी हुई बातोंका उपयोग होता है वैसे ही इस भागवाले काल अर्थात् ८०० से १००० ई० तक का इतिहास लिखनेमें अरब यात्रियोंके लिखे

हुए वृत्तान्तोंसे बहुत सहायता मिलती है। उनका उपयोग कर पाँचवीं पुस्तकमें इस कालकी राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक आदि स्थितियोंका सामान्य सिंहावलोकन किया गया है। यह आलोचना अन्यत्र उपलब्ध न होनेसे आशा है पाठकोंके लिये विशेष रुचिकर होगी। भारतवर्षका इतिहास विशेषतः धार्मिक इतिहास है और इस कालमें बौद्ध धर्मके पूर्ण पराभव तथा हिन्दू धर्मके आजकल वाले रूपमें दृढ़ताके साथ स्थापित होनेका विवेचन इस भागमें विस्तारसे किया गया है। इस धर्म-क्रान्तिका श्रेय मुख्यतः कुमारिल भट्ट और शंकराचार्यको है, अतः इनका जीवन-वृत्तान्त भी जितना मिल सका देनेका यत्न किया गया है।

पिछले काल-विभागके समान इस कालमें भी राजनीतिक दृष्टिसे कन्नौजके राज्यका महत्व था। विदेशवाले कन्नौजको ही हिन्दुस्थान समझते थे। कन्नौजके प्रतिहार थे भी बड़े बलिष्ठ। परन्तु दक्षिणमें मालखेड़का राष्ट्रकूट राज्य इससे भी अधिक शक्तिशाली था। इन राष्ट्रकूटोंका इतिहास प्रायः हालके मराठा इतिहास जैसा ही है और मनोरंजक है। बंगालके पाल राजाओंका साम्राज्य भी इस समय बलसम्पन्न था।

यही इस भागके वर्णनीय विषयकी रूपरेखा है। आशा है कि वह पाठकोंको पहले भागके जैसा ही रुचिकर होगा। परिशिष्टमें चार पाँच महत्वपूर्ण किन्तु वादग्रस्त विषयोंका विवेचन किया गया है। मराठोंके क्षत्रिय होनेके जो नये प्रमाण दिये गये हैं और उनपर जो विवेचना की गयी है वह अवश्य पाठकोंके लिये मनन करने योग्य है।

तीसरी पुस्तक
राजपूतोंकी उत्पत्ति ।

हर्षकी मृत्युके पश्चात्, ईसवी सन् ६५० (वि० ७०७) के लगभग कुछ समयतक, पूर्वमीमांसा में बार बार प्रतिपादन की हुई इस बातपर कि वैदिक याग-यज्ञोंसे इच्छित फलकी प्राप्ति होती है, कुछ लोगोंका विश्वास हो गया था; किन्तु सन् ७५० (वि० ८०७) के लगभग पशुयज्ञके प्रति द्वेषकी ऐसी प्रचण्ड लहर उठी कि फिर पशुयज्ञका नामतक नहीं सुन पड़ा ।

वर्तमान समयमें भारतमें प्रचलित हिन्दूधर्मने पशुयज्ञका स्वीकार नहीं किया; इसीसे इस सम्बन्धकी पूर्वमीमांसाकी शिक्षा, उसके नष्ट किये बौद्धधर्मके साथ ही, नष्ट हो गयी । पहलेके हिन्दूराज्योंके संस्थापक राज्यारोहणके अवसरपर राजवैभव-सूचक अश्वमेध किया करते थे; परन्तु अब जो हिन्दू राजवंशोंकी दूसरी मालिका अधिकाररुढ़ हो चली, उसके हृदयमें अश्वमेधका कुछ भी महत्व नहीं रहा । नये हिन्दू राजा पुराणोंमें वर्णित और आधुनिक हिन्दूधर्ममें सर्वश्रेष्ठ माने हुए शिव, विष्णु, सूर्य, देवी, तथा गणेश, विशेषतः शिवके श्रद्धावान् उपासक थे । वर्तमान भारतका शैव सम्प्रदाय, प्राचीन भारतमें उन्नत हुए शैव सम्प्रदायसे भिन्न है । जिस समयका इतिहास हम लिख रहे हैं, उस समय उसका घृणित स्वरूप बहुत कुछ बदल गया था और थानेश्वरके राजवंशके संस्थापक पुष्यभूतिके समयमें शिवकी तान्त्रिक उपासनाके अन्तर्गत जो घृणित आचार और हास्यास्पद विचार समाविष्ट हो गये थे, वे प्रचलित नहीं थे, अथवा लोग उन्हें पसन्द नहीं करते थे । इस प्रकार धार्मिक दृष्टिसे विचार करनेसे ज्ञात होता है कि मोटे हिसाबसे भारतमें वर्तमान हिन्दूधर्मका आरम्भ ईसाकी नवीं शताब्दी (विक्रम संवत् ८५८-८५७) में हुआ था ।

गाय और बैलकी पवित्रताके सम्बन्धमें अत्यन्त तीव्र भावना इस हिन्दूधर्मका एक प्रधान अङ्ग है। लोगोंकी वह भावना अबतक ज्योंकी त्यों बनी हुई है। वास्तवमें गाय वैदिक समयसे ही पवित्र मानी गयी है; परन्तु वैदिक समयके धर्माचारोंमें गाय और बैलके यज्ञका समावेश होता था। अब अहिंसाकी भावना दृढ़मूल हो गयी थी और चाहे वेदोक्त यज्ञोंके लिए ही क्यों न हो, गाय तथा बैलका वध करना पञ्चमहापातकोंमें गिना जाने लगा था, यहाँ तक कि गायको साधारण कष्ट पहुँचाना भी अब पाप समझा जाता था। उस समय सर्वश्रेष्ठ समझे गये शिव और विष्णुकी उपासनासे भी गाय और बैलकी पवित्रताके विश्वासको प्रोत्साहन मिला। शिवके लिए बैल और विष्णुके पूर्णावतार श्रीकृष्णके लिए गाय पवित्र थी। हिन्दू-मुसलमानोंके तीव्र कलहका कारण हिन्दुओंकी यही गोभक्ति थी, जिसका प्रभाव आज भी ज्योंका त्यों बना हुआ है। सब हिन्दूराज्योंमें अब भी गाय और बैलका वध करना या उन्हें चोट पहुँचाना फौजदारी कानूनके अनुसार घोर अपराध माना जाता है।

सामाजिक उन्नतिकी दृष्टिसे भी अर्वाचीन हिन्दू-राजत्व-कालका आरम्भ ईसाकी नवीं शताब्दीसे माना जा सकता है। उस समय सब जातियाँ विभूत हो गयी थीं, किन्तु आज-कलकी तरह एक दूसरीसे पृथक् नहीं हुई थीं, कोई किसीको नीचा-ऊँचा नहीं समझता था और न इतनी उपजातियाँ ही बन गयी थीं जो एक दूसरीमें मिला ली न जा सकें। संभव है बौद्ध-धर्मका पराभव होनेपर उस धर्मका पालन करनेवालोंको हिन्दू-समाजमें मिला लेनेसे आगे चलकर प्रमुख जातियोंमें कई उपजातियाँ उत्पन्न हो गयी हों। अर्वाचीन उपजातियोंकी

उत्पत्तिका काल नवीं शताब्दी अथवा मध्ययुगीन भारतका दूसरा काल-विभाग न भी सिद्ध किया जा सके, तो भी तीसरे काल-विभागको उनकी उत्पत्तिका काल माननेमें कोई आपत्ति नहीं हो सकती । मध्ययुगीन भारतके तीसरे काल-विभागसे ही उपजातियोंके निर्माण होनेका सम्भवनीय कारण यह है कि बौद्धधर्मको छोड़ जो लोग हिन्दूधर्ममें आ मिले, उनकी पौराणिक देवताओंकी उपासना-प्रणाली देश-भेदानुसार भिन्न भिन्न प्रकारकी थी । फिर इस समय लोग निरा-मिषाहारी हो गये थे, इससे भी उपजातियोंकी वृद्धिमें सहायता मिली ।

इससे भी अधिक ध्यानमें रखने योग्य बात यह है कि इसी समयसे लोगोंकी भाषामें भी सहज दृष्टिगोचर होने योग्य बहुत अन्तर पड़ गया । भारतकी वर्तमान प्रचलित भाषाओंका आविर्भाव इसी समय हुआ । उनकी उत्पत्तिके कारणोंका विचार स्वतन्त्र प्रकरणमें किया जायगा । यहाँ इतना ही कह देना पर्याप्त होगा कि, वर्तमान प्रचलित भाषाओंका इसी समय तकका अखण्ड इतिहास पाया जाता है, इससे पहिलेके इतिहासका पता नहीं चलता । अतः ऐतिहासिक दृष्टिसे यही कहा जा सकता है कि भारतकी वर्तमान भाषाएँ इसी समयसे प्रचलित हो चली थीं । इसके पहिलेकी शताब्दियोंमें शौरसेनी, मागधी, महाराष्ट्री, पैशाची और उनकी अपभ्रष्ट भाषाओं द्वारा ही लोगोंके सब व्यवहार होते थे; परन्तु ईसाकी नवीं शताब्दीके पश्चात् हिन्दी, बंगाली, मराठी और पंजाबी ये चार भाषाएँ उत्तर, पूर्व, दक्षिण तथा पश्चिममें उत्पन्न हो गयीं और लोग इन्हीं भाषाओंका व्यवहारमें उपयोग करने लगे ।

सबसे अधिक उल्लेखनीय बात यह है कि इसी समय राजनीतिक आकाशके क्षितिजपर अनेक नये राजवंश प्रकट हुए जिनके वंशज अब भी देशमें राज्य कर रहे हैं। यह भी निःसंकोच कहा जा सकता है कि आजकल प्रत्यक्ष दिखायी देनेवाले अर्वाचीन “हिन्दू” (अर्थात् हिन्दुओंसे व्याप्त) हिन्दुस्थानके दर्शन इसी समयसे होने लगते हैं। यह महत्वपूर्ण बात हिन्दुस्थानका इतिहास लिखनेवालोंके ध्यानमें आने लगी है। इन इतिहास-लेखकोंमेंसे सर थॉमस स्प्रिथने बहुत ही ठीक कहा है कि इसी समयके लगभग राजपूत लोग हिन्दुस्थानके इतिहासके रङ्गमञ्चपर अवतीर्ण होते हैं। पहलेके राजवंश अब लुप्त हो चुके थे। आर्य-बौद्ध कालमें गुप्त और वर्धन (सम्भवतः ये वैश्य थे) ही भारतमें प्रमुख राजवंश थे। इसी तरह यवन, शक, हूण आदि विदेशी राजवंश भी यहाँ राज्य करते थे। परन्तु मध्ययुगीन भारतके पहले काल-विभागमें ये सब क्रमशः विनष्ट होते गये। उस समयमें भी कुछ क्षत्रिय घराने थे, जिन्हें हूणसंगने भी क्षत्रिय ही कहा है, परन्तु वे राजपूत नहीं कहलाते थे। उत्तर भारतमें बलभीके भैरव और कन्नौजके वर्म तथा दक्षिणमें वादामीके चालुक्य और कांचीके पल्लवोंको उसने क्षत्रिय कहा है, राजपूत नहीं। ये राजवंश भी इसी समयके आलपास अस्तङ्गत हुए और समस्त हिन्दुस्थानमें नये क्षत्रिय घराने उदित हुए जो अपनेको राजपूत कहनेमें आनन्द मानते थे यद्यपि ‘राजपूत’ नाम नया नहीं है। आश्चर्य है कि ये ही राजपूत घराने, चाहे उनका महत्व कुछ घट ही क्यों न गया हो, आजतक राजघरानोंके रूपमें वर्चमान हैं। संक्षुब्ध, समस्त भूमण्डलमें राजपूतोंके अतिरिक्त ऐसे कोई राजघराने ढूँढ़नेसे भी नहीं

मिलेंगे, जिनके वंशवृक्षकी जड़ें अखण्ड रूपसे नवम शताब्दी-तक पहुँच चुकी हैं। अन्य कारणोंको छोड़ दें, तो भी इस एक कारणसे भारतके राजपूतोंको अपना एक विशेष महत्त्व ही प्राप्त है।

राजपूत इससे भी अधिक प्रतिष्ठा पानेके अधिकारी हैं, परन्तु हमने अभीतक ठीक तरहसे जाना ही नहीं कि उनकी शूरता और दाक्षिण्य-प्रियताका महत्त्व कितना है। संसारके इतिहासमें अत्यन्त प्रतापी लोगोंकी जैसी कथाएँ लिखी गयी हैं, वैसे ही वीरताके विशद वर्णन लिखने योग्य प्रभा फैला कर इन्होंने अपने समयका इतिहास समुज्ज्वल कर रखा है। दाक्षिण्यप्रियता, वीरता, धर्मकी शुद्ध परम्परा और विदेशी धर्म तथा सत्तासे झगड़नेमें दृढ़ता, इनमेंसे हर एक गुणमें मेवाड़के सिसोदिये और सांभरके चाहमान जगत्के इतिहासमें अग्रगण्य होनेके पात्र हैं। अरबोंकी दिग्विजयका प्रवाह उत्तर आफ्रिकाको प्लावित कर जिब्राल्टरके मुहानेसे होता हुआ स्पेनमें घुसा और पिरैनीज पार कर फ्रांसमें जा पहुँचा, किन्तु वहाँ लीयर नदीके तटपर फ्रांक लोगोंकी शूरताकी चट्टानसे टकराकर वह तितर बितर होगया। उसी धर्मके पागलपनसे भरा हुआ उन्हीं अरबोंके दिग्विजय-सिन्धुका दूसरा प्रवाह जब पूर्वकी ओर ईराक, ईरान और बलूचिस्थानको उदरस्थ करता हुआ सिन्धुनदीको पार कर और सिन्ध प्रांतको जल-मग्न करता हुआ आगे बढ़ा, तब गुहिलोत राजपूतोंने ही उसको रोक कर छिन्न विच्छिन्न कर दिया। राजपूत लोग जिसके नामका उच्चारण बड़े आदरके साथ करते हैं, और जिसे भारतका चार्ल्स मार्टेल कहना अनुचित न होगा, वह बाप्पा रावल यदि न होता तो एक न एक दिन अरबोंके आक्रमणोंके

सामने सारे भारतको अपना मस्तक झुकाना पड़ता, अथवा प्रसिद्ध इतिहासकार गिबनके प्रभावोत्पादक शब्दोंमें यों कहिये कि अरबी धर्म-शास्त्रका प्रतिपादन करनेवाले मुल्लाओंने आज दिन काशी-वाराणसीमें सुन्नत किये गये लोगोंके आगे इस्लामके तत्वों और आचारोंका निरूपण किया होता; परन्तु बाप्पा रावल और उसके सहायक राजपूतोंकी वीरतासे यह दुर्भाग्य टल गया। उसके वंशजोंने अपने विस्तृत और देदीप्यमान इतिहासमें आज दिनतक अपनी खतन्वत्ता और हिन्दु-धर्मकी पताका, मुसलमान विजेताओंको भी नगण्य समझकर, फहरा रखी है, यह देख मन उल्लसित हुए बिना नहीं रहता। खराज्य और स्वधर्मके अन्तिम उपासक शिवाजी इसी वीरके वंशज थे। यह प्रसिद्ध ही है कि शिवाजीने दक्षिणमें मुसलमानोंसे संग्राम कर मराठोंके स्वातन्त्र्य और धर्मकी पुनः स्थापना की थी।

परन्तु अन्तमें पश्चिमी आर्यों और भारतके पूर्वार्ध आर्योंकी स्थितिमें बड़ा भारी अन्तर पड़ गया। स्पेनमें टेगस नदीके तटपर फ्रांक और स्पेनिश लोगोंने लगातार एक हजार वर्ष तक संग्राम कर मूर लोगोंकी शक्ति, रूसी खींचनेके खेलमें जीतनेवाले दलकी तरह, ढीली कर एकाएक उन्हें परास्त कर दिया और उन्हें यूरोपसे निकाल बाहर किया। हिन्दु-स्थानमें भी सिन्धु नदीके आसपास अरबों और उर्दूके पीछे पीछे आये हुए तुर्कोंसे पाँच सौ वर्षतक राजपूत तथा अन्य आर्य भगड़ते रहे। परन्तु हम जिस कालका इतिहास लिख रहे हैं, उसके अन्तिम भागके लगभग एक संग्राममें राजपूत एकाएक पीछे हट गये और तुर्कों तथा अरबोंने उनका पराभव कर दिया। यद्यपि राजपूतोंने राजस्थानके

पर्वतों और मरुस्थलोंमें रहकर अपने धर्म, स्वातन्त्र्य, यश और शौर्यकी रक्षा की, फिर भी समस्त भारतवर्षमें मुसलमानोंका अधिकार हो गया । सारांश, भारतमें स्पेनकी तरह मुसलमान पीछे तो हटे ही नहीं, उलटे सारे देशको निगल गये । पश्चिमी आर्य बन्धुओंकी तरह भारतके राजपूत यशस्वी क्यों नहीं हो सके, इसका उत्तर मध्ययुगीन भारतके इतिहासकारको देना उचित है और हम इस पुस्तकमें इसीका उत्तर देनेका प्रयत्न करेंगे ।

इस समयमें जिनका उदय हुआ और जिन्होंने कमसे कम चार सौ वर्षतक मुसलमानोंके आक्रमणोंका प्रतीकार किया, वे राजपूत कौन थे और कहाँसे आये ? हम लिख चुके हैं कि, वे भारतवासी आर्य और वैदिक आर्योंके अत्यन्त प्रतापी वंशज थे । उन्होंने बड़ी धीरतासे अपने सनातनधर्मकी रक्षा की, इसलिये उन्हें 'हिन्दूधर्मरक्षक' कहना अनुचित न होगा । कितने ही यूरोपीय, और इस देशके भी, पुराणेतिहास संशोधक कहते हैं कि राजपूत म्लेच्छ थे, जिन्होंने हिन्दूधर्मका स्वीकार किया अर्थात् वे हूण, शक, यूची अथवा जीटी जातियोंके बच्चे बचाये लोग थे । क्या यह सत्य है ? मानव-शरीर-वर्णन-शास्त्रके अनुसार मुख, सिर आदिकी परीक्षासे राजपूत आर्य सिद्ध हो चुके हैं, तो भी सर विसेण्ट स्मिथ जैसे प्रसिद्ध इतिहासकार इसी अनुमानकी पुष्टि करते जाते हैं कि ईसवी सनकी छठी सदी (वि० ५५८-६५७) के लगभग जिन विदेशियोंने भारतपर आक्रमण किया उन्हींके ये वंशज हैं । अतः हमने इस पुस्तकमें इस विषयपर विस्तृत रूपसे विचार करनेका निश्चय किया है ।

दूसरा प्रकरण ।

क्या राजपूत विदेशी हैं ?

इस समयमें जिनका उदय हुआ और मध्ययुगीन भारतीय इतिहासके इस काल-विभागपर जिनकी वीरताकी प्रभा छा रही है, वे राजपूत वैदिक आर्योंके ही वंशज थे । अपने पूर्वजोंके धर्मकी रक्षाके लिए वैदिक आर्योंके अतिरिक्त और कौन लोग प्राण हथेलीपर लेकर लड़ सकते हैं ? कभी कभी ऐसा भी होता है कि परधर्मका स्वीकार किये हुए लोग उस धर्मकी रक्षाके लिए उसी धर्ममें उत्पन्न हुए लोगोंकी अपेक्षा अधिक तीव्रता और दृढ़तासे लड़ते हैं; परन्तु यह नियम नहीं, अपवाद है । अतः यह अनुमान करना स्वाभाविक है कि, राजपूत वैदिक आर्योंके ही वंशज हैं । उनकी परम्परा भी यही बता रही है कि वे सुप्रसिद्ध सूर्य और चन्द्र-कुलमें उत्पन्न हुए थे । इसके पहले एक स्थानपर 'सूर्य-सोमवंशीय' शब्दका अर्थ स्पष्ट करते हुए हम लिख चुके हैं कि वे पंजाब और गंगाकी घाटीके मार्ग द्वारा बाहरसे भारतमें आयी हुई आर्योंकी विभिन्न टोलियोंके वंशज थे । तीसरा प्रमाण यह है कि सन १६०१ (वि० १६५७) की मनुष्यगणनाके समय मानवजाति शास्त्रके अनुसार चेहरा और सिर नापनेपर राजपूत आर्योंके ही वंशज सिद्ध हुए । उनकी उठी हुई और सरल नासिकाएँ, लम्बे सिर और ऊँचे कद आर्यत्वके द्योतक हैं । समस्त पृथ्वीतलपर आर्योंकी यही पहिचान मानी जाती है । नेसफील्ड, इवेटसन आदि यूरोपीय विद्वानोंको इस सिद्धान्तकी सत्यतामें बिल्कुल सन्देह नहीं

है कि राजपूत आर्य हैं और वैदिक कालमें हिन्दुस्थानमें बसे हुए प्राचीन क्षत्रियोंके वंशज हैं ।

परन्तु मानवभेद-शास्त्र, परम्परा और संभव-असंभवकी उपेक्षा कर कुछ यूरोपीय इतिहासकार और परिङित तथा इस देशके भी कुछ पुराणेतिहास-संशोधक यही समझ रहे हैं कि हिन्दुस्थानके इतिहासकी रङ्गभूमिपर अभी अश्वतीर्ण हुए ये क्षत्रिय विदेशी असंस्कृत वंशसे उत्पन्न हुए हैं । इसी मतको पुष्ट करनेका वे प्रयत्न भी करते रहते हैं । इसका प्रथम प्रसार राजपूतोंके प्रसिद्ध इतिहासकार कर्नल टाडने किया । उसके समयमें इतिहास-संशोधन और मानवजातिशास्त्र आरंभिक अवस्थामें थे । कदाचित् उस समय उनका जन्म भी नहीं हुआ था । परन्तु यह आश्चर्यजनक ही नहीं, शोकजनक बात है कि अब तक, ऐतिहासिक साधन-सामग्री भरपूर उपलब्ध होने और मानवजातिशास्त्रके पूर्णोन्नत होने पर भी, सर विलेयट् स्मिथ जैसे इतिहासकार इसी कल्पनापर डटे हुए हैं । मानववंशशास्त्रके सिद्धान्त 'इतिहासकारके लिए अनुपयुक्त' ठहरा कर और उनकी उपेक्षा कर राजपूतोंकी उत्पत्तिके सम्बन्धमें सर वी० स्मिथ साहब लिखते हैं:—
 “राजपूताना और गंगाके उत्तर प्रान्तमें बसे हुए विदेशियोंको वहाँके राजा और शासक युद्धमें लड़कर समूल नष्ट न कर सके होंगे, यह बहुत दिनोंकी धुंधली कल्पना अब खुदह प्रमाणोंसे स्पष्ट सिद्ध हो गयी है, इस शोर पाठकोंका ध्यान आकृष्ट कराना आवश्यक है । युद्धमें बहुतसे मरे अवश्य होंगे, किन्तु जो बच गये वे इस देशकी आबादीमें मिल गये । इन विदेशियोंके वंशजोंकी संख्या वर्तमान भारतवासियोंमें सम्भवतः बहुत बड़ी है । इनसे पहले आये हुए शकों और

यूचियोंकी तरह ये लोग भी हिन्दूधर्मकी सर्वग्राहिणी शक्तिके प्रभावमें आकर बहुत शीघ्र पूर्ण हिन्दू बन गये। जिन जातियों अथवा कुटुम्बोंको सरदार पदका मान मिला, उनका उस समयकी हिन्दू-वर्णव्यवस्थाके अनुसार क्षत्रियों अथवा राजपूतोंमें समावेश कर लिया गया। इस प्रकार इसमें सन्देह नहीं कि पाँचवीं या छठी शताब्दी ई० में भारतमें आयी हुई जंगली टोलियोंमेंसे ही परिहार तथा अन्य प्रसिद्ध राजपूत वंशोंका निर्माण और उत्कर्ष हुआ। इन वंशोंके अतिरिक्त बचे हुए सर्वसाधारण लोगोंको मूजर कहने लगे और उनका आदर राजपूतोंसे कम होता था। दक्षिणमें भी इस देशकी कुछ जातियाँ और घराने हिन्दू-समाजमें समाविष्ट हुए और पहले जो गौड़, भर, खारवा आदि कहलाते थे, वे ही चन्देल, राठोर, गहरवार आदि प्रसिद्ध राजपूतोंके नामोंसे विख्यात हुए। अब तो वे अपनी उत्पत्तिका सम्बन्ध सूर्य-चन्द्रसे जोड़ते हैं।" यह अवतरण लम्बा अवश्य है परन्तु भारतीय इतिहासके इस समय (मध्ययुग) में अति प्रसिद्ध राजपूतोंके वंशोंके सम्बन्धमें यूरोपीय पण्डितों और इतिहासकारोंके मतोंका दिग्दर्शन करानेके लिए इसे उद्धृत करना आवश्यक था। राठोर, चन्देल, गुहिलोत और प्रतिहार लोग आर्य राजवंशीय कहानेका अपना हक बताते हैं, तो भी ये इतिहासकार उनको जंगली, विदेशी (हूण) या पतदेशीय अनार्य (गौड़ आदि) के वंशज कहते जाते हैं !

मध्ययुगीन और अर्वाचीन कालके हिन्दुस्थानके इतिहासमें जिन्होंने उज्ज्वल कीर्ति सम्पादन की, वे राजपूत-वंश मूलमें आर्यवंशीय थे या सीथियन अथवा द्राविडी, वास्तवमें यह महत्वका प्रश्न नहीं है। उनकी शूरता और दक्षिण-प्रियतामें

सिद्ध करना तो दूरकी बात है, स्थानिक दन्तकथाओं अथवा विदेशियोंके उल्लेखोंमें नहीं मिलता । इसके अतिरिक्त गुर्जरीके पूर्वज माने गये खिज़रीके इतिहाससे भी यही सिद्ध होता है कि वे स्वदेश छोड़कर कभी कहीं नहीं गये । उनके वर्णनोंसे यह भी स्पष्ट हो जाता है कि दोनोंके स्वभाव परस्पर विरोधी थे । खिज़र अपने घरोंमें ही रह कर व्यापार द्वारा जीविका-निर्वाह करते और गुर्जर परिभ्रमणशील होते हुए पशुपालन और चरवाहेका कार्य करते थे । हिन्दुस्थानके गुर्जरीके रूप-रंगसे भी उनके आर्य होनेमें कोई सन्देह नहीं रह जाता । उनकी नासिकाएँ पारसियोंसे भी अधिक तेजस्वितासूचक होती हैं । सारांश, गुर्जरीके विदेशी होनेकी धारणाकी भित्तिपर जो मत निश्चित किये हैं, वे सब निराधार हैं । हम पहिले भी बतला चुके हैं कि गुर्जर विदेशी या सीथियन नहीं, किन्तु रूपतया आर्य हैं । इस कारण उक्त कल्पनाके खण्डनमें दिये गये प्रमाणोंका पुनरुद्घाटन करना व्यर्थ है । उस भागमें यह भी दिखाया जा चुका है कि हूण और शकों जैसे विदेशियोंके बहुतसे वंशजोंका उस समय बच रहना भी सम्भव नहीं था । जिन जातियोंके हाथमें राजसत्ता होती है, उन जातियोंके हाथसे उसके निकल जानेपर वे जातियाँ भी नष्ट हो जाती हैं । अतः इस भागमें हम भाण्डारकरकी कल्पनाके दूसरे अंशपर विचार करेंगे । सर विन्सेण्ट स्मिथ और मि० विलियम-क्रुक भाण्डारकरकी कल्पनाको ही मानते हैं । भाण्डारकर कहते हैं:—“राजपूत गुर्जरीके ही वंशज हैं, यह सप्रमाण सिद्ध हो चुका है ।” हम यह कह सकते हैं कि प्रथम भागमें हमने भाण्डारकरके युक्तिवादके दूसरे प्रमाणका खण्डन कर दिया है । अब इस भागमें उनके पहले प्रमाणका खण्डन

करेंगे। भाण्डारकरका युक्तिवाद अनुमानपद्धतिके अनुसार इस प्रकार दिखाया जा सकता है:—

(१) राजपूत गुर्जरोंके वंशज हैं।

(२) गुर्जर विदेशसे आये हैं।

(३) इस कारण राजपूत विदेशियोंके वंशज हैं।

हम पहले ही सिद्ध कर चुके हैं कि गुर्जर विदेशसे आये हुए नहीं, किन्तु सच्चे आर्य हैं; अतः पहले प्रमाणके अनुसार मान भी लिया जाय कि राजपूत गुर्जरोंके वंशज हैं, तो भी वे अनार्य नहीं कहे जा सकते। परन्तु इतनेसे ही सन्तोष न मान कर इस भागमें हम सिद्ध कर दिखायेंगे कि राजपूतोंकी उत्पत्ति गुर्जरोंसे नहीं, किन्तु वैदिक क्षत्रिय कुलोंमें उत्पन्न हुए क्षत्रियोंसे ही हुई है। भाण्डारकरने अपनी कल्पनाका उद्घाटन प्रधानतया 'गुर्जर' सम्बन्धी लेखों और 'भारतीय जनसंख्यामें विदेशियोंका भाग' शीर्षक लेखमें किया है। इन लेखोंमें उन्होंने जो प्रमाण दिये हैं, वे सर वी० स्मिथ और क्रुक् जैसे इतिहासकारोंको मान्य हैं और उनकी पुस्तकोंमेंसे दो एक अवतरण हम ऊपर दे चुके हैं। इसके अतिरिक्त राजपूतोंमें प्रचलित अग्निकुलकी आख्यायिकासे भी प्रायः इन प्रमाणोंकी पुष्टि की गयी है। ऐसे ही स्थलोंपर खोज और अन्वेषणका महत्व प्रकट होता है। अग्निकुलकी आख्यायिका एक कल्पना मात्र है। प्रथम यह कह देना उचित होगा कि यह कल्पना आधुनिक किसी कविकी सृष्टि है। कवि-निर्मित रम्य परन्तु निराधार कथाएँ प्रचलित होकर उनपर जब विश्वास हो जाता है, तब सर्वसाधारणको ही नहीं, स्मिथ, क्रुक् जैसे इतिहासकारों और जैक्सन, भाण्डारकर जैसे अन्वेषकोंको भी दिग्भ्रम हो जाता है। उक्त आख्यायिकासे यही

बात सिद्ध होती है । इस मतको पुष्ट करनेके लिए कि राजपूत विदेशियोंसे उत्पन्न हुए हैं, अश्विकुलकी कल्पित कथाका सहारा मिल गया । इस उदाहरणसे ऐतिहासिक-खोजका महत्व और उसकी उपयोगिता स्पष्टतया प्रमाणित होती है ।

तृतीय प्रकरण ।

अश्विकुलकी कल्पना झूठी है ।

पुराणमताभिमानो ईसाई लोगोंकी कल्पना है कि ईसाका प्रसाद कहकर बाँटो हुई रोटी और शरावका रूपान्तर ईसाके मांस और रक्तमें हो जाता है । इस मतका विवेचन करते हुए गिबन कहता है:—“आरम्भमें जो बातें आलंकारिक भाषामें कही जाती हैं, उनपर लोगोंका विश्वास जम जानेपर कालान्तरमें उन्हें न्यायशास्त्रके सिद्धान्तका स्वरूप प्राप्त होता है ।” बात ठीक है और वह सर्वत्र देख पड़ती है । कवि कल्पनासे उत्पन्न हुई बहुत सी बातें आगे चलकर सच्ची समझी जाने लगती हैं । कोई बुद्धिमान् मनुष्य इस बातपर विश्वास नहीं कर सकता कि मानववंशकी उत्पत्ति चन्द्र-सूर्यसे हुई है । परन्तु भारतीय आर्यवंशकी उत्पत्ति चन्द्र-सूर्यसे होनेकी आख्यायिका बहुत प्राचीन कालसे प्रचलित है । ऋग्वेदमें भी उसका उल्लेख है । इस पागलपनकी आख्यायिकासे भी इतिहास-कोविदोंने लाभ उठाया है । उन्होंने इससे यह अनुमान किया कि भारतमें भारतीय आर्योंके प्रथम दो पृथक् पृथक् दल आये । भाषा सम्बन्धी प्रमाणोंसे

यह अनुमान पहिले सर अयर्सजने किया । अस्तु, इसी तरह राजपूतोंके विभिन्न वंशोंकी उत्पत्तिकी आख्यायिकाओंका भी, यदि वे बहुत प्राचीन हों और एकही रूपमें प्रचलित हों तो, कुछ महत्व अवश्य ही है । कविकल्पनासे उत्पन्न हुई अभिकुलोंकी उत्पत्तिकी आख्यायिका आधुनिक है, यदि यह निःसन्देह सिद्ध हुआ न होता, तो वह ऐतिहासिक दृष्टिसे उपयुक्त समझी जा सकती और विदेशी लोगोंका हिन्दू वर्ण-व्यवस्थामें समावेश कर लिया गया है, इस कल्पनाको उससे पुष्टि मिलती; परन्तु वह निरी कविकल्पना सिद्ध हो चुकी है । इतना ही नहीं, कविकी उक्तिके भ्रान्त अर्थके आधारपर यह आख्यायिका बनी है और वह बिल्कुल आधुनिक है, यह सिद्ध किया जा सकता है । यद्यपि ऐतिहासिक खोजसे यह बात सिद्ध हो गयी है, तथापि दुर्भाग्यसे पाश्चात्य परिदृष्टियोंकी समझमें न आनेके कारण इससे जो स्वाभाविक अनुमान किये जा सकते हैं, वे उन्होंने नहीं किये ।

जैसा कि प्रायः सभी जानते हैं, पृथ्वीराजके भाटकवि चंदने इस अंतिम शूर और उदार राजपूत राजाके पराक्रम-वर्णनार्थ रचे गये 'पृथ्वीराज रासो' नामक महाकाव्यमें वशिष्ठ द्वारा अग्निसे क्षत्रियोंके चार कुल उत्पन्न होनेकी कथा सबसे पहिले लिखी । संक्षेपमें वह कथा इस प्रकार है:—राक्षसों अथवा मलेच्छ्योंने जब पृथ्वीको बहुत त्रस्त किया, तब वशिष्ठने अपनी अग्निसे एकके बाद एक चार वीर पुरुष उत्पन्न किये । पहिला परमार, दूसरा चालुक्य, तीसरा प्रतिहार और जब इन तीनोंसे राक्षसोंका नाश न हो सका, तब चौथा भीमकर्मा चाहमान उत्पन्न किया गया । काव्यका नायक पृथ्वीराज इसी चाहमानका वंशज था । रासोके साथ ही साथ यह कथा लोकप्रिय हुई

और समय पाकर राजपूतोंमें वह सच्ची समझी जाने लगी । विशेष आश्चर्यकी बात तो यह है कि उक्त चारों वंशोंके वंश-जोने भी उसे सत्य समझ कर स्वीकार कर लिया । अन्ततः राजपूतोंके इतिहास-लेखक कर्नल टाडको भी वह संग्रह करने योग्य जँची और उन्होंने अपने लिखे इतिहासमें उसका संग्रह भी किया । उक्त चार वंश अपनी परम्पराको चन्द्र-सूर्यतक नहीं पहुँचा सके, इस कारण लोगोंका भी दृढ़ विश्वास हो गया कि चारों वंश अग्निसे ही उत्पन्न हुए हैं । इससे पाश्चा-त्योंको यह अनुमान करनेका आधार मिल गया कि चारों वंश संभवतः विदेशसे भारतमें आये और उन्हें यहाँके ब्राह्मणों-ने अग्नि-शुद्धि-संस्कारसे शुद्ध कर क्षत्रियोंमें मिला लिया ।

यह जानकर कितने ही लोगोंको आश्चर्य होगा कि अग्नि-कुलोंकी आख्यायिका केवल कवि-कल्पनासे ही प्रसूत नहीं हुई, किन्तु कविके वाक्योंका भ्रान्त अर्थ कर लेनेसे इसका जन्म हुआ है । कदाचित् चन्द्रकी भी यह सिद्ध करनेकी इच्छा नहीं थी कि ये चार क्षत्रियवंश नये निर्माण किये गये हैं । क्योंकि नवम शताब्दी ई० के शिलालेखोंसे भलीभाँति सिद्ध होता है कि उस समय चारों, कमसे कम तीन, वंशोंके लोग अपनेको चन्द्र-सूर्य-वंशीय समझते थे और अन्य लोगोंका भी ऐसा ही विश्वास था । कन्नौजमें साम्राज्य स्थापन करनेवाला घराना, जिसे गूजर कह कर विदेशीय सिद्ध करनेका भाण्डारकर आदि प्रयत्न करते हैं, सूर्यवंशीय था, ऐसा दशम शताब्दीके एक शिलालेखमें स्पष्ट उल्लेख किया गया है । यह ग्वालियरवाला भोजका महत्वपूर्ण शिलालेख है, जिसमें लिखा है कि कन्नौजके प्रतिहार सम्राट् सूर्यवंशके प्रख्यात वीर पुरुष रामचन्द्रके भाई लक्ष्मणके वंशज हैं । लक्ष्मण रामचन्द्रके प्रतिहार अर्थात्

द्वारपाल थे, इसीसे उनके वंशज प्रतिहार कहलाये। ❀ विशिष्ट समयमें लोगोंकी कैसी धारणाएँ थीं, यही दिखाने भरके लिए हमारी दृष्टिमें इन आख्यायिकाओंका महत्व है, यह हम पहिले कह चुके हैं। इस आख्यायिकासे यह निश्चित है कि नवम शताब्दीमें प्रतिहार वंश सूर्यवंशीय माना जाता था। उन्हीं प्रतिहारोंको बारहवीं शताब्दी ई० में चन्दकवि अश्ववंशीय कैसे कह सकता है? इसी तरह रासोसे पहिलेके लेखोंमें चाहमानोंको सूर्यवंशी कहा है। हर्षके शिलालेखमें (एपि० इण्डिका भा० २ पु० ११६) चाहमानोंकी वंशावली किसी गूँवकसे आरम्भ हुई है। इस लेखसे भी यही प्रतीत होता है कि चाहमान सूर्यवंशी हैं। (तन्मुक्त्यर्थमुपागतो रघुकुले भूचक्रवर्ती स्वयम्।) पृथ्वीराजके एक दरबारी कविकृत 'पृथ्वीविजय' काव्यपर लिखे गये एक आलोचनात्मक लेखमें (ज० रा० ए० सो० १६०३) अजमेरके श्रीहरविलास सारडाने सिद्ध किया है कि इस काव्यमें पृथ्वीराजका सूर्यवंशीय कह कर ही वर्णन किया गया है। हम्मीर महाकाव्यमें लिखा है कि चाहमान सूर्यसे उत्पन्न हुए हैं। अजमेरके संग्रहालयके एक लेखमें भी ऐसा ही उल्लेख है। इन प्रमाणोंसे निश्चित होता है कि ईसाकी नवम शताब्दीसे तेरहवीं या चौदहवीं शताब्दीतक (वि० सं० ८५८ से १३५७ या १४५७ तक) चाहमान सूर्यवंशीय ही माने माते थे। तीसरा वंश अनहिल-पट्टणके सोलंकी अथवा चालुक्योंका है। शिलालेखोंमें उन्हें चन्द्रवंशीय कहा है। यह न भूलना चाहिये कि वादासीके और गुजरातके चालुक्य भिन्न भिन्न हैं। उक्त चालुक्य भारद्वाज गोत्रके हैं। रासोमें और चेदीके हैहयोंके एक शिलालेखमें चालु-

❀ तद्वंशे प्रतिहारकेतनमृति त्रैलोक्यरक्षास्पदे।

क्योंके इसी गोत्रका उल्लेख है। विष्णुपुराण के शिलालेखमें (एपि० इण्डिका भा० १ पृ० २५३-४) लिखा है कि केयूरवर्ष हैहयने भारद्वाज गोत्रीय चालुक्य अग्निधर्माकी कन्या नोहता देवीसे विवाह किया था। विशेषज्ञोंके मतसे यह शिलालेख ग्यारहवीं शताब्दी ई० का है। दक्षिणके चालुक्योंकी उत्पत्तिका जैसा वर्णन बिल्हण तथा पूर्वके चालुक्योंने किया है, उससे इस शिलालेखका वर्णन भिन्न है। इसमें लिखा है कि इन चालुक्योंके आदि पुरुषको भारद्वाज द्रोणने दुषदको मारनेके लिए अञ्जलिके जलसे उत्पन्न किया, इस कारण वह भी भारद्वाज गोत्रीय ही हुआ। भारद्वाज सोमवंशीय था, इस कारण चालुक्य भी सोमवंशीय ही हैं। इस शिलालेखसे उस समयके लोगोंकी यह धारणा स्पष्ट हो जाती है कि चालुक्य सोमवंशीय थे और उन्हें द्रोणने निर्माण किया था। अतः यह स्वाभाविक नहीं प्रतीत होता कि बारहवीं सदीमें चन्दने उन्हें वशिष्ठ द्वारा अग्निसे उत्पन्न हुआ दिखलानेका प्रयत्न किया होगा।

इतिहास-संशोधकोंने अब यह स्वीकार कर लिया है कि उक्त तीन वंश अग्निसे उत्पन्न नहीं हुए हैं (दाड-राजस्थानकी कृक द्वारा लिखी भूमिका देखिये), परन्तु इससे जो स्पष्ट अनुमान किये जा सकते हैं वे उन्होंने नहीं किये। चाहमान और प्रतिहार, इन दो महत्वशाली वंशोंके सम्बन्धमें यह जो धारणा है कि वे गुजर थे और शुद्धि-संस्कारसे क्षत्रिय बना लिये गये, क्या नवम और दशम शताब्दीके लोगोंके मतसे उसपर पानी नहीं फिर जाता जिसके अनुसार यह सिद्ध हो जाता है कि वे अशिक्षितोत्पन्न नहीं, सूर्यवंशीय थे ? यही नहीं, चौथे अर्थात् परमार वंशको भी हम चन्दके कथनानुसार अशिक्षितोत्पन्न नहीं कह सकते। बारहवीं सदीसे इधरके सभी परमारोंके

शिलालेखोंमें यद्यपि उनकी उत्पत्ति वशिष्ठकी अग्निसे हुई कही गयी है; तथापि उसकी कथा चन्दकी कथासे भिन्न है। उदयपुर-प्रशस्तिमें (एपि० इरिडका भाग १) जो कथा लिखी है वह इस प्रकार है कि सुरधेनुको जब बलात् विश्वामित्र हरण कर ले जाने लगे, तब वशिष्ठने उनके दमनके लिए परमारोंके मूल पुरुषको उत्पन्न किया। कथामें परमारोंका गोत्र वशिष्ठ कहा है। सारे हिन्दुस्थानके परमार अपनेको वशिष्ठ-गोत्रीय कहते हैं और चन्दने भी उनका यही गोत्र बताया है।

अतः प्रतिहार, चाहमान, चालुक्य और परमारोंकी उत्पत्तिकी जो कथा चन्दने रासोमें लिखी है, वह तत्कालीन या उससे पहिलेके और बादके काव्योंके वर्णनोंसे ली गयी है, ऐसा कैसे कहा जा सकता है। इससे प्रतीत होता है कि रासो चन्दने नहीं लिखा। उसके पश्चात् सत्रहवीं सदीमें शिलालेखोंका विस्मरण होनेपर मुसलमानोंकी अमलदारीमें किसीने लिखकर उसके नामसे प्रचलित कर दिया है, अथवा यह भी कहा जा सकता है कि चन्दके काव्यमें लिखी कथाका भावार्थ समझनेमें लोगोंने भूल की है। रासो तत्कालीन कविका लिखा है या नहीं, इस संबन्धमें श्री श्यामलाल पण्ड्याने सन्देह प्रकट किया है। इस विषयपर यहाँ अधिक न लिखकर हम इसका विचार स्वतन्त्र टिप्पणीमें करेंगे। उक्त विवेचनसे यह बात लोगोंके ध्यानमें अवश्य आ जायगी कि यह कथा केवल कविकी कल्पनासे प्रसूत हुई और आगे चलकर लोगोंने उसे सत्य मान लिया। उक्त चारों वंश म्लेच्छोंसे युद्ध करनेके कारण प्रसिद्ध हुए और इसीसे उनका निकट सम्बन्ध जोड़ा गया। किन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि चन्दने जो कथा दी है लोगोंने उसका गलत अर्थ किया। सुप्र-

सिद्ध चन्द्र-सूर्य वंशोंके अतिरिक्त अग्निवंशकी कल्पना करनेकी चन्दको कोई आवश्यकता नहीं थी। उसने प्रसिद्ध छत्तीस राजकुलोंकी जो सूची दी है, उसमें सब राजकुल सूर्य, चन्द्र और यादववंशीय ही हैं। अग्निकुलका उसमें उल्लेख तक नहीं है। अग्निकुलसम्भूत माने जानेवाले प्रतिहार, चाहमान, चालुक्य और परमारोंकी गणना भी उसने प्राचीन सूर्य, चन्द्र और यादव वंशोंमें ही की है। रासोके छत्तीस राजपूत-कुलोंके उल्लेखकी प्रथम पंक्तियाँ इस प्रकार हैं:—

“रवि तसि जाधव वंश ककुत्स्थ परमार सदावर ।

चाहुआन चालुक्य छन्द सितार अभीयर ॥”

इससे स्पष्ट है कि चन्दने परमार, चाहमान और चालुक्योंकी गणना प्राचीन सूर्य, सोम और यादवोंके वंशोंमें ही की है। परमार, प्रतिहार, चालुक्य और चाहमान ये चारों वीर, वशिष्ठके पुकारते ही, अग्निसे प्रकट हुए; इस वर्णनसे यह न समझ लेना चाहिए कि वशिष्ठने इन्हें निर्माण किया था। चन्दके कथनका आशय यही है कि प्राचीन सोम, सूर्य, यादव वंशोंके इन चारों वीरोंने वशिष्ठकी आज्ञासे अग्निसे प्रकट होकर राक्षसोंके साथ युद्ध किया।

चन्दके नामसे प्रचलित हुए महाकाव्य (रासो) की इस कथापर जिसका अर्थ समझनेमें सोलहवीं सदी (वि० १५५८-१६५७) से भूल होने लगी, लोगोंका इतना विश्वास जम गया कि उक्त चारों वंश इस बातको भूल गये कि हमारे पूर्वजोंने किसी शिलालेखमें अपना उल्लेख कभी अग्निकुलोत्पन्न कह कर नहीं, किन्तु सोम-सूर्यवंशीय क्षत्रिय कह कर ही किया है। उनके भाट भी अपने स्वामियोंकी परम्परा भूल गये, यहाँतक कि नये चन्द कवि धूँदी-कोटाके सूरजमल भाटने ‘वंश भास्कर’

नामक जो ग्रन्थ लिखा, उसमें चन्द्रकी अर्थ-विपर्यास की हुई वशिष्ठके अग्निकुलसे उत्पन्न हुए वीरोंकी कथाका और भी बढ़ा कर वर्णन किया और उसने इस भूमी कल्पनाको लपेटमें आकर क्षत्रियोंके पाँच वंश मान लिये । यही नहीं, पहिला चाहमान वीर अग्निसे कब उत्पन्न हुआ, वह संवत् भी उसने लिख दिया । (यह संवत् कलियुग पूर्व ३५३१ अर्थात् ईसवी सन् पूर्व ६६३२ है) । निम्नलिखित दोहे द्वारा आरम्भमें ही उसने उक्त पाँच वंशोंका उल्लेख किया है:—

“भुजभव, मनुभव, अर्कभव, शशिभव क्षत्रवन्श ।

है चउतिम शुचियन्त्र हुव पञ्चम प्रथित प्रशंस ॥”

बूंदी-कोटाके ‘हाड़ा’ राजपूतोंने भी अपने कवि द्वारा हठात् सिरपर लादी हुई नये वंशकी यह कथा आँख मूँदकर स्वीकार कर ली । इस प्रकार बारहवीं सदीके लगभग उत्पन्न हुई अग्नि-कुलकी कल्पित कथा चारों वंशोंको मान्य हो गयी । १७०० ई० (वि० १७५७) के लगभग वह बुद्धिसंगत एवं सच्ची समझी जाने लगी, अतः कर्नल टाडको भी उसके सम्बन्धमें कोई सन्देह नहीं रहा । उसके इतिहासने उक्त कल्पनापर सत्यकी पकड़ी छाप लगा दी ।

यही अग्नि-कुलकी कल्पित कथाका संक्षिप्त इतिहास है । एक कविकी कल्पनासे उसकी उत्पत्ति हुई, दूसरे कविने उसका अर्थ-विपर्यास किया और अन्तमें बुद्धि-प्रेम हुए राजपूतोंने उसको स्वीकार कर लिया । उक्त कथाका भण्डाफोड़ करनेके लिए उक्त वंशोंके पूर्वजोंके शिलालेखोंसे बढ़ कर कौनसा स्पष्ट-तर प्रमाण हो सकता है ? वास्तवमें यह कथा चन्द्रने प्रवर्तित नहीं की तथा नवींसे तेरहवीं सदीतक उक्त चारों वंश अपनेको सोम-सूर्य-वंशीय ही समझते रहे और लोग भी ऐसा ही मानते

थे, यह अब स्पष्ट हो गया । इस प्रकार उक्त चार राजपूत-घराने विदेशी हैं, इस कल्पनाकी प्रधान आधारभूत अग्नि-कुलकी कथा भी झूठी प्रमाणित हुई । फिर भी कई लेखोंमें इन वंशोंको गूजर कहा है, इससे कुछ लोगोंका मत है कि पीछेसे इनका समावेश सोम-सूर्यवंशीय क्षत्रियोंमें कर लिया गया है । परन्तु वास्तवमें ये वंश गूजर हैं या नहीं, और हैं तो उसके प्रमाण क्या हैं, इसका निरीक्षण करना अब आवश्यक है ।

टिप्पणी—पृथ्वीराज रासोका ऐतिहासिक महत्व ।

पानीपत हिन्दुओंके स्वातन्त्र्य-संग्रामकी रणस्थली है । सन् ११९१ (वि० १२४८) में वहीं पृथ्वीराजने अन्तिम युद्ध किया । 'पृथ्वीराज रासो' महाकाव्य उन्हींके समकालीन भाट मित्र चन्द वरदाईने लिखा है । बंगालकी रायल एशियाटिक सोसाइटीके जरनलके पाँचवें भागमें (१८८७ ई०) प्रकाशित एक विद्वत्पूर्ण लेखमें कविराजा शामलदासने रासोमें लिखी मितियों और उल्लिखित राजपूत राजवंशोंके इतिहासकी अनेक भूलें बतायी हैं । विशेषतया रासोमें जो यह लिखा है कि मेवाड़का राजा समरसी पृथ्वी-राजका समकालीन और बहनोई था, उसका खण्डन कर उन्होंने सिद्ध किया है कि समरसीका जन्म पृथ्वीराजके कितने ही वर्ष पश्चात् हुआ था । अतः पृथ्वीराजके युद्धमें समरसीका सम्मिलित होना सम्भव नहीं । इसीसे लेखमें रासोकी मौलिकता और प्राचीनताके सम्बन्धमें सन्देह प्रकट किया गया है । रासोका जो नया संस्करण सन् १९११ (वि० १९६८) में काशी नागरी-प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित किया गया है, उसके सम्पादक श्री मोहनलाल पण्ड्या और बाबू श्यामसुन्दरदासने कविराजा शामलदासके आक्षेपोंका उत्तर देनेका प्रयत्न कर अपना यह मत प्रकट किया है कि रासो मौलिक

॥ परमारोंका घराना भी सूर्यवंशमें ही गिना जाता है, क्योंकि सराठोंके परमार घराने वशिष्ठ गोत्रके हैं और सराठोंकी वंशावलीमें उन्हें 'सूर्यवंशीय' कहा है ।

है और वह पृथ्वीराजके समकालीन कवि चन्दने ही लिखा है । सर विन्सेण्ट स्मिथने बहुत वर्ष पहिले ही यह मत प्रकट किया था कि इतिहासकी दृष्टिसे इस काव्यका महत्व बहुत ही कम है (१८८१ का रा० पृ० १०) । हिन्दी भाषाके इस महत्वपूर्ण महाकाव्यकी सहायताके बिना राजपूतोंका, विशेषतया पृथ्वीराजका, इतिहास पूर्ण नहीं हो सकता । अतः इस सम्बन्धमें हमें अपना मत प्रकट कर देना आवश्यक है ।

हमारे मतसे कई महत्वपूर्ण बातोंमें, विशेषतया मौलिकता और प्राचीनताके सम्बन्धमें, रासोका महाभारतसे बहुत कुछ सादृश्य है । ऐसे विवादमें परस्पर-विरोधी दो मतोंके बीचमें सत्य निहित रहता है । हमारी समझमें इस महाकाव्यका मूल-भाग मौलिक (मूल लेखक कृत) और प्राचीन है, परन्तु कमसे कम दो बार इसमें पीछेसे कई बातें बढ़ायी गयी हैं । हिन्दी महाभारत-मीमांसामें जैसा हमने लिखा है कि वर्तमान उप-लब्ध महाभारत व्यासके मूल महाभारतका दुबारा सौती द्वारा परिवर्धित रूप है, (पहिली बार वैशम्पायनने मूल महाभारतको बढ़ाया था) उसी तरह मूल रासो चन्दने रचा, फिर उसके पुत्रने उसे कुछ बढ़ा दिया और सोलहवीं या सत्रहवीं सदीके लगभग किसी अज्ञात कविने उसमें अपनी रचना भी मिला दी है । बहुतसी महत्वकी बातोंमें दोनों महाकाव्योंमें बहुत कुछ साम्य है । उदाहरणार्थ, भारतीय महायुद्धके कवि व्यास जिस प्रकार अपनी कार्य-क्षमतासे उस युद्धमें चमक उठे हैं, उसी प्रकार चन्दकवि भी इस महाकाव्यकी कथामें स्वयं भाग ग्रहण करनेवाला एक व्यक्ति है । व्यासने जिस प्रकार दैवी शक्तियाँ अपने साथ नहीं जोड़ीं, उसी प्रकार संभवतः चन्दने भी अपने साथ (बरदाई इस विशेषणसे व्यक्त होनेवाली) नहीं जोड़ी होंगी । दैवी शक्तियोंका आरोप उसपर उसके पुत्र अथवा दुबारा उस काव्यका संस्कार करनेवाले कविने किया है । व्यासके पहिले शिष्य वैशम्पायनने जिस प्रकार महाभारत अपने यजमान राजा जनमेजयको सुनाया, उसी प्रकार चन्दने अपना काव्य (रासो) अपनी पत्नीको सुनाया था । इन बातोंसे ज्ञात होता है कि कमसे कम दो बार इस काव्यका परिवर्धन हुआ है ।

परन्तु यह अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि मूल काव्यकी रचना चन्दने ही की है। यदि सोलहवीं सदीमें किसी अज्ञात कविने चन्दके नामसे इसे प्रकाशित किया होता, तो वर्तमान समयमें यह राजपूतानेमें जैसा मतभेदरहित प्रामाणिक माना जाता है वैसा माना न जाता। राजपूत लोग महाभारतके बाद रासोका ही आदर करते हैं। क्षत्रियोंके लिए अत्यन्त प्रिय भीषणयुद्धके आधारपर महाभारतकी रचना हुई है। अर्वाचीन क्षत्रियोंने स्वातन्त्र्यरक्षार्थ पृथ्वीराजके नेतृत्वमें मुसलमानोंके साथ जो तुमुल युद्ध किया, वही रासोका आधार है।

इन काव्योंमें कौनसे भाग प्रक्षिप्त हैं, इसके कुछ साधारण प्रमाण दिये जा सकते हैं; परन्तु महाभारतकी तरह रासोके प्रक्षिप्त भाग पृथक् कर दिखाना सरल नहीं है। हमने अपनी 'महाभारतमीमांसा' नामक पुस्तकमें महाभारतके सम्बन्धमें ऐसे प्रमाणोंका विगदर्शन कराया है, परन्तु पुरानी हिन्दीमें लिखा हुआ होनेके कारण हमारे लिए रासो सुयोध नहीं है। इसीसे महाभारतकी तरह रासोकी छान-चीन हम नहीं कर सकते।

इसमें सन्देह नहीं कि इस काव्यका परिवर्धन करनेका प्रयत्न करते हुए जान बूझकर महाभारतका अनुकरण किया गया है। इसके कुछ उदाहरण मोटे तौरपर हम दिखा देना चाहते हैं।

(१)—महाभारत एक लाख श्लोकोंका ग्रन्थ है। रासोके लेखककी भी यही महत्वाकांक्षा देख पड़ती है कि यह काव्य एक लाख छन्दोंका हो। भारतवासियोंकी प्राचीन समयसे यही धारणा है कि जो ग्रन्थ एक लाख छन्दोंका हो, वही महाग्रन्थ कहाने योग्य है। (शत सहस्र संहिताः लिखनेकी महाकवि महत्वाकांक्षा करता है) रासोका प्रचण्ड विस्तार देखकर कहना पड़ता है कि कवि अपने प्रयत्नमें सफल हुआ है।

(२) काव्यका इतना दीर्घ विस्तार करनेके लिए अनेक स्वतन्त्र और विसृष्ट उपकथाओंका इसमें समावेश करना अनिवार्य था।

ॐ श्रीमोहनलालने 'सत (शत) सहस्र' का 'सात हजार' अर्थ किया है।

(३) अनेक युद्धोंका विस्तारपूर्वक और हृदयस्पर्शी वर्णन करनेका सुयश महाभारतकी तरह इस काव्यको भी प्राप्त है । पौराणिक समयके युद्धोंका वर्णन करना ही कठिन है, फिर हर एक प्रसङ्गकी हर एक बातका ऐसा सूक्ष्म वर्णन करना तो, जो अरोचक न हो, बहुत ही कठिन है ।

(४) सृष्टि-रचना, सृष्टि-सौन्दर्य और विशेषतया विभिन्न ऋतुओंका वर्णन करना (एक ही समयमें सब ऋतुओंका एकत्र वर्णन करनेका रासोमें जो प्रयत्न किया गया है, वास्तवमें वह बेजोड़ है); सांख्यादि दर्शनों और विविध शास्त्रोंका परिचय करा देना; राजसत्ता और शासन-प्रणालीकी उलझनोंका और संसारका सूक्ष्म विवेचन करना, आदि बातें यद्यपि महाभारतके अनुकरणकी परिचायक हैं तथापि हर एक बातमें मौलिकता और रोचकता भरपूर है । इसीसे इस काव्यको 'महाकाव्य' कहानेका पूर्ण अधिकार प्राप्त है ।

(५) सबसे विचित्र बात यह है कि महाभारतमें जिस प्रकार स्थान स्थानपर कूट श्लोक रचे गये हैं, उसी प्रकार इस काव्यमें भी कूट कविताएँ रचनेका प्रयत्न किया गया है और महाभारतकी तरह कूट कविताएँ संख्या-सूचक अंकोंपर ही रची गयी हैं । उदाहरणार्थ, इस काव्यमें समय-सूचक सब उल्लेख आनन्द विक्रम शकके हैं । इससे, कविराजा श्यामलदासने जैसा मान लिया है कि रासोके समय-सूचक सब उल्लेख भ्रमात्मक हैं, वैसा हम नहीं मानते । मोहनलाल पण्ड्याने सब शकोंका सूक्ष्म संशोधन किया है और वह ठीक जँचता है । रासोके प्रायः प्रत्येक सन्में ९१ का ही अन्तर पड़ता है, इससे प्रतीत होता है कि, मोहन लालके मतानुसार, कविने आनन्द विक्रम नामक एक स्वतन्त्र शकका प्रयोग किया है । यह शक, संभव है, उस समय प्रचारमें था अथवा कविने ही यह प्रचलित किया था । पहिले पहिल इस सन्का उल्लेख निम्नलिखित कूट दोहोंमें हुआ है:—

एकादससे पंचदह विक्रम साक अनन्द ।

तिहि रिपुजय पुरहरनको भय प्रथिराज नरिन्द ॥

एकादससे पंचदह विक्रम जिम ध्रमसुत्त ।

तृतीय साक पृथिराजको लिख्यो विप्रगुन गुत्त ॥

मोहनलाल पण्ड्याका यह मत ठीक है कि इस कविताका 'अनन्द' शब्द 'आनन्द' वाचक नहीं है । 'आनन्द' शब्दसे कविताका छन्द अष्ट होता है । यदि यह कहा जाय कि काव्यरचनाकी सुविधाके कारण आनन्द-का 'आ' ह्रस्व कर दिया गया है, तो भी 'आनन्द' शब्द यहाँ ठीक नहीं प्रतीत होता । पण्ड्याजीने 'अनन्द' का अर्थ किया है, ९१ रहित । परन्तु यह अर्थ हो नहीं सकता । कविने नये शकका ही उपयोग किया है, यह उनका मत ग्राह्य है । ९१ वर्ष विक्रम शकसे घटा देनेपर सब तिथियाँ ठीक ठीक आ जाती हैं, परन्तु 'अनन्द' शब्दका अर्थ ९१ किस प्रकार हो सकता है ? दूसरा दोहा भी गूढ़ है । मोहनलालने खींच तान कर 'विप्रगुन गुप्त' का 'ब्रह्मगुप्त' अर्थ कर डालनेका यत्न किया है (भाग १) ; परन्तु 'विप्रगुन गुप्त' का 'ब्रह्मगुप्त' से कोई सम्बन्ध नहीं है । इसके अतिरिक्त उपलब्ध साधनोंसे ब्रह्मगुप्तका यह मत किसी लेखमें नहीं मिलता कि युधिष्ठिर विक्रमसे १११५ वर्ष पूर्व हुए थे । सब हिन्दू ज्योतिर्विद्वाओंके मतसे विक्रमीय संवत्के आरम्भमें युधिष्ठिर शक ३०४४ था । पुराणों और विशेषतया भागवतके उल्लेखसे यही ज्ञात होता है कि नन्दके राज्यारोहणसे १०१५ वर्ष पूर्व युधिष्ठिर हुए थे । (यावत्परीक्षितो जन्म यावन्नन्दाभिषेचनम् । एतद्वर्षसहस्रन्तु ज्यैष्ठ्यं पञ्चदशोत्तरम् ॥

पहिले दोहेमें नन्द और दूसरेमें धर्मसुत अथवा युधिष्ठिरका उल्लेख करते समय चन्दके मनमें भागवतका यही श्लोक बार बार उठता होगा । परन्तु युधिष्ठिर और नन्दके बीच १११५ वर्षोंका अन्तर चन्दने कैसे ठहराया और अपना नया तीसरा शक कैसे निर्माण किया, इसका स्पष्टीकरण करना कठिन है । हमारे मतसे 'लिख्यो विप्रगुन गुप्त' का यह अर्थ है कि कालगणना कर उस ब्राह्मण कविने यह कूट रचा है । ज्योतिर्विद् ब्रह्मगुप्तका यहां कुछ भी सम्बन्ध नहीं है । ❀

❀ तर्क ही करना हो तो कहा जा सकता है कि नन्दका अर्थ ९१ है और यह संख्या (९१) नव नन्दोंके राजत्वकालकी परिचायक है । पुराणोक्त १०० वर्षोंका नव नन्दोंका काल ठीक नहीं है । अथवा १०१५ + १००

पृथ्वीराज रासोका मूल भाग चन्द्रने लिखा है। सम्पूर्ण रासो सत्रहवीं सदीमें किसीने लिखकर चन्द्रके नामसे प्रसिद्ध नहीं किया। इस मतकी पुष्टि रासोमें उल्लिखित ३६ राजवंशोंकी सूचीसे भलीभाँति होती है; क्योंकि वह सूची आधुनिक नहीं है। “सोरेसे सत्तोत्तरे विक्रम साक बरीत। दिल्लीश्वर चित्तोडपे लेवेंगे वलजीत॥” इस दोहेमें “दिल्लीका बादशाह संवत् १६७७ में फिर चित्तोड़पर अधिकार कर लेगा” यह भविष्य-कथन किया गया है। सम्भव है, यह दोहा सत्रहवीं सदीमें किसीने रासोमें मिला दिया हो। (यहाँ भी महाभारत और रासोमें साम्य देख पड़ता है। महाभारतमीमांसामें हमने सिद्ध किया है कि महाभारतमें भी उदयनके सम्बन्धमें इसी प्रकार किसीने भविष्य-कथन जोड़ दिया है।) परन्तु सम्पूर्ण काव्य किसीने चन्द्रके हस्तने पश्चात् लिख कर उसके नामसे प्रसिद्ध किया, यह किसी प्रकार सिद्ध नहीं होता। आगे चलकर एक टिप्पणीमें पूर्वोक्त ३६ राजवंशोंकी सूचीकी विवेचना कर हम सिद्ध करेंगे कि यह सूची पृथ्वीराजके समयके बादकी हो ही नहीं सकती। समरसि पृथ्वीराजका सम हालीन था या नहीं, इसका विचार तीसरे भागमें करेंगे। मोहनलालने इस सम्बन्धमें क्या लिखा है, दुर्भाग्यसे वह अवतक हमारे दृष्टिगोचर नहीं हुआ है। रासोकी इस सम्बन्धकी टिप्पणीमें उन्होंने अपना मत प्रकट करनेका आश्वासन भर दे रखा है (भाग १, पृ० १४५) ।

(नन्दोंका राजत्वकाल) १११५ वर्षोंका काल, युधिष्ठिरसे आरम्भ कर विक्रमसे कुछ वर्ष पूर्व हुए चन्द्रगुप्त तकका काल मान लिया जा सकता है। इसमें सन्देह नहीं कि उक्त दोहे कूट ही हैं। कुछ लेखकोंने इन दोहोंसे दो नन्दोंके होनेकी जो कल्पना की है, वह नितान्त निराधार है।

चौथा प्रकरण ।

क्या अग्निकुलवाले गूजर हैं ?

श्री युत डी. आर. भाण्डारकरने इण्डियन एण्टिकवेरीके ग्यारहवें भागमें लिखे लेखमें यह सिद्ध करनेका यत्न किया है कि प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चाहमान ये अग्निकुलोत्पन्न माने जानेवाले चारों वंश गूजर हैं । (उनका लिखा 'हिन्दूजनतामें विदेशी स्लेच्छोंका वंश' लेख देखिये ।) उनका मत भ्रममूलक है, यह सिद्ध करना कठिन नहीं है । उक्त निबन्धमें उन्होंने अपने मतकी पुष्टिके जो प्रमाण दिये हैं, इस प्रकरणमें हम उनका खण्डन करेंगे ।

जाति और विवाहके प्राचीन वैदिक इतिहासके सम्बन्धमें भी भाण्डारकरको बहुत कुछ भ्रम हुआ है । इस कारण लेखके आरम्भमें किये उनके अनुमानोंको बहुत सावधानीसे पढ़ना चाहिये । इसमें सन्देह नहीं कि वैदिककालमें कुछ समयतक आर्य और द्राविड़ वंशोंकी बहुत कुछ खिचड़ी होती रही । आर्योंके विभिन्न वर्णोंका स्वरूप जातिविशिष्ट नहीं, वर्ग (दल)-विशिष्ट था । ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्योंमें परस्पर विवाह-सम्बन्ध होता था । तीनों वर्ण आर्य हो थे, इस कारण उस समय वंश (रेस)-संकरताका प्रश्न नहीं उठा । हिन्दुस्थानमें आ बसनेपर जब आर्यगण शूद्र स्त्रियोंसे विवाह करने लगे, तब वर्णसाङ्कर्यका आरम्भ हुआ । यह मिश्रण कुछ कालतक बराबर होता रहा । इसका स्पष्ट प्रमाण महाभारतमें आयी हुई नहुषकी कथासे मिलता है । परन्तु जब लोगोंने यह

ॐ जातिरत्र महाभाग मनुष्यत्वे महामते ।

संकरात्सर्ववर्णानां दृष्टपरीक्ष्येति मे मतिः ॥

अनुभव किया कि उच्च वर्णोंके पुरुषोंके शूद्र स्त्रियोंके साथ होने-वाले विवाह-सम्बन्ध अत्यन्त अनिष्टकारी होते हैं, तब ऐसे विवाहोंके विरुद्ध लोकमत प्रबल होने लगा। विशेषतया शूद्रोंसे होनेवाले प्रतिलोम विवाह बहुत ही हानिकारक जँचने लगे। मनुने भी इस श्लोकमें यही मत प्रकट किया है:—

जातो नार्यामनार्यायामार्यादार्यो भवेद्गुणैः।

जातस्त्वनार्यादार्यामनार्य इति निश्चयः ॥

“आर्य पुरुषसे हुई अनार्य स्त्रीकी सन्तति आर्य गुणसम्पन्न और अनार्य पुरुषसे हुई आर्य स्त्रीकी सन्तान अनार्य गुणोंसे युक्त ही होगी।” इसका परिणाम यह हुआ कि थोड़े ही दिनोंमें शूद्रोंके साथ होनेवाले प्रतिलोम विवाह निषिद्ध माने गये और इसीके अनुकरणसे आर्योंमें परस्पर होनेवाले प्रतिलोम विवाहोंमें भी रुकावट डाली गयी। बीच बीचमें शूद्राओंसे अनुलोम विवाह होते थे, परन्तु याज्ञवल्क्यके यह प्रतिपादन करने पर कि शूद्रा स्त्रीके साथ विवाह न किया जाय, अनुलोम विवाह भी रुक गये।

जब ईसवी सनके कोई ३०० वर्ष पूर्व (वि० पू० ३५७) मेगस्थनीज़ भारतमें आया, तब यहाँकी जाति और विवाह-व्यवस्था इसी प्रकारकी थी। उसने स्पष्ट लिखा है—“भारतीयोंमें अपनी

सर्वे सर्वास्त्वपत्यानि जनयन्ति सदा नराः।

तस्माच्छ्रीलं प्रधानेष्टं विदुर्यं तत्त्वदर्शिनः ॥

इस नहुष-युधिष्ठिर-संवादसे स्पष्ट हो रहा है कि युधिष्ठिरको ब्राह्मणोंकी तरह शूद्रोंमें भी शील देख पड़ा। युधिष्ठिरका इससे यह मत बना कि मनुष्यके आचरणसे उसके वर्णका अनुमान किया जा सकता है और सर्वत्र दे-रोक-टोक वर्णसंकरता फैल रही है, इसीसे ऐसा (गुणातिक्रमण) होता है।

जातिको छोड़ अन्य जातियोंमें विवाह करनेकी आज्ञा नहीं है और कोई अपने पूर्वजोंका पेशा छोड़कर दूसरा काम नहीं कर सकता । तत्वज्ञानी पुरुष इस नियमके अपवाद हैं । अपने गुणोंसे उन्होंने यह अधिकार प्राप्त किया है ।” (मैक क्रिएडल कृत एनशेएण्ड इण्डिया, मेगस्थनीज़ पृष्ठ ८५-८६) इससे ज्ञात होता है कि मेगस्थनीज़के समयमें जातियोंके चारों ओर अनुसूतनीय सुदृढ़ प्राचीर निर्माण की गयी थी । फिर यह कैसे सम्भव है कि मेगस्थनीज़के पश्चात् यवनों और शकोंका समावेश हिन्दू जातिमें कर लिया गया ? बौद्ध अथवा हिन्दू होनेके बाद भी किसीकी मूल जाति नहीं बदलती थी । स्वयं भारद्वाजकरके उद्धृत किये शिलालेखमें भी बौद्ध अथवा हिन्दू हुए शकों अथवा यवनोंको ‘शक’ अथवा ‘यवन’ ही कहा है । ‘मग’ ब्राह्मण भी मग ही रहे और उनकी एक स्वतन्त्र उपजाति मान ली गयी । यवन और शक मेगस्थनीज़के पश्चात् भारतमें आये, इसमें किसीका मतभेद नहीं है । ‘मग’ भी उन्हींकी तरह मेगस्थनीज़के पश्चात् आये या नहीं, यह हमें ज्ञात नहीं है । परन्तु उन्हें मगब्राह्मण कहते हैं, इससे सिद्ध होता है कि अन्य ब्राह्मणोंसे वे पृथक् ही रहे और अन्य ब्राह्मणोंके साथ उनके विवाह-सम्बन्ध नहीं हुए ।

जैसे ईसवी सन्के लगभग ३०० वर्ष पूर्व जाति-व्यवस्था किस रूपमें थी, इसका प्रमाण मेगस्थनीज़के इतिहासमें मिलता है, वैसेही ईसवी सन्के लगभग ६०० वर्षके बाद वह किस रूपमें थी, इसका प्रमाण हुएनसंगके प्रवास-वर्णनमें मिलता है । वह प्रमाण हमने पहिले भागमें दिया भी है । हुएनसंग लिखता है—“किसी एक जातिके स्त्री-पुरुषोंके विवाह-सम्बन्ध उसी जातिके स्त्री-पुरुषोंके साथ होते हैं ।” (भाग १) मेगस्थ-

बीजको क्षात हुए अपवादका यहां उल्लेख नहीं है; इससे जान पड़ता है कि उस समय जातियाँ परस्पर भिन्न और सम्बन्ध-रहित हो गयी थीं, फिर भी शिलालेखोंसे स्पष्ट होता है कि कोई कोई ब्राह्मण क्षत्रिय-कन्याओं, विशेषतया क्षत्रिय राजकन्याओं, से विवाह कर लेते थे (भाग ६ पृष्ठ ६१) और क्षत्रिय राजाओंसे वैश्य राजकन्याओंका विवाह-सम्बन्ध होता था। परन्तु पुरातन काल और इस कालके अनुलोम विवाहके परिणाममें जो अन्तर पड़ गया, वह ध्यानमें रखने योग्य है। प्राचीन समयमें इस प्रकारके विवाहसे उत्पन्न हुई सन्तति व्यास आदिकी तरह पिताकी जातिकी मानी जाती थी, परन्तु बादमें वह माता-पिताकी जातियोंके बीचकी एक नयी जातिकी मानी जाने लगी। इसी तरह दो जातियोंके बीचकी कई मिश्र जातियाँ बन गयीं॥ शिलालेखोंसे यह भी जाना जाता है कि कुछ समय और बीतने पर, अर्थात् हर्षके समयमें और उसके बाद-की शताब्दियोंमें अनुलोम विवाहको सन्तान माताकी जातिकी मानी जाने लगी। ब्राह्मणोंके सम्बन्धमें तो यह नियम अवश्य

॥ स्मृतियोंमें साधारणतया विवाह-विधानकी इस व्यवस्थाका कथन किया गया है। इन दोनोंके बीचकी कोई सीढ़ी अवश्य रही होगी, जिसका उल्लेख मनुस्मृतिमें है। मांकी जाति यदि पिताके अत्यन्त निकटकी हो, तो उस जोड़ेकी संतान पिताकी जातिकी मानी जाती थी। परन्तु यह सीढ़ी थोड़े ही समयमें लुप्त हो गयी। अन्य स्मृतियोंमें इसका उल्लेख नहीं है। अन्य स्मृतिकारोंने ऐसे विवाहित स्त्री-पुरुषोंकी सन्तानकी गणना माता-पिताकी जातियोंके बीचकी मिश्र जातिमें अनुक्रमसे की है।

† व्यासस्मृति जैसी अर्वाचीन स्मृतियोंमें इस प्रकारकी व्यवस्था कही गयी है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि धीरे धीरे जाति-बन्धन किस प्रकार दृढ़तर होते गये।

ही था । इसका प्रमाण प्रतिहारोंके शिलालेखमें इस प्रकार मिलता है कि एक ब्राह्मणने एक ब्राह्मण-कन्या और दूसरी क्षत्रिय-कन्यासे विवाह किया था । उसे ब्राह्मणसे जो सन्तान हुई वह प्रतिहार ब्राह्मण और जो क्षत्रियाणीसे हुई वह प्रतिहार क्षत्रिय कहलायी । साधारणतया ग्यारहवीं सदी और उसके पश्चात् मिश्र विवाह कलिवर्ज्य अर्थात् अवैध माने जाने लगे । इसका विवरण हम तीसरे भागमें देंगे । जाति-व्यवस्थाकी उत्क्रान्तिका यह इतिहास ध्यानमें रखने पर भाण्डारकरकी उद्धृत की हुई पौराणिक कथाओंसे जो शंकाएँ उत्पन्न होती हैं, वे आपही आप दूर हो जायँगी । अतः उन कथाओंके सम्बन्धमें हम यहां अधिक विस्तारसे विचार नहीं करेंगे ।

इन प्रास्ताविक बातोंका उल्लेख श्रीभाण्डारकरके उन प्रमाणोंके तथ्य-निर्णयमें सहायक होगा, जो उन्होंने यह सिद्ध करनेके लिए दिये हैं कि अग्निकुलके माने हुए धराने गूजर थे, उनका हूणोंसे सम्बन्ध था, अतः वे विदेशी थे । यहाँ एक बात कह देना आवश्यक है कि किसी जातिका दूसरी किसी विदेशी जातिके साथ, किसी कारणसे क्यों न हो, उल्लेख होनेसे ही वह जाति विदेशी नहीं ठहरायी जा सकती । बाणने हर्षचरितमें लिखा है कि थानेश्वरके राजा प्रतापवर्धनने हूण और गूजरोंका पराभव किया । इससे कोई यह प्रतिपादन करे कि गूजर विदेशी थे, हूणोंका उनसे रक्त-सम्बन्ध था और हूणोंके साथ ही वे भारतमें आये थे, तो यह पागलपन ही कहा जायगा । ऐसे ही जो प्रमाण स्पष्टतया भ्रमात्मक हैं उन्हींके आधारपर श्रीभाण्डारकर हैहयोंको भी विदेशी सिद्ध करना चाहते हैं । पुराणोंका प्रमाण देते हैं कि पुराणोंमें

उनका उल्लेख विदेशियोंके साथ हुआ है ! “शक्र, यवन, पारस, और काम्बोज लोगोंके साथ हैहयोंका भी उल्लेख हुआ है। इससे यह निर्विवाद सिद्ध है कि हरिवंशकी रचनाके समय अर्थात् ईसाकी चौथी शताब्दी (वि० ३५८-३५७) में हैहयोंकी गणना स्लेज्योंमें ही होती थी।” (पृष्ठ १६) परन्तु यह मत युक्तिसङ्गत नहीं है। हैहय स्लेज्य ही हैं, ऐसा स्पष्ट उल्लेख होना आवश्यक था। उन्होंने स्लेज्योंसे सहायता ली, इससे वे स्लेज्य नहीं माने जा सकते। हैहयों और उनके मूल पुरुष सहस्रार्जुनके चन्द्रवंशी आर्य होनेका उल्लेख हरिवंश और अन्य पुराणोंमें एक मतसे किया गया है। यही नहीं, भारतके सब इतिहासोंमें (और व्यवहारमें भी) आजतक हैहयोंकी गणना उत्कृष्ट क्षत्रियोंमें होती आयी है। पहिले भागमें लिखे अनुसार उनके मानवंशसूचक लक्षण निःसन्देह आर्योंके ही हैं॥

जो हो, हैहय तो स्पष्टतया आर्य हैं। वे आर्य और उत्तम क्षत्रिय माने भी गये हैं। परन्तु हूणोंके विदेशी होनेका स्पष्ट उल्लेख है और पुराणमताभिमानि हिन्दू उनसे विदेशीकी तरह ही वर्ताव करते आये हैं। कोई हिन्दूराजा यदि स्पेन

॥ कायस्थ प्रभु (महाराष्ट्रकी एक उच्च जाति) कहते हैं कि हम सहस्रार्जुनसे उत्पन्न हुए हैं। यहाँ श्रीभाग्यकारने इस अनावश्यक बातका व्यर्थ उल्लेख किया है। कदाचित् उनका यह सूचित करनेका उद्देश्य हो कि ये कायस्थ प्रभु भी विदेशी-वंश-सम्भूत हैं। परन्तु उनकी आकृति और परम्परासे भलीभाँति सिद्ध हो चुका है कि वे आर्य हैं। श्रीभाग्यकारने यह जो कल्पना कर ली है कि भारतकी कितनी ही जातियाँ विदेशियोंसे उत्पन्न हुई हैं, सम्भव है उसका कारण यह हो कि वे किसी भी उच्च जातिकी उसकी लपेटसे बचने न देना चाहते हों।

देशकी किसी कन्यासे विवाह कर ले, तो स्पेनके लोग जिस प्रकार हिन्दुस्थानी या क्षत्रिय नहीं हो सकते, उसी प्रकार यदि कहीं यह उल्लेख मिल जाय कि किसी क्षत्रियने हूण राज-कन्यासे विवाह किया था, तो इससे हूण भी हिन्दू या क्षत्रिय नहीं सिद्ध किये जा सकते । हम आगे एक टिप्पणीमें दिखलावेंगे कि हूणोंका ३६ राजवंशोंमें कभी समावेश नहीं किया गया । उन्हें क्षत्रिय कहकर औरोंकी तरह श्रीभाण्डारकरने भी भूल की है । इन अत्यन्त आवश्यक बातोंका दिग्दर्शन करा देने पर ही श्रीभाण्डारकर जिन्हें गूजर कहते हैं, उन अशिक्षितवाले वंशोंका क्रमशः परीक्षण करना उचित होगा । कई बार कहा जा चुका है कि गूजर विदेशी नहीं, मानववंश-शास्त्रके अनुसार सुन्दर नासिकावाले आर्य हैं और ऐतिहासिक प्रमाणोंके अनुसार वेद और स्मृतियोंमें कहे हुए वैश्य हैं । अशिक्षितके घरानोंमें सबसे प्रमुख घराना प्रतिहारोंका है । कन्नौजके खज्राड् प्रतिहार घरानेके थे । श्रीभाण्डारकर इस बातको मानते हैं कि उन्होंने अपने लेखोंमें कहीं भी अपनेको गूजर नहीं कहा है । उनके वत्सराज, नागभट्ट आदि नाम आर्योंके हैं । लेखोंमें उन्होंने अपनेको सूर्यवंशी और उनके आश्रित प्रसिद्ध कवि राजशेखरने उन्हें 'रघुकुल-तिलक' कहा है । इन बातोंसे प्रतिहारोंको गूजर सिद्ध करनेके कारखोंका श्रीभाण्डारकरको रूढ़म परीक्षण कर लेना चाहिये था । यह तो उन्होंने किया ही नहीं, उलटे उन्होंने "विदेशोंसे आये हुए म्लेच्छ शीघ्र ही हिन्दुओंमें मिलकुल मिल गये और वे क्षत्रिय ही नहीं, सूर्यवंशीय क्षत्रिय मान लिये गये" यह प्रतिपादन करनेके लिए उक्त बातोंका विपर्यस्त उपयोग किया है । सच बात तो यह है कि पुराणकाल और

आठवीं शताब्दी ई० के हिन्दू भी आजकी तरह वर्णसंकरताके विरोधी थे । अतः जिन थोड़ेसे अन्य प्रमाणोंसे क्षत्रिय गुजर जान पड़ते हैं, उनका निर्णय अन्य प्रकारसे ही करना चाहिये । श्रीभाण्डारकरको इस बातपर विशेष ध्यान देना आवश्यक था ।

अब यह देखना चाहिये कि भाण्डारकरके पक्षके प्रमाण क्या हैं और उनका उत्तर क्या दिया जा सकता है । पहिला प्रमाण यह बताया जाता है कि राजोरमें मिले एक लेखमें वर्तमान जयपुर राज्यके आग्नेय कोणमें राज्य करनेवाले एक गौण प्रतिहार घरानेने अपनेको गुर्जर प्रतिहार कहा है । कन्नौजके प्रतिहारोंने अपनेको कभी गुर्जर नहीं कहा । उक्त गौण (छोटे) प्रतिहारोंने कन्नौजके बड़े घरानेसे अपना पार्थक्य दिखानेके लिए ही अपनेको गुर्जर कहा है । इस प्रकार अपने निवास-स्थानका उल्लेख कर अपना पार्थक्य दिखाना स्वाभाविक भी है । नगर और कन्नौजके निवासी जैसे नागर और कनौजिये ब्राह्मण हैं, वैसे ही गुर्जर देशमें बसे हुए प्रतिहार अपनेको गुर्जर प्रतिहार कहते हैं । भाण्डारकरने स्वयं ही बताया है कि उक्त प्रान्तमें गुजरोंकी बस्ती अधिक है और उस समय उस प्रान्तको गुजरत्रा अथवा गुजरात कहते थे । भाण्डारकरका यह कहना सत्य है कि आठवीं-नवीं शताब्दीका गुजरत्रा वर्तमान गुजरात नहीं, किन्तु जयपुर राज्यके आग्नेय भाग तक फैला हुआ दक्षिण राजपूताना था । अन्ततः उक्त प्रतिहारोंने अपना पार्थक्य दिखानेके लिए, जिस देशमें वे बसे थे और राज्य करते थे, उसके सूचक गुर्जर प्रतिहारके नामसे अपना उल्लेख किया, तो इसमें अस्वाभाविक क्या है ? वे गुर्जर जातिके थे, इसलिये उन्होंने अपनेको गुर्जर नहीं कहा है ।

इसके अतिरिक्त इस एक ही लेखके आधारपर खम्राड् प्रतिहारोंको गुर्जर सिद्ध करना असम्भव है । ❀

श्रीभारदारकरका दूसरा प्रमाण यह है कि राष्ट्रकूटोंने अपने लेखों और अरबोंने अपने प्रवासवर्णनोंमें कन्नौजके प्रतिहारोंको गुजर कहा है । इस मतके सम्बन्धमें विवाद करना सम्भव नहीं । कन्नौजके प्रतिहारोंके साथ जो युद्ध हुआ, उसमें राष्ट्रकूट और अरब एक दूसरेके सहायक थे । राष्ट्रकूट-ताम्रपटमें गुजरोंके साथ हुए युद्धोंका जो उल्लेख है, वह कन्नौजके प्रतिहारोंसे ही सम्बन्ध रखता है; क्योंकि राष्ट्रकूटोंसे लड़ सकनेकी शक्ति उस समय उनमें ही थी और उत्तर भारतके विशाल भूभागमें उनका साम्राज्य फैला हुआ था । इसी तरह अरबोंने जिस 'जुजर' राज्यका उल्लेख किया है, वह भी कन्नौजका ही राज्य था । परन्तु इससे कन्नौजके राजा गुजर नहीं सिद्ध किये जा सकते । हिन्दू लोग मुसलमानोंको यवन कहते हैं, इससे क्या मुसलमान लोग जाति या जन्मसे ग्रीक ठहराये जा सकते हैं ? राजपूतोंका पहिला सामना महम्मद गज़नवीके तुर्कोंसे हुआ । तबसे राजपूत सभी मुसलमानोंको 'तुरकड़ा' कहने लगे । इससे क्या हिन्दुस्थानमें आया हुआ प्रत्येक मुसलमान, चाहे वह अफगान हो या ईरानी, वंश अथवा जातिसे तुर्क हो जाता है ? दक्षिण राजपूतानेको पहिले गुजरना कहते थे । सिन्धके अरबोंके पूर्वकी ओर यह देश सटा हुआ होने और वहाँ प्रतिहारोंका राज्य होनेसे उस देश और वहाँके राजाओंका नामोल्लेख अरबोंने 'जुजर' इस एक ही

❀ गुर्जर-प्रतिहार इस शब्द समुच्चयका अर्थ गुजर जातिके प्रतिहार ऐसा करनेकी आवश्यकता नहीं है । उसका अर्थ 'गुजरात देशके प्रतिहार' ऐसा किया जा सकता है ।

शब्दसे किया है। राष्ट्रकुटोने इसी कारण उन्हें गुर्जर कहा है। सारांश, यह प्रमाण भी सारहीन है और प्रतिहार सूर्य-वंशी क्षत्रिय अथवा राजपूत जातिके हैं, यह जिन प्रमाणोंसे स्पष्टतया सिद्ध हो जाता है, उनके आगे इसका निबान नहीं हो सकता।

एक ब्राह्मणके दं लिखीं थीं, एक ब्राह्मणी, दूसरी क्षत्राणी। ब्राह्मणी स्त्रीसे उत्पन्न हुई सन्तान परिहार ब्राह्मण और क्षत्राणी स्त्रीसे उत्पन्न हुई सन्तान परिहार क्षत्रिय कही जाने लगी। एक शिलालेखमें लिखी हुई प्रतिहारोंकी उत्पत्तिकी इस आख्यायिकाके आधारपर रचा हुआ प्रमाण तो उपर्युक्त प्रमाणसे भी निःसार है। (इण्डियन एण्टिकेरी, पुस्तक ११, पृष्ठ २४) “ब्राह्मणका क्षत्रिय-कन्यासे विवाह-सम्बन्ध और उसका शिलालेखमें कहा हुआ परिणाम विचित्र है। परिहार विदेशसे इस देशमें आये, इस कल्पनासे उक्त आख्यायिकाका रहस्य समझमें आजाता है।” इस प्रकरणके आरम्भमें कहे अनुसार इस प्रकारके विवाह-सम्बन्ध और उसके परिणाम विचित्र नहीं, उस समय वे सर्व-परिचित थे। मान लिया जाय कि वे विचित्र हैं, तो भी उनका उपयोग यह सिद्ध करनेके लिए प्रमाणके रूपमें करना कि प्रतिहार विदेशियोंके वंशज हैं, और भी विचित्र है। इस विचार-परम्परासे चाहे जो अनुमान किया जा सकता है। यह भी कहा जा सकता है कि ये लोग नरप्रांस-भक्षक थे। यों प्रतिहारोंके सम्बन्धमें श्रीभाण्डारकरने विरुद्ध पक्षकी ओरसे जो तीन प्रमाण दिये हैं, वे छूछे साबित होते हैं और प्रतिहार सम्राट् सच्चे राजपूत थे, यह सिद्ध करनेके जो प्रमाण हैं, उनके साथ इनकी तुलना नहीं हो सकती। भाण्डारकरके प्रतिहारोंके सम्बन्धके जो प्रबल

प्रमाण थे, उनका इस प्रकार खण्डन हो जानेपर अब अग्नि-कुलके नामसे प्रसिद्ध हुए चालुक्य अथवा सोलंकी घरानेके सम्बन्धमें विचार करना उचित होगा ।

श्रीभाष्यकार स्वीकार करते हैं कि चालुक्योंके सम्बन्धमें शिलालेखोंमें कोई प्रमाण नहीं मिलता, परन्तु उनका मत है कि “यह देखते हुए कि वर्तमान गुजरातका गुजरात नाम तभीसे हुआ जबसे चालुक्योंने उसे अपने अधिकारमें कर वहाँ राज्य करना आरम्भ किया, तब हमें मानना पड़ता है कि चालुक्य अवश्य ही गूजर थे । यदि चालुक्य गूजर न होते, तो उनके राजत्वकालसे पहिले उस प्रान्तका नाम गुजरात्रा होता, परन्तु तब उसका नाम ‘लाट’ था ।” (इ० ए० भा० ११ पृ० २४) उस समयके लेखोंसे ही स्पष्ट है कि आठवीं, नवीं और दसवीं शताब्दी ई० में भी दक्षिण राजपूतानेका नाम गुजरात्रा था । तब वर्तमान समस्त गुजरात ‘लाट’ नहीं कहा जाता था । दक्षिण गुजरात अर्थात् सूत और उसके आसपासके प्रान्तको ही ‘लाट’ कहते थे । मध्य गुजरात आनर्तके नामसे और उत्तर गुजरात कभी कभी सारस्वत-मण्डलके नामसे उल्लिखित होता था । कहीं कहीं तीनोंका उल्लेख ‘लाट’ नामसे हुआ है । आगे चलकर तीनों प्रान्तोंका नाम गुजरात पड़ा, इसका कारण यह नहीं कि चालुक्योंका राज्य वहाँ प्रस्थापित हुआ किन्तु यह है कि गुजराती भाषा वहाँ बोली जाती थी । पहिले एक स्थानपर हम बता चुके हैं कि भारतकी अर्वाचीन भाषाओंका उदय नवीं शताब्दी ई० (वि० ८५८-८५७) के आस पास हुआ और तभीसे इस प्रान्तकी भाषा वर्तमान गुजराती भाषामें परिणत होने लगी । गुजराती भाषा और ‘गुजराती’ शब्द कितना पुराना है, इसका

निश्चय करना कठिन है। भाषाके अर्थमें बरता जानेवाला 'महाराष्ट्री' शब्द ईसवी सन् पूर्व पहिले शतकके वररुचिका समकालीन होनेपर भी देशनाम-सूचक 'महाराष्ट्र' शब्द कई शताब्दियोंके पश्चात् अर्थात् ईसाकी पाँचवीं सदी (वि० ४५८-५५७) में वराहमिहिरके पश्चात् उपयोगमें आने लगा। इससे यह अनुमान करना युक्तिसङ्गत ही है कि अर्वाचीन लोकभाषा—महाराष्ट्री—से ही वह देश महाराष्ट्रके नामसे प्रसिद्ध हुआ। इसी तरह गुजराती भाषाके प्रभावसे वह सब भाग 'गुजरात' के नामसे विख्यात हुआ, ऐसा मान लेना अनुचित न होगा।

परन्तु इस प्रश्नसे हमें कोई प्रयोजन नहीं है। चाहे किसी कारणसे उस देशका नाम गुजरात पड़ा हो; किन्तु इससे यह नहीं सिद्ध किया जा सकता कि चालुक्योंके उत्कर्षके समयमें उस प्रान्तका नाम गुजरात पड़ा, अतः चालुक्य गूजर थे। देशोंके नाम भिन्न भिन्न कारणोंसे चल पड़ते हैं और भिन्न भिन्न कारणोंसे वे खिर हो जाते हैं। उदाहरणार्थ, नार्मन लोगोंकी विजयके पश्चात् इंग्लैण्डका नाम इंग्लैण्ड रखा गया। परन्तु नार्मन अंग्रेज (आंग्ल) नहीं हैं। सैक्सन लोगोंसे यदि तुलना की जाय तो अंग्रेज तुच्छ जान पड़ेंगे; परन्तु सैक्सनोंका विचार नहीं किया गया। उस देशका नाम अबतक इंग्लैण्ड बना हुआ है। फ्रेंक लोगोंकी सत्ता नष्ट हो गयी थी और वे गेलिश जनताके साथ एक रूप हो गये थे। उनका जर्मन रीति-नीति और जर्मन सम्बन्धसे कबका बिच्छेद हो चुका था। उस समय फ्रांस फ्रांसके नामसे पहिचाना जाने लगा। दूर जानेका प्रयोजन नहीं, भारतमें ही अंग्रेजोंने मद्रास प्रान्तके पूर्वकी ओरके जिलोंका नाम 'कर्नाटक' ऐसे

समयमें रखा, जब कर्नाटक राजा अथवा कर्नाटक भाषा दोनोंमेंसे किसीका प्रभुत्व वहाँ नहीं रहा था। मराठे समस्त दक्षिण भारतको ही कर्नाटक समझते थे। उन्होंने वहाँका जो कर्नाटक नाम रखा, वह अंग्रेजोंने ज्योंका त्यों रहने दिया। सारांश, चालुक्योंके समयके आसपास उस प्रान्तका गुजरात नाम रखा गया, इससे चालुक्य गुजर थे, वह सिद्ध नहीं किया जा सकता।

अब हम अश्रिकुलका माना जानेवाला परमारोंका जो तीसरा घराना है, उसको ओर झुकते हैं। इन्हें भी श्रीभाग्यडारकर किसी प्रकार गुजर सिद्ध न कर सके। प्रमाणाभाधके कारण इनके सख्यन्वयमें यह कहनेकी बारी आयी कि “हम नहीं जानते, परमार किस वंशके हैं, परन्तु हमारी बुद्धि (मारल) यही विश्वास दिला रही है कि वे विदेशसे आये हुए लोगोंके ही वंशज हैं।” किसी वंशकी उत्पत्तिका विचार करते हुए सदसद्-विवेक-बुद्धिके विश्वासपर निर्भर हो जानेका यह पहिला ही उदाहरण हमने देखा है। हमें विश्वास है कि पाठकगण भी हमारी ही तरह श्रीभाग्यडारकरको अपनी सदसद्विवेक-बुद्धिके अनुसार विचार करनेके लिए स्वतन्त्रता देकर यही कहेंगे कि परमारोंका गुजर अथवा विदेशी होना सिद्ध करनेके लिए कोई प्रमाण या तर्क उपस्थित नहीं किया गया।

अन्तमें हमें चाहमान अथवा चौहानोंका विचार करना है। उनकी उत्पत्ति भी गुजरोंसे हुई, यह सिद्ध करते हुए भाग्यडारकर ऐसे चकरा गये हैं कि जिलका वर्णन करते नहीं बनता। भारतके वायव्य प्रान्तमें मिले किसी पुराने और अप्रसिद्ध सिक्केका आधार लेकर उनको बुद्धिने ऐसी दौड़ मारी कि उसे हिमालयके शिवालिक पर्वततक बीचमें कहीं विश्राम ही

नहीं मिला। उनकी यह तर्कशैली 'पिक्किकी संशोधन-पद्धति' का नमूना है। भाण्डारकर जैसे बुद्धिमान पुरुष इसके जालमें कैसे फँस गये, यही आश्चर्य है। हमें विश्वास है कि राज-पूत गूजर अथवा विदेशियोंके वंशज हैं, इस कल्पनापर यदि वे लट्टू न हो जाते, तो उन्हें अपनी तर्कणाका असामञ्जस्य आप ही देख पड़ता। उनकी दलील केवल कल्पनाके भरोसे स्थित है।

उत्तर भारतमें कुछ सिक्के मिले हैं, जिनपर नागरीमें 'श्री वासुदेव वहमन' और पेहलवी लिपिमें 'तक्कान् जावुलिस्तान् सपर्दल्लान्' लिखा है। श्री भाण्डारकरने अन्य संशोधकोंके मतोंका विचार न कर अपने सुभीतेके लिए 'वहमन' के बदले 'चहमन' पढ़ा। कारण यह बताया कि "प्राचीन समयमें 'व' और 'च' में इतना साम्य था कि एकके बदले दूसरे अक्षरका लिखा जाना सम्भव है।"

"यह कहनेकी आवश्यकता नहीं कि ('म' को दीर्घ कर 'मा' पढ़ा जाय तो) चहमन ही चाहमान है और सिक्केमें उल्लिखित वासुदेव चाहमान वंशका ही है। पृथ्वीराज-विजयमें लिखा है कि शाकम्भरी वंशका जनक वासुदेव था। अतः वह वासुदेव और सिक्केका चाहमान वासुदेव एक ही हैं।" "राजशेखरके प्रबन्धकोशमें वासुदेवको चाहमान वंशका जनक कहा है, और उसका समय विक्रम संवत् ६०० बताया है।" दोनों सनोके अन्तरके कारण दोनों वासुदेव एक ही थे, यह सिद्ध करनेमें बड़ी अड़चन पड़ गयी। परन्तु भाण्डारकरने उस अड़चनकी उपेक्षा कर शान्त चित्तसे कह डाला कि— "कोशमें कुछ पहिलेका सन् दिया गया है। परन्तु इस सिक्केसे, जिसपर ईसवी सन् ६२७ के आसपासके दूसरे 'परवेज़ खुशक' के सिक्केकी द्वयह प्रतिमा है, यह (चाहमान वासु-

देवका) सन् ८२७ ही मानना ठीक है ।” अपनी कल्पनाको पुष्ट करनेके लिए श्रीभारदारकर अक्षर ही नहीं बदलते, किन्तु सन्दर्भ भी बदल देते हैं । इससे भी विचित्र बात यह है कि वे अपने इच्छानुसार चाहे जिसका वंश भी बदल डालते हैं ! कनिङ्गहम कहते हैं कि उक्त लिक्केमें उल्लिखित वासुदेव दूण था और प्रोफेसर रैपसन्के मतसे (लिक्केकी छाप और उसकी आकृतिके कारण) वह ‘सस्तानी’ था । परन्तु भारदारकर उसे ‘खज़र’ मानते हैं और इसका कारण वे ही जानते हैं । श्री भारदारकर चाहमानोंको गूजर लिख करते हुए कैसे मुँहके बल गिरे हैं, यह बतानेके लिए उनका युक्तिवाद विश्वासपूर्वक पाठकोंके सामने रख देना पर्याप्त होगा ।

इस सम्बन्धमें श्रीभारदारकरने सबसे भारी भूल यह की है कि हिमालयके शिवालिक शिखरोंसे घिरी पहाड़ी भूमिमें अहिच्छत्र नगर और सपादलक्ष देशका होना बताया है । यह भी उन्होंने कहा है कि इसी भूभागसे ब्राह्मण और क्षत्रिय दक्षिणकी ओर बढ़कर सर्वत्र फैल गये । वास्तवमें इस कथनसे उन्होंने भारतीय इतिहासके स्वाभाविक क्रमका उच्छेद किया है । राजपूतोंको गूजर मान भी लें, तो भी उनका शिवालिक पहाड़ी प्रान्तमें जा बसना बुद्धिग्राह्य नहीं है । गूजर हज़ारोंके साथ जोता बनकर विदेशसे यदि यहाँ आये हों, तो पञ्जाबकी मनोहर समतल भूमिमें बसना छोड़कर उन्होंने हिमालयके दुर्गम प्रदेशका आश्रय क्यों लिया ? इतिहास और आख्यायिकाओंसे तो यही ज्ञात होता है कि तुर्कोंके आगमनतक जो विदेशी यहाँ चढ़ आये, उनके उपद्रवोंसे बचनेके लिए ब्राह्मणों और राजपूतोंने ऐतिहासिक समयमें उक्त पहाड़ी और सब प्रकारसे असुविधाजनक सीमाप्रान्तमें जाकर निवास

किया और बहुतसे लोग राजस्थानकी पहाड़ी और मरुभूमिमें जा बसे। अतः राजपूतों अथवा गुजरातोंका आदि निवासस्थान शिवालिक पर्वतको मानना सद्युक्तिक नहीं है। सपादलक्ष देश और शिवालिक पार्वत्य प्रदेशको एक मान लेना भी ठीक नहीं और इस शब्दके स्पष्टीकरणार्थ बाबरके पास जानेकी भी आवश्यकता नहीं है। बाबरने जो स्पष्टीकरण दिया है, वह सम्भवतः भूल और सच्चा अर्थ भूल जानेके वादका है। हमने एक टिप्पणीमें ईसवी सनकी नवीं शताब्दीके लगभग हिन्दु-स्थानमें जो देश थे, उनको सूची और प्रत्येकके अन्तर्गत गिने जानेवाले गाँवोंकी परम्परागत संख्या बतानेवाला अवतरण स्कन्दपुराणसे लेकर उद्धृत किया है। उस सूचीमें सपादलक्ष चार देशोंको कहा है, उनमेंसे शाकम्बर अथवा चौहानोंका देश पहिला है। कर्नाटक, मेवाड़ और वरेन्दुको भी सपादलक्ष ही कहा है। वरेन्दु देश कहाँ है, इसका पता नहीं चलता; परन्तु सम्भवतः वह दिल्ली प्रान्त है॥ भाण्डारकरके बताये सिक्रमें 'तक्रान् जाबुलिस्तान और सपर्दलक्षान्' का जो उल्लेख है, वह प्रान्त सम्भवतः पश्चिममें गुजनीसे लेकर आग्नेयमें दिल्ली तक फैला हुआ पंजाब था और ससानी राजा वासुदेव वहमनके राज्यका अन्तर्भाव उसमें होता था। जो हो, सपादलक्ष शब्द सवालाख पर्वतशृंगोंका नहीं, सवालाख गाँवोंका सूचक है और इसी अर्थसे शाकम्बर, मेवाड़, दिल्ली और कर्नाटकके लिए इस शब्दका उपयोग किया जाता था। स्कन्द-पुराणसे यह बात निर्विवाद सिद्ध हो जाती है।

॥ अथवा मुलतानके आसपासका प्रान्त भी हो सकता है। क्योंकि मुलतानके आसपास १ लाख २० हजार गाँव थे, ऐसा अलमसूदीने भी कहा है (इलियट भाग १, पृष्ठ २३)।

श्री भाण्डारकरने ऐसी ही भूल कर अहिच्छत्रको भी हिमालयमें ला बैठाया है। महाभारतमें उत्तर पाञ्चालोंकी जो राजधानी कही गयी है, निःसन्देह वह यही है। हुएनसंगके वर्णनके आधारपर कनिंगहमने अहिच्छत्रको रामपुर सिद्ध किया है और वह ठीक भी है। 'पर्वत शृंगोंसे घिरी हुई' इन शब्दोंसे हिमालयतककी दौड़ लगानेकी कोई आवश्यकता नहीं है। दक्षिणके ब्राह्मण और क्षत्रिय अहिच्छत्रको अपना आदि निवासस्थान समझते थे, यह भी ठीक ही था। वैदिक साहित्यमें पाञ्चाल देशको विद्वान् ब्राह्मणोंका निवासस्थान कहा है। शौर्यशाली पाञ्चाल क्षत्रियोंकी भी वह मातृभूमि थी। अतः चाहमान वंशके आदि पुरुषके अहिच्छत्रसे आनेकी बातपर श्रीभाण्डारकरको आश्चर्य नहीं करना चाहिये। 'सपादलक्ष' यह शब्द चाहमान अपने साथ किसी अन्य देशमें नहीं ले गये थे; क्योंकि हालैण्डकी तरह यह नाम दूसरे देशमें ले जाने योग्य नहीं है। देशके गाँवोंकी संख्या बतानेवाला यह शब्द है। कर्नाटक अथवा धारवाड़की भी 'सवालक्ष' इसी कारण कहते थे कि उस प्रान्तमें सवालाल गाँव थे। यह नाम उत्तरकी ओरसे धारवाड़में नहीं लेजाया गया और न लेजाया जाना सम्भव ही था। कर्नाटकके लिए यह शब्द प्रयुक्त हुआ, इससे भाण्डारकरने अनुमान भिड़ाया कि चाहमानकी तरह चालुक्योंका भी आदि निवासस्थान सपादलक्ष नामक पार्वत्य प्रदेशमें था और इसी कारण वे विदेशी हैं। यह मत भी निराधार है। अहिच्छत्र और सपादलक्षका भ्रमात्मक अर्थ कर उन्होंने जो कल्पना की है, यदि स्पष्ट शब्दोंमें कहा जाय तो यही कहना होगा कि, वह एकदम गलत है। हमारी समझमें अशिक्षितके माने गये चारों घराने विदेशी हैं, यह

सिद्ध करनेका भाएडारकरका प्रयत्न विफल हुआ है और अब उन्हें वह प्रयत्न त्याग देना चाहिये । भाएडारकर अहिच्छत्र और मारवाड़के नागोरको एक मानते हैं, परन्तु हरविलास सारडाने सिद्ध किया है कि सपादलक्ष सांभर देश था । चाहमान चाहे रामपुरसे आये हों या आरम्भमें नागोरमें ही क्यों न बसते हों, वे गुर्जर थे, यह सिद्ध करनेका कहीं कोई भी प्रमाण नहीं है । अतः भाएडारकर द्वारा आविष्कृत और जैक्सन तथा स्मिथ द्वारा अनुमोदित इस असमर्थनीय कल्पनाका कि राजपूतोंकी उत्पत्ति विदेशियोंसे हुई है, इससे अधिक विस्तृत विवेचन करनेकी आवश्यकता नहीं है । राजपूत हिन्दुस्थानके प्राचीन वैदिक आर्योंके ही वंशज हैं, यह सिद्ध करने योग्य हमारे मतसे जो विधायक प्रमाण हैं, उनपर अगले प्रकरणमें विचार किया जायगा ।

टिप्पणी—स्कन्दपुराणमें लिखे हुए देशोंकी सूची ।

स्कन्दपुराणमें भारतीय देशोंकी सूची तदन्तर्गत गाँवोंकी संख्या-सहित दी हुई है । भारतके देशों अथवा लोगोंकी महाभारत वाली सूची ईसवी सन्से पहिलेके भारतीय इतिहासके लिए महत्वकी है । इसी तरह बराहमिहिरकी सूची ईसवी सन्की पाँचवीं सदीके लिए उपयुक्त है । हुएनसंगके प्रवासवर्णनसे हमें सातवीं शताब्दीके आसपासके भारतके विभिन्न देशों और जातियोंका सविस्तर तथा यथार्थ परिचय मिल जाता है । स्कन्दपुराणमें कुमारखण्डके ३९ वें अध्यायमें भारतीय देशोंकी (लोगोंकी नहीं) जो सूची लिखी है, वह भी भारतीय इतिहासके लिए बहुत ही उपयुक्त है । उससे ईसाकी नवीं शताब्दीके आसपासका साधारण-तथा यथार्थ परिचय हो जाता है । इस सूचीसे ज्ञात होता है कि यह पुराण दसवीं शताब्दीमें लिखा गया है, क्योंकि उसमें पुराने देशों अथवा लोगोंके नाम नहीं देख पड़ते । अधिकांश नाम अपरिचित हैं । फिर भी उसमें ऐसे

बहुतसे विभिन्न देशों और प्रान्तोंके नाम हैं, जिनका नवीं शताब्दीसे सम्बन्ध है और जो अवतक प्रचलित हैं। इस टिप्पणीमें वर्तमान समयमें पहिचाने जानेवाले देशोंके नाम जान बूझकर दिये गये हैं और उनका विस्तार तथा महत्व भी बताया गया है। प्रत्येक देशके साथ जो संख्या दी गयी है, वह गाँवोंकी है। इनमेंसे अधिक संख्याएँ विश्वास योग्य न होने पर भी उनमें कहीं अनिश्चितता नहीं है। इनमेंसे कुछ देशोंके गाँवोंकी संख्याएँ उस समयके लेखोंमें भी पायी जाती हैं, इससे उनकी सत्यतामें सन्देह नहीं किया जा सकता। हमें यह भी ध्यानमें रखना चाहिये कि उस समयमें प्रचलित लोगोंकी धारणाके अनुसार देशों अथवा प्रान्तोंके गाँवोंकी संख्या निश्चित हो चुकी थी।

यह सूची उत्तरके देशोंसे आरम्भ होती है। नवीं शताब्दीकी राजनीतिक परिस्थिति इसमें भलीभांति प्रतिबिम्बित हुई है। आरम्भमें एक लाख गाँवोंका नेपाल और फिर ३६ लाखका कान्यकुब्ज लिखा है, जो स्वाभाविक ही है। इससे ज्ञात होता है कि उस समय कान्यकुब्ज साम्राज्य वैभक्ते शिखरपर पहुँच गया था और उसीमें अवध, गंगाके आसपासका प्रदेश, पंजाबका कुछ भाग, मालियर प्रान्त और यमुनाके आसपासके प्रदेशका अन्तर्भाव होता था। प्रबन्धचिन्तामणिमें भी कान्यकुब्जके गाँवोंकी यही संख्या लिखी है। तत्पश्चात् ७२ लाखके गाजणक प्रान्तका उल्लेख है, पर इसका अब पता नहीं लगता। समस्त भारतके गाँवोंकी संख्या पुराणोंमें ९६ करोड़ ७२ लाख लिखी है (यह पौराणिक अतिशयोक्ति है)। इसे पूरा करनेके लिए पुराणोंकी प्रणालीके अनुसार यहाँ भी वास्तविकता और दन्तकथाओंकी खिचड़ी की गयी है। फिर कान्यकुब्जसे आधे याने १८ लाखके गौड़ अथवा बंगालका उल्लेख हुआ है, और वह असम्भव नहीं जान पड़ता। तदनन्तर बंगालसे आधे लाखके कामरूप अथवा आसाम और ओड्डियान अथवा उड़ीसाका उल्लेख है। 'वेदसंज्ञ' कहकर जिसका वर्णन किया गया है, (वेदसंज्ञका अर्थ सम्भवतः यह है कि जिसके चार भाग हों) उस खुंदेलखण्डका विस्तार भी ९ लाख ही बताया गया है। इसी विस्तारके जालन्धर और लोहपुर अथवा

लाहौर हैं। फिर अपने परिचित ७ लाखके रडराज्य अथवा राष्ट्रकूट राज्यका उल्लेख है। यहां तत्कालीन और तत्पूर्वकालीन लेखोंमें उल्लिखित साढ़े सात लाख रट्टपाडीका स्मरण हुए बिना नहीं रहता। आगे चलकर कुछ ऐसे देशोंके नाम हैं जिनसे हम अपरिचित हैं और फिर सवालाख अथवा सपादलक्ष देशोंके नाम देख पड़ते हैं। हम बता चुके हैं कि सपादलक्ष देशका अर्थ करने और उसे हिमालयकी तरहरीका शिवालिक पार्वत्य प्रदेश सिद्ध करनेमें श्रीभाण्डारकरने भारी भूल की है। स्कन्दपुराणके लेखसे सिद्ध होता है कि सपादलक्ष नामसे वरेन्द्र, अतिलांगल, सयंभर, भेदपाट (ये ही सांभर और मेवाड़ हैं), तोमर, कर्नाट और पुंगल ये सात देश समझे जाते थे। इनमेंसे, हो सकता है कि, कोई शिवालिक प्रान्त भी हो, परन्तु उसका विश्वासयोग्य प्रमाण नहीं मिलता। यह निश्चित है कि सपादलक्ष शब्द शिवालिक भागकी सवा लाख टेकडियोंसे प्रचलित नहीं हुआ। अतिलांगलके बाद ही ७ लाख १५ हजार १८० गांवोंके मालव देशका उल्लेख है।

इसके अनन्तर हमलोगोंके परिचित महत्वके देश ये हैं—गुर्जरत्रा (७०,०००), सिन्ध (२०,०००), कच्छमण्डल (१६,०२०), सौराष्ट्र (५५,०००), लाट (२१,०००), कोंकण (३६,०००) और लघु कोंकण (१६,०१०)। यहां गुर्जरत्रा शब्द प्रयुक्त हुआ है और गुर्जरत्रा तथा लाट भिन्न भिन्न देश हैं। सूचीके समयमें गुर्जरत्रा शब्द दक्षिण मारवाड़के लिए प्रयुक्त हुआ है, इससे जान पड़ता है कि स्कन्दपुराण दसवीं शताब्दी (वि० ९५८-१०५७) के इधरका नहीं है।

इस सूचीमें काश्मीरका विस्तार ६८,००० गांवोंका लिखा है। पहिले आगमें कहे अनुसार काश्मीरके पुराने कागज़पत्रोंसे भी वह ठीक जँचता है। इसके अनन्तर परम्पराप्राप्त, परन्तु काल्पनिक और हिन्दुस्थानके देशोंकी सूचीके लिए आवश्यक माने गये, एकपादादि देशोंके नाम हैं। उनमेंसे हम काम्बोज (काबुल), कोसल (मध्यप्रान्त), पाँच लाखके अर्थात् महाराष्ट्रके डू विदर्भ (बरार), वर्धमान (बड़वान), मगध (६८०००) और मूलस्थानपुरसे परिचित हैं। समस्त भारत ७२ देशोंमें विभाजित हुआ

है (इस सूचीमें देशोंकी संख्या ७५ है) और सब देशोंके गाँवोंकी संख्या ९६ करोड़ ७२ लाख बतायी गयी है । ३६००० 'बेलाकूलों' का भी उल्लेख है । इसका अर्थ हमारे मतसे समुद्रतटके कोस हैं । सिकन्दरको जिन्होंने हिन्दुस्थानका परिचय कराया, उन्होंने भी समुद्रतटकी यही लम्बाई कही है ।

महाभारतकी बराबरी करनेके विचारसे स्कन्दपुराण रचा गया है । तदनुसार महाभारतका अनुकरण कर इसमें भी भारतके पर्वतों और नदियोंके नाम दिये गये हैं । टिप्पणी समाप्त करनेसे पहिले उनका उल्लेख कर देना उचित ही होगा । ये नाम भी कुमारखण्डके ३९ वें अध्यायमें ही हैं । महाभारतकी तरह यहां भी ७ कुलपर्वत कहे गये हैं, यथा—१ महेन्द्र, २ मलय, ३ सख, ४ शक्तिमान, ५ ऋक्ष, ६ विन्ध्य और ७ पारियात्र । इनमेंसे पहिले चार सुप्रसिद्ध पूर्ववाद, मलय, पश्चिमघाट और गिरनार हैं । ऋक्ष अरबली पर्वत है और विन्ध्य हिन्दुस्थानके बीचों बीच लम्बा-यमान हो रहा है । पारियात्रका पता नहीं चलता । उसके पश्चिममें कौमारखण्ड है और वहांसे वेद, स्मृति तथा अन्य नदियोंके निकलनेका वर्णन है । कोई कोई अनुमान करते हैं कि पश्चिम विन्ध्यका कुछ भाग ही पारियात्र है । नर्मदा और सरसा तो सचमुच विन्ध्यसे ही निकली हैं, परन्तु शतद्र और चद्रभागा ऋक्षसे कैसे निकल सकती हैं ? ऋषिकुल्या और कुमारी, ये काठियावाड़के शक्तिमानसे निकली हैं । तापी, पयोष्णी, निर्विन्ध्या, कावेरी, कृष्णा, वेणी, भीमरथी, इनका उद्गम सहासे हुआ है । गोदावरीका उल्लेख न होनेसे उसका स्मरण विशेष रूपसे हो जाता है । कृतमाला और ताम्रपर्णी मलयसे तथा तुशालु और ऋष्यकुल्या महेन्द्रसे निकली हैं । स्तम्भ (खंबायत), प्रभास, अवन्ति और नागर तीर्थोंके विस्तृत वर्णन देखकर इस पुराणके लेखक अथवा उसको वर्त्तमान रूप देने वाले लेखकका उक्त तीर्थोंके सम्बन्धमें पक्षपात प्रकट होता है और यह भी मालूम होता है कि उनसे उसका विशेष परिचय था । संभवतः दक्षिण अथवा उत्तर भारतसे उसका विशेष सम्बन्ध नहीं था । उसका जन्म गुजरात अथवा मालवामें हुआ था ।

स्कन्दपुराणमें उल्लिखित देशों और तदन्तर्गत
गाँवोंकी संख्याकी सूची ।

१ नीवृत	४	करोड़	२६	सयंभर	सपादलक्ष
२ बालक	२३	"	२७	मेवाड़	"
३ आहाणपुर	१३	"	२८	वागुरि	८८ हजार
४ आंधल	४	लाख	२९	गुर्जरघा	७७ "
५ नेपाल	१	"	३०	पाण्डोर्विषय	७० "
६ कान्यकुब्ज	३६	"	३१	जहाहूति	४२ "
७ गजराजक	७२	"	३२	काश्मीर	६८ "
८ गौड	१८	"	३३	कोंकण	६३ "
९ कामरूप	९	"	३४	लघु कोंकण	३६००
१० डाहल	९	"	३५	सिन्धु	२२ हजार
११ कान्तिपुर	९	"	३६	कच्छ	३६००
१२ लोहपुर	९	"	३७	सौराष्ट्र	५५ हजार
१३ पांविपुर	७	"	३८	लाडदेश	२१ "
१४ रटराज	७	"	३९	अतिसिन्धु	१० "
१५ हरियल	५	"	४०	अश्वमुख	१० "
१६ ऋड	३३	"	४१	एकपाद	१० "
१७ माचिपुर	९	"	४२	सूर्यमुख	१० "
१८ ओडियान	९	"	४३	एकबाहु	१० "
१९ जालन्धर	९	"	४४	संजायु	१० "
२० बंभणवाहक	३३	"	४५	शिव देश	१० "
२१ नीलपुर	२१	हजार	४६	कालहर्यंजय	१० "
२२ अमल	१	लाख	४७	लिङ्गोद्भव	१० "
२३ वरेन्दु		सपादलक्ष	४८	भद्र	१० "
२४ अतिलांगल	११	हजार	४९	देवभद्र	१० "
२५ मालव		१,१८,९२	५०	चट	३६ "

५१ त्रिराट	३६	हजार	६३ कुरु	६४	हजार
५२ यमकोटि	३६	"	६४ किरात	१३	लाख
५३ रामक	१८	"	६५ विदर्भ	५	"
५४ तोमर		सपादलक्ष	६६ वर्धमान	१४	हजार
५५ कर्नाट		"	६७ सिंहल	१०	"
५६ पिगल		"	६८ पाण्डु	३६	"
५७ स्त्रीराज्य	५	लाख	६९ भयाणक	१	लाख
५८ पुलस्त्य	१०	"	७० सागध	६६	हजार
५९ काम्बोज	१०	"	७१ मूलस्थान	२५	"
६० कोसल	१०	"	७२ यावन	४०	"
६१ बाह्लिक	४	हजार	७३ पक्षवाहु	४	"
६२ लंका	३६	"	७४ पाण्डु	६०	"

७५ वरेन्दुक ३० हजार

पाँचवाँ प्रकरण ।

राजपूतोंके गोत्र ।

हम बता चुके हैं कि जिन प्रमाणोंके आधारपर अनुमान किया जाता था कि प्रतिहार तथा अन्य राजपूतोंके मूल पुरुष गुजर अर्थात् विदेशी थे, छानबीन करनेपर उन प्रमाणोंकी निःसारता स्पष्ट हो जाती है और राजपूतोंको विदेशी सिद्ध करनेके लिए वे प्रमाण अपर्याप्त प्रतीत होते हैं । अब हम वे प्रमाण पाठकोंके सम्मुख प्रस्तुत करना चाहते हैं, जिनसे यह भलीभाँति सिद्ध हो जाता है कि राजपूत वैदिक आर्य हैं । पहिला प्रमाण यह है कि वैदिक सूत्रोंमें जो गोत्र और प्रवर कहे गये हैं, राजपूतोंमें वे अबतक अखण्डरूपसे

प्रचलित हैं। उनको स्मृति उन्हें बनी हुई है। अनेक वैदिक सूत्रोंमें कथित इस गोत्र प्रवर-प्रणालीके कारण हिन्दू-आर्योंमें अपनी वंशोत्पत्तिका स्वरण जिस प्रकार बना हुआ है वैसा संसारकी अन्य किसी जातिके लोगोंमें नहीं देख पड़ता। वैदिक धर्मानुयायी हिन्दू-आर्योंको प्रत्येक धर्मकृत्यका आरम्भ करनेके पूर्व अपने गोत्र और प्रवरोंका उच्चारण करना पड़ता है। इससे गोत्र-प्रवरोंका उच्चारण करनेवाले प्रत्येक मनुष्यको सदा अपने वंश और वैदिक पूर्वजोंका स्वरण बना रहता है। वैदिक काल अर्थात् पाँच हजार वर्षोंसे भी अधिक समयसे अथवा कमसे कम सूत्ररचना-काल अर्थात् तीन हजार वर्षोंसे ब्राह्मणोंने अपनी वंशोत्पत्तिकी स्मृति कायम रखी है। धार्मिक भावनाके कारण राजपूतोंने भी उसे शिथिल नहीं होने दिया। गत दो हजार वर्षोंमें जो प्राचीन लेख उपलब्ध हुए हैं, उनसे सिद्ध होता है कि क्षत्रियों और राजपूतोंने अपने लेखोंमें अपने गोत्रोंका सावधानीसे और अभिमानपूर्वक उल्लेख किया है। पूर्वकालीन शिलालेखों और ताम्रपत्रोंमें जो गोत्र देख पड़ते हैं, वे अब भी प्रसिद्ध राजपूत घरानोंमें प्रचलित हैं। इससे यह कहा जा सकता है कि राजपूत वैदिक क्षत्रियोंसे ही उत्पन्न हुए हैं। कर्नल टाडने अग्निकुलके अन्तर्गत माने गये क्षत्रियोंके गोत्र उनके गोत्रोच्चारके अनुसार लिख रखे हैं। (टाडने 'गोत्राचार' शब्द लिखा है। यह उनकी भूल है। हमारी समझमें यहाँ गोत्रोच्चार—गोत्रका उच्चार—शब्द होना चाहिये।) वे गोत्र इस प्रकार हैं—चाहुमान वत्स गोत्रके हैं और इनके पाँच प्रवर हैं। चालुक्य भारद्वाज गोत्रके हैं और इनके तीन प्रवर हैं। परमार वसिष्ठ गोत्रके हैं और इनके तीन प्रवर हैं। (प्रतिहारोंका गोत्र लेखों या खोजसे अभी तक

निश्चित नहीं हुआ है ।) हम पहले लिख चुके हैं कि उक्त घरानों के पूर्वकालीन लेखोंमें भी इन्हीं गोत्रोंका उल्लेख आया है । परमारोंके गोत्रका उल्लेख उदयपुर-प्रशस्ति तथा अन्य कई लेखोंमें हुआ है । उदाहरणार्थ, पाटनारायण लेखका यह चरण ध्यानमें रखने योग्य है—“वसिष्ठ गोत्रोद्भव एष लोके ख्यातस्तदादौ परमारवंशः ।” (इण्डियन ऐरिडिक्चरी, भाग ४५) अखिल भारतके परमार, चाहे वे दक्षिण भारतके हों या राजपूतानेके, इसी गोत्रके हैं । पहिले कहे अनुसार हैहयोंके लेखमें चालुक्योंके गोत्रका और बिजोलिया लेखके इस चरणमें—“विप्रश्रीवत्सगोत्रेऽभूदहिच्छत्रपुरे पुरा”—चाहमानोंके गोत्रका उल्लेख है । (ज० बंगाल रा० ए० सो० जिल्द ५५ पृष्ठ ४१) राठौरोंका गोत्र गौतम और गुहिलोंका वैजवापयन है, जैसा कि उनके लेखोंसे प्रकट होता है । पूर्वकालीन लेखोंमें लिखित गोत्र ही आजतक उक्त राजपूत वंशोंमें प्रचलित हैं, इससे स्वभावतः यह अनुमान किया जा सकता है कि जब कि राजपूतोंमें गोत्रोंका अस्तित्व, उनकी अखण्ड स्मृति, और उच्चारण अबतक प्रचलित है, तब उनकी उत्पत्ति अवश्य ही वैदिक मूलपुरुषोंसे ही हुई होगी । यद्यपि निश्चित रूपसे हम ऐसा नहीं कह सकते तथापि ऐसा अनुमान करनेके लिए यह एक प्रबल कारण अवश्य है ।

राजपूत पहिले अनार्य थे । ईसाकी छठवीं या सातवीं सदीमें जब वे आर्यधर्मानुयायी क्षत्रिय बने, तब उन्होंने अपने ब्राह्मण पुरोहितोंके गोत्र स्वीकार कर लिये । यह कहकर दीर्घकालसे प्रचलित गोत्र-प्रवरोंकी परम्पराको झूठा ठहरानेका प्रयत्न किया जाता है और अपने मतकी पुष्टिके लिए वैदिक सूत्रके ‘पुरोहितप्रवरो राज्ञाम्’ इस नियमका उपयोग किया

जाता है। इस नियमका अर्थ है—क्षत्रिय अपने पुरोहितके गोत्रका उपयोग कर सकते हैं। वास्तविक अर्थ न समझनेके कारण हम कैसी भूलें कर बैठते हैं और इससे विदेशी परिङ्गतों तथा पुरातत्त्वानुसन्धान करनेवालों को कैसा भ्रम हो जाता है, इसका यह एक और उदाहरण है। याज्ञवल्क्य स्मृतिकी सुप्रसिद्ध पिताक्षरा टीकाके कर्त्ताने यह बड़ा ही भ्रमात्मक नियम लिखा है कि क्षत्रियोंके गोत्र नहीं होते, वे अपने पुरोहितोंके गोत्रोंका स्वीकार कर विवाहादि सम्बन्ध किया करें। द्विजों अर्थात् आर्योंके लिए ही असगोत्र विवाहसम्बन्ध शास्त्रसम्मत है, इस आशयका जो याज्ञवल्क्य स्मृतिका वचन है, उसपर विज्ञानेश्वरने टीका की है और वह आजकल सर्वसम्मत मानी जाती है। अतः क्षत्रिय राजाओंके लेखोंमें उनके गोत्रोंका जो उल्लेख हुआ है, उनका विवेचन करते हुए यूरोपीय परिङ्गत स्वभावतः इसी टीकाको प्रमाण मानते हैं। यदि राजाओंके गोत्र केवल औपचारिक होते, उन्होंने उन्हें अपने पुरोहितोंसे ही ग्रहण किया होता और पुरोहितके बदलने पर वे बदले भी जा सकते, तो प्राचीन लेखोंमें गोत्रोंके उल्लेखका कोई महत्व ही नहीं रह जाता। उदाहरणार्थ, बादामीके चालुक्यों अथवा काञ्चीके पल्लवोंके गोत्र उनके अपने न होते, तो प्रत्येक दानपत्रमें उन्हें अपने गोत्रोंका “मानव्यसगोत्राणां चालुक्यानाम्” और “भारद्वाज सगोत्राणां पल्लवानाम्” इस प्रकारसे उल्लेख करनेकी आवश्यकता ही प्रतीत न होती। ‘पुरोहित-प्रवरो राज्ञाम्’ इस सूत्रका विज्ञानेश्वरने स्पष्ट ही भ्रमात्मक अर्थ किया है। हमें इसमें अणुमात्र सन्देह नहीं है कि पूर्वकालीन क्षत्रियों और अर्वाचीन राजपूतोंके अपने गोत्र थे और हैं। पूर्वकालीन लेखोंमें जो गोत्र मिलते हैं उनका उल्लेख क्षत्रिय-

गए इसीलिए करते थे कि उन्हें आर्यवंशमें उत्पन्न होनेका अभिमान था। प्राचीन समयमें विभिन्न वंशोंका परिचय करानेवाला एकमात्र साधन गोत्र ही था। आजकल जैसे कई जातियोंमें वंशसूचक 'अल्ल' नामके साथ लगाये जाते हैं, वैसे ही उस समय ब्राह्मण और क्षत्रिय अपने नामके साथ भिन्नवंश-सूचक गोत्रोंका अभिमानपूर्वक उल्लेख करते थे। वर्तमान जातियोंके अल्ल भी गोत्रोंसे ही बने हैं। बारहूतके तोरणपर लिखे लेखमें यह वाक्य है—“गागी पुत्तस बिसदेव पुत्तेन गोतीपुत्तस अगगराजस पुत्तेन बल्ली पुत्तेन धनभूतिना कारितं तोरणम् ।” कनिंगहमने इसका यह अर्थ किया है—“राजा धनभूतिने यह तोरण खड़ा किया, जो (धनभूति) वत्सगोत्रकी रानीसे जन्मा, जिसके पिता अगगराज गोत (कौत्स) गोत्रकी रानीके और पितामह बिसदेव गर्गगोत्रकी रानीके पुत्र थे।” यहाँ राजाकी माता, दादी और परदादीके कुलोंके गोत्रोंका सम्मानपूर्वक इसीलिए उल्लेख किया गया है कि जिससे ज्ञात हो जाय कि सब रानियाँ आर्यकुलमें उत्पन्न हुई थीं। इस सम्बन्धमें कनिंगहमने लिखा है—‘राजपूत रानियाँ अबतक मायकेके वंशके नामसे पहिचानी जाती हैं। ये नाम गोत्रोंके नाम होते हैं। इसका कारण यह है कि स्मृतिवचनके अनुसार राजा अपने पुरोहितोंके गोत्रोंका उपयोग करते हैं।’ (कनिंगहमद्वारा बारहूत, पृष्ठ १२७-१२०) कनिंगहम जैसे सुप्रसिद्ध परिष्ठित और इतिहास-संशोधक भी विज्ञानेश्वरके किये स्मृतिवचनके भ्रान्त अर्थसे इस प्रकार चक्रमें आगये हैं। यह गोत्र यदि राजाका न होकर पुरोहितका होता, तो रानियोंके गोत्रोंका उल्लेख करनेका महत्व ही क्या रह जाता? बात यह है कि आजकलभी तरह उस समय

भी स्मृति वचनोंका यथार्थ अर्थ लोग नहीं समझ सकते थे । इस विषयकी विस्तृत टिप्पणीमें हम दिखावेंगे कि इस श्रौत सूत्रका वास्तविक अर्थ यह है कि राजा जब यज्ञ करे तो वह जो अध्वर्यु आदि याज्ञिक जुने वे पुरोहितके ही प्रवरके हों । क्योंकि यज्ञमें यजमानके नाते राजाका बराबर बैठे रहना असम्भव होनेके कारण उसे अपने अधिकार, अपना प्रतिनिधि मानकर, पुरोहितको देने पड़ते हैं । यज्ञके तन्त्र (प्रयोग) विभिन्न प्रवरोंमें भिन्न भिन्न होते हैं । अतः याज्ञिक पुरोहितके प्रवरोंके (गोत्रके नहीं) होने चाहिये । टिप्पणीमें कहे अनुसार क्षत्रियोंके अपने गोत्र थे, यह विभिन्न श्रौत सूत्रोंके संकेतोंसे ही सिद्ध किया जा सकता है । विश्वनाथेश्वरकी मिताक्षराका नियम भ्रान्त है, इसमें हमें अणुमात्र सन्देह नहीं है ।

यदि किसीको इस सम्बन्धमें कुछ सन्देह हो, तो वह निम्नलिखित लेखोंके प्रमाणोंसे दूर हो सकता है । विश्वनाथेश्वर ईसाकी बारहवीं अथवा तेरहवीं शताब्दी (वि० ११५८-१३५७) में दक्षिणमें कर्नाटकके कल्याण नामक नगरमें रहते थे । वहाँ राजपूतोंके घर बिलकुल ही नहीं या बहुत थोड़े थे । क्षत्रियोंके अपने गोत्र नहीं हैं, वे अपने पुरोहितों अथवा आचार्योंके गोत्रोंका उपयोग करें, इस वचनार्थका उत्तरभारतके राजपूत वंशोंके दसवीं और ग्यारहवीं सदी ई० के लेखोंमें पतातक नहीं है । उन लेखोंसे स्पष्ट होता है कि राजपूतोंके विभिन्न गोत्र इस बातके परिचायक थे कि वे उस गोत्रवाले पूर्वजोंकी सन्तान थे । वसिष्ठने परमारोंके आदिपुरुषको उत्पन्न किया और उसे अपना गोत्र दिया । इसका यही आशय है कि वसिष्ठ परमारोंके पुरोहित नहीं, जनक थे । इसी तरह द्रोणी अञ्चलके पानीरों उत्पन्न हुए चालुक्योंको, कलचुरी

हैहयोंके लेखमें कहे अनुसार, द्रोणका भारद्वाज गोत्र प्राप्त हुआ। इसका कारण यह नहीं कि द्रोण उनके आचार्य थे, बल्कि यह है कि वे उनके जनक थे। इसीसे उनका गोत्र चालुक्योंको मिला। लेखमें कहा है—‘क्षितिधरपरिपाटी सूत्रिते तत्र गोत्रे अभवद्वनिघर्मा विश्वविख्यातकर्मा ।’

चाहमानोंका गोत्र वत्स है। उनके एक लेखमें एक आख्यायिका लिखी है कि वे वत्स गोत्रके ब्राह्मणसे उत्पन्न हुए थे। (विप्रश्नीवत्सगोत्रेऽभूदहिच्छत्रपुरेपुरा। सामन्तोन्नत सामन्त....।) दूसरे एक लेखमें लिखा है कि चाहमानोंका मूलपुरुष वत्स ऋषिके नेत्रसे उत्पन्न हुआ था। विज्ञानेश्वरके मनकी कल्पनाका आधार ईसाकी नवीं और दसवीं शताब्दीमें नहीं था, यह सिद्ध करनेके लिए उक्त उदाहरण पर्याप्त होंगे। वसिष्ठके यज्ञकी अग्निसे अथवा भारद्वाजकी अक्षलिसे क्षत्रिय वीर उत्पन्न हुए, ये निरी कल्पित कथाएँ हैं; परन्तु इनसे स्पष्ट होता है कि ईसाकी दसवीं और ग्यारहवीं शताब्दीमें सबका विश्वास था कि परमार और चालुक्य वसिष्ठ और भारद्वाज गोत्रके हैं। उसी विश्वासके आधारपर उक्त कथाएँ गढ़ी गयीं। ये गोत्र उन्हें पुरोहितोंसे नहीं मिले थे। ये उनकी वंशोत्पत्तिके सूचक हैं। उस समयके क्षत्रिय गोत्रसे ‘गोत्र पुरुषसे उत्पन्न’ यही तात्पर्य समझते थे और इसी विश्वासके आधारपर बन्दी-जनोंने उक्त प्रकारकी कल्पित कथाएँ रच डालीं। इन लेखोंसे स्पष्ट हो जाता है कि मिताक्षराके रचनाकालके पूर्वकी शताब्दियोंमें लोगोंका दृढ़ विश्वास था कि क्षत्रियोंके अपने गोत्र हैं और उन गोत्रोंसे ही उनकी वंशोत्पत्ति निश्चित होती है। ऐसा प्रतीत होता है कि मिताक्षराके समयमें दक्षिणके क्षत्रिय अपने गोत्र भूलते जाते थे अथवा, संभव है, बौद्धोंके

समयमें आर्यसंस्कारोंका लोप हो जानेके कारण, हिन्दू धर्ममें पुनः सन्निविष्ट करते समय पुराणमताभिमानी ब्राह्मण उन्हें क्षत्रिय माननेको भी तैयार न हुए हों । बौद्धोंके समयमें अपने गोत्र भूल जानेके कारण वे पुरोहितोंके ही गोत्रके माने जाने लगे । विज्ञानेश्वरने इसीसे 'पुरोहितप्रचरो राज्ञाम्' सूत्रका अपनी सुविधाके अनुसार अर्थ कर प्रतिपादन किया कि क्षत्रियोंके अपने गोत्र नहीं हैं, उन्हें अपने पुरोहितों अथवा आचार्योंके गोत्रोंका ग्रहण करना चाहिये ।

मिताक्षराके इस भ्रमात्मक कथनको कैसी ही मीमांसा क्यों न की जाय, इसमें सन्देह नहीं कि वह भ्रान्त कल्पना है । मिताक्षरासे सैकड़ों वर्ष पूर्व राजपूतोंके अपने गोत्र थे और उन गोत्रोंसे ही उनकी वंशोत्पत्तिका निर्देश किया जाता था । वर्तमान समयमें भी राजपूतानेमें तथा अन्यत्र जो राज-पूत हैं, उनके गोत्र पुरोहितोंके गोत्रोंसे भिन्न देखे जाते हैं । हमने इसकी भलीभाँति जाँच की है और उसका निचोड़ इस प्रकरणके साथ जोड़ी हुई टिप्पणीमें दे दिया है । अब प्रश्न यह उठ सकता है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्योंके समान-गोत्र होनेका क्या कारण है ? सूर्य और सोमवंशीय क्षत्रियोंके मूलपुरुष ब्राह्मण ऋषि कैसे हो सकते हैं ? इस प्रश्न-पर यद्यपि टिप्पणीमें विचार किया ही गया है, तो भी यहाँ उसका दिग्दर्शन करा देना अनुचित न होगा । कितने ही लोगोंको यह बात अश्रुतपूर्व प्रतीत होगी कि गाँधीजी आज़ाद लेकर उस काल-विभागतक, जिसका हम विचार कर रहे हैं, भारतकी उच्च आर्य जातियाँ सदाके लिए परस्पर विभक्त नहीं हुई थीं । उस समय ब्राह्मण-क्षत्रियोंमें परस्पर शरीर-सम्बन्ध तो होते ही थे, किन्तु ब्राह्मण वर्णवाले क्षत्रिय और

क्षत्रिय वर्णवाले ब्राह्मण भी बन जाते थे । इसकी प्रमाणभूत वैदिक और पौराणिक अनेक आख्यायिकाएँ हैं । प्रधरों और गोत्रोंके ऋषि भी ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों हैं । कितने ही ब्राह्मणोंके प्रवर ऋषि अर्थात् खूब पुरुष क्षत्रिय राजा और क्षत्रियोंके प्रवर ऋषि ब्राह्मण हैं । वैदिक समयमें प्रचलित प्रवर-पद्धति एकदेशीय और वर्ण-भिन्नत्वपर अवलम्बित नहीं थी । ब्राह्मण-क्षत्रियोंमें भेद करनेका प्रयत्न श्रौत सूत्रोंमें किया गया है, पर वह आरम्भ मात्र है । तबसे आजतक आर्यवंशके ब्राह्मणों, राजपूतों और वैश्योंके गोत्र समान ही हैं । अतः राजपूतोंका यह कहना कि हम आर्यवंशमें, वेद कालीन क्षत्रियोंसे उत्पन्न हुए हैं, किसी प्रकार निराधार नहीं है । इसकी सन्तुष्टि हजारों वर्ष पूर्वकी आख्यायिकाओंसे उनके कथनकी पुष्टि होती है । अब वैदिक-आर्य क्षत्रिय राजपूतानेमें कब और कैसे जा बसे, इसका विवेचन इतिहास और आख्यायिकाओंके आधारपर अगले प्रकरणमें किया जायगा ।

टिप्पणी—अर्वाचीन राजपूत घरानों और उनके पुरोहितोंके गोत्र ।

राज्योंके नाम	घरानेका नाम	गोत्र	पुरोहितोंके गोत्र
१ उदयपुर (डूंगरपुर आदि)	गुहलोट-सूर्य-वंशी	वैजवाप त्रिप्रवर	सास्तायन
२ जोधपुर (रतलाम आदि)	राठौर-सूर्यवंशी	गौतम त्रिप्रवर	भारद्वाज
३ जयपुर (अलवर आदि)	कच्छवाह-सूर्यवंशी	मानव त्रिप्रवर	वत्स
४ डूँदी-कोटा	चौहान	वत्स पञ्चप्रवर	—

५ बिजोलिया (उदय- पुरके अन्तर्गत)	परमार	वसिष्ठ त्रिप्रवर	—
६ धार (मराठा)	परमार-सूर्यवंशी	वसिष्ठ त्रिप्रवर	कारिप
७ भाव नगर	गुहिल-चन्द्रवंशी	गौतम त्रिप्रवर	काश्यप
८ धोलेरा (धुन्धुका ताल्लुका)	सूडासम-चन्द्रवंशी	अग्नि	—
९ कच्छ (नवानगर, गोंडाल, मोरवी, राजकोट आदि)	जाडेजा	अग्नि	—
१० भ्रांग्र (लिमडी, वाँकानेर, पाटन आदि)	भाला	भार्कण्डेय पञ्चप्रवर	—
११ लुनावडा (रेवा- काँठा)	चालुख्य (सोलंकी)	भारद्वाज त्रिप्रवर	—
१२ रीवाँ (बघेलखण्ड)	चावडा (सोलंकी)	भारद्वाज त्रिप्रवर	—
१३ काश्मीर	जम्मुवाल-सूर्यवंशी	” ”	वसिष्ठ
१४ गिद्धौर (बंगाल)	चन्देल-चन्द्रवंशी	चन्द्रात्रेय त्रिप्रवर	काश्यप
१५ दिल्ली पाटन (जय- पुरान्तर्गत)	तुवर	वैयाघ्रपद भारद्वाज- त्रिप्रवर	—

टिप्पणी—गोत्र और प्रवर ।

हम अपना यह मत लिख ही चुके हैं कि क्षत्रियोंके अपने गोत्र थे और भिताक्षरामें लिखित विज्ञानेश्वरका यह मत भ्रान्त है कि अपने गोत्र न होनेके कारण उन्हें अपने पुरोहितोंके गोत्रोंका स्वीकार करना चाहिये ।

अब शंका यह रह जाती है कि गोत्र यदि शिष्यत्व-सूचक नहीं है, वंशोत्पत्ति-सूचक है, तो ब्राह्मणों और क्षत्रियोंके समान गोत्र कैसे हो सकते हैं ? क्षत्रिय ब्राह्मणोंसे तो उत्पन्न हुए नहीं, उनकी उत्पत्ति सूर्य-चन्द्रसे हुई है, यही लोगोंकी धारणा है । शिञ्जालेखोंसे अनभिज्ञ कवियों और भाटोंको जब इस शंकाने परेशान किया, तब उन्होंने क्षत्रियोंकी उत्पत्तिकी अनेक कल्पित कथाएँ रच डालीं । हमें विश्वास है कि गोत्रों और प्रवरोंका सूक्ष्म निरीक्षण करनेसे यह उलझन सुलभ सकती है । अतः इस टिप्पणीमें हम इस विषयपर आरम्भसे ही विचार करेंगे ।

सबसे हालके मतानुसार गोत्र ऋषि, सप्तर्षि और आठवें अगस्त्य ऋषि, इनमेंसे किसी न किसीके पुत्र, अथवा वंशज हैं । अगस्त्य सप्तर्षियोंमें शामिल नहीं हैं । (सप्तानां सप्तर्षीणामगस्त्याष्टमानां यदपत्यं तद्गोत्र-मित्याचक्षते—बौद्धायनः ।) इससे ज्ञात होता है कि मूल भारतीय आयोंके आठ घराने माने जाते थे । यथा—१ विश्वामित्र, २ जमदग्नि, ३ भरद्वाज, ४ गौतम, ५ अत्रि, ६ वसिष्ठ, ७ कश्यप और ८ अगस्त्य ।

परन्तु महाभारतके एक महत्वपूर्ण श्लोकमें, इससे भी पहिले, आरम्भमें चार ही गोत्रोंका होना बताया गया है ।

मूल गोत्राणि चत्वारि समुत्पन्नानि भारत ।

अङ्गिराः कश्यपश्चैव वसिष्ठो भृगुरेव च ॥ —शान्तिपर्व, अ० २९६

भृगु प्रवरसे आरम्भ होनेवाले कई सूत्रोंके प्रवराध्यायोंमें भी लिखा है कि प्राचीन कालमें अङ्गिरस, कश्यप, वसिष्ठ और भृगु ये चार ही गोत्र थे । इससे महाभारतके मतकी पुष्टि होती है । (इसीसे भगवद्गीतामें कहा है,—‘नहर्षीणां भृगुरहम्’ । इसका तात्पर्य यह है कि भृगु महर्षि अथवा ‘प्रवर’ ऋषियोंमें प्रमुख हैं ।) इससे जान पड़ता है कि जब भारतीय आयोंका पहिला दल अथवा सूर्यवंशी दल हिन्दुस्थानमें आया, तब उस दलमें केवल चार ही घराने—भृगु, अङ्गिरस, वसिष्ठ और कश्यप—थे । कहा गया है कि चारों ब्रह्माके मानसपुत्र थे अर्थात् ये ही आदिपुरुष थे । ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इन तीनों वर्णोंके (उस समय वर्योंकी जातिका स्वरूप प्राप्त नहीं हुआ था) वे आद्य जनक थे ।

भृगुका नाम सप्तर्षियोंमें नहीं है, किन्तु उनके वंशज जमदग्नि है ।
 सी तरह अङ्गिरसके बदले उनके दो पौत्र—भरद्वाज और गौतम—सप्तर्षियों-
 गिने गये हैं । आगे चलकर जो आठ मूल घराने प्रसिद्ध हुए, उनका
 षोड़ह मिलानेके लिए इन पाँचोंमें अत्रि, विश्वामित्र और अगस्त्यका समा-
 श किया गया । अत्रिका पुत्र चन्द्र माना गया है । अधिकांश चन्द्रवंशी
 त्रि गोत्रके हैं । इससे यह स्पष्ट है कि आर्योंका दूसरा दल अर्थात् चन्द्र-
 शी दल अत्रिके घरानेका था । अगस्त्यका समावेश पीछेसे हुआ, परन्तु
 आ वह वैदिक समयमें ही, क्योंकि अगस्त्यका उल्लेख वेदोंमें भी है ।
 विश्वामित्र भारतीय आर्य क्षत्रिय थे । वेदकालमें जब वर्णोंको जातिका रूप
 हीं प्राप्त हुआ था और विभिन्न कुलोंके लोग अपना परम्परागत धन्धा
 षोड़कर कोई दूसरा, विशेष कर याज्ञिकका वैदिक धन्धा भी कर सकते
 , उस समय विश्वामित्र तपोबलसे ब्राह्मण बन कर प्रवरऋषि भी हो
 गे । इसका अर्थ यह है कि विश्वामित्रके समयमें उनका घराना सूर्यवंशी
 त्रिग था, किन्तु अपनी बुद्धि-सामर्थ्य और धार्मिक गुणों द्वारा उन्होंने
 ब्राह्मणत्व सम्पादन किया । महाभारतमें यत्पूर्वक सन्निविष्ट इन चार
 गोत्रोंके प्राचीन इतिहाससे ज्ञात होता है कि प्राचीन ऋषियोंसे ही
 ब्राह्मण और क्षत्रिय, दोनोंकी उत्पत्ति हुई ।

प्रवरोंकी उत्पत्तिपर विचार करनेसे इस अनुमानकी अधिक पुष्टि
 होती है । बड़े बड़े पण्डित भी नहीं जानते कि प्रवर क्या वस्तु है ? क्योंकि
 प्रायः इस प्रश्नपर मनन ही नहीं करते । विभिन्न सूत्रोंके प्रवरऋषियोंका
 अध्ययन करने पर ज्ञात होता है कि किसी कुलके प्रवरऋषि वे पूर्वज हैं
 जेन्होंने ऋग्वेदके सूक्त रचे और उनके द्वारा अग्निकी स्तुति की । यद्य
 जेनेवाला यजमान अग्निसे प्रार्थना करता है कि—“हे अग्ने ! ऋग्वेदके
 सूक्तोंसे जिन्होंने आपकी स्तुति की, उनका मैं वंशज हूँ ।” वस्तुतः यज-
 मान अग्निकी स्तुति अपने ऋषिके ही नामसे करता है, क्योंकि वह (अग्नि)
 उस ऋषिके द्वारा ही उत्पन्न होनेके कारण उसके पुत्र समान है । “आपैव
 ऋषीते” इस आपस्तम्ब सूत्रकी टीकामें कहा गया है—“आपैवगृह्यपत्य-
 त्वबन्ध प्रार्थयते सङ्कीर्तयति । अथवा आपैवगृह्यपत्यवर्षि यजमानस्य

ऋषिसन्तानत्वात् तं वृणीते प्रार्थयते होत्रादिभिः ।” इससे स्पष्ट है कि यजमान प्रवरऋषिका वंशज है, शिष्यपरम्पराभुक्त नहीं । दूसरे एक सूत्रमें ऋषि शब्दका अर्थ ‘मन्त्रोंका कर्ता’ (मन्त्रकृता वृणीते) किया गया है । यह आवश्यक नहीं कि गोत्रका ऋषि मन्त्रकृत् अथवा मन्त्रोंका रचनेवाला ही हो । वह प्रवरऋषिका विख्यात वंशज होता है और उससे उत्पन्न हुई शाखा अथवा वंश उसीके नामसे सम्बोधित होता है । गोत्र अनेक हैं, परन्तु प्रवर थोड़े और निश्चित हैं । (क्योंकि वैदिक सूत्रोंके कर्ता निश्चित हो चुके हैं, वे बढ़ नहीं सकते ।) सूत्रमें यह भी कहा है— “एकं वृणीते द्वौ वृणीते त्रीन् वृणीते न चतुरो वृणीते न पञ्चाति वृणीते ।” एक, दो या तीन ऋषियोंका उच्चारण करे, चार या पाँचसे अधिक ऋषियोंका न करे । इसका अर्थ यह है कि किसीके पूर्वजोंमें पाँचसे अधिक ऋषियोंने सूक्त रचे हों, तो वह पाँचसे अधिक ऋषियोंके नामोंका उच्चारण न करे । प्रवरऋषि प्रायः तीन या पाँच होते हैं, चार या पाँचसे अधिक नहीं होते, इसका रहस्य इस सूत्रसे समझमें आ जाता है । गोत्रऋषि प्रवरऋषियोंमें से कोई एक या उसका वंशज होता है ।

उदाहरणार्थ, भारद्वाज गोत्रके तीन प्रवर हैं; आङ्गिरस, चार्हस्पत्य और भारद्वाज । गोत्रऋषि भारद्वाज इन तीनोंमेंसे एक है । वत्स गोत्रके भार्गव, चपावन, आमवान, और्व और जमदग्न्य, ये पाँच प्रवर हैं; परन्तु इनमें वत्स नहीं है । वह जमदग्निके एक सुप्रसिद्ध वंशज था और उससे जो एक स्वतन्त्र शाखा उत्पन्न हुई वह उसीके नामसे प्रसिद्ध हुई । सूत्रके एक और नियमका उल्लेख करना आवश्यक है । सूत्रमें कहा गया है कि अध्वर्यु प्रवरऋषियोंका उच्चारण अन्तिम ऋषिसे आरम्भ कर पहिले ऋषितक और होता पहिले ऋषिसे आरम्भ कर अन्तिम ऋषितक करे । इस नियमसे भी यही सिद्ध होता है कि प्रवर और गोत्र वंशोत्पत्ति-सूचक हैं, अनुयायित्व-सूचक नहीं । अंगिरस, वृहस्पति और भारद्वाज तथा भृगु, च्यावन, आमवान, ऊर्व और जमदग्निरः एकके पश्चात् एक उत्पन्न हुए हैं ।

ॐ भार्गवच्यावनामवानौवजामदग्न्येति होता । जमदग्निवद्वर्चवदामवानवच्यावन वदभृगुवदित्यध्वर्युः ।

अब प्रश्न यह उठता है कि सूर्य और चन्द्रवंशके उत्पन्न हुए वंशोंके क्षत्रियोंके पूर्वजोंमें इन्हीं प्रवरऋषियों अथवा वैदिक सूक्त रचनेवाले ऋषियोंके नाम क्यों हैं ? यदि प्रवरऋषियोंकी सूचीका निरीक्षण किया जाय, तो उसमें सूर्य और चन्द्रवंशके अनेक राजाओंके नाम देख पड़ेंगे । कितनोंको ही यह सुनकर आश्चर्य होगा कि ऋग्वेदके सूक्तकार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तीनों वर्णोंके थे । उदाहरणार्थ, प्रवरऋषियोंकी सूचीमें आये हुए, मान्वाता, अम्बरीष, युवनाथ, नमदस्यु, पुरुकुल, ये नाव सूर्यवंशके प्रसिद्ध राजाओंके और लुनहोत्र, अजमीढ आदि नाम चन्द्रवंशके हैं । ऋगु और अंगिरस गण-प्रवरोंके ऋषियोंमें ही प्रायः क्षत्रिय राजा हैं । इसी प्रकरणमें हम यह बात दिखायेंगे, परन्तु इसके पहले यह बातका देना उचित है कि प्रवराध्यायमें उल्लिखित प्रवरोंका परीक्षण करवे पर ज्ञात होता है कि वैदिक कालमें भी बहुतसे क्षत्रिय ब्राह्मण हुए हैं । प्रथम गर्गको लीजिये । यह चन्द्रवंशके विख्यात राजा दुष्यन्तके पुत्र भ्रातृ, उसके पुत्र वितथ, उसके पुत्र भूमन्युका पुत्र था और क्षत्रिय था । वायुपुराणमें भी कथा है कि यह गर्ग और उसके वंशज ब्राह्मण हुए । द्यायादाश्वपि गर्गस्य शिनिबद्धाद्भव ह । स्मृताश्च ते ततो गार्ग्याः क्षत्रोपेता द्विजातयः ॥ १९१ अ. ९९ । प्रवराध्यायमें गर्गका अंगिरस गणमें उल्लेख किया गया है । आश्वलायन सूत्रमें लिखा है “गर्गाणामांगिरस वार्हसत्य भारद्वाज गार्ग्य शैब्येति । आङ्गिरस शैब्य गर्गेति वा ।” अब चन्द्रवंशीय क्षत्रिय होनेपर भी गर्गका अंगिरस वंशमें कैसे समावेश हुआ, इसका स्पष्टीकरण करना आवश्यक है । गार्ग्य ब्राह्मण हुए, तब उनके वंशके प्रसिद्ध पुरुष शनिको आंगिरस ब्राह्मणोंने अपनेमेंसे ही एक मानकर गोद ले लिया । तबसे सभी गार्ग्योंका प्रवेश आंगिरसोंमें हो गया । यहाँ अनुयायित्वकी मोहक कल्पना मान्य नहीं हो सकती । (दत्तक अथवा अनुयायित्वकी सम्भावना प्रथम पाणिनीको प्रतीत हुई । पुराणोंकी तथा सूर्य-चन्द्रवंशोंकी सीमांसा करने हुए उसने अपने लेखमें इस प्रकार अनुमान किया है—“जो क्षत्रिय ब्राह्मण बन गये, उनका आचार्यके गोत्रमें अथवा किसी प्राचीन ब्राह्मण घरानेमें अन्तर्भाव कर ब्राह्मणोंमें समावेश कर

लिया गया। उन्हें दिव्यामित्रकी तरह अपनी नयी शाखा अथवा गोत्र स्थापित नहीं करने दिया गया।” — (रा० ए० सो० का १९१९ का जर्नल-पाँचाल वंश।) कारण यह है कि प्रवरोंकी जो मूल कल्पना है कि यजमान अग्निकी प्रार्थना करे कि वह उसे उसके वैदिक ऋषि पूर्वजोंकी दृष्टिसे देखे, उससे आचार्य-गोत्रकी कल्पना मेल नहीं खाती। गर्गका समावेश आंगिरस कुलमें हो जाने पर वह यह कार्य कर सकता था; क्योंकि तब वह अग्निसे प्रार्थना कर सकता था कि ‘जिन आंगिरस नामक मेरे पूर्वजने तेरी असुक असुक सूक्तोंमें प्रार्थना की है, उनके स्थानमें कृपाकर मुझे समझ।’ इस कथासे एक बात और ध्यानमें आ जाती है। ऐसे ब्राह्मणोंको वायु-पुराणमें ‘क्षत्रोपेता द्विजातयः’ अर्थात् जिनमें क्षत्रिय आचार शेष हैं, ऐसे ब्राह्मण कहा है। क्षत्रियोंके कितने ही शिलालेखोंमें ‘ब्रह्म-क्षत्र-कुलीन’ लिखा है, इसका भी रहस्य यही है। इसका अधिक विचार हम आगे चलकर करेंगे।

काण्वकी बात भी ऐसी ही है। काण्व चन्द्रवंशीय दुष्यन्तका पूर्वज था। उसके आंगिरस, अजमीढ़, काण्व ये प्रवर हैं। आंगिरस पौलकुत्सत्रासदस्यव प्रवरोंके विष्णुवृद्धकी कथा भी ऐसी ही है। वायुपुराणमें स्पष्ट कहा है कि विष्णुवृद्ध सूर्यवंशी राजा पुलकुत्सके पुत्र त्रासदस्युके पुत्रका पुत्र था। वह अपना समावेश आंगिरस वंशमें कर, ब्राह्मण हो गया। मुद्गलका उदाहरण भी इसी प्रकारका है। वह चन्द्रवंशीय भर्ग्यश्वका पुत्र था। उसके वंशज ब्राह्मण हुए और उन्होंने आंगिरसोंके पक्षका आश्रय लिया (मुद्गलस्यापि मौद्गल्याः क्षत्रोपेता द्विजातयः। एते ह्याङ्गिरसः पक्षे संश्रिता कण्व-मुद्गलाः ॥ वा० पु०) इसीसे आंगिरस भार्ग्यश्व मौद्गल्य ये उनके प्रवर हुए। आश्वलायनने इन प्रवरोंके बदले विकल्पसे ‘वृक्षमुहैकेऽङ्गिरसः स्थाने ताड्यं भार्ग्यश्व मौद्गल्येति’ ये प्रवर बताये हैं। आंगिरसके बदले जिस वृक्षका उल्लेख किया गया है, वह क्षत्रिय राजा भार्ग्यश्वका पूर्वज था और वृक्ष, भार्ग्यश्व तथा मुद्गल तीनों चन्द्रवंशी पाँचाल क्षत्रिय थे। इस प्रकार इस प्रवरमें कोई ब्राह्मण ऋषि नहीं, सभी क्षत्रिय हैं। हारीतोंका भी यही हाल है। आश्वलायनने उनका प्रवर ‘आङ्गिरसांश्रीषचौवनश्च’ और आंगिरसके

बदले मान्धाता ऋषि बताया है । अर्थात् उनका प्रवर मान्धाता=आम्बरीष यौवनाश्व हुआ । प्रवरोक्त ये तीनों नाम सूर्यवंशके प्रमुख राजाओंके हैं इनमें एक भी ब्राह्मण नहीं है । वायुपुराणमें लिखा है "तस्यामुत्तरादया मास मान्धाता त्रीन्सुतान्प्रभुः । पुरुकुत्समम्बरीषं सुचुकुन्दं च विश्रुतम् ।
 * अम्बरीषस्य दायदः युवनाश्वः परः स्मृतः । हरितो युवनाश्वस्य हरिता शूरयः स्मृताः ॥ एते ह्याङ्गिरसः पुत्राः क्षत्रोपेता द्विजातयः । इन श्लोकोंसे जाना जाता है कि हारीत गोत्रके ब्राह्मणोंके प्रवरोंमें सभी क्षत्रिय राजा हैं । यह ध्यानमें रखना चाहिये कि क्षत्रियोंके ब्राह्मणोंमें जो रूपान्तर हुए वे वैदिक कालमें हुए हैं । हरीत युवनाश्व (पिता) अम्बरीष (पितामह) और मान्धाता (प्रपितामह) की तरह सूर्यवंशमें उत्पन्न हुआ था, किन्तु उसके वंशज ब्राह्मण हुए । ऋग्वेदकी ऋष्यनुक्रमणिकाके अनुसार युवनाश्व, अम्बरीष और मान्धाता ये तीनों प्रवरऋषि अर्थात् वैदिक सूत्रकार थे । क्षत्रिय राजा यदि ब्राह्मणोंके प्रवरऋषि हो सकते हैं, तो क्षत्रियोंके प्रवरऋषि ब्राह्मणोंके होनेमें आश्चर्य करना व्यर्थ है । वैदिक कालमें यदि क्षत्रिय ब्राह्मण हो सकते थे (यह प्रतिलोम क्रम है), तो ब्राह्मणोंके क्षत्रिय होनेमें कौनसी बाधा थी (यह अनुलोम क्रम है), उच्च वर्णसे निम्न वर्णमें सम्मिलित होनेका क्रम मध्ययुगात्क प्रचलित था । सिन्ध और काबुलके चच तथा लल्लिषवंशके ब्राह्मण क्षत्रिय हो गये और इसके अनन्तर अही क्षत्रिय भी वैश्य बने थे, यह प्रसिद्ध ही है ।

अब प्रतिपाद्य विषयकी ओर पुनः झुकते हुए हम अपने पूर्वकथनको दोहराते हैं कि क्षत्रिय प्रवरऋषि थे, इसके उदाहरण आंगिरस और भृगुवंशमें मिलते हैं । भृगुका ही उदाहरण लीजिये । आश्वलायन सूत्रके निम्नलिखित सब प्रवरऋषि क्षत्रिय हैं । (१) 'श्येतानां भार्गववैश्वपाथेति ।' इनमें पृथु और वेन क्षत्रिय राजा हैं और श्येत गोत्रवालोंने अपना अन्तर्भाव भृगुके पक्षमें कर लिया (२) 'मित्रयुवां वार्ष्यश्चेति त्रिप्रवरं वा भार्गव देवोदास वार्ष्यश्चेति ।' इसमें भी दिवोदास और वार्ष्यश्च, इसी तरह मित्रयु भी, क्षत्रिय राजा थे और यह प्रवर भृगु पक्षके साथ सम्बद्ध है । (३) 'शुनकानां गृत्समदेति त्रिप्रवरं वा भार्गवशौनहोत्र

गार्त्समदेति ।' इसमें जिस 'गृत्समद' का उल्लेख है वह क्षत्रिय राजा है, वह ऋग्वेदके दूसरे मण्डलके सूक्तोंका कर्त्ता है । उसकी कथा महाभारतके अनुशासन पर्वके ३०वें अध्यायमें लिखी है । वह वीतहव्य राजाका पुत्र था । वीतहव्य भृगुके कह देनेसे ही ब्राह्मण बन गया । गृत्समदको शुनहोत्रने गोद लिया । गृत्समदका पुत्र सुहोत्र और सुहोत्रका पुत्र वर्चस था । वर्चसके वंशमें ही शुनकने जन्म ग्रहण किया । शुनकके नामसे गोत्र चल पड़ा । इस कारण शुनक गोत्रवालोंका गृत्समद यह एक ही प्रवर अथवा भार्गव, शौनहोत्र, गार्त्समद ये तीन प्रवर हैं । इन उदाहरणोंसे स्पष्ट होता है कि भृगुवंशमें भी क्षत्रिय हैं । विश्वामित्र और अत्रिके प्रवर्गणमें भी क्षत्रियोंके कुछ उदाहरण हैं, परन्तु हमारा खयाल है कि केवल वसिष्ठ और अगस्त्यके प्रवर्गणमें ऐसा कोई उदाहरण नहीं है ।

इस विस्तृत विवेचनसे यह बात सिद्ध होती है कि वैदिक कालमें कितने ही क्षत्रिय ब्राह्मण बने और उन्होंने ब्राह्मणोंके प्रवरोंमें अथवा ब्राह्मणोंके मूल वंशमें अपना समावेश कर लिया । ब्राह्मणोंके क्षत्रिय बननेके उदाहरण बहुत ही थोड़े हैं । हमें एक ही उदाहरण मिला है । आरद्वाजने कहा है कि पुत्रहीन मृत भरतका मैं पुत्र हूँ । इसी तरहसे और भी कुछ ब्राह्मण क्षत्रिय बने होंगे और मध्ययुगत्तक बनते रहे होंगे । तात्पर्य यह कि आर्योंके मूल चार वंशोंमें जन्मग्रहण करनेके कारण क्षत्रियोंमें गोत्र और प्रवरोंका होना स्वाभाविक है । फिर क्षत्रिय मंत्र-कर्त्ताओंके वंशज होनेके कारण भी उनके गोत्रोंका होना आवश्यक है । इसके अतिरिक्त विभिन्न गोत्रों और गोत्रोंके प्रवरोंके संस्कारोंमें कुछ कुछ भेद होनेके कारण यज्ञ-संस्कारके लिए किसी न किसी प्रवर अथवा गोत्रमें क्षत्रियोंको अपना समावेश कर लेना आवश्यक था । इससे भी सिद्ध होता है कि उनके अपने गोत्र और प्रवर हैं ।

क्षत्रियोंके ऋषिगोत्र क्योंकर हुए, इस प्रश्नका उत्तर कुछ भी हो; किन्तु एक बात तो निर्विवाद है, और वह अनेक श्रौत सूत्रोंसे भी प्रकट होती है, कि प्राचीन कालसे क्षत्रियोंके गोत्र और प्रवर थे तथा उनके और ब्राह्मणोंके गोत्र और प्रवर समान ही थे । प्रवराध्यायमें कहीं नहीं लिखा है कि वर

केवल ब्राह्मणोंके ही हैं । उदाहरणार्थ, आपस्तम्ब—प्रथम सूत्रमें प्रवर तथा उनके उच्चारणके नियम लिखे हैं । दूसरे सूत्रमें लिखा है,—“पुरोहितस्य प्रवरेण राजा वृणीते इति विज्ञायते ।” यहाँ राजा शब्द प्रयुक्त हुआ है । टीकाकारने लिखा है—“अत्र च वचनात् ब्राह्मणोऽपि राज्यं प्राप्तः पुरोहितस्य प्रवरेण प्रवृणीते ।” अर्थात् यदि ब्राह्मण राजा हो, तो वह भी पुरोहितका प्रवर ग्रहण करे । राजाको कितने ही महत्वके राजकार्य करने पड़ते हैं । अतः यज्ञ-प्रसङ्गमें वह निरन्तर उपस्थित रह नहीं सकता । वह अपना प्रतिनिधि पुरोहितको बनाता है और यज्ञकार्यमें बाधा न पड़े, इसलिए उसे होता, अध्वर्यु तथा अन्य याज्ञिक अपने पुरोहितके गोत्रके चुनने पड़ते हैं ।

इस सूत्रका, कालान्तरमें, लोग विपरीत अर्थ करने लगे । परन्तु इतना तो स्पष्ट है कि यह सूत्र राजाओंके लिए ही है, अन्य क्षत्रियोंसे इसका सम्बन्ध नहीं है । आपस्तम्ब सूत्रमें भृगुसे लेकर सब प्रवर कहे हैं, परन्तु उसमें ब्राह्मणों और क्षत्रियोंमें भेद नहीं किया गया है । अन्तमें क्षत्रियोंके लिए कुछ स्वतन्त्र नियम लिखे हैं और वे महत्वके हैं । “अथ क्षत्रियाणां यद्याह सार्षं प्रवृणीरन् एक एवैषां प्रवरः । मानवैल पौरुषसेति होता ।” सार्षं शब्दका ठीक अर्थ समझमें नहीं आता । आश्वलायन सूत्रमें सार्षं पाठ है । यहाँ क्षत्रियोंकी पौराणिक वंशावली जोड़ देनेका यत्न किया गया है । ई० स० पूर्व पाँचवीं सदीसे लेकर पहिली सदी (वि० पू० ४४३ से वि० १५७) तक लिखे सूत्रोंमें पुराणोंके जो उल्लेख हैं, वे उन पुराणोंके होने चाहिये जो उस समय मौजूद थे । वे इस समयके पुराणोंके नहीं हो सकते । प्रवर एक गोरखधन्वा है । बहुतेरे वैदिक ब्राह्मणोंसे पूछने पर भी उसे हम सुलभ न सके । इह अथवा इल मनुका पुत्र था । परन्तु पुरुरवा इडाका पुत्र नहीं । अर्वाचीन पुराणोंमें इरुका खीलिंग रूपान्तर इरा हुआ, पुरुरवा उसीका पुत्र माना गया है । इसके अतिरिक्त पुरुरवा सूर्यवंशी क्षत्रियोंका पुत्र नहीं है । अतः यह प्रवर सूर्यवंशियोंको लागू नहीं हो सकता । मनु मंत्रकृत् हो सकता है, पुरुरवा तो था ही; किन्तु इलाने कोई ऋग्वेदका मंत्र नहीं बनाया । अतः वह प्रवर ऋषि भी नहीं है ।

जो हो, इसमें सन्देह नहीं कि इस सूत्रमें क्षत्रियोंके लिए जो प्रवर कहा गया है, वह वैकल्पिक है। इसकी उत्पत्ति सम्भवतः पुराणोंसे हुई है। क्षत्रिय यदि चाहें, तो इसे बरत सकते हैं।

अन्य साधारण प्रवरोंके सम्बन्धमें आगेके सूत्रमें यह अर्थ स्पष्ट किया गया है—“अथ येषां मन्त्रकृतो न स्युः सपुरोहितप्रवरास्ते प्रवृणीरन् ।” ऐसा प्रतीत होता है कि ईसाके पूर्वकालमें ही क्षत्रिय अपने गोत्र और प्रवरोंको भूलने लगे थे। इसके तीन कारण हो सकते हैं। १—वनपर बौद्ध धर्मका प्रभाव पड़ा हो, २—वे विदेशियोंके आक्राणोंसे त्रस्त हुए हों, अथवा ३—दिनरात लड़ते भगड़ते रहनेसे त्रासदायक वैदिक संस्कारोंके सम्बन्धमें उनमें उपेक्षाबुद्धि उत्पन्न हो गयी हो। ऐसे क्षत्रियोंके लिए इस सूत्रने यह सुभीता कर दिया है कि जिनका पूर्वज मन्त्रकृत न हो वे अपने पुरोहितोंके प्रवरोंका स्वीकार करें। परन्तु आगेके ही सूत्रमें कहा है—“अथ येषां स्युःपुरोहितप्रवरास्ते ।” जिनके पूर्वजोंमें मन्त्रकृत हो, वे पुरोहितके प्रवरको ग्रहण न करें, अपने ही प्रवरका उपयोग करें। टीकाकारने लिखा है—“आत्मीयानेव प्रवरान् प्रवृणीरन्निर्ग्रथः ।” चौथे सूत्रमें यह भी कह दिया है कि वे भी यदि सुभीतेके लिए (न्यायेन) चाहें, तो पुरोहितोंके प्रवर ग्रहण कर सकते हैं। (यहाँ ध्यानमें रखना चाहिये कि यह नियम गोत्रके लिए नहीं, प्रवरके लिए है।) इन सूत्रोंसे यह निश्चित हो जाता है कि अति प्राचीन कालसे क्षत्रियोंके अपने गोत्र-प्रवर थे और ईसवी सन्से पहिलेके शिलालेखोंसे स्पष्ट होता है कि क्षत्रियोंने अपने लेखोंमें अपने उन्हीं गोत्रोंका प्रत्यक्ष उल्लेख किया है। श्रौतसूत्र ही नहीं, स्मृतियाँ भी स्वीकार करती हैं कि क्षत्रियोंके अपने गोत्र प्रवर हैं। ‘असमानार्थगोत्रजाद्’ यह नियम क्षत्रियोंको भी लागू है। वर अपने गोत्र अथवा ऋषि (प्रवर) की वधूसे विवाह न करें, यह नियम ब्राह्मण क्षत्रिय दोनोंके लिए होनेके कारण क्षत्रियोंके भी गोत्र-प्रवर होने ही चाहिये। विज्ञानेश्वर द्वारा मिताक्षरामें सुझाया गया मार्ग ठीक नहीं है, क्योंकि उससे बार बार प्रवर बदलेगा और अड़चन आ पड़ने पर जान बूझ कर बदल भी दिया जायगा। परिणाम यह होगा कि जिन दो वंशोंमें पर-

स्वर विवाह-सम्बन्ध करनेकी साक्षात्ता नहीं है, उन वंशोंमें पुरोहित बदल कर विवाह-सम्बन्ध होने लगेंगे । अर्वाचीन क्षत्रिय और वैश्य भी जाति और कुल अथवा मुख पद्धतिका अवलम्बन कर व्यवहारमें इस नियमका पालन करते हैं, यह भूल न जाना चाहिये ।

अन्तमें कात्यायन लौगाक्षि सूत्रोंमेंसे एक महत्वके सूत्रकी ओर हम पाठकोंका ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं । “अथ हैके मानवे-येक भार्षेयं शार्वर्वागिकं प्रवृणीते । कस्य हेतोरिति । मानव्यो हि प्रजा इति । तदेतन्नो-पपद्यते न देवैनं मनुष्यैरार्षेयं प्रवृणीते । तदेतदन्वयं ब्राह्मण क्षत्रियाभ्या-मितरासां प्रजानामुक्तं भार्ताति ।” इसका यह अर्थ है कि “कुल लोग कहते हैं कि सब वर्णों अथवा जातियोंके लोग एक मात्र ‘मानव’ प्रवरका ही स्वीकार कर लें, क्योंकि सभी वर्ण मनुष्य उत्पन्न हुए हैं । परन्तु यह उचित नहीं है । कारण यह है कि हर एकको अपने प्रवरका उच्चारण देवों अथवा मानवोंके नामसे नहीं, (आपस्तम्ब सूत्र) किन्तु वैदिक ऋषि अथवा मन्त्रकारके नामसे करना चाहिये । मनु मनुष्य था, इस कारण वह प्रवर नहीं हो सकता । यह वचन ब्राह्मण-क्षत्रियोंको लोड़, उनसे भिन्न लोगोंके लिए कहा गया है ।” इस सूत्रमें ब्राह्मण-क्षत्रियोंके लिए एक ही नियम बताते हुए कहा गया है कि अन्य वर्ण चाहें तो मानव प्रवरका ग्रहण कर सकते हैं । इससे यह स्पष्ट है कि सूत्र-निर्माण-काल तक क्षत्रियोंको भी ब्राह्मणोंकी तरह अपने गोत्र और प्रवरोंका साधारणतया स्मरण था और ब्राह्मणोंका ही नियम उन्हें भी लागू था । पुराणोंके मतानुसार भी देव, ऋषि और मानवोंके भिन्न भिन्न वर्ग हैं । जिन क्षत्रियोंको अपने प्रवर-ऋषियोंका स्मरण था, उन्हींको आगे चलकर ब्रह्मक्षत्रिय कहने लगे । ब्रह्मक्षत्रियका अर्थ ऐसे क्षत्रिय ‘जिन्हें ब्रह्मका साक्षात्कार हुआ हो,’ अथवा ‘जिनका वैदिक ऋषियोंके साथ सम्बन्ध बना हो,’ दोनों तरहसे हो सकता है ।

एक शिलालेखमें परमारोंको ‘ब्रह्मक्षत्रकुलीन’ कहा है । हमारी समझमें इसका यही अर्थ है कि जिन क्षत्रिय वंशोंके पूर्वज मन्त्रकृत थे, उन वंशोंमेंसे यह एक वंश है । लोगोंकी धारणा है कि परमार वासिष्ठ हैं और उनका जन्म वसिष्ठसे ही हुआ है । इसीसे वे ‘ब्रह्मोपेतक्षत्रेण कुलीनाः’ हैं । कुछ

लोग ब्राह्मण का अर्थ करने हैं, 'आदौ ब्राह्मणाः पश्चात् क्षत्रियाः'; इस अर्थ-को मान लेनेमें भी कोई हानि नहीं । क्योंकि गोत्रप्रवरोंवाले क्षत्रिय वंश, प्रत्यक्षतः अथवा समावेश कर लेनेके कारण, ब्राह्मणोंसे उत्पन्न हुए हैं, ऐसी लोगोंकी धारणा थी । सम्भव है कि वैदिक कालमें ही क्षत्रियोंका ब्राह्मणोंमें समावेश कर लिया गया हो । गोत्र और प्रवरोंके सम्बन्धके सूत्रोंपर सूक्ष्म विचार करनेसे यही सिद्धान्त निकलता है कि ब्राह्मण और क्षत्रियोंके गोत्र-प्रवर एक ही हैं और प्रवर ऋषियोंमें बहुतेरे क्षत्रिय राजाओंके नाम हैं । तात्पर्य यह कि महाभारतमें स्पष्टतः कहे गये अनुसार एक समय ऐसा था, जब वर्णभेद भाजकी तरह अनुष्ठाननीय नहीं थे और वास्तविक रूपसे 'भारतीय आर्य' एक यही वर्ण था ।

दिग्गणी—छत्तीस राजकुल अथवा राजपूतोंके वंश ।

यह तो निर्विवाद ही है कि परस्पर शरीर-सम्बन्ध करने योग्य ३६ कुल अथवा घराने ही राजपूत लोग बहुत वर्षोंसे मानते आये हैं । ३६ कुलोंकी सूची हिन्दू मध्ययुगके दूसरे उपविभागके अन्त अथवा तीसरे उप-विभागके आरम्भमें बनी है । क्योंकि पहिले उपविभागमें उच्च वर्णोंके आर्योंमें परस्पर शरीर-सम्बन्ध होते ही थे । ३६ कुलोंकी सूची भी चन्दके पूर्वके किसी ग्रन्थमें नहीं मिलती । केवल सन् ११४८ (सं० १२०५) में लिखे कल्हणके 'राजतरंगिणी' नामक ग्रन्थमें ३६ कुलोंका उल्लेख है । (भाग ७ श्लोक १६०७ में लिखा है—३६ कुलोंमें उत्पन्न हुए राजपूतोंको इतना आत्मसन्मान था कि साक्षात् सूर्यको भी वे अपनेसे अधिक श्रेष्ठ माननेको तैयार न थे । प्रख्यापयन्तः संभृतिं पट्त्रिंशत्सु कुलेषु ये । तेजस्विनो भास्वतोऽपि सहन्ते नोच्चकैः स्थितिम् ॥ तेज्यन्तेऽनङ्गपालाद्या राजपुत्रास्तमयजन्सा ॥ चन्दकी सूची पृथ्वीराजके समयकी है, वह पीछेसे नहीं जोड़ी गयी है, यह हम इस प्रकरणमें सिद्ध करेंगे टाडने पांच सूचियां प्रकाशित की हैं । उनका मत है कि इनमेंसे एक रासोसे पहिलेकी है । परन्तु उन्होंने यह नहीं बताया कि वह सूची कितनी प्राचीन है । वह मारवाड़के नाडोल नामक प्राचीन

नगरमें एक जतीके पास मिली, परन्तु उसमें 'भाला' जैसे अर्वाचीन नामोंका उल्लेख होनेके कारण उपलब्ध सूचियोंमेंसे रासोकी ही सूची सबसे प्राचीन मानी जानी चाहिये। तीसरी सूची चन्दके समकालीन ग्रन्थ कुमारपालचरित्रमें है, परन्तु उसमें ३६ संख्या नहीं है। सारांश, ३६ की संख्या प्रथम चन्दने ही बतायी और ग्रीक लोगोंको जिस प्रकार इलिषड काव्य प्रिय था, उसी प्रकार राजपूतोंको रासो प्रिय होनेके कारण परम्परासे ३६ की संख्याका राजपूत घरानोंकी हर एक बातमें उल्लेख होने लगा।

आश्चर्य तो यह है कि रासोकी कविताका यथार्थ अर्थ किसीकी समझमें नहीं आता। अन्तिम संस्करणके सम्पादक भी अर्थके सम्बन्धमें—हमारी समझमें—गड़बड़ा गये हैं। विचक्षण पाठकोंके विचारार्थ उसके कुछ पद हम यहां उद्धृत करते हैं। हमारी समझमें उनका जो अर्थ होता है, वह भी हम नीचे देते हैं। रासोंकी कुछ पंक्तियाँ ये हैं—

रवि सखि जादव बंस ककुत्स्थ परमार सदावर ।

चाहुवान चालुक छंद सिलार अभीयर ॥

दोयमत्त (दोयमत) मकवान गरभ गोहिल गोहिलपुत ।

चापोटकट परिहार राव राठोर रोसजुत ॥

देवरा टांक सैधव अनिग (अनंग) यौतिक प्रतिहार दधिषट् ।

कारट्टपाल कोटपाल हुल हरितट गोर कला (मा) प मट ॥

धन्य (धान्य) पालक निकुंभवर राजपाल कविनील ।

कालच्छुराके आदि दे बरने बंस छतीस ॥

—(भाग १, पृष्ठ ५४)

कवितामें कोष्ठकके भीतर जो पाठभेद दिये हैं, वे हमने उदयपुर संग्रहालयके पुस्तकालयकी रासोकी प्रतिलिपि से लिये हैं। प्रायः सभी लोग रवि, शशि और यादवकी गणना ३६ कुलोंमें करते हैं। टाड और नये संस्करणके सम्पादक श्रीमोहनलाल पंड्याने भी यही भूल की है। तीनोंकी गणना ३६ में करनेसे संख्या ३६ से अधिक हो जाती है। इस सूचीके नामोंको नीचेकी ओरसे गिने तो यह सहज ही ध्यानमें आ जायगा कि रवि,

शशि, और यादव, इन तीनोंका ३६ नामोंमें समावेश नहीं हो सकता । सूचीके नाम ये हैं—

१ कालचक्रक (कलचूरी हैहय)	२० रोलजुत (टाड और मोहनलाल-
२ कविनीस	ने छोड़ा)
३ राजपाल	२१ राठोर
४ निकुम्भवर	... राव (?)
५ धान्यपालक (टाडने छोड़ा	२२ परिहार
मोहनलालने गिना)	२३ चापोत्कट
६ मट (टाडने छोड़ा)	२४ गुहिलोत [गोहिलपुत्र] (टाडने
७ कम्पाव (कलाप)	गोहिल लिखा है)
८ गौर	२५ गोहिल
९ हरितद (टाडने छोड़ा)	२६ गरुड (टाड और मोहनलाल,
१० हुल (मोहनलालने अपने	दोनोंने छोड़ा)
हूण माना है)	२७ मकवान
११ कोटपाल	२८ दोगमत
१२ कारटपाल	२९ अभीयर
१३ दधिषट् (टाडने 'दिदिओट'	३० सिलार
लिखा है)	३१ छन्द
१४ प्रतिहार	३२ चालुक्क
१५ यौतिक (टाडने 'पाट' लिखा है)	३३ चाहुवान
१६ अनिरा (टाडने 'अनंग' लिखा है)	३४ सदावर
१७ सैन्धव	३५ परमार
१८ टांक	३६ काकुत्स्थ
१९ देवरा	

वहुतसे नाम छोड़कर और रवि, शशि, यादवका अपनेसे समावेश कर टाड साहब ३० नामोंकी ही सूची बना सके । अतः उनकी भूलके सम्बन्धमें विचार करनेकी आवश्यकता नहीं है । मोहनलालने उक्त तीन नामोंका सूचीमें समावेश कर ३६ की संख्या पूरी करनेमें कैसी भूल की है, इसका

विचार होना आवश्यक है । प्रथम तो टाडके छोड़े हुए (२) कविनीस, (२०) रोसजुत और (२६) गरुभ, ये नाम मोहनलालने भी छोड़ दिये हैं । 'रोसजुत' राठौरोंका उपपद हो नहीं सकता । 'राठौर' का 'राव' उपपद है और उसे स्वतन्त्र नाम मान लेनेमें कोई हानि नहीं है । 'गरुभ' गोहिलोंका विशेषण हो नहीं सकता, क्योंकि यद्यपि गुहिलोत्त प्रसिद्ध थे, तो भी गोहिल प्रसिद्ध नहीं थे । (भावनगरके गोहिल भिन्न हैं) इसीसे मोहनलालको सूचीमें रवि, शशि और यादवका समावेश करनेकी छुट्टि सूझी ।

परन्तु उक्त तीन नाम ३६ कुलोंमें गिने न जाने चाहिये, इसका दृढ़तर प्रमाण यह है कि जैसे अन्य नाम धरानोंके सूचक हैं, वैसे ये नहीं हैं । धरानोंके नामोंका विशेष महत्व यह है कि विवाह सम्बन्धमें ब्राह्मणोंमें जिस प्रकार गोत्रोंका, उसी प्रकार राजपूतोंमें कुलनामों (धरानेके नामों) का उपयोग होता है । ३६ कुलोंमेंसे कोई कुल आपसमें विवाह-सम्बन्ध नहीं कर सकता । चालुक्योंका चालुक्योंके साथ अथवा चौहानोंका चौहानोंके साथ विवाह-सम्बन्ध नहीं होगा । रवि, शशि और यादव, विशेषतया इनमेंसे पहिले दो, धरानोंके नाम नहीं हैं । वे मानव-वंश-सूचक नाम हैं और उनके अन्तर्गत ३६ धरानोंका अन्तर्भाव होता है । सूर्यवंश, चन्द्रवंश और यादववंश, ये पुराणोक्त प्राचीन प्रसिद्ध वंश हैं, विवाहके सम्बन्धका विचार करने योग्य धराने नहीं हैं । एक सूर्यवंशी धराना दूसरे सूर्यवंशी धरानेसे विवाह-सम्बन्ध कर सकता है । उदयपुरके गुहिलोत्त और जयपुरके कच्छब्राह्मण दोनों सूर्यवंशी हैं, परन्तु उनमें विवाह-सम्बन्ध होता है । पुराणोंके देखनेसे भी यही ज्ञात होता है कि सूर्यवंशियोंका सूर्यवंशियोंके साथ और चन्द्रवंशियोंका चन्द्रवंशियोंके साथ विवाह-सम्बन्ध होनेमें पौराणिक समयमें कोई आपत्ति नहीं थी । श्रीरामचन्द्र और सीताजी दोनों सूर्यवंशी और अर्जुन तथा द्रौपदी दोनों चन्द्रवंशी थे । पौराणिक कालमें क्षत्रियोंके कुल-नाम (अल) प्रचलित नहीं थे । गोत्र ही देखे जाते थे । इसीसे वसिष्ठ गोत्रके श्री रामचन्द्रका गौतम गोत्रकी सीताजीसे विवाह हो सका । किसका किसके साथ विवाह सम्बन्ध नहीं हो सकता, इसका निश्चय करनेके विचारसे आधुनिक क्षत्रियोंने

कुलपद्धतिका अवलम्बन किया है । हम पहिले कह भी चुके हैं कि स्मृतियोंके गोत्रशास्त्रका स्थात व्यवहारमें कुल-पद्धतिने ले लिया । इससे स्पष्ट होता है कि रवि, शशि और यादव ये नाम अन्य नामोंकी तरह कुलदर्शक नहीं हैं । चन्द्रने इन नामोंका उल्लेख किया है, इसलिये कि इन्हीं तीन वंशोंमें ३६ घरानोंका समावेश होता है । इन्हीं तीन नामोंके आगे प्रयुक्त 'वंश' शब्द महत्त्वका है और अन्तके 'बरने बंस छतीस' शब्दसे इसका अर्थ भिन्न है ।

यहाँ एक प्रश्न और उपस्थित हो सकता है कि चन्द्रवंशके अन्तर्गत होते हुए यदुवंशका स्वतन्त्र उल्लेख क्यों किया गया ? इसका उत्तर यह है कि यादव पहिलेसे चन्द्रवंशियोंसे पृथक् उल्लिखित होते आये हैं । ऋग्वेदमें भी यदु-तुर्वंशोंका स्वतन्त्र उल्लेख है । कालान्तरसे तुर्वंश लुप्त होगये । पुराणोंमें यादवोंका स्वतन्त्र उल्लेख इस कारण किया गया है कि यदुके शापसे यादवोंका राज्यपदाधिकार नष्ट हो गया था । इसके अतिरिक्त उनकी गोपालन-वृत्ति बनी हुई थी । यदुवंशियोंका चन्द्रवंशियोंसे पृथक् उल्लेख किया गया, इसमें अनुचित क्या है ? हम यह बता चुके हैं कि यदुवंशके भाटी, जाडेजा आदि घरानोंमें परस्पर वैवाहिक सम्बन्ध होते हैं । इससे स्पष्ट है कि ३६ घरानोंकी तरह 'यादव' किसी घरानेका नाम नहीं है ।

इस प्रकार रवि, शशि और यादवका समावेश ३६ घरानोंमें न करने पर ३६ घरानोंकी संख्या-पूर्तिके लिए गहग्र, रोमजुत और कविनीलके तीन स्वतन्त्र घराने मानने होंगे । 'वंश भास्कर' के कर्ता सूरजमलने भी रवि और शशि वंश माने हैं, घराने नहीं । उसने तीनके बदले पाँच वंश माने हैं । यथा सुजभव, मनुभव, अर्कभव, शशिभव और शुचि (अग्नि) भव । सुजभव = ब्रह्माकी भुजाओंसे उत्पन्न, मनुभव = मनु भगवान्से उत्पन्न, अर्कभव = सूर्यसे उत्पन्न, शशिभव = चन्द्रसे उत्पन्न और शुचि भव = अग्निसे उत्पन्न उक्त पाँच वंश हैं । सूरजमलकी कविता हम पहिले उद्धृत कर चुके हैं । हमारी समझमें चन्द्रने रवि, शशि और यादव, इन तीनोंकी वंश माना है, ३६ घरानोंकी तरह घराने नहीं ।

पृथ्वीराजरासोमें सोलहवीं शताब्दी (वि० सं० १५५८-१६१७) में नयी सामग्रीका मिलाया जाना संभव है; परन्तु ३६ घरानोंकी सूची सोलहवीं सदीकी नहीं हो सकती । वह पृथ्वीराजके दरबारी कवि चन्दके समयकी ही है । १६वीं सदीमें जिनका अस्तित्व ही नहीं रह गया था, ऐसे बहुतसे घरानोंके नाम उस सूचीमें हैं । टाडको भी उन नामोंके घरानोंकी खोज करनेमें कठिनाईका सामना करना पड़ा । इसके अतिरिक्त सोलहवीं सदीमें प्रसिद्ध हुए अनेक घरानोंका उसमें उल्लेख नहीं है । रोसजुत, अनिग, भौतिह, दगिपट्ट, कारट्टपाल, कोटपाल, हरितट, कमाप, मट, धान्यपाल, राजपाल और कविलीस घरानोंका पता लगाना कठिन है । भट्टी, भाला, वैश्य आदि आधुनिक घरानोंका भी सूचीमें समावेश नहीं हुआ है । कुछ नाम ऐसे हैं जो निश्चित अवश्य हैं, किन्तु दुर्गोभ हो गये हैं । मोहनलाल पण्ड्याने ककुत्स्थको कच्छगह और सदावरको तुभर सिद्ध किया है और यह ठीक भी है । परन्तु इन नामोंका व्यवहारमें कभी उपयोग होता था या नहीं, इसमें सन्देह है । इससे ज्ञात होता है कि रासोकी सूची बहुत प्राचीन अर्थात् ईसाकी बारहवीं सदीकी है ।

मोहनलालने अपने रासोके संस्करणमें हर एक घरानेका जिस युक्तिसे निश्चय किया है, वह कहाँतक ठीक है, इसका वहाँ विचार करना असंगत न होगा । उनके मतसे 'छन्द' 'रांदेल' हैं, परन्तु हमारी ससक्तमें 'छन्द' से 'चन्देल' घरानेका अभिप्राय है । रासोमें कहीं कहीं 'चन्द' शब्द ऊपरके अर्थमें प्रयुक्त हुआ है । 'दोयमत' और 'दाहिस' के एक होनेमें भी सन्देह है । 'अनिग' को 'अनङ्ग' कहा है, पर इसका उल्लेख कहीं नहीं मिलता । सूचीमें 'परिहार' और 'प्रतिहार' दोनों नाम होनेसे दोनों कुल स्वतन्त्र हैं । दोनोंमें माण्डोरके लेखके परिहार कौन हैं, इसका निर्णय नहीं हुआ है; परन्तु सम्भवतः वे प्रतिहार हैं । कारट्टपाल काठी (काठियावाडी) नहीं हैं, क्योंकि काठीका छत्तीस घरानोंमें समावेश नहीं हुआ है । कोटपाल कौन हैं, यह नहीं बताया गया है । 'मट' जाट नहीं हैं; क्योंकि जाटोंका राजपूत होना अन्य राजपूत घरानोंको मान्य नहीं है । अन्तमें धान्यपाल और राजपालका भी निर्णय नहीं किया गया है । मोहन-

लालने 'गुरुभ' को छोड़ दिया है, किंतु हमारे मतसे वे गूजर हैं। गूजरका प्राकृत रूप गूअर होगा और अक्षरोंके व्यतिक्रमसे गुरुभ शब्द बन सकता है। वीर गूजरोंका एक प्रसिद्ध राजपूत घराना है। गूजर और आभीर (अहीर) ये शूद्र और वैश्योंके नाम हैं। गूजरों और आभीरोंपर शासन करनेके कारण शासकोंके घराने भी उन्हींके नामसे प्रसिद्ध हुए परन्तु वास्तवमें वे वैश्य अथवा शूद्र नहीं, क्षत्रिय घराने ही थे।

कुछ लोगोंने प्रतिपादन किया है कि हूणोंका ३६ राजकुलोंमें समावेश किया गया था और इसी तरह विदेशी वंशोंका क्षत्रियोंमें समावेश किया जाता था, यह उस नाम (हूण) से ही सिद्ध होता है। यह दिग्राणी समाप्त करनेसे पहिले इस मतपर भी विचार कर लेना उचित होगा। इस सम्बन्धमें हमें यही बताना है कि रासोकी सूचीके ३६ घरानोंमें हूणोंका नाम नहीं आया है। 'हुल' नाम है, परन्तु हुल हूण नहीं हो सकते। प्राकृत या अन्य किसी भाषाके अपभ्रंशोंके नियमानुसार 'हूण' से 'हुल' बनाया नहीं जा सकता। क्षत्रिय राजाओंने हूणोंकी कन्याओंसे विवाह किये थे और हूणोंके राज्य भी थे, ऐसे उल्लेख प्राचीन शिलालेखोंमें मिलते हैं, परन्तु इससे यह नहीं सिद्ध होता कि हूण क्षत्रिय थे। उस समय और वर्तमान समयके भी राजन्वगण वैश्यों, शूद्रों और म्लेच्छोंतककी कन्याएँ व्याह लेते हैं। इससे उन कन्याओंके कुल क्षत्रिय नहीं हो जाते। उदाहरणार्थ, वर्तमान समयके कुछ क्षत्रिय राजाओंने हूण अथवा अंग्रेज, फ्रेञ्च या स्पेनिश स्त्रियोंसे विवाह किये हैं। परन्तु वे कन्याएँ, उनकी सन्तान या जिनकी वे कन्याएँ हैं, वे लोग क्षत्रिय नहीं माने जाते। मुसलमानोंके राजत्वकालमें राजपूत राजकन्याएँ मोगल अथवा अन्य मुसलमान बादशाहों या राजाओंसे व्याह दी जाती थीं। परन्तु इससे मोगल अथवा अन्य मुसलमान क्षत्रिय नहीं मान लिये जाते थे। अतः इस प्रकारके विवाहोंके आधारपर यह अनुमान नहीं किया जा सकता कि हूण क्षत्रिय थे।

छत्तीस घरानोंमें उल्लिखित 'हुल' कौन हैं, यह बतानेका दायित्व हमपर नहीं है, क्योंकि चन्दकी सूचीमें ऐसे बहुतसे घरानोंके नाम हैं जिनका पता नहीं चलता। मारवाड़की अनुव्यगणनाकी हिन्दी रिपोर्टमें

सीसोदिया राजपूतोंकी एक शाखाका नाम 'हुल' लिखा गया है। इससे इतना अवश्य सिद्ध होता है कि यह नाम पहिले प्रचलित था और इस समय भी प्रचलित है (१८९१ और १८९५ का हिन्दी विवरण, भाग ३ पृष्ठ ६ देखिये) । यद्यपि यह गुहिलोतोंकी एक शाखाका नाम कहा गया है, किन्तु यह एक स्वतन्त्र घराना भी हो सकता है। कुछ भी हो, चन्दकी सूचीमें 'हुल' है, 'हूण' नहीं और उदयपुरके पुस्तकालयकी रासोकी प्रतिमें यह पाठ हमने स्वयं देखा है। मुसलमानोंसे युद्ध करते समय बाप्पारावल अथवा खोम्मालणको जिन घरानोंके लोगोंने सहायता दी थी, उनमें हुल और हूण दोनोंका उल्लेख है। इससे अधिक स्पष्ट रूपसे सिद्ध होता है कि हुल हूण नहीं हैं (टाड-राजस्थान, क्रुक्र-संस्करण भाग १ पृष्ठ ९०) । मेवाड़के गुहिलोतोंको सहायता पहुँचानेवाले दलोंकी सूचियाँ यद्यपि बहुत वर्षोंके पश्चात् तैयार की गयी हैं, फिर भी उनसे यह निश्चित हो जाता है कि हुल और हूण दोनों भिन्न हैं ।

टिप्पणी—राजपूत शब्दका अर्थ ।

वैदिक आर्यवंशोद्भव कुलीन क्षत्रिय होनेका राजपूतोंको अभिमान है। आर्य-बौद्ध समयमें बहुतसे क्षत्रियोंने आर्यधर्म और आचारोंको छोड़कर बौद्ध धर्मका स्वीकार कर लिया था। इस कारण दुर्भाग्यसे हिन्दू लेखकोंने भी कुछ तो दुराग्रह और कुछ अज्ञानसे अपना यह मत प्रकट करनेमें कसर नहीं रखी कि राजपूत शुद्ध क्षत्रिय नहीं हैं। यही नहीं, कलियुगमें बाह्यण और शूद्रोंका ही अस्तित्व रहेगा तथा क्षत्रिय और वैश्योंका लोप होजायगा, इस आशयके वचन पुराणोंमें मिला देनेसे भी वे नहीं हिचके। (क्षत्रियोंकी अपेक्षा वैश्य अधिक बौद्धधर्मावलम्बी हुए थे।) इस सम्बन्धमें पाश्चात्य विद्वानोंके जो विरुद्ध मत हैं, उनका खण्डन कर देनेके अनन्तर हिन्दुओंके धार्मिक ग्रन्थोंमें बादमें जोड़े गये वचनोंका महत्व कितना है और राजपूत शब्दका सच्चा अर्थ क्या है, इसका विचार करना भी आवश्यक है।

इसमें सन्देह नहीं कि पुराणोंके उक्त वचनोंका महत्व कौड़ी बराबर भी

नहीं है। ऐतिहासिक दृष्टिसे देखने पर तो स्पष्ट ही ज्ञात होता है कि वे ऊपरसे किसीने मिला दिये हैं। यह प्रक्षिप्त भाग क्षत्रियोंसे गतसर होनेके कारण नहीं, किन्तु दुराग्रह अर्थात् बौद्धधर्मसे वैर होनेके कारण लिखा गया है। पुराने अनेक उल्लेखोंसे ज्ञात होता है कि 'राजपूत' शब्द नया नहीं है। वह नवीं शताब्दी (वि० ८५८-९५७) में ही पहिले पहिले प्रयुक्त नहीं हुआ, किन्तु बहुत प्राचीन समयसे प्रचलित है और अच्छे अर्थमें ही प्रयुक्त होता आया है। शब्दोंके कभी कभी दो अर्थ होते हैं, एक भला और दूसरा बुरा। स्मरण रहे कि बुरा अर्थ पीछेसे किया जाता है। इसके अनेक उदाहरण दिये जा सकते हैं। ब्राह्मण शब्दको ही लीजिये। प्रथम यह उस उच्चारणका निदर्शक था, जो ब्रह्म अथवा वेदोंका परिपालन करता था, किन्तु आजकल पानीपांड़े या रसोइयेका निदर्शक हो रहा है। एक हिन्दी कहावत (?) में ब्राह्मणके पर्याय शब्द बाबरची, भिखारी, भिखारी और भांडू, इस प्रकार कहे गये हैं। इसी तरह 'राजपूत' शब्द क्षत्रियोंकी अनौरस सन्तान अथवा भिन्न वर्णकी स्त्रीसे उत्पन्न हुई सन्तानके लिए कहीं कहीं प्रयुक्त हुआ है, किन्तु इसका मूल अथवा सामान्य अर्थ यह नहीं है।

अलवरमें हमसे कहा गया कि पराशरस्मृतिमें कहे अनुसार (वैश्या-दम्बष्ठ कन्यायां राजपुत्रः प्रजायते) असवर्ण विवाहसे उत्पन्न हुई सन्तान 'राजपूत' कहाती है। आरम्भमें ही यह कह देना आवश्यक है कि उक्त पंक्ति पराशरस्मृतिमें कहीं नहीं है। यदि किसी प्रतिमें यह पायी गयी हो, तो उसे प्रक्षिप्त जानना चाहिये। पराशरस्मृतिका यह वचन नहीं है, इसके अनेक प्रमाण हैं। शूद्रकमलाकरके रचयिताके मतसे शूद्रासे उत्पन्न हुई क्षत्रिय सन्तान 'उग्र' कहाती है और उसीको भाषायें राजपूत कहते हैं (अर्थात् राजपूत इति भाषायां प्रसिद्धः)। यह मत अमात्मक है, परन्तु इससे सिद्ध होता है कि पराशरस्मृतिका उक्त वचन प्रक्षिप्त है। ❧

❧ पराशरस्मृति कलियुगके लिए लिखी गयी है। यदि कलियुगमें क्षत्रियोंका अस्तित्व नहीं है, यह प्रतिपादन करनेका उसका उद्देश्य होता, तो उसमें क्षत्रियोंके लिए स्वतन्त्र नियम न लिखे जाते।

हिन्दी भाषा जहाँ प्रचलित है, वहाँके लोग जानते हैं कि राजपूत शब्द कभी कभी राजाओं अथवा सरदारोंके अनौरस पुत्रोंके लिए प्रयुक्त होता है, परन्तु यह उसका सामान्य अर्थ नहीं है । महाभारतके समयमें वह अच्छे अर्थमें प्रयुक्त होता था । महाभारतमें वह साधारणतया क्षत्रिय वाचक है + और कहीं कहीं साधारण क्षत्रियोंके लिए नहीं, किन्तु राज-कुलके क्षत्रियोंके लिए प्रयुक्त हुआ है । कभी कभी इस बातपर जोर दिया जाता है कि अमरकोशमें क्षत्रियवाचक राजपुत्र शब्द ही नहीं है, परन्तु अमरकोशमें समस्त शब्दोंका संग्रह ही कहाँ हुआ है ? इसके अतिरिक्त किसी कोशमें कोई शब्द न लिखा हो तो क्या यह सिद्ध किया जा सकता है कि उस शब्दका अस्तित्व ही नहीं है अथवा वह विशिष्ट अर्थमें प्रयुक्त ही नहीं होता है ? मृत भाषाओंके शब्दोंके अर्थ साहित्यके प्रयोगोंसे ही निश्चित किये जाते हैं । महाभारतमें सैकड़ों जगह राजपूत शब्द क्षत्रियोंके लिए प्रयुक्त हुआ है । कुछ ऐसे भी श्लोक उद्धृत किये जा सकते हैं, जिनमें राजपूत शब्दका प्रयोग सच्चे क्षत्रियोंके लिए ही नहीं, बहुत ऊँचे अर्थमें किया गया है । उदाहरणार्थ, शान्तिपर्वके ६४ वे अध्यायका यह श्लोक देखिये—

भैक्ष्यचर्या ततः प्रादुस्तस्य (शूद्रस्य) सद्धर्मचारिणः ।

तथा वैश्यस्य राजेन्द्र राजपुत्रस्य चैव हि ॥

त्रिराट् पर्वमें द्रौपदीको कई स्थानोंमें 'राजपुत्री' कह कर सम्बोधन किया है । यहाँ यह शब्द राजकन्यावाचक नहीं, किन्तु अभिजात क्षत्रिया-सूचक है । सातवीं शताब्दीके भवभूति कविने कौशल्याके लिए इसी शब्दका प्रयोग, केवल राजकन्याके अर्थमें नहीं, किन्तु कुलीन क्षत्रियाके अर्थमें किया है । बाण कविने हर्षचरितमें राजपूत शब्दका प्रयोग क्षत्रिय जातिके सैनिकके लिए किया है ।

यह भी कहा जा सकता है कि यद्यपि पाणिनिने 'राजपुत्र' शब्दका

+ एते रुक्मरथा नाम राजपुत्रा महारथाः । रथेष्वास्त्रेषु निपुणा जामेपु च विशांपते ॥ २० ॥ द्रोणप, अ० ११२ ।

प्रयोग किया है, परन्तु उसका अर्थ 'राजन्य' शब्दसे भिन्न है। पाणिनि-का वह सूत्र महत्वका है और उससे सिद्ध होता है कि उनके समयमें 'राजपुत्र' शब्द प्रचलित था। सूत्रमें वह मूल अर्थमें प्रयुक्त नहीं हुआ है। विशेष अर्थमें वह रूढ़ था, ऐसा जान पड़ता है। सूत्र इस प्रकार है—
 "गोत्राक्षाष्टोरभराजराजन्यराजपुत्र—वत्समनुष्याजादुवुज् ।" (४-२-४१)
 यह सूत्र "तस्य समूहः" (४-२-३७) इस सूत्रके बादका है। इसका अर्थ है—जब समूह व्यक्त करना हो, तब सूत्रके शब्दोंके साथ वुज् अथवा क प्रत्यय जोड़ा जाय। यथा—राजक अर्थात् राजमण्डल अथवा राजाओंका समूह, राजन्यक अर्थात् राजन्य अथवा क्षत्रियोंका समूह और राजपुत्रक अर्थात् राजपूतोंका समूह। यहाँ 'राजन्य' और 'राजपुत्र' के भिन्न अर्थोंमें ही प्रयुक्त होनेकी कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि पाणिनिकी शब्दोंसे प्रयोजन है, उनके अर्थोंसे नहीं। यहाँपर 'राजपुत्र' शब्द राजाका पुत्र इस अर्थमें नहीं बरता गया है, क्योंकि 'राजाके पुत्रोंका समूह' इसका कोई अर्थ नहीं होता है। 'राजाओं मात्रके पुत्र' यह अर्थ हो सकता है और फिर 'अनेक राजपुत्रों अथवा विभिन्न राजपुत्रोंका समूह' इस प्रकार शब्द-प्रयोग किया जा सकता है। सारांश, राजपुत्र शब्द मूलार्थ अथवा बुरे अर्थमें ही प्रयुक्त होता है, यह इस सूत्रसे सिद्ध नहीं होता। किंबहुना, यह शब्द राजन्य अथवा क्षत्रियके ही नहीं, किन्तु इससे भी उच्च, अभिजात क्षत्रिय,—केवल राजाके वर्ण या जातिके ही नहीं, साक्षात् राजकुलोत्पन्न पुरुष,—के अर्थका निदर्शक है। महाभारतमें राजन्य अथवा सामान्य क्षत्रियके अर्थमें, और कई स्थानोंमें ऊपर बताया हुआ अर्थमें भी, यह प्रयुक्त हुआ है।

पाणिनिके व्याकरण और महाभारतसे यह तो अवश्य ही प्रमाणित हो जाता है कि यह शब्द पुरातन है और हजारों वर्षोंसे प्रचलित है। (अतः यह कहना ठीक नहीं, जैसा कि कुछ लोग कहते हैं, कि पहिले पहिल यह नवीं शताब्दीमें प्रचलित हुआ।) इसका अर्थ भी अनौरस अथवा सङ्कर-से उत्पन्न हुआ पुत्र हो नहीं सकता। वाणके हर्षचरितमें यह क्षत्रिय (कुलीन) अर्थमें ही प्रयुक्त हुआ है। वाणके बरतनेसे ही इसकी प्राचीनता सिद्ध होती है। इस शब्दका महत्त्व ईसाकी नवीं, दसवीं अथवा ग्यारहवीं

सदीमें इतना क्यों बढ़ा, यह बात निम्नलिखित विवेचनसे ध्यानमें आ जायगी । भारतसे बौद्धधर्मके उठ जानेपर क्रमशः जाति-बन्धन दृढ़ होते गये । इस पुस्तकके तीसरे भागमें दिखाया जायगा कि मध्ययुगीन भारतीय इतिहासके तीसरे काल-विभागमें विभिन्न जातियोंके परस्पर सम्बन्ध विच्छिन्न हो गये थे । यहाँ इतना कह देना पर्याप्त होगा कि उस समय हर एक जातिके लोगोंने अपना क्षेत्र इतना मर्यादित कर लिया था कि वे विशुद्ध और सांकर्यहीन धरागोंसे ही विवाह-सम्बन्ध करते थे । इस पुस्तकके पहिले भागमें हुप्पुनसंगके ग्रन्थके जो अवतरण दिये हैं, उनसे यह निश्चित हो जाता है कि सातवीं सदीमें क्षत्रिय वर्णके अनेक राज-घराने विद्यमान थे, परन्तु सैकड़ों क्षत्रियोंने बौद्धधर्मका स्वीकार कर लिया था और वे क्षत्रियोंके आर्यसंस्कारोंको भूल गये थे । ऐसे लोगोंका उस समय कड़ा बहिष्कार किया था । सुदूर प्रान्तोंके विभिन्न धरानोंके विशुद्ध होनेमें सन्देह होने लगा; इस कारण क्षत्रियोंमें ही नहीं, ब्राह्मणों और वैश्योंमें भी प्रान्त-भेदसे उपजातियाँ निर्माण करनेकी प्रवृत्ति बढ़ने लगी । ग्यारहवीं सदीमें जितने भूभाग प्रधानतया क्षत्रिय बसे थे, उसी में 'राजपूत' शब्द बरता जाने लगा । उस समयके लोगोंकी स्मृति द्वारा जो लोग किसी क्षत्रिय राजासे हुआ अपना सम्बन्ध सिद्ध कर सके और बौद्ध अथवा अन्य विदेशी सत्ताके पाले पड़नेसे पूर्व परंपरा नष्ट हो जानेके कारण भाटोंकी आख्यायिकाओंपर ही जो निर्भर नहीं थे, उन्हींको क्षत्रि-गत्वका मान मिला । इसीसे राजपुत्र शब्दका भी महत्त्व बढ़ा । फिर छत्तीस क्षत्रिय राजघरानोंकी सूची प्रचलित हुई और उन्हीं घरानोंमें परस्पर-विवाह सम्बन्ध करना प्रशस्त समझा जाने लगा । वे घराने प्रधानतया वर्तमान राजपूताना और मध्यभारतमें जुट गये थे, इसमें आश्चर्यकी कोई बात नहीं है, क्योंकि हुप्पुनसंगके समयमें भी उक्त प्रान्तमें हिन्दूधर्मका प्राबल्य था और बौद्ध धर्मका विशेष प्रचार नहीं हो सका था । धर्मस्थिति बताने वाले उस मानचित्रको देखनेसे, जो इस पुस्तकके पहिले भागके साथ जोड़ा गया है, यह बात अधिक अच्छी तरह समझमें आ जायगी । उक्त प्रान्तके बाहर जो क्षत्रिय अथवा मराठे थे, उनके क्षत्रि-

यसमें लोगोंको सन्देह था, इस कारण बंगाल और दक्षिणके क्षत्रियोंसे मध्यभारतके क्षत्रियोंका सम्बन्ध दृढ़ता ही गया । जिन राजपूतोंके कारण मध्यभारत राजपूताना कहा जाने लगा, उनकी परम्परा ईसाकी सातवीं या आठवीं सदीसे लेकर आजतक सुश्रुत है । यद्यपि यह बात कुछ विचित्र-ली प्रतीत होती है पर है यह सत्य कि नवीं सदीके अथवा बारहवीं सदीके एक ही सूत्र पुरुषके ऐसे हजारों वंशज आज विद्यमान हैं । राज-पूतोंने अपने वंशोंकी विशुद्धताकी रक्षाके लिए जितना प्रयत्न किया, उतना भारतकी किन्नी भी जाति, यहाँतक कि ब्राह्मणोंतकने या संसार-के किसी भी देशके लोगोंने नहीं किया है ।

यद्यपि राजपूतोंने लगभग एक सठस्र वर्षतक अपने वंशोंकी पूर्ण विशुद्धताकी रक्षा बड़ी सावधानीसे की थी, फिर भी पुराणोंमें जो यह लिखा गया कि कलियुगमें ब्राह्मण और शूद्र इन दोही वर्गोंका अस्तित्व है, इसका रहस्य समझमें नहीं आता । इसका बुरा प्रभाव स्मृतिवचनोंके टीकाकारोंपर भी पड़ा । इस पुस्तकके पहिले भागमें धर्मस्थितिदर्शक जो मानचित्र दिया गया है, उससे यह उलझन सुलभ जाती है । धर्मशास्त्रके टीकाकार और नियन्त्र-लेखक दक्षिण और पूर्वके थे और दक्षिण, पूर्व तथा उत्तर भारतमें बौद्धधर्मकी प्रचलता थी । इस कारण जातियोंको जब निश्चित और फ़ोर स्वरूप प्राप्त हुआ, तब दक्षिणके क्षत्रियों (वराठों) और पूर्व तथा उत्तरके क्षत्रियोंका मध्यभारतके क्षत्रियोंसे सम्बन्ध-विच्छेद हो गया । बंगाल और अवधके 'खस' क्षत्रियोंके साथ उत्तरकी 'भंगोलि-यन' जातिके और महाराष्ट्र तथा मद्रासके क्षत्रियोंके साथ द्राविडी राज-कुलोंके विवाह-सम्बन्ध हुए थे, इस कारण राजपूताना और मध्यभारतके क्षत्रियोंने उन्हें अपनेसे पृथक् कर दिया । वर्तमान समयमें भी दक्षिण और पूर्वके क्षत्रियोंके साथ विवाह-सम्बन्ध करनेमें वे सहमत नहीं हैं ।

अधिकांश ब्राह्मण बौद्धधर्मावलम्बी नहीं हुए थे । वेद, वैदिक संस्कारों और आचारोंको वे भूले नहीं थे । किन्तु क्षत्रियों और वैश्योंने हजारोंकी संख्यामें बौद्धधर्म ग्रहण कर लिया था और वैदिकधर्मसे उनका सम्बन्ध दृढ़ गया था । बौद्धधर्मका ह्रास होनेपर जब वे हिन्दूधर्ममें

लौट आये, तब वे अपने गोत्र तक भूल गये थे । गायत्री तकका ज्ञान उन्हें नहीं रह गया था । इसीसे वे शूद्रोंके समाज माने जाने लगे । परन्तु क्षत्रियोंके कुछ आचार उनमें बच रहे थे और क्षत्रियों तथा वैश्योंकी विशिष्टता भी उनमें विद्यमान थी । बौद्धधर्मका उच्छेद होनेपर पुराग्रही ब्राह्मणोंने प्राचीन समयमें वैदिक यज्ञ करनेवाले पुलकेशी आदिके वंशजोंको भी क्षत्रिय नहीं माना । समय पाकर यह धारणा दृढ़ हो गयी कि कलिद्युगमें ब्राह्मण और शूद्र ही बच रहे हैं । यह पुराणोंके 'कलावाचन्तयोः स्थितिः' इस वचनके रूपमें प्रकट हुई । यह निश्चित नहीं किया जा सकता कि यह कबसे चल पड़ी, किन्तु अनुमानतः इसका आरम्भकाल दसवीं शताब्दी (वि० ९५८-१०५७) और उत्पत्ति-स्थान पूर्व अथवा दक्षिण देश है । गौतमीपुत्रके ईसाकी पहली शताब्दी (वि० ५८-१५७) के नासिकवाले एक शिलालेखमें लिखा है—“खतिय दपमान दमनस्त” अर्थात् जिसने क्षत्रियोंका गर्व खर्व किया था ।’ इससे स्पष्ट है कि ईसाकी पहिली शताब्दीतक क्षत्रियोंके अस्तित्वमें किसीको सन्देह नहीं था (इ० ए० पृष्ठ ३७) । कनिङ्गहमने कहा है कि इस लेखमें उल्लिखित क्षत्रिय राजपूताणा, गुजरात और मध्यभारतके राजा थे । परन्तु यह अम्र है, क्योंकि उक्त प्रान्तोंपर गौतमीपुत्रने कभी चढ़ाई नहीं की । इस विशेषणका अर्थ यह है कि गौतमीपुत्र शातकर्णाने, जो शूद्र था और धनकटकमें रहता था, दक्षिणके ही क्षत्रियोंका मदमर्दन किया । उस समय दक्षिणमें राष्ट्रकूट आदि क्षत्रिय थे । ईसाकी पहिली शताब्दी (वि० ५८-१५७) में क्षत्रियोंको खोजनेके लिए वर्तमान राजपूतानेमें दौड़ जानेकी आवश्यकता नहीं थी । केवल द्रुपदसंगने ही नहीं लिखा है कि उस समय काँचीके पल्लव और बादामीके चालुक्य विद्यमान थे जो क्षत्रिय थे, वरन् उन क्षत्रियोंके शिलालेखों और ताम्रपत्रोंमें भी उनके अधमेधादि वैदिक यज्ञोंके करनेका उल्लेख है और उनमें उन्होंने अपने आपको क्षत्रिय कहा है । उदाहरणार्थ, मंदुराके देवालयकी दीवारपर जो लेख खुदा है उसमें 'श्री क्षत्रबूढामणिः' यह विशेषण आया है । अतः क्षत्रियोंका अस्तित्व कलि-युगमें नहीं है, यह कल्पना सातवीं सदीतक उदित नहीं हुई थी ।

ऐसा प्रतीत होता है कि कुमारिल भट्टके समय (ई० स० ६००-७०० वि० ६५७-७५७) में 'कलावाचनयोः स्थितिः' इस वाक्य या कल्पनाक अस्तित्व नहीं था। 'राजा' शब्दका अर्थ क्षत्रिय ही लिया जाय या औ कुल, इस विवादमें 'जो राज्य करे, वही राजा' ऐसा 'राजा' शब्दका अर्थ का कुमारिलने अपने वार्तिकमें लिखा है—“तच्च राज्यमविशेषेण चत्वारोऽपि वर्णाः कुर्वाणा दृश्यन्ते”। इससे स्पष्ट है कि कुमारिलके समयमें चार वर्णोंके राजा राज्य करते थे और कलियुगमें क्षत्रिय-वैश्योंका अस्तित्व नहीं है, यह मत प्रचलित नहीं था। विवादके निर्णयमें भी 'राजा' शब्दसे क्षत्रिय राजा ही स्वीकार किया गया है। अतः कुमारिलके समयमें क्षत्रिय राजाओंका अस्तित्व मान्य था। निम्नलिखित भाष्यकार शबरके लेखसे ज्ञात होता है कि तब महाराष्ट्रमें भी मराठा क्षत्रिय थे। वह लेख इस प्रकार है—“ननु जनपद-पुररक्षणवृत्तिमनुपजीवत्यपि क्षत्रिये राज शब्दमान्धाः प्रयुज्यन्ते।” अर्थात् यदि यह कहा जाय कि जो राज्य करे, वही राजा है, तो प्रान्त और नगरका रक्षण करना जिनका व्यवसाय नहीं है, उन क्षत्रियोंके लिए भी आन्ध्र लोग राजा शब्दका व्यवहार करते हैं। सामान्य क्षत्रिय भी राजा कहे जाते हैं, शबरके इस वचनपर कुमारिलने लिखा है—“दाक्षिणात्यसामान्ध्रेनान्ध्रानामिति भाष्यकारेणोक्तम्,” सर्वसाधारण दाक्षिणात्योंको भाष्यकारने आन्ध्र कहा है। शबरका समय लगभग ई० स० ४०० (वि० ४५७) और कुमारिलका ७०० (वि० ७५७) है। कुमारिलके समयमें आन्ध्रोंकी रीति-नीति दाक्षिणात्योंमें प्रचलित थी। कुमारिलने जहाँ तहाँ 'दाक्षिणात्य' शब्दका उपयोग महाराष्ट्रियोंके लिए किया है। कुमारिलके समयमें 'महाराष्ट्र' यह देशका और 'मराठा' यह वहाँके निवासियोंका नाम प्रचलित नहीं था। (पहिले भागमें हम लिख चुके हैं कि वराहमिहरीक बनायी देशोंकी सूचीमें महाराष्ट्रका उल्लेख नहीं है।) फिर कुमारिलके समयमें आन्ध्रसत्ता महाराष्ट्रमें नहीं थी, शबरके समयमें थी, ऐसा अनुमान होता है। अस्तु, दाक्षिण और आन्ध्र-महाराष्ट्रमें उस समय क्षत्रिय थे और राज्याधिकारी न होनेपर भी वे राजा कहे जाते थे, यह उक्त वचनोंसे सिद्ध होता है। सारांश, कलि-

युगमें क्षत्रिय नहीं हैं, यह मत धर्मशास्त्रज्ञ कुमारिलको ज्ञात नहीं था । इसकी उत्पत्ति कुमारिलके पश्चात् (ई० स० ७०० = वि० ७५७ के पश्चात्) हुई है, यह निश्चित है ।

उक्त वचनका खण्डन कलियुगके ही लिए बनी हुई पराशरस्मृतिमें हो गया है । इस स्मृतिमें क्षत्रियों और वैश्योंके लिए कुछ नियम लिखे हैं । यदि कलियुगमें क्षत्रियों और वैश्योंका अस्तित्व ही न होता, तो उनके लिए स्वतन्त्र नियम क्यों बनाये जाते ? इस स्मृतिमें क्षत्रिय-वैश्योंके लोपकी कल्पना नहीं है । इसका समय ईसाकी सातवीं अथवा आठवीं शताब्दीके आसपास है । इससे यह अनुमान किया जा सकता है कि आठवीं शताब्दीतक इस कल्पनाका उदय नहीं हुआ था । ऐसा प्रतीत होता है कि पराशरस्मृति दक्षिणमें लिखी गयी थी, क्योंकि उसमें सेतु-तीर्थकी पवित्रताका विशेष वर्णन है । चाहे वह दक्षिणमें लिखी गयी हो या उत्तरमें, कलियुगमें क्षत्रियोंके लोप होनेकी कल्पना उसमें नहीं है ।

‘शूद्रकमलाकर’ की रचना एक दक्षिणी ब्राह्मणने काशीमें की है । अतः उसके अभिप्रायोंका पूर्व और दक्षिण भारतकी कल्पनाओंके अनुसार होना स्वाभाविक है । जहाँ राजपूत शब्द विशेष प्रचलित हुआ, उस मध्यभारतके क्षत्रिय दक्षिण और पूर्वके क्षत्रियोंको नहीं और दसवीं सदी ई० तक हीन नहीं समझते थे, इसके पश्चात् वे ऐसा समझने लगे । नवीं और दसवीं शताब्दीमें दक्षिण-पूर्वके क्षत्रियोंसे उनके विवाह-सम्बन्ध होते थे, इसके अनेक प्रमाण मिलते हैं । अतः क्षत्रिय-वैश्योंके लोपकी कल्पना दसवीं शताब्दीके पश्चात् दक्षिण या पूर्वमें उद्भूत हुई थी । धर्मशास्त्रके लेखकोंने उसका अङ्गीकार किया और व्यवहारमें भी वह प्रचलित हो गयी । जिन राजपूतोंको अपनी विशुद्धताके सम्बन्धमें अभिमान था और श्रवतक है, उन्हें भी उक्त लेखकोंने ‘उग्र’ कह डाला और आगे चलकर यह मत भी प्रचलित हो गया कि क्षत्रियोंके अपने गोत्र नहीं, उन्हें पुरोहितोंके गोत्र स्वीकार करने चाहिये । इस सम्बन्धमें अधिक विवेचन करनेकी आवश्यकता नहीं है । अन्तमें हमें यही कहना है कि क्षत्रिय उग्र हैं, यह वचन ठीक नहीं है । कलियुगमें क्षत्रिय नहीं रहेंगे, इस कल्पनाके आधार-

पर इस वचनकी रचना हुई है। ऐतिहासिक दृष्टिसे 'कलावाद्यन्तयोः स्थितिः' यह वचन प्रक्षिप्त है। यदि प्रक्षिप्त न हो, तो उसका यह अर्थ किया जा सकता है कि कलिका अन्त होते होते क्षत्रियोंका लोप हो जायगा। इस समय इस वचनकी ओर ध्यान देनेकी आवश्यकता नहीं। हमें जानना ही पड़ता है कि अभी क्षत्रियोंका अस्तित्व है, उनमें राजपूत अत्यन्त विशुद्ध हैं और राजपूत ही कुलीन क्षत्रिय हैं।

काशीके सुभसिद्ध भट्टकुलोत्पन्न कमलाकरभट्टने अपने बनाये 'शूद्र-कमलाकर' में 'कलावाद्यन्तयोः स्थितिः' इस वचनको 'पुराणान्तरेष्वपि' कहकर उद्धृत किया है। किस पुराणका यह वचन है, इसका उल्लेख उन्होंने नहीं किया। कमलाकरभट्ट और उनके पिता^७ कलियुगमें क्षत्रिय-वैश्योंका अस्तित्व मानते हैं। 'शूद्रकमलाकर' के अन्तमें निम्नलिखित वाक्य हैं—

“ननु कलौ क्षत्रियवैश्याभावः उक्तो भागवते एकादशस्कन्धे—
इक्ष्वाकूणामयं वंशः सुमित्रान्तो भविष्यति । यतस्तं प्राप्य राजानं
संस्थां प्राप्स्यति वै कलौ ॥ देवापिषांगमास्थाय कलापग्राममाश्रितः ।
सोनवंशे कलौ नष्टे कृतादौ स्थापयिष्यति ॥ इति ॥ द्वादशस्कन्धेऽपि—
देवापिः शान्तगोभ्राता मरुक्षेक्ष्वाकुवंशजः । कलापग्राममासाते महायोग-
बलान्वितौ ॥ तत्रिहेत्य कलेरन्ते वासुदेवानुशिक्षितौ । वर्णाश्रमयुतं
धर्मं पूर्ववत्प्रथयिष्यतः ॥ “विष्णुपुराणेऽपि—सहायपतिर्नन्दः क्षत्रविनाश-
कृत् ।” नन्दश्च कलेरादौ परीक्षितोरनन्तरं जातः । × × पुराणान्तरे
ष्वपि—“ब्राह्मणाः क्षत्रिया वैश्याः शूद्रावर्णास्त्रयोः द्विजाः । युगे युगे
स्थिताः सर्वे कलावाद्यन्तयोः स्थितिः ॥” अतः कथं द्विज संकरजाः उक्ताः ।
मैवम् । “कलौच दीजभूतास्तु केचित्तिष्ठन्ति भूतले ।” इति विष्णुपुराणात् ।
“ग्रहाक्षत्रं विशाः शूद्रा वीजार्थं य इहस्थिताः । कृते युगे तु तैः सार्धं

^७ ये पिता-पुत्र उन्हीं गागाभट्टके वंशज थे जिन्होंने छत्रपति श्रीशि-
वाजी महाराजका राज्याभियेक किया था। ये स्वयं परम विद्वान् थे
और इनका बराना शिष्टताके कारण अत्यन्तप्रसिद्ध है।

निर्विशेषस्तदाभवत् ॥” इति मान्स्वोक्तेश्च प्रच्छन्नरूपाः स्वकर्मभ्रष्टाः क्षत्रियवैश्याः कलियुगे सन्त्येव कचिदित्यस्तिपत्तृचरणाः ।”

इस अवतरणसे गाथाभट्टने श्री शिवाजी महाराजका राज्याभिषेक कैसे किया, यह प्रश्न हल हो जाता है । बीज रूपसे क्षत्रिय-वैश्य वर्तमान हैं, तभी सत्ययुगके आरम्भमें वे फिर उदित होंगे । बीजके नष्ट होने पर उनका अस्तित्व कैसे रहना ? गहरा विचार करनेपर यह भी देख पड़ेगा कि वर्तमान समयमें ब्राह्मण भी प्रच्छन्नरूप स्वकर्मभ्रष्ट बीज रूप ही हैं । बीजकी विशुद्धताकी रक्षा कलना ही महत्त्वकी बात है । अस्तु ।

पुनश्च—‘कलाघायन्तयोः स्थितिः’ इन वाक्यकी उत्पत्ति कहाँ हुई, और किस ग्रन्थका यह वाक्य है, इसका हमने बहुत पता लगाया, पर अबतक हम अपने प्रयत्नमें सफल नहीं हो सके हैं । पूनाके सुप्रसिद्ध मीरासाशास्त्र-भाष्यज्ञ श्री किंजवड़ेकर शास्त्रीने इसकी उत्पत्तिका स्थान इस प्रकार बताया है—‘पतञ्जलिके महाभाष्यमें—‘प्राज्ञेन निष्कारणो वेदो षडङ्गोऽध्ययोज्ञेयश्च’ यह वाक्य है । भाष्यके टीकाकार कैट्यटने इसपर कुछ नहीं लिखा है; किन्तु कैट्यटकी टीकापर नागोजी भट्टने जो टीका की है, उसमें वे लिखते हैं—‘प्राज्ञेनेत्युक्तेरन्यस्यैवप्रध्ययनं कार्यमेवेति सूचयतीति कश्चित्’ यहाँ भी भट्टजीने अपना नहीं, ‘कश्चित्’ का मत दिया है । इसपर बाईके श्री वैद्यनाथ महादेव पायगुण्डेको छाया इस प्रकार है ‘अत्रारविबीजम् । तयोर्निष्ठाध्ययनविधायकस्मृत्यन्तरादि विरोधापत्तिरिति । तस्माद्ब्राह्मणपदं त्रैवर्गिकोपलक्षणमिति बोध्यम् । क्षत्रियस्यच वैश्यस्यच साङ्गवेदाध्ययनं ज्ञानं चेत्यर्थः । वस्तुतस्तु कलौ क्षत्रियस्याभावं सूचयितुं तथोक्तमिति यथाश्रुतमेवतत्साधु । तथा च—

कलौ न क्षत्रियाः सन्ति कलौ नो वैश्यजातयः ।

प्राज्ञाद्यश्चैव शुद्रश्च कलौ वर्णद्वयं स्मृतम् ॥ इति स्मृतिरितितत्वम् ।” अर्थात् ‘कश्चित्’ शब्दसे यही स्पष्ट होता है कि ग्रन्थकारको उस मतसे अकचि है । अथवा वह मत उसे प्राज्ञ नहीं है । कारण भी स्पष्ट है । स्मृतिशास्त्रने क्षत्रिय वैश्यों सहित त्रैवर्गिकोंको वेदाध्ययनका अधिकार दे रखा है । उससे इस मतका मेल नहीं बैठता । ‘प्राज्ञाण’ शब्द भाष्य-

कारने त्रैवर्णिकोंके लिए प्रयुक्त किया है और इसीसे क्षत्रियों तथा वैश्यों को भी वेदाध्ययन और वेद-ज्ञानका अधिकार है । (यह नागोजी भट्टका मत है, वास्तवमें कलियुगमें क्षत्रियोंका अस्तित्व नहीं है, यह सूचित करनेके लिए भाष्यकारने ऐसा लिख दिया, जो, जैसा सुना ही जाता है, ठीक है । आधार—“कलौ न क्षत्रियाः सन्ति” आदि स्मृतिवचन हैं, यह निश्चित है ।

पायगुण्डेकी छाया सहित महाभाष्य प्रकाशित करनेवाले शिवदत्त अपनी टिप्पणीमें लिखते हैं “श्रुतीनां कलियुगपरत्वकल्पनं न समञ्जसमिति त्रैवर्णिकानामुपलक्षणमित्येव युक्तम् ।”—श्रुति कलियुगसे रह नहीं होती, इसलिये ब्राह्मण शब्दको त्रैवर्णिकोंका ही उपलक्षण मानना उचित है ।

ऊपर दिये हुए अवतरणोंसे पाठकोंको इस बातका अनुमान हो जायगा कि मत किस तरह हलकोरा खाकर एकसे दूसरी दिशामें पहुँचते रहते हैं । इस विषयपर इतिहासदृष्ट्या हमारा मत इस प्रकार है—प्रारंभसे अशोक-कालतक अर्थात् लगभग ई० पू० २५० (वि० पू० १९३) तक—जब आर्यावर्तमें बौद्धधर्मका पूर्ण प्रसार हुआ—तीनों वर्णोंको वेदाध्ययनका अधिकार था और वे वेद पढ़ते भी थे । पर इस समय बहुतसे क्षत्रिय-वैश्य बौद्धधर्मां हुए और वेदको त्याग कर वेदविरोधी बन गये । अतः पतञ्जलिके समयमें ई० पू० १५० के लगभग ऐसी स्थिति थी जिससे वेदोंकी रक्षा करनेका भार अकेले ब्राह्मणोंपर ही आ पड़ा था । फलतः उन्होंने वस्तु-स्थितिके विचारसे, धर्मशास्त्रकी दृष्टिसे नहीं, “ब्राह्मणेन वेदाभ्येयः” लिख दिया । कैरगट ६०० ई० (वि० ६५७) के लगभग हुए । तबतक स्थिति वही थी, अतः उन्होंने कुछ न लिखा । इसके बाद कुमारिल, शंकराचार्य आदिके प्रयत्नसे बौद्धधर्म भारतवर्षसे नष्ट हुआ, क्षत्रिय विशेषतः राजपूत राजाओंने पूर्ववत् अपना अधिकार चलाया और कितने वेद भी पढ़ने लगे । तब नागोजी भट्टके पूर्व अर्थात् १००० से १४०० ई० (वि० १०५७-१४५७) तक यह मत प्रचलित रहा कि वेदाध्ययन—क्षत्रियोंका काम्य कर्म है । काशीके नागोजी भट्टने इस विषयपर प्रचलित मत मात्र दे दिया है, खुद कुछ भी नहीं कहा है । इसके बाद सारे हिन्दुस्थानपर मुसलमानोंके

राज्य हो गया, क्षत्रिय फिर वेदोंकी ओर दुर्लक्ष करने लगे, दक्षिणमें मराठे तो नितान्त वेदविहीन हो गये । तब १६०० ई० (वि० १६५७) के आसपास पायगुण्डेने “कलिमें दो ही वर्ण हैं” इस आशयके एक अप्रसिद्ध वचनके आधारपर आर्यकारके मूल वाक्यको ही ठीक ठहराया । वर्तमान कालमें जब त्रैवर्णिकोंकी वेदधर्ममें श्रद्धा है, तब शिवदत्तका तीनों वर्ण-वालोंको वेदाधिकार बताना उचित ही है । अतः इतिहासदृष्ट्या यह बात मान ली जा सकती है कि कलियुगमें दो ही वर्ण हैं, इस आशयका वाक्य १३०० से १६०० ई० (वि० १३५७-१६५७) के बीच किसी समय दक्षिण पूर्व प्रांतमें रचा गया ।

छठौं प्रकरण ।

राजपूतानेमें आर्योंकी बस्तियाँ ।

राजपूतों अथवा, उपयुक्त शब्दका व्यवहार करें तो, उनके वैदिक क्षत्रिय पूर्वजोंकी राजपूतानेकी बस्तियाँ अधिक प्राचीन नहीं । महाभारत और रामायण इन दोनों भारतीय प्राचीन महाकाव्योंमें ऐसी बस्तियोंका उल्लेख है । यह प्रान्त जलवायुकी दृष्टिसे आकर्षक न होनेके कारण बस्ती बसानेके लिए उपयुक्त भी नहीं है । जैसा कि पहले भागमें कहा जा चुका है, आर्य लोग प्रायः खेतीका धन्धा करते थे; अतः उन्हें स्वभावतः ही जंगली अथवा ऐसा प्रदेश प्रिय था जहाँ वर्षा न बहुत अधिक होती हो न बहुत कम, भूमि समतल और उपजाऊ हो । पश्चिमी राजपूतानेका रेतीला मैदान और पूर्वी राजपूतानेका पहाड़ी प्रदेश उनके बसनेके लिए उपयुक्त न था । ऐसी दशामें इस प्रान्तमें इतिहासपूर्व कालसे बहुत दिनोंतक केवल भिल्ल (भोल), आभीर (अहीर), और दूसरी

द्रविड़ मूलजातियोंकी ही बस्ती रहना आश्चर्यकी बात नहीं । चंद्रवंशीय अथवा दूसरी आर्य शाखाओंके साथ बाहर निकले हुए जो आर्य मथुरासे दक्षिणकी ओर बढ़ते गये, उन्होंने इस प्रान्तको वैसा ही छोड़ दिया और इसके नीचे उत्तर आनर्त एवं सौराष्ट्रके समतल और उपजाऊ प्रदेशोंमें बस्तियाँ बसायीं । महाभारतमें उल्लेख है कि जरासंधसे परेशान होकर स्वतः श्रीकृष्णने चन्द्रवंशीय आर्योंका प्यारा मध्यदेश त्याग दिया और द्वारका नगर बसाया । आनर्त (उत्तर गुजरात)का राजा बलरामका ससुर था अतः बहुत करके इसी कारण कृष्णकी दृष्टि इस प्रदेशकी ओर गयी होगी । इस प्रकार अर्वाचीन काठियावाड़ एवं गुजरातमें द्वारका और आनर्त आर्योंके प्रथम उपनिवेश हैं । अवश्य ही यहाँके आर्योंको जब जब मध्यदेश जाना पड़ता था, तब तब वे अर्वाचीन राजपूतानेसे होकर ही जाते थे, पर वे बड़े कष्ट और अनिच्छासे ऐसा करते थे । उदाहरणार्थ, महाभारतमें बलरामके सरस्वती नदीके किनारे किनारे पंजाब जानेका उल्लेख कर कहा गया है कि शूद्र आभीरोंके भयसे यह नदी राजपूतानेके रेगिस्तानमें अन्तर्धान होगयी । श्रीकृष्णकी परलोकयात्राके पश्चात् सौराष्ट्रके नये अधिवासियोंके कुटुम्बों और विधवाओंको मध्यदेश ले जाते समय अर्जुनको इन्हीं आभीरोंसे कष्ट पहुँचा था । इन लोगोंका निर्देश द्रुपद और म्लेच्छ शब्दोंसे किया गया है । श्रियुक्त भांडारकरने भूलसे इन शब्दोंका अर्थ क्रमसे सुटेरा और विदेशी किया है (देखिये भांडारकर लिखित “हिन्दुओंमें विदेशियोंका मिश्रण” लेख—इण्डियन ऐंटिकरी ४०) । वेदमें भारतके मूलनिवासियोंके लिए द्रुपद संज्ञा काममें लायी गयी है । म्लेच्छ माने केवल विदेशी ही नहीं होता, क्योंकि महाभा-

रतमें दक्षिणके द्रविड़ोंको भी म्लेच्छ कहा है । [म्लेच्छ माने ऐसे लोग जो संस्कृतका ठीक उच्चारण न कर सकते थे; चाहे वे विदेशी तूतानी, सिथिक (सीथियन ?) अथवा मूल-द्रविड़, कोई हों ।] अतः आभीर विदेशी नहीं, किन्तु मूलद्रविड़ वंशके थे और महाभारतकालमें, अर्थात् ई० पू० २५० (वि० १६३) के लगभग इस बालुकामय प्रदेशमें बसे हुए थे ।

महाभारतमें इस मरुदेशके विषयमें दो उल्लेख मिलते हैं । इस प्रदेशमें आर्योंने किस प्रकार बस्ती बसायी, यह बात स्वभूममें आ जानेके लिए उनकी खर्चा कर देना आवश्यक है । महाभारतके बाद श्रीकृष्ण जब द्वारकाको वापस जा रहे थे तो मरुदेशकी सीमापर उत्तंकने उन्हें रोका । संभवतः उत्तंक ही इस प्रदेशमें अपना आश्रम बनानेवाला पहला ब्राह्मण था । उसने श्रीकृष्णसे फरियाद की कि मुझे वहाँ बार बार गहरी प्यास लगना करती है और पानी थोड़ा ही मिलता है । श्रीकृष्णने उत्तर दिया कि जब प्यास लगे तब मेरा स्मरण करना, और उत्तंकने जब जब उनका स्मरण किया तब तब उन्होंने वहाँ बादल भेजे । उन बादलोंसे प्रचुर वर्षा होती और इस प्रकार उत्तंककी तृष्णा शांत हो जाती । उसी समयसे मरुप्रदेशमें गरमोके दिनोंमें भी मेघ आने लगे । इन मेघोंका नाम उत्तंक मेघ पड़ा (महाभारत-अश्वमेध पर्व) । दूसरी कथा यह है कि इस प्रदेशके धरातलसे उठनेवाले उष्ण वाष्प अथवा वायुसे भी उत्तंकको बड़ा कष्ट पहुँचता था । यह वायु इस प्रदेश अथवा सूखे हुए समुद्रकी बालुकाराशिके नीचे छिपे हुए धुंधु नामक राजसका श्वासोच्छ्वास माना जाता था । उत्तंकने अयोध्याके सूर्यवंशी राजा कुवलयश्वसे सहायता मांगी और वह प्राप्त हुई । कुवलयश्वने बालूको खोदवाकर उस राजसको दूँड

निकाला । उस राक्षसने अपने मुंहसे आगकी लपटें निकालीं, उनसे उतने ही क्षत्रिय जल मरे । पर अंतमें राजाके लाये हुए पानोसे वह आग बुझ गयी और उस दैत्यका अंत हुआ । तभीसे कुवलयाम्बिका नाम धुंधुमार प्रसिद्ध हुआ (वनपर्व—अध्याय २०४) । यही कथा महाभारतमें एक जगह और लिखी है और रामायणमें भी लिखी है । इससे जान पड़ता है कि यह कथा लोगोंको बहुत प्रिय लग रही थी । इससे यह अनुमान होता है कि मरुप्रदेशमें प्रथम बस्ती सूर्यवंशी क्षत्रियोंके नेतृत्वमें ही बसी होगी ।

रामायणमें भी, जो ई० पू० पहली शताब्दीकी रचना है, यही लिखा है कि इस भूभागमें उस समय भयावने आहीरोंकी बस्ती थी । युद्धकाण्डके बीसवें सर्गमें लिखा है कि जब रामने उद्धत दक्षिणसागरपर चलानेके लिए बाण उठाया, तब वह (समुद्र) मनुष्यशरीर धारण कर रामके सामने खड़ा हो गया । उसने उनसे क्षमा मांगकर प्रार्थना की कि 'आप यह बाण द्रुमकुल्य नामक मेरे उत्तर भागपर चलाइये, वहां आभीर प्रभृति बहुतसे लोग रहते हैं जो आकृति और कृति दोनोंसे ही क्रूर दस्यु हैं । वे मेरा पानी पी जाते हैं, उनका सास्त्रिभ्य अब मुझे सहन नहीं होता ।' तदनुसार रामने वह बाण उत्तर भागपर चलाया जिससे वह प्रदेश निर्जल हो गया । बाण जहाँ चँसा वहीं एक कुआँ बन गया । वह व्रणकूप नामसे प्रसिद्ध है । द्रुमकुल्य प्रदेश कौनसा है और यह व्रणकूप कहाँ है, यह बात निश्चयके साथ नहीं कही जा सकती । तथापि हिन्दू कवियोंने जो यह लिखा है कि राजपूताना संभवतः पूर्व समुद्रका भाग है, जो अब सूखकर धरातलमें रूपान्तरित हो गया है, और थोड़ेसे प्रसिद्ध कुओंको छोड़कर वहाँ जलका

अभाव है, वह भूगर्भशास्त्रकी दृष्टिसे भी बिल्कुल ठीक है । इस प्रांतको अकारण जो दण्ड दिया गया उसका विचार कर रामने इसे अत्यन्त उपजाऊ और आरोग्यकारक बना दिया । इस कथासे यह बात स्पष्टतः प्रकट होती है कि क्रूर और उजड़ू मूलनिवासियोंको जीतनेके अनन्तर ईसवी सन्के प्रारम्भमें (विक्रम संवत् ५७) के लगभग आर्य लोगोंने पहले पहल इस भागमें प्रवेश कर अपनी बस्ती कायम की होगी । इस प्रकार अधिवासका मार्ग उन्मुक्त हुआ । शीघ्र ही यह बात मालूम हो गयी कि मरुअरण्यकी धरती उर्वरा तथा जलवायु स्वास्थ्यप्रद है और वहाँ पशुपालन तथा हर तरहके अन्नको खेती करनेकी सुविधा है । संक्षेपमें यह कहा जा सकता है कि मरुदेशमें आर्योंकी पहली बस्ती बहुत करके ईसवी सन्के प्रारम्भमें (विक्रम संवत् ५७ के लगभग, कायम हुई होगी ।

पूर्वी राजपूतानेके पहाड़ी प्रदेशपर आर्योंने इसके पहले भी चढ़ाईयाँ की होंगी । कारण, महाभारतमें अजमेरका समीपवर्ती पुष्कर तीर्थ अखिल भारतमें अत्यन्त पवित्र कहा गया है । आज भी भारतमें जो तीन अत्यन्त पवित्र क्षेत्र हैं—पुष्कर, कुरुक्षेत्र और गंगा—उनमें वह भी है । पर यद्यपि पुष्कर सरोवरका पता बहुत प्राचीन कालमें लग गया था, फिर भी इस क्षेत्रका पुष्करारण्यमें होना बताया गया है । इससे यह अनुमान निकलता है कि दण्डकारण्यके सदृश पुष्करारण्य भी बहुत समयतक बिना बस्तीके था । यहाँ भी प्रारम्भमें केवल ब्राह्मणोंकी बस्ती स्थापित हुई होगी और फिर महाराष्ट्रकी भाँति बहुत कालके बाद क्षत्रियोंकी बस्ती बसी होगी ।

यमुनाके प्रदेश और गुजरातके बीच यातायातका आज जो मार्ग—राजपूताना रेलवेका मार्ग—है, वही प्राचीन कालमें भी रहा होगा। पुष्कर सरोवरके अनन्तर आबूके उत्तुंग शिखरने स्वभावतः ही लोगोंका मन अपनी ओर आकृष्ट किया होगा। चारों ओर जहाँ तहाँ छोटी छोटी पहाड़ियाँ और बीचमें इस ऊँचे पर्वतको देखकर प्राचीन आर्योंके मनमें उसके हिमालयके पुत्र होनेकी कल्पनाका उदय होना स्वाभाविक है। इस नैसर्गिक कान्यकल्पनासे ही चन्द्र-वर्णित अर्बुद पर्वतकी कथाकी उत्पत्ति हुई। वास्तवमें इस कथाका मुख्य भाग भी प्राचीनतामें महाभारतके बराबर है। वनपर्वके ८२वें अध्यायमें अर्बुद तीर्थका उल्लेख है और अर्बुद पर्वत हिमालयका बेटा बताया गया है। यह भी लिखा है कि पूर्वकालमें पृथ्वीमें एक बड़ा गहरा विवर था, उसे भरनेके लिए यह पर्वत उत्तरसे लाया गया। इस पर्वतसे वसिष्ठके नामका भी सम्बन्ध बहुत प्राचीन कालसे है। महाभारतमें लिखा है कि इस पर्वतपर स्थित वसिष्ठका आश्रम पवित्र स्थान है। उत्तंक द्वारा पृथ्वी खोदे जानेकी कथा महाभारतमें दो जगह मिलती है। पहली कथा यों है कि तक्षक नागका पातालतक पीछा करनेके लिए उसने पृथ्वीमें अत्यन्त गहरा विवर खोदवाया। उस विवरमें वसिष्ठकी गाय गिर पड़ी। इसपर वसिष्ठको उसे पाटनेके लिए हिमालयके किसी बेटेको लानेकी बात सूझी। इस प्रदेशके अपवित्र होनेके कारण हिमालयने पहले तो सहायता करनेसे इनकार कर दिया, पर वसिष्ठने जब उसे पवित्र बना देनेका वचन दिया, तब हिमालयका एक पुत्र वहाँ गया और वह विल भर गया। इसके बाद स्वतः वसिष्ठ भी वहाँ जाकर रहने लगे और उन्होंने एक शिवमंदिर निर्माण किया।

इस कारण वह शिवमूर्ति अचलेश्वर अर्थात् पर्वतके ईश्वरके नामसे प्रसिद्ध हुई। सम्पूर्ण राजपूत-इतिहासमें अचलेश्वरका मंदिर राजपूतोंका पवित्र स्थान माना गया है, आज भी माना जाता है। यह कथा संभवतः अति प्राचीन है। पीछे स्कन्द-पुराणमें उसका विस्तार होकर वह अर्बुद खण्डके तीसरे अध्यायमें दी गयी है। पुराणोंमें इस पर्वतका नाम नन्दिवर्द्धन और हिमालयसे जिस सर्पकी पीठपर सवार होकर नन्दिवर्द्धन आया, उसका नाम अर्बुद मिलता है। पर इस (स्कन्द) पुराणमें वसिष्ठके यज्ञ करनेका कहीं भी उल्लेख नहीं है। प्राचीन ग्रंथोंकी अर्बुदकी उत्पत्ति-विषयक कथासे यह निष्कर्ष निकलता है कि ई० पू० २५० (वि० पू० १६३) में भी अर्बुद गिरि पवित्र स्थान माना जाता था और उसपर पहली बस्ती वसिष्ठ-कुलके कुछ आर्योंकी हुई होगी। बादमें परमार राजपूत भी, जिनका अभ्युदय इसी प्रदेशमें हुआ, अपनेको वशिष्ठगोत्रो कहने लगे होंगे।

इतिहासकी दृष्टिसे यह अनुमान असंगत नहीं ठहरता कि वैदिक क्षत्रियोंने अधिवासके लिए अनुपयुक्त इस पहाड़ी और रेतीले प्रदेशमें ईसवी सन्के आसपास या उसके आरम्भमें जो बस्तियाँ कायम कीं, उसका कारण पंजाब और गंगाके प्रदेशके उनके प्राचीन स्थानोंपर विदेशियोंके आक्रमण होते रहना था। वास्तवमें शक, कुशान, हूण आदि हों अथवा बिलकुल पीछे आनेवाले मुसलमान, तुर्क या अफगान हों, इनके आक्रमणोंसे जब जब भारतीय आर्य विपुल-जलयुक्त और धनधान्यसम्पन्न उक्त दोनों प्रदेशोंसे खदेड़े गये हैं, तब तब बराबर राजपूतानेने उन्हें आश्रय दिया है। विश्वसनीय ऐतिहासिक आधारसे हमें यह बात ज्ञात है कि राजस्थान-

की मरुभूमिमें सबसे पीछे आश्रय लेनेवाले राजपूत कन्नौज-के राठौर थे। जयचन्द्रका पराभव तथा अन्त होनेपर राठौर घराने गंगाका प्रदेश छोड़कर मारवाड़की मरुभूमिमें जा बसे। वस्तुतः राजपूतानेको “राजपूतोंकी भूमि” संज्ञा मुसलमानोंके समयमें ही प्राप्त हुई। राठौरोंके पूर्व अनेक बार इसी प्रकार राजस्थानमें राजपूतोंके जा बसनेका प्रमाण—यद्यपि यह पूर्ण स्पष्ट नहीं है—इतिहासमें मिलता है। इस प्रकारका पहला उल्लेख मालव लोगोंके विषयमें है, जिन्हें यूनानी (ग्रीक) इतिहासकारोंने “मल्लोय” कहा है। राजपूतानेके ‘नगर’स्थान-में मिले हुए सिक्कोंके आधारपर कनिंगहमने अनुमान किया है कि ई० प्रथम शताब्दी (वि० ५८-१५९) के आसपास मालव लोग पंजाबसे मालव देशको जाते हुए राजपूतानेमें रह गये होंगे, क्योंकि उन सिक्कोंपर “जय मालवानाम्” बस इतना ही अंकित है। (कनिंगहमकृत आर्कियालॉजिकल सर्वे रिपोर्ट, भाग १४) दूसरा उल्लेख माध्यमिकोंके विषयमें है। उनका राज्य जयपुरके निकट कहीं रहा होगा। शक-यवनोंने उनपर आक्रमण किया था। आख्यायिकासे प्रकट होता है कि गौड़ राजपूत गौड़ देशसे अर्थात् थानेश्वरके आसपासके प्रदेशसे (बंगालसे नहीं, जिसे लोग भूलसे गौड़ समझते हैं) आकर अजमेरमें बस गये होंगे। आगे चलकर चाहमानों (चौहानों) ने वहाँसे उन्हें खदेड़ दिया। क्षिथ और भांडारकरने मिनमालके गूजरोंको विदेशीय माना है, पर हम उन्हें वैदिक आर्य मानते हैं। विदेशियोंने जब उन्हें उनके मूलस्थान पंजाबसे निकाल दिया, तब उन्होंने भी मारवाड़की मरुभूमिमें आश्रय लेकर अपनी स्वतंत्रताको रक्षा की। तीसरी और चौथी शताब्दियों

(वि० २५८-४५७) में जब कुशान और हूण लोगोंके आक्रमण हुए, उस समय कितने ही राजपूत घराने राजपूतानेमें जा बसे होंगे, पर इसका उल्लेख नहीं मिलता । फिर भी यह मान लेनेमें कोई बाधा नहीं कि आठवीं शताब्दी (वि० ७५८-८५७) में जिन राजपूतोंने अरबोंके साथ बहादुरीसे लड़कर प्रसिद्धि प्राप्त की, वे उन वैदिक आर्योंके वंशज थे जो विदेशियोंके आक्रमणोंके कारण पंजाब और गंगाके प्रदेशसे निकल कर राजपूतानेमें आ बसे थे । इस पुस्तकके प्रथम भागके साथ हमने हिन्दुस्तानका जो धर्म-प्रदर्शक मानचित्र दिया है उससे प्रकट होता है कि राजपूतानेमें बौद्धोंकी प्रधानताका होना तो दूर रहे वे हिन्दुओंकी बराबरीमें भी न थे । यह भाग मुख्यतः हिन्दुओंका देश था । राजपूतानेके जंगलों और पहाड़ियोंमें वैदिक क्षत्रियोंने अपनी स्वतंत्रता और अपने वैदिक धर्मकी रक्षा की थी । और जब नये विदेशियोंने, जो आक्रमणकारी विदेशियोंके सहज गुण क्रूरताके अतिरिक्त नवीन मूर्ति-ध्वंसक धर्मकी उग्र असहिष्णुता भी अपने साथ लाये थे, उनपर आक्रमण किया, तब अपने धर्म और स्वतंत्रताकी रक्षा करनेके लिए इन वैदिक क्षत्रियों अथवा राजपूतोंने प्रयत्नको परमावधि कर डाली । यही कारण है कि इस कालमें हमें यह चमत्कार दिखाई देता है कि राजपूतानेमें राजपूतोंके नये नये वंशोंका उदय हुआ और उन्होंने न केवल अरबोंको खदेड़ दिया, किन्तु नये उत्साहसे प्रेरित होकर भारतवर्षमें हिन्दू राज्योंकी दूसरी परम्परा स्थापित की और हिन्दू मध्ययुगके दूसरे कालविभागमें हिन्दुस्थानपर राज्य किया । इन राजपूतोंमें गुहिलोत, चाहमान, प्रतिहार और परमार प्रमुख थे । अगले खण्डमें हम इन्हीं वंशों और इनके द्वारा स्थापित

राज्योंका इतिहास देनेवाले हैं। अतः अर्वाचीन राजपूतोंने जिन्हें एक मतसे दाक्षिण्ययुक्त शौर्यमें सर्वश्रेष्ठ और जिनके रक्तको शुद्ध क्षत्रिय रक्त मान लिया है, उन्हीं गृहितोतांसे इस इतिहासका आरंभ करना उचित होगा ।

चौथी पुस्तक

अन्यान्य हिन्दू राज्य ।

(लगभग सन् ७५० से १००० ई० तक)

पुरुषोंसे भारतका इतिहास पवित्र हुआ है और मेवाड़ राज्य भी चिरस्थायी हो गया है ।

इस वंशका आदि और अत्यन्त प्रसिद्ध पुरुष बाणपारावत था । यह अत्यन्त पराक्रमी और विख्यात पुरुष हो गया है । सब महान् विभूतियोंकी तरह इसके चरित्रके विषयमें भी अनेक मनोरंजक और आश्चर्यजनक दन्तकथाएँ प्रसिद्ध हैं । टाड साहबने स्वतः राजस्थानमें भ्रमण कर, वहाँके ऐतिहासिक स्थानों, उपलब्ध शिलालेखों और ताम्रपटोंका सूक्ष्म रीतिसे निरीक्षण तथा सर्वसाधारणमें प्रचलित दन्तकथाओंकी भी जाँच पड़ताल करके अपना इतिहास लिखा है और वह है भी बड़े कामकी चीज़ । यदि उन्होंने उन दन्तकथाओं और ताम्रपटोंका समीक्षापूर्वक उपयोग किया होता तो उनके इतिहासको अधिक विश्वसनीय रूप प्राप्त हुआ होता । पर उन्होंने प्रवीण इंजीनियरकी तरह इमारतकी मजबूतीकी ओर ध्यान न दे कर लोभी मनुष्यकी भाँति उपलब्ध सम्पूर्ण सामग्रीका उपयोग किया है । टाडको सामग्री एकत्र करनेकी ही धुन थी, वस्तुतः उसकी समीक्षा करनेका उन्हें अवकाश ही न था । इसके अतिरिक्त उनका मत अंग्रेज दार्शनिक ह्यूमके जैसा ही था ।

टिप्पणी—यह बात याद रखनेकी है कि मेवाड़का राजकुल आज भी अपने स्वाभिमानकी रक्षा कर रहा है । मेवाड़के किसी भी राजपुरुषने सुलतानी राजाके सामने माथा नहीं नवाया । मुगलोंके किसी भी दरबार में उनमेंसे कोई भी उपस्थित नहीं हुआ । ब्रिटिश शासनमें भी उनकी प्रतिष्ठा अक्षुण्ण रही जो उनके और ब्रिटिश अधिकारी दोनोंके लिए भूषणावह है । अभी १९११ ई० (वि० १९५७) के दिल्ली दरबारमें भी मेवाड़के राणाने अपनी पूर्व परम्पराके अनुसार उपस्थित होनेसे इनकार किया था और ब्रिटिश सरकारने भी उनकी परम्परा मान ली ।

हमका कथन है कि कवि अपने काव्यको चटकीला बनानेके लिए वस्तुस्थितिका कितना ही विपर्यास कर डाले अथवा सत्यान्वेषणको परे रख कर अतिशयोक्तिसे कितना ही काम ले, फिर भी उसके मूलमें थोड़ा बहुत सत्यांश रह ही जाता है । यही बात दन्तकथाओंकी भी है । विशेषतः जब कवि ही राष्ट्रका इतिहासलेखक होता है तब उसके काव्यका कुछ न कुछ आधार अवश्य ही होता है ।” छूमकी इस उक्तिको मानकर हम भी उन सब दन्तकथाओंका विचार करेंगे । पर समीक्षाकी छलनीमें छानकर यह देख लेंगे कि उनमें दाना कितना है और भूसी कितनी है । दन्तकथाकी तरह बहुतसे शिलालेख और ताम्रपट भी छलनीमें पड़ने पर भूसी हो कर निकलेंगे । ताम्रपटपर खुद जानेसे ही कोई बात प्रामाणिक नहीं हो जाती, क्योंकि अविश्वसनीय और अतिरंजित वर्णन भी ताम्रपटपर लिखे जा सकते हैं । सत्यान्वेषणकी ऐसी खरी कसौटीसे टाडके काम न लेनेके कारण उनसे हमारा बहुत कुछ मतभेद होगा । टाडकी इमारतकी नींव चौड़ी है, पर गहरी नहीं है, इससे उनके कथन बहुत करके कमजोर ही रहेंगे । इसके अतिरिक्त इतिहासकारके लिए जो गुण सबसे अधिक आवश्यक है वह—पूर्वधारणाका अभाव—टाड साहबमें एक प्रकारसे है ही नहीं और इससे वस्तुस्थितिका विपर्यास हो जानेकी बहुत संभावना है । इस दोषकी बात जाने दें तो यह बात कोई भी अस्वीकार न कर सकेगा कि टाडने जिस समय अपना इतिहास लिखा, उस समय खोजकी सामग्रीका बड़ा ही अभाव था और उसकी उचित दिशा भी निश्चित नहीं हुई थी । ऐसी दशामें भी टाडने सामग्री एकत्र करनेका जो कार्य किया है वह बड़े महत्वका है और राजपूतोंका प्राचीन इतिहास सन्दिग्ध रह जानेपर भी

मुसलमान शासनसे इधरका टाडने जो इतिहास लिखा है वह सदा ही प्रमाणभूत रहेगा ।

पर इस समय भी ऐसा नहीं है कि सामग्री उपलब्ध हो और उसको यथास्थान रखना भर बाकी हो । मेवाड़ राजकुलका १२०० ई० (वि० १२५७) तकका विश्वसनीय इतिहास आज भी उपलब्ध नहीं है । इस समयके जो कुछ वृत्त मिलते भी हैं वे बहुत बेसिलसिले हैं और उनका अधिकतर भाग दन्तकथाओंके रूपमें ही है । आगे उत्तरोत्तर और भी नयी बात मालूम होती जायँगी और हम जो बेसिल-सिला वृत्तान्त देने जा रहे हैं कदाचित् वह भी गलत ठहरे । पाठकोंको आरंभमें ही यह जता देना उचित है कि इस समयतक जो वृत्तान्त उपलब्ध है उसमेंसे असत्य और अतिशयोक्तिकी मिलावट निकाल कर बुद्धिग्राह्य इतिहास देनेका हम प्रयत्न कर रहे हैं ।

मेवाड़ राजकुलका आदिपुरुष बाप्पारावल माने हिन्दु-स्थानका चार्ल्स मार्टेल था । इन दोनों राजपुत्रोंके चरित्रमें अत्यधिक समानता है । दोनों ही समसामयिक थे । कार्य भी दोनोंका एक ही प्रकारका था । दोनोंने ही अपनी आयु अरबोंके आक्रमणोंका प्रतीकार करनेमें खपायी । मिश्रता थी तो दोनोंके कार्यक्षेत्रमें । एक फ्रांसमें रहकर पूर्वसे आनेवाले मुरोंके आक्रमण विफल करता था, तो दूसरा भारतमें रहकर पश्चिमसे आनेवाले अरबोंके आक्रमणोंका रोकनेमें व्यस्त था । इसी तरह जैसे आस्ट्रियाका ड्यक होनेसे चार्ल्स मार्टेल फ्रांसके सार्वभौम राजाका माण्डलिक था, उसी तरह बाप्पारावल भी चित्तौड़के मोरी राजाका माण्डलिक था । रावल माने छोटा राजा, डो० आर० भाण्डारकरके कथनानुसार

एक प्रकारका संन्यासी नहीं । “महाराज” शब्दका प्रयोग आज भी ब्राह्मण और साधु-संन्यासी दोनोंके लिए होता है । रावल शब्दका भी इसी प्रकार गौण रूपसे साधु-संन्यासीके लिए प्रयोग होता रहा होगा । पर महाराज शब्द जैसे मूलतः बड़े राजाका वाचक है, उसी तरह रावल शब्दका भी मूल अर्थ माण्डलिक राजा है । उदयपुरके उत्तरमें नागदा (प्राचीन ‘नाग हृद’) नामका जो छांटासा गाँव है, वहीं बाप्पारावल राज्य करता था । अरवली पर्वतकी घाटियों और उसमें बसे हुए भोलोंपर उसका शासन था । मूल (वल्लभी) वंशकी एक शाखा प्राचीन कालमें ईडरमें स्थापित हुई थी और फिर उससे कितनी ही उपशाखाएँ निकलीं । बाप्पारावलकी उपशाखा भी इसीमें है । मूल वल्लभी वंशकी ईडरवाली शाखा गुहिलसे चली, इसीसे वह गुहिलवंशके नामसे प्रसिद्ध हुई ।

बाप्पारावलकी परिस्थिति शिवाजीसे भी मिलती है । शिवाजीकी तरह ही बाप्पारावल भी अतिशय स्वधर्माभिमानि था और उसे भी गोर्दिसक अरबोंपर अत्यन्त क्रोध था । शिवाजीने जिस तरह पर्वतवासी मावलोंको अपना लिया था, उसी तरह बाप्पारावलने भी घाटी-तराईयोंमें रहनेवाले भोलोंको अपना बना लिया था । उन्हींकी सहायतासे उसने पहले पहल अरबोंका आक्रमण विफल किया । इस समयके आसपास हिन्दु-स्थानमें अरबोंका खासा दबदबा था । सन् ७१२ ई० (वि० ७६६) में उन्होंने प्रथम बार सिंध प्रान्तमें प्रवेश कर उसे विजय किया और उसीको अपना केंद्र बना दक्षिण तथा पूर्वकी ओर बढ़ाईयाँ करना आरंभ कर दिया । अरबोंके चित्तौड़के आक्रमणका एक ताम्रपत्रमें जो उल्लेख मिला है, वह प्रथम भागमें दिया जा चुका है । मरुप्रदेशमें प्रवास करनेका तो अरब

लोगोंको सदासे ही अभ्यास था, इसीसे चित्तौड़गर बारम्बार आक्रमण करना उनके लिए बड़ा ही सुगम था । अतः उन्होंने चित्तौड़को बराबर तंग करना आरंभ कर दिया । उपर्युक्त लेख—नवसारी चालुक्य लेख—में बताया गया है कि अरबोंने कच्छ चावोटक और मौयौपर (अवश्य ही ये चित्तौड़के ही सौय्य होंगे) आक्रमण किया । अस्तु, बाण्णारावल कहर शिवोपालक और नागदा प्रांतमें रहनेवाले हारीत नायक यौव साधुका शिष्य था । अचलगढ़ और अन्य स्थानोंके शिलालेखोंमें लिखा है कि “बाण्णको निरुसीम भक्ति देखकर हारीत स्वामीने भविष्यद्वाणी की थी कि यह अतिशय विख्यात पुरुष होगा । उन्होंने उसे सार्वभौमत्व सूचक होनेके कड़े दिये ।” इस लेखसे हम ऐसा अनुमान कर सकते हैं कि हारीत ऋषिने शिष्यमें महानताके लक्षण देख उसे चित्तौड़-नरेशको सेनामें भरनी होकर सूर्ति-भञ्जक और गोहिलक मलेच्छ्योंको कुचलानेका उपदेश दिया होगा । इस उपदेशके अनुसार बाण्ण चित्तौड़ गया होगा और वह चित्तौड़का सामन्त तो था ही, अतः सौय्य नरेशने अपनी कुछ सेनाका नायकत्व देकर अरबोंका आक्रमण व्यर्थ करनेका काम उसे सौंप दिया होगा ।

जिस तरह पराक्रमी चार्ल्स मार्टेल आगे चलकर पेरिसका मेयर हुआ, उसी तरह बाण्णारावलको भी धीरे धीरे सेनापतिके अधिकार सौंपे गये होंगे । चार्ल्स मार्टेलकी तरह ही बाण्णको भी एक प्रचण्ड युद्धमें अरबोंपर विजय प्राप्त हुई । इस विजयसे बाण्ण अतिशय विख्यात हो गया और फिर कालक्रमसे उसे चित्तौड़का सार्वभौम पद प्राप्त हुआ । इस विषयमें कितनी ही आख्यायिकाएँ हैं । एक आख्यायिका इस तरहकी है कि चित्तौड़के सब सरदारोंने अपने राजाके विरुद्ध मिलकर दिया

और उसे पदच्युत कर बाप्पाको चित्तौड़के सार्वभौम पदपर आसीन किया । इस कथाका सत्य होना संभव है । चार्ल्स मार्टेलके पेपिन नामक पुत्रने भी अपने नाममात्रके सार्वभौम राजाको इसी तरह पदच्युत कर उसके सब अधिकार अपने हाथमें कर लिये । संभव है, धरबांको पछाड़नेके कारण बाप्पाके मनमें भी इसी तरह महत्वाकांक्षा उत्पन्न हुई हो और उसने सार्वभौम पद छीन लिया हो । परन्तु बाप्पारावलकी धर्मश्रद्धाका विचार करनेसे इस बातकी बहुत ही कम संभावना दिखाई देती है । हमें तो ऐसा जान पड़ता है कि चित्तौड़-राजकी सृष्टिके समय उसकी कोई सन्तान या उत्तराधिकारी न रहा होगा और मराठोंके शाहुजीने ऐसी ही स्थितिमें जिस तरह अपना अधिकार पेशवाको सौंप दिया, उसी तरह उसने भी अपना अधिकार बाप्पाको दे दिया होगा । जो हो, इतनी बात अवश्य निश्चित है कि इसके बाद मौर्यकुलका राज्य लुप्त हो गया और गुहिलोत वंशका राज्य चित्तौड़में स्थापित हुआ, जो आजतक अव्याहत रूपसे चला आ रहा है । फ्रांसमें जिस तरह चार्ल्सके पोते चार्ल्स दि ग्रेटने मार्टेल वंशकी स्थापना की, उसी तरह राजपूतानेमें बाप्पाने चिरन्तन गुहिलोत वंशको स्थापना की । आगे चलकर इसी वंशकी अनेक शाखा-प्रशाखाएँ हो गयीं और आज इस वंशवालोंकी संख्या एक लाखसे भी अधिक है ।

चार्ल्स मार्टेल थोड़े ही दिन जीवित रहा, पर बाप्पारावलने बड़ी लम्बी आयु पायी थी । उसने अनेक स्त्रियोंसे विवाह किया और उनसे उसे लड़के-बच्चे भी बहुतसे हुए । वह इतने दिन जीवित रहा कि राज्यकार्यसे ऊब गया और अंतको सब अधिकार युवराजको देकर शिवोपासक संन्यासी हो गया । टाडका

कहना है कि उत्तर-चयमें वह संभवतः ईरान गया और वहाँ विवाहादि कर राज्य-स्थापन किया। परन्तु एकलिंग मंदिर-वाले शिलालेखको देखने * और बाप्पाकी धर्मनिष्ठापर ध्यान देनेसे उसका संन्यासग्रहण ही अधिक संभव जान पड़ता है।

अब बाप्पारावलके जन्म-संवत्का तथा इस बातका विचार करना चाहिये कि वह कब चित्तौड़के सिंहासनपर आसीन हुआ और उसने कब राज्य त्याग किया। दन्तकथादिके विचारसे तो ८२० वै० अर्थात् ७६३ ई० बाप्पाके अधिकार-त्यागका वर्ष ठहरता है और यह चित्तौड़के मान मौर्यके शिलालेखसे बहुत मेल खाता है (देखिये टाड जिल्द २ मानमौर्यके लेखमें दिया हुआ संवत् ७७० = ई० ७१३)। मान मौर्यकुलका अन्तिम पुरुष समझा जाता है। अतः यह कहा जा सकता है कि बाप्पारावलका राज्यकाल ७१३ ई० से ७६३ ई० (वि० ७७०-८३०) के बीच किसी समय आरम्भ हुआ। अन्दाजन यह समय ७३० ई० (वि० ७८७) होगा। टाडने मेवाड़में प्रचलित दन्तकथाके अनुसार यह काल ७२८ ई० (वि० ७८५) लिखा है (टाड—कुक्का संस्करण, भाग १. पृष्ठ २८५)। यह निश्चित है कि अरबोंने ७१२ ई० (वि० ७६४) में सिंधु प्रान्त स्वाधिकृत किया। इसके बाद ही उन्होंने राजपूतानेपर आक्रमण किया। मौर्य राज्यपर उनके आक्रमणका समय ७३८ ई०

* यह बात हम उस शिलालेखके इन दो श्लोकोंके आधारपर लिख रहे हैं—

हारीतराशि-वचनाद्वरमिन्दुमौलिं रासाद्य स द्विजवरो नृपतिर्बभूव ।
पर्यग्रहीन्नुपसुताः शतशः स्वशक्त्या जैषीश्च राजकमलां सकलां बुभोज ॥
दत्त्वा महीमध्वगुणाय सूनवे नवेन्दुमौलिं हृदि भावयन्नुपः ।
जगाम बाष्पः परमैश्वरं महो महोदयं योगयुजामसंशयम् ॥

(वि० ७६५) के पूर्व ही मानना चाहिये, क्योंकि इसी वर्षके नवसारीवाले शिलालेखमें इस आक्रमणका उल्लेख है। सारांश यह कि बाण्णरावलका राज्यारोहण-काल ७२० ई० (वि० ७८७) मानना अनुचित नहीं हो सकता। अतः मोटे हिसाबसे उसका राज्यकाल ३३ वर्ष रहा होगा। राज्यारोहणके समय बाण्णका वयोमान क्या था, इसका निश्चय करना थोड़ा कठिन है। राज्याभिषेकके समय उसकी उम्र ३० वर्षसे कम मानना असंभव है और इस हिसाबसे उसका जन्माब्द ई० स० ७०० (वि० ७५७) ठहरता है। पुरानी दन्तकथाओं और मेवाड़के गुहिलोतोंकी दृढ़ धारणाके आधारपर बाण्णका जन्माब्द वि० १६१ कहा जाता है। टाडने भी इसी धारणाका अनुवाद किया है। वे कहते हैं कि मेवाड़के भाट और खुद तत्कालीन महाराणा भी इस संवत्को छोड़नेको तैयार नहीं हैं (टाड - कुकका संस्करण भाग १, पृष्ठ २६८)। अतः जैसा कि ऊपर बताया गया है, मौर्य आदिके लेखोंसे निकलनेवाले ७०० सन् और दन्तकथामें कहे गये १६१ संवत्, इन दोनोंका मेल कैसे बैठाया जाय, टाडके पूर्ववर्ती इतिहास-लेखकोंके लिए यह एक विकट प्रश्न था और टाडने उसे हल करनेका प्रयत्न भी किया है। टाडके कथनानुसार वलभी राजवंशका उच्छेद ५२४ ई० (वि० ५८१) में हुआ होगा और उसी सालसे नवीन अर्ध-गणना प्रारंभ हुई होगी। परन्तु शिलालेखादिसे हमें यह बात निश्चित रूपसे मालूम है कि वलभी वंशका अन्तिम पुरुष ७२६ ई० (वि० ८२३) तक जीवित था, क्योंकि उस वर्षकी उसकी दी हुई सनद उपलब्ध है। ऐसी दशामें यही कहना पड़ेगा कि टाडका दिया हुआ संवत् ठीक नहीं है। नवीन संवत्-स्थापनाका काल वलभी वंशके उच्छेदके समयसे न मानकर उस

वंशकी संस्थापनाके समयसे माना जाय तो १६१ संवत् और ७०० ई० की संगति बैठ सकती है। भटार्कने ५०६ ई० (वि० ५६६) में वलभी राजवंशकी स्थापना की (वंशावली भाग १, पृष्ठ २५०) । ५०६ में १६१ जोड़नेसे ७०० होता है और इस प्रकार बाण्पा राजवंशका जन्माब्द ७०० ई० (वि० ७१७) सिद्ध होता है। वलभी वंशकी ईडरकी शाखाने भटार्कके स्मरणमें उसके राज-संस्थापन-कालसे संवत्-गणना प्रारंभ की होगी और तभीसे इस संवत्का प्रचार हुआ होगा। प्रसिद्ध पुरुषोंके सम्मानार्थ नया संवत् चलानेकी प्रथा भारतवर्षमें सर्वत्र दिखाई देती है। इस रीतिसे विचार करनेसे ही दन्तकथा वर्णित और समीक्षासे निश्चित संवत्की संगति बैठती है।

अब इतना ही और कहना शेष है कि हमारे मनसे बाण्पा एक ही व्यक्तिका नाम है। बाण्पा शब्दका “बाबा”—साधु-संन्यासी और पिता दोनों ही अर्थ हो सकते हैं और इसी दूसरे अर्थसे बाण्पाका मतलब गुहिलोत वंशका मूलपुरुष निकल सकता है, फिर चाहे वह हमारे कथनानुसार बाण्पा नामका व्यक्तिविशेष हो अथवा खुमान आदि और पुरुषोंका विशेषण हो क्योंकि नेपाल आदिके शिलालेखोंमें बाण्पा शब्दका प्रयोग मूलपुरुषके अर्थमें किया गया है (उदाहरण—“वण्पा पादानुध्यात”) । फिर भी अपने कथनकी यथार्थताका विचार हम एक स्वतंत्र टिप्पणीमें करनेवाले हैं। यहाँ इतना ही कहना यथेष्ट होगा कि बाण्पा शब्दका व्यक्तिवाचक प्रयोग पूर्वकालमें प्रचलित था। उदाहरणार्थ—उस समयके एक जैन आचार्यका नाम वण्पभट्टी प्रसिद्ध है और तत्कालीन शिलालेखोंमें “वण्पार्य” नामका उल्लेख मिलता है। वगुप्ताकी सनदमें (ई० स० ६५५, वि० ७१२) वूतका नाम श्रीवह्म बाण्पा दिया गया है।

दूसरा प्रकरण ।

बाप्पाके पीछेके राजा ।

बाप्पा द्वारा स्थापित चित्तौड़का गुहिलोत राजवंश जग-
त्के इतिहासमें अत्यन्त विख्यात है। बाप्पाके
समय (सन् ७२० या वि० ७२७) से आजतक अर्थात् कोई
१२०० वर्षसे यह राजवंश बराबर कायम है। इस वंशका
स्थान भी आजतक वही है, अन्तर इतना ही हुआ है कि
इसकी राजधानी अब चित्तौड़ न होकर उदयपुर है। पर
चित्तौड़ आज भी इसीके अधिकारमें है। इससे भी अधिक
आश्चर्य और कौतुककी बात यह है कि इस वंशके सभी राज-
पुरुष एकसे वीर्यशाली, प्रजाहितैषी और स्वातंत्र्यप्रेमी हुए
हैं। कठिनसे कठिन विपत्तिमें भी इन्होंने एकनिष्ठतासे अपने
धर्मका पालन किया है। ये सब राजा अपनेको दशरथात्मज
श्रीरामचन्द्रके वंशज कहते कहाते हैं और रामचन्द्रके चरित्र
और विरुद्धा इन्हें बड़ा अभिमान भी है। इसी प्रकार इस
वंशके आदिपुरुष बाप्पाके विषयमें भी, जिसने अपनी धर्म-
शीलता, स्वातंत्र्यप्रियता और शूरताकी वदौलत बड़प्पन
पाया, सबको भारी अभिमान रहता आया है। चित्तौड़गढ़
और अचलेश्वरके लेखोंमें॥ बाप्पाकी जो बड़ाई गायी गयी

॥ शंकरमें बाप्पाकी एकनिष्ठ भक्ति देखकर उसे हारीतने सार्वभौम-
त्वसूचक सोनेका कड़ा दिया था, इसका उल्लेख नीचे उद्धृत लेखमें पाया
जाता है—

इंद्रासादृशुतमेककिङ्क-नरणामोत्र-प्रसादात्फलम्
चरमं विद्वान् सुतर्णनाद्वयदकं हारीतराशिर्ददौ । (आगे दे०

है, वह सर्वथा यथार्थ है । इसी प्रकार जगह जगह जो गुहिलोत वंशका प्रशंसापूर्ण उल्लेख पाया जाता है वह भी उचित ही है ।

इस कुलकी परस्पर भिन्न अनेक वंशावलियाँ मिलती हैं । इससे बापाके वंशजोंका सिलसिला बैठाना कठिन पड़ रहा है । हालमें आटपुरामें एक लेख मिला है । उसमें तो यह वंशक्रम और भी भिन्न रूपमें मिलता है । इस लेखका पता टाडको भी था । परन्तु हालमें मिले हुए लेखकी सूची टाडकी दी हुई सूचीसे बहुत भिन्न है । पुराने लेखमें दिये हुए राजाओंकी संख्या—पृथ्वीराजके समकालिक समरसिंहतक—

वाप्पाख्यः स पुरा पुराणपुरुषप्रारंभ निर्वाहनात्-

तुल्योत्साह गुणो बभूव जगति श्रीमेदपाटाधियः ।

तथा च—

(भा० ले० पृष्ठ ७५)

हारीतात्किल वप्पकोऽग्निवलयं व्याजेन लेभे महः

क्षात्रं धातृनिभाद्वितीयं मुनये ब्राह्मं स्वसेवाच्छलात् ।

परन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि बाप्पा ब्राह्मण और हारीत क्षत्रिय थे । कविका आशय यह है कि बाप्पाकी एकलिंग (शिव)-अर्चि ब्राह्मणके उपयुक्त थी और हारीत मुनिसे उसे जो प्रसाद प्राप्त हुआ वह क्षत्रियके अनुरूप था ।

+ गुहिलोत वंशका बड़प्पन निम्नलिखित श्लोकोंसे प्रकट है—

यद्वंशो गुहिलस्य राजभगवन्नारायणः कीर्त्यते,

तत्सत्यं कथमन्यथा नृपतयस्तं संश्रयन्तेतराम् ।

मुक्तेः कल्पितवेतसः करतलव्यासक्तदण्डोज्ज्वलाः

प्राणप्राणाधियः श्रवः समुदयैर्न्यस्तापहस्ताः सदा ।

एतेऽद्यापि महीभुजः क्षितितले तद्वंशलम्भूतयः

शोभन्ते सुतरामुपात्तवपुषः क्षात्राह धर्मा इव ।

—भावनगर हस्किप्रांस, पृष्ठ ८५१

तीस है। इस संख्याके अनुसार प्रत्येक राजाका औसत राज्य-काल (१२००-७३० = ४७०) : ५ वर्ष ठहरता है, और यह औसत बहुत कुछ संभव दिखाई देता है। परन्तु नये आदपुरा-लेखके अनुसार बाप्पासे शक्तिकुमारतक बीस ही राजा होते हैं। ६७७ ई० (वि० १०१५) के एक लेखमें शक्तिकुमारका उल्लेख मिलता है। इस हिसाबसे प्रत्येक राजाके राजत्व-कारका औसत ११ वर्ष पड़ता है। वैसे देखनेमें यह औसत तनिक कम संभव जान पड़ता है, पर हमें साथ साथ उस खराबकी परिस्थितिका भी विचार करना चाहिये और ऐसा करनेसे आदपुरावाले लेखमें वर्णित अनुक्रम भी ठीक ठहर सकता है। वह समय शांतिका न था। अरबोंने सिंधु प्रान्त स्वाधिकृत कर लिया था और उनके आक्रमणपर आक्रमण हो रहे थे। इस कारण क्षत्रिय वीरोंको धरातीर्थमें बारम्बार भाग बिलजर्ज करना पड़ता था। यहांतक कि अल्लट, नरवाहन, शालिवाहन और शक्तिकुमार—इन चारोंका सम्मिलित राज्य-काल २६ वर्ष (१००८ से १०३४ ई०) बताया गया है। इस रीतिसे विचार करनेसे नवोपलब्ध “आदपुरा-लेख” भी आभाणिक माना जा सकेगा।

इस नवोपलब्ध लेखकी एक उपपत्ति और भी हो सकती है। वह इस प्रकार होगी—टाडने अपने सूचीके सन्वत्थमें यह अनुमान बाँधा है कि इस सूचीमें अनुक्रमपूर्वक दिये हुए राजाओंके नाम किसी एक शाखाके नहीं हैं, किन्तु अनेक शाखाओंके समकालिक राजाओंके हैं। गुहिल वंशकी अनेक शाखा-प्रशाखाएँ होनेकी बात हमें चित्तौड़गढ़के लेखसे मालूम ही है; उन अनेक शाखाओंमें इस सूचीमें दिये हुए नामोंको बाँटकर प्रत्येक शाखाके समकालिक राजाका राज्यकाल

निकाल सकते हैं । जो हो, तत्काल बाप्पाके वंशजोंका क्रम और उनका राज्यकाल निश्चयपूर्वक स्थिर करना संभव नहीं है । फिर भी हम चित्तौड़गढ़ और अन्वलेश्वरके लेखोंके अनुसार यह क्रम स्थिर करते हैं । नवीन आटपुरा-लेखमें शील और अपराजित नामक राजाओंका उल्लेख मिलता है । पर इन दोनोंके ही सातवीं शताब्दीके लेख पाये गये हैं । इससे अनुमान होता है कि शील और अपराजित बाप्पाके पूर्वज थे । पर उनके भी नाम बाप्पाके अनुवंशजोंमें आ गये हैं ।

बाप्पाके बाद मेवाड़की गद्दीपर गुहिल बैठा । इसका सारा समय शत्रुसे लड़नेमें ही बीता । मध्ययुगके सभी राजाओंको अरबोंसे लोहा लेना पड़ता था । इस समय अरबोंके आक्रमणों और राजपूतोंके प्रत्याक्रमणोंका ऐसा ताँता बँधा कि उस प्रदेशकी धरती रक्तमांसमय हो गयी और फलतः उसे मेदपाट ❀ (माकुत मेवाड़) का अन्वर्थक नाम प्राप्त हुआ । मेदपाट नाम कुछ अतिशयोक्ति-सूचक जान पड़ता है सही, पर वह हमें बताता है कि उस समय अरबों और राजपूतोंमें कैसा विकट संग्राम भ्त्ता हुआ था । अस्तु, गुहिलने बाप्पारावतसे निकली शाखाको अपने नामसे चलाया और यह शाखा गुहिल्लोत नामसे प्रसिद्ध हुई । [गुहिल्लोत = संस्कृत गुहिलपुत्र, ओत (पुत्त) प्रत्यय राजपूतानेमें वंशजके अर्थमें प्रचलित है ।]

गुहिलके बाद भोज सिंहासनासीन हुआ और इसके बाद शील । इन दोनोंको भी अरबोंसे गहरा युद्ध करना पड़ा । पर इनके बाद चित्तौड़की गद्दी प्राप्त करनेवाले कालभोजको उनसे अति कठिन संग्राम करना पड़ा । कालभोजके

❀ मेदः क्षेदमरेण दुर्जनजनस्याप्लावितः संगरे । मेदपाटाभिधः

पश्चात् उसका पुत्र भर्तृपट्ट राजा हुआ । भर्तृपट्टके बाद सिंह-
राजको गद्दी मिली । इन सबका राज्यकाल भी शत्रुसे युद्ध
करनेमें ही बीता और ये सभी एक सदृश रनबांकुरे भी
निकले । सिंहके बाद उसका पुत्र महायक और महायकके
पश्चात् खोम्माण (खुमान) को राजगद्दी मिली । प्राचीन
शिलालेखोंमें खोम्माणके पराक्रमका विशेष वर्णन मिलता है ।
आटपुरावाले लेखमें दो और खोम्माणोंका उल्लेख किया
गया है । इनमेंसे एक संभवतः कालभोजका पुत्र था, दूसरा
सिंहराजका । अब प्रश्न यह है कि किस खोम्माणके राज्यकाल-
में अधिक युद्ध होना संभव है । डाडने खोम्माण रासा
(खुमान रासो) नामक काव्यग्रंथके आधारपर बताया है कि
इस युद्धमें कौन कौन राजा बिलौड़की ओरसे लड़े थे । साथ
ही उन्होंने मुसलमानोंके विभिन्न आक्रमणोंका भी हाल दिया
है । उनके विचारसे यह आक्रमण ईसाकी नवीं शताब्दीके
प्रारंभमें ही हुआ जान पड़ता है । वाप्पारावलसे (अर्थात्
७६४ ई० से) लगाकर इस चढ़ाईतक (अनुमानतः ८२५ ई०
तक) का काल मोटे हिसाबसे ६१ वर्ष ठहरता है । इतने
समयमें पाँच राजाओंका हो जाना सर्वथा स्वाभाविक बात
है । अच्छलेश्वर आदिके लेखोंमें वाप्पासे महायकतक जितने
राजाओंके नाम दिये हैं, आटपुरावाले लेखमें उनसे अधिक नाम
पाये जाते हैं (देखिये इंडियन ऐंटिक्वेरी भाग ३६, पृष्ठ १६१) ।
और इस नवीन लेखके अनुसार ८२५ ई० (वि० ८८२) के
लगभग कालभोजका पुत्र खोम्माण ही राजा था; फलतः
उसीका अरबोंके साथ घोर संग्राम होना सिद्ध होता है ।

खोम्माण रासाका अवलोकन अतीतक हम नहीं कर सके
हैं, इस कारण यह निर्णय नहीं कर सकते कि इतिहासकी

दृष्टिसे उसकी प्रामाणिकता और महत्व कितना है। इस काव्य-में बताया गया है कि चित्तौड़के रत्नार्थ कौन कौनसे राजा आये थे। परन्तु ऐसे ग्रन्थोंके दर्शन कहांतक विश्वसनीय होते हैं, यह सदा ही शंका और वादका विषय बना रहता है। कवि जिस समय काव्य लिखता है उस समयतक अपनी जानी हुई समस्त जातियोंका वह उसमें समावेश करता है। इसीसे ऐतिहासिक दृष्टिसे काव्य-ग्रन्थ गौरव माने जाते हैं। होमरने भी अपने इलियड नामक काव्यमें अनेक स्थानोंमें समस्त ग्रीक जातियों और वीरोंका उल्लेख किया है। इससे यह जाना जा सकता है कि होमरके समयमें अमुक अमुक जातिका अस्तित्व था। पर इससे यह नहीं सिद्ध होता कि दूजनोंकी लड़ाईके समय वे सब जातियाँ विद्यमान थीं। अस्तु, खोम्माण रासासे इतना आभास अवश्य मिलता है कि बहुतेसी राजपूत जातियोंने चित्तौड़की ओरसे अरबोंके साथ युद्ध किया होगा। महमूद गजनवीके भारतपर चढ़ आने पर तथा पृथ्वीराज और शहाबुद्दीनके संग्राममें भी राजपूतोंने इसी प्रकार मिलकर मोरचा लिया था।

तीसरे खोम्माणके अनन्तर अल्लट नामक अत्यन्त पराक्रमी पुरुष गद्दीपर बैठा। इसकी माताका नाम महालक्ष्मी था, जो मूलतः राष्ट्रकूट वंशकी थी।^३ अल्लटके पीछे उसका पुत्र नरवाहन राजा हुआ। इसका एक अलग लेख मिलता है।

३ इस विषयमें ८६६ ई० के निलगुंदाके लेखमें यह उल्लेख मिलता है कि अमोवर्षने गूजर (कन्नौज) को जीत लिया और चित्रकूट दुर्गके राजाको परास्त किया। इससे जान पड़ता है कि उस समय चित्तौड़की गणना प्रबल राष्ट्रोंमें होती होगी और दक्षिणके राष्ट्रकूट राज्यसे उसका युद्ध हुआ होगा।

इसमें इतना ही लिखा है कि अल्लटकी मानाका नाम महालक्ष्मी था, उसके पितृकुलके विषयमें कुछ भी नहीं लिखा है । इससे अनुमान होता है कि वह खोआण अथवा आटपुरावाले लेखके निर्देशानुसार अर्जुपट्टका पुत्र होगा । अल्लटके पुत्र नरवाहनके पीछे शक्तिकुमार राजा हुआ । परन्तु आटपुरा-लेखमें बताया गया है कि नरवाहन और शक्तिकुमारके बीच शालिवाहनने राज्य किया था । प्रस्तुत आटपुरालेख शक्ति-कुमारके समयका है और इसमें लेखका काल वि० १०३४ अर्थात् ६७७ ई० दिया हुआ है । शक्तिकुमारके अनन्तर शुचि-वर्मा राजा हुआ । इसका वि० १०३८ का शिलालेख मिला है । चित्तौड़के लेखमें नरवाहन तकके राजाओंके नाम दिये हुए हैं । अचलेश्वरवाले लेखमें सारसिंह (१२३८ वै०) तकके राजा-ओं की ही वंशावली दी हुई है । अस्तु, इस भागमें हम शुचिवर्मातकका इतिहास देते हैं । शुचिवर्माके बादके राजाओंके तथा राजपूतानेपर महमूद गजनवीकी चढ़ाईके समय चित्तौड़की गद्दीपर कौन राजा था, इस विषयमें हम आगे चलकर लिखेंगे ।

गुहिलोत वंशकी वाप्पारावलसे शक्तिकुमार तककी वंशावली देकर और तुलनाके लिए मेवाड़ गजेन्द्रियरमें दी हुई राजाओंकी क्रमिक नामावली उद्धृत कर तथा अपने कथनके रूपरीकरणके लिए कुछ टिप्पणियाँ देकर हम इस प्रकरणको समाप्त करते हैं ।

टिप्पणी—१. गुहिलोतोंकी वंशावली ।

डी० आर० भांडारकरलिखित “इंडियन ऐंटिकरी” जिल्द ३९, पृष्ठ ८८ और मेवाड़ गजेन्द्रियरमें भिन्न भिन्न लेखोंमें वर्णित गुहिलोत वंशावली इस प्रकार दी हुई है—

आटपुराका लेख (सं० १०३४)	अचलगढ़का लेख (सं० १३४२)	बाणपुराका लेख (सं० १४०९)	ईसवी सन्
गुहादित्य	वाप्पा-राजसं- न्यास सं० ८२०	वाप्पा	७६३
१ गुहिल	गुहिल	गुहिल	
२ भोज	भोज	भोज	
३ महेन्द्र	
४ नाग	
५ शील	शील	शील	
६ अपराजित	
७ महेन्द्र (द्वारा)	
८ कालभोज	कालभोज	कालभोज	
९ खोम्भाण	८३६

❖ वि० ७०३ का एक लेख मिला है जिसमें उक्त नाम आया है। पर हमारा खयाल है कि उक्त लेखमें उल्लिखित राजा यह नहीं है।

† भांडारकर आदिका यह मत है कि कालभोज अथवा खोम्भाण इन्हींमेंसे कोई वाप्पा था और कालभोजसे ही यह वंश चला। ऐसा माननेका कारण वे यह बताते हैं कि गुहादित्यसे इस वंशका आरंभ माननेसे सं० ८१० से १०३४ वि० तक कुल बीस राजा हो जाते हैं, इस प्रकार प्रत्येकका औसत राज्यकाल अधिकसे अधिक दस वर्ष ही पड़ता है। और खोम्भाणको ही वाप्पा मान लेनेसे प्रत्येक राजाका राज्यकाल २० वर्ष निकलता है (वि० १०३४ — ८१० = २२४ = २० वर्ष), परन्तु यह औसत ठहरानेमें कितने ही पूर्वजोंको छूट देना पड़ता है; गुहिल, भोज, शील और कालभोजका लोप कर देना पड़ता है। अचलगढ़वाले लेखमें वाप्पाके पश्चात् इन राजाओंके नाम मिलते हैं। इससे इन राजाओंका होना ही अधिक संभव है। नरवाहनका लेख तो इससे भी अधिक प्राचीन है। उसमें भी वाप्पाका नाम पाया जाता है। ऐसी दशमें कुछ

१० महायक	
११ भर्तृपट्ट	
१२ सिंह	सिंह	सिंह	
१३ खोम्माण (दूसरा)	
१४ महायक	महायक	महायक	
१५ खोम्माण (तीसरा)	खोम्माण	खोम्माण	
१६ भर्तृपट्ट (दूसरा)	(इसकी रानी महालक्ष्मी राष्ट्रकूट वंशकी थी)		९३६
१७ अल्लट वि० १००८	अल्लट	अल्लट	९५१
१८ नरवाहन	नरवाहन	नरवाहन	९७१
(सं० १०२८)			
१९ शालिवाहन	
२० शक्तिकुमार	शक्तिकुमार	शक्तिकुमार	९७७
(सं० १०३४)			
२१ शुचिवर्मन			९८१ से
(सं० १०३८)			१००० तक

राजाओंके नाम बाद कर और राजाओंका कार्यकाल बढ़ाना अनुचित है । सब राजाओंका कार्यकाल अल्प होना भी संभव है । यह भी हो सकता है कि आटपुरावाले लेखमें तत्कालीन भिन्न-भिन्न शाखाओंकी वंशावली एक ही जगह दी गयी हो । दोनों ही बातें संभव हैं । पहलीका कारण उस समय राजपूतानेपर बारंबार अरबोंका आक्रमण होते रहना है । दूसरे अनुमानका आधार आटपुरावाले लेखमें शालिवाहनका नाम पाया जाना है, क्योंकि चित्तौड़की वंशावलीमें शालिवाहनका नाम आना संभव नहीं है । शालिवाहनकी राजधानी आटपुरा थी । आटपुराके राजा चित्तौड़की ही शाखाके होंगे और इस कारण उनके नाम भी चित्तौड़की वंशावलीमें दिये गये होंगे । केवल अवलगढ़वाले लेखको ही आधारभूत मानें तो ८१० वै० से १०३४ तक अर्थात् बाप्पासे लगाकर शक्तिकुमार तक ११ ही

टिप्पणी—२. क्या गुहिलोत मूलतः विदेशी अनार्य थे ?

श्रीयुक्त डी० आर० भाण्डारकरने गुहिलोत वंशके पूर्वतिहासपर एक निबंध लिखा है (बंगाल रायल एशियाटिक सोसायटी-न्यूसिरीज, जिल्द १, पृष्ठ १६७ से १८७ तक) । उसमें उन्होंने कहा है कि मेवाड़के गुहिलोत राजवंशका मूलपुरुष गुहदत्त नामका नागर ब्राह्मण था । वह मूलतः बड़नगरका निवासी और मेर जातिका था । “वास्तवमें देखा जाय तो बलभीके मैत्रक और नागर लोगोंका मूल निवासस्थान भारतवर्ष था । छठी शताब्दी (वि० ५५८-६५७) के आरंभमें, गुर्जर लोगोंकी तरह, उन्होंने हूणोंके साथ भारतमें प्रवेश किया ।” इस भ्रमोक्ति द्वारा श्री भाण्डारकरने तीन उच्चतम जातियोंको नीचे गिरानेकी बड़ाई प्राप्त की है । जो गुहिलोत वंश समस्त भारतमें विशुद्ध क्षत्रिय कहाकर सम्मानित हो रहा है, उसको उन्होंने जातिमें हीन ठहरा दिया, उसके पूर्वजों अर्थात् बलभी वंशको विदेशी करार दे दिया और ब्राह्मणोंकी एक श्रेष्ठ उपजाति-नागर ब्राह्मणोंको मेर अर्थात् अनार्य बना दिया । इस प्रकार इस उक्तिसे एक साथ तीन शाखाओंपर आक्रमण होनेके कारण उसके औचित्यका विचार करना आवश्यक हो रहा है ।

पहले यह देखना है कि भाण्डारकर महोदयकी दलील क्या है । फिर इसका विचार किया जायगा कि वह कहाँतक साधार और तर्कसिद्ध है । भाण्डारकरकी कल्पनाका आधार इस प्रकार है—“अलीनाके लेखमें कुछ प्रतिगृहीता (दान लेनेवाले) नागर ब्राह्मणोंके नाम दिये हैं । इन नामोंके अन्तमें ‘मित्र’ अछु लगा हुआ है ।” बस यही देखकर आपने मान

राजाओंके नाम मिलते हैं । इस प्रकार प्रत्येकका राज्यकाल मोटे हिसाबसे बीस वर्ष निकलता है ।

सार यह कि ‘बाप्पा’ खोम्माणका उपनाम होना संभव नहीं, हाँ वह पहले ही लेखमें उल्लिखित गुहादित्यका उपनाम हो सकता है । आडपुरा वाले लेखमें उपशाखाका नाम भी दिया जाना संभव है, अतः साधारण प्रकारसे अचलगढ़वाले लेखका क्रम ही अधिक विश्वसनीय सिद्ध होता है ।

लिया कि 'मित्र' अछवाले नाम नागर ब्राह्मणोंके ही होते हैं और इस आधारपर यह अनुमान कर लिया कि चूँकि वलभीके राजा सैत्रक कहते हैं इसलिये वे नागर ही होंगे, नहीं तो एक ही 'मित्र' शाखाके विभाग तो अवश्य ही होंगे (पृष्ठ १८३) । उन्होंने फिर इस अनुमानके सहारे यह तर्क भिड़ाया है कि "चूँकि मित्र और मिहिर दोनों ही सूर्यके पर्याय हैं इसलिये सैत्रक और मिहिर एकही होंगे अर्थात् सैत्रक और मिहिरका मेर अथवा 'मह' (मर्ह) लोगोंकी ही एक उपजाति होना सिद्ध होता है । सैत्रक (अर्थात् वलभी) वंशका अभ्युदय सन् ५०० ई० (वि० ५५७) के लगभग—अर्थात् जिस समय हूण लोग भारतमें प्रवेश कर उसे जीत रहे थे उस समय—हुआ, इससे प्रतीत होता है (निश्चय नहीं) कि गुर्जरोंकी तरह सैत्रक लोग भी एक विशिष्ट विदेशी जाति होंगे और उन्होंने हूणोंके साथ ही भारतवर्षमें प्रवेश किया ।" "पहले यह तरीका था कि जो विदेशी लोग भारतमें बस जाते थे उनके पुरोहित ब्राह्मण और क्षात्रवृत्ति-वाले लोग क्षत्रिय मान लिये जाते थे । इसी प्रथाके अनुसार गुहिलोत लोगोंको, जो मूलतः विदेशीय मेर थे, इस देशमें बसने पर इस देशके लोग क्षत्रिय मानने लगे ।" संक्षेपमें भाण्डारकरका आशय इस प्रकार है—नागर ब्राह्मण मूलतः मित्र अर्थात् मेर जातिके विदेशीय लोग थे । गुहिलोत वंशका मूलपुरुष नागर था अतः यह वंश विदेशीय सिद्ध होता है । गुहिलोत वंशको वलभी वंशकी शाखा मानें तो भी वह विदेशी ही सिद्ध होता है, क्योंकि वलभी वंशके राजा अपनेको सैत्रक कहते हैं और इससे उनका सम्बन्ध मेर लोगोंसे सिद्ध हो ही गया । इस प्रकार चाहे गुहिलोत वंशका आदिपुरुष नागर ब्राह्मण माना जाय, और चाहे गुहिलोत वंशकी उत्पत्ति वलभीके सैत्र वंशसे मानी जाय, दोनों ही अवस्थाओंमें गुहिलोतोंके पूर्वज मेर नामके विदेशी लोग ही सिद्ध होते हैं ।

अंग्रेजी तर्कशास्त्रमें जिसे डायलेमा कहते हैं, उसी तरहका तर्क उपस्थित कर भाण्डारकरने अपने मतका समर्थन करनेका यत्न किया है । इस तर्कमें दो पक्ष अथवा विकल्प हैं । पर चाहे जिस पक्षका अवलम्बन किया जाय सिद्धान्त एक ही निकलेगा । ऐसी तर्कप्रणाली सदा ही

सदोष नहीं हुआ करती, दोष बहुधा प्रमाणमें ही मिलेगा। विकल्पकी किसी एक प्रतिज्ञाको सदोष ठहराना है, अतः पहले अनुमानके एक ही प्रमेयपर विचार करते हैं। अनुमानका प्रथम प्रमेय तो सदोष है ही। गुहिलोत वंशके मूलपुरुषको नागर ब्राह्मण मान लें (यद्यपि वास्तवमें यह बात शंकास्पद ही है) तो भी इतनेसे ही गुहिलोतोंका विदेशी होना सिद्ध नहीं होना। क्योंकि जिस दलीलसे इस बातको सिद्ध करना है वह खुद ही गलत है। 'मित्र' और 'मिहिर' शब्दोंका आपसमें कोई सम्बंध नहीं। अतः मित्र शब्दका काठियावाड़की एक नीच जातिके वाचक 'मेहर' शब्दसे किसी प्रकारका संबंध नहीं स्थापित किया जा सकता। यह पहले प्रमेयका संक्षेपमें निराकरण हुआ। दूसरा प्रमेय अधिक कठिन, जटिल और महत्वपूर्ण है, क्योंकि उससे मेवाड़के राजकुलकी परम्परापर भारी आघात पहुँचा है। मेवाड़के राजपूतोंकी दृढ़ धारणा है कि मेवाड़ का गुहिलोत वंश भटार्क द्वारा संस्थापित बलभी राजवंशकी शाखा है, भटार्कका वंश-सम्बंध कनकसेनसे था और कनकसेन सूर्यवंशी श्रीरामचन्द्रके वंशमें उत्पन्न हुआ था।

इसमें सन्देह नहीं कि भाण्डारकरने अपने उक्त मतकी पुष्टिमें बहुतसे शिलालेखोंका प्रमाण दिया है। पर इसके साथ ही उन्हें उन लेखोंको समीक्षा करना और उन्हें परम्पराकी कसौटीपर कसना चाहिये था। शिलालेख अथवा ताम्रपत्रपर खोद दी जानेसे ही कोई बात सच्ची नहीं हो जाती। बाण्पारावल नागर ब्राह्मण था अथवा क्षत्रिय था, इसका पक्का निश्चय करनेके लिए बाण्पाके समयका कोई लेख आज उपलब्ध नहीं है। बाण्पारावलका काल साधारण रीतिसे ७०० ई० से ७६४ ई० (वि० ७५७ से ८२१) सिद्ध होता है। पर इस कालका ऐसा एक भी प्रमाण नहीं मिलता जिससे बाण्पाके चरित्रके विषयमें संशयरहित जानकारी प्राप्त हो। दूसरे, बाण्पा जैसे विख्यात वंशसंस्थापकके विषयमें विस्मयकारक दंतकथाओंका रचा जाना स्वाभाविक बात है। अधिकतर दंतकथाएँ अतिरंजित होती हैं और इसलिये सदा विश्वसनीय नहीं होतीं। बाण्पारावलके विषयमें एक दंतकथा आज भी मेवाड़में प्रचलित है। वह यह है कि बाण्पा (अथवा उसके

किसी पूर्वज) की माता पदाभिषिक्त रानी थी । उसके पतिपर विदेशियोंने चढ़ाई कर उसे राज्यच्युत और उसके समस्त कुल तथा राज्यका नाश कर दिया । रानी वनमार्गसे भागती जा रही थी कि जंगलमें ही उसके पैरसे बाप्पाका जन्म हुआ । पर यह कथा मनगढ़न्त हो सकती है । कितने ही राज्यसंस्थापकोंके विषयमें इसी प्रकारकी कथाएँ प्रसिद्ध हैं । पाटणके वनराजका जन्म-वृत्तान्त भी ऐसा ही है । दक्षिणके वंशसंस्थापकोंके विषयमें केवल ऐसी जनश्रुतियाँ ही नहीं हैं, किन्तु शिलालेख भी मिले हैं । जो हो, बाप्पाकी जन्म-सम्बन्धिनी यह कथा विश्वसनीय नहीं है । इसके अतिरिक्त निश्चित प्रमाणाँसे सिद्ध हो चुका है कि वलभीका अन्तिम राजा ७६६ ई० (वि० ८२३) तक जीवित और राज्य करता था । अर्थात् बाप्पाका राज्यकाल समाप्त होने (७६३ ई०) के चार वर्ष बादतक वलभीका अन्तिम राजा वहाँकी गद्दीपर विराजमान था । इसलिये पहले तो यह देखना चाहिये कि किसी विशेष दन्तकथाकी उत्पत्ति स्वाभाविक है या नहीं और उसके विषयमें तत्कालीन लेखोंका प्रमाण कितना मिलता है ।

अतः अब हम बाप्पाके विषयमें उपलब्ध आख्यायिकाओंको तत्कालीन लेखोंकी कसौटीपर कसकर यह देखेंगे कि उनमें तथ्यांश कितना है । बाप्पाके ब्राह्मण होनेका पहला स्पष्ट उल्लेख चित्तौड़ और अचलगढ़वाले लेखोंमें पाया जाता है । ये दोनों ही लेख एक ही मनुष्यके लिखे हुए हैं और क्रमसे १२७४ ई० (वि० १३३१) और १२८५ ई० (वि० १३४२) में, अर्थात् बाप्पाके ५०० वर्ष बाद लिखे गये हैं । इनमें स्पष्ट लिखा है कि बाप्पा ब्राह्मण था और उसका आदि वासस्थान आनंदपुर था ।

जीयादानन्दपूर्व तदिहपुरं.....यस्मादागत्य विप्रः.....बाप्पाख्यो ।
अचलेश्वरवाले लेखके बादके लेखोंमें इसी परम्पराका अनुवाद मात्र किया गया है । उदाहरणार्थ एकलिंगमाहात्म्य और एकलिंग लेखोंमें यही बात लिखी है । एकलिंग लेखमें तो साफ ही लिख दिया गया है कि हम पूर्व कवियोंके कथनको ही दुहरा रहे हैं । इन पूर्ववर्ती कवियोंकी उक्तियोंमेंसे आदपुरावाले लेखकी बातोंका विचार हमें अवश्य करना चाहिये । क्योंकि वह यद्यपि बाप्पाके ३०० साल बाद लिखा गया है, फिर भी अचलेश्वरवाले

लेखसे वह २०० वर्ष पहलेका है। उसमें अचलेश्वरवाले लेखके पूर्वोक्त कथनका कुछ कुछ समर्थन करनेवाला जो श्लोक मिलता है वह यह है—

आनन्दपुरविनिर्गत विप्रकुलानन्दनो महीदेवः ।

जयति श्री गुहदत्तः प्रभवः श्रीगुहिलवंशस्य ।

संभवतः इस श्लोकका अर्थ ठीक न समझनेसे ही पीछेके लेखकोंको भ्रम हुआ। पृथ्वीराजरासोकी पंक्तिर्वांका ठीक अर्थ न मालूम होनेसे अग्नि-कुलकी उत्पत्तिके सम्बन्धमें कैसी असंगत कल्पना कर ली गयी, यह हम दिखा चुके हैं। प्रस्तुत श्लोकका प्रथम पद “आनन्दपुर विनिर्गत” है। यह “आनन्दपुर” नागर ब्राह्मणोंके पूर्व निवासस्थान बड़नगरका ही दूसरा नाम है, इसके लिए कोई प्रमाण नहीं। यह बात भांडारकर महाशयको भी स्वीकार है। इधर गुहिलोत्त राजपूतोंके पूर्व वासस्थान आटपुराका नाम भी आनन्दपुर था। यही नहीं, आनन्दपुर नाम किराने ही गांवोंने पाया है। ऐसी स्थितिमें आनन्दपुर शब्द निश्चित रूपसे बड़नगरका ही वाचक नहीं हो सकता। दूसरे, चित्तौड़के जिस लेखका ऊपर उल्लेख हुआ है उससे स्पष्ट प्रकट होता है कि यहां आनन्दपुर नागहृदके लिए ही रखा गया है, क्योंकि प्रथम श्लोकमें नागहृदका वर्णन कर “जीयादानन्द पूर्व तदिहपुरे……” से उसका ही निर्देश किया गया है। इस श्लोकसे यह भी नहीं सिद्ध होता कि गुहिलोत्त वंशका संस्थापक ब्राह्मण जातिका पुरुष था। बल्कि उसका नागर ब्राह्मण न होना ही अधिक संभव दिखाई देता है। वह नागर ब्राह्मण होता तो अचलेश्वर और चित्तौड़के लेख लिखनेवालेने बड़े अभिमानसे इस बातका उल्लेख किया होता, क्योंकि इन कवित्वमय लम्बी-चौड़ी प्रशस्तिर्वांका लेखक स्वतः नागर ब्राह्मण था, इसका प्रमाण हमें उसके काव्यमें ही मिलता है।

तेनैवापि व्यधायि स्फुटगुणविशदा नागरजातिभाजा

विप्रेणाशेष विद्वज्जनहृदयहरा चित्रकूटस्थितेन ।

एकलिंगाभाहात्म्य तो बहुत ही इधरकी रचना है अतः इतिहासकी दृष्टिसे उसका कुछ भी महत्व नहीं है।

उक्त श्लोकका सबसे महत्वपूर्ण शब्द महीदेव है। उसका अर्थ राजा और ब्राह्मण दोनों ही हो सकता है। यहाँ इस शब्दका भाण्डारकरकृत अर्थ ब्राह्मण न होकर, उनके उत्तरमें मोहनलाल पण्ड्याका बताया हुआ “राजा” ही होना संभव है। कारण यह कि “विप्रकुलानन्दनो महीदेवः” लिखकर यहाँ विप्र और महीदेवमें स्पष्ट विरोध-भाव दिखाया गया है और इससे काव्यका रसभंग नहीं होता। महीदेवका अर्थ ब्राह्मण करनेसे कविपर पुनरुक्तिका दोष लगता है। अतः इस श्लोकसे ही गुहदत्तके क्षत्रिय होने और उसीका नाम बाप्पा होनेकी संभावना प्रकट हो रही है। परन्तु भाण्डारकरको यह मत स्वीकार नहीं है। उनके मतसे महेन्द्रजित अथवा कालभोज इन्हीं दोनोंसे किसीका पुकारनेका नाम बाप्पा था। (मेवाड़ गजेतिप्रके लेखक अस्किनका भी यही मत है।)

भाण्डारकरके मतसे ❀ गुहदत्त गुहिलका नाम होगा। पर यह अनुमान ठीक नहीं है। गुहिल बाप्पाके बाद राठ्यारूढ़ होनेवाले उसके बेटेका नाम था, यह माननेके लिए अनेक लेखोंका आधार प्राप्त है। वैसे ही गुहदत्तका ही बाप्पा होना भी प्राचीन लेखोंसे सिद्ध होता है। इन लेखोंके अपेक्षाकृत अधिक अर्वाचीन होनेके कारण भाण्डारकरने इनकी विश्वसनीयताको शंकासरद माना है। पर कदाचित् उन्होंने नरवाहनके अत्यन्त प्राचीन लेखका विचार नहीं किया है। यह लेख सं० १०२८ (९७१ ई०) का है, अर्थात् वह अचलेश्वर, चित्तौड़गढ़ और आटपुरा इन तीनों स्थानोंके लेखोंसे अधिक प्राचीन है। अचलेश्वर और चित्तौड़गढ़के लेखोंमें स्पष्ट लिखा है कि बाप्पा ही मेवाड़ राजवंशका संस्थापक था। नरवाहनके लेखोंमें भी बाप्पाके राजसंस्थापक होनेकी बात इतनी ही स्पष्टतासे लिखी हुई है। यह लेख बहुत दूरी-फूटी दशामें है, कहीं कहीं मिट भी गया है। पर इसके प्रारम्भमें ही बाप्पाका नाम बिलकुल साफ पढ़ा जाता है। बाप्पाके लिए ही इसमें “गुहिल-गोत्र-नरेन्द्रचंद्र” विशेषण आया है। इसके सिवा

❀ अचलेश्वरवाले लेखसे इस कल्पनाकी संगति लगाना प्रायः असंभव है। बाप्पा यदि ब्राह्मण था तो क्या कालभोज भी क्षत्रिय न होकर नागर ब्राह्मण था ?

बाप्पाके पहले और कोई नाम नहीं दिया गया है (देखिए भावन० ई०, पृष्ठ ५९) । इन सब प्रमाणोंसे सिद्ध होता है कि बाप्पारावल ही गुहिल राजवंशका मूलपुरुष था और वह क्षत्रिय था । और जब हमारे कथना-नुसार गुहदत्तका ही बाप्पारावल होना साबित हो गया तब “महीदेव” शब्दका अर्थ “राजा (क्षत्रिय)” ही करना उचित है ।

नरवाहनके लेखसे, जो सब लेखोंमें अधिक प्राचीन है, बाप्पारावलका गुहिलोत्त वंशसंस्थापक तथा राजा (क्षत्रिय) होना प्रकट होता है । अर्थात् ९७१ ई० तकके किसी भी लेखमें बाप्पारावलका ब्राह्मण होना नहीं पाया जाता । आठपुरावाल लेखके ‘महीदेव’ शब्दका अर्थ परवर्ती लेखोंमें अमसे ब्राह्मण मान लिया गया होगा और चित्तौड़गढ़ तथा अचलेश्वर वाले लेखोंके समय (१२७४ ई०) ब्राह्मण अर्थ ही विशेष रूपसे रूढ़ रहा होगा । “महीदेव” शब्दका वस्तुस्थितिसे भिन्न यह अर्थ भागे चलकर क्यों रूढ़ हो गया, यह बात तत्कालीन अन्य राजवंशोंके इतिहासोंसे दिखाई जा सकती है ।

विख्यात वंशोंके संस्थापकोंके विषयमें कल्पित कथाएँ सदा ही कही जाती हैं । बात यह है कि असाधारण पुरुषकी सभी बातें—उसके जन्मकी, उसके पराक्रमकी, उसको प्राप्त हुए यशकी—असाधारण ही न होनी चाहिये ? पुरुषार्थकी अपेक्षा अद्भुत बातोंपर साधारण मनुष्यका विश्वास तो शीघ्र हो ही जाता है, विभूतियोंके पराक्रमके साथ स्वाभाविक वर्णनकी अपेक्षा काल्पनिक पृत्रम् अलौकिकता-सूचक वर्णन ही लोगोंको अधिक रुचिकर जान पड़ते हैं । इस मनोवृत्तिके कारण वंशसंस्थापकोंके चरित्रमें सदा ही अद्भुत रसकी मिलावट पायी जाती है, पर इतिहासकारको चाहिये कि उसके कवित्वांशको अलग कर केवल सत्य भागको ग्रहण करे । चालुक्य वंशके संस्थापकके विषयमें शिलालेखोंमें ऐसीही अद्भुत बातें मिलती हैं । कहा गया है कि इस वंशका मूलपुरुष भारद्वाज द्रोणाचार्यके दिये हुए अध्यसे (अर्थात् चुल्लूकसे) उत्पन्न हुआ । तनिक विचार करनेसे ही यह बात समझमें आ सकती है कि यह कथा चालुक्य शब्दपर कविकी श्लेषोक्ति मात्र है । प्रतिहारोंके विषयमें भी ऐसी ही दन्तकथा उपलब्ध

हे । भगवान् रामचन्द्रके द्वारपाल (प्रतिहार) का काम सदैव लक्ष्मणजी किया करते थे, इसलिये प्रतिहार लोग अपने वंशकी उत्पत्ति लक्ष्मणसे मानते हैं । 'प्रतिहार' शब्दका यह श्लेष सहज ही समझा जा सकता है । पौराणिक ऋषिकुलोंके मूलपुरुषोंके सन्तानधर्ममें भी अत्यन्त धिलक्षण और बहुत कुछ ऊटपटांग कथाएँ प्रसिद्ध हैं । वेदोंके कथानकोंकी भी यही दशा है । पर इन बातोंको विशेष महत्त्व देनेका प्रयोजन नहीं । वेदमें एक स्थान-पर लिखा है कि वसिष्ठ ऋषिकी उत्पत्ति उर्वशी अप्सरासे हुई । हमी उर्वशीको पुराणोंमें साधारण गणिकाका रूप दे दिया गया है, फलतः वसिष्ठ गणिका-पुत्र हो गये । अगस्त्य ऋषिकी उत्पत्ति-कथा भी ऐसी ही ऊटपटांग है । उर्वशीको देखकर मित्रावरुण अत्यन्त कामासक्त हो गये और उनका रेत स्खलित हो गया जिसे उन्होंने एक घड़ेमें डाल दिया । उसी घड़ेसे अगस्त्य उत्पन्न हुए । इसीसे अगस्त्य ऋषि कुंभयोनि नामसे प्रसिद्ध हैं । भृगुऋषि-का जन्मवृत्तान्त भी इसी तरहका है । पुराणोंकी इन कथाओंका वर्णन करनेकी आवश्यकता नहीं । सभी प्रसिद्ध पुरुषोंकी उत्पत्ति विस्मयजनक और बहुतांकी तो खेदपूर्ण तथा आश्चर्यमय है । यूनानी लोगोंमें भी उनके वंश-संस्थापकोंके विषयमें ऐसे ही चमत्कारिक वृत्तान्त प्रसिद्ध हैं । पर उनमेंसे सभी सच नहीं हैं । ये कथाएँ कालान्तरमें इस दृष्टिसे रची जाती हैं जिससे जनसाधारणको सुनकर आश्चर्य हो । उनके मूलमें थोड़ा बहुत सत्य रहता है, कमसे कम वे सदबुद्धिसे रची गयी हों तो प्रयत्न करनेसे उनका हेतु भी प्रकट किया जा सकता है ।

बाप्पारावलको ब्राह्मण क्यों मान लिया गया, इसकी उत्पत्ति दी जा सकती है । सभी क्षत्रिय-कुल किस तरह अत्यन्त धर्मशीलतासे अपने-अपने गोत्रका पालन करते थे, इस विषयमें हम अन्यत्र विस्तारसे विवेचन कर चुके हैं । उदयपुरके राजकुलका गोत्र वैजवाय है । कितने ही क्षत्रियों और ब्राह्मणोंके गोत्र एक ही हैं और इस प्रकार विभिन्न वर्णोंमें एक ही गोत्रका प्रचलित होना बहुतांके लिए एक समस्या ही है । एक टिप्पणीमें हमने इस समस्याका समाधान करनेका यत्न किया है और उसीके सहारे हम प्रस्तुत प्रश्नको हल करनेका यत्न करेंगे । तेरहवीं शताब्दीमें विज्ञा-

नेश्वरका मत प्रचलित था । इस मतके अनुसार क्षत्रिय-कुलोंने अपने अपने पुरोहितोंके ही गोत्र ग्रहण कर लिये, और इसी कारण ब्राह्मणों तथा क्षत्रियोंके गोत्र एक ही हैं । अपनी गोत्र-सम्बन्धिनी टिप्पणीमें हमने सिद्ध कर दिया है कि यह मत ठीक नहीं है ।

विज्ञानेश्वरके पहले एक और मत प्रचलित था और हमारा विचार है कि उसीके आधारपर बापारावलको ब्राह्मण मान लिया गया होगा । इस मतके अनुसार गोत्रोक्त ऋषि उस विशेष कुल-शाखाका केवल संस्थापक ही नहीं होता, किन्तु उसका अत्यन्त पुरातन पूर्वज भी होता है । परमारकुलका वसिष्ठ गोत्र क्यों है ? इसीलिए कि परमारोंके लेखोंमें इस कुलके पुरातन पूर्वज परमारकी उत्पत्ति वसिष्ठ ऋषिके (यज्ञ) कुण्डसे बताया गयी है । चेदीके लेखमें चालुक्य वंशकी उत्पत्ति इसी प्रकारकी बताया गयी है, जिसके विषयमें हम पहले लिख आये हैं । भारद्वाजके सुहृद् (सुहृद) से चालुक्य वंशके मूलपुरुषका जन्म हुआ, इसलिये इस वंशका गोत्र भारद्वाज हुआ । चाहमान (चौहान) कुलके उदाहरणसे यह बात और भी स्पष्ट हो जाती है । चाहमान कुलका गोत्र वत्स है । इस कुलकी उत्पत्ति भी अनेक प्रकारसे बतायी गयी है । विजोलियाके लेखमें कहा गया है कि चाहमान वंशमें सामन्त नासका जो पहला राजा हुआ उसका जन्म अहिच्छत्र-निवासी एक वत्सगोत्रीय ब्राह्मणसे हुआ था, इसीसे चाहमान कुलका गोत्र प्राचीन कालसे वत्स है । आगे चलकर चाहमानोंके गोत्रकी दूसरी ही उत्पत्ति निकाली गयी । १३१९ (वि० १३७६) के अर्थात् चित्तौड़गढ़ और अचलेश्वरके लेख लिखे जानेके समयके छालिगदेव राजाके सुंढावाले लेखमें यह उत्पत्ति मिलती है । इसके सहारे चाहमानोंका सम्बन्ध ठीक वत्स ऋषितक पहुँचा दिया जाता है । इस आशयका लेख मिलता है कि वत्स ऋषिके धानन्दाश्रुसे चाहमानकी उत्पत्ति होनेके कारण चाहमानोंका गोत्र वत्स माना जाने लगा । गोत्रोत्पत्ति ठहरानेके ये सब विविध प्रयत्न मात्र हैं । इसी रीतिसे गुहिलोत वंशके गोत्रकी उत्पत्ति बापारावलको ब्राह्मण मानकर दी गयी है । अर्थात् जिस प्रकार चाहमान राजपूतोंका गोत्र वत्स होनेसे उनके मूलपुरुषकी उत्पत्ति ब्राह्मणसे हुई मानी जाती

थी उसी प्रकार गुहिल कुलका गोत्र वैजवाय होनेसे इस वंशके आदिपुरुष बाप्पारावलका उस (वैजवाय) गोत्रका ब्राह्मण होना तेरहवीं शताब्दीमें माना जाने लगा । सार यह कि ब्राह्मणों और क्षत्रियोंके गोत्र एक ही होनेसे यह मान लिया गया कि उनके मूलपुरुष ब्राह्मण रहे होंगे । और इसी रूढ़िका अनुसरण कर आटपुरा-लेखके 'महीदेव' शब्दका अर्थ क्षत्रिय न करके ब्राह्मण किया जाने लगा । पूर्व विवेचनानुसार राजपूत और ब्राह्मण दोनोंकी उत्पत्तिकी कथा काल्पनिक और फलतः सदैव त्वाज्य है । ऐसी जगश्रुतियोंका जितना अंश संभव जैचे उतना ही ब्राह्म होता है ।

हमारे मतसे बाप्पारावल ब्राह्मण नहीं, क्षत्रिय था । वह उस समयकी गोत्र-विषयक भ्रान्त कल्पनाके कारण ब्राह्मण मान लिया गया होगा । परन्तु वादका दूसरा विषय इससे भी अधिक विचारणीय है । जाना कि जैसा कि डा० भाण्डारकर कहते हैं बाप्पारावल ज्ञानन्दपुर अथवा नड़नगरनिवासी नागर ब्राह्मण था और उसीसे गुहिलोत वंशकी उत्पत्ति हुई । पर इतनेसे ही, अर्थात् इस वंशके संस्थापक बाप्पाके ब्राह्मण होनेसे ही, स्वस्त गुहिलोत वंशका विदेशीय होना कैसे सिद्ध होता है ? पहले भागमें और इस भागमें भी हम दिखा चुके हैं कि उस समय ब्राह्मणके क्षत्रिय-कन्याका पाणिग्रहण करनेसे उस दम्पतीकी सन्तति क्षत्रिय मानी जाती थी और इस प्रकारके विवाह उस समय प्रचलित थे । हिन्दू धर्म-शास्त्र ऐसे विवाहकी सन्ततिको क्षत्रिय मानता है और पुत्रिकापुत्रकी कल्पना उसको स्वीकार है । बाप्पाका विवाह यदि किसी क्षत्रिय-कन्यासे हुआ हो तो उससे उत्पन्न सन्तति माताकी सम्बन्ध मानी जानेसे बाप्पारावलकी सन्तति जातिसे क्षत्रिय सिद्ध होती है । इसके सिवा शिला-लेखोंसे प्रकट होता है कि बाप्पाके बादकी पीढ़ियाँ क्षत्रिय थीं और क्षत्रिय स्त्रियोंसे ही उनके विवाह हुए, फिर बीचमें एक आदमीके ब्राह्मण हो जानेसे ही सभ्य गुहिलोत वंश किस प्रकार ब्राह्मण हो गया ? अतः बाप्पारावलको ब्राह्मण मान लेनेपर भी गुहिलोत वंश किसी प्रकार विदेशीय नहीं सिद्ध होता । बाप्पाके बादके गुहिलोत राजाओंका सम्बन्ध क्षत्रिय कुलोंसे ही हुआ दिखाई देता है । इन सब बातोंका विचार करते

हुए केवल एक बापपाको ब्राह्मण मान लेने पर भी सम्पूर्ण गुहिलोत वंशको ब्राह्मण स्थिर करना अनैतिहासिक है ।

बापपारबलके नागर ब्राह्मण होनेकी बात हमें तो साफ गलत मालूम होती है । पर वह ठीक हो तो भी उस समय ब्राह्मणका क्षत्रिय-कन्यासे विवाह होना प्रचलित था । संभव है, इसी प्रथाके अनुसार बापपाने ईडरके गुहिल (गुहिलोत) कुलकी क्षत्रिय-कन्यासे विवाह किया हो, उस कन्यासे उत्पन्न पुत्र अपने ननिहालका पुत्रिकापुत्र मान लिया गया हो और इस रूपसे उसने पूर्व वंशको कायम रखा हो, उसके पुत्रका नाम गुहिल (ननिहालका ही) पड़ा हो और इससे चले हुए नये वंशको गुहिलोत (गुहिलपुत्र) नाम प्राप्त हुआ हो । ऐसे अनेक उदाहरण दिये जा सकते हैं । काश्मीरका गोमदीयवंशी राजा बालादित्य अबुत्रक मरा, और उसका कोई भी पुरुष उत्तराधिकारी न होनेसे वंश-लोपकी आशंका थी । अतः राजाने इस अवस्थामें कन्या द्वारा ही वंशरक्षा करनेके उद्देश्यसे अपनी एकलौती कन्या सनातन प्रथाके अनुसार किसी राजाको न देकर दुर्लभवर्द्धन नामक अपने एक कर्मचारीसे उसका न्याह कर दिया । पूर्व निश्चयके अनुसार यह दुर्लभवर्द्धन ६०२ ई० (वि० ६५९) में सिंहासनासीन हुआ, और उसके पुत्रने नानाका ही नाम ग्रहण किया, यह हम पहले भागमें लिख चुके हैं । इसी प्रकार बापपाने ब्राह्मण होकर भी क्षत्रिय कुलकी एकलौती कन्याका याचिग्रहण किया होगा और इस कन्यासे उत्पन्न पुत्रसे पुनः गुहिल वंश चला होगा । बापपाके बेटेका नाम गुहिल था और उसके नामानुसार ही वंशका नाम पड़ा, यह बात अचलेश्वरके लेखमें स्पष्ट लिखी है । ॐ तात्पर्य यह है कि उस समय ब्राह्मण और क्षत्रियका परस्पर विवाह प्रचलित था और बापपा ब्राह्मण रहा हो तो भी उसने क्षत्रिय-कन्यासे विवाह किया होगा । सिंधके छल और काबुलके शाही (लोगों ?) का वृत्तान्त पहले दिया जा चुका है (भाग १) । पुत्रिकापुत्र-धर्मके अनुसार इन क्षत्रिय-कन्याओंसे उत्पन्न लड़की-लड़के क्षत्रिय ही माने जाते थे और उनका

ॐ यत्पुत्रस्य तत्तया नयनेता संवभूव नृपतिर्गुहिलाख्यः । यस्य नामक-
लिंगं किल जातिं भूभुजां दधति तत्कुलजाताः ॥

विवाह-सम्बन्ध अन्य क्षत्रिय कुलोंसे होता था। गुहिलोंत कुलवालोंका विवाह-सम्बन्ध एतद्देशीय क्षत्रियोंसे हुआ है, इससे स्पष्ट है कि प्राचीन कालमें भी गुहिलोंत वंशवालोंकी गणना एतद्देशीय खरे क्षत्रियोंमें होती थी।

अस्तु, बाप्पारावल और उसके वंशके विषयमें हमारा मत संक्षेपमें इस प्रकार है—सम्पूर्ण उपलब्ध लेखोंमें नरवाहनका लेख अत्यन्त प्राचीन है (६७१ ई.)। उससे बाप्पाका ब्राह्मण न हो कर क्षत्रिय होना स्पष्ट प्रकट होता है। आठपुराका लेख बादका है और उसमें आये हुए “महीदेव” शब्दका अर्थ ब्राह्मण क्यों किया गया, यह हम गोत्र-विवेचन द्वारा बता चुके हैं। बाप्पारावलका मूलवंश गुहिल ही होगा। बाप्पा क्षितिपति (क्षत्रिय) गुहिल वंशका मानो चन्द्रमा था, ☾ नरवाहनके लेखके इस वाक्यसे जान पड़ता है कि मूल तलभी वंशकी एक शाखा नागड़ा (नागहद) में रहती थी जो गुहिल वंश कहलाती थी। संभवतः यह गुहादित्य द्वारा स्थापित ईडर शाखाकी उपशाखा रही होगी। इसी कुलमें अपराजित और शील नामके पराक्रमी राजा हुए होंगे, क्योंकि उनके पहलेका लेख उपलब्ध है। इसी राजवंशमें (द्विज कुलमें नहीं) बाप्पाने जन्म लिया होगा। वह अत्यन्त विख्यात पुरुष हुआ। कुलदीपक पराक्रमी पुरुषोंसे नया वंश चला ही करता है, अतः बाप्पा गुहिल वंशका मूलपुरुष मान लिया गया। बाप्पाके पूर्व वंशजोंको गुहिल और उसके पीछेवालोंको गुहिलोंत अथवा गुहिलपुत्र ये दो भिन्न वंशसंज्ञाएँ दी गयी होंगी। बाप्पाका मूल नाम यही रहा होगा, कुल-संस्थापक होनेके कारण पीछेसे लोग उसे इस नामसे (बाप्पा = बाबा) स्मरण करने लगे होंगे; क्योंकि उस समय राजकुलमें भी यह नाम प्रचलित था (देखिये एपिग्राफिका इंडिका जिल्द ९ “बप्प भट्टारक पाद भट्टरसः”)। बाप्पा अत्यन्त धर्मशील और शिरोपासक था, उसके गुरु हारीत मुनि थे। अपने ही पराक्रमसे उसने उच्चपद प्राप्त किया और चित्तौड़का राजा हुआ। हिन्दू राजाओंके प्रथानुसार उसके अनेक शिष्योंसे

☾ यस्मिन्नभूद् गुहिल गोत्रनरेन्द्रचन्द्रः श्रीवत्पकः क्षितिपतिः क्षिति-पीठरत्नम् ।

विवाह करनेकी बात शिलालेखमें ही लिखी है। उसके सन्तति भी बहुत हुई। बाप्पाके वंशजोंकी संख्या आज कई सहस्र है और वे सारे राज-पूतानेमें फैले हुए हैं। उसका राज्यकाल उथलपुथल कर देनेवाली घटनाओंसे भरा था। उसे समाप्त कर बुढ़ौतीमें उसने संभवतः संन्यास ले लिया और शेष आयु ईश-चिन्तनमें बितायी। †

अब साण्डारकरका मत क्यों टिकने लायक नहीं है यह भी संक्षेपमें सुन लीजिये। आटपुराके लेखमें आये हुए “महीदेव” शब्दका अर्थ ब्राह्मण न करके क्षत्रिय करना ही सर्वथा युक्त है। और ब्राह्मण अर्थ करनेसे भी बाप्पाका नागर ब्राह्मण होना किसी प्रकार नहीं सिद्ध होता। क्योंकि आनन्दपुर अर्थात् बड़नगरका मूल निवासी मान लेनेसे ही उसका नागर ब्राह्मण होना कैसे सिद्ध होगा? क्या बड़नगरमें और जातिके ब्राह्मण नहीं थे? इसके सिवा आनन्दपुर बड़नगरके अतिरिक्त और कई नगरोंका भी वाचक है। चित्तौड़गढ़के लेखमें तो नागदाको ही स्पष्टतः आनन्दपुर † बताया गया है। फिर नागर ब्राह्मण मूलतः मेर जातिके भी नहीं हैं। तब इन दलीलोंके सहारे जिनमेंसे एक भी टिकनेवाली नहीं, बाप्पा और उनके वंशज राजाओंका विदेशी होना किस तरह साबित होगा?

परिशिष्ट ।

शक्तिकुमारका आटपुरावाला लेख ।

इंडियन ऐंटिकरी १९१० जिल्द ३९ पृष्ठ १९१

संवत्सरशतेषु दशसु चतुर्विंशत्यधिकेषु वैशाख शुक्ल प्रतिपदि संवत् १०३४ वैशाख शुक्ल प्रतिपदातिथौ श्रीनानिगस्वामि देवायतनं कारापितं ॥
आनन्दपुरविनिर्गत विप्रकुलानन्दनी महीदेवः । जयति श्रीगुहदत्तः प्रभवः

† देखिये एर्कलिंग जीका लेख—दत्ता महीमच्छगुणाय सूनवे नवेन्दु मौलिं हृदि भावयन्तृपः । जगाम बप्पः परमैश्वरं महो महोदयं योग युजाम-संशयम् ॥

‡ यस्मिन्नागहृदावहं पुरमिलाखण्डावनीभूषणम् ।

जीयादानन्दपूर्वं तदिह पुरमिलाखण्डसौन्दर्यशोभि ॥

श्रीगुहिल वंशस्य । यस्यान्वये जगति भोजमहेन्द्रागः शीलापराजित
महेन्द्रजायतेकवीरः ॥ जातैर्यथार्कसमशोभितकालभोजखोम्भापैः भर्तृपटैः ।
सिंहोऽभवत् तदनु तद्भृतापि जज्ञे खोम्भाण इत्यथ सुतोस्य महायकोऽभूत् ।
खोम्भाणमात्मजमवाप सचाथ तस्मात् लोकत्रयैकतिलकोजनि भर्तृपटः ॥ ३ ॥
राष्ट्रकूटकुलोद्भूता महालक्ष्मीरिति प्रिया । अभूद्वयस्या भवत् तस्यां तनयः
श्रीमदल्लटः ॥ ४ ॥ स भूषतिः प्रिया यस्य हूणधोनीशवंशजा दरीयदेवी
यशो यस्या भाति हर्षपुराण्यम् ॥ अबिकलफलाधारो धीरः स्फुरद्विलसन्करो
विजयवसतिः क्षत्रक्षेत्रंश्रुतादितिसंहतिः । समजजिजना—प्रतापतरुदुभूतो
विभवभवनंविधादेवी नृपो नरवाहनः ॥ ६ ॥ चाहमानान्वयोद्भूता श्रीजेजय
नृपात्मजा, राजा जयति शालिवाहनः इति ख्यातः प्रतापः ततः ॥ ८ ॥ ततः
शक्तिकुमारोऽभूत् सुतः शक्तिप्रयोजितः । भर्तृपट्टाभिघाश्रीश्च प्राप राष्ट्रमधा-
पयत् × ॥ ५ ॥ श्रीगदादपुर—गुतालयं यस्य वास इति संपदं पदं यत्र
सन्ति नृपपुंगवाः समं कक्षपादपदातगामिनः ॥ १० ॥

तीसरा प्रकरण ।

सांभरके चाहमान ।

गुहिलोत वंशके साथ साथ जिन कतिपय अन्य राज-
वंशोंने ख्याति प्राप्त की उनमें सांभरके चाहमान
अर्थात् चौहान वंशका आसन अत्युच्च है । टाडका तो कहना
है कि घोर वृत्तिमें अन्य कोई भी क्षत्रिय कुल इसकी बराबरी
नहीं कर सकता । पराक्रमके विषयमें मारवाड़के राठौर वंश
और मेवाड़के गुहिलोत वंशकी चौहान वंशसे तुलना की जा
सकती है । पर कुल मिलाकर चौहान वंश ही अग्रस्थानका
अधिकारी होगा । इस वंशका आज तकका (१२०० वर्षका)
इतिहास भी लगातार इस बातका पोषण करता है । गुहिलोत

वंशकी तरह इस वंशकी मूल राजधानी स्थिर नहीं रही, फिर भी बूंदी, कोटा तथा सिरोंही — राजपूतानेकी ये प्रमुख रियासतें इस वंशवालोंके ही अधिकारमें हैं और यहांके राजाओंके पराक्रमका यशोगान मुसलमानोंके समयसे बराबर होता आ रहा है। अधिक क्या, पृथ्वीराज और उसके दादा विशाल-देवके समयमें तो सार्वभौमत्वका सम्मान भी इसी कुलको प्राप्त था। पानीपतके संग्रामके अनन्तर इस वंशका प्रताप-सूर्य सहसा अस्त हो गया और उसके साथ हिन्दू साम्राज्यका भी अन्त होकर हिन्दुस्थान सदाके लिए दासताकी शृङ्खलामें बँध गया। तथापि पृथ्वीराजके अतुल तेज तथा पराक्रमकी प्रभा सर्वत्र व्याप्त है। प्रत्येक राजपूत कुल बड़े अभिमानके साथ कहता है कि पानीपतके युद्धमें हमारा कोई न कोई पूर्वज पृथ्वीराजकी ओरसे अवश्य लड़ा होगा — यही पृथ्वीराजके पराक्रमकी महत्ताका पर्याप्त प्रमाण है। अतुलनीय पराक्रमके कारण राजपूतोंके ३६ कुलोंमें चौहान कुलको ही अग्रस्थान प्राप्त होता परन्तु पराक्रमके साथ जो आन तथा अभिमान आवश्यक होता है वह इस कुलमें कुल मिलाकर कम दिखाई दिया, इसीसे इसे सर्वप्रमुख स्थान नहीं दिया जा सकता। गुहिलोत कुल और चौहान कुलमें बहुत समानता है। दोनोंके ही राज्य अद्यापि स्थिर हैं, दोनों ही समान प्रतापशाली भी हैं परन्तु गुहिलोत वंश अधिक आनन्दार तथा दृढ़व्रत रहा और मुसलमान ही नहीं, दूसरोंके सामने भी उसने सिर न झुकाया। पर चौहान घरानोंका अभिमान मुसलमानोंके राज्यकालमें स्थिर न रहा। उन्होंने दिल्लीके मुसलमान बादशाहको सम्राट् मान लिया और इस वंशके अनेक सरदारोंने अपनी जागीरको जव्त होनेसे बचानेके

लिए मुसलमानी धर्म भी खोकार कर लिया । अतः इस वंशमें लाव तेजके साथ साथ आनपर मर मिटनेका स्वभाव भी उतनी ही प्रखरतासे न दिखाई पड़नेके कारण गुहिलोंत वंश ही राजपूतोंमें सर्वश्रेष्ठ स्थान पानेका अधिकारी है ।

अस्तु, गुहिलोंत वंशके संस्थापकका वृत्तान्त थोड़ा बहुत उपलब्ध है । पर चौहान वंशके संस्थापकके विषयमें ऐसा नहीं कहा जा सकता । पृथ्वीराज चौहानके दरबारी कवि चन्द्र-वरदाईने इस वंशका सञ्जन्ध जो अग्निसे स्थापित किया है वह तथ्य नहीं, कोरी कवि-कल्पना है, यह बात हम पहले ही कह चुके हैं । इस वंशका मूलगुरुष चाहमाण अथवा अनहिल माना जाता है । चाहमाणका जो काल बूंदी राज्यके सुरजमल भाटने दिया है, वह सन्दिग्ध ही है । खरचित वंशभास्कर नामक ग्रन्थमें इसने लिखा है कि चाहमाणले लगाकर पृथ्वी-राजतक कुल १३६ राजा हुए । इतिहासकी दृष्टिसे यह कथन अतिरञ्जित जान पड़ता है, क्योंकि पृथ्वीराजरासोमें यह संख्या ३६ ही बतायी गयी है । पर यह संख्या भी ठीक नहीं है । उपलब्ध लेखोंसे इसका मेल नहीं बैठता । पृथ्वीराजका समकालीन (११६७ ई०) चन्द्र वरदाई जैसा प्रसिद्ध भाट दो सौ वर्ष पहले तककी विश्वसनीय वंशावली न दे सके, यह आश्चर्यकी बात है । इन सब कारणोंसे यहां हमें जिस कालके विषयमें विचार करना है, उसका—अर्थात् ८०० से १००० ई० तकका—इस वंशका वृत्तान्त अधूरा और असम्बद्ध प्राप्त होता है और हमें लाचार होकर इस कालके इतिहासका आधार हर्ष शिलालेखोंको ही बनाना पड़ता है (एपिग्राफिका इण्डिका जिल्द २ पृष्ठ ११४) । इन सात लेखोंका काल क्रमसे सं० १०१३ और १०३० है (विजोलियाका लेख इनके कोई

२०० वर्ष बाद अर्थात् सं० १२२६ में लिखा गया । इन दोनों लेखोंकी बातोंका आपसमें बहुत कुछ मेल है । पाठकोंकी जानकारीके लिए परिशिष्टमें ये उद्धृत कर दिये गये हैं । इन दो लेखोंके सिवाय इस वंशके और भी लेख उपलब्ध हैं, पर प्रस्तुत कालसे उनका सम्बन्ध नहीं है । या तो इनमें ८७२ ई० (वि० ६२६) से पहलेके वृत्तान्त हैं ही नहीं या वंशावली न देकर किसी एक ही राजाके पराक्रमका विशेष वर्णन किया गया है । [नाडूलके चौहानोंके विषयमें वि० १२१८ के तीन लेख मिलते हैं । (एपि० इंडिका ६, पृष्ठ ६८) कीलहानने सुराडाकी गुफाके छात्रिगदेव राजाका (वि० १३१६) लेख प्रकाशित किया है । भाण्डारकरने भी बहुतसे लेख प्रकाशित कराये हैं ।]

चौहान कुलके भाटोंका कथन है कि इस वंशका मूलस्थान नर्मदाके उत्तरमें स्थित माहिष्मती नामका ग्राम था और इस वंशकी हिन्दुस्थानके सार्वभौम राजा होनेका सम्मान बारम्बार प्राप्त होता रहा है । यद्यपि महाराष्ट्रसे पंजाबतकके सम्पूर्ण भूभागमें चौहानोंकी बस्ती दिखाई देती है, फिर भी भाटोंके उक्त दोनों कथन पूर्णतया सत्य नहीं हैं । इस वंशका ऐतिहासिक मूलस्थान मेवाड़के उत्तरमें स्थित सांभर अथवा शाकम्बरी प्रदेश है । अजमेरकी गणना इसी प्रदेशमें होती है । ऐसी प्रसिद्धि थी कि यह प्रदेश सवालाल गाँवोंसे मिलकर बना है, इसीसे इसका नाम सपादलक्ष पड़ा । ❧

अब देखना है कि चाहमान वंशके मूलसंस्थापकोंके सम्बन्धमें लेखोंमें क्या सामग्री मिलती है । हर्षशिलालेखमें

❧ स्कन्दपुराणके कुमारीखण्डमें राज्यों और तदन्तर्गत ग्रामोंकी जो सूची दी हुई है उसका उल्लेख हम एक स्थानपर कर चुके हैं । पृ० ४९,

यूवक राजाले आरम्भ कर वंशावली दी गयी है । उक्त लेखके 'आद्य' शब्दका अर्थ 'पूर्वज' न कर, 'पहिला राजा' ही करना चाहिये । बिजोलियाके लेखमें प्रथम पूर्वजोंका उल्लेख किया गया है; परन्तु जिस श्लोकमें उल्लेख है, वह श्लोक बहुत ही सन्दिग्ध है । इसके अतिरिक्त वह सर्वथा विश्वसनीय भी नहीं है । श्लोक इस प्रकार है—

विप्रश्रीवत्सगोत्रेऽभृदहिच्छत्रपुरे पुरा ।

सामन्तोऽनन्तसामन्त पूर्णतल्लो वृपस्ततः ॥

इस श्लोकके दो अर्थ हो सकते हैं । भाण्डारकरके मतानुसार 'विप्र' के बदले 'विप्रः' पाठ स्वीकार करना उचित है । श्लोकके 'पूर्णतल्ल' शब्दका अर्थ समझमें नहीं आता । श्लोकका एक अर्थ इस प्रकार किया जा सकता है—“पूर्वकालमें अहिच्छत्रपुरमें श्रीवत्सगोत्रोत्पन्न एक ब्राह्मण था; अनेक सामन्तोंवाला सामन्तराज (सरदार) उसका पुत्र (अथवा वंशज) है ।” दूसरा अर्थ इस प्रकार हो सकता है—“पूर्व-समयमें अहिच्छत्रपुरमें श्रीवत्सगोत्रवाला सामन्त नामक एक ब्राह्मण था; अनेक सरदारोंसे युक्त पूर्णतल्ल उसी सामन्तका पुत्र है ।”

चाहमान वंशकी उत्पत्तिके सम्बन्धमें चन्दका जो मत है उसपर इस श्लोकसे आघात पहुँचता है । इससे स्पष्ट हो जाता है कि आवू पर्वतपर स्थित बलिष्ठ ऋषिके आश्रमके अश्विकुण्डसे चाहमानोंके पूर्वजके उत्पन्न होनेकी और इसीसे अश्विकुलमें चाहमान वंशके परिगणित किये जानेकी बात कपोल-कल्पित है, क्योंकि उक्त श्लोक चन्दसे दो सौ वर्ष पूर्व बना है । फिर भी यह श्लोक सर्वथा आद्य नहीं है । इसमें चाहमानोंका पूर्वज वत्सगोत्रवाला

ब्राह्मण कहा गया है, परन्तु यह सम्भव नहीं जान पड़ता । चाहमानोंका वत्सगोत्र ही क्यों है ? (ब्राह्मणोंमें भी वत्स गोत्र प्रचलित है) इसका उत्तर ही संभवतः किसी भाटने इस प्रकार देनेका यत्न किया हो कि चाहमानोंका पूर्वज ब्राह्मण था, इसीसे उसके वंशजोंका गोत्र वत्स है । परन्तु श्लोकका काल्पनिक अंश निकाल देने पर यह अनुमान निकलता है कि अहिच्छत्रपुर (वर्तमान रामपुर अथवा नागौर) में चाहमान वंशका अत्यन्त पराक्रमी सामन्त नामक बलाढ्य राजपूताग्रगण्य था । अनेक सरदार इसके सहायक थे । इसीने आगे चलकर साम्भर प्रान्तपर अधिकार किया और वहीं अपना राज्य स्थापित किया । उक्त श्लोकमें 'सामन्त' व्यक्तिवाचक नाम है, क्योंकि पृथ्वीराजरासोमें भी चाहमानके अनन्तर सामन्तदेवका ही नाम लिखा है ।

हर्षलेखमें गूवकसे ही वंशावली आरम्भ की गयी है, इससे बिजोलियाके लेखमें सामन्तसे गूवकतक जो राजा हुए, उनकी सूची दी गयी है । वह सूची इस प्रकार है—१ जयराज, २ विग्रह, ३ श्रीचन्द्र, ४ गोपेन्द्र और ५ दुर्लभ । इसके पश्चात् गूवकसे दुर्लभतकका क्रम दोनों लेखोंमें समान ही है । केवल एक ही नाम छीक कर लेना होगा । हर्षलेखकी सूचीके पाँचवे नाम (वाक्पतिराज) का बिजोलियाके लेखके 'वाप्पयराज-विन्ध्यनृपति' इस नामसे मेल मिलानेसे काम बन जायगा । शब्दशास्त्रके नियमानुसार सहजमें ही मेल मिलाया भी जा सकता है ❀ । बिजोलियाके लेखमें 'वाक्पति'का उल्लेख

❀ 'वाक्पति'का ही प्राकृत अपभ्रंश 'वाप्पय' है । अपभ्रंशमें 'क्'के स्थानमें 'प्' होकर 'त्'का लोप होता है । वप्पइ, वाप्पय इत्यादि क्रमसे ही 'वाक्पति'का अपभ्रंश 'वाप्पय' हुआ है ।

है । सूचीमें यह दसवाँ नाम है ; इससे अनुमान होता है कि पहिला वाक्पति बाप्पय और यह दूसरा वाक्पति होगा । दुर्लभराजके समयमें (विक्रम संवत् १०३०) हर्षलेख लिखा जानेके कारण उसमें दुर्लभके पोछेके राजाओंके नामोंका उल्लेख न होना स्वाभाविक है ।

चाहमान घरानेका वंशक्रम ।

हर्षशिलालेख	विजोलियाका लेख
वि. सं. १०३०	वि. सं. १२२६
	सामन्त
	+ जयराज
	+ विग्रह
	+ श्रीचन्द्र
	गोपेन्द्र, दुर्लभ
१ गूवक (अनुमानतः ई. स. ८६८)	१ गूवक प्रथम
२ चन्द्र (" ८८३)	२ चन्द्र (शशि)
३ गूवक द्वि० (" ८९८)	३ गूवक द्वितीय
४ चन्दन (" ९१३)	४ चन्दन
५ वाक्पतिराज (" ९२८)	५ बाप्पयराज— विन्ध्य-
	नृपति
६ सिंहराज (" ९४३)	६ सिंह
७ विग्रहराज (" ९५८)	७ विग्रहराज
८ दुर्लभराज (" ९७३)	८ दुर्लभ

राजपूताना गजेदियरमें उक्त प्रकारसे विजोलिया लेखानुसार वंशावली दी गयी है (जिल्द ३ पृष्ठ ६५), परन्तु उसमें गूवकसे पहिले जो दुर्लभ हुआ, उसका उल्लेख नहीं है । वास्तवमें उसी दुर्लभने इस वंशको उन्नत किया ; उसका नाम लेखमें न होना अचरजकी बात है । हर्षलेख और विजोलियाके लेखमें दुर्लभके नामका स्पष्ट उल्लेख है । गजेदियरमें भी उसका उल्लेख होना आवश्यक था ।

अब यह देखना चाहिये कि स्मृत रूपसे सामन्तदेव और गूवक-राजका क्या काल निश्चित किया जा सकता है। इन परानेके प्रत्येक राजाका राजत्वकाल १५ वर्षके लगभग पड़ता है। विग्रहराजका समय विक्रम संवत् १०३० (ई० सन् ९७३) निश्चित ही है। विग्रहराजके दादा वाक्पतिराजके कनिष्ठ पुत्र लक्ष्मणने 'नाङ्ग' में इसी घरानेकी दूसरी गद्दी स्थापित की थी। प्राचीन लेखोंमें लक्ष्मणका समय वि० सं० १०३९ (ई० स० ९८२) दिया गया है। अतः वाक्पतिराजका समय एक पीढ़ी पूर्व अर्थात् ई० स० ९३३ के बदले ९४३ मानना ही अधिक युक्तियुक्त है। सबसे पहलेकी एक एक पीढ़ीका राजत्वकाल यदि साधारणतः १५ वर्षका मान लिया जाय, तो यह अनुमान निकलता है कि गूवकराज ई० स० ८६८ (९७३-१०५) और सामन्तराज ई० स० ७७८ (वि० ८३५) में राज्य करता होगा। राजतूताना गजेदियरमें सामन्तराजका समय ई० स० ७५० (वि० ८०७) लिखा है, पर उसमें यह नहीं बताया गया कि यह समय किस आधारपर निश्चित किया गया है। लक्ष्मणराजके लेखोंमें उल्लिखित समयके आधारपर प्रत्येक राजाका राजत्वकाल १५ वर्षका मानकर सामन्तका समय हम ई० स० ७७८ निश्चित करते हैं और हमारा अनुमान है कि यह, अथवा ई० स० ७५० ही सही, उसका ठीक ठीक राजत्वकाल होगा। अरबोंके आक्रमणोंका प्रतिकार करनेके कारण गुहिलोंत घरानेकी तरह जो घराने विशेष प्रसिद्ध हुए, उन्हींमें चाहमानोंका समावेश करना चाहिये। सम्भवतः बाण्णाराजल और सामन्तराज समकालीन ही रहे होंगे। कदाचित् बाण्णारके पश्चात् कुछ समयके अनन्तर ही सामन्तका उत्कर्ष हुआ और उसने ईसाकी आठवीं सदी (वि० ७५८-८५७) के उत्तरार्धमें सभरमें अपना राज्य स्थापित किया। उसका वंशज गूवक सम्भवतः उससे भी अधिक प्रसिद्ध हुआ और राजतूत राजाओंमें प्रमुख रूपसे गिना जाने लगा। हर्षके लेखमें गूवकके सम्बन्धमें लिखा है—“यस्मिन्नागावलोकप्रवरचुपसभालब्ध वीरप्रतिष्ठः”—सावभौम नागभट राजाकी राजसभामें गूवककी, वीरताके कारण, बहुत प्रतिष्ठा प्राप्त हुई। इसी आधारपर कीलहामें साहव कहते हैं कि गूवक नागभटकी सभाका एक प्रधान सरदार था। बादमें

उन्होंने अपना मत बदल दिया, किन्तु हन्सोट लेखपर स्टेन कोनाज साहबन जो लेख लिखा है, उससे सिद्ध होता है कि अन्तमें कीलहार्न साहबका फिर वही मत हो गया । परन्तु हमारा अनुमान है कि सामन्त कदाचित् स्वतन्त्र राजा न होकर किसी राजाका सरदार रहा होगा । गूवकके सम्बन्धमें ऐसा नहीं कहा जा सकता । वह स्वतन्त्र राजा रहा होगा । संभवतः अपने पराक्रमसे ही वह उन्नत हुआ और अरबोंके विरुद्ध लड़नेवाले राजपूत राजाओंके मण्डलमें प्रमुख रूपसे गिना जाने लगा । हो सकता है कि इस राजमण्डलका आधिपत्य (सार्वभौमत्व) नागभटके हाथमें रहा हो । नृपसभाका अर्थ 'सार्वभौम राजाका दरबार' न कर 'स्वतन्त्र राजाओंका मण्डल' करना चाहिये । इसके अतिरिक्त यह भी निश्चित रूपसे नहीं मान लिया जा सकता कि हन्सोट लेखमें चाहमानोंका उल्लेख है ही । लेखमें 'चाहमान' शब्द अस्पष्ट है और लेखका काल वि० स० ८१३ (ई० स० ७५६) है, जो गूवकके कालसे नहीं मिलता । अतः हन्सोट लेखसे यह स्थिर करना ठीक नहीं कि गूवक स्वतन्त्र राजा था या सार्वभौम नागभटका सरदार था ।

प्रथम गूवकमें और बाण्पाशावलमें बहुत कुछ समानता है । दोनों अत्यन्त पराक्रमी वीर थे, दोनों अपनी वीरतासे सुप्रसिद्ध हुए थे और दोनों ही कुलोंके संस्थापक माने गये थे । दोनोंका पराक्रमक्षेत्र एक था । दोनोंने मुसलमानोंके आक्रमणोंका प्रतिकार करनेमें ही अपनी सब शक्ति लगायी और दोनों एक समान प्रतापी थे । दोनों कट्टर स्वधर्माभिमानी थे । इतना ही क्यों, दोनों एकसे ही दृढ़ शिवोपासक थे । गुहिलोत और चाहमान कुलोंके कुलदेव 'शिव' ही हैं । जैसी गुहिलोतोंकी एकलिंगजी-पर अत्यन्त श्रद्धा थी वैसी ही चाहमानोंकी साँभरके हर्षदेवपर थी । हर्ष-लेखमें तो यही कहा गया है कि गूवकराजने ही हर्षदेवका विस्तीर्ण देवालय बनवाया और उसके पश्चात् जो राजा हुए उन्होंने विपुल धन व्यय कर उसे भव्य रूप प्रदान किया । लेखमें कहा है—“श्रीहर्षः कुलदेवोऽस्मा-स्तस्माद्विध्यः कुलक्रमः”—अर्थात् श्रीहर्ष चाहमानोंके कुलदेव हैं और उन्हींके प्रसादसे यह कुल वैभवके शिखरपर आरुढ़ हुआ । गुहिलोत

कुलकी भी एकलिंगजीके सम्बन्धमें यही धारणा है। सब बातोंपर विचार करनेसे प्रतीत होता है कि मुसलमानोंके आक्रमणोंका प्रतिकार करने और आर्यसंस्कृतिकी सुरक्षा करनेके निमित्त शिवभक्त राजपूतोंके कुल आगे बढ़े और सुप्रसिद्ध हुए। धर्म और राजनीतिका किस सीमातक सम्बन्ध है, इसका विवेचन हम तत्कालीन धर्मस्थितिका विचार करते समय करेंगे। यहाँ इतना ही कह देना पर्याप्त होगा कि मुसलमानोंके आक्रमणोंके प्रतिकारका कठिन कार्य शिवोपासक लकुलीश सम्प्रदायवालों ने अगुआ होकर अपने ऊपर लिया था और चाहमान कुल उसी सम्प्रदायका अनुयायी था।

प्रथम गूचकके अनन्तर उसका पुत्र चन्द्रराज और उसके पश्चात् द्वितीय गूचक गद्दीपर बैठा। द्वितीय गूचकके पुत्र चन्दनने दिल्लीके तोमर जातिके रुद्रेश नामक राजाका पराभव कर विशाल कीर्ति सम्पादन की। इस प्रकारके वर्णनसे यह प्रतीत होता है कि उस समय तोमरोंके पैर भारतमें भलीभाँति जम गये थे और उनकी शक्ति इतनी बढ़ गयी थी कि वे अपने स्वतन्त्र राज्य स्थापन करने लगे थे। चन्दनका पुत्र महाराज वाक्पति उस समयके राजाओंमें अत्यन्त प्रतापी था। सन् ८०० से १००० (वि० ८५७ से १०५७) के बीच हुए प्रत्येक चाहमान राजासे वह श्रेष्ठ सिद्ध होता है। वाक्पतिके सम्बन्धमें हर्षलेखमें वर्णन है कि उसने तन्त्रपालका पराभव किया था। यह पता नहीं चलता कि तन्त्रपाल किस देशका राजा था। विजोलियाके लेखमें उल्लेख है कि वाक्पतिकी विन्ध्यनृपति कहते थे। इससे जान पड़ता है कि सांभरसे विन्ध्याचलतक उसने अपना अधिकार जमा लिया था। राजपूताना गजेडियर (जिल्ह ३ ब) के मतसे पृथ्वीराजरासोमें उल्लिखित माणिकराय यही था, परन्तु प्रमाणाभावसे इस मतके सम्बन्धमें कुछ लिखा नहीं जा सकता। जो हो, इससे सन्देह नहीं कि वाक्पतिके कनिष्ठ पुत्र लक्ष्मणने ई० स० ९४३ (वि० सं १०००) में नाडूलमें इसी कुलकी एक स्वतन्त्र शाखा स्थापित की। सिरौही राज्यके वर्तमान राजा अपनेको इसी शाखाके वंशज मानते हैं।

वाक्पतिका ज्येष्ठ पुत्र सिंहराज सांभरका राजा था । उसके सम्बन्धके वर्णनसे ज्ञात होता है कि वह अत्यन्त दानवीर था । उसने हर्षदेवके मन्दिरको विपुल सम्पत्ति दी थी और उसका छत्र तथा गुम्बज सोनेसे मढ़वा दिया था । सिंहराजकी दानवीरता, वैभव और पराक्रमकी तुलना-सूर्यवंशी माने गये, चाहमानोंके अत्यन्त पुग़तन पूर्वज, राजा हरिश्चन्द्रके इन्हीं गुणोंके साथ की गयी है । उसने तोमरोंका पूर्ण पराभव किया और लक्ष्मणने अन्य बहुतसे राजाओंपर विजय पायी तथा कितनोंको कैद भी कर लिया था । सिंहराजके पश्चात् उसके पुत्र विग्रहराजके हाथमें राज्यसूत्र आया । यह भी सब प्रकारसे पिताकी ही तरह प्रतापी था । इसीके राजत्वकालमें हर्षलेख लिखा गया, इस कारण उसमें इसकी प्रचुर प्रशंसा की गयी है । हर्षदेवस्थानको इसने दो ग्राम प्रदान किये थे । विग्रहके बाद इसका भाई दुर्लभ राज्य करने लगा । इस पुस्तकमें दुर्लभके राज्यकाल तकका ही हम विचार करेंगे । महसूद गजनवीने भारतपर जब चढ़ाई की, तब सांभर किसके अधिकारमें था, इत्यादि बातोंका विचार पाँचवो पुस्तकमें किया जायगा ।

हर्षशिलालेख दसवीं शताब्दी (वि० ९५८-१०५७) में लिखा गया था; इससे विदित होता है कि दसवीं सदीतक चाहमान सूर्यवंशी कहलाते थे । अन्य लेखोंमें भी इसका उल्लेख है । चौदहवीं शताब्दी (वि० १३५८-१४५७) तक उनकी यही वृद्ध धारणा थी, हमीरकाव्यमें, चाहमान सूर्यवंशी कैसे हुए, उनकी उत्पत्ति किससे हुई, उन्होंने अपनी गद्दी अजमेरमें क्यों स्थापित की, अजमेरके निकटके सरोवरका नाम 'पुष्कर' क्यों पड़ा, इत्यादिका विस्तृत वर्णन है । वह बड़ा ही मनोरंजक होनेके कारण यहाँ उद्धृत किया जाता है—“एक बार ब्रह्माको यज्ञ करनेकी इच्छा हुई, इस कारण आकाशमार्गसे वे पृथ्वीतलका निरीक्षण करने लगे । जब वे अजमेर प्रान्तका निरीक्षण कर रहे थे, तब उनके हाथका कमल पृथ्वीपर गिर पड़ा । उन्होंने वही स्थान यज्ञके लिए उपयुक्त समझा और वहीं यज्ञ किया । यज्ञरक्षाके लिए सूर्यसे उन्होंने चाहमानोंकी उत्पत्ति करायी । जहाँ कमल गिरा और ब्रह्माने यज्ञ किया, वहाँ एक सरोवर बन गया,

इसीसे उसका नाम पुष्कर (कमलसरोवर) पड़ा ।” ब्रह्माका यही एक स्थान क्यों है, भारतवर्षमें और कहीं ब्रह्माका मन्दिर क्यों नहीं है, उक्त आख्यायिकासे इसका भी स्पष्टीकरण हा जाता है । साथ ही उससे यह भी मालूम हो जाता है कि सूर्यसे चाहमानोंकी सृष्टि कैसे हुई । यह आख्यायिका चाहे सच हो या झूठ, पर चाहमानोंकी उत्पत्तिका विभिन्न कथाओंसे इतना तो स्पष्ट हो जाता है कि भिन्न भिन्न कुलोंकी उत्पत्तिकी कथाएँ मनमानी लिख डाली गयी होंगी और निश्चित रूपसे यह नहीं कहा जा सकता कि उनके लिए कोई ऐतिहासिक आधार है ही । कहीं आद्वपर खींचतान की गयी है, कहीं कल्पनाकी दौड़पर ही भरोसा रखा गया है और कहीं दन्तकथाओंके आधारपर ऐतिहासिक उलझनोंको सुलझानेका प्रयत्न किया गया है । उक्त आख्यायिकाके आधारपर चन्द्रवरदाईने चाहमान कुलका जो अश्विकुलसे सम्बन्ध जोड़ा है, वह विलकुल नया सिद्ध होता है । सारांश, ऐसा प्रतीत होता है कि चाहमान संभवतः सूर्यवंशी क्षत्रिय थे और भारतमें उनका प्रवेश बहुत प्राचीन समयमें हुआ होगा । आधुनिक चाहमान अपनेको सूर्यवंशी न समझ कर अग्नि-वंशी समझते हैं, यह वस्तुस्थितिका विपर्यास मात्र है ।

हर्षशिलालेख ।

पुषिग्राफिका इण्डिका जिल्द २ पृष्ठ १२१

आद्यः श्रीगूर्वकाख्या ग्रथित नरपतिश्चाहमानान्वयोभूत्
 श्रीमन्नागा (द्य ?) लोकप्रवरनृपलभाल(ब्ध)वीरप्रतिष्ठः ।
 यस्य श्रीहर्षदेवे वरभवनप्रयी भीतली-कीर्ति-सूर्ति
 लोकेद्यापि स्थिरैषा प्रतपति परमैः ॐ ॐ [गैठ ?] ॥१३॥
 पुत्रः श्रीचन्द्रराजो भवदमलयशास्तस्य तीव्रप्रतापः
 सूनुस्तस्याय भूयः प्रथम इव पुनर्गूर्वकाख्यः प्रतापी ।
 तस्माच्छ्रीचन्दनोभूत्क्षितिपतिभयदस्तोमरेशं सदर्प
 हत्वा रक्षेय भूषं जगत् (भुवि) [बळ] लाद्ये [न लब्ध] जयश्रीः ॥१४॥

ततः परमतेजस्वी सदा समरजित्वरः ।

श्रीमान्वाकपतिराजाख्यो महाराजो भवत्सुतः ॥१५॥

येनादैन्यं स्वसैन्यं कथमपि दधता वाजिवदया सुसुश्रु
प्रागेव त्रासितेभः सरसिक (रि) रटङ्गिडिमौडिं ॐ ॐ
वन्दक्षमाभर्तुराज्ञां समदमभि (व) हज्जागतोन्त पार्थ
क्षमापालस्तन्त्रपालो दिशि दिशि गमितो हीनिषग्नः प्रसपण्य (ज):
शूरस्येदं ॥१६॥

लोकैर्यो हि महीतले ननु हरिश्चन्द्रोपसो गीयते
न्यागैश्च (र्य) जयैषुकी [ति ×] (र+) मला धर्मश्च यस्योव [उज] लः ?
येनादायि हराय मन्दिरकृते भक्त्या प्रभूतं वसु
श्रीमद्वाकपतिराज सूनुसमः श्रीसिंहराजो भवत् ॥१७॥

हैममारोपितं येन शिवस्य भवनोपरि ।
पूर्णचन्द्रोपमं स्वीयं मूर्त्तं य (श) ॐ [पि?] डक (म्) ॥१८॥

.....तोमरनायकं सवलणकं सैन्याधिपत्योद्धतं ।
युद्धे येन नरेश्वराः प्रतिदिशं निष्ठां (ण्णा) सिता जिष्णुना ।
कारावेशमनि भूरयश्च विष्टतास्तावद्धि यावद् गृहे
तन्मुक्त्यर्थमुपागतो रघुकुले भूचक्रवर्ती स्वयम् ॥१९॥

[निव ×] महाराजो भूतत्सुतो वासवोपमः ।
वंशलक्ष्मी र्जयश्रीश्च येनैत विधुरोद्धते ॥२०॥

श्रीसिंहराज— रहिता किल चितयन्ती ।
भीतेव संप्रति विभु ननु को ममेति ।

येनात्मवा (वा) हुयुगले चिरसन्निवासं
सन्धीरितेति ददता निज [रा ×] जलक्ष्मीः ॥२१॥

येन दुष्टदमनेन सर्वतः साधिताखिलमही स्व वा (वा) हुभिः ।
लीलयैव वशवर्तिनी कृता किंकरीव निज पादयोस्तले ॥२२॥
यस्य चारुचरितं सतां सदा शृण्वतां जगति कीर्तितं जनैः ।
हृष्टिजात घनरोमकं जायते तनुरलं सुदुर्बुधः ॥२३॥

मुक्ताहारैः सुतारैः प्रतरलतुरगैश्चाख्यस्त्रैश्च शस्त्रैः ।

कर्पूरैः पूगपूरै र्मलयतरुवरै र्हेमभारैरपारैः ॥

उद्यद्धानैः समानैश्चलकुलगिरिभिर्हन्तिशरैः सदारै

त्रिध्याजैः प्रातिर—) भिरिति ऋतेः प्राभृतैर्यः सिपेवे ॥ २४ ॥

छत्रधारी वरग्रामो द्वितीयः शंकराणकः [१ ×]

तेनेमौ हर्षना [थाय] (भ) क्षया दत्तौ सशासनौ ॥ २५ ॥

श्रीमद्दुर्लभराजेन योनुजेन विभूषितः [१ ×]

लक्ष्मणेनैव काकुत्स्थो विष्णुनेव हलायुधः ॥ २६ ॥

[महा] राजावली चासौ शम्भुभक्तिगुणोदया ।

श्रीहर्षः कुलदेवोऽप्यस्तस्माद्विष्यः कुलक्रमः ॥ २७ ॥

अनन्तगोचरे श्रीमान् पण्डित औत्तरे स्व (थ) रः ।

पंचार्थ— लाकुलान्नाये विश्वरूपो भवद्गुरुः ॥ २८ ॥

बिजालियाका लेख ।

जनक भाग रायल एशियाटिक सोसाइटी आफ बंगाल जिल्द ४ भाग

१ पृष्ठ ४९—

विग्रश्रीवत्स— गोत्रे भूदहिच्छत्रपुरे पुरा ।

सामन्तोन्त सामंत पूर्णतलो नृपस्ततः ॥ १२ ॥

तस्माच्छ्री जयराजविग्रहनृपौ श्रीचन्द्र गोपेन्द्रकौ

तस्माद्दुर्लभगूर्वकौ शशिनृपो गूढाकसच्चन्दनौ ।

श्रीमद्वपयराज विन्ध्यनृपतिः श्रीसिंहराड् विग्रहौ

श्रीमद्दुर्लभगुदु वाक्पति नृपाः श्रीवीर्यरामोनुजः ॥ १३ ॥

श्रीचण्डोवनिपेतिराणकधर श्रीसिंहलोदूसल-

स्तद्भ्राताथ ततोपि वीसल नृपः श्रीराजदेवीप्रियः ।

पृथ्वीराज नृपोथ तत्तनुभवो रासख्य देवी विभु-

स्तत्पुत्रो जयदेव इत्यवनिपः सौमल्लदेवीपतिः ॥ १४ ॥

पाँचवाँ प्रकरण ।

अनहिलवाड़ पाटणके चावडे ।

चावडा वंशका मध्ययुगीन कालका सुश्रृंखल इतिहास लिखना कुछ कठिन है। प्राचीन इतिहास जाननेके प्रधान साधन शिलालेख, दानपत्र और आज्ञापत्र होते हैं। परन्तु इस वंशके सम्बन्धमें इनमेंसे एक भी उपलब्ध नहीं है। बम्बई-गजेटियर (भाग १) में गुजरातका वृत्तान्त लिखते हुए इस वंशका भी थोड़ा परिचय कराया गया है। परन्तु उसका आधार प्रबन्ध और बखर हैं। इसके अतिरिक्त गजेटियरके लेखकने जिन प्रबन्धों और बखरोंको प्रमाणभूत माना है, वे सभी हमारे दृष्टिगोचर नहीं हुए हैं; इस कारण कहा नहीं जा सकता कि उनमें मौलिक भाग कितना है और अतिरक्षित किया हुआ कितना। मूल प्रमाणभूत ग्रन्थ देखे बिना युक्ति और तर्क नहीं किया जा सकता। साधारणतया बखरोंका इतिहास जितना विश्वसनीय होता है, उतना प्रबन्धोंका नहीं होता। प्रबन्धोंमें घटनाओंका विपर्यास और अत्युक्तिपूर्ण वर्णन बहुत किया रहता है। पाठकोंको आश्चर्यचकित करना ही प्रबन्ध आदिका उद्देश्य होता है। अतः उनमें सत्यके थोड़ेसे आधारपर कल्पनाके पुल ही अधिक बाँधे हुए देख पड़ते हैं। अस्तु, बम्बई-गजेटियर (भा० १) के आधारपर ही चावडा वंशका इतिहास हम लिखेंगे और साथ ही 'सुकुल-संकीर्तन' तथा 'प्रबन्धखिन्तामणि' में वर्णित इतिहासकी भी आलोचना करेंगे।

ॐ दक्षिणमें प्राचीन समयमें युद्धों और राजवंशोंका जो इतिहास लिख कर रखा जाता था, उसे 'बखर' कहते हैं।

इसमें किसीका मतभेद नहीं है कि हम जिस समयका इतिहास लिख रहे हैं, उसी समय चावडोंके घरानेका अभ्युदय हुआ था। उनका मुख्य स्थान उत्तर गुजरातके सारस्वत मण्डलमें था। इस घरानेके प्रबल होनेपर इसकी गणना स्वतन्त्र राजघरानोंमें होने लगी; किन्तु सन् ८०० से १००० (वि० ८५७-१०५७) तक यह स्वतन्त्र नहीं था। तबतक यह सार्वभौम कन्नौज साम्राज्यमें ही गिना जाता था।

चावडा घरानेकी गणना खिनमाजके चापोतकट अथवा चापकुलकी उपशाखामें की जानी चाहिये। चापकुलका एक छोटासा सरदार घराना पञ्चसरमें रहता था। इस घरानेका अन्तिम पुरुष किसी 'भूयड' द्वारा मारा गया। यह भूयड कौन और कहाँका था, इसका पता नहीं लगता। चाप सरदारकी रानी गर्भवती थी। वनमें भटकते हुए उसने प्रसव किया। उसके जो पुत्र हुआ, वही इस कुलका संस्थापक वनराज था। इस कथा और चापारावत, तथा दक्षिणके चालुक्य एवं अन्य कितने ही राजाओंके जन्मकी कथाओंमें बहुत कुछ समानता है। परन्तु हमारी सनभूमि वनराजकी कथामें बहुत सत्यांश है और इसी कथाके अनुकरणपर अन्य राजाओंकी कथाएँ लिखी गयी हैं। वनराजने निज पराक्रमसे एक स्वतंत्र राज्यकी स्थापना की। आरम्भमें भीलों आदिकी सहायतासे उसने लूट-पाट कर विपुल धन संग्रह किया। एक बार तो शिवाजीकी तरह कन्नौजकी ओर जाते हुए मुख्य सरकारी खजानेपर ही छापा मार कर उसने उसे लूट लिया*। इस

* प्रवन्धचिन्तामणिके आधारपर हमने यह बात लिखी है। उसमें लिखा है कि कन्नौजसे धंचकुल नामक एक सरदार गुजरातमें आया था और छः मास तक प्रजासे कर-ग्रहण करता रहा। वह जब लौट रहा था

यही लूटसे वह प्रबल सेना खड़ी कर सका और उसकी सहायतासे राज्य स्थापन करनेमें सफल हुआ । वर्तमान गुजरातके उत्तरमें अनहिलपुर नामक नगर उसने सन् ७४६ (वि० ८०३) में† बसाया, वही उसकी राजधानी हुआ । उस समय कर्नाजके साम्राज्यका हास हो चला था; इस कारण जिस किसीमें साहस और कार्यक्षमता होती वही वीर पुरुष स्वतन्त्र राज्य स्थापन कर लेता था । चाप्पारावलने इसी तरह चित्तौड़में राज्यकी स्थापना की; साँभरके सामन्तदेवने भी अपने पराक्रमके शरोक्षेपर समयसे लाभ उठाया और राज्यकी स्थापना की । मारडोरके नागभटका उदाहरण प्रसिद्ध ही है । परन्तु चाप्पारावल आदिको राज्य स्थापन करते समय अरबोंसे लगातार लड़ना पड़ा था, वनराजके सम्बन्धमें ऐसा नहीं कहा जा सकता । नवसरीकी सजदसे पता चलता है कि अरबोंने किसी चापराजका पराभव किया था; किन्तु इससे यह निश्चित नहीं होता कि वह पराभव वनराजका ही हुआ था । इसमें सन्देह नहीं कि वनराजने अनहिलवाड़ेमें एक प्रबल राज्यकी स्थापना की थी और उसकी दिन दिन श्रीवृद्धि ही होती गयी ।

तो एक पहाड़ी दर्रेमें वनराजने उसपर छापा मारा और उसे मार कर खजाना लूट लिया । उस लूटमें उसे २४ लाल चाँदीके द्रम्म (सिक्के) मिले थे ।

† इण्डियन एंटीक्वेरी (भा० ४, पृ० १४७) में एक पुराने पोवाडें (ऐतिहासिक गान) के आधारपर एक लेख लिखा गया है । उसमें अनहिलवाड़ेकी स्थापनाका समय संवत् ८०२ बताया है । संवत् ८०२ और सन् ७४६ का ठीक मेल बैठता है । यही समय मेरुतुंगने भी प्रवन्धचिन्ता-मणिमें लिखा है ।

बापपारावतकी तरह वनराज भी दीर्घायु था और उसने राज्य भी दीर्घकालतक किया । उसका राजत्वकाल सन् ७६५ से ८०५ (वि० ८२२-८६२) तक माना जाता है । जब अनहिल-वाड़ेकी स्थापना सन् ७४६ (वि० ८०३) में हुई, तो उसी समयसे उसका राजत्वकाल माना जाना चाहिये । वह सन् ७६५ से क्यों माना जाता है, यह बात समझमें नहीं आती । वनराजके अनन्तर उसका पुत्र जोगराज (सुकृतसंकीर्तनमें उसका नाम योगराज लिखा है) गद्दीपर बैठा । उसने सन् ८०६ से ८४१ (वि० ८६३-९०८) तक राज्य किया । उस समय कन्नौजका अधिराज भोज था; जोगराज उसका भाएडलिक माना जा सकता है । जोगराजके पश्चात् रत्नादित्य और फिर वैरिसिंह राज्याधिकारी हुआ । इसके बाद सन् ८५६ (वि० ९१३) में खेमराज और ८८१ (वि० ९३८) में मुण्डराज सिंहासनारूढ़ हुआ । मुण्डराजका ही नाम भूयड था । (कहीं कहीं उसका नाम चासुण्ड भी लिखा है, पर वह ठीक नहीं है ।) भूयडके बाद सन् ९०८ (वि० ९६५) में घाघड उर्फ राहण गद्दीपर बैठा और ९३७ से ९६१ तक (वि० ९९४-१०१८) इस कुलके अन्तिम पुरुषने राज्य किया । (बम्बई-गजेटियरमें लिखा है कि इसका नाम ज्ञात नहीं है ।) इसी अन्तिम राजाको उसका भांजा मूलराज सोलंकी पदच्युत कर स्वयं राजा बन बैठा । सुकृतसंकीर्तनमें इस राजाको नाम भूमट लिखा है । ❀

❀ प्रवन्धचिन्तामणिमें राजाओंकी सूची और उनके राजत्वकालकी समाप्तिके संवत् इस प्रकार दिये गये हैं:—

१ योगराज ८७८ संवत्	४ चासुण्ड ९३८ संवत्
२ रत्नादित्य ८८१ ,,	५ अकडदेव ९६५ ,,
३ खेमराज ९२२ ,,	६ भूयडदेव ९९१,, = ई० सन् ९३४

पाटणके चावडोंके सम्बन्धमें जैन प्रबन्धलेखकोंने इससे अधिक कुछ नहीं लिखा है। चावडा वंशके राजाओं और उनके राजत्वकालकी सूचीके अतिरिक्त उनके प्रबन्धोंमें और कुछ भी मसाला नहीं मिलता। चावडोंकी राजधानीके जो भग्नावशेष, मन्दिर, राजप्रासाद आदि विद्यमान हैं, उन्हींके आधारपर कुछ अनुमान किया जा सकता है। वाष्पारावल तथा अन्य गजपूत राजाओंकी तरह चावडे भी परम शिव-भक्त थे, और बादमें उन्होंने संभवतः जैन पंडितोंको भी आश्रय दिया था। कन्नौजका माण्डलिक होनेके कारण इस घरानेको खतब रूपसे युद्ध भी बहुत कम करने पड़े। इस प्रकार चावडोंका उपलब्ध संक्षिप्त इतिहास यही समाप्त होता है।

चाप वंशकी एक दूसरी उपशाखाका कुछ पता चलता है, उसे लिखकर हम यह प्रकरण समाप्त करेंगे। इण्डि० एंटी० भाग १२, पृष्ठ १६३ में धरणीवराहका एक दानपत्र छपा है। उसका समय शक ८३६ या सन् ८१७ (वि० ६७४) है। इस दानपत्रसे ज्ञात होता है कि बड़वान (वर्धमान) में चापोंकी एक उपशाखाका राज्य था जो कन्नौजके माण्डलिकोंमें गिनी जाती थी। उक्त दानपत्रसे स्पष्ट जान पड़ता है कि वह (धरणीवराह) कन्नौजके राजाधिराज महीपालका माण्डलिक था (राजाधिराज परमेश्वर श्री महीपालदेव-प्रसादतः समनुशासता)। अतः उसका काठियावाड़के चूडासम वंशसे कोई सम्बन्ध नहीं था। उसी दानपत्रमें धरणीवराहके चार पूर्वजोंके नाम इस प्रकार लिखे हैं—१ विक्रमार्क,

योगराजने अरुदेश्वरीका व कथक्षरी देवालय तथा भूयडदेवने पट्टणका भूयदेश्वरका देवालय और प्राचीर बनवाया था।

२ अर्दक, ३ पुलकेशिन्, और ४ ब्रुवभट । हर एक राजाका राजत्वकाल बीस वर्षोंका मान लेनेसे विक्रमार्कका समय ८३७ (वि० ८६४) टहरता है और इससे यह भी सिद्ध होता है कि विक्रमार्क तथा कर्माजक भोज समकालीन थे ।

उक्त दानपत्रमें चापोंकी उत्पत्ति शङ्करके चाप (धनुष) से हुई बताया गयी है । पर यह बात सत्य नहीं मानी जा सकती । यह एक शब्दश्लेष मात्र है । डाक्टर व्यूलरका कथन है कि शब्दश्लेषोंके आधारपर लिखी हुई कथाएँ प्रायः काल्पनिक होती हैं और यह कथा भी उन्हींमेंसे एक है । वास्तु, उक्त दानपत्र 'आमर्दक संतान' नामक एक शिवोपासक महन्तको दिया गया है । इससे प्रतीत होता है कि उस समय काठियावाड़में भी शिवोपासना प्रचलित थी और जिस तरह बुद्धानुयायी ब्रिहदारण्यमें रहा करते थे, उसी तरह शिवोपासक महन्त गढोंमें रहते थे ।

छठा प्रकरण ।

धारके परमार ।

मध्ययुगीन कालके दूसरे भागमें राजपूत राज्यका संस्थापक चौथा सुप्रसिद्ध वंश परमारोंका हुआ । परमारोंका आदि निवास-स्थान आबूमें था; पीछेसे उन्होंने अपनी राजधानी धारमें स्थापित की । टाडके मतानुसार अग्निकुण्डसे जो कुल उत्पन्न हुए, उनमें परमार अत्यन्त प्रतापशाली थे और उनका विस्तार भी बहुत दूर तक हुआ था । अपने कथनकी पुष्टिके लिए टाडने भादोंकी कविताओंमें

ले एक वाक्य भी उद्धृत किया है, जिसका आशय यह है कि परमार कुलका विस्तार समस्त भूमण्डलमें हुआ था । तथापि टाडका यह भी कथन है कि यह कुल अनहिलवाड़ेके सोलं-कियों अथवा अजमेरके चौहानोंकी तरह वैभवशाली नहीं था, और अग्निकुलमें इसका पद कनिष्ठ था । हमारे मतसे टाडका मत गिराधार है । परमारोंका कुल आजकल क्षीण होने और उसके वैभवके अत्यन्त प्रमाण—दानपत्र, शिलालेख, स्मारक आदि—टाडके समयमें अत्यल्प उपलब्ध होनेके कारण उसकी ऐसी धारणा होना स्वाभाविक है । प्रतिहारोंके सम्बन्धमें भी उसकी ऐसी ही धारणा थी; परन्तु दोनों कुल प्रतापी और वैभवशाली थे; विशेषतया भोजराजके समयमें परमारोंका कुल बहुत ही विख्यात हुआ और विद्याभिरुचिके सम्बन्धमें इसकी कीर्ति दिग्दिगन्तमें फैल गयी । वर्तमान समयमें यह कुल अस्तङ्गत सा हो गया है । मेवाड़के मारडलिक 'विजोलिया' के राजाके अतिरिक्त धारकी मूल शाखाका कोई वंशज नहीं देख पड़ता । अरबलीकी तरहटीमें स्थित 'चन्द्रावती'की विहाल शाखाके राजा, राजपूतानेके अन्तर्गत 'धत' के सोधा राजा और मारवाड़के अन्तर्गत 'पुगल' के सांखला राजा अभी विद्यमान हैं, जो परमारोंके निकट सम्बन्धी हैं । सिंधके उम्र और सुअ कुलके राजा भी इसी वंशके थे । मुसलमानोंके समयमें दोनों राजकुलोंका बहुत उत्कर्ष हुआ था; किन्तु वर्तमान समयमें उन्होंने इस्लाम धर्म ग्रहण कर लिया है, इस कारण उनकी गणना राजपूतोंमें नहीं होती ।

परमार वंशका अभ्युदय पहिले पहिल कब और कैसे हुआ, इसका विचार होना आवश्यक है । टाडके मतसे ई० स० ७१४ (वि० ७७१) तक चित्तौड़में परमारोंका राज्य था,

पीछे गुहिलोंतोंने उनपर चढ़ाई कर चित्तौड़ उससे छीन लिया । यह बात निर्विवाद है कि गुहिलोंतोंसे पहिले चित्तौड़-में पाटलिपुत्रके मौर्योंका राज्य था । शिलालेखोंमें चित्तौड़के मोरी घरानेका उल्लेख है, परन्तु परमारोंकी मोरी नामक-शाखासे इन मौर्योंका कुछ भी सम्बन्ध नहीं है । चित्तौड़के मौर्य क्षत्रिय नहीं, शूद्र थे । क्षत्रिय कुलोंकी अन्य सूचियोंमें मौर्योंका नाम है, परन्तु जन्दकी सूचीमें नहीं है । इस पुस्तक-के प्रथम भागमें हम यह भी बता चुके हैं कि हुएनसंगने सिन्धके राजाओंका जो विवरण दिया है, उसमें कहा है कि ये राजा चित्तौड़के राजाके सम्बन्धी और शूद्र हैं । चारांश, परमारोंका चित्तौड़के मौर्योंसे कोई सम्बन्ध नहीं है । अतः परमारोंका उदयकाल नवीं शताब्दी (वि० ८५८-८५७) से पीछे नहीं हट सकता । परमारोंके जो शिलालेख उपलब्ध हैं, उनमें कृष्णराजके पूर्वजोंका कुछ भी उल्लेख नहीं है । प्रतिहारों-के पूर्वजोंकी लम्बी सूची मिलती है, परन्तु परमारोंकी नहीं मिलती । बारहवीं शताब्दी (वि० ११५८-१२५७) के लगभग लिखी हुई उदयपुर-प्रशस्तिमें कृष्णराजसे पहिलेके कुछ राजा-ओंकी नामावली है, पर वह विश्वसनीय नहीं है । आठ आदि कवियोंको अतिशयोक्तिसे भरे काव्य लिखनेकी लत पड़ी रहती है । इससे वे किसी वंशावलीमें एक ही नाम कई बार लिख-कर उसे लम्बी बना दिया करते हैं । अस्तु, इरिडयन एंदि-कवेरी (भाग १, पृष्ठ २२३) में व्यूत्तर साहबने विभिन्न शिला-लेखोंमें लिखी परमारोंकी वंशावलियाँ एकत्र प्रकाशित की हैं । इनको परस्पर मिलाकर परमारोंका शृङ्खलावद्ध इतिहास लिखनेका प्रयत्न व्यूत्तर साहबने किया है । आधुनिक इतिहास-कारोंने उनका मत स्वीकार भी कर लिया है । पर उनका

लिखा इतिहास भी सर्वथा निर्दोष नहीं है । उनके मतसे ई० स० ८०० (वि० ८५७) के लगभग परमारोंका अभ्युदय हुआ था । कृष्णराजका भी उन्होंने यही काल माना है । हमारे मतसे यह काल अनेक कारणोंसे अग्राह्य है । परमारोंका अभ्युदयकाल इतना पीछे हटाया नहीं जा सकता ।

(१) वाक्पतिराज उर्फ मुंज और राजा भोजके भूमि-दानपत्रोंमें (इंडि० ऐसिट० भा० ६, पृ० ४८८) परमारोंका यह वंशानुक्रम दिया हुआ है—कृष्ण, वैरिसिंह, सीयक, वाक्पति । इसके बादके राजाओंकी, सिन्धुराज अथवा भोजराज तककी, पूरी सूची अनेक लेखोंमें देख पड़ती है । उदयपुर-प्रशस्तिमें पहिला नाम उपेन्द्र लिखा है और कहा है कि वैरिसिंहसे पहिले और एक वैरिसिंह, सीयक तथा वाक्पति हुए थे । परन्तु ये नाम परमारोंकी प्राचीनता सिद्ध करनेके लिए दुबारा लिखे गये हैं । (२) नागपुर-प्रशस्तिमें वैरिसिंहसे ही वंशानुक्रम आरम्भ किया गया है, उसमें उक्त चारों नाम हैं ही नहीं । (३) प्रतिहार सम्राट् दूसरे नागभट्टके समय (ई० स० ८०० से ८२५ = वि० ८५७-८८२) तक मालवेमें परमारोंका स्वतन्त्र राज्य स्थापित करना सम्भव नहीं है । नागभट्टने मालवेको पूर्णतः पादाक्रान्त किया था, यह तो उसीके लेखोंसे सिद्ध है । नागभट्टके आक्रमणसे पहिले मालवा राष्ट्रकुटोंके अधिकारमें था, यह बड़ोदेके कर्क-राजाके दानपत्रसे (ज० बंगाल ८ पृ० २६२) स्पष्ट है । * बादके इतिहासमें भी यह विशेषता देख पड़ती है कि मालवा कुछ समयतक तो उत्तराधिप सम्राट्के और फिर दक्षिणाधिप सम्राट्के अधिकारमें चला जाता था । (४)

* गौडेन्द्र वंशपति-निर्जङ्गुनिर्गुण सद्गुरुश्वर दिगम्बरलाल च यद्यथ ।

नीत्वा मुञ्जं ग्रिहसमाह्वयक्षणाथ स्वाभीक्ष्यमपि राजाजानि भुङ्क्ते ॥

लेखों और दानपत्रोंमें वाक्पतिराजके नामके साथ 'कृष्णपा-
दानुध्यात' विशेषण जोड़ा गया है। कृष्णराजको परमारोंका
आदिपुरुष माननेसे ही उक्त विशेषण सार्थक हो सकता है।
अतः वैरिसिंह (पहिला), सीयक (पहिला) और वाक्पति
(पहिला), इनके नाम पृथक् करनेसे ही परमारोंकी सखी
वंशावली निश्चित की जा सकती है। यह तो सभी स्वीकार
करेंगे कि भाटोंकी अत्युक्तिपूर्ण प्रशस्तियोंकी अपेक्षा तत्कालीन
दानपत्र और शिलालेख आदि—चाहे वे कितने ही अपूर्ण क्यों
न हों,—इतिहासके लिए अधिक उपयुक्त होते हैं।

अतः परमारोंका आदिपुरुष कृष्णराजको ही मानना
उचित है। यह पहिले मण्डलिक था, पीछे स्वतन्त्र राजा बन
गया। राष्ट्रकुटोंके राजा तीसरे गोविन्दराजने पतनोन्मुख
कन्नौजके प्रतिहार सम्राट्पर जब चढ़ाई की, उसी समय कृष्ण-
राजने सम्राट्की सत्तासे अपनेको मुक्त कर लिया। कन्नौजके
महीपालका राजत्वकाल सन् ६०० से ६४० तक (वि० ६६५-
६६७) माना गया है। गोविन्दराजने कन्नौजपर सन् ६१०
(वि० ६६७) के आसपास चढ़ाई की थी। अतः कृष्णराजके
स्वतन्त्र राज्यका स्थापन-काल भी यही (सन् ६१०) निश्चित
होता है। वाक्पति उर्फ मुंजराजके प्रथम दानपत्रका काल सन्
६७४ (वि० १०३१) है। अतः मुंजराजके राज्याभिषेकका
काल ६७० (वि० १०२७) माना जा सकता है। उसके पिता
सीयकका इससे २० वर्ष पूर्व (सन् ६५०) में राज्यारूढ़ होना
सम्भव है। सीयकके पिता वैरिसिंहका राजत्वकाल सन् ६३०
से ६५० (वि० ६८७-१००७) मान लेनेपर कृष्णराजका काल
६१० से ६३० तक (वि० ६६७-६८७) निश्चित होता है। यह
काल उपर्युक्त अनुमित कालसे मिलता जुलता भी है। अस्तु,

उक्त सभी दानपत्रोंमें वाक्पतिके पूर्ववर्ती राजाओंके लिए 'महाराजाधिराज परमेश्वर' ये विशेषण प्रयुक्त हुए हैं। यद्यपि सम्राट्के लिए ही ये विशेषण प्रयुक्त होते थे, तथापि कुछ स्वतन्त्र राजा भी अपने लिए इनका उपयोग करते थे। इन विशेषणोंसे यह सिद्ध होता है कि कृष्णराज स्वतन्त्र राजा था।

परमारोंको मूल गद्दी अवन्ती या उज्जैनमें थी, फिर धारमें लायी गयी। धारा नगरीका उल्लेख ईसाकी सातवीं सदीके एक लेख (नंबर ५१, ग्रेट नंबर ३२ कार्पस इन्डिक-पस्थियोनोरेम भाग ३) में मिलता है। इससे सिद्ध है कि धारा नगरी परमारोंने नहीं बसायी, किन्तु अनहिलवाड़ेके सोलङ्कियोंके उपद्रवसे बचनेके लिए उज्जैनको छोड़ उन्होंने इस नगरीका आश्रय लिया था।

यह हम कह चुके हैं कि कृष्णराजके परवर्ती वैरिसिंह, (प्रथम), सीयक (प्रथम) और वाक्पति (प्रथम) के नाम काल्पनिक होनेके कारण इतिहासकी दृष्टिसे उन्हें सूचीसे पृथक् कर देना ही उचित है। ब्यूलरका भी कथन है कि उदयपुर आदिकी प्रशस्तियोंमें उक्त राजाओंके पराक्रमोंके जो वर्णन हैं, उनमें कोई विशेषता नहीं है। ऐसे वर्णन हर एक राजाके लिए लागू हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त उक्त राजाओंके राजत्वकालकी एक भी ऐसी बात नहीं लिखी गयी है, जो इतिहासकी दृष्टिसे स्वीकार की जा सके। अतः इन नामोंको पृथक् कर देना ही उचित है। कृष्णराजके पश्चात् वैरिसिंह उर्फ बज्रट गद्दीपर बैठा। उसके अनन्तर उसका पुत्र सीयक उर्फ श्रीहर्ष सिंहासनारुढ़ हुआ (सीयक नाम सिंहराजसे नहीं बना है, यह श्रीहर्षका संचिप्त रूप है)। सीयकका उल्लेख 'नवसाहसाङ्ग' और 'प्रबन्धचिन्तामणि'

में भी है। सीयकके सम्बन्धमें दो बातोंका वर्णन मिलता है; एक तो, उसने हूणोंका पराभव किया और दूसरे, उसने गरुड़की तरह खोद्विग राजाके खजानेपर आक्रमण किया था। सीयक द्वारा पराजित हुए इसी देशके क्षत्रिय थे, अन्य द्वीपके नहीं। आजकल हुए शब्दका प्रयोग जिस प्रकार हम पाश्चात्य स्लेच्छोंके लिए करते हैं, सीयकके समयमें उसी प्रकार वह अरबोंका वाचक था। सीयककी गरुड़की उपमा भी अन्वर्थक है; क्योंकि दानवजोंमें परमारोंका राज-चिन्ह गरुड़ ही दिया गया है। उनका ध्वजचिह्न भी गरुड़ ही था। व्यूत्तरके मतसे खोद्विग मान्यखेटके राष्ट्रकूटोंका वंशज था। इस राजाका २२ अक्षर सन् ६७१ (५ कार्तिक १०२८) के सूर्यग्रहणके अवसरपर दिया हुआ एक दानपत्र उपलब्ध है। इसके भतीजे कर्कराजका भी सितम्बर सन् ६७२ (आश्विन १०२६ वै०) का एक तोत्रपत्र मिला है। इससे यह जान पड़ता है कि खोद्विग राजाका देहान्त सितम्बर सन् ६७२ (आश्विन १०२६ वै०) के पहिले ही हो गया था। इन बातोंसे यही निकर्ष निकलता है कि मालवा राज्यके साथ राष्ट्रकूटोंका वैर-भाव था और सीयक तथा खोद्विग समकालीन थे। सीयकका राजत्वकाल सन् ६५० से ६७३ तक (वि० १००७-१०३०) माना जा सकता है; क्योंकि धनपाल कविने अपने पैयलच्छि नामक प्राकृत काव्यमें लिखा है कि जिस समय मालवाधिपतिने मान्यखेटका प्रान्त लूटा, उसी समय उस काव्यकी रचना हुई। व्यूत्तरके मतसे उस समय (ई० स० ६७२ में) मालवाका अधिपति सीयक था। उसने खोद्विगका पराभव किया और उसीको लूट कर यह काव्य लिखा गया। उक्त कविके काव्यका काल संवत् १०२६ अर्थात् सन् ६७२ निश्चित है।

मान्यखेटकी लूटका भी यही काल है और इससे वाक्पति-राजके दानपत्रके काल (सन् ६७४) का विरोध नहीं पड़ता ।

सीयकके पश्चात् उसका पुत्र वाक्पति उर्फ मुंज गद्दीपर बैठा । इसके दिये दानपत्रोंमें इसके अमोघवर्ष और पृथ्वी-वल्लभ ये दो नाम और मिलते हैं । सम्भवतः राष्ट्रकूटोंके परा-भवके पश्चात् इसने ये दो उपाधियाँ धारण कर ली थीं । मुंज-के नामसे जो अत्यन्त प्रसिद्ध हुआ, वह यही वाक्पति था । नागपुरप्रशस्तिमें मुंजके बदले वाक्पति ही लिखा है, इससे स्पष्ट है कि वाक्पतिका ही अपर नाम मुंज था । मुंज स्वयं भी उत्तम कवि था और उसकी सभामें सुकवियों और विद्वानोंका अच्छा आदर था । संस्कृत साहित्यमें पद्मगुप्त, धनिक, हला-युध और धनपाल आदि जो विद्वद्गण प्रसिद्ध हैं, वे इसीके आश्रित थे । मुंज विद्वान् होनेके साथ ही साथ पराक्रमी भी था । उदयपुर-प्रशस्तिसे जाना जाता है कि उसने राष्ट्रकूटोंका ही पराभव नहीं किया, बल्कि कर्नाट, चोल और केरल प्रान्तोंपर भी अधिकार जमा लिया । चेदीके हैहयोंको भी उसने हराया । उस समय चेदीका राजा युवराज था । केरलादि देशोंके राजा राष्ट्रकूटोंके सहायक, मित्र और सम्बन्धी थे । उनका राष्ट्रकूटोंके पक्षमें रहना स्वाभाविक था । पृथ्वीराजकी तरह इस राजाके सम्बन्धकी भी बहुतसी दन्तकथाएँ प्रचलित हैं, परन्तु वे विश्वास योग्य नहीं हैं । वीर पुरुषोंके सम्बन्धमें ऐसी अद्भुत कथाएँ प्रायः चल पड़ती हैं, और कालान्तरमें लोगोंका उनपर दृढ़ विश्वास भी हो जाता है, किन्तु उनमें सत्यांश होता ही है, इसका निश्चय नहीं किया जा सकता । पृथ्वीराजके सम्बन्धमें एक ऐसी दन्तकथा प्रचलित है कि पृथ्वीराजने शहाबुद्दीनको

चौदह बार हराया और उतनी ही बार उसे कारागारमें डाल रखा; परन्तु अन्तमें सहाबुद्दीनने पृथ्वीराजको हरा दिया और उसे मार डाला। इस कथाका उद्गम-स्थान मेरुतुङ्गकी कल्पना है जो अबतक प्रचलित है। पृथ्वीराजकी दन्तकथाकी अपेक्षा मुंजकी दन्तकथा अधिक काव्यमय है। कथासरित्सागरकी उदयन-वासवदत्तकी कथाके अनुकरणपर मुंजके सम्बन्धमें यह कथा गढ़ी गयी कि जब मुंज कारावासमें था तब तैलपकी विधवा बहिन उसकी शुश्रूषा करती थी। (राज-पूतोंकी रीति-नीतिके विचारसे यह बात सम्भव नहीं है।) वह उसपर आसक्त हो गयी। मुंजने भाग जानेका विचार किया और इस काममें उसने उसकी सहायता चाही। उसने अपने भाई तैलपसे मुंजका यह विचार कह दिया। इससे कुछ होकर तैलपने मुंजका सिर कटवा डाला। अत्यन्त काव्यमय होनेसे यह कथा कदाचित् सच्ची नहीं है और तत्कालीन अथवा आसपासके समयके किसी लेखका इसे आधार भी नहीं है। इतिहासकी दृष्टिसे इस कथाका कोई महत्व न होनेपर भी इससे यह सम्भव प्रतीत होता है कि मुंजने तैलपका कई बार पराभव किया और प्रत्येक बार उसके साथ दयापूर्ण वर्ताव भी किया, पर अन्तिम युद्धमें वह स्वयं पराजित हो गया और सम्भवतः उसीमें मारा भी गया।

मुंजके पश्चात् उसका भाई सिन्धुराज गढ़ीपर बैठा और उसके थोड़े ही दिन राज्य करनेके उपरान्त उसका पुत्र सुप्र-सिद्ध भोजराज राज्याधिकारी हुआ। भोजके भावी वैभव-का भविष्यकथन मुंजने पहिलेसे ही कर रखा था। वास्तवमें धारा नगरीके परमार कुलमें भोज सबसे प्रसिद्ध, परा-क्रमी और विद्वान् हुआ। उसका राजत्वकाल सन् १०००

(वि० १०५७) के अनन्तर होनेके कारण उसके सम्बन्धमें इस पुस्तकमें विशेष रूपसे नहीं लिखा जायगा । वह महमूद गज़नवीका समकालीन था, अतः उसीके साथ उसका भी विवरण देना उचित होगा । भोजके सम्बन्धकी एक दन्तकथाका उल्लेख यहां कर देना पर्याप्त है । वह कथा इस प्रकार है— ज्योतिषियोंने अभिषेककथन किया था कि भोज मुंजसे भी अधिक प्रतापी होगा और मुंजसे राजगद्दी छीन लेगा । इस कारण मुंजने भोजका वध करनेकी आज्ञा दी थी । परन्तु यह कथा भी अनैतिहासिक अतएव कविकल्पना मात्र है । ❀

❀ इस कथा तथा मुंजकी मृत्यु और भोजके राज्यारोहणके सम्बन्धमें पृ० ई० भाग १, पृष्ठ २३० में लिखा है—वाक्पति अर्थात् मुंजने अपने पश्चात् भोजको गद्दी देनेका निश्चय किया था, यह बात सच्ची नहीं जैचती । उसने भोजका वध करनेका भी यत्न नहीं किया था । 'नवसाहसां चरित' नाटकके इन वाक्योंसे ये कल्पनाएँ असम्भव सिद्ध होती हैं—“वाक्पति-राजने अभिषेकाकी ओर प्रस्थान करते समय यह पृथ्वी सिन्धुराजके अधीन कर दी ।” अर्थात् जब मुंजने राष्ट्रकूटोंपर अन्तिम चढ़ाई की, जिसमें उसका पराभव हुआ, तब राज्यसूत्र उसके उत्तराधिकारी युवराज सिंधुराजके हाथमें दे दिया गया था । मुंजके लड़ाईमें मारे जानेपर (उसके पुत्रहीन होनेसे) उत्तराधिकारके नियमानुसार सिन्धुराज गद्दीपर बैठा । इस अनुमानकी पुष्टि उक्त नाटकके ही एक दूसरे वाक्यसे होती है । कवि कहता है—“जब महाराज मुंज स्वर्ग सिधारे, तब उन्होंने मेरा मुहँ मोहर-बन्द कर दिया था, परन्तु उन कलिग्रन्थवके अनुज सिन्धुराजने उसे फिर खोल दिया है ।” अर्थात् मुंजके समयमें कवि पद्मगुप्त राजकवि था और जब सिन्धुराज राज्यारूढ़ हुआ, तब उसने भी उसे अपनी सभामें वही स्थान दिया । श्री नीलकण्ठ जनार्दनकीर्तनेके मतसे मुंजने भोजको ही अपना उत्तराधिकारी निश्चित किया था, किन्तु भोजके अल्पवयस्क (नाबालिग) होनेसे सिन्धुराज गद्दीपर बैठा । यह कल्पना भी पूर्वोक्त वाक्पति के विरुद्ध होनेसे ग्राह्य नहीं है ।

सिन्धुराजका देहावसान कब हुआ और भोज कब राज्याधिकारी हुआ, इसकी छानबीन करना यहाँ आवश्यक है। 'सुभाषितरत्नसन्दोह' नामक ग्रन्थके कर्ता अमृतगतिने लिखा है कि यह ग्रन्थ मुंजके शासनकालमें विक्रमीय संवत् १०५० (ई० स० ६६४) में रचा गया, अतः ६६४ ईसवीमें मुंज राज्यारूढ़ था, यह निश्चित है और उसका मृत्युकाल सन् ६६७ (वि० १०५४) मान लिया जा सकता है। राय बहादुर गौरीशंकर ओझाने सिन्धुराजके सम्बन्धमें लिखे हुए एक छोटेसे निबन्धमें सिन्धुराजकी मृत्युका समय ई० स० १०१० (वि० १०६७) माना है और यह सिद्ध किया है कि पाटणके अधिपति चामुण्डराज सोलङ्कीके साथ हुए युद्धमें वह मारा गया। वड़नगरकी कुमारपाल-प्रशस्तिमें, जो विक्रमी संवत् १०२८ में खोदी गयी थी, उक्त बात लिखी हुई है। ॥ व्यूत्तरने इस प्रशस्तिके अनुवादमें 'सिन्धुराज' शब्दका अनुवाद 'सिन्ध देशका राजा' कर डाला है। इस कारण इस सम्बन्धमें अबतक भ्रम फैल रहा था। श्रीगौरीशंकरजी कहते हैं— 'सिन्धुराज शब्द मालवेके सिन्धुराजको लक्ष्य करके लिखा गया है, यह निश्चित है।' परन्तु सिन्धुराज और चामुण्डराजके युद्धका काल उक्त प्रशस्तिमें लिखा न होनेसे ई० स० १०१० (वि० १०६७) में सिन्धुराजका देहान्त हुआ और भोज सिंहासनारूढ़ हुआ, यह निश्चित नहीं किया जा

॥ जयसिंह देवसूरि नामक जैन ग्रन्थकारके एक ग्रन्थके इन श्लोकोंसे भी यही बात सिद्ध होती है। (ई० ए० भाग १२ पृष्ठ १९७) "राजा चामुण्डराजो यः..... सिन्धुराजसिञ्जोन्मत्तं सिन्धुराजं मृधेवधीत् । तस्माद्भङ्गमहाजोऽभूत् परमतापमितापितः मुञ्जोऽवनीश्वरो धीरो यत्रेपि न पति यत्रौ ॥ इन श्लोकोंका अर्थ है— लगता या जाय, यह मृत सत्तमा है

सकता । भोजप्रबन्धमें यह समय सन् १०२१ (वि० १०७८) बताया गया है, पर वह भी ठोक नहीं है; क्योंकि कोंकण-विजयके उत्सव-प्रसङ्गमें दिया हुआ सन् १०२० (वि० १०७७) का भोजका एक दानपत्र उपलब्ध हुआ है (ए० ई० भाग ११ पृष्ठ ८१ और ई० एं० भाग ६ पृष्ठ ४८) । राज्यारूढ़ होते ही कोंकणविजयकी शक्ति भोजमें नहीं आ सकती; कुछ समय अवश्य ही बीता होगा । जो हो, इसमें सन्देह नहीं कि परमार राजाओंके राज्यारोहणका समय अबतक अनिश्चित हो है ।

श्रीकाशीनाथ कृष्ण लेलेने मराठीमें धारका इतिहास लिखा है । उसमें संक्षेपमें प्राचीन इतिहास लिखकर आप कहते हैं—मुंजने ही प्रथम धारानगरी अपनी राजधानी बनायी और वहाँ अनेक तालाब खोदवाये । उनमें 'मुंज-सागर' नामक सुन्दर तालाब अबतक प्रसिद्ध है । इसी तरह सिन्धुराजका 'कुंजसागर' भी प्रसिद्ध है । (सिन्धुराज का दूसरा नाम कुंज था ।) मारडवगढ़में भी एक मुञ्जताल है । मुंजने उज्जैन, महेश्वर, ओंकार और धर्मपुरी (नर्मदातट) में अनेक घाट बनवाये हैं ।

उज्जैन—धारके परमारोंका वंशक्रम इस प्रकार है—

१ कृष्णराज (ई० स० ६१४-६३४ अनुमानतः)

२ वैरिसिंह = वज्रट (ई० स० ६३४-६५४ ")

३ सीयक = श्रीहर्ष (ई० स० ६५४-६७३ ")

४ वाक्पति = मुंज (ई० स० ६७३-६८७ ")

५ सिन्धुराज = कुंज (ई० स० ६८७-१०१० ")

६ भोज = प्रसिद्ध परमार भूप १०१० ")

राजत्वकालके सन् अनुमानतः लिखे गये हैं, निश्चित नहीं हैं ।

सातवाँ प्रकरण ।

बुन्देलखण्डके चन्देल ।

विन्सेण्ट स्विथने रायल एशियाटिक सोसाइटीके जर्नल-में बुन्देलखण्ड अथवा 'जेजाक भुक्ति' का जो पूर्व इतिहास लिखा है, वह दन्तकथाओंसे भरा हुआ है। उससे ज्ञात होता है कि बुन्देलखण्डमें, चन्देलोंका प्रवेश होनेके पूर्व, पहिले गहरवारों और फिर परिहारोंकी बस्ती थी। परन्तु दन्त-कथाओंमें सत्यांश बहुत ही थोड़ा और समयकी गड़बड़ी अधिक रहती है। इस कारण दन्तकथाओंके आधारपर ऐतिहासिक उलट-फेरोंका समय निश्चित करना कठिन हो जाता है। दन्तकथाओंके अनुसार बुन्देलखण्डके मनोहर तालाब गहरवारोंके बनवाये हुए हैं; परन्तु ऐसा माननेके लिए कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। अतः चन्देलोंसे पहिले बुन्देलखण्डमें गहरवारोंका होना सम्भव नहीं प्रतीत होता। हुएनसङ्गने अपने सन् ६४० (वि० ६६७) के प्रवास-वर्णनमें लिखा है कि जम्भोतीमें एक ब्राह्मण राजा राज्य करता था। हम पहिले लिख चुके हैं कि यह ब्राह्मण राजा सम्भवतः कन्नौजके सम्राट् हर्षका सूबेदार था। हर्षके पश्चात् कन्नौजपर मौखरी उर्फ वर्म वंशका अधिकार हुआ। जबतक वर्म वंशकी सत्ता अबाधित थी, तबतक जम्भोती प्रान्तपर भी कन्नौजका पूर्ण अधिकार रहा होगा; परन्तु कन्नौजके साम्राज्यका ह्रास आरम्भ होते ही वह प्रान्त क्रमशः स्वतन्त्र होता गया। तात्पर्य यह कि जिस समय चक्रायुध इन्द्रायुधकी गद्दीपर बैठा, उसी समय यह उलट-फेर भी हुआ होगा। बनारसमें उपलब्ध हुए चन्देल वंशके अति प्रसिद्ध

धङ्गराजके लेखसे (ए० ई० भा० १, पृ० १२६) हमारे इस काल-निर्णयकी पुष्टि होती है । धङ्गराजके लेखमें चन्देल वंशके आदि-पुरुषसे जो वंशावली दी गयी है, उससे ज्ञात होता है कि इस वंशका आदिपुरुष नन्नुक था । नन्नुकसे धङ्गराजतकके शासन-कालका विचार करते हुए नन्नुकका काल सन् ८३१ से ८५० तक (वि० ८८८-६०७) निश्चित होता है । महोबाके कानूनगो-से मिले हुए २०४ और २२५ हर्ष शकके लेखके आधारपर स्थित साहबने नन्नुकका राज्यारोहण-काल सन् ८३१ (वि० ८८८) ठहराया है । उस समय हर्ष शक प्रचलित था । इससे यह सिद्ध होता है कि कन्नौजकी सत्ता अबतक इस प्रान्तपर थी । चन्देल वंशका उत्कर्ष हर्ष शक २०४ अर्थात् ई० स० ८२० से आरम्भ हुआ और ई० सन् ८३१ में क्षीणबल खज्जाटसे युद्ध कर नन्नुकने विजय प्राप्त की । फिर उसने परि-हारोंको मार भगाया और बुन्देलखण्डमें अपना स्वतन्त्र राज्य स्थापित किया ।

नन्नुकके पश्चात् विजयने सन् ८७०से ८६० (वि० ६२७-६४७) तक राज्य किया । उक्त लेखमें कहा है कि नन्नुकके पश्चात् जय-शक्ति और विजयशक्तिने क्रमशः राज्य किया और ये दोनों सगे भाई थे । हर्षराजके एक लेखमें (ए० ई० १, १२६) नन्नुकके उत्तराधिकारीका नाम जेज्जक लिखा है । कहा जाता है कि जयशक्ति और विजयशक्ति इन संयुक्त नामोंसे ही जेज्जक नाम बना है; परन्तु यह स्पष्ट देख पड़ता है कि जेज्जक भुक्तिसे ही अजोति बना है, और हुएनसङ्गने इस प्रान्तके लिए इसी नामका प्रयोग किया है । अर्थात् दो सौ वर्ष पूर्व ही यह नाम बरता जाता था, इस कारण जयशक्ति-विजयशक्ति नामोंसे इसका बनना सम्भव नहीं है । 'भुक्ति' शब्दसे सूचित होता

है कि यह एक बड़े साम्राज्यका प्रान्त था, फिर चाहे वह गुप्त साम्राज्यका प्रान्त रहा हो जिसका प्रधान स्थान अयोध्या था या कन्नौज साम्राज्यका भाग रहा हो जिसकी मुख्य राजधानी कन्नौज थी। 'जेज्जक' नाम चन्देलोंमें पुनरुक्तिरुढ़ हुआ सा जान पड़ता है। अस्तु, विजयके पश्चात् राहिलने (सन् ८६० से ९१० तक = वि० ९४७-९६७) राज्य किया। वह पराक्रममें बहुत प्रसिद्ध था। उसकी राजधानी महोबा थी। महोबाके निकट जो विस्तृत सरोवर है, उसका नाम भी 'राहिल्यसागर' ही है। सरोवरके निकट ही उस राजाकी स्मृतिमें विशाल शिव-मन्दिर बना है। राहिलराजके पराक्रमका वर्णन पृथ्वीराज चौहानके चन्द भाटने भी किया है। उसकी कन्याका विवाह तत्कालीन चेदीराज कोकलसे हुआ था। राहिलके अनन्तर उसका पुत्र हर्ष राज्यालुढ़ हुआ। उसका विवाह चाहमान कुलकी कञ्चुका नामकी कन्यासे हुआ था। उसका राजत्व-काल सन् ९१० से ९३० तक (वि० ९६७-९८७) माना जा सकता है। सियके मतसे उसका विवाह 'गङ्ग' जातिकी कन्यासे हुआ था। हो सकता है, गङ्ग नामकी चाहमानोंकी कोई शाखा हो। हर्षके पुत्र यशोवर्माके पराक्रमसे चन्देल वंशका गौरव बहुत बढ़ गया। उसने कलचुरी नरेशका पराभव कर कालिंजरके सुप्रसिद्ध पहाड़ी किलेपर अधिकार कर लिया। महामातलके कलचुरी के किले पर कलचुरी के राजा जाता है और कलचुरी के इतिहासमें भी कालिंजरके किलेका बहुत जिक्र है। कालिंजरके किलेपर प्रभुत्व लेना ये रखनेने जेज्जोके राजा विशेष गौरव सम्पादित थे, क्योंकि वे 'कालिंजरपुरवर्धन' कहलाते थे। जेज्जोकी पराभव करने पर वही पद यशोवर्माको मिला। लेजमें यशोवर्माकी

कालिंजर-विजयके साथ ही साथ गौड़, खश, कोशल, काश्मीर, मिथिला, मालवा, चेदी, कुरु, गुर्जर देशोंपर भी विजय प्राप्त करनेका अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन है । इस वर्णनमें भी कुछ तथ्य है । कालिंजरका किला हस्तगत करनेपर कलचूरियों अर्थात् वेदियोंका पराभव हो गया था । गुर्जर अर्थात् प्रतिहार राजा कन्नौजके साम्राज्य पदपर प्रतिष्ठित था । शिलालेखोंमें यह भी लिखा है कि यशोवर्माके पिता अर्थात् हर्षने कन्नौजके देवपालको राष्ट्रकूट नरेश तोसरे इन्द्रके विरुद्ध सहायता दी थी, उसी समयसे कन्नौजका हास हो चला था । इससे लाभ उठाकर सम्भवतः यशोवर्मने कन्नौजके सम्राटका पराभव किया और उससे वैकुण्ठ अर्थात् विष्णुकी मूर्ति प्राप्त की । ज्ञात होता है कि यशोवर्मा विष्णुभक्त था । महीपालको वह मूर्ति कैसे और कहांसे मिली, इसका वृत्तान्त खजुराहो-लेखमें लिखा है । प्रथम वह मूर्ति भोट अथवा तिब्बतके राजाके पास थी । उससे कीरके शाहीराजके हाथ आयी और फिर महीपालको प्राप्त हुई । उक्त लेख एक और इष्टिसे भी महत्वपूर्ण है—उससे यह प्रतीत होता है कि जम्भोतीका चन्देल राजा कन्नौज अथवा अन्य किसी सार्वभौमका माण्डलिक न होकर स्वतन्त्र राजा था । स्मिथका भी यही मत है । उनका कथन है कि भोज और महेंद्रपालके शासनकालमें चन्देल राजा कन्नौजके माण्डलिक थे, बादमें वे स्वतन्त्र हो गये । वि० सं० १०५३ अर्थात् ई० सं० ६६६ के एक लेखमें हर्ष और यशोवर्माके नामोंके साथ 'परमभट्टारक' और 'परमेश्वर' ये विशेषण देख पड़ते हैं (इ० पृ० भा० १६, पृ० २०२) । इससे यह कहा जा सकता है कि हर्ष ही चन्देलोंका पहिला स्वतन्त्र राजा था । खजुराहो-लेखमें देवपालको 'हयपति' कहा

है। उस समय हयपति, गजपति, नरपति, भूपति आदि विशेषण राजाओंके नामोंके साथ प्रयुक्त होने लगे थे। कन्नौजके सम्राट् मारवाड़से आये थे और मारवाड़के लोग घोड़ेपर चढ़नेमें बड़े कुशल होते हैं। सम्राट्की सेनामें घुड़-सवार अधिक थे, इस कारण देवपालको 'हयपति' कहना बिलकुल ठीक है। सेनाके स्वामित्व-सूचक इसी प्रकारके पद अन्य राजाओंको भी दिये जाते थे।

यशोवर्माका शासन-काल सन् ६२५ से ६५० तक (वि० ६८२-१००७) माना जा सकता है। इसके अनन्तर चन्देलोंके महापराक्रमी पुरुष धंगराजका राजत्वकाल आरम्भ होता है। खजुराहो-लेखके आरम्भमें ही धंगराजके राज्यविस्तारकी चतुःसीमा दी गयी है। उत्तरमें यमुना नदीतक, दक्षिणमें मालवा नदी-तटके भास्वत ग्रामतक, पूर्वमें कालिंजर गढ़तक और पश्चिममें गोपाद्रि (ग्वालियर) तक उसका राज्य फैला हुआ था। मालवा नदी वर्तमान खेतवा (खेजवती) नदी है। कुछ लोगोंके मतसे मालवा नदी 'धखान' नदी है, परन्तु यह ठीक नहीं है क्योंकि धखान दशार्ध प्रान्तमें है। 'भास्वत्' अर्थात् भैल्लस्वामिन् वर्त्तमान खेतवा है।

धंगराजके राजत्वकालके बहुतसे लेख मिले हैं। उनमेंसे सन् ६५४ (वि० १०११) के खजुराहो-लेखका उल्लेख ऊपर किया जा चुका है। दो और महत्वके सन् ६६८ (वि० १०५५) और १००२ (वि० १०५६) के लेख हैं। ६६८ (वि० १०५५) के लेखमें धंगकी तुलना हम्मिरके साथ की गयी है। इससे प्रतीत होता है कि सन् ६८६-६९० (वि० १०४६-१०४७) में 'क्रम्मु' नामके स्वामिन् सतुक्तगीनदे साथ हुए संग्राममें धंगने विशेष पराक्रम दिखाया था। पुरिषताके लिखे वृत्तान्तसे भी यही

अनुमान बढ़ होता है । वह लिखता है,—“लाहोरके जयपालकी सहायताके लिए कालंजर बड़ी भारी सेना और खजाना लेकर प्रस्तुत हुआ” । इस लेखसे हिन्दुओंकी विजय सूचित होती है, किन्तु मुसलमान लेखकोंका कहना है कि हिन्दुओंकी पराजय हुई । सम्भव है, किसीकी जय या पराजय न हुई हो, दोनोंकी बराबरी रही हो । इस युद्धका हाल तीसरे भागमें लिखा जायगा, इस कारण यहाँ अधिक विस्तारका प्रयोजन नहीं है ।

धंगका राजत्वकाल सुदीर्घ था और वह दीर्घायु भी था । एक आख्यायिका है कि अन्त समयमें गंगा-यमुनाके संगममें उसने जल-समाधि ली थी । राजेन्द्रलाल इस आख्यायिकाको महत्व नहीं देते । उनके मतसे धंगराजने स्वयं जलसमाधि नहीं ली, वृद्धावस्थाके ही कारण उसकी मृत्यु हुई थी । हम उक्त आख्यायिकाको कल्पित नहीं समझते । हिन्दू धर्मशास्त्र इस प्रकारके शरीर-त्यागकी आज्ञा देता है । हिन्दू धर्मशास्त्र प्रायोपवेशन कर अथवा जीर्ण शरीरका तीर्थस्थानमें त्यागकर इहलोकका त्याग करनेको पुण्यकारक मानता है । ॐ धंगराजके तीसरे दानपत्रसे प्रतीत होता है कि उसके राज्यका विस्तार काशीतक था । इस सम्बन्धमें मतभेद होनेपर भी इसमें सन्देह नहीं कि वह चन्देल वंशका सर्वविख्यात वीर पुरुष

ॐ राजेन्द्रलाल धंगराजके देहत्यागके वर्णनको अत्युक्तिपूर्ण समझते हैं । निम्न श्लोकसे पाठक स्वयं अपना मत स्थिर कर सकते हैं—

रक्षित्वा निमित्तमन्त्रमिष्टानामेकापत्न्यसर्वम् ।

जीवित्वा शरीरं धर्मं च मृत्योर्न शीघ्रं त्यजेत्पतिः ॥

शब्द मुद्रितलोचनं स्वहृदये ध्यायन् जपन् जाह्नवी ।

कालिन्धाः सलिले कलेवरं परित्यागाद्गान्निर्वृतिम् ॥

एपि० इंडि० १, १४६.

था । वह उत्कट शिवभक्त भी था । उसके दानपत्रोंके आरंभमें 'ॐ नमः शिवाय' लिखा रहता है । हम कह चुके हैं कि उस समय शिव, विष्णु, सूर्य अथवा देवीकी उपासनाका काफी प्रचार था और शैव वैष्णवोंका विरोध नहीं करते थे । हिन्दू समाजमें मताभिमानके पागलपनने प्रवेश नहीं किया था, सब लोग धर्मके सम्बन्धमें परमत-सहिष्णु थे ।

एक बात और है । चन्देलोंके सिक्के भी उपलब्ध हुए हैं । चेदी राजाओं और चन्देलोंके सिक्कोंमें बहुत कुछ साम्य है । अन्तर इतना ही है कि चेदी राजाओंके सिक्कोंपर दुर्गाकी और चन्देलोंके सिक्कोंपर हनुमानकी छाप है । साथ ही, ध्यानमें रखने योग्य एक बात यह है कि धंगसे पहिलेके राजाओंके या धंगके समयके सिक्के नहीं मिले हैं । संभव है, उनके स्वतन्त्र सिक्के न बने हों और उनके समयमें कन्नौजके ही सिक्के प्रचलित रहे हों (इंडि० ऐंदि० भाग ३७ में स्मिथ लिखित चन्देलों और १६०८ तकके उनके सिक्कोंका वृत्तान्त देखा) । स्मिथके मतसे धंगके पूर्वजोंके समयमें 'इंडोससेनिअन' सिक्कोंका प्रचार था । हम इससे सहमत नहीं हैं । हमारे मतसे भोजादिके 'आदि-वराह' आदि सिक्कोंका प्रचार कन्नौज साम्राज्यके अन्तर्गत सब देशोंमें था । ग्यारहवीं शताब्दी (वि० १०५८-११५७) में चेदीके गांगेयदेवने स्वतन्त्र सिक्के बनाना आरम्भ किया और उसीका अनुकरण कर चन्देलोंने हनुमानकी छापके अपने चांदी, सोने और ताम्बेके सिक्के बनाये । कौनसा चन्देल राजा हनुमानका उपासक था, इसका पता नहीं चलता । अस्तु, यह विषय तीसरे भागमें विस्तारपूर्वक लिखा जायगा । खजुराहो-लेखके अन्तमें "विनायकपालके राजत्वकालमें" ऐसे शब्द लिखे हैं । यद्यपि कीलहार्न साहबके मतानुसार

इस विनायकपालका पता चलना कुछ कठिन है, फिर भी हमारा अनुमान है कि विनायकपाल ही कन्नौजका सम्राट महीपाल था और यशोवर्मा स्वतन्त्र होते हुए भी उसका सार्वभौमत्व उसी प्रकार स्वीकार करता था जिस प्रकार मराठे स्वतन्त्र होते हुए भी दिल्लीपतिको सार्वभौम मानते थे । मराठोंके राज्यमें मोगलोंके सिक्के प्रचलित थे, इसी तरह कन्नौजके सिक्के भी उन स्वतन्त्र राज्योंमें प्रचलित थे, जो किसी समय कन्नौजके भाण्डलिक थे ।

स्मिथ साहबकी इंडि० ऐंटी० २३७ में लिखी चन्देलोंकी वंशावली—

१ नखुक ८३१ ई० स०	५ राहिल ६०० ई० स०
२ चाकपति ८४१	६ यशोवर्मन् ६३०
३ जयशक्ति ७६०	७ धंग ६५०
४ विजयशक्ति ८८०	८ गंड १०००

टिप्पणी—चन्देलोंकी उत्पत्तिके सम्बन्धमें स्थिका भ्रान्त मत ।

सर विन्सेण्ट स्मिथने अपने 'हिन्दुस्थानका प्राचीन इतिहास' में तथा अन्यत्र भी, अपना यह निश्चित मत प्रकट किया है कि चन्देल गोंड या भर जातिके हैं । उपर्युक्त पुस्तक (द्वि० संस्क० पृष्ठ ३७०) में वे लिखते हैं—
“चन्देल मूलतः गोंड अथवा भर हैं, यही अनुमान प्रबल प्रमाणोंसे सिद्ध होता है ।” राजपूतोंको विदेशी श्रेच्छ अथवा भारतके आदि द्रविड़ सिद्ध करनेकी ओर यूरोपीय पंडितोंकी, स्वभावतः परन्तु बिना कारण, प्रवृत्तिसी हो गयी है । उक्त मत इसीका परिणाम स्वरूप है । स्मिथने अपने इतिहास-में कानसे प्रबल प्रमाण दिये हैं, उनकी ओर धृष्टिपात करना आवश्यक है । अपने इतिहासमें तो उन्होंने वे प्रमाण नहीं दिये, पर इण्डियन ऐंटी-

केरी भाग ३७, पृष्ठ १३७ में विस्तारपूर्वक लिखे हैं। वे लिखते हैं—
 “मेरा आजतक (सन् १९०८ तक) यही मत है कि चन्देलोंकी उत्पत्ति किसी मूल आदिम निवासी जातिसे हुई है, चाहे वह जाति भर हो या गोंड़।” इसकी पहिली दलीलमें उन्होंने चन्देलोंमें प्रचलित, पागलपनसे भरी हुई, यह दन्तकथा दी है कि चन्द्रमा और काशी-निवासी एक ब्राह्मण-की कन्यासे उनकी उत्पत्ति हुई है। इस दन्तकथाके सम्बन्धमें स्थित लिखते हैं—“इस कथाका यही महत्व है कि इसने चन्देलोंके पूर्वजोंकी जातिके सम्बन्धमें जो सन्देह था, उसे दूर कर उन्हें चन्द्रवंशी बना डाला है। यही नहीं, उन्हें अधिक प्रतिष्ठित बनानेके लिए इस कथाने एक ब्राह्मण कन्याको उनकी आदिजननी भी मान लिया है। परन्तु वास्तवमें चन्देल निकृष्ट राजपूत ही माने जाते हैं।” उनकी दूसरी दलील देखिये। “चन्देल गोंड़ोंके मध्य प्रान्तमें उत्पन्न हुए, इसके सूचक प्रमाण स्पष्टतः देख पड़ते हैं। महोबाके चन्देल जमींदार अपनेको वहाँके आदिम निवासी मानते हैं और कहते हैं कि हमारे पूर्वज केन नदीके तटके मनियागढ़ किलेमें रहते थे। इसकी पुष्टि इस बातसे भी होती है कि चन्देलोंके कुल-देवता मणिया देव (देवी) हैं और उनका मन्दिर मनियागढ़ किलेमें है। जब चन्देल मनियागढ़से उठकर निकट ही महोबामें आकर राज्य करने लगे, तब अपने साथ अपनी कुलदेवी भी महोबामें ले आये। इस देवीका रूप भी गोंड़ोंके देवताओंसे मिलता जुलता है। चन्द कविने भी ईसाकी तेरहवीं सदी (वि० १२५८-१३५७) में मनियागढ़में एक गोंड़ माण्डलिक राजाके अस्तित्वका उल्लेख किया है।” तीसरी दलील स्थितने यह दी है कि “चन्देल राजकन्या दुर्गावतीका विवाह गढ़ामण्डलाके गोंड़ राजासे हुआ था।” स्थितकी अन्तिम टिप्पणी यह है कि “गहरवार अथवा चेदीके हैहय भी इसी तरह भारतके आदिम निवासियों (भीलों अथवा आदि द्रविड़ों) के वंशज हैं, परन्तु सुप्रसिद्ध राजा हो जाने पर वे क्षत्रिय, ठाकुर अर्थात् राजपूत होनेका दावा करने लगे। गोंड़ोंमें ऐसी प्रथा अवतक प्रचलित है।” ये सब दलीलें कितनी लचर और भ्रान्त हैं, इसका अनुमान हिन्दू पाठक सहजमें ही कर सकते हैं; इस कारण इनका निराकरण करनेकी आवश्यकता

नहीं है । तो भी यूरोपीय पाठकों और उनके अनुयायियोंको जतानेके लिए इसपर कुछ विचार करना आवश्यक प्रतीत होता है ।

पहिली दलील चन्देलोंमें प्रचलित उनकी उत्पत्तिकी कल्पित कथाके आधारपर स्थित है । ऐसी पागलपनकी कल्पित कथाएँ हर एक देश और हर एक जातिके वीर पुरुषों और वीर कुलोंकी उत्पत्तिके सम्बन्धमें प्रचलित होती आयी हैं । पर उनसे कोई अनुमान नहीं स्थिर किया जा सकता । उदाहरणार्थ, ग्रीकोंमें यह दन्तकथा प्रचलित है कि एक्जिलीजकी उत्पत्ति अपोलो (सूर्य) के संयोगसे थेटिसकी कोखसे हुई है । क्या यह दन्तकथा सत्य मानी जा सकती है ? और यदि सत्य मान ली जाय, तो क्या यह अनुमान किया जा सकता है कि एक्जिलीजकी उत्पत्तिके सम्बन्धमें सन्देह था और उसे छिपानेके लिए ही यह कथा प्रचलित की गयी ? हम कह चुके हैं कि वीर पुरुषोंकी उत्पत्तिके सम्बन्धकी ऐसी सभी कथाएँ कल्पित होती हैं, इस कारण ऐतिहासिक विचारमें वे त्याज्य हैं । ऐसी निरी कविकल्पनाएँ वैदिक समयसे प्रचलित होती आयी हैं, उनसे किसी प्रकारका अनुमान करना अनुचित है । किसी कथामें कथित वीरकी उत्पत्तिके सम्बन्धमें सन्देह था, यह नहीं कहा जा सकता, और न यही कहा जा सकता कि वह कुलीन ही था । चन्देलोंके भाटोंने चन्देल नामका श्लेषार्थ कर (जिसे कीलहान 'नाममूलक कथा' कहते हैं) जब यह कथा अपने अन्नदाताओंके कुलीनत्वका गौरव बढ़ानेके लिए रची, तब उनको स्वयंमें भी यह खयाल न हुआ होगा कि भविष्यत्के विद्वान् समझाना अर्थ कर विपरीत सिद्धान्त स्थापित करनेमें इसका उपयोग करेंगे । चन्देल नामसे ही वंशप्रवर्तक चन्द्रकी कल्पना सूझती है । उत्तम वंशजननीके लिए ब्राह्मण कन्याकी कल्पना कर ली गयी, इसमें भी कुछ आश्चर्यकी बात नहीं है; क्योंकि प्राचीन समयमें ब्राह्मण-क्षत्रिय-वैश्योंमें प्रसङ्गानुसार प्रतिलोम विवाह हुआ करते थे । ब्राह्मण कन्या देवयानी और क्षत्रिय वंशातिसे यदुवंशके संस्थापककी उत्पत्ति हुई । सारांश, हमारे बारम्बार कहे अनुसार ऐसी कथाएँ ऐतिहासिक विचार करते हुए सर्वथा त्याज्य हैं । इस कथासे यह अनुमान अवश्य किया जा सकता है कि चन्देल प्राचीन कालसे चन्द्रवंशी

माने जाते हैं। हमें यह देखना है कि क्या लोगोंका यह विश्वास कभी बदला भी था ? क्या कभी चन्देल होनेवंशी माने गये थे ? यदि वे कभी अनार्य माने गये हों, तो उनका राजपूत होनेका दावा अग्राह्य हो सकता है।

स्थितका महत्वपूर्ण तर्क यह है कि चन्देलोंको लोग हीन कुलके ही समझते आये हैं, पर इस तर्कके लिए स्थितके पास कोई आधार नहीं है। अतः इसका उत्तर हम यही देंगे कि यह दलील भ्रूवी है और इसके विरुद्ध अनेक प्रमाण हैं।

प्रथमतः चन्दने ३६ राजपूत कुलोंकी जो सूची बनायी है, उसमें आरम्भमें ही चन्देल हैं। पहिले दाहेका 'छन्द' शब्द चन्देल-वाचक ही हैं। (रासोमें चन्द शब्द कभी कभी चन्देलोंके लिए प्रयुक्त हुआ है। यथा महोबा प्रसङ्गमें—आये लाखन साम रम, उचरे आबह सुभाय। हम आवेंगे काम सब, राज चन्द नहि जाय ॥ पृष्ठ २५७५)। छन्द = चन्द, चन्द = चन्देल, इस व्युत्पत्तिको हम न भी मारें, तो भी टाडने अपनी पुस्तकमें ३६ कुलोंकी जो प्राचीन सूचियां दी हैं, उनमें से कुमारपालकी सूचीमें चन्देलका नाम होनेसे यह मानना ही होगा कि कुमारपालचरितके समयसे (ई० स० १२०० के आस पास) चन्देलोंकी गणना उत्तम राजपूतोंमें होती आयी है। दूसरे, जिस चन्द वरदाईके लेखको स्थित साहब प्रमाण मानते हैं, उसी चन्दने किसी लेखमें चन्देलोंके हीन राजपूत होनेकी कोई बात नहीं कही है। तीसरे, प्राचीन शिलालेखोंसे स्पष्ट है कि चन्देलोंके विवाह-सम्बन्ध उत्तम कुलके माने जानेवाले राजपूतोंके, विशेषतः हैहयोंके वंशके, साथ होते थे। स्थित कुछ भी कहें, हैहय चेदी पहिले और अब भी उत्तम राजपूत माने जाते हैं। सबसे बढ़कर बात तो यह है कि चन्देलोंके वर्तमान प्रधान वंशधर गिद्धौर महाराजका विवाह-सम्बन्ध गुहिलोंत, चौहान आदि उत्तम राजपूत वंशोंके साथ होता है। अतः स्थितका यह कहना कि चन्देल हीन राजपूत माने जाते हैं, त्रिलकुल मिथ्या है।

स्थितकी तीसरी दलील भी पहिलीकी तरह लचर और न्यायविरुद्ध है। यद्यपि उचित जाँच-पड़तालके बाद ही वह दी गयी है, तथापि वह

प्रामाणिक नहीं जँचती। गोंडोंके ठीक मध्य देशमें चन्देलोंका उत्कर्ष हुआ, यह बात सही है; किन्तु इससे हम उन्हें गोंड कैसे ठहरा सकते हैं? इतिहास बता रहा है कि सैकड़ों राजपूत घरानोंने गोंड, भर, भील आदि जंगली आदिम निवासियोंके देशोंमें जाकर अपने छोटे छोटे राज्य स्थापित किये थे। राजपूतों अर्थात् क्षत्रियोंका यह स्वभाव ही है कि यदि आर्य देशोंमें राजा होनेका उन्हें अवसर न मिले, तो वे जंगली अर्थात् देशोंके राजा बन जाते हैं। (गीतामें भी कहा है—दानमीश्वरभावश्च क्षात्र-कर्म स्वभावजम्।) उदाहरणार्थ, वाप्याराबल भीलोंमें जाकर राज्य करने लगे थे और भीलोंके देशमें ही गुहिलोत वंशका अभ्युदय हुआ; इससे क्या यह कहा जा सकता है कि गुहिलोत भील हैं? ब्रिटिशोंने भी हिन्दू-मुसलमानोंमें आकर विशाल राज्यकी स्थापना की है, तो क्या वे हिन्दू या मुसलमान कहे जा सकेंगे? आश्चर्य है कि इसमें इतिहासकारोंका अब तक सन्देह होता है कि साहसी क्षत्रियोंने आर्यमध्यदेशसे हिमालयका कन्दराओं, राजस्थानकी मरुभूमि और मेवाड़के पर्वतोंमें जाकर राज्य स्थापन किये थे। सारांश, चन्देलोंका प्रधान राज्य गोंडोंके मध्यदेशमें स्थापित हुआ, इससे वे गोंड थे, यह सिद्ध नहीं हो सकता। महोबाके चन्देल जमींदारका यह कथन कि 'हम यहाँके आदिम निवासी हैं' आश्चर्यजनक नहीं है। ऐतिहासिक प्रमाणोंसे स्पष्ट सिद्ध है कि महोबामें एक सहस्र वर्ष पूर्वसे चन्देल रहते आये हैं। सन् १९२० (वि० १९७७) में चन्देल जमींदार यदि यह कहें कि महोबामें हम अनादि कालसे रहते आये हैं, तो इसमें आश्चर्यकी क्या बात है? महोबामें आनेके पहिलेसे ही चन्देल मनिगावड़में रहते आये थे। वे वहाँ कब आये, इतिहासकी इसका पता नहीं। चन्देल गोंडोंके देशमें हजारों वर्षोंसे हैं। कौन कह सकता है कि हूणोंके आक्रमणके समय वे वहाँ आये या उससे भी पहिले कुशानोंके समयमें आये? इतिहास बता रहा है कि भारतमें आर्य बाहरसे आये हैं; परन्तु कितने ही बहुश्रुत तथा विद्वान् इतिहासकार यही मानते हैं कि आर्य बाहरसे नहीं आये, वे यहाँके हैं। उनका आदिनिवासस्थान न तो उत्तर भुवके निकट है और न दक्षिण

तटवर्ती प्रान्तमें ही । आर्योंका आदिनिवासस्थान भारतवर्ष ही है । फिर यदि महोबाके जमींदार अपनेको चन्देलखण्डके आदिमनिवासी मानते हों, तो उनके विश्वासका महत्व ही क्या रह जाता है और उसी विश्वासके आधारपर चन्देल गोंड हैं, यह अनुमान कैसे किया जा सकता है ?

स्मिथका यह अनुमान भी भ्रान्त है कि चन्देलोंकी कुल-देवी मनिया-देवी होनेके कारण वे गोंड हैं । यह प्रसिद्ध ही है कि हर एक राजपूत कुलका एक कुलदेवता या देवी होती है । उनके गोत्रोच्चारमें वेदके साथ ही उसका भी उच्चारण किया जाता है । चन्देल गोंडोंके देशमें आये, मनिया-गढ़ उन्होंने हस्तगत किया और उसके आसपास अपना राज्य स्थापित किया, इस सहजसिद्ध बातको यदि हम मान लें, तो उनकी कुलदेवीका नाम अनियादेवी होनेमें आश्चर्यकी कौन सी बात है ? स्मिथके इस कथनमें तथ्य नहीं है कि इस देवीका गोंडोंकी देवीसे साम्य है, क्योंकि उन्होंने यह नहीं बताया कि कैसा साम्य है । हम मान भी लें कि गोंडोंसे ही चन्देलोंने इस देवीको पाया, तो भी वे गोंड नहीं हो सकते । हम कई बार यह प्रतिपादन कर चुके हैं कि आर्योंने अनार्यों अर्थात् भारतके आदिमनिवासियोंसे ही शिव और दुर्गा दोनों देवताओंको प्राप्त किया है । उन्होंने वैदिक देवताओंसे उनका सम्बन्ध जोड़कर उन्हें अपना लिया है । अतः चन्देलोंकी मनियादेवीकी पूजा-विधि और गोंडोंके देवताओंकी पूजाविधिमें समानता हो तो आश्चर्य ही क्या है ?

रासोमें लिखा है कि सोलहवीं शताब्दीमें मनियागढ़में एक गोंड माण्डलिक था । पर इससे चन्देलोंकी मूल उत्पत्तिके सम्बन्धमें क्या अनुमान किया जा सकता है ? चन्देलोंने मनियागढ़से आकर महोबामें एक बड़े राज्यकी स्थापना की, जो ईसाकी नवीं शताब्दीसे तेरहवीं शताब्दीतक (वि० ८५८-१३५७) कायम रहा । चन्देलोंके राज्यपतनके पश्चात् यदि मनियागढ़में कोई गोंड माण्डलिक हुआ हो तो इससे चन्देलोंकी उत्पत्तिके सम्बन्धमें निर्णय ही क्या किया जा सकता है ?

सदी दुर्गावतीकी कथासे उभरी ही बात मिलती है, किन्तु आश्चर्य है कि स्मिथने अपनी कल्पनाकी पुष्टिके लिए इसका उपयोग किया है ।

अबुलफजलने अकबरनाममें वह कथा इस प्रकार लिखी है (बीवरिज-
कृत अनुवाद भाग २, पृष्ठ ३३३ से ही सम्भवतः वह कथा स्थितने उद्धृत
की है ।)—“राणी दुर्गावती राढ़ और मड़ोवाके राजा सालवाहनकी कन्या
थी । सालवाहन चन्देलवंशी था । अमानदासके पुत्र दलपतके साथ वह
व्याही गयी थी । दलपत हीन कुलका, परन्तु श्रीमान् था और सालवाहन-
की दशा गिरी हुई थी । इसीसे उसे यह सम्बन्ध करना पड़ा ।” वहीं ग्रन्थ-
कार फिर लिखता है—“प्राचीन समयसे राढ़के राजाओंका पद बहुत श्रेष्ठ
माना जाता था परन्तु जर्जीदारीके अनिश्चित आयका उनके पास दूधरा कोई
साधन नहीं था । खर्जी (दलपतका दादा) पेशकशके नाअपर बहुतसा
धन बटोरने लगा था ।” पृष्ठ ३२६ में लिखा है—“वास्तवमें दलपत गोविन्द-
दास कछवाहाका पुत्र था । उसके प्रपञ्च होते ही संग्रामने उसे गोंड ले
लिया और उसका नाम दलपत रखा । उसीसे दुर्गावती व्याही गयी थी ।”
इन तीन अवतरणोंसे स्पष्ट हो जाता है कि अबुलफजल भी इस बातको
मानता है कि चन्देल उच्च राजपूत हैं, किन्तु विधवर्ताके कारण उन्हें
अपनी कन्याका विवाह दलपतके साथ करना पड़ा । इतिहासमें हम
देखते हैं कि राठकी आशासे उत्तम कुलके राजपूतोंने अपनी कन्याएँ
सुसलमान बादशाहों तकको व्याह दी थीं । फिर यदि गड़ामण्डलाके
श्रीमान्, किन्तु हीन कुलके राजाका सालवाहनने अपनी कन्या व्याह दी,
तो इससे उसके उच्च कुलमें धक्का कैसा लग सकता है ? राजाओंमें श्वर-
भाव स्वभावतः माननेके कारण राजपूतलोग उन्हें अपनी कन्याएँ अर्पण
करनेमें आगा-पीछा नहीं करते, चाहे राजा सुसलमान ही क्यों न हो ।
उनका उच्च कुल संबंधी अभिमान कन्याके वरण करते समय प्रकट होता
है । उच्च कुलकी कन्याओंसे ही वे विवाह करते हैं । आशयकी बात
तो यह है कि दलपतके गोंड होनेका कहीं कोई उल्लेख नहीं है । यदि
वह गोंड होता, तो भी सालवाहनके उच्च कुलमें कोई बाधा नहीं पहुँचती ।
दलपत या उसके वज्रोंके गोंड होनेका कहीं वर्णन न होले हुए भा । स्थितिमें
उसे गोंड कैसा मान लिया, यह बात समझमें नहीं आती । उपराल वधानसे
दलपत राजपूत ही प्रतीत होता है, चाहे उसका कुल भिन्न ही क्यों न

हो । वह समृद्ध तथा शक्तिशाली था और गढ़ा तथा उसके आस पासके प्रदेशमें उसका राज्य था । इसके अतिरिक्त दलपतका कुल निरुद्ध मान भी लिया जाय, तो भी वह स्वयं उच्च कलवाहा कुलमें उत्पन्न होकर गढ़ा कुलमें गोद आया था । सालवाहनने उसे अपनी कन्या दयाह दी, इसमें अनुचित क्या हुआ ? सबसे बढ़कर बात तो यह है कि रानी दुर्गावतीने अलौकिक पराक्रमसे अपना श्रेष्ठ राजपूत कुल सिद्ध कर दिया है । दलपतके मारे जानेपर वह स्वयं बड़ी वीरतासे योगलोंके साथ लड़ी और संग्राममें पराजित होकर आहत होनेपर भावी विपद् और अपमानसे बचनेके विचारसे उसने आत्महत्या कर ली । रानी दुर्गावतीका यह चरित्र उसके पिताके कुलको सब भांति श्रेष्ठ सिद्ध कर रहा है । फिर भी इसी कथाके आधार-पर स्मिथ चन्देलोंको गोंड सिद्ध करनेकी चेष्टा करते हैं, क्या यह आश्चर्यकी बात नहीं है ?

आठवाँ प्रकरण ।

चेदी अर्थात् त्रिपुरके कलचूरी ।

कन्निय वंशवृक्षकी हैहय नामक शाखा बहुत प्राचीन समयसे प्रसिद्ध है । इस शाखाकी उत्पत्ति सहस्रार्जुनसे हुई है । पुराणोंमें लिखा है कि सहस्रार्जुनने रावणको हराया था । प्राचीन समयसे हैहय वंशके लोग नर्मदातटवर्ती स्थानोंमें रहते आये हैं । पुराणेतिहाससे यह भी पता चलता है कि हैहयोंने अयोध्याके सूर्यवंशी राजा सगरका पराभव किया था । फिर थोड़े ही दिनोंमें हैहयोंने दक्षिण कोसल अर्थात् छत्तीसगढ़पर अधिकार कर लिया । नागपुरके भोंसलोंके समयतक वह प्रान्त उनके ही अधीन था । प्रथम भागमें मध्यप्रान्तके इन हैहयोंका कुछ परिचय दिया गया है

और साथ ही चेदीकी कलचूरी शाखाके इतिहासकी भी रूप-रेखा बतायी गयी है । कलचूरी घराना हैहय वंशकी ही एक शाखा है, इसमें कोई मतभेद नहीं है । पर इसका प्रादुर्भाव कब और कैसे हुआ, यह निश्चिन रूपसे नहीं कहा जा सकता । साथ ही यह बताना भी कठिन है कि कलचूरियोंने त्रिपुर (वर्तमान जम्बलपुर) में कब और क्यों स्वतन्त्र राज्यकी स्थापना की । कलचूरी लोग विक्रम अथवा शालिवाहन शक न मानकर अपना स्वतन्त्र चेदी शक मानते हैं । कीलहार्न साहयके मतानुसार चेदी शकका आरम्भ ई० स० १४८ से हुआ है । ईसाकी चौदहवीं सदीके अन्त (वि० १४५७) तकके कलचूरियोंके इतिहास और दानपत्रोंमें चेदी शक पाया जाता है । इससे यह अनुमान किया जा सकता है कि कलचूरियोंका घराना बहुत प्राचीन समयसे विद्यमान था । चेदी शक पश्चिम भारत अर्थात् गुजरात और कोंकण प्रान्तमें भी प्रचलित था, इससे जान पड़ता है कि दक्षिणके चालुक्योंके उदयसे भी पूर्व पश्चिम प्रान्तमें कलचूरियोंका राज्य था । शातवाहनके पश्चात् आन्ध्र साम्राज्यका अधिकांश उनकी अधीनतामें अवश्य ही आ गया था । कालिंजरका दृढ़ किला प्राचीन समयसे उनकी अधीनतामें था ही । धीरे-धीरे पूर्वीय प्रान्तमें उन्होंने प्रवेश किया और अन्तमें यमुनातटके प्रदेशपर अधिकार कर लिया । 'चेदी' इस अन्वर्थक नामसे भी यही बात सिद्ध होती है ।

विभिन्न प्रान्तोंमें कलचूरियोंका क्रमशः किस प्रकार प्रवेश हुआ, उसका यह संक्षिप्त वर्णन है । परन्तु ईसाकी नवीं शताब्दी (वि० ८५८-८५७) के उत्तरार्धसे पहले कलचूरियोंकी गणना स्वतन्त्र राजाओंमें नहीं होती थी । कलचूरियोंका स्वतन्त्र

राज्य ईसाकी तर्ती शताब्दीके उत्तरार्धमें स्थापित हुआ । इस वंशका कलचूरी नाम क्यों पड़ा, यह कहना कठिन है । इतिहास-प्रसिद्ध कुलों अथवा वंशोंकी उत्पत्ति अनेक प्रकारसे बतायी जाती है, किन्तु उन बानोंमें तथ्यांश बहुत ही अल्प होता है । इस कुलके सम्बन्धमें भी यही बात है । यह कोई नियम नहीं कि सब नाम सार्थक ही हों । प्रायः कविगण नामपर चमत्कृतिजनक श्लेषरचना करते हैं । पर वास्तवमें इस प्रकार नामोत्पत्तिके सम्बन्धमें गढ़ी हुई रचना काल्पनिक ही हुआ करती है, और वही आगे चलकर सच्ची जान पड़ती है । नामके सम्बन्धमें रची हुई श्लेषपूर्ण कथाएँ प्राचीन कालसे प्रचलित हैं । ऋग्वेदमें भी ऐसी श्लेषजन्य कथाएँ वर्णित हैं । परन्तु पहिले कहे अनुसार उनमें तथ्यांश बहुत ही कम होता है । सारांश, किसी कुलके नामकी अन्वर्थकताका विचार करना बड़े परिश्रमका काम है और परिश्रम किया भी जाय, तो उससे सत्यांश ज्ञात होनेकी कोई आशा नहीं । अतः नामोंकी व्युत्पत्तिके फेरमें न पड़ना ही उचित है । इसी विचारसे हमने हैहय, चालुक्य, चाहमान (चौहान), प्रतिहार अथवा कलचूरी आदि नामोंकी छानबीन नहीं की । अस्तु, कलचूरी वंश-संबंधी दो प्रधान लेख उपलब्ध हुए हैं और वे कीलहार्न साहबने एपि० इंडि० भाग १, पृ० २६५ और भाग २, पृ० ३०५ में प्रकाशित किये हैं । उनके नाम हैं—विलहारी शिलालेख और बनारस ताम्रपट लेख । इन लेखोंसे ज्ञात होता है कि कलचूरी वंशमें सन् ८५० (वि० ६०७) के लगभग कोकल नामक एक विख्यात वीर पुरुष हुआ था । कोकल और उसके वंशजोंका वृत्तान्त कीलहार्न साहबने एपि० इंडि० के दूसरे भागमें दिया

है। उसके तथा और जो नयी बातें ज्ञात हुई हैं उनके आधारपर कलचूरियोंका इतिहास नीचे दिया जाता है।

उपर्युक्त लेखोंमें कोकलदेवका विशेष युगमान किया गया है। लिखा है—“उत्तरके भोजराज और दक्षिणके वल्लभराज, मानों ये दो नृपरूप जयस्तम्भ कोकलदेवने खड़े किये हैं।” इसका अर्थ यह है कि कोकलदेवके तेजके सामने भोजराज अथवा वल्लभराजका तेज फोका पड़ जाता था और कोकल सम्राट् था एवं भोज आदि नृपति उसके माण्डलिक थे। लेखमें उल्लिखित भोज कभोजका सुप्रसिद्ध मिहिर भोज था। भोजके निश्चित लेख सन् ८६२—७६ और ८२ (वि० ६१६-३३ और ३६) के हैं। वल्लभराज राष्ट्रकूटोंका राजा द्वितीय कृष्ण है और उसका समय सन् ८७५ से ६११ तक (वि० ६३२-६०८) माना गया है। पहले कहा जा चुका है कि कोकलदेवने चित्रकूटके हर्षदेवको सहायता देनेका आश्वासन दिया था। एक और लेखमें कोकल नृपतिको ‘त्रिकलिंगाधिपति’ भी कहा है। लेखोंमें कोकलराजकी कितनी ही कृतुति क्यों न की गयी हो, पर भोजराज तथा कृष्णराज जैसे वीर्यशाली राजाओंको उसने पराजित किया होगा, यह सम्भव नहीं प्रतीत होता। सम्भवतः भोजराज और कृष्णराजकी दृढ़ मित्रताके कारण कोकलको उस समय ऊँची प्रतिष्ठा प्राप्त हुई होगी। उक्त राजाओंसे कोकलकी मित्रता ही नहीं, नाता भी था। कोकलकी कन्या कृष्णराजकी पटरानी थी, सम्भवतः उसकी दूसरी कन्या भोजराजसे व्याही गयी होगी। कोकलका विवाह जन्देल हर्षकी बहिन ‘नट्टा’ से हुआ था। हैहयोंकी गणना उक्त क्षत्रियोंमें होती थी, इस कारण सभी राजकुल उनसे सम्बन्ध स्थापन करनेके लिए उत्सुक रहते थे। ईसाकी सातवीं, आठवीं

तथा बादकी शताब्दियोंमें दक्षिणके दोनों चालुक्य वंशोंने हैह-
योंसे नाता जोड़ा था । बारहवीं शताब्दीमें भी प्रसिद्ध क्षत्रिय
कुल हैहयोंके साथ सम्बन्ध स्थापन करनेके लिए उत्सुक रहा
करते थे । पृथ्वीराज चौहानने हैहयोंकी एक कन्याके साथ
विवाह किया था । सारांश, उस समय कोकलका महत्व बहुत
बढ़ा-चढ़ा था । इसका कारण उसका अलौकिक पराक्रम न
होकर यह है कि उसने विभिन्न वैभवशाली नृपतियोंसे स्नेह-
सम्बन्ध या नाता जोड़ लिया था । लेखोंमें वर्णित उसका
महत्व अगर सत्य भी मान लिया जाय, तो भी उसका कारण
लेखोंके बातोंसे भिन्न है ।


कोकलके पश्चात् उसका पुत्र मुग्धतुंग उर्फ प्रसिद्धधवल
(या धवल) गद्दीपर बैठा । उसके बालहर्ष और केयूरवर्ष
नामके दो पुत्र थे । मुग्धतुंगके अनन्तर बालहर्षने बहुत ही
थोड़े दिन राज्य किया और फिर केयूरवर्ष राजा हुआ । उसकी
रानीका नाम नोहलादेवी था, जो एक चालुक्य सामन्तकी
कन्या थी । बिलहारी लेखमें जो दन्तकथा लिखी है, उसमें
कहा गया है कि पहिला चालुक्य भारद्वाज गोत्रका था और
द्रोणकी अञ्जलिसे उत्पन्न हुआ था । नोहलादेवीने अपने नाम-
पर नोहलेश्वर शिवका मन्दिर बनवाया और उसके लिए जो
ग्राम दिये थे, उनका दानलेख देवालयमें खुदा हुआ है ।
इससे जान पड़ता है कि बौद्ध भिक्षु जिस प्रकार बिहारोंमें
रहते थे, उसी प्रकार लकुलीश मतानुयायी शिवोपासक
संन्यासी उस समय मठों और मन्दिरोंमें रहा करते थे ।
अब बौद्धमतका हास हो चला था, इस कारण प्रायः सभी
राजपूत शिवोपासक बन गये थे और 'आगमवेद' को प्रमाण
मानते थे । इस समयको धर्मभावनाओंके सम्बन्धमें एक

स्वतन्त्र प्रकरणमें विचार किया गया है, इस कारण यहाँ उसका केवल दिग्दर्शन ही करा देना पर्याप्त होगा ।

केयूरवर्षका दूसरा नाम युवराज था । चन्देललेखोंसे पता चलता है कि इसका परामर्श किसी चन्देल राजाने किया था । केयूरवर्षके अनन्तर उसका पुत्र लक्ष्मण राज्याधिकारी हुआ । उसकी रानीका नाम राहड़ा था । उसके बोधा-देवी नामकी कन्या हुई, जिसका विवाह उत्तर चालुक्य वंशमें हुआ था । उसीका पुत्र सुप्रसिद्ध तैलप चालुक्य था । उसका समय सन् ८७३ (वि० १०३०) है । लक्ष्मणके पश्चात् उसका प्रथम पुत्र शंकरगण और तदनन्तर द्वितीय पुत्र युवराज (दूसरा) राज्य करने लगा । युवराज और मुंज समकालीन थे (ई० स० ८७४, ८७९, ८८३) । युवराजका पुत्र द्वितीय कोकलराज था । कोकलराजके पश्चात् गांगेयदेवको राजपद मिला । पूर्वोक्त राजाओंमें यह सर्वप्रसिद्ध था । परन्तु इसका राजत्वकाल सन् १००० (वि० १०५७) के अनन्तर होनेके कारण इसका वर्णन तृतीय भागमें करना उचित होगा । इस वर्णनसे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि कलचूरी क्षत्रिय कहींसे नये आये हुए अथवा नकली क्षत्रिय नहीं थे, किन्तु उनका कुल बहुत प्राचीन है । इस कुलका विशेष उत्कर्ष ई० स० ८५० (वि० ८०७) से हुआ, किन्तु यह कुल पुरातन कालसे सच्चे क्षत्रियोंमें ही गिना जाता है । यही कारण है कि अनेक प्रसिद्ध क्षत्रिय कुलोंके इस कुलके साथ सम्बन्ध हुए और यही इस कुलके वैभवका मूल कारण है । इस कुलमें गांगेय नामक अति प्रसिद्ध राजा हुआ और उसके पश्चात् यह कुल वैभवगिरिके उत्तुङ्ग शिखरपर आरुढ़ हुआ । इसका कारण यह भी हो सकता है कि महमूदके आक्रमणके पश्चात्

कन्नौज बहुत ही क्षीयबल हो गया था, जिससे कलचूरियोंने लाभ उठाया । कलचूरो घरानेके लोग अत्यन्त शिवभक्त थे । विभिन्न राजाओंका राजत्वकाल अनिश्चित होनेपर भी गांगेय तककी कलचूरियोंकी बहुत कुछ विश्वसनीय क्रमबद्ध वंशावली यहाँ दी जाती है ।

कलचूरियोंकी वंशावली ।



नवाँ प्रकरण ।

बंगाल अथवा मुंगेरके पाल ।

भारतीय इतिहासके मध्ययुगीन कालके दूसरे भाग (ई० स० ६०० से १००० तक = वि० ८५७-१०१७) के इतिहासका अपतक जो वर्णन किया गया है, उसमें प्रधान-तया राजपूताने और मध्य भारतमें उत्कर्षको प्राप्त हुए राज-पूत राज्योंका ही विचार हुआ है। उन विभिन्न राज्योंके संस्था-पक तथा सञ्चालक हिन्दूधर्मानुयायी और प्रायः शिवोपासक राजपूत वीर थे। अरबोंके साथ युद्धमें उन्होंने शूरता दिखायी और यश पाया, इसीसे उनका उत्कर्ष हुआ। राज तानेकी तरह अन्यत्र अर्थात् महाराष्ट्र और बंगालमें राजपूत राज्योंकी उसी समय स्थापना हुई थी, किन्तु इसके कारण भिन्न थे। सिन्धसे उक्त प्रान्त दूर होनेके कारण इन क्षत्रिय वीरोंको अरबोंसे लड़ना नहीं पड़ा, किन्तु पहिलेसे ही जो राज्य दुर्बल हो रहे थे उन्हें पादाक्रान्त कर उनके स्थानमें उन्होंने नये बलाढ्य राज्योंको स्थापना की। इस प्रकार विख्यात हुए राजवंशोंमें बंगालका पाल वंश और दक्षिणका राष्ट्रकूट वंश अग्रगण्य है।

इस कालका विचार करते हुए एक खास बात यह पायी जाती है कि वर्तमान अंग्रेजी राज्यमें राज्यके शासनके सुभीतेके लिए भारतके जो विभाग किये गये हैं, उन्हीं विभागोंमें उस समय भिन्न भिन्न स्वतन्त्र राज्य स्थापित हुए थे। इसका कारण हर एक प्रान्तकी विशिष्ट भूरचना, जलवायु, समाजकी स्थिति, भाषा-भेद और विभिन्न आचार ही हैं। वर्तमान संयुक्तप्रान्त

और अवध प्रान्त मिलकर उस समयका कन्नौज राज्य था । गंगातटका प्रदेश भी कन्नौज राज्यके अन्तर्गत था । राज-पूताने और मध्य भारतमें अनेक स्वतन्त्र राज्य थे, परन्तु उनका, आजकलकी तरह उस समय भी, अन्य प्रान्तोंसे विशेष सम्बन्ध नहीं था । उक्त प्रान्तोंसे बंगाल और महाराष्ट्र प्रान्त पृथक् थे, इस कारण वहाँ स्वतन्त्र राज्योंका स्थापित होना स्वाभाविक था । इसीसे उस समय वहाँ स्वतन्त्र राज्य स्थापित हुए । पाल वंशने बंगालको एक वलिष्ठ राज्यके रूपमें परिणत कर दिया ।

पाल वंशके उदय और उत्कर्षका इतिहास उनके लेखोंमें बड़े अच्छे ढँगसे लिखा हुआ मिलता है । ऐसा इतिहास अन्य वंशोंका नहीं मिलता । पाल वंशके दानपत्र आदिसे ज्ञात होता है कि हर्षराजकी मृत्युके अनन्तर कन्नौजका राज्य विभूजित हो गया और बंगालमें भी एकछत्री शासन न रहकर अनेक राज्य स्थापित हो गये । उन राज्योंमें परस्पर विशेष होनेके कारण बंगालमें बराबर अशान्ति बनी रही । वर्मा वंशीय यशो-वर्माके राजत्वकालमें गौड़ राजाके पराजित होनेपर बंगालका कुछ प्रान्त फिर कन्नौज साम्राज्यकी छत्रछायामें आ गया, परन्तु ईसाकी आठवीं सदी (वि० ७५८-८५७) के उत्तरार्धमें कन्नौजकी सत्ता फिर क्षीण हो चली । गौड़में सर्वत्र विभूजितता फैल गयी । धर्मपालके खालिमपुरके लेखसे ज्ञात होता है कि बंगालमें उस समय बड़ी ही अन्धधुन्धी मच्चो थी । उस प्रान्तके सरदारोंमें बात बातपर परस्पर लड़ाइयाँ हो जाती थीं । लेखमें इस परिस्थितिका परिचय मत्स्य-न्यायकी उपमा दे कर दिया गया है । समुद्रके बड़े मत्स्य जिस प्रकार छोटी मछलियोंको खा जाते हैं, उसी प्रकार उस समय जो

सरदार बलवान् होता, वह छोटे सरदारोंके स्वत्वोंको छीन लेता था । अन्तमें सब सरदारोंने आपसमें समझौता कर गोपालराजको बंगालका अधिपति बनाया । गोपालने अपनी शूरता और राजनीति-कुशलताके सहारे शीघ्र ही सर्वत्र शान्ति प्रस्थापित की । उसने पहिले पाटलिपुत्र और फिर मुंगेर उर्फ मुद्गगिरिमें अपनी राजधानी स्थापित की । थोड़े ही दिनोंमें समस्त बंगालमें उसका राज्य हो गया । यही नहीं, मगध प्रान्त भी बंगालके राज्यमें गिना जाने लगा । मगध प्रान्त कई बार बंगालमें मिला और पृथक् हुआ । कुछ समय पहिले भी वह बंगालके अन्तर्गत ही था, किन्तु अब बंगालसे पृथक् होकर बिहारका अलग प्रान्त बन गया है ।

गोपालराज बौद्ध धर्मावलम्बी था, इसमें आश्चर्य करनेकी कोई बात नहीं है; क्योंकि मगध और गौड़ देशमें बौद्ध धर्म उस समय भी प्रचलित था । मगधपर जब माघव शुतका अधिकार हुआ, तब उसीके शासनकालमें वहाँ फिर हिन्दू धर्मका प्रचार हुआ । हिन्दू धर्मकी स्थापनामें कर्णलुवर्ण देशके राजा शशांकका भी बहुत कुछ हाथ था । परन्तु इससे पहिले भी उस प्रान्तमें बौद्ध धर्मके प्रति विशेष आदर नहीं रह गया था । मगधमें ही बौद्ध धर्मका उदय और उत्कर्ष हुआ, इसीसे वहाँ उसकी प्रबलता थी । बार बार वहीं उसे उत्तेजना भी मिलती थी, इस कारण वहाँसे उसका उच्छेद होनेमें बहुत समय लगा । गोपालराज बौद्ध धर्मावलम्बी होनेपर भी वर्णाश्रम धर्मको मानता था और अपनेको सूर्यवंशी क्षत्रिय कहता था । आरम्भमें बौद्ध धर्मका वर्णाश्रम धर्मके विरुद्ध विशेष कटाक्ष था, किन्तु आगे चलकर बौद्ध धर्मावलम्बी वर्णाश्रम धर्मको मानने लगे । वर्णाश्रम धर्मकी मर्यादा तोड़ने-

का उन्होंने उद्योग नहीं किया । बौद्ध मतानुयायी राजाओंके दानपत्रोंसे ज्ञात होता है कि वे वर्णाश्रम धर्मको मानते थे । यही नहीं, उसके अनुसार वे अपना आचरण भी रखते थे, ब्राह्मणोंको सम्मानपूर्वक दान देते थे । गोपालराजके राजत्व-कालमें वैदिक धर्मानुयायियोंको विशेष कष्ट नहीं पहुँचा । उसके मन्त्री और प्रजाजन वैदिक धर्म माननेवाले थे, परन्तु उन्हें उसका शासन सुखकर ही हुआ । कुछ इतिहासकार गोपालराजका सम्बन्ध कन्नौजके प्रतिहार वंशकी 'पाल' शाखा-से जोड़ते हैं, परन्तु यह सम्भव नहीं प्रतीत होता । स्मृति आदि ग्रन्थोंमें लिखा है कि क्षत्रियोंके नामोंके साथ पाल (रक्षणकर्ता), गोप, आता अथवा इसी अर्थका और कोई शब्द जोड़ देना चाहिये, जिससे वे अन्वर्थक हो जाते हैं । तदनुसार अनेक क्षत्रिय कुलोंके नामोंके साथ 'पाल' शब्द जोड़ा गया है । अतः गोपाल क्षत्रिय था, यह 'पाल' शब्दसे ही सिद्ध होता है । एक बात यह भी है कि पाल वंश प्रतिहारोंके पश्चात् प्रसिद्ध नहीं हुआ, वरन् दोनों वंशोंका उदय एक ही समयमें हुआ था । यह हम आगे चलकर सिद्ध करेंगे । यहाँ इतना ही कहना पर्याप्त है कि उन दोनोंमें परस्पर कोई सम्बन्ध नहीं था ।

अब पाल घरानेके वंशक्रमका विचार करें । अबतक उपलब्ध हुए सब शिलालेखोंका विचार कर कीलहान साहबने एक लेख लिखा है, जिसमें तीसरे विग्रहराजके 'ग्रामगाछी' ताम्रपटका विवेचन किया गया है । इस लेखमें पालोंकी वंशावली दी गयी है । वंशावलीमें राजाओंका अनुक्रम और हर एक राजाके शासनके वर्ष भी लिखे गये हैं । परन्तु इससे यह नहीं निश्चित किया जा सकता कि अमुक राजाक राज्यारोहण-

का संवत् अमुक ही था, क्योंकि किसी दानपत्रमें किसी शक-का उल्लेख नहीं है, केवल राजाके 'राज्यमान वर्षका' ही उल्लेख है । किसी कालके निश्चित करनेमें यह बड़ी अड़चन है । तो भी इतना अवश्य है कि जिन कारणोंसे उत्तर भारतमें विक्रम संवत् प्रचलित हुआ, वे कारण बंगालके लिए लागू नहीं हैं । अस्तु, कीलहार्न साहबकी लिखी वंशावलीके आधारपर हम पालवंशका वृत्तान्त लिख रहे हैं और समकालीन घटनाओं तथा अन्य प्रमाणोंसे पाल राजाओंका काल स्थूल मानसे निश्चित करना चाहते हैं ।

गोपालराजसे ही पाल घरानेकी स्थापना हुई, अतः उसके पिता तथा पितामहका इतिहास न लिखनेसे भी काम चल सकता है । लोगोंके इच्छानुसार गोपालराजको ही प्रथमतः बंगालका प्रभुत्व प्राप्त हुआ । पाल घरानेका वह पहला राजा था । पहले कहा जा चुका है कि गोपालराजको पश्चिमके वत्सराज, कन्नौजके वर्म इन्द्रायुध और राष्ट्रकूटोंके तीसरे गोविन्दराजसे युद्ध करना पड़ा था । अतः गोविन्दराज आदिके समयका विचार करते हुए गोपालराजका राजत्व-काल ई० स० ७८० से ८०० तक (वि० ८३७-८५७) निश्चित किया जा सकता है । ❀

गोपालराजके पश्चात् उसका पुत्र धर्मपाल राज्याधिकारी हुआ । उसकी रानी राष्ट्रकूट वंशकी थी । खालिम्पुर और भागलपुरके दानपत्रोंसे ज्ञात होता है कि धर्मपालने कन्नौजके सम्राट् इन्द्रको हरा कर कन्नौजकी गद्दीपर चक्रायुधको

❀ जैनग्रन्थके अन्तमें उल्लिखित वत्सराज आदिके साथ यह भी उल्लेख है कि 'पूर्वमें अवन्तिभूपति राज्य करता था' । इसका अर्थ यह भी लगाया जा सकता है कि गोपालका दूसरा नाम अवन्तिभूपति था ।

बैठाया । इससे सिद्ध होता है कि धर्मपालका राजत्वकाल ई० स० ८०० से ८२५ तक (वि० ८५७-८८२) था । पहिले लिखा जा चुका है कि वत्सराजके पुत्र नागभट्टने चक्रायुधको हराकर कन्नौजका सम्राट्पद स्वयं हस्तगत कर लिया था; अर्थात् कन्नौजपर अधिकार प्राप्त करनेसे पहिले नागभट्टने धर्मपालको हराया था । धर्मपालका पक्ष ग्रहण कर राष्ट्रकूटके तीसरे गोविन्दराजने नागभट्टका पराभव किया सही, किन्तु उसका सम्राट्पद वह नहीं छीन सका । गोविन्दराजने धर्मपालका पक्ष ग्रहण किया । इसका कारण यह था कि यह (धर्मपाल) उसका जामाता था । भागलपुर लेख (इंडि० ऐंटि० भाग २१, पृष्ठ २५०) से विदित होता है कि धर्मपालकी रानी रणदेवी राष्ट्रकूटोंके परबल नामक राजाकी कन्या थी । कीलहार्न साहब कहते हैं कि परबलका ही दूसरा नाम गोविन्दराज था । अतः गोविन्दराजका धर्मपालकी सहायता करना स्वाभाविक ही था । गोविन्दराजके द्वारा पराजित होनेके कारण नागभट्टसे बंगालको कोई क्षति नहीं पहुँची ।

धर्मपालके बाद उसका भतीजा देवपाल गद्दीपर बैठा । इसका राजत्वकाल ई० स० ८२५ से ८५० तक (वि० ८८२-९०७) निश्चित किया जा सकता है । देवपालके पश्चात् उसका भतीजा विग्रहपाल राज्याख्य हुआ । एक दानपत्रमें देवपालको धर्मपालका भतीजा और दूसरेमें धर्मपालकी रानी रणदेवीका पुत्र कहा है । यह तो स्पष्ट हो है कि धर्मपाल और देवपाल दोनोंके सन्तान नहीं थी और उन्होंने भतीजाओंको गोद लेकर उन्हें अपना उत्तराधिकारी बनाया था । भागलपुरके लेखमें लिखा है कि विग्रहपालका विवाह हैहय कुलकी राजकन्या लज्जासे हुआ था । विग्रहपालका राजत्वकाल ई० स० ८५०

ले ८७५ तक (वि० ६०७-६३२) माना जा सकता है । विग्रहपालके बाद उसके पुत्र नारायणपाल देवको गद्दी मिली । इसीके समयमें भागलपुरका दानलेख लिखा गया । भागल-पुरवाले लेखसे नारायणपालका काल निश्चित नहीं किया जा सकता; क्योंकि उसमें किसी प्रचलित शकका उल्लेख न कर राजाके शासन-वर्षका ही किया है । नारायणपालके अनन्तर राज्यपाल राज्याकड़ हुआ । उसका विवाह राष्ट्रकूटोंके तुङ्ग उर्फ जगन्तुङ्ग राजाकी भाग्यवती नामकी कन्यासे हुआ था । राज्यपालने ई० स० ६२५ (वि० ६८२) तक राज्य किया और उसके पश्चात् उसका पुत्र दूसरा गोपालराज राज्यासीन हुआ । इसका राजत्वकाल ६२५ से ६५० तक (वि० ६८२-१००७) माना जा सकता है । गोपालराजके अनन्तर दूसरे विग्रहपालने ई० स० ६५० से ६७५ तक (वि० १००७-१०३२) राज्य किया । फिर उसका पुत्र महीपाल गद्दीपर बैठा । महीपालके शासनकालमें ही सारनाथका दानपत्र लिखा गया । इस दानपत्रमें विक्रम संवत् लिखा हुआ है । यह दानपत्र वि० सं० १०८३ अर्थात् ई० स० १०२६ में लिखा गया है । हमने हर एक राजाका शासनकाल अनुमानतः २५ वर्षका माना है और यह दानपत्र १०२६ में लिखा गया है । महीपालका शासनकाल हमारे अनुमानके अनुसार ई० स० १००० (वि० १०५७) में समाप्त होना चाहिये, किन्तु दानपत्रमें लिखे संवत्के हिसाबसे २६ वर्ष बढ़ते हैं । ये २६ वर्ष यदि पिछले नौ राजाओंके शासनकालमें समान रूपसे बाँट दिये जायँ, तो प्रत्येक राजाका शासनकाल तीन वर्ष बढ़ जायगा । महीपालके शासनकालके अन्तमें यह दानपत्र लिखा गया है, ऐसा मानकर ही उक्त अनुमान किया गया है । सम्भव है,

किसी एक ही राजाका शासनकाल २५ या २८ वर्षोंसे अधिक रहा हो । कई प्रकारसे विचार करते हुए यही प्रतीत होता है कि महीपालका शासनकाल सबसे अधिक था । इस दानपत्रसे जान पड़ता है कि महीपालको उसके शत्रुओंने पदच्युत कर दिया था, किन्तु उसने अपने पराक्रमसे फिर पैतृक राज्य प्राप्त कर लिया । दानपत्रमें उल्लिखित महीपालके शत्रु कौन थे, इसका निश्चय नहीं किया जा सकता । गुजनीके महमूदके आक्रमणोंसे हिन्दुस्थानको भारी धक्का पहुँचा । सम्भव है, दूर होते हुए भी उसका प्रभाव महीपालपर भी पड़ा हो । इसका विचार हम अगली पुस्तकमें करेंगे । महीपालके समयसे पाल वंशका शीघ्रतासे पतन हो चला और उसके स्थानमें सेन वंश राज्य करने लगा । कालमानके लिहाजसे पाल वंशके ह्वासके कारणों आदिका विचार तोसरे भागमें ही करना उचित जान पड़ता है ।

महीपालके पश्चात् नयपाल गद्दीपर बैठा और उसके बाद तीसरा विग्रहपाल राज्य करने लगा । इसीने आमगाली-दानपत्र लिखवाया । इसी दानपत्रके सम्बन्धमें कीलहार्न साहबने मनन करने योग्य टिप्पणी लिखी है । दानपत्र आदिको देखनेसे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि पाल असल क्षत्रिय थे । पालोंके विवाह-सम्बन्ध दक्षिणके राष्ट्रकूटों और चेदीके हैहयोंके साथ हुए थे, इससे भी यही सिद्ध होता है । इस वंशके आरम्भके पुरुष यद्यपि बौद्ध धर्मानुयायी थे, तथापि पीछेसे यह वंश शिवोपासकोंमें गिना जाने लगा । उक्त दानपत्रोंके उल्लेखोंसे यह भी विदित होता है कि पालोंने शिवमन्दिरोंके लिए अनेक जागीरें दी थीं । उस समयमें प्रचलित लकुलीश मतानुसार आचरण करनेवाले शिवागम सम्प्रदायके संन्यासियोंका वे बहुत आश्रय करते थे । भागलपुर-दानपत्रमें लिखा

है कि नारायणपालका पिता सौगत (बुद्ध) मतानुयायी था, किन्तु स्वयं नारायणपाल शिवका उपासक था और उसने एक सहस्रसे अधिक शिवमन्दिरोंकी स्थापना की थी । (स्वयंकारित सहस्रायतनस्य तत्र तत्र भगवतः शिवभट्टारकस्य पाशुपत आचार्य परिपदश्च—पूजावलिचरु—इत्यादि ।) इस दानपत्रसे यह एक बात और स्पष्ट हो जाती है कि अन्य राजाओंकी अपेक्षा पालोंने राज्य-प्रबन्धमें बहुत कुछ सुधार किया था । साथ ही इस हानिकारक पद्धतिका भी उन्होंने अवलंबन किया कि राज्यरक्षाके लिए वे किरायेकी परायी सेना खड़ी करते थे । हिन्दुस्थानकी परार्थीनताके कारणोंमें यह पद्धति भी एक कारण है । किरायेकी सेनामें राष्ट्राभिमान कहाँसे आ सकता है ? ऐसी किरायेकी सेनाके ही सहारे विदेशियोंने हिन्दु-स्थानपर अधिकांश जमाया । अस्तु, राज्य और सेना-प्रबन्धके सम्बन्धमें एक स्वतन्त्र प्रकरणमें विचार किया जायगा ।

अब हम संक्षेपसे पाल वंशके राज्यविस्तारका वर्णन करते हैं । आजकलका सारा बंगाल, तथा बिहार और आसाम प्रान्त भी, पालोंके अधीन था । भागलपुर-लेखसे जान पड़ता है कि पालोंने उत्कल और कामरूप (प्राग्ज्योतिष) उर्फ आसामपर विजय प्राप्त की थी । खालिमपुर-दानपत्रसे ज्ञात होता है कि मगध और बिहार प्रान्त पालोंने आरम्भमें ही हस्तगत किये थे । गोपालराजके समयमें बंगाल प्रान्तके पश्चिम और पूर्व—गौड़ और वंग—दो विभाग प्रसिद्ध थे । आगे चलकर दोनों विभाग एक हो गये । उनका पृथक् उल्लेख कहीं नहीं देख पड़ता ।

पाल और सेन वंशोंका जो इतिहास उपलब्ध है, वह दन्तकथाओंके आधारपर स्थित नहीं है, उसके आधारभूत

विश्वासयोग्य अनेक प्रमाण हैं। दन्तकथाओंमें आदिसुरादि अनेक राजाओंकी कथाएँ वर्णित हैं, किन्तु इतिहासकी दृष्टिसे वे विश्वासयोग्य नहीं हैं। इस कारण इस प्रकरणमें हमने उनका समावेश नहीं किया।

अन्तमें पाल राजाओंकी वंशावली लिखकर हम यह प्रकरण समाप्त करते हैं। वंशावलीमें राजाओंके शासनकालके वर्ष स्थूल मानसे लिखे गये हैं। अर्थात् यदि आगे चलकर विश्वासयोग्य ठीक समयका पता लगा, तो इन वर्षोंमें अन्तर पड़ जायगा।

बंगालके पाल राजाओंकी वंशावली ।

गोपाल (ई० स० ७८०—८००)

धर्मपाल (ई० स० ८००—८२५)

देवपाल (दत्तक भतीजा, ई० स० ८२५—८५०)

विग्रहपाल (दत्तक भतीजा, ई० स० ८५०—८७५)

नारायणपाल (ई० स० ८७५—९००)

राज्यपाल (ई० स० ९००—९२५)

गोपाल (दूसरा) (ई० स० ९२५—९५०)

विग्रहपाल (दूसरा) (ई० स० ९५०—९७६)

महीपाल (वि० सं० १०८३ अर्थात् ई० स० १०२६ में इसने जो दान-पत्र दिया, वह प्रकाशित हो चुका है ।)

दसवाँ प्रकरण ।

दक्षिणके राष्ट्रकूट ।

साधारणतया राष्ट्रकूटोंकी उत्पत्ति यदुकुलसे मानी जाती है। परन्तु वर्धा ताम्रपत्रमें इनकी उत्पत्ति-की कथा कुछ और ही लिखी है। चन्द्रवंशके सात्यकीकी शाखामें रट्टा नामकी राजकन्या हुई। उसीके पुत्रका नाम राष्ट्रकूट था और वही राष्ट्रकूटोंका मूलपुरुष होनेके कारण उसीके नामसे उसका वंश प्रसिद्ध हुआ। परन्तु यह कथा सच्ची नहीं जँचती। पहिले कहा जा चुका है कि 'देशपाण्डे' की तरह 'राष्ट्रकूट' भी पदका नाम है, व्यक्ति-विशेषका नहीं। अस्तु, जो लेख उपलब्ध हुए हैं, उनके देखनेसे पता चलता है कि राष्ट्रकूटोंके पहिले राजा गोविन्द, कर्क (प्रथम) और इन्द्र थे। डाक्टर भाण्डारकरका कथन है कि गोविन्दराजसे पहिले दन्तिवर्मन् और इन्द्रराज नामक दो राजा हुए थे। राष्ट्रकूटोंके लेखोंमें गोविन्द आदिके सम्बन्धमें विशेष वृत्तान्त नहीं लिखा है; परन्तु उनकी वीरता, न्यायप्रियता और दानशीलताकी बहुत प्रशंसा की गयी है।

इन्द्रराजका विवाह शलिक्य (चालुक्य) वंशकी कन्यासे हुआ था। (राज्ञी सोमन्धयी तस्य पितृतश्च शलिक्यजा।) परन्तु इन्द्रराजके पश्चात् चालुक्योंसे राष्ट्रकूटोंका छेह-सम्बन्ध नहीं रहा। राष्ट्रकूटोंके उपलब्ध लेखोंमें सामनगढ़का ताम्रपत्र अधिक प्राचीन है। उससे उक्त राजाओंका समय निर्धारित किया जा सकता है। वह लेख शक ६७१ अर्थात् ईसवी सन् ७५३ में दन्तिदुर्गके राजत्वकालमें लिखा गया है। दन्ति-

दुर्गसे पहिले तीन राजा होगये । हर एक राजाका शासन-काल २५ वर्षोंका मान लेनेपर गोविन्दराजका समय ई० स० ६६० (वि० ७१७), कर्कका ६८५ (वि० ७४२) और इन्द्रराजका ७१० (वि० ७६७) निश्चित किया जा सकता है ।

दन्तिराज, जो राष्ट्रकूट वंशका प्रथम सुप्रसिद्ध पुरुष माना जाता है, इन्द्रराज और उसकी चालुक्य वंशकी रानीका पुत्र था । चालुक्योंकी अधीनतासे इसीने राष्ट्रकूटोंका राज्य स्वतन्त्र किया; महाराष्ट्र देशको स्वाधीन करनेवाला यही पहिला राजा है । इसके राज्यका विस्तार उत्तरमें नर्मदा और दक्षिणमें तुंगभद्रातक था । युवराज गोविन्द (द्वितीय) के अलास लेखमें तो स्पष्टतः लिखा है कि कांची, केरल, चोल, पाण्ड्य, श्रीहर्ष, वज्रट आदिपर प्रभुत्व रखनेवाले चालुक्योंको दन्तिराजने सहजमें ही हरा दिया । चालुक्योंके पराभवका वर्णन सामनगढ़के लेखमें भी आया है । इससे प्रतीत होता है कि दन्तिराजने चालुक्याधिपति वल्लभराजका सहज ही पराभव किया था और इसीसे उसे स्वतन्त्र राजाकी 'राजाधिराज-परमेश्वर'—पदवी मिली । लेखमें लिखा है—“बौद्ध धर्मानुयायी कन्नौजके श्रीहर्षका पराभव करनेसे विख्यात हुई कर्नाटककी सेनाको भी उसने हरा दिया ।” वल्लभराज चालुक्य वंशका अन्तिम राजा दूसरा कीर्तिवर्मन ही था ।

कहा जाता है कि दन्तिवर्माका वध उसके चाचा कृष्णराजने किया; किन्तु लेखोंमें कहीं इसका उल्लेख नहीं है । केवल बड़ोदाके दानपत्रमें ही थोड़ा उल्लेख है । उसमें लिखा है—“कृष्णवर्माने कुपथगामी अपने एक आसका वध करा डाला और प्रजाके कल्याणके लिए राज्यसूत्र अपने हाथमें ले लिया ।” बड़ोदाके लेखसे कृष्णराजके सम्बन्धमें

प्रचलित जनश्रुति सही मान ली जा सकती है । साधारणतया कविगण अपने आश्रयदाताओंके अन्तस्थ कलहोंपर परदा डाल दिया करते हैं । अतः दन्तिदुर्गके वधका लेखोंमें उल्लेख न होना स्वाभाविक ही है ।

दन्तिवर्माने चालुक्योंको हरानेका जो क्रम आरम्भ किया था, वही कृष्णराजने भी जारी रखा और अन्तमें चालुक्य पूर्ण रूपसे पराजित हो गये । कृष्णराजने थोड़े ही समयमें चालुक्योंका वैभव नष्ट कर डाला । पलापुर (बेरूल उर्फ पल्लोरा) का सुप्रसिद्ध कैलाशेश्वरका मन्दिर इसीने बनवाया था । वर्धा ताम्रपत्रमें लिखा है कि कृष्णराजने अपने राज्यमें अनेक सुन्दर मन्दिर बनवाये, जिससे राज्यको कैलास पर्वतकी शोभा प्राप्त हुई । बड़ोदा लेखमें केवल कैलास मन्दिरका ही सुरम्य और विस्तृत वर्णन किया गया है । उसमें लिखा है—“जिस समय देवताओंने कैलासाधिपतिका यह मन्दिर देखा, उस समय वे आश्चर्यचकित हो गये । उन्हें जान पड़ा कि यह मन्दिर ईश्वरीय सत्तासे आपही आप निर्मित हुआ है क्योंकि इतनी अतुलनीय मनोहरता उत्पन्न करना मनुष्यकी शक्तिसे बाहर है ।”

कृष्णराजके अनन्तर उसका पुत्र द्वितीय गोविन्दराज राज्यारूढ़ हुआ । यह विशेष पराक्रमी नहीं था । वर्णी-दिंडोरी, राधनपुर और बड़ोदाके लेखोंमें तो इसका नामोल्लेख तक नहीं है । वर्धा ताम्रपत्रमें लिखा है कि गोविन्दराज अत्यन्त विषय-लम्पट था । राजकाजकी ओर वह बिलकुल ध्यान नहीं देता था । उसने राज्य-प्रबन्धका भार अपने छोटे भाई निरुपमपर छोड़ दिया था । वर्णी-दिंडोरी और राधनपुरके लेखोंसे यह भी ध्वनित होता है कि गोविन्दराजको निरुपमने पदच्युत कर दिया था ।

गोविन्दराजके उपरान्त उसके छोटे भाई ध्रुवको गद्दी मिली । ध्रुवको निरुपम और धीर भी कहते थे । यह राज्य-प्रबन्धमें कुशल और पराक्रमी था । इसने गंग नामक राजाको हराकर कैद कर लिया और गौड़पर विजय पानेसे मदान्ध हुए पश्चिमके वत्सराजको मरुभूमिकी ओर खदेड़ दिया । गौड़-से छीने हुए दो राजकुत्र इसने हस्तगत किये थे (देखिये—राधनपुर दानपत्र, एपि० इरिड० भाग ६, पृष्ठ २४३) । दक्षिणके पल्लवराजको भी ध्रुवने हराया था । ई० स० ७८३ (वि० ८४०) में लिखे गये जैन हरिवंशमें ध्रुवराजके दक्षिणका राजा होनेका उल्लेख है । संभव है, वह उल्लेख तृतीय गोविन्दराजका हो ।

ध्रुव निरुपमका पुत्र तृतीय गोविन्दराज था । इसका नाम जगत्तुंग भी था । इसीने शक ७३० अर्थात् ई० स० ८०८ में वली-दिंडोरी और राधनपुरके ताम्रपट लिखवाये । राष्ट्रकूटोंमें सबसे श्रेष्ठ यही राजा हुआ । कावी लेखमें लिखा है कि ध्रुवराजने गोविन्दराजके अनुपम गुण देखकर साम्राज्यसूत्र उसके हाथ सौंप दिया । गोविन्दराजके बन्धु-बान्धवों और शत्रुओंको उसका उत्कर्ष असह्य होगया । बारह राजपुत्रोंने उसके विरुद्ध बड्ढ्यन्त्र रच कर बलवा कर दिया, किन्तु गोविन्दराजने बड़े धैर्यसे बलवेको दबाया और गंगराजको मुक्त कर दिया । परन्तु द्वेषबुद्धिसे प्रेरित होकर गंगने फिर चढ़ाई की । गोविन्दराजने उसे फिर हराया और पुनः बन्धनमें डाल दिया । इसके पश्चात् गुर्जरपर चढ़ाई करनेकी उसने तैयारी की । यह वार्ता सुनते ही गुर्जराधिपति उत्तरकी ओर भाग गया । सम्भवतः इसी समय गोविन्दराजने कन्नौजपर चढ़ाई की थी और मालवाधिपतिसे अपना सार्वभौमत्व स्वीकार कराया था । उस समय मालवा प्रान्त परमारोंके अधीन नहीं था । फिर

गोविन्दराज विन्ध्याचलकी ओर रुका । वहाँका राजा मारशर्व तुरन्त ही उसके शरणापन्न हुआ और उसने उसे बहुमूल्य भेंट अर्पण की । वर्षा ऋतु होनेके कारण श्रीभवन (मालखेड़) में चार मास बितानेके बाद दलबलके साथ तुंगभद्रा नदीके तट-पर जाकर उसने पल्लवराजको हराया । फिर उसने एक नगर-का परकोटा बनवा देनेके लिए बैंगीराजको विवश किया । गोविन्दराज जैसा वीर्यशाली राजा राष्ट्रकूटोंमें दूसरा नहीं हुआ । गोविन्दराजका विरुद्धानाम प्रभूतवर्ष (विपुल वर्षा करने वाला) था । इसी राजाके लिखाये उपर्युक्त दिगडोरी और राधनपुरके लेख हैं । ये लेख मयूरखण्डोंमें लिखे गये । नासिक जिलेके अन्तर्गत मोरखंड नामक स्थानके पहाड़ी किलेको पहिले मयूरखण्डी कहते थे और वही राष्ट्रकूटोंकी पुरानी राजधानी था ।

गोविन्दराजके पश्चात् उसका पुत्र अमोघवर्ष राज्य करने लगा । 'अमोघवर्ष' उसका विरुद्धानाम जान पड़ता है । उसके असल नामका पता नहीं चलता । उसके दानपत्रोंमें उसे 'अतिशयधवल' और 'लक्ष्मीवल्लभ' भी कहा है ।

अमोघवर्षके शासनकालका अनुमान निलागुंड लेखसे किया जा सकता है (एपि० ई० भाग ६, पृ० १००) । यह लेख शक ७८८ अर्थात् ई० स० ८६६ (वि० ६२३) में लिखा गया है । उस समय अमोघवर्षके राज्यका ५२ वाँ वर्ष था । इससे कहा जा सकता है कि उसका शासनकाल शक ७३६ अर्थात् ई० स० ८१५ से आरम्भ हुआ है । केन्नरी लेख (ई० एं० भाग १३, पृ० १३५) से जान पड़ता है कि अमोघवर्षका अन्तिम दान-लेख शक ७६६ अर्थात् ई० स० ८७७ में लिखा गया है । उसका राजत्वकाल सुदीर्घ अर्थात् साठ वर्षोंका माना गया है ।

कई लेखसे ज्ञात होता है कि अमोघवर्षके शासनकालमें मान्यखेट नगरका बहुत उत्कर्ष हुआ था। अब प्रश्न यह रह जाता है कि मान्यखेट नगर किसने बसाया? वध्या लेखमें स्पष्ट लिखा है कि मान्यखेट नगर अमोघवर्षने बसाया ❀ और वह इतना शोभायमान था कि उसके आगे इन्द्रकी अमरावती भी फीकी पड़ जाती थी। निजामके राज्यमें इस समय जो मालखेड़ नामक ग्राम है, वही मान्यखेट नगर था। अमोघवर्षने बेंगीके चालुक्योंसे फिर युद्ध किया और युद्धमें विजय पाकर बहुत बड़ा प्रान्त हस्तगत कर लिया। खारेपाटन लेखमें लिखा है कि बहुतसे चालुक्य राजपुत्रोंको उसने यमसदनका मार्ग बताया था। निलगुंड लेखसे ज्ञात होता है कि वंग, अंग, मगध, मालव, बेंगी आदिके राजाओंने उसका आधिपत्य स्वीकार कर लिया था।

लेखोंमें यह भी कहा गया है कि अमोघवर्षने जैन विहारोंके लिए प्रचुर सम्पत्ति दी थी। उत्तरपुराण नामक एक जैनग्रन्थके अन्तमें उस समयका इतिहास लिखा है। उसमें अमोघवर्षके सम्बन्धमें भी दो एक श्लोक हैं। उनसे जान पड़ता है कि अमोघवर्ष जिनसेन नामक जैनाचार्यका परम भक्त था (देखो, डाकूर भाण्डारकरका राष्ट्रकूटोंके सम्बन्धका लेख, बांबे गजेटियर, जिल्द १)। डाकूर फ़ीटने रत्नमालिका या प्रश्नोत्तरमाला नामक एक संस्कृतकी छोटी सी पुस्तकके आधारपर अनुमान किया है कि अमोघवर्ष विद्वानोंका प्रेमी

❀ यह लेख आपत्तिजनक जान पड़ता है। अमोघवर्षके पिता गोविन्दराजने श्रीभवन उर्फ मालखेड़में चार मास बिताये थे, यह ऊपर लिखा जा चुका है। इससे प्रतीत होता है कि गोविन्दराजने ही मालखेड़में सर्वप्रथम अपनी राजधानी बसायी।

धा और उनका आदरसत्कार भी करता था। उक्त पुस्तकका दिग्गम्बर जैनोंने अनुवाद किया है। उसके अन्तके श्लोकमें लिखा है कि अपने शासनकालके अन्तमें स्वेच्छासे शासन-सूत्र त्यागकर अमोघवर्ष धर्माचरणमें समय बिताने लगा। अमोघवर्ष जैनमतानुयायी हो या न हो, पर इसमें सन्देह नहीं कि वह दिग्गम्बर जैनोंका आदर करता था। अमोघ-वर्षके समयमें उत्तरमें मिहिर भोज राज्य करता था। वह भी पराक्रम और विद्याभिरुचिके लिए प्रसिद्ध था। सारांश, ईसाकी सातवीं शताब्दी (वि० ६५८-७५७) में जिस प्रकार उत्तरमें हर्ष और दक्षिणमें पुलकेशिन (दूसरा) पराक्रम और दानशीलताके कारण विख्यात और लोकप्रिय हुए, उसी प्रकार ईसाकी नवीं शताब्दी (वि० ८५८-९५७) में उत्तरमें भोजराज और दक्षिणमें अमोघवर्ष सुप्रसिद्ध हुए थे।

अमोघवर्षके पश्चात् उसका पुत्र अकालवर्ष राज्याधिकारी हुआ। सहस्रार्जुन (हैहय) वंशके कोकिलराजका कन्या महा-देवीसे इसका विवाह हुआ था। वर्धा और कर्डाके ताम्रपत्रोंसे ज्ञात होता है कि इसका जन्मनाम कृष्णराज था।

वर्धा लेखसे यह भी ज्ञात होता है कि अकालवर्षने गुर्जराधिपतिको भयभीत कर लाटके राजाका गर्व खर्व किया और समुद्रतटके भूभागमें अपना दबदबा जमाया। आंध्र, कलिंग, गंग और मगधके राजा इसकी आज्ञाके वशवर्ती थे।

नवसरी लेख शक ८३६ में लिखा गया। उसमें गुर्जराधिपतिके साथ हुए अकालवर्षके युद्धका वर्णन है। उससे ज्ञात होता है कि शक ८३६ से २५-३० वर्षपूर्व अर्थात् शक ८०६-८११ के बीच वह युद्ध हुआ था। डाक्टर भाण्डारकरके मतसे इस

राजाका शासनकाल शक ७६७ से ८३३ अर्थात् ई० स० ८७५ से ९११ (वि० ९३२ से ९६८) तक था ।

सांगली और नवसरी लेखोंसे पता चलता है कि अकाल-वर्षके जगत्तुंग नामक पुत्र था और उसका विवाह कोकलपुत्र रणविग्रहकी कन्या लक्ष्मीसे हुआ था । कर्डी ताम्रपत्रमें लिखा है कि कोकलपुत्रका नाम शंकरगण था । खारेपाटन लेखकी सूचीमें जगत्तुंगका नाम नहीं है । उसमें अकालवर्षके बाद उसके पौत्र इन्द्रराजका नाम है । वर्धा ताम्रपत्रसे यह अनुमान होता है कि राज्यपद-प्राप्तिका अवसर आनेके पहिले ही जगत्तुंगका देहान्त हो गया था । इसीसे अकालवर्षके बाद जगत्तुंगके पुत्र इन्द्र (तीसरा) को गद्दी मिली ।

नवसरी लेखमें इन्द्रराजका नाम नित्यवर्ष लिखा है । नवसरीका दानपत्र इन्द्रराजने ही दिया था । उसकी राजधानी मान्यखेडमें थी । परन्तु 'पट्टबन्धोत्सव' (राज्यारोहण) के समय वह कुरुन्द्रमें था । इस अवसरपर उसने ब्राह्मणोंको सोनेका तुलादान दिया था । नवसरी दानपत्र उसके राज्याभिषेकके वर्ष अर्थात् ई० स० ९३४ (वि० ९९१) में लिखा गया है । परन्तु डा० ह्रीट्के इंडि० ऐंटि० (भाग १२, पृ० २२४) में लिखे लेखसे विदित होता है कि शक ८३८ अर्थात् ई० स० ९१६ में इन्द्रराज राज्य करता था ।

इन्द्रराजके अनन्तर उसके ज्येष्ठ पुत्र अमोघवर्षका पुत्र गोविन्दराज राज्यारुढ़ हुआ । इसके सम्बन्धमें विभिन्न लेखोंमें मतभेद है । सांगली दानपत्रमें लिखा है कि हैहय वंशीय कोकिलराजके अनङ्गदेव नामक पुत्रकी द्विजंबा (डा० भाण्डारकरके मतसे 'विजयंबा') नामकी कन्यासे इन्द्रराजका विवाह हुआ था । इस दम्पतिसे गोविन्दराज नामक पुत्र

हुआ और उसीने सांगलीका दानपत्र दिया है। खारेपाटन लेखमें कहा है कि गोविन्दराज अमोघवर्षका छोटा भाई था। वर्धा ताम्रपटमें उल्लेख है कि राज्यपद मिलनेपर पितृशोकके कारण कुछ ही दिनोंमें अमोघवर्षका देहान्त हो गया और उसके पश्चात् उसका छोटा भाई गोविन्दराज राज्य करने लगा।

वर्धा और खारेपाटन लेखोंसे ज्ञात होता है कि विषय-लंपट होनेके कारण गोविन्दराज लोकप्रिय न हो सका। दोनों लेखोंमें उसकी विलासिताकी निन्दा की गयी है। खारेपाटन-लेखमें लिखा है—“भृगनयनियोंके नेत्रकटाक्ष रूपी जालमें फँस जानेके कारण जनता उसका आदर नहीं करती थी। विषयलम्पट होनेसे वह दिन प्रतिदिन क्षीण हो चला और अत्यधिक विषय-सेवनसे ही उसकी अस्वामयिक मृत्यु हो गयी।” परन्तु सांगली दानपत्रमें गोविन्दराजको प्रचुर प्रशंसा लिखी है। इसका कारण यह हो सकता है कि वह दानपत्र इसी राजाने दिया था।

सांगली दानपत्रका काल शक ८५५ अर्थात् ई० स० ९३३ (वि० ९९०) है। फलीट साहबने गोविन्दराजका (जिसमें प्रभूत-वर्ष नाम है) एक दानपत्र छपाया है। उससे ज्ञात होता है कि गोविन्दराज शक ८४०-१ अर्थात् ई० स० ९१८-१९ (वि० ९७५-७६) में राज्य करता था। ऊपर कहा गया है कि शक ८३६ से इन्द्रराज राज्य करने लगा। इससे अनुमान होता है कि गोविन्दराजने बहुत ही थोड़े दिन राज्य किया।

खारेपाटनके लेखसे ज्ञात होता है कि चौथे गोविन्दराजके पश्चात् उसका चाचा अर्थात् जगत्सुंगका कनिष्ठ पुत्र अमोघवर्ष राज्य करने लगा। परन्तु वर्धा ताम्रपटमें लिखा है—“चौथे

गोविन्दराजकी मृत्युके पश्चात् साम्राज्यरत्नाके लिए सामन्तोंके प्रार्थना करनेपर अमोघवर्षने राज्यपद ग्रहण किया ।”

तीसरे अमोघवर्षके पश्चात् उसका पुत्र कृष्ण राजा बना । वर्धाका दानपत्र उसीका दिया हुआ होनेसे उसमें उसका बहुत कुछ वर्णन आया है । उसने अपने शत्रुओंको खींचा किया और अत्यन्त उन्मत्त हुए दन्तिग तथा वण्णटको प्राणदण्ड दिया । गंगराज उसके शरणापन्न हुआ । दक्षिणमें कृष्णराज इस प्रकारका पराक्रम दिखा रहा है, यह सुनकर गुर्जराधिपतिने उत्तरके कालिंजर और चित्रकूटके किलोंको हस्तगत करनेका विचार छोड़ दिया । हिमालयसे सिंहल (शिलोन) तकके सब सामन्त राजा कृष्णराजकी आज्ञाको शिरोधार्य समझते थे । जिस वर्धा दानपत्रमें उसका इस प्रकार वर्णन किया गया है, वह उसने अपने छोटे भाई जगत्तुंगदेवके नाम लिखा था । उसका शासनकाल शक ८६२ अर्थात् ई० ख० ९४० से आरम्भ होता है (ई० ए० भाग १२, पृष्ठ २५६ देखो) । ‘यशस्तिलक’ नामक जैन ग्रन्थके अन्तमें किये गये उल्लेखोंसे डा० भारद्वाज करने यह मत कायम किया है कि शक ८८१ में कृष्णराज राज्य-पदाकूट था । इससे मान लिया जा सकता है कि उसका शासनकाल ई० स० ९४० से ९५९ तक (वि० ९९७—१०१६) था ।

कृष्णराजके अनन्तर उसका कनिष्ठ भ्राता खोद्दिग राज्य-करने लगा । कर्डी दानपत्रमें लिखा है कि ज्येष्ठ भ्राता कृष्णराजदेवके स्वर्गवासी होनेपर अमोघवर्षका खोद्दिगदेव नामक पुत्र, जो कुरण्डका देवी नामकी रानीसे उत्पन्न हुआ था, राज्यारूढ़ हुआ । अर्थात् कृष्णराज और खोद्दिगदेव सौतेले भाई थे । खोद्दिगदेव शक ८९३ में राज्य करता था (ई० ए० भाग १२, पृष्ठ २५५ देखो) ।

खारेपाटन दानपत्रसे ज्ञात होता है कि खोद्दिगके बाद उसका भतीजा कोकल राज्याधिकारी हुआ। कर्डी दानपत्रमें उसके पिताका नाम निरुपम लिखा है। खोद्दिग पराक्रमके लिए प्रसिद्ध था। गुर्जरोंकी प्रच्छाद सेनाका उसने पराभव किया था और चोलाधिपतिको मानों विनोदसे वह तड़क किया करता था। हुनवी राजाका वह रक्षक था और पांड्य राजा उससे डरा करता था। परन्तु अन्तमें चालुक्य वंशके तैलपने उसे पूर्णतः पराजित कर दिया, जिससे राष्ट्रकूटोंके सम्राट्पदके सब अधिकार ई० स० ८७७ (वि० १०३१) के लगभग चालुक्योंके हाथमें चले गये। ये सब बातें उपर्युक्त लेखोंमें लिखी हैं।

कोकलके शासनकालमें कर्डी दानपत्र लिखा गया है। इससे सिद्ध है कि कोकल शक ८८४ अर्थात् ई० स० ८७२ में राज्य करता था। एक दूसरे लेखसे (ई० एं० भा० १२, पृ० २७०) ज्ञात होता है कि वह शक ८८६ अर्थात् ई० स० ८७४ में राजा था। सारांश, दक्षिणका साम्राज्यपद राष्ट्रकूटोंके हाथमें ई० स० ७५० से ८७४ तक (वि० ८०७-१०७१) रहा। आगे-चलकर पश्चिमके गङ्गराजने तृतीय कृष्णराजके गोविन्द (चतुर्थ) नामक राजपुत्रको साम्राज्यपदपर प्रतिष्ठित करनेका प्रयत्न किया, (ई० एं० भा०, २३ पृ० १२४) पर वह सफल न हो सका। अन्तमें इन्द्रराजने प्रायोपवेशन कर भूखे रहकर (ता० २७ मार्च सन् ८८२ (वि० १०३८ क १३ चैत्र) को शरीर-त्याग कर दिया। तभीसे राष्ट्रकूट वंशका अन्त हो गया (एपि० ई० भा० ६, पृ० १८२)।

अब इस वंशके राजाओंके नामोंकी सूची देकर और नामोंके साथ यथासम्भव उनका राज्यवर्ष अथवा मृत्युवर्ष लिखकर यह प्रकरण समाप्त किया जायगा।

१ दन्तिदुर्ग-	राज्यवर्ष ई०स० ७५३—मृत्युशक ।
२ कृष्ण अकालवर्ष	" " ७७३—
३ ध्रुवनिरुपम धारावर्ष	" " ७८३—
४ गोविन्द जगत्प्रभूतवर्ष	" " ८०८—
५ अमोधवर्ष	" " ८१५ से ८७५ तक ।
६ दूसरा कृष्ण, अकालवर्ष	" " ८७५ से ९११ तक ।
७ तीसरा इन्द्र, नित्यवर्ष	" " ९१४ का दानपत्र उपलब्ध है ।
८ अमोधवर्ष दूसरा	
९ गोविन्द चौथा, सुवर्णवर्ष	" " ९३३—
१० अमोधवर्ष तीसरा	" " —
११ कृष्ण तीसरा, अकालवर्ष	" " ९४० से ९६१ तक ।
१२ खोद्विग नित्यवर्ष	" " ९७१—
१३ कोकल	" " ९७२ और ९७४

इसीके राजत्वकालमें चालुक्य तैलपने राष्ट्रकूटोंपर चढ़ाई की, जिसमें तैलप विजयी हुआ और राष्ट्रकूट वंशका अन्त हो गया ।

उपसंहार ।

राष्ट्रकूटोंका वंश महाराष्ट्र प्रान्तमें अत्यन्त प्रसिद्ध होनेके कारण उनके सम्बन्धमें साधारणतया कुछ अधिक विचार करना आवश्यक है । मालखेड़के राष्ट्रकूट राजपूतानेके राष्ट्रकूटों अर्थात् राठोरोसे भिन्न हैं । दोनों क्षत्रिय होनेपर भी मालखेड़के राष्ट्रकूट अपनेको चन्द्रवंशी और राजपूतानेके राष्ट्रकूट अपनेको सूर्यवंशी कहते हैं । दोनों वंशोंके गोत्र भी भिन्न हैं । राठोरोका गोत्र गौतम और राष्ट्रकूटोंका अत्रि है ।

चालुक्योंकी भी यही बात है । दक्षिणके चालुक्य राजपूतानेके चालुक्योंसे भिन्न हैं । दोनों क्षत्रिय हैं, परन्तु मराठा चालुक्य अपनेको सूर्यवंशी कहते हैं और उनका गोत्र मानव्य है, पर राजपूतानेके चालुक्य अपनेको सोमवंशी कहते हैं और उनका गोत्र भारद्वाज है । नाम-सादृश्यसे दोनोंका वंश एक ही नहीं माना जा सकता । प्रायः पदाधिकारसे भी नाम प्रवर्तित हो जाते हैं । राष्ट्रकूट नाम भी ऐसे ही नामोंमेंसे एक है । राष्ट्रकूटका अर्थ है राष्ट्रका कूट अर्थात् मुखिया या प्रधान अधिकारी । देशमुख या देशपांडे नाम भी इसी शब्दकी तरह चल पड़े हैं । महाराष्ट्रमें तहसीलके मुख्य अधिकारीको देशमुख और उसके मातहतके प्रधान कारकून (हेडक्लर्क) को देशपांडे कहते हैं । मराठा आर्य जब महाराष्ट्रमें आये, तब नार्मन लोगोंकी तरह उन्होंने राष्ट्र अर्थात् प्रान्ताधिकारके पद मराठोंमें बाँट दिये । (राष्ट्र शब्द विशुद्ध महाराष्ट्रीय है ।) उन विविध अधिकार-सम्पन्न मराठोंकी राष्ट्रकूट पदवी थी । राष्ट्रकूट प्रधानतया मराठे ही थे । उनमेंसे एक कुलका महाराष्ट्रमें ई० स० ७५० से ८७४ तक (वि० ८०७-१०३१) राज्य था । महाराष्ट्रके इतिहासका वह अत्यन्त वैभवशाली भाग है ।

नवसरी-लेखसे ज्ञात होता है कि गुजरातके एक चालुक्य सरदारने अरबोंको पेसा पछाड़ा था कि महाराष्ट्रको मुसलमानोंके आक्रमणोंका भय ही नहीं रहा था । गुजरातके उस सरदारको दक्षिणके सम्राट्की ओरसे 'अजेय जेता' की पदवी दी गयी थी । इसीसे उसकी शूरता और कार्यक्षमताका परिचय मिल जाता है । अरबोंके आक्रमण ऐसे भयानक तूफानकी तरह होते थे कि देशके देश उध्वस्त हो जाते थे । अरबोंने

सिन्धु, कच्छ, चापोत्कट, मौर्य आदि राजाओंको हराकर जब दक्षिणपर धावा किया तब मराठोंकी प्रखर तलवारोंके तेजके आगे उनको एक न चली और उन्हें पीछे लौट जाना पड़ा । इसका परिणाम यह हुआ कि फिर पांच सौ वर्षोंतक महाराष्ट्रपर आक्रमण करनेका साहस अरबोंने नहीं किया । कन्नौजका सम्राट् अरबों और मराठोंका समान शत्रु होनेके कारण पीछे दोनोंमें मेल हो गया और वे एक दूसरेकी सहायता करने लगे ।

दन्तिदुर्गके शासनकालसे राष्ट्रकूटोंका उत्कर्ष आरम्भ हुआ । आश्चर्यचकित कर देनेवाला वेरुल (एलौरा) का कारु-कार्य दन्तिदुर्गके बादके कृष्ण नामक राजाने तैयार कराया । वहाँ एक प्रचण्ड पर्वतको भीतर ही भीतर खोदकर एक सुन्दर शिवमन्दिर बनाया गया है । उसे देखकर मनुष्य लक्ष्मणमें आजाता है और पहाड़को काटकर उसको मन्दिरका रूप देनेवालेकी कल्पनाशक्तिकी प्रशंसा करने लगता है । मन्दिरकी बनावट प्रशस्त है और उसपर जो तक्षण कर नकाशी की गयी है, वह विस्मयजनक है । उस समयके कलाकौशलका वह चिरन्तन स्मारक है । यही नहीं, संसारकी आश्चर्यजनक मानवी कृतियोंमें उसकी गणना की जा सकती है । जिसने इस मन्दिरकी रूपरेखा मनमें खींची होगी, (क्योंकि उस समय नक्शे या मानचित्र नहीं बनाये जाते थे) वह धन्य है । वर्तमान समयमें राष्ट्रकूटोंकी राजधानी उध्वस्त हो गयी है । फिर भी इसमें सन्देह नहीं है कि वेरुलके कारुकार्योंके कारण उन (राष्ट्रकूटों) का नाम अमर बना हुआ है ।

राष्ट्रकूटोंके नाम बिलजुल सादे—कृष्ण, गोविन्द आदि—हुआ करते थे और अबतक महाराष्ट्रमें ऐसे ही नाम रखनेकी

प्रथा प्रचलित है। परन्तु उनकी भी बहुमान-सूचक तथा श्रेष्ठता-निदर्शक विरहावली या पदवियां होती थीं। चालुक्योंके पश्चात् वे पृथ्वीवल्लभ अथवा वल्लभराज (अर्थात् भावार्थे बलहरा) कहाते थे और 'वर्ष' शब्दसे युक्त उनकी अनेक उपाधियां थीं, यथा—प्रभूतवर्ष, अमांशवर्ष, नित्यवर्ष इत्यादि। इतिहासके नये विचार्यों इन नामोंसे चक्रमें आजाते हैं।

चालुक्यों अथवा आधुनिक गायकवाड़ोंकी तरह लाट अर्थात् दक्षिण गुजरात प्रान्त (विशेषतः नवसारी प्रान्त) राष्ट्रकूटोंके ही अधिकारमें था। इसी तरह पूर्व चालुक्यों अथवा आधुनिक मराठोंकी तरह उनकी सत्ता दक्षिणमें तंजौरतक स्थापित हो गयी थी। परन्तु पूर्व चालुक्योंकी तरह महाराष्ट्रमें ही सीमावद्ध हो कर बैठे न रहकर उन्होंने आधुनिक मराठोंकी तरह उत्तर भारतपर चढ़ाईयाँ करनेका सिलसिला बराबर जारी रखा था। जिस प्रकार आधुनिक मराठे सरदार दिल्लीपर अधिकार करनेका बराबर प्रयत्न करते जाते थे, उसी तरह उस समयकी भारतकी राजधानी कन्नौजको पादाक्रान्त करनेका प्रयत्न राष्ट्रकूट किया करते थे। पर चालुक्य कभी कन्नौजतक नहीं पहुँचे। पुलकेशोंने हर्षका और विनयादित्यने यशोवर्माका पराभव उनकी सेनाओं नर्मदा तट-पर रोककर किया था, कन्नौज जाकर नहीं। चतुर्थ गोविन्द-राजके खम्बायत दानपत्रमें इन्द्रराजकी कन्नौजकी चढ़ाईका वर्णन है। उसमें लिखा है कि इन्द्रराजकी अश्वसेनाने भयानक और विशाल यमुना नदी पार कर कन्नौजको उजाड़ डाला (तीर्ण) यत्तुरगैरगाध यमुना सिन्धु प्रतिस्पर्धिना। इत्यादि। कन्नौजसे मनुष्योंकी वस्ती उठ गयी और वहाँ घास-का जंगल उग आया। कन्नौज—'कुशस्थली'—को नामानुसार


रूप भी प्राप्त हो गया। यमुनाका पानी काला और गहगा तथा पाट विशाल होनेसे वह बड़ी भीषण है। उस समय उससे नहरें नहीं निकाली गयी थीं, अतः वह अबकी अपेक्षा अधिक उग्र और विस्तीर्ण रही होगी। तब पुल बांधनेके साधन भी उपलब्ध न होनेके कारण यमुना कृष्ण सर्पवी तरह भयानक ही थी। मराठोंके इतिहासमें सेनाके घोड़ोंके साथ नदियां तैरकर पार करनेके कई प्रसंग हैं। घुड़सवारीमें मराठे पहिलेसे ही प्रसिद्ध हैं। राष्ट्रकूटोंका मुख्य अवलम्ब घुड़सवारोंका सैन्य ही रहा करता था। घुड़सवारोंकी सेनाके साथ बहुत सा दंड धंढ ले जाना नहीं पड़ता, इस कारण इस सेनाकी सहायतासे राष्ट्रकूट सुदूर प्रान्तोंमें जाकर विजय प्राप्त किया करते थे। घुड़सवार सेनाके अतिरिक्त उनके पास पैदल सेना और गज-सेना भी रहती थी। ये सब बातें अरब लेखकोंने भी लिख रखी हैं।


राष्ट्रकूटोंका राज्य प्रबन्ध और सेना-प्रबन्ध भी सुश्रुतल था। सैनिकोंको वेतन दीक समयपर मिला करता था, इससे वे अप्रसन्न नहीं रहते थे। राष्ट्रकूट प्रारम्भमें शिवोपासक थे, परन्तु आगे चलकर कुछ लोग जैन मतकी ओर झुक पड़े। कर्नाटकके कृषकोंमें इसी कारण अवतक जैनमतका प्रचार है। राष्ट्रकूटोंके विवाह सम्बन्ध उत्तरके राजपूतों, बंगालके पालों और चेदीके हैहयोंसे हुआ करते थे। लेखोंसे ज्ञात होता है कि मेवाड़के अल्लटकी माता राष्ट्रकूट घरानेकी कन्या थी। अल्लटके समयमें उत्तर भारतका राष्ट्रकूट (राठोर) वंश प्रसिद्ध नहीं था। इससे सिद्ध है कि अल्लटकी मां दक्षिणके राष्ट्रकूट वंशकी ही कन्या थी। पहिले अमोघवर्षके ई० स० ८६६ (वि० ६२३) में लिखे निलगुंड लेखसे विदित होता है कि चित्रकूटोंसे

राष्ट्रकूटोंकी अनवन हो गयी थी । राष्ट्रकूटोंने चित्रकूटोंको पराजित भी किया (पपि० इंडि०, भा० ६, पृ० १०६) । दक्षिणोंके बन्धु-बान्धवोंमें ऐसे युद्ध हुआ करते हैं, इसमें कोई आश्चर्यकी बात नहीं । यूरोपके इतिहासमें भी ऐसे उदाहरण पाये जाते हैं ।

निलगुड लेखसे ज्ञात होता है कि राष्ट्रकूटोंका 'लांजुन' अर्थात् ध्वज-चिह्न गरुड़ था और राज्य-चिह्न चालुक्योंसे छीने हुए पालध्वज अर्थात् तीन शुभ्र छत्र थे । राष्ट्रकूटोंकी महाराजाधिराज, परमेश्वर और महारककी पदवी थी । उनकी एक उपाधि 'लट्टनूरपुर परमेश्वर' भी थी, परन्तु उन्हें यह कैसे प्राप्त हुई, इसका अबतक पता नहीं चला है । हमारा समझमें 'लट्टनूरपुर' राष्ट्रकूटोंको, मालखेड़ अथवा उससे पूर्व मयूर-खण्डी बलानेसे भा पहिलको, राजधानी रहा होगा और इसीसे उन्हें 'लट्टनूरपुर परमेश्वर' कहा जाता होगा ।

राष्ट्रकूट घरानेकी विस्तृत वंशावली ।





ग्यारहवाँ प्रकरण ।

अन्य छोटे राज्य ।

अभी तक ई० स० ८०० से १००० तक (वि० ८५७-१०५७) हिन्दुस्थानके विभिन्न प्रान्तोंमें जो प्रमुख राज्य उदित होकर उत्कर्षको प्राप्त हुए उनके इतिहासका विचार किया गया है; अब उस समयके अध्यान्य छोटे छोटे राज्योंका नामोल्लेख कर अन्य बातोंपर दृष्टिपात किया जायगा । इस ग्रंथके प्रथम भागमें प्रायः इन सब राज्योंका नामोल्लेख किया गया है; परन्तु इस भागकी पूर्तिके लिए उनका फिर कुछ विचार हो जाना आवश्यक है । (१) उस समयके छोटे राज्योंमें सिन्धका मुसलमानी राज्य प्रमुख था । उसका विस्तार मुलतानतक हो गया था और उसका प्रबन्ध बगदादके खलीफा द्वारा नियुक्त सूबेदार किया करता था । परन्तु उस समय खलीफाकी सत्ता क्षीण हो चली थी; इस कारण सिन्धका राज्य तुर्कोंने हस्तगत कर लिया । (२) काबुलके 'शाही' राजाओंका विस्तृत वर्णन प्रथम भागमें किया जा चुका है । हुपनसङ्ग द्वारा वर्णित बौद्ध धर्मीय क्षत्रिय वंशका अन्त ई० स० ८८० (वि० ६३७) में हो गया और काबुलमें लल्लिय नामक ब्राह्मण सेनापतिकी सत्ता प्रस्थापित हुई । काबुलके ब्राह्मणी राज्यकी संस्थापक यही लल्लिय था । यह राज्य ई० स० ८८० से १०२१ तक (वि० ६३७-१०७८) रहा । अलबेकनी, राजतरंगिणी और उपलब्ध हुए सिक्कोंके अनुसार उक्त घरा-
नेके राजाओंकी वंशावली इस प्रकार है—

१ लल्लिय ई० स० ८८०—९००

२ सामन्त ” ९००—९२०

३ कमलु	ई० स० ६२०—६४०
४ भीमदेव	„ ६४०—६६०
५ जयपाल	„ ६६०—६८०
६ आनन्दपाल	„ ६८०—१०००
७ त्रिलोचनपाल	„ १०००—१०२१

ईरानमें राजाको 'शाह' कहते हैं, इसीसे काबुलके क्षत्रिय-ब्राह्मण राजा भी 'शाह' कहलाते थे। वहाँके क्षत्रिय राजा बौद्ध मतानुयायी और ब्राह्मण राजा वैदिक मतके तथा शिव अथवा विष्णुके उपासक थे।

(३) काबुलमें जब ब्राह्मणी राज्य था, तब कन्दहारमें क्षत्रियोंका राज्य था। वास्तवमें काबुल और कन्दहारकी गणना भारतमें ही होनी चाहिये, पर ऐसा होता नहीं। इसका कारण यह है कि दोनों प्रान्त तुर्कोंके अधिकारमें चले जानेपर वहाँके लोगोंने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया। तबसे वे प्रान्त तुर्कस्थानमें ही गिने जाने लगे। कन्दहारमें राज्य करने वाले क्षत्रिय राजपूत भट्टी वंशके थे। मुसलमानी ग्रन्थोंमें कन्दहारका इतिहास लिखा मिलता है। वह हम इस ग्रन्थके तीसरे भागमें लिखेंगे।

उक्त छोटे छोटे राज्य सिन्धुनदके उस पार थे। अब सिन्धु नदके दक्षिण तटके राज्योंकी स्थितिका निरीक्षण करना उचित होगा। काश्मीर राज्यका समग्र इतिहास इस ग्रन्थके पहिले भागमें लिखा गया है। कर्कोट वंशके जयापीड़ राजाका शासनकाल ई० स० ७५१ से ७८२ तक (वि० ८०८-८३६) था। इसके पश्चात् उस वंशका हास ही हो चला और वहाँके राजाओंने अपने राज्यसे बाहरकी उथल-पुथलकी ओर विशेष ध्यान भी नहीं दिया।

सम्भवतः इसीसे कर्कोट वंश किसी तरह ई० स० ८५५ (वि० ६१२) तक राज्य कर सका । फिर काश्मीरका राज्य उत्पल वंशीय अत्रन्तिवर्मा नामक कर्तव्यनिष्ठ व्यक्तिके हाथ आया । उत्पल वंश भी बहुत दिनोंतक नहीं चला । ई० स० ६३६ (वि० ६६०) में उत्पल वंशमें राज्यका कोई पुरुष उत्तराधिकारी न रहनेके कारण प्रजाने यशस्करदेवको अपना राजा बनाया । यशस्करके पुत्रको दुर्बल और राज्य करनेके अयोग्य जानकर दिविर वंशके पर्वगुप्तने उसपर चढ़ाई की और उसे पदच्युत कर स्वयं राजपद ग्रहण किया । पर्वगुप्तके पश्चान् और एक राजाके राज्य करने पर दिविर वंशका भी अन्त हो गया और दिहा रानीने राज्यसूत्र अपने हाथमें ले लिया । उसने अपने इच्छानुसार कई बालकोंको गद्दीपर बैठाया और उनमेंसे जिसे चाह उसे गद्दीसे उतार भी दिया । ई० स० १००४ (वि० १०२९) में दिहाका देहान्त होने पर उसके भाइके पुत्रने काश्मीरपर अधिकार कर लिया । यही लोहर वंशका प्रथम राज्य-संस्थापक है । इस वंशके हाथमें काश्मीरका राज्य आजाने पर राज्यका प्रबन्ध सुधर गया । इस वंशमें अनेक शूर और पराक्रमी पुरुषोंके उत्पन्न होनेसे काश्मीरको दूसरोंके प्रभुत्वका भय नहीं रहा और उसका स्वातन्त्र्य अबाधित रह सका ।

पञ्जाबमें सबसे महत्वका और प्राचीन राज्य जालन्धर अथवा त्रिगर्तके कांगड़ाकांटका था । वहाँके राजा सोमवंशी क्षत्रिय थे । उनके मूलपुरुषका नाम सुशर्मन् था । महमूदको चढ़ाईके समयतक वह राज्य कायम रहा; फिर उसपर मुसलमानोंका अधिकार होगया । जालन्धरके पतनका इतिहास बड़ा मनोरञ्जक है, जो आगे लिखा जायगा । साधारणतया

हिमालयके आसपासके राज्योंसे, उनके एक ओर तथा पहाड़ों-में होनेके कारण, कोई छेड़छाड़ नहीं करता था। अस्तु, जालंधरके राजाओंकी विशेष बातें अज्ञात हैं। एक लेखसे विदित होना है कि ई० स० ८०३ (वि० ८६१) में जयचन्द्र नामक राजा राज्य करता था। कल्हणने लिखा है कि ई० स० १०४० (वि० १०९७) में वहाँ इन्द्रचन्द्र नामक राजाका राज्य था।

उस समय पंजाबमें और भी कुछ राज्य रहे होंगे। राज-तरंगिणीमें पंजाबके टेक राज्य, गूजर आलखान राज्य और कन्नौजके मिहिर भोज राज्यका उल्लेख है। परन्तु कन्नौजको छोड़कर अन्य दोनों राज्योंके दानपत्र, शिलालेख आदि कुछ भी अवशेष उपलब्ध नहीं हैं। जब महमूदने चढ़ाई की, तब लाहौरके राजाओंने ज़ोरोंसे उसका प्रतिरोध किया, परन्तु अन्तमें उन्हें हार खानी पड़ी। यह वृत्तान्त मुसलमान ग्रन्थ-कारोंने लिखा है; अतः यह पक्षपातपूर्ण भी हो सकता है। अन्य प्रमाणोंके अभावसे इस सम्बन्धमें निश्चित रूपसे कुछ नहीं कहा जा सकता।

दिल्ली तो उस समय एक मामूली गाँव था। इस समयके लगभग वहाँ अनंगपाल तोमरने अपना छोटासा राज्य बसाया था। * आगे कोई दो सौ वर्षोंमें इस राज्यका बहुत कुछ उत्कर्ष हुआ। परन्तु दिल्लीके तोमरों और सांभरके चाहमानोंमें घोर शत्रुता होनेके कारण ईसाकी दसवीं शताब्दी (वि० ९५८-१०५७) में दोनोंमें लगातार युद्ध होते रहे। दोनोंकी राज्य-सीमाएँ एक दूसरीसे सटी हुई थीं। लेखोंसे पता चलता

* टाडके इतिहासमें एक कविद्वारा वर्णित दन्तकथा लिखी है। उसमें कहा गया है कि वि० सं० ८४८ (सन् ७९१) में पांडवोंके वंशज अनंग-पाण्डवे हर्षप्रस्थमें पुनः अपने पूर्वजोंकी गद्दी प्रस्थापित की।

है कि तोमर रुद्रेणसे ई० स० ६१३ (वि० ६७०) में चाहमान चन्दनराजका युद्ध हुआ और सन् ६४३ (वि० १०००) में वाक्पतिराजने तोमर तन्त्रपालका पराभव किया । वाक्पतिके पुत्र सिंहराजने भी एक तोमरका पराभव किया था ।[†] यह वृत्तान्त तोमरोंके लेखोंमें नहीं है । तोमरोंके बहुत ही थोड़े लेख मिले हैं । उनसे पता चलता है कि तोमर कन्नौजके माण्डलिक थे ।

मध्यभारतके राज्योंका विचार करना अनावश्यक है, क्योंकि मध्यभारत और अवधमें उस समय कोई स्वतन्त्र राज्य ही नहीं था । दोनों प्रान्त कन्नौजके अधीन थे ।

उस समय नेपालका लिच्छवि वंश नष्ट हो चुका था और वहाँ एक राजपूत राज्यकी स्थापना हो गयी थी । उस राजपूत घरानेका एक भी लेख उपलब्ध न होनेके कारण उसका विश्व-सनीय इतिहास लिखना कठिन है । दन्तकथाओंसे राजाओंका अनुक्रम तैयार किया जा सकता है; किन्तु उसकी सत्यताकी जाँच करनेका कोई साधन नहीं है । हाँ, इसमें सन्देह नहीं कि इन राजपूत राजाओंने सन् ८७६ (वि० ६३६) से अपना नया संघत् चलाया था; परन्तु उससे पहिले कितने राजा हुए, इसका पता नहीं चलता । साधारणतया अनुमान किया जा सकता है कि सन् ८०० (वि० ८५७) के लगभग यह घराना राज्यारूढ़ हुआ और सन् १०००के पश्चात् भी यह कायम रहा ।

कामरूप उर्फ आसामका राज्य भास्करवर्माके स्थापित किये हुए भगदत्त वंशके अधिकारमें था । बीचमें कुछ समय तक वह बंगालके पालोंकी अधीनतामें चला गया था, किन्तु फिर भी उसकी गणना स्वतन्त्र राज्योंमें की जानी चाहिये,

[†] हर्ष निलालेख, ई० स० ८८२ एपि० इंडि० भाग १, पृष्ठ २४२

क्योंकि अरब लेखकोंने उसका उल्लेख गौरवके साथ किया है। नवीं और दसवीं शताब्दी (वि० ८५८-१०५७) में आसामका स्वातन्त्र्य अबाधित था।

पहिले लिखा जा चुका है कि पूर्व और पश्चिम बंगालमें मुंगेरके पालोंका एकछत्री राज्य था। पहिले भागमें उड़ीसाका इतिहास भी विस्तारके साथ लिखा गया है। उड़िया प्रान्त उस समय केसरी वंशके ही अधिकारमें था। केसरी वंशके राजा श्रद्धालु, धर्मात्मा और शिवके उपासक थे। जगन्नाथ-पुरीमें उपलब्ध हुए तालपत्रपर लिखे एक लेखसे ज्ञात होता है कि केसरी वंशका राज्य ई० स० ११३२ (वि० ११८६) तक अन्तुण था। परन्तु इसपर विश्वास नहीं होता, क्योंकि अन्य लेखोंसे पता चलता है कि उड़ीसामें ११३२ (वि० ११८६) से पहिले कोई सूर्योपासक राजवंश राज्य करता था। ईसवी सन् ११३२ (वि० ११८६) के पश्चात् वहांके राजा जगन्नाथ अर्थात् विष्णुके भक्त बने। इससे यह भी नहीं कहा जा सकता कि शिवोपासक केसरी वंशके पश्चात् सूर्योपासक राजाओंका राज्य उड़ीसामें नहीं था। इस सूर्योपासक राजवंशका अबतक कुछ भी वृत्तान्त ज्ञात नहीं हुआ है।

आन्ध्र प्रान्तमें उस समय विन्ध्यशक्ति आदि कैकिल यवनोंका राज्य था। विष्णुपुराण और भागवतमें इन यवनोंका उल्लेख है। पालोंके खालिमपुर-दानपत्रसे ज्ञात होता है कि यवनोंका राज्य कन्नौज साम्राज्यके अन्तर्गत था। कन्नौजके लेखोंमें भी आन्ध्र-विजयका उल्लेख है। आन्ध्र प्रान्तमें ई० स० ६०० (वि० ६५७) तक यवनोंका राज्य था। फिर वह प्रान्त एक वैष्णव राजवंशके अधिकारमें चला गया, जिसका वृत्तान्त आगे लिखा जायगा।

कोसल अर्थात् छत्तीसगढ़का राज्य पहिलेसे ही हैहयोंके अधीन था और जिस समयका इतिहास लिखा जा रहा है, उस समय भी वे ही उस प्रान्तके शासक थे। वेंगीके चालुक्योंका राज्य भी ई० स० १०१५ (वि० १०७२) तक अबाधित था। साधारणतः किसी एक वंशका कहीं दो सौ वर्षोंसे अधिक राज्य नहीं रहा; परन्तु चालुक्योंके अधीन वेंगीका राज्य ४०० वर्ष (६३३ से १०१५ तक) रहा। मद्रास प्रान्तमें छोटे छोटे बहुतसे राज्य थे; किन्तु वे मालखेड़के साम्राज्यके अन्तर्गत ही गिने जाते थे।

कांचीके पल्लवों और बादामीके चालुक्योंके वंश तब अस्तंगत हो गये थे। कांचीमें पुनः पल्लवोंने नये राज्यकी स्थापना की थी, परन्तु उस वंशके दन्तिवर्म राजाको ई० स० ८०३ (वि० ८६०) में राष्ट्रकूटोंने हरा दिया। तबसे वह राज्य राष्ट्रकूटोंके अधीन हो गया। अन्तमें चोल राजाओंने पल्लवोंको इतना नीचा दिखाया कि फिर वे सिर ऊपर न उठा सके। वह वृत्तान्त आगे लिखा जायगा। दक्षिणमें पाण्ड्य तथा अन्य छोटे छोटे बहुतसे राज्य थे। उनमें चोल, होयसल और गंग राज्य प्रधान थे। परन्तु उनका समय मध्ययुगके बाद होनेके कारण यहां उनका केवल नामोल्लेख ही किया गया है।

बारहवाँ प्रकरण ।

समकालीन अरब लेखक ।

मध्ययुगीन भारतके अनेक मनोरञ्जक तथा विश्वास-योग्य वर्णन उस समयके अरब लेखकोंने अपने प्रवास-वृत्तान्तोंमें लिख रखे हैं। उनसे तत्कालीन इतिहासपर

अच्छा प्रकाश पड़ता है। अतः उनका विचार खतन्त्र रूपसे करना आवश्यक है। अरब लेखकोंके ग्रन्थ केवल फ़ौज भाषामें ही अनूदित हुए हैं। इस कारण उनका सस्पष्ट रूपसे अध्ययन करना साधारणतः कठिन ही है। ईलियटने अपने इतिहासमें उन भाषान्तरोंमेंसे बहुतसे महत्वपूर्ण अवतारण उद्धृत किये हैं। ईलियटके समयमें ऐतिहासिक खोजका कार्य प्रारम्भिक अवस्थामें था। उस समय अरब लेखकों द्वारा वर्णित राज्यों और राजाओंके नामोंका ठीक ठीक निश्चय करना बहुत ही कठिन था। पर अब वह स्थिति नहीं रही। राजस्थानके इतिहासका कार्य समयके बदलने और तत्वान्वेषकोंके परिश्रमसे बहुत कुछ सुगम हो गया है। इसीसे अरब लेखकोंके ग्रन्थ मनोरंजक प्रतीत होने लगे हैं। उनमें चित्रित की हुई राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक परिस्थितियोंका मेल अब भलीभांति बैठाया जा सकता है। पाठकोंके सुमोतेके लिए अरबी प्रवासियोंके ग्रन्थोंमेंसे कुछ अवतारण यहाँ उद्धृत किये जाते हैं।

ईलियटने अपने इतिहासमें अरबी प्रवासियोंके जो नाम लिखे हैं, उनके देखनेसे जान पड़ता है कि पहिला प्रवासी सुलेमान नामक व्यापारी था। उसने अपना यात्रा-वर्णन ई० स० ८५७ (वि० ६१४) में लिखा। व्यापारके निमित्त ईरानकी खाड़ीसे होकर हिन्दुस्थान और चीनमें वह कई बार भ्रमण कर चुका था। वह लिखता है—“मैंने जितनी पृथ्वी देखी उसमें चार श्रेष्ठ राजा पाये। पहिला बैबिलानका (खलीफाका), दूसरा चीनका, तीसरा कुस्तुन्तुनिया (ग्रीकों) का और चौथा बल्हारा। चारोंमें बल्हारा सर्वश्रेष्ठ है।” बल्हारा कौनसा था और उसकी राजधानी मानकर कहाँ थी, इसका पता ईलियट-

को न चला । परन्तु उसके पश्चात् जो ऐतिहासिक तत्त्वान्वेषक हुए, उन्होंने निश्चित किया है कि 'वल्लभराय' शब्दका अरबी अपभ्रंश बल्हारा और समुद्रतटले दूरवर्ती 'मान्यखेट', का अपभ्रंश मानकिर है जो राष्ट्रकुटोंकी राजधानी था । उस समय राष्ट्रकुटोंके राज्यका विस्तार समग्र दक्षिण प्रान्तमें हो गया था और वह बड़ा प्रबल राज्य था, यह तत्कालीन लेखोंसे ही सिद्ध होता है । राष्ट्रकुट दक्षिणके सार्वभौम थे । सुलेमान लिखता है—“हिन्दुस्तानके राजा किसीका सार्वभौमत्व स्वीकार करने पर भी अपना राज्य-प्रबन्ध स्वतन्त्र रूपसे किया करते थे । हम कई बार दिखा चुके हैं कि भारतके प्राचीन साम्राज्यकी कल्पना अन्य देशोंकी कल्पनासे भिन्न है । समस्त राजाओंमें जो अपना महत्व स्थापित करें और सबसे अपनी अधीनता स्वीकार करा ले वही उस समय सम्राट् माना जाता था । पराजितोंके राज्य अपने राज्यमें मिला लेनेकी प्रवृत्ति हमारे प्राचीन राजाओंमें नहीं थी । पराजित राजा स्वाधीनता-पूर्वक अपने राज्यका प्रबन्ध कर सकता था । उसे केवल सम्राट्का आधिपत्य स्वीकार करना पड़ना था और काम आ पड़ने पर उसको सहायता करनी पड़ती थी । अस्तु, वल्लभ-राजकी सेना अवसर विशेषपर ही तैयार नहीं की जाती थी, किन्तु आधुनिक रीतिके अनुसार, सदा प्रस्तुत रहती थी और उसे राज्यकी ओरसे ठीक समयपर वेतन भी मिलता था । अरबी सेनाका भी उस समय ऐसा ही प्रबन्ध था । “वल्लभराजकी सेनामें गजसेना और अश्वसेनाकी अधिकता थी । उसके राज्यमें तातारिया दीनार चलते थे, उनपर वही संवत् छपा रहता था, जिस संवत्में वल्लभराजके पूर्वजोंकी गद्दी मिली थी । अरबोंकी तरह वे किसी अन्य सन्-संवत्को

नहीं मानते थे ।”—लेखकका यह वर्णन विचित्र प्रतीत होता है क्योंकि राष्ट्रकुटोंके लेखोंमें शकमान-पद्धतिका प्रयोग किया गया है । सिकोंपर राज्यारोहणका संवत् होना सम्भव है ।—“बल्हारोंके राज्यमें अरबोंका आदर है और वहाँके प्रजाजन अरबोंके साथ मित्रताका भाव रखते हैं । ‘बल्हार’ वहाँके राज-वंशकी उपाधि है ।”

“जुर्जके राजाओंके साथ बल्हारा राजाकी बराबर स्पर्धा चलती है ।” इससे प्रतीत होता है कि राष्ट्रकुटोंकी तरह उस समय कन्नौजका भी बड़ा महत्व था । जुर्ज ही गुर्जर—कन्नौजके गुर्जर—थे । ‘कन्नौजकी सेनामें उत्तम घुड़सवारोंकी संख्या अधिक होती है । वैसे अच्छे घुड़सवार अन्य सेनामें नहीं देख पड़ते । घोड़े भी बड़े सुन्दर होते हैं । सेनामें उफूँदल भी विपुल है । यह सब होते हुए कन्नौजपति अरबोंसे मित्रता नहीं रखता । उसके राज्यका आकार तिबोना (जिह्वाशके समान) है ।” इससे ज्ञात होता है कि कन्नौजका राज्य काठियावाड़तक फैला हुआ था । “उस देशमें लेन-दान साने-बाँदाके टुकड़ोंसे (सिकोंसे नहीं) होता है ।” भोजराजने ‘आदिवराह द्रुम’ सिके पहिले पहिल चलाये, यह पहिले कहा जा चुका है । “इस देशमें चोर-डाकुओंका बिलकुल भय नहीं है ।” इससे सिद्ध होता है कि वर्तमान अंग्रेजी शासनकालमें ग्वालियर, बुन्देलखण्ड आदि प्रान्तोंमें जिस प्रकार चोरों, लुटेरों आदिका भय है, उस प्रकार एक हजार वर्ष पूर्व—जब उक्त प्रान्त कन्नौजके अधीन थे—नहीं था । सर्वत्र शान्ति और समृद्धिका साम्राज्य था ।

सुलेमानने ‘ताफिक’ राज्यका उल्लेख किया है । वह कहता है—“इस राज्यका विस्तार अधिक नहीं है; किन्तु वहाँ जैसो

गोरी और सुन्दरी स्त्रियाँ हिन्दुस्थानमें अन्यत्र नहीं देख पड़तीं ।” ताफिक राज्य कहाँ था, यह नहीं कहा जा सकता । ईलियटके मतसे वह राज्य औरङ्गाबादमें था । परन्तु यह मत ठीक नहीं जँचता, क्योंकि एक दूसरा अरबी प्रवासी लिखता है कि वह राज्य पर्वत-श्रेणियोंमें बसा हुआ है । हमारी समझमें वह हिमालयके आसपास कहीं रहा होगा । यह भी समझमें नहीं आता कि ताफिक शब्द किस हिन्दुस्थानी नामका अपभ्रंश है । हो सकता है कि वह पंजाबका कोई राज्य हो अथवा तक्ष या जालन्धरका राज्य हो । औरङ्गाबाद परगनेकी स्त्रियाँ गोरी और सुन्दरी नहीं होतीं, यह तो सबको विदित ही है ।

इसके पश्चात् रहमीके राज्यका वर्णन है । दुर्भाग्यवश इस राज्यके सम्बन्धमें भी कुछ निश्चय नहीं किया जा सकता । “तीनों राज्य जुर्जके आसपासके प्रदेशमें हैं और उनका जुर्जके राज्यसे सदा वैरभाव बना रहता है ।” इस वाक्यसे अनुमान होता है कि रहमीका राज्य बङ्गालका राज्य होगा । अन्य लेखकोंने भी लिखा है कि इस राज्यका विस्तार बङ्गालके उपसागरतक था । रहमी शब्द किस शब्दका अपभ्रंश है, इसका भी पता नहीं चलता । “रहमीके राजाके पास पचास हजार गजदल था ।” इस अत्युक्तिपूर्ण वर्णनसे भी यही अनुमान दृढ़ होता है कि वह बङ्गालका ही राज्य था, क्योंकि उस समय मगध और गौड़में विपुल हाथी पाये जाते थे । “इस देशमें इतना नरम और महीन एक प्रकारका वस्त्र बुना जाता है कि वैसा अन्यत्र कहीं नहीं देख पड़ता । उसका बना अंगा अंगूठीसे पार किया जा सकता है । यह वस्त्र कपालका ही होता है और हमने स्वयं देखा है ।” इस वर्णनसे

प्रतीत होता है कि उस समय भी बङ्गाल (ढाके) के मतमलकी बहुत प्रसिद्ध थी ।

इसके बाद भारतके सीमाप्रान्तके तीन राज्योंका वर्णन देख पड़ता है, यथा—१—‘कश्विन’ का राज्य । “यहाँके लोग गोरे होते हैं ।” इस वर्णनसे ज्ञात होता है कि यह राज्य हिमालयमें कहीं था । २—‘किरंज’ का राज्य और ३—‘सेरन्दीव’ (सिंहलद्वीप) का राज्य । खुलेमानने अपना प्रवास-वृत्तान्त ई० स० ८५० (वि० ६०७) में लिखा और इसमें सन्देह नहीं कि उसमें तत्कालीन भारतीय राजनीतिक परिस्थितिका यथार्थ वर्णन किया गया है । पहिले कहा जा चुका है कि उस समय राष्ट्रकूट, प्रतिहार और पाल ये तीनों क्रमशः दक्षिण, मध्यदेश और बङ्गालके वैभवसम्पन्न राजा थे । खुलेमानके प्रवास-वर्णनमें तत्कालीन सामाजिक और धार्मिक परिस्थितिका भी दिग्दर्शन किया गया है । उसका विचार स्वतन्त्र प्रकरणमें किया जायगा ।

इध्न खुर्दाबका नामक प्रवासीने भी इसी समयको लक्ष्यकर अपना प्रवास-वर्णन लिखा है । पता चलता है कि इन्न खुर्दाबका देहान्त ई० स० ६१२ (वि० ६६६) के आसपास हुआ । वह लिखता है—“हिन्दुस्थानमें सर्वश्रेष्ठ राज्य बलहाराका है । जाबाल (जावा), ताफन, जुर्ज, रहमी, कामरून (कामरूप) आदि और भी अनेक राज्य हैं । अन्य प्रान्तोंके समथ रहमी राज्यका व्यापारिक लेनदेन जहाजों द्वारा होता है । उस राज्यमें पचास हजार हाथी हैं और वहाँ कपास, कपड़ा तथा अलोलुड (एक प्रकारकी सुगन्धित लकड़ी) बहुत होता है ।” इस वर्णनसे भी रहमीका राज्य बंगालका ही राज्य सिद्ध होता है । उक्त लेखकने भारतकी सात जातियोंका वर्णन किया है । उनका विचार स्वतन्त्र प्रकरणमें किया जायगा ।

अल-मसूदी नामक प्रवासीके ई० स० ६५३ (वि० १०१०) में लिखे प्रवास-वृत्तान्तमें भारतका बहुत सूक्ष्म वर्णन मिलता है । अपने समयसे पहिलेकी भारतीय इतिहाससम्बन्धी दन्तकथाओंका वर्णन कर वह लिखता है—“कोरेश राजा (श्रीहर्ष) के पश्चात् साम्राज्यका संघटन टूट गया । सिन्ध, कन्नौज और काश्मीर अलग अलग हो गये और उनकी रीति-नीति, समाज-व्यवस्था तथा शासन-प्रणालीमें बहुत अन्तर पड़ गया । मानकिरमें बटहारा राज्य करने लगा । सर्वत्र भिन्न भिन्न भाषाएँ प्रचलित हैं और उन राज्योंमें परस्पर युद्ध भी हुआ करते हैं । बटहारा राजा सबमें श्रेष्ठ है । काश्मीर, ताफन जैसे राज्य समुद्रसे बहुत दूर पर्वतश्रेणियोंमें स्थित हैं । बटहाराके पास पैदल सेना अधिक है; क्योंकि उसकी राजधानी पहाड़ी प्रदेशमें है । उसके पास गजसेना भी है, किन्तु पैदल सेनाकी संख्या अगणित है । समुद्रसे सुदूर प्रान्तमें बसा हुआ विख्यात ‘बाउरा’का राज्य है और उसका स्वामी कन्नौजका भी अधिपति है । कन्नौजके सभी राजाओंको ‘बाउरा’ कहते हैं और उसकी सेना पश्चिम, दक्षिण, पूर्व और उत्तरमें सदा सन्नद्ध रहती है ।”

‘बाउरा’ शब्द किस शब्दका अपभ्रंश है, समझमें नहीं आता । विदेशी लोग इस देशके शब्दोंको तोड़-मरोड़कर विलक्षण रूप दे देते हैं । उनके मूल रूपका पता लगाना बड़ा कठिन है । बीजापुरके ‘आदिलशाह’ को पोर्तुगीज ‘इदिलकाव’ कहते थे, परन्तु इस शब्दसे ‘आदिलशाह’का अर्थ निकालना ज़रा कठिन ही है । अस्तु, अन्य अरब लेखकोंने भी अपने लेखोंमें ‘बाउरा’ का उल्लेख किया है । हमारी समझमें ‘बाउरा’ कन्नौजके प्रतिहार ही थे । ‘बटहारा’ (वत्सभराय) इस

शब्दसे स्पष्ट है कि, 'रा'—'राय'—वाचक शब्द है। 'वाउरा' शब्द को 'प्रतिहार' का अपभ्रंश माननेसे ही उसकी चरितार्थता हो सकती है और उससे प्रतिहार राय (पडिहार रा) शब्द बन सकता है ।

“मिहिरान नदी (सिन्धु) सिन्धु प्रान्तके उत्तरके ऊँचे भूभागसे निकल कर कन्नौज, काश्मीर, कन्दहार और ताफन राज्यमें प्रवाहित होती है ।” इससे जान पड़ता है कि कन्नौज साम्राज्यका विस्तार पंजाबतक हो गया था और ताफनका राज्य हिमालयके ही आसपास कहीं था ।

“कन्दहारके राजाको 'हाहज' कहते हैं । वास्तवमें सभी राजाओंकी उपाधि 'हाहज' है । कन्दहार रहबूदों (राजपूतों) का देश कहा जाता है । काश्मीरके राजाकी उपाधि 'राय' है और वह सिन्धु प्रान्तका ही एक भाग है ।” ‘हाहज’ क्या है, कहा नहीं जा सकता । परन्तु इस अवतरणसे सिद्ध होता है कि उस समय कन्दहारमें राजपूतोंका राज्य था । ‘काश्मीर सिन्धु प्रान्तका ही एक भाग है,’ लेखकके इस कथनसे उसकी अनभिज्ञता प्रकट होती है । सम्भव है, सिन्धु प्रान्तपर अधिकार कर लेने पर अरबोंने काश्मीरके लोभसे उसकी ओर रुख केरा हो ।

“कन्नौजके राजाकी विशाल सेना चारों दिशाओंमें सदा सज्ज रहती है । हर एक दिशामें कमसे कम सातसे आठ लाखतक सेना रहती है । उत्तरकी सेना मुलतानके राजा और सीमाप्रान्तके मुसलमानोंसे तथा दक्षिणकी सेना मानकिरके बल्हारा राजासे साम्राज्यकी रक्षा करती है ।” इस वर्णनसे सिद्ध होता है कि कन्नौजकी धाक सब राज्योंपर जमी हुई थी । कन्नौज जबतक वैभवके शिखरपर था, तबतक उसने अपने

साम्राज्यपर किसीका प्रभाव जमने नहीं दिया । अरबोंसे दक्षिणके राष्ट्रकुटोंकी मित्रता थी और दोनों मिलकर कन्नौज-पर चढ़ाईयाँ किया करते थे; किन्तु कन्नौजकी समृद्धिके समयमें उसके आगे किसीकी दाल नहीं गली । उक्त प्रवासीके वर्णनसे उस समयके हिन्दुओंकी मूर्खता और भोलेपनकी भी कल्पना हो जाती है । वह लिखता है—“धर्मघृष्ट मूर्तिपूजक जब मुलतानपर चढ़ाई करनेकी तैयारी करते हैं और मुलतानी लोग उनसे लड़ना नहीं चाहते; तब वे मूर्तिपूजकोंको सूर्य देवताकी मूर्ति तोड़ डालनेकी धमकी देते हैं । इसका परिणाम यह होता है कि मूर्तिपूजक अपनी सेनाको लौटा ले जाते हैं ।” हिन्दुओंके भोलेपनका इससे बढ़कर प्रमाण और क्या मिल सकता है ?

अल-मसूदीने अन्तमें रहमी राज्यका वर्णन किया है । “रहमी राज्यका विस्तार समुद्रके तटतक है । रहमी राज्यका सीमाप्रान्तके जुर्जों और बल्हारा राजासे सदा युद्ध होता रहता है । इस राज्यकी दूसरी सीमापर कामन राज्य है; वहाँके प्रजाजन बहुत ही सुन्दर हैं; उनमें कानोंको छेदनेकी चाल है ।” ‘कामन’ राज्य कामरूप अर्थात् आसामका राज्य समझना चाहिये । इस राज्यके सब निवासी धार्मिक हिन्दू ही हैं ।

अल-इस्ताखरी नामक प्रवासी ई० स० ९५१ (वि० १००८) के लगभग हिन्दुस्थानमें आया था । उसने अपने प्रवासवर्णनमें लिखा है—“कमबाया (खम्बायत) से सेमूर (चेऊल) तक बल्हाराका राज्य फैला हुआ है ।” इससे ज्ञात होता है कि दक्षिण-मध्य गुजरात और कोंकण प्रान्तका अधिकांश राष्ट्रकुटोंके अधिकारमें था । “बल्हारा राजाके बहुतसे सामन्त हैं ।” अर्थात् बल्हाराके सम्राट् होनेपर भी मांडलिकोंके राज्य

उन्हींके शासनमें रहते थे, साम्राज्यमें मिला नहीं लिये जाते थे । इन मारडलिकोंमें लाट् अर्थात् गुजरातके मारडलिककी भी गणना होती है । “यहाँके लोग काफिर हैं; किन्तु राज्यके एक भागमें मुसलमान भी बसे हैं और उनपर बल्हाराकी ओरसे मुसलमान ही शासन करते हैं । वहाँ उन्होंने मसजिदें भी बनवा ली हैं ।” इससे प्रतीत होता है कि दक्षिणके हिन्दू कन्नौज और मध्यभारतके हिन्दुओंकी अपेक्षा अधिक परमत-सहिष्णु थे अर्थात् वे कट्टर हिन्दू नहीं थे ।

इवन हौकलके प्रवास-वृत्तान्तका समय ई० स० ६७६ (वि० १०३३) है । वह लिखता है —“कंवायत (खंवायत) से सैमूर (चोल) तक बल्हारा राज्यका विस्तार है और उसमें अनेक मारडलिक राजा राज्य करते हैं । बल्हाराकी राजधानी मानकिर है; कंवायतसे सैमूरतक सिलसिलेवार ग्राम बसे हैं और काफी जमीनमें खेती होती है ।” इस वर्णनसे स्पष्ट है कि राष्ट्रकूटोंके समयमें गुजरात और कोंकण प्रान्त पूर्ण समृद्ध थे ।

पाँचवीं पुस्तक ।
साधारण परिस्थिति ।

तेरहवा प्रकरण ।

भाषा ।

अरबी प्रवासियोंने लिख रखा है कि भारतीय इतिहास-
के मध्ययुगीन कालमें भारतके विभिन्न प्रान्तोंमें
अनेक भाषाएँ प्रचलित थीं। तदनुसार स्वभावतः यह प्रश्न
उठता है कि वे कौन कौनसी थीं? महाराष्ट्री, शौरसेनी,
मागधी और पैंशाचीसे क्रमशः मराठी, हिन्दी, बंगाली और
पञ्जाबी भाषा बनी है। ये भाषाएँ दक्षिण, मध्यदेश, पूर्व और
वायव्य प्रान्तमें प्रचलित भी थीं। शिलालेखोंसे पता चलता है
कि ई० स० ८००-१००० (वि० ८५७-१०५७) के आस पास
महाराष्ट्री आदि भाषाओंका लोप होकर उनके मराठी आदि
विकृत रूप प्रचलित हो गये थे। ई० स० ८०० से १००० (वि०
८५७-१०५७) के बीचमें ही ये भाषाएँ बनी हैं। ई० स० ८०० से
पूर्वके इन भाषाओंके लेख भी नहीं मिलते अतः इस काल-
से पहिले ये भाषाएँ प्रचलित थीं, ऐसा नहीं माना जा
सकता। इन आर्य भाषाओंके अतिरिक्त दक्षिण भारतमें
तामिल, मलियालम्, कानड़ी, तेलगू आदि अनार्य भाषाएँ
प्रचलित थीं। तामिल भाषा इनमें सबसे पुरानी है, उसीसे ये
सभी भाषाएँ निकली हैं। हमारी समझमें ई० स० ८०० से
१००० (वि० ८५७ से १०५७) के बीच ही तामिल भाषाकी उक्त
शाखाएँ निकली थीं और उनके तथा मराठी आदि भाषाओंके
प्रादुर्भावका कारण एक ही था। इस प्रकरणमें दक्षिणकी
भाषाओंका विस्तृत विचार होना असम्भव है।

बौद्ध धर्मके उच्छेद और आर्य धर्मकी पुनः स्थापनासे भारतकी धार्मिक तथा राजनीतिक परिस्थितिमें अभूतपूर्व कान्ति उत्पन्न होगयी । बौद्ध धर्मका प्रसार प्रायः विदेशियोंमें ही अधिक हुआ, भारतवासियोंमें नहीं । वर्तमान समयमें भी बौद्ध धर्मके अनुयायी विदेशी ही अधिक हैं । इसका कारण यह है कि सनातन आर्य धर्म वेदादि ग्रन्थोंको प्रमाण मानता है, बौद्ध धर्म नहीं मानता । आर्य धर्ममें अन्य किसीका समावेश नहीं हो सकता, बौद्ध धर्ममें हो सकता है । आर्य धर्म प्राचीन परम्पराका आदर करता है, बौद्ध धर्म नहीं करता । अस्तु, इसी समय (ई० सन् ६००-१०००) के आसपास आर्य धर्मकी पुनः स्थापना होनेपर पहिलेके क्षत्रिय राजवंशोंको जनताकी ओरसे पुनः सम्मान मिलने लगा और लोकमत उनके अनुकूल होनेके कारण विदेशी राजकुलोंकी तरह इस देशके वैश्य और शूद्र राजकुल भी अस्तङ्गत होने लगे । राज्य-सूत्र क्षत्रिय राजाओंके हाथ आनेपर उन्होंने संस्कृतको पुनरुज्जीवित किया । साथ ही बौद्ध और जैन धर्मका हास होनेके कारण प्राकृत भाषाएँ भी नष्ट हो चलीं । संस्कृत भाषाके पुनरुज्जीवित होनेसे लोगोंकी व्यवहारकी भाषापर उसका बहुत कुछ प्रभाव पड़ा और प्राकृत भाषाकी ढिलाई नष्ट होकर वह वर्तमान समयमें प्रचलित भाषाओंके रूपमें ओजस्वी बनती गयी । आर्य धर्म-ग्रन्थोंका पठन-पाठन आरम्भ होनेसे संस्कृत भाषाका सर्वत्र प्रचार हुआ । इसी समय संस्कृत भाषाके प्रचारमें शंकर मतकी विजयसे विशेष सहायता पहुँची । शंकराचार्यका उत्कर्ष ईसाकी आठवीं सदी (वि० ७५८-८५४) के आस-पास हुआ । उनके मतकी छाप सब भूतोंके लोगोंपर अच्छी पड़ी । उस मतका प्रसार संस्कृत भाषाके द्वारा ही

होनेके कारण सर्वसाधारणकी भाषामें बहुतसे संस्कृत शब्द आगये और धीरे धीरे संस्कृत भाषासे ही मराठी आदि संस्कृत-प्रचुर भाषाएँ निर्मित हुईं । ताम्रिल भाषासे निकली हुई भाषाओंका इतिहास भी ऐसा ही है । अब यह देखना चाहिये कि नवीन प्रचलित भाषाएँ कौन कौन सी थीं ।

अलमसूदी नामक प्रवासीके प्रवास-वृत्तान्तमें ई० स० ६४३ (वि० १०००) के आस-पासके समयकी पूर्व और पश्चिम प्रान्तकी लोकस्थितिका वर्णन मिलता है । वह लिखता है— “बलहाराकी राजधानी मानकिरके लोग ‘कीरिया’ भाषा बोलते हैं । ‘कीरिया’ नाम कीर गाँवसे प्रचलित हुआ है । पश्चिमी तटके लोगोंमें—अर्थात् सैसुर, सुपारा, थाना आदि प्रान्तोंमें—‘लारीय’ भाषा प्रचलित है । पश्चिमी तटके समुद्र-का ही नाम ‘लारीय’ है ।”—(ईलियट भा० १) इस वर्णनमें उस समयकी प्रचलित—विशेषतया थाना, सोपारा और पश्चिम घाटमें प्रचलित—मराठी और गुजराती भाषाओंका उल्लेख नहीं है । दक्षिण गुजरात (लाड अथवा लाट प्रान्त) में किसी समय ‘लाडी’ भाषा प्रचलित थी जो वर्तमान गुजराती भाषाके रूपमें परिणत या परिवर्तित हो गयी है । पर ‘कीरिया’ भाषाका अर्थ महाराष्ट्र (मराठी) भाषा ही किया जाना चाहिये; क्योंकि इस भाषाके सम्बन्धमें केवल ‘कीर देश-की भाषा’ इतना ही लिखा है । भारतीय भाषाओंके नामोंके अरबी उच्चारण विचित्र होते हैं । बहुतसे ऐसे शब्द हैं, जो भारतकी ही किसी भाषाके अपभ्रंश होनेपर भी उनका मूल खोजना कठिन हो जाता है । बल्लभरायका अपभ्रंश बल्लहारा और मान्यखेटका मानकिर है । ‘मानकिर’ के ही उत्तरार्द्ध ‘किर’ से अरबोंने भाषाका नाम कीरिया रखा होगा । ‘कीरिया’ में

‘न’ कार न होनेसे कानड़ी भाषासे उसका सम्बन्ध नहीं दिखता। फिर मान्यखेटमें कानड़ीका प्रचार पहिले नहीं था, पीछे हुआ है। ‘कीरिया’ भाषा मराठी ही है; परन्तु उसका रूप निश्चित नहीं हुआ था, वह प्रारंभिक अवस्थामें थी। यही नहीं, उसका नामकरण भी नहीं हुआ था। वर्तमान कालकी तरह वह नियमबद्ध और एकरूप नहीं थी। प्रान्तभेदानुसार उसके उच्चारण और वाक्यरचनामें बहुत विषमता थी। उस समय विभिन्न प्रान्तोंमें आजकलकी तरह यातायातके सुलभ साधन न होनेसे उसमें एकरूपता नहीं देख पड़ती थी। इसीसे अरबी प्रवासियोंको उत्तर कोंकण (थाना आदि) से पश्चिमघाट (मान्यखेट) की भाषा भिन्न जान पड़ी। अब मराठी भाषा व्याकरणसे नियमबद्ध हो गयी है और लोगोंका आना-जाना भी बढ़ गया है। इस कारण पश्चिमीघाट, खानदेश, कोंकण, बड़ोदा, वरार और नागपुरके शिक्षित-समुदायकी भाषा एकरूप हो गयी है। फिर भी निम्न श्रेणीके लोगोंकी भाषा प्रान्त-भेदानुसार शिक्षितोंकी भाषासे भिन्न ही है। कल्याण, भिव-ण्डीके मुसलमान मराठी भाषा बोलते हैं, परन्तु वह शिक्षितों और अशिक्षित ग्रामोणोंकी भाषासे भिन्न है। उत्तर कोंकण और दक्षिण कोंकणके मुसलमानोंकी भाषा और बोलनेकी रीतिमें भी बड़ा अन्तर है। गोवाकी मराठी भाषा अपने ढङ्गकी निराली हो है। मराठी भाषाके विभिन्न रूपोंका सूक्ष्म परीक्षण करने पर प्राचीन महाराष्ट्री प्राकृतसे वर्तमान मराठी भाषा संस्कृतकी सहायता पाकर कैसे बनी, इसका निश्चय शास्त्रीय ढंगसे किया जा सकता है।

संस्कृतकी तरह सभी प्राकृत भाषाएँ किसी समय व्यवहारमें थीं। संस्कृत नाट्यशास्त्रका एक नियम यह है कि नाट-

कमें स्त्रियाँ, सेवक आदि प्राकृतमें ही बोलें। नाटकके पद्य, प्रगल्भ विचार आदि महाराष्ट्रीमें हों और स्त्रियाँ शौरसेनीमें बातचीत करें। सेवकोंकी भाषा मागधी और चोर-लुटेरोंकी पैशाची रहे। इससे जान पड़ता है कि उस समय जिस प्रकार विभिन्न प्रान्तोंकी भाषामें भिन्नता थी, उसी प्रकार धन्धोंमें भी पार्थक्य था। आजकलकी तरह प्राचीन समयमें भी महाराष्ट्रमें विठानोंकी बहुलता थी और नौकर-चाकर पुरविये हुआ करते थे। चोर-लुटेरे तथा सैनिक सीमाप्रान्तकी ओरसे आते थे। इन सबकी भाषाओंमें भिन्नता होनेके कारण नाटकोंमें पात्रानुसार उन उन प्रान्तोंकी भाषाओंके उपयोगका नियम बनाना पड़ा। प्राकृत भाषाओंका ईसाकी आठवीं या नववीं शताब्दीमें लोप हो गया और उनके स्थानमें मराठी आदि भाषाएँ प्रचलित हुईं। संस्कृतकी तरह प्राकृत भाषाएँ भी व्यवहारसे उठ गयीं और उन्हें कृत्रिम तथा अस्वाभाविक रूप प्राप्त हो गया। सुप्रसिद्ध कवि राजशेखरने मराठीमें एक नाटक लिखा है, उसका अभिनय भी उस समय कन्नौजमें हुआ था। परन्तु हमारी समझमें शिक्षित लोग ही उसे समझ सके होंगे। क्योंकि राजशेखरका महाराष्ट्रीमें लिखा हुआ वह नाटक वर्तमान मराठी भाषाभिन्न समझ नहीं सकते। राजशेखरकी महाराष्ट्री और वर्तमान मराठीमें कितना अन्तर है, यह उक्त ग्रंथके अवलोकनसे स्पष्ट हो जायगा।

उक्त नाटककी महाराष्ट्री भाषाका प्रत्येक शब्द संस्कृतका ही सौम्य रूप है। परन्तु वर्तमान मराठीमें संस्कृतसे बने अर्थात् तद्भव शब्द उतने नहीं, जितने महाराष्ट्रीमें हैं। वर्तमान मराठीमें ठीक संस्कृत जैसे शब्द हैं, किन्तु उनके रूप संस्कृतसे भिन्न नियमोंके अनुसार बनते हैं। वर्तमान समयकी प्रचलित

भाषाएँ संस्कृतसे ही बनी हैं। उनमें संस्कृतके शब्द उ्योंके त्यों ले लिये गये हैं; केवल उनकी विभक्तियाँ और क्रियाएँ संस्कृतसे भिन्न नियमोंके अनुसार बना ली गयी हैं। आर्य भाषाओंकी तरह अनार्य भाषाओंपर भी उस समय (सन् ८००-१०००) संस्कृतका बहुत प्रभाव पड़ा। उन भाषाओंमें भी संस्कृतके बहुतसे शब्द आगये। केवल नामोंकी विभक्तियाँ आदि संस्कृतके अनुसार न रहकर भाषाप्रचारके अनुसार बन गयीं। कानड़ी भाषाका भी उस समय इसी प्रकार उदय हुआ था। वर्तमान समयमें कानड़ी भाषा जिस प्रान्तमें प्रचलित है और पहिले थी, वह प्रान्त महाराष्ट्रके ही अन्तर्गत है। उसे अबतक दक्षिण महाराष्ट्र कहते भी हैं। परन्तु वहाँ कर्नाटकी भाषाका प्रचार क्यों और कैसे हुआ, इसका पता नहीं चलता। इस ग्रन्थकी पहिली पुस्तकमें लिखा गया है कि ईसाकी आठवीं शताब्दी (वि० ७५८-८५७) के पूर्व उक्त प्रान्तमें महाराष्ट्री ही प्रचलित थी। ईसाकी चौथी शताब्दी (वि० ३५८-४५७) के उपलब्ध लेखोंसे स्पष्ट लिख होता है कि उस समय वहाँ महाराष्ट्री भाषा उत्तान रूपसे प्रचलित थी; परन्तु ईसाकी आठवीं शताब्दीके अन्तिम भागमें कर्नाटकी भाषाका असाधारण प्रचार हो गया। सुवराज गोविन्द (द्वितीय) के अलास ताम्रपटमें लिखा है कि दन्तिदुर्गने छोटीसी सेनाकी सहायतासे कांची, केरल, चोल, पांड्य, श्रीहर्ष, वज्रट आदिको पराजित करनेवाले कर्नाटकके राजाको हरा दिया (एपि० इंडिका-भाग ६, पृष्ठ २६०)। इसीका अनुवाद गोविन्दराजके ई० स० ७६४ (वि० ८५१) में लिखे पैठनके लेखमें किया गया है। कृष्णराजके दानपत्र (ई० स० ७७२ = वि० ८२६) में भी इसका उल्लेख है। इन प्रमाणोंसे प्रतीत होता है कि ईसा-

की आठवीं शताब्दीके उत्तरार्धमें बड़ामीके चालुक्योंका राज्य कर्नाटकके अन्तर्गत माना जाता था और उत्तरके राष्ट्र-कूट मराठा या रट्ट कहलाते थे । परन्तु ईसाकी आठवीं शताब्दीके पूर्व बड़ामीके चालुक्योंकी गणना मङ्गापाट्टमें ही होती थी । क्योंकि हुएनसंगने अपने ई० ख० ६४० (वि० ६६७) के प्रवास-वृत्तान्तमें लिख रखा है कि बड़ामीका पुलकेशी महाराष्ट्रका राजा था । उस समय महाराष्ट्रकी सीमा नर्मदासे तुङ्गभद्रातक थी । परन्तु इससे डेढ़ सौ वर्ष पश्चात् कानडी भाषाके अधिक प्रचारसे बड़ामी राज्यकी गणना कर्नाटक प्रान्तमें होने लगी । ईसाकी आठवीं शताब्दीमें कानडी भाषाका उत्तरकी गौड़ीय भाषाओंकी तरह उदय होकर कृष्णानदीतक उसका प्रसार भी हुआ ।

तेलगू भाषाका भी इसी समय उदय हुआ । पूर्वकी ओर बेंगीमें बड़ामीके चालुक्योंकी एक शाखाका राज्य था । इस शाखाके लोगोंको आन्ध्र या तेलगू कहते हैं । आन्ध्र अथवा तेलगू आर्य चालुक्य ही हैं । उन्होंने इसी समय (ईसाकी आठवीं शताब्दीमें) तेलगू भाषाका अङ्गीकार किया । आन्ध्र-लोग बड़ामीके चालुक्योंका सार्वभौमत्व मानते थे, पर आगे चलकर कर्नाटक (बड़ामी) के चालुक्योंका राष्ट्रकूटाने पराभव किया; तबसे महाराष्ट्रके सावर्भौम राष्ट्रकूट बने । प्रथम तेलगू चालुक्योंने राष्ट्रकूटोंको नहीं माना; पर पीछे उनकी शक्तिसे पराभूत होकर मानना पड़ा । अलास ताम्रपटमें राष्ट्रकूटोंके चालुक्योंसे हुए युद्धका वर्णन है । इसके बादके दानपत्रोंमें चालुक्योंकी यह उपशाखा 'कलिङ्ग अथवा तेलगू' कही गयी है । इसका अर्थ यह है कि पूर्व चालुक्योंके प्रान्त-भेदानुसार भाषा और आचारमें परिवर्तन हो गया । तत्प्रा-

न्तीय लोगोंसे उन्होंने रोटी-वेटीका सम्बन्ध करना आरम्भ किया। उनकी मूल भाषा भी बदल गयी। वे अपने लेखोंमें अपनेको 'चालुक्य' ही लिखते थे; किन्तु अन्य प्रान्तके लोग उन्हें 'कलिंग' ही कहते थे।

इसी समय मराठी आदि भाषाओंकी तरह मागधी भाषा-से बङ्गालीकी सृष्टि हुई। पश्चिमी और पूर्वी हिन्दी भाषाका अभ्यास करने पर भी यही साम्य देख पड़ेगा। परन्तु भाषाशास्त्रका विषय होनेके कारण इसका यहाँ विस्तार न कर केवल दिग्दर्शन किया गया है। सारांश, भारतकी प्रचलित देशी भाषाओंका उद्भव ई० स० ८०० से १००० (वि० ८५७-१०५७) के बीचमें ही हुआ। इसकी पुष्टिके लिए डाकूर ग्रियर्सनके लिग्विस्टिक सर्वे ऑव इंडिया * नामक ग्रन्थसे कुछ अवतरण परिशिष्टमें उद्धृत किये गये हैं।

चौदहवाँ प्रकरण ।

धार्मिक परिस्थिति ।

ईसवी सन् ८०० से १००० तक (वि० ८५७-१०५७) के दो शतकोंमें हिन्दुस्थानके विभिन्न प्रान्तोंके लोगोंकी कैसी धर्म-भावनाएँ थीं, उनके कैसे आचार थे, इत्यादि बातोंका थोड़ा विचार करना आवश्यक है। प्रथम तत्कालीन अरब लेखकोंने इस सम्बन्धमें क्या लिखा है, यह देख लेना चाहिये। ईसाकी ग्यारहवीं शताब्दीके अल इटरिसी नामक

प्रवासीने लिखा है—“भारतमें भिन्न भिन्न ४२ पन्थ प्रचलित हैं । कुछ लोग ईश्वरका अस्तित्व मानते हैं, किन्तु पैगम्बरको नहीं मानते और कोई नास्तिक ही हैं । कुछ लोगोंका पत्थरकी बड़ी हुई मूर्तियोंके सम्बन्धमें यह विश्वास है कि वे ही उन्हें संसारसे तार देंगी और कुछ लोग स्वयंभू पत्थरकी मूर्त आदिसे पूजा-अर्चा करते हैं । कुछ लोगोंकी श्रद्धा अग्निपर है और अन्तमें वे अपनी देह अग्निको अर्पण करते हैं । कुछ लोगोंकी भक्ति सूर्यपर है और वे उसीको ईश्वर तथा जगन्नि-यन्ता मानते हैं । कुछ लोग वृक्षादिको पूजते हैं और कुछ लोग नागोंकी सेवा करते हैं । बड़े बड़े नागोंको पकड़ कर विस्तीर्ण शालाओंमें रखते और उन्हें बाहरसे दूध आदि देते हैं ! कुछ लोग तो ऐसे हैं, जो इन सब बातोंको झूठ मानते हैं; उनका किसीपर विश्वास नहीं होता ।” दूसरा एक प्रवासी भी लिखता है—“हिन्दुस्थानमें सब मिलाकर ४२ धर्म प्रचलित हैं ।’ सुसलमान एकेश्वरवादी और मूर्तिपूजाके विरोधी हैं । उन्हें हिन्दुस्थानकी उपासना-प्रणाली विपरीत देख पड़ी, इसमें कोई आश्चर्यकी बात नहीं है । उनके ध्यानमें इस बातका आना भी असम्भव था कि एक ही महान् धर्मकी ये विभिन्न उपासना-प्रणालियाँ हैं । हिन्दू धर्म बहुशाखायक महान् वृक्ष है । इस वृक्षका जीवनरस वेदमय है । सब शाखाओंका पोषण इस एक ही जीवन-रससे होता है । परन्तु अधि-कारिभेदानुसार उपासना-प्रणालियोंमें भिन्नता होनेके कारण लुदे लुदे पन्थ देख पड़ते हैं । इस धर्ममें अनेक पन्थ और परमार्थसाधनके मार्ग हैं, किन्तु सबका लक्ष्य एक ही होनेके कारण पन्थोंमें परस्पर वैर-विरोध, कलह या आग्रह-बुद्धि उस समय देख नहीं पड़ती थी । अस्तु, वास्तवमें भारतके

विभिन्न पन्थोंको इन्हीं दो शताब्दियोंमें एकरूपता प्राप्त हुई । इससे पहिले पन्थोंमें परस्पर तीव्र मतभेद था । उस समय सब पन्थोंका एकीकरण होकर शिव, विष्णु, सूर्य, देवी और गणेश, इन पाँच देवताओंकी पृथक् पृथक् उपासनाएँ प्रचलित हुई । लोग वृक्षादिकी भी पूजा करते थे । परन्तु उपास्य देवता पृथक् होनेपर भी सबका धर्म एक ही था । सब उपासकोंका वेदोंपर अटल विश्वास था और सबकी धारणा थी कि विविध उपास्य देव वेदसम्मत हैं । सारांश, उस समय समग्र हिन्दुस्थानमें एक ही धर्म प्रचलित था । मगधके अतिरिक्त अन्य प्रान्तोंसे बौद्ध धर्म उठ ही गया था और जैन धर्मका विशेष प्रसार नहीं हुआ था । अतः यदि यह कहा जाय कि हिन्दुस्थानमें इस समय हिन्दू धर्मके अतिरिक्त कोई दूसरा धर्म ही नहीं था तो इसमें कुछ भी अतिशयोक्ति न होगी । इस धर्ममें सब उपासनाओंका महत्व समान होनेसे लोग अग्निहोत्रकी तरह वृक्ष-पाषाणोंकी भी पूजा करते थे और शिव, विष्णु, सूर्य, देवी तथा गणेशकी उपासनाएँ तो सर्वमान्य हो ही चुकी थीं ।

उक्त पञ्चायतनमेंसे किसी एक देवताका महत्व पुराणोंमें वर्णित रहता है । मूल पुराणोंमें उन देवताओंका वर्णन किया गया है या नहीं, इसमें सन्देह है । इस समय पुस्तकोंके जिस प्रकार परिमार्जित और संवर्धित संस्करण निकलते हैं, उस प्रकार उस समय पुराणोंके भी नये नये संस्करण निकला करते थे । आज कलके उपलब्ध पुराण उस समयके परिमार्जित और संवर्धित संस्करण हैं । पुराणोंकी तथा उनके श्लोकोंकी संख्यावृद्धि उसी समय हुई, क्योंकि पञ्चायतनके देवताओंका महत्व उसी समय बढ़ा था । पञ्चायतनके देवताओंमेंसे

राजकुलोंमें शिवजीका विशेष महत्व था । तो भी पिता-पुत्रके उपास्य भिन्न हो सकते थे । प्रतिहार घरानेकी वंशावलीमें विभिन्न राजपुरुषोंके विभिन्न उपास्यदेव होनेका उल्लेख पहले किया जा चुका है । पिता परम वैष्णव है, तो पुत्र परम माहेश्वर । पौत्र परम भगवतीभक्त है, तो प्रपौत्र परम आदित्यभक्त । यह सब होते हुए भी उपासकोंमें कभी परस्पर वैर-विरोध नहीं रहता था ।

उस समयके राजा, रानियाँ, मन्त्री, सेठ, साहूकार आदि सभी अपने अपने उपास्य देवोंके मन्दिर बनानेमें अपनेको कृतकृत्य मानते थे । देवस्थानोंकी सेवापूजामें जो व्यय किया जाता था, उसकी गणना ही नहीं की जा सकती । इससे सारा देश भव्य और विशाल देवालयोंसे मण्डित हो रहा था । पूजामें मिला हुआ द्रव्य भी इन देवालयोंमें काफी इकट्ठा हो गया, इससे इनपर विदेशियोंकी लोभदृष्टि पड़ने लगी । कहा जाता है कि यद्यपि मुलतान मुसलमानोंके अधिकारमें था, तथापि उन्होंने वहाँके सूर्य मन्दिरको किसी प्रकारकी क्षति नहीं पहुँचायी; क्योंकि उस मन्दिरकी वार्षिक यात्रामें समस्त भारतवर्षसे लाखों यात्री आते थे और उनकी भेंटसे मन्दिरमें अद्भुत सम्पत्ति एकत्र होती थी । मुलतानका सूर्यमन्दिर बड़ा प्रसिद्ध था । प्रतापशाली प्रतिहार अनायास मुलतानपर अधिकार कर लेते; क्योंकि वह कन्नौजके बहुत ही निकट है । परन्तु हिन्दुओंकी कट्टर धर्मभावनाओंके कारण प्रतिहार उसपर अधिकार न कर सके । जब जब कन्नौजके राजा मुलतानपर चढ़ाई करते, तब तब वहाँके मुसलमान सूर्यमन्दिरको गिरा देनेकी धमकियाँ देते थे । इसका परिणाम यह होता था कि हिन्दूसेना बिना लड़े ही

लौट जाती थी। इससे उस समयके हिन्दुओंकी अन्ध धर्म-श्रद्धाका अच्छा परिचय मिलता है।

अस्तु, इस प्रकार भिन्न भिन्न देवताओंके अनेकानेक मन्दिर देशभरमें बन गये। मूर्ति-पूजाकी पद्धति बनानेमें आर्यों-अनार्योंने परस्पर सहायता की। साधारणतया शिव, विष्णु, और आदित्य आर्योंके तथा शक्ति और गणेश अनार्योंके उपास्य देवता थे। पञ्चायतनके अतिरिक्त टेढ़े मेढ़े पत्थरों, वृक्षों, और नागोंकी भी पूजा की जाती थी। भारत-वर्षकी दार्शनिक उन्नति देखते हुए यहाँके लोगोंकी मूर्ति-पूजापर श्रद्धा, किंवदुना अन्धश्रद्धा, कैसे जमी, इसपर आश्चर्य होता है। मूर्तियोंके द्वारा चित्त ईश्वरमें निश्चल रूपसे लगाया जा सकता है, इसमें सन्देह नहीं और इसी विचारसे चिन्तनमें सहायता पानेके लिए मूर्तियोंका उपयोग भी है; परन्तु इससे यही सिद्धान्त निकलता है कि मूर्तियाँ साधन मात्र हैं; मुख्य उपास्य नहीं और न उनमें किसी-का भला बुरा करनेकी अपनी निजकी शक्ति ही है। मूर्तियों द्वारा भक्ति-भाव दृढ़ किया जा सकता है। अलौकिक इच्छा शक्ति अथवा चमत्कार दिखानेकी सामर्थ्य मानवी श्रद्धा अथवा नपमें हुआ करती है मूर्तियोंमें कोई जादू नहीं भरा है। यह सब जानते हुए भी मूर्तियोंपर उस समयके लोगोंकी अपार श्रद्धा थी, जिससे कभी कभी राष्ट्रको हार भी खानी पड़ती थी। किसी मूर्तिमें मन्त्रोंद्वारा प्राणप्रतिष्ठा करनेपर ही उसे देवत्व प्राप्त होता है। बाजारसे गणेश आदिकी जो मूर्तियाँ हम खरीद लाते हैं, उनमें देवत्व नहीं होता। विधिपूर्वक किसी मूर्तिकी स्थापना होनेपर उसमें देवताकी भावना की जाती है। काम हो जाने या ज़रूरत पड़नेपर मूर्तिमें देवताके

आवाहनकी तरह हम उसका विसर्जन भी कर देते और मूर्तिको जलाशयमें पथरा आते हैं। सारांश, उपासनामें मूर्तिका नहीं, आवाहन-विसर्जनादि विधियोंका महत्व है। मुलतानके सूर्यदेवका विधिपूर्वक विसर्जन किया जा सकता था। फिर उस मूर्तिका साधारण पाषाण या काष्ठसे अधिक महत्व नहीं रह जाता। उसे मुसलमान तोड़ भी डालते, तो कुछ नहीं बिगड़ता था। मुलतानपर विजय पाने पर फिर नयी मूर्तिकी प्रतिष्ठा कर ली जाती। परन्तु अन्ध श्रद्धाके कारण शक्तिशाली हिन्दू मुलतानपर अधिकार न कर सके। हम वर्तमान नवयुगमें बढ़ रहे हैं। हमें उस समयके हिन्दुओंकी अन्धश्रद्धापर दया आना स्वाभाविक है। मूर्तिपूजा सम्बन्धी भ्रान्त श्रद्धाके कारण हिन्दुस्थानका कैसा ह्रास हो चला, इसका इतिहास अगले भागमें दिया जायगा। अतः यहाँ अधिक लिखनेकी आवश्यकता नहीं।

उस समय भारतमें छोटे बड़े असंख्य मन्दिर बन गये। स्कन्दपुराणके नागर खण्ड (अध्याय १०७) में भारतके दस शिवलिंगोंका वर्णन है। उनमें नेपाल, कालिंजर, प्रभास और उज्जैनके शिवलिंगोंका भी समावेश हुआ है। मुलतानके सूर्य-मन्दिरके अतिरिक्त विष्णुके भी बहुतसे देवालय थे। कांगड़ाकी ज्वालामुखी देवी और मिर्जापुरकी विन्ध्यवासिनीका भी वर्णन देख पड़ता है। सब देवताओंमें काशीके विश्वनाथका मन्दिर श्रेष्ठ माना गया है। (काशीके प्रधान मन्दिरके देवताका नाम विश्वनाथ है, परन्तु स्कन्दपुराणमें 'महादेव' ही लिखा है।)

विभिन्न देवताओंके मन्दिरोंकी स्थापना होनेपर उन देवताओंकी पूजा-अर्चाकी नयी नयी पद्धतियाँ भी बनीं। भिन्न

भिन्न देवताओंके आवाहन-अर्चन आदिकी प्रणालियाँ भी भिन्न भिन्न हों, ऐसी मनुष्यकी प्रवृत्ति होती हो है और देवताओंके अधिकार भिन्न भिन्न मान लेनेपर उनकी आराधनाके फलोंका भी विभिन्न होना स्वाभाविक है। ऐसे विस्तृत ग्रन्थ भी जिनमें उपासनाप्रणालीका सांगोपांग वर्णन किया गया है, उस समय रचे जाने लगे थे। उन ग्रन्थोंको 'आगम' कहते थे और हर-एक देवताके उपासक उन्हें प्रमाण मानते थे। कभी कभी तो वेदोंसे भी उन ग्रन्थोंका प्रामाण्य अधिक महत्वका माना जाता था। आगम ग्रन्थोंसे ही आगे चल कर ग्रन्थोंमें परस्पर दुराग्रह और दुरभिमान बढ़ने लगा। सर्वत्र आगमोंका अध्ययन आरम्भ हुआ और जो आगमोंके विशेषज्ञ होते, उनका समाज-में आदर होने लगा। ऐसे विशेषज्ञोंमें ब्राह्मणोंकी अपेक्षा शूद्र अधिक थे। आगमोंका प्रचार आरम्भ होनेपर तपस्याका भी महत्त्व बढ़ा। आगमानुसार आर्य और अनार्य दोनों तपस्या कर सकते थे। प्राचीन कालमें तपस्या और संन्यासका अधिकार केवल आर्योंको ही था; किन्तु बौद्ध और जैन धर्मके प्रसारके पश्चात् अनार्य भी तपस्या करने लगे। बौद्ध धर्मका हास होनेके बाद भी तपस्याका प्रसार सर्वत्र हो रहा था। अन्तर इतना ही था कि अनार्य वेदानुमत संन्यास ग्रहण नहीं कर सकते थे; न तपस्या ही कर सकते थे; किन्तु विभिन्न देवताओंके आगमोंके अनुसार तपस्या करनेमें वे स्वतन्त्र थे। अनार्योंमें शिवोपासकोंकी संख्या अधिक थी। वे लोग मठोंमें रह कर कठोर तपस्या करते थे। शिवागममें अत्यन्त विकट व्रत कहे गये हैं। अनार्य लोग, शरीर सबल होनेके कारण, उनका आचरण अनायास करते थे। आर्य ब्राह्मणोंके लिए उन व्रतोंका पालन करना कष्टकर ही था। अस्तु, सारे देशमें

तपस्या करनेवाले यती दिखाई देने लगे । वे नगरों, कसबों तथा जंगलोंमें भी देख पड़ते थे । सुलेमानने मुलतानके बाजारके एक तपस्वीका वर्णन लिख रखा है । वह दिन भर सूर्यकी ओर दृष्टि कर खड़ा रहता था और सोलह वर्षसे उसका यह व्रत अखण्ड रूपसे निभ रहा था । उसे कभी सूर्यके उच्चापकी पीड़ा नहीं हुई । जंगलोंमें बसे हुए तपस्वियोंका वर्णन सुलेमान ने इस प्रकार किया है—“जंगलोंके तपस्वी अपना सारा समय गिरिकन्दराओंमें बिताते हैं । उन्हें एकान्तवास प्रिय होता है और सर्वसाधारणसे वे सम्बन्ध रखना पसन्द नहीं करते । वे प्रायः कन्दमूल खाते हैं और कोई कोई तो नग्न अवस्थामें रहते हैं ।” (इलियट भाग १)

इन तपस्वियोंमें भी विभिन्न आगमोंके अनुसार साम्प्रदायिक भेद हुआ करते थे । आगम ग्रन्थ—विशेषतया पाँच राज आगम—महाभारतके समयमें भी प्रचलित थे । पर उसका महत्व इसी समयमें (ई० सन् ८००-१०००) बढ़ा । पाँचराज आगमके पश्चात् वैष्णवागम ग्रंथोंका निर्माण हुआ । उस समय पंचायतन देवताओंके आगमोंका विशेष प्रचार था । शिवागमकी तरह सौरागम और गणेशागमकी तरह देवी आगमके भी ग्रन्थ बने । इन आगमोंका सूक्ष्म निरीक्षण करनेपर तत्कालीन धार्मिक मतोंका ज्ञान हो सकता है । परन्तु यह काम बहुत परिश्रमका है और इसका वर्णन करने के लिए एक स्वतन्त्र ग्रन्थ ही चाहिये ।

आजकल अग्निहोत्री बहुत ही थोड़े देख पड़ते हैं, परन्तु उस समय नगरों और ग्रामोंमें वे अच्छी संख्यामें थे । अग्नि-की उपासना ब्राह्मणोंकी तरह क्षत्रियोंमें भी प्रचलित थी । सुलेमानने भी अग्निहोत्रादिका वर्णन किया है, किन्तु उस

समय शिव, विष्णु आदिके अर्चनका प्रसार विशेष रूपसे हो रहा था, इस कारण अग्निहोत्रादि वैदिक कर्म पिछड़ रहे थे। उनके पिछड़नेका और भी एक कारण है। शालग्राम आदिकी पूजाकी विधि जितनी सुलभ है, उतनी अग्निहोत्र की नहीं है। अग्निहोत्र कष्टकर है और अग्निहोत्रोंके लिए नियम भी कड़े बनाये गये हैं। इस कारण अग्निहोत्रियोंकी संख्या घटती गयी। इसके अनन्तरके स्मृति आदि ग्रन्थोंमें तो अग्निहोत्र कलिबर्ज्य ही माना गया है।

कभी कभी यज्ञादि कर्म होते थे और उनके प्रति लोगोंका आदर भी था; किन्तु साक्षात् पशुके बदले पीड़ीके पशुके यज्ञकी रीति चल गयी थी। राजन्यगण किसी महत्वके अवसरपर याग कराते और ब्राह्मणोंको विपुल सम्पत्ति प्रदान करते थे। दानपत्रादिसे ज्ञात होता है कि बड़े बड़े राजा पर्य-स्नान, शिवाराधन, यज्ञ आदिके अवसरपर ब्राह्मणोंको ग्राम आदि दानमें देते थे। कभी कभी जैन मन्दिरोंको भी धन दिया जाता था, परन्तु उस समय भी वैदिक विधियोंकी ही प्रधानता रहती थी। आश्चर्य इस बातका है कि वैदिक विधियोंको जैन भी मानते थे। इससे प्रतीत होता है कि तब वेदोंमें सभीकी परम श्रद्धा थी, चाहे किसीके नित्यके आचार वैदिक धर्मसे कितने ही भिन्न क्यों न हों। आगम ग्रन्थोंके विशेष प्रचारसे मूर्तिपूजाका भी अत्यन्त प्रचार हुआ और घर घर शालग्राम तथा बाण (शिवलिङ्ग) पूजे जाने लगे। सन्ध्या गायत्रीकी विधि सर्वत्र प्रचलित थी; आजकलकी तरह उसका लोप नहीं हुआ था। यज्ञोपवीत, विवाह, पितृतर्पण, श्राद्ध आदि भी वेदोक्त रीतिसे ही हुआ करते थे। केवल श्राद्ध-प्रसंगमें मांस वर्ज्य माना जाने लगा था। ब्राह्मणोंके लिए तो

सभी प्रसंगोंमें मांस भक्षण निषिद्ध था । आर्य प्रसंगमें क्षत्रियोंके लिए मांसका निषेध नहीं था ।

अरब लेखकोंको हिन्दुओंकी पुनर्जन्मादिकी दृढ़ भावनाओंसे बड़ा आश्चर्य होता था । पुनर्जन्म तथा कर्म फल-भोगकी कल्पना किसी देशमें प्रचलित नहीं है । यह कहा जा सकता है कि भारतके तत्वज्ञानकी यह एक बड़ी विशेषता है । पुनर्जन्मकी कल्पना आर्य साहित्यमें अति प्राचीन कालसे पायी जाती है । वेदोंमें भी इस कल्पनाका परिपोष हुआ है । मरणके पश्चात् जीव अपने कर्मके अनुसार भिन्न भिन्न योनियोंमें जन्म ग्रहण कर कर्मफलका भोग करता है । वर्तमान जन्म पूर्व जन्मका ही परिणाम (विपाक) है और इस जन्ममें हम जैसे कर्म करेंगे, उन्हींके अनुसार मनुष्य, पशु, कीट, वृक्ष या ऐसी ही किसी अन्य योनिमें हमारा जन्म होगा । पूर्व जन्मकी कल्पनाका यही रूप है और यह कल्पना सब हिन्दु तत्वज्ञानियोंको मान्य है; चाहे वह द्वैती हो या अद्वैती । बौद्ध और जैन धर्ममें भी यह कल्पना देख पड़ती है । चार्वाक पंथी लोगोंके अतिरिक्त सब हिन्दु तत्वज्ञानियोंने इस कल्पनाके आधारपर उदात्त नीति तत्वोंका समाजमें प्रचार किया और समस्त समाजका नैतिक लक्ष्य अति उच्च बनाया । अपने दुराचारके फल आज नहीं कल, कल नहीं तो अगले जन्ममें अवश्य भोगने पड़ेंगे, इस दृढ़ भावनासे सभी लोग अपना नैतिक आचरण विशुद्ध रखनेका प्रयत्न किया करते थे । यह कहनेमें अत्युक्ति न होगी कि इसी विश्वासके कारण हिन्दुओंकी नीतिमत्ता संसारके सब लोगोंसे श्रेष्ठ थी । पहिले कहा जा चुका है कि हिन्दुओंकी सच्चाई और न्यायप्रियताके सम्बन्धमें अरबी व्यापारियोंकी बड़ी श्रद्धा थी ।

मद्यपानका प्रचार हिन्दू समाजमें प्राचीन कालसे ही बहुत थोड़ा था । उस समयका पेंसा कोई प्रमाण नहीं मिलता, जिससे ब्राह्मणोंका मद्यपान सिद्ध किया जा सके । अति प्राचीन कालसे मद्यपानको ब्राह्मणगण महापातक समझते आये हैं और शास्त्रोंमें भी ऐसी ही आज्ञा है । (नित्यं सुरा ब्राह्मणानाम्) ब्राह्मण यदि सुरापान करे, तो उसके लिए बड़ा कड़ा प्रायश्चित्त बताया गया है । वेदोंकी आज्ञा है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तीनों सुरापान न करें (तस्माद् ब्राह्मणराजन्यौ वैश्यश्च न सुरां पिबेत्) । उस समय ब्राह्मणों की तरह सभी जातियाँ मद्यपान नहीं करती थीं, यह नहीं कहा जा सकता । क्षत्रियोंमें मद्यपानकी थोड़ी बहुत प्रथा थी । परन्तु वे बहुत ही मित पान किया करते थे । क्षत्रियोंमें भी राजन्यगण तो प्रायः मद्य नहीं पीते थे । अमित सम्पत्ति और पूर्ण सत्ता होते हुए भी विषयाधीन न होना एक प्रकारकी तपस्या है । भारतके राजा इस तपस्यामें परायण थे, यह भारतीय इतिहासके लिए गौरवकी बात है । अरबी लेखकों ने लिखा है कि मेवाड़के गुहिलोंत घरानेमें सुरापान निषिद्ध माना गया है । वैश्योंमें भी मद्यपानकी प्रथा संभवतः अति अल्प मात्रामें थी । शूद्रोंमें कुछ प्रचार अवश्य था, क्योंकि शिलालेखोंमें लिखा है कि, राज्यकी आय बढ़ानेमें मद्यकी आय विशेष सहायक है । परन्तु द्विजोंके आचार्योंका शूद्रोंपर भी परिणाम होता था और वे मद्यको त्यागते जाते थे ।

मद्यपानकी अपेक्षा मांस-भक्षणका प्रचार अधिक था । वैश्यों और शूद्रोंमें बौद्ध धर्मका अधिक प्रचार होनेके कारण उन्होंने मांस खाना छोड़ दिया था । बहुतसे ब्राह्मणों और

क्षत्रियोंने भी अहिंसा सिद्धान्तके अनुसार मांस त्याग दिया था; परन्तु ऐसोंकी संख्या थोड़ी थी। वेदोंने मांस-भक्षण निषिद्ध नहीं माना है किन्तु कुछ प्राणियोंके मांसभक्षणका निषेध किया है। उस समय बौद्ध धर्म द्वारा नष्ट की गयी वेदोंके प्रति भ्रष्टा फिर जाग्रत हुई और बौद्धजैनों द्वारा निन्दित श्राद्धादि कर्मोंका फिर प्रचार हुआ। श्राद्ध प्रसङ्गमें मांसान्न पकानेकी स्मृतिकी आज्ञा होनेके कारण उस प्रसङ्गमें रितु-तर्पणके लिए फिर मांस पकाया जाने लगा। स्मृतियोंमें लिखा है कि श्राद्धके लिए पकाये हुए मांसका जो ब्राह्मण स्वीकार नहीं करता, उसे दुर्गति प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त ऐसे भी स्मृतियुक्त हैं कि यज्ञके अतिरिक्त मृगया विधिसे यदि क्षत्रिय पशुवध करे, तो उसका मांस वैश्य भोजन ले सकता है; किन्तु यज्ञके अतिरिक्त ब्राह्मण कदापि हिंसा न करे। सारांश, मद्यपानकी अपेक्षा मांस-भक्षणका प्रचार ब्राह्मण-क्षत्रियोंमें अधिक और वैश्य आदिमें कम था। आगे चलकर कुछ ब्राह्मणोंने मांस खाना छोड़ दिया। तो भी बहुतसे ब्राह्मण मांस खाते ही थे और अब भी खाते हैं। ब्राह्मणोंमें जो अनेक भेद हो गये, उसके अनेक कारणोंमेंसे मांस भक्षणका त्याग और स्वीकार, भी एक कारण है। कुछ ब्राह्मणोंने मांस खाना एक दम छोड़ दिया, इसका कारण जैन धर्मकी वृद्धि है। उस समयसे पहिले ही जैन धर्मका उदय हो चुका था, परन्तु उसका विशेष उत्कर्ष नहीं हुआ था। मध्ययुगमें दक्षिणके वैश्योंमें उसका कुछ कुछ प्रचार हो चला था। वैश्य लोग स्वभावतः हिंसा पसन्द नहीं करते, इससे उनका अहिंसा-प्रधान धर्मको स्वीकार कर लेना स्वाभाविक है। वैश्योंकी तरह दक्षिणके खेतिहरोंमें भी जैन धर्म-

का बीजारोपण हो गया था। कुछ राष्ट्रकूट राजा भी जैन साधुओंके भक्त बन गये थे। आगे चलकर जैनाचार्य संस्कृत भाषामें ही पूर्व मीमांसकोंसे शास्त्रार्थ कर उन्हें हराने लगे। मध्ययुगके अन्तिम भाग (सन् १००० से १२००) में जैन पण्डितोंकी संस्कृत भाषाकी प्रवीणताके सम्बन्धमें विशेष प्रसिद्धि हो चली थी और उस समयका सुविख्यात जैन पण्डित हेमचन्द्र कुमारपालका राजगुरु हो गया था। मध्य-युग (ई० सन् ८००-१०००) में गुजरातमें जैनमतका प्रचार होने के प्रमाण नहीं मिलते। तत्कालीन गुजरातके लेखोंमें शिवजीका महत्व वर्णित है। हमारे मतसे जैनमतका प्रचार पहले दक्षिणमें हुआ और वहांसे ई० सन् ८०० से १२०० (वि० ८५७-१२५७) के बीचके वह गुजराततक फैला।

उस समयकी एक विशेष उल्लेखनीय बात यह है कि तब सर्वत्र शिवकी उपासना प्रचलित थी। उस समय जो राजपूत वंश स्थापित होकर वैभवके शिखरपर आरुढ़ हुए, वे सभी परम शिवोपासक थे। गुहिलोंत, चाहमान और राष्ट्रकूट वंशोंमें शिवोपासना प्रचलित थी। जैन ग्रन्थोंमें यद्यपि लिखा है कि चावड़ा वंशकी प्रवृत्ति जैन धर्मकी ओर थी, तथापि चावड़ोंमें शिवोपासनाका ही प्राबल्य था। परमार, हैहय तथा चन्देल भी शिवभक्त थे। इन्होंने ऐसे भव्य शिवमन्दिर बनवाये हैं, जिनको देखकर आज भी आश्चर्यचकित होजाना पड़ता है। बंगालके पालवंशकी बौद्ध धर्मकी ओर विशेष प्रवृत्ति थी, परन्तु पालराजाओंने शिवमन्दिरोंके लिए भी बहुत धन व्यय किया था। कन्नौजके प्रतिहार केवल शिवभक्त ही नहीं थे बल्कि उनमेंसे कोई परम शैव, तो कोई परम वैष्णव और कोई परम शाक्त था, परन्तु साधारणतया शिवोपासना

सर्वत्र प्रचलित थी, इसमें सन्देह नहीं। स्वभावतः अब यह प्रश्न उठता है कि इसका कारण क्या था? इस सम्बन्धमें यह अनुमान किया जा सकता है कि शिवोपासनामें कठोरता तथा धर्म भावनाकी तीव्रता परिपुष्ट होती होगी और इसीसे शिव-भक्तोंको मुसलमानोंसे लड़ने-झगड़नेकी शक्ति प्राप्त होती होगी।

किस देवताकी उपासनाका क्या फल है, इसका विचार करते बैठना व्यर्थ है। इतना कह देना आवश्यक है कि हिन्दु-स्थानमें शिवोपासनाका महत्व अति प्राचीन कालसे है। पर उस समय शिवोपासनाका स्वरूप भिन्न था। लिङ्ग-पूजा प्राचीन कालसे प्रचलित थी। पहिले वह अनार्य लोगोंमें प्रचलित थी, फिर आर्योंमें प्रचलित हुई होगी। लिङ्गपूजा जैसी उपहासास्पद प्रणाली आर्योंमें कैसे प्रचलित हुई, यह आश्चर्यकी बात है। आर्योंने शिवोपासनाका पहिलेका घृणित रूप बदल कर उसे उदात्त बनाया। उन्होंने शिव और वेद-देवता रुद्रको एक माना। वेदोंमें रुद्र-देवताका बड़ा महत्व है। श्वेताश्वतर उपनिषद्में तो शिवको परब्रह्म ही कहा है। महाभारत कालमें पशुपतिके महत्त्वदर्शक स्वयम्भूत दर्शन प्रचारमें थे। मध्ययुगमें लकुलीशके बनावे आगमकी सर्वत्र प्रचार था। अतः यह नहीं कहा जा सकता कि शंकराचार्यन ही शिवोपासना चलायी। वह अति प्राचीन कालसे प्रचलित है। शंकराचार्यको लकुलीश का मत पसन्द नहीं था और सिद्धान्तकी दृष्टिसे अन्य देव-ताओंकी उपासनाका भी उन्हें विशेष महत्व प्रतीत नहीं होता था। उन्होंने अपने भाष्यमें इन सब मतोंका खण्डन किया है, पर लोकमतानुसार पंचायतन पूजाका स्वीकार भी किया है। इसमें सन्देह नहीं कि उनके पश्चात् लिङ्गपूजाका महत्व विशेष रूपसे बढ़ा; क्योंकि उनके सम्प्रदायमें अबतक शिवो-

पासनाको प्रधानता है। इससे जान पड़ता है कि तत्कालीन लिङ्गपूजापर शंकराचार्यके तत्त्वज्ञानका विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। कुमारिलका कर्म-सम्प्रदाय विखुड़ ही गया था, उसका प्रभाव ही क्या पड़ता? किन्तु इससे कुमारिलके पुरुषार्थकी योग्यतामें कोई न्यूनता नहीं आती। शंकराचार्य और कुमारिल भट्टके तत्त्वज्ञानका यहाँ विस्तृत विवेचन करना आवश्यक था; किन्तु यह विषय इतने महत्व और उत्सर्जनका है कि इसका विचार स्वतन्त्र टिप्पणीमें ही करना उचित है।

टिप्पणी—कुमारिल भट्ट और शंकराचार्य ।

प्रचलित हिन्दू धर्मके आद्य प्रवर्तक और अपनी लोकोत्तर बुद्धिमत्तासे संसारके इतिहास-मगनमें सूर्यके समान दैदीप्यमान इन दो विभूतियोंके चरित्रोंका अवगाहन किये बिना मध्ययुगीन समयका इतिहास पूर्ण नहीं कहा जा सकता। आर्यधर्मपर बौद्धोंने जो प्रचण्ड आक्रमण किया था, उसे इन विभूतियोंने ही विफल किया। कुमारिलने वर्तमान हिन्दूधर्मकी नींव डाली और शंकरने उसपर सुन्दर इमारत खड़ी की। बिखरे हुए समाजको संघटित कर आर्यधर्मका अद्वितीय तत्त्वज्ञानके साथ मेल मिलानेका अत्यन्त बिकट कार्य उक्त दोनों व्यक्तियोंने किया, इसमें किसीकी सन्देह नहीं।

आश्चर्य इस बातका है कि कुमारिल और शंकराचार्यके चरित्रोंके सम्बन्धकी बहुत ही थोड़ी बातें ज्ञात हुई हैं। यहाँतक कि उनके समयका भी अबतक कुछ निश्चय नहीं किया जा सका है। कुछ ऐतिहासिक तत्त्वान्वेषकोंके मतसे दोनोंका जन्म ईसासे एक शताब्दी पूर्व हुआ था किन्तु हुएनसंगके यहाँ आनेके बाद ही वे हुए होंगे, यह सम्भवतः कोई भी अस्वीकार न करेगा। हुएनसंग बौद्ध धर्मका कट्टर अनुयायी और साहसी प्रचारक था। उसके यहाँ आनेसे पहिले यदि शंकराचार्य हुए होते, तो उनका उल्लेख उसने

अपने लेखमें अवश्य ही किया होता । परन्तु उसके लेखमें उनका कहीं उल्लेख नहीं है । इसके अनिरिक्त शंकराचार्यके पश्चात् हृपुनसंगकी बातें कोई न सुनता । अतः यह स्पष्ट है कि हृपुनसंगके पश्चात् ही शंकराचार्यका आविर्भाव हुआ था । शंकराचार्य आदिके समय और चरित्रोंकी रूपरेखा निश्चित करना इस कारण भी कठिन हो गया है कि कुमारिल तथा शंकराचार्यके बहुविध ग्रन्थ उपलब्ध होनेपर भी उनमें उन्होंने अपने सम्बन्धमें कुछ भी नहीं लिखा । वे अपने मतके प्रतिपादन और उनकी सीमांसा करनेमें इतने रंग गये थे कि प्रतिपाद्य विषयके अनिरिक्त उनके लेखोंमें अन्य सामाजिक, नैतिक और राजनीतिक परिस्थितिकी उहाँ गन्ध तक नहीं मिलती । इसीसे उनके समय अथवा उस समयकी परिस्थितिका विवेचन करना कठिन हो गया है । यद्यपि शंकराचार्यने लोकमनमें कल्पनातीत क्रान्ति उत्पन्न कर दी और विद्वानोंमें उनके ग्रन्थोंकी निरन्तर चर्चा होने लगी, फिर भी उनके चरित्र-निर्देशक तत्कालीन शिलालेख आदि आज उपलब्ध नहीं हैं । यह बात प्रसिद्ध है कि शंकराचार्यने समग्र भारतमें यात्रा कर तथा अनेक पण्डितोंसे विवाद कर दिग्विजय प्राप्त की, परन्तु इस बातके लिए उस समयके ग्रन्थों अथवा नाजपठोंका आधार नहीं है । अतः उनके चरित्र और पुरुषार्थका विश्वसनीय परिचय करा देना सभीके लिए कठिन है । फिर भी उनका पुरुषार्थ असामान्य होनेके कारण उनके जुद्ध जुद्ध ग्रन्थोंसे जो कुछ समाला मिला, उसे एकत्र कर और उनके सम्बन्धकी दन्तकथाओंका संशोधन कर दोनों अद्वितीय महापुरुषोंकी चरित्र सम्बन्धी ऐसी बातें जो साधारणतया सत्यकी कसौटीपर कसी जा सकें, जिशासु पाठकोंके निकट हम निवेदन करना चाहते हैं ।

बौद्धमतका खण्डन कर वैदिक मतकी पुनः स्थापना कुमारिल भट्टने की और यही उनका सबसे महत्वका कार्य है । साधारण लोगोंकी धारणा है कि वैदिक धर्मके पुनरुज्जीवनका कार्य शंकराचार्यने किया; परन्तु इतिहासका सूक्ष्म निरीक्षण करनेपर यही जान पड़ेगा कि इसका श्रेय कुमारिलभट्टको दिया जाना चाहिये । शंकर दिग्विजयसे भी यही सिद्ध होता है । शंकर दिग्विजयमें शंकराचार्य और कुमारिल भट्टकी भेंटका इस

प्रकार वर्णन है कि कुमारिलने अन्त समयमें स्वयं चित्ता रचकर अपनी देह अग्निको समर्पण की । उसी समय उनसे शंकराचार्यकी भेंट हुई । उस समय शंकराचार्यने इन शब्दोंमें उनकी स्तुति की—

“श्रुत्यर्थधर्मविमुखान् सुगतान् निहन्तु ।

जातं गुहं भुवि भवन्तमहं नु जाने ॥”

“वैदिक धर्मोच्छेदक पाखण्डी बौद्धोंका विनाश करनेवाले आप स्वाक्षात् गुह (कार्तिकेय) के भवनार हैं, यह मैं जानता हूँ ।” इस स्तुतिमें भी व्याजोक्ति है । शंकराचार्य शंकर अर्थात् कार्तिकेयके पिताके अवतार माने जाते हैं । अतः कार्तिकेय (कुमारिल) के मतका खण्डन करना शंकर (शंकराचार्य) के लिए सुलभ हुआ, इसमें आश्चर्य करनेकी कोई बात नहीं । व्याजोक्तिको छोड़ कर इस श्लोकके देखनेसे यही सिद्ध होता है कि बौद्ध धर्मकी पराजय कुमारिल भट्टने हाँ की थी । हर्षके समयमें ही बौद्ध धर्मका हास हो चला था । परन्तु हर्षके समयमें बुझते हुए दीपककी तरह बौद्ध धर्मकी ज्योति अधिक प्रकाशमान हो गयी थी । कुमारिल भट्टने यह ज्योति बुझा दी और शंकराचार्यके पुरुषार्थ प्रकट करने के लिए भूमि तैयार कर दी । वेदों और वेदोक्त श्राद्धादिक कर्मों परसे जनताकी जो श्रद्धा उठ गयी थी, वह कुमारिलने पुनः प्रस्थापित की । अतः कुमारिल भट्टका उदय हर्षके पश्चात् हुआ था और संशोधकोंके मतसे भी कुमारिलका काल ई० स० ७०० (वि० ७५७) के लगभग स्थिर हो चुका है ।

हमारे विचारसे ई० स० ७०० (वि० ७५७) कुमारिलके देहावसानका काल है । कुमारिलसे शंकराचार्यकी अन्त समयमें भेंट हुई थी, इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता । यही नहीं, कुमारिल और शंकराचार्यके समयमें एक शताब्दीका अन्तर है । कालिदास और भवभूतिकी भेंट अथवा विक्रम और शालिवाहनके युद्धकी तरह शंकराचार्य और कुमारिल भट्टका मिलन भी काल्पनिक है । ऐसा एक प्रमाण और मिलता है जिससे कुमारिलके समयका निश्चय किया जा सकता है । शंकर पाण्डुरंग पण्डितको उत्तर रामचरितकी एक प्राचीन प्रति उपलब्ध हुई है । उसके अन्तमें लिखा

है कि भवभूति कुमारिलका शिष्य था । इससे पण्डितजीने अनुमान किया है कि वह कुमारिल प्रसिद्ध कुमारिल भट्ट ही है । राजतरङ्गिणीमें लिखा है कि कन्नौजके यशोवर्माकी सभामें भवभूति कवि था । यशोवर्माका समय ई० स० ७०० (वि० ७५७) है । कुमारिल इससे कुछ वर्ष पहिले ही हुआ होगा । अतः ई० स० ७०० (वि० ७५७) कुमारिलके देहावसायका ही काल माना जा सकता है ।

कुमारिलके समयका यह संक्षिप्त विचार हुआ । उनका देश कौनसा था, अब इसका विचार करना उचित होगा । कुछ लोगोंके मतसे वे आसामी ब्राह्मण और कुछ लोगोंके मतसे द्रविड-ब्राह्मण थे । हमारे मतसे वे आर्यावर्तके ही निवासी थे, क्योंकि उन्होंने अपने तन्त्रवार्तिक नामक ग्रन्थमें आर्यावर्तके प्रति विशेष आदर प्रदर्शित किया है और अन्य प्रान्तोंके लोगोंकी म्लेच्छ कह कर निन्दा की है । यदि कुमारिल आसामी या द्रविड-ब्राह्मण होते, तो वे केवल आर्यावर्तकी स्तुति और अन्य प्रान्तोंकी निन्दा न करते । ❀ कहीं कहीं उन्होंने लिखा है कि द्राविडी भाषाके अनेक शब्द संस्कृतसे बने हैं । यथा—चोर = आत, ततर = रास्ता, वैर = पेड़ इत्यादि, परन्तु इससे यह नहीं सिद्ध होता कि वे द्राविडी भाषा-भाषी थे या उस भाषाके अभिमानी थे । सम्भव है, संस्कृतके अतिरिक्त वे और भी कई भाषाएँ जानते हों । द्रविड और कानडी पण्डितोंने संस्कृतसे अपनी भाषाओंकी उत्पत्ति सिद्ध करनेका कई बार प्रयत्न किया है । परन्तु कुमारिलने द्राविडी भाषाकी गणना अनार्य भाषाओंमें ही की है ।

द्राविडी भाषाके अतिरिक्त फ़ारसी, दर्वार, यवन, रोमक आदि भाषाओंका उल्लेख भी कुमारिलने किया है । इससे प्रतीत होता है कि उनका काल ईसाकी आठवीं शताब्दी (वि० ७५७-८५८) से पूर्व है । क्योंकि ईसाकी सातवीं शताब्दीके पश्चात् भारतसे उक्त भाषाएँ उठ गयी थीं । आठवीं शताब्दी ई० से पहिले बौद्ध मतका विशेष अध्ययन करने के लिए अथवा यात्राके निमित्त, दुइनसंग जैसे बौद्ध धर्मावलम्बी विभिन्न

❀ हिमवद् विन्ध्यान्तराल कृष्णमृगचरणाद्युपलक्षित आर्यावर्तनिवासि व्यतिरिक्त बर्बरादि भाषागत म्लेच्छित्व सभानाधिकरणापशब्द । इत्यादि ।

देशोंसे भारतमें आते थे । वे अपनी अपनी भाषाएँ बोलते थे और यहाँ बौद्ध-भिक्षु भी बड़ी संख्यामें थे; इस कारण अनेक भाषाएँ प्रचलित हो गयी थीं । उस समय दुभाषिये भी बहुत थे, जिनका उल्लेख कुमारिलने किया है (ग्लेच्छैरवगतं पश्चादायै द्वैभाषिकैः क्वचित्) कुमारिलने लिखा है कि फारसी भाषामें 'पीलू' शब्दका अर्थ 'हाथी' है, परन्तु संस्कृतमें 'पीलू' एक वृक्षका नाम है (यथा पीलवादि शब्दानां वृक्ष हस्त्यादि बोधने समा विप्रतिपत्तिः स्यादार्थग्लेच्छादि बोधने) कुमारिलका कथन ठीक भी है । क्योंकि फारसीमें 'फील' शब्दका अर्थ 'हाथी' ही है । इस बात से यह अवश्य ही सिद्ध होता है कि उस समय भारतमें फारसी भाषा काफी प्रचलित थी ।

एक आख्यायिका प्रसिद्ध है कि कुमारिल भट्टने कपट वेष धारण कर बौद्ध भिक्षुओंसे बुद्धमतका साङ्गोपाङ्ग अध्ययन किया था और इस प्रवृत्तिना अथवा छद्माचारका प्रायश्चित्त उन्होंने अपनी देह अग्निमें समर्पण कर दिया था । इस आख्यायिकामें कुछ सत्यांश है और कुछ असत्यांश भी । कुमारिलने बौद्धधर्मका साङ्गोपाङ्ग अध्ययन अवश्य किया होगा, किन्तु यह नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने छद्मवेश और छद्मधर्मका भी स्वीकार कर लिया था । बौद्ध धर्ममें जातिभेद नहीं माना जाता, हरएक मनुष्य बौद्ध-धर्ममें समाविष्ट हो सकता है, हिन्दू धर्ममें नहीं हो सकता । बौद्ध अथवा ईसाई धर्म स्वीकार करनेमें किसीको कोई रुकावट नहीं है । उस समय कितने ही ब्राह्मण और क्षत्रिय बौद्ध हो जाते और उन्हें बौद्धभिक्षु अपने सिद्धान्त समझा देते थे । फिर यह कैसे कहा जा सकता है कि कर्णकी तरह कुमारिलने अपना धर्म छिपाकर बौद्ध गुरुसे प्रवृत्तिना की थी ? अतः यह मत भी भ्रमात्मक है कि प्रवृत्तिनाके पातककी निष्कृतिके लिए उन्होंने अपनी देह अग्निको अर्पण कर दी थी । उस समय इस प्रकार जीर्ण देहको अग्निमें समर्पण करनेकी प्रथा प्रचलित थी । आगे चलकर यह प्रथा उठ गयी और कुमारिलके देहत्यागका लोगोंको आश्चर्य प्रतीत होने लगा । इसीसे उन्होंने अपने कर्त्तव्यके लिए एक आख्यायिका गढ़ डाली । ❧

❧ कुमारिल और शबरने फारसीके कुछ ऐसे शब्द रक्ताये हैं, जो

कुमारिल महाराष्ट्रीय अथवा दाक्षिणात्य नहीं थे, इसके और भी कुछ प्रमाण मिलते हैं। दाक्षिणात्यमें सामाजी बेटीसे विवाह कर लेते हैं। अन्य प्रान्तोंमें ऐसा विवाह निषिद्ध माना जाता है। मराठोंकी उत्पत्ति सोमवंशी यादवोंसे हुई है। यादवोंमें उक्त रीति प्रचलित थी, यह तो सर्व विश्रुत है। कुमारिल दाक्षिणात्य होते, तो इस रूढ़िकी निन्दा न करते। वे लिखते हैं:- “स्वमातुलसुतां प्राप्य दाक्षिणात्यस्तु तुप्यति ।” इस श्लोकार्थमें ‘तुप्यति’ शब्द निन्दाव्यञ्जक है। इससे स्पष्ट है कि वे दाक्षिणात्य नहीं थे।

दक्षिणमें एक ही वस्त्र स्त्रियाँ पहिनती हैं। उत्तर भारतमें दो वस्त्र—साड़ी या लहंगा और ओढ़नी—पहिननेकी प्रथा है। इसी प्रथाके अनुसार कुमारिलने वर्णन किया है—“अन्तरीयोत्तरीये हि योपितामिव वाससी ।” इससे ज्ञात होता है कि कुमारिलके देशमें स्त्रियाँ दो वस्त्र धारण करती थीं, अतः उन्हें दाक्षिणात्य न मान कर आर्यावर्त-निवासी मानना ही उचित है।

इसके अतिरिक्त कुमारिलके दाक्षिणात्य न होनेका एक यह भी प्रमाण है कि उनके देशमें ब्राह्मण-क्षत्रिय मांस मछली खाते थे। वे लिखते हैं:—

“पशुहिंसादि सम्बन्धे यज्ञे तुष्यन्ति हि द्विजाः ।

तेभ्य एवहि यज्ञेभ्य शाक्याः कुड्यन्ति पीडया ॥”

यज्ञादि सम्बन्धी पशुहिंसासे ब्राह्मण तो सन्तुष्ट होते हैं पर बौद्ध धर्मानुयायियोंको इससे दुःख होता है और वे क्रुद्ध हो जाते हैं। हर्ष कालसे बहुत पूर्व ही महाराष्ट्रीय ब्राह्मणोंने हिंसा-प्रधान यज्ञ कर्मोंका श्वाग कर दिया था। यज्ञमें भी वे हिंसा नहीं करते थे। परन्तु उस-भारतके ब्राह्मणोंने मांस खाना नहीं छोड़ा था। अब भी दक्षिणके और उत्तरके ब्राह्मणोंके आचारोंमें यही अन्तर है। इससे भी सिद्ध है कि कुमारिल दाक्षिणात्य नहीं थे।

संस्कृतमें प्रचलित हो गये हैं। आश्चर्य है कि दोनोंके वताये हुए शब्द एक ही हैं। यथा । पिक--कोयल, नेमि--आधा, तामरस--कमल, सत--कटीता इत्यादि। इनमें नेमि शब्द फारसी है। पिक और तामरस तो मूल संस्कृत के ही जान पड़ते हैं। सत शब्द किस भाषाका है, कहा नहीं जा सकता।

कुमारिलने मीमांसा शास्त्रका 'जो ग्रन्थ लिखा है, उसके परीक्षणसे जितनी बातें ज्ञात हुईं, वे ऊपर लिखी गयी हैं। अधिक खोज करनेसे और भी बातें ज्ञात हो सकेंगी, किन्तु उनसे ही तत्कालीन राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितिका ज्ञान हो जाना सम्भव नहीं। कुमारिलका समय निश्चित करनेमें राजनीतिक परिस्थितिकी निदर्शक एक बात सहायक हो सकती है। 'राजा राजसूयेन यजेत' इस सूत्रकी व्याख्या करते हुए यह प्रश्न उठता है कि राजा किसे कहा जाय ? जिसके हाथमें सत्ता (अधिकार) हो वह, या जो क्षत्रिय और सत्ताधीश दोनों ही हो ? राजा शब्दसे क्षत्रिय राजा ही समझा जाना चाहिये, किन्तु कुमारिलका कथन है कि उनके समयमें चारो जातियोंके राजा राज्य करते थे (तच्च राज्यमविशेषेण चत्वारोऽपि वर्णाः कुर्वाणा दृश्यन्ते) । आर्य-परम्परानुसार पहले क्षत्रिय ही राजा हुआ करते थे । परन्तु कुमारिलके उक्त कथनसे सिद्ध है कि उनके समयमें इस परम्पराका स्पष्टतया लोप हो गया था । यह परम्परा कब नष्ट हुई ? इसका उत्तर पुराण देते हैं,—'नन्दान्तं क्षत्रिय कुलम्' अर्थात् अखण्ड रूपसे नन्द ही अन्तिम क्षत्रिय राजा था । नन्दसे पहिले क्षत्रियके अतिरिक्त किसी जातिका कोई राजा नहीं हुआ था । नन्दवंशका उच्छेद होनेपर चन्द्रगुप्त राजा हुआ; जो शूद्र था । सर्वप्रथम इसीने उक्त परम्परा भंग की । इस उलटकेरका आरम्भ ई० स० पूर्व ३०० (वि० पू० २४३) से हुआ और इसके समयतक वैसी ही परिस्थिति बनी रही । दुर्गुनसङ्गने हर्ष-कालीन राजनीतिक परिस्थितिका वर्णन किया है । उससे जान पड़ता है कि हर्षके समयमें सब वर्णोंके राजा यहाँ राज्य करते थे । स्वयं हर्ष वैश्य था । मिनमाल, महाराष्ट्र, कांची और वलभीके राजा क्षत्रिय थे । उज्जैन, महेश्वरपुर और चिचिटीमें ब्राह्मणोंका राज्य था तथा सिन्धका राजा शूद्र था । हम जिस समयकी बात लिख रहे हैं उस समय अर्थात् मध्ययुगीन भारतके दूसरे भागमें, सर्वत्र क्षत्रियोंका ही राज्य था और अन्य वर्णोंके राजकुल प्रायः लुप्त हो गये थे । बाणरायणके समयसे क्षत्रिय राजकुलोंकी स्थापना होने लगी और ई० स० ८०० (वि० ८५७) के पश्चात् पहिलेकी तरह क्षत्रियोंके हाथमें फिर राज्याधिकार आ

गया । इस विवेचनसे यह बात ध्यानमें आ सकती है कि कुमारिलका समय हुणसंगके बादसे लेकर ई० स० ७५० (वि० ८०७) तकके बीच है, क्योंकि उन्होंने यहाँकी जिस राजनीतिक परिस्थितिका वर्णन किया है वह यहाँ वास्तवमें ई० स० ६५० से ७५० (विक्रम ७०७—८०७) तक थी ।

तन्त्रवार्तिकसे एक बातका और पता चलता है । शबरने अपने भाष्य में लिखा है कि आंध्र प्रान्तमें राज्य पदारूढ़ क्षत्रियको ही नहीं, किन्तु सामान्य क्षत्रियको भी राजा कहते हैं (ननु जनपदपुररक्षणप्रनुपजीवन्यपि क्षत्रिये राजशब्दमान्धाः प्रयुज्यन्ते) । इसका स्पष्टीकरण कुमारिल करते हैं—“दाक्षिणात्य सामान्येनान्धाणामिति भाष्यकारेणोक्तम् ।” सभी दक्षिणियोंको लक्ष्य कर भाष्यकारने आन्ध्र कहा है । अर्थात् कुमारिलके मतसे भाष्यकारने भूलसे ‘दाक्षिणात्य’ के बदले ‘आन्ध्र’ शब्द लिख दिया है । परन्तु कुमारिलके समयमें आन्ध्र प्रान्तमें यवनोंका राज्य था । इससे यह नहीं कहा जा सकता कि तब दाक्षिणार्थों और आन्ध्रोंकी प्रथाओंमें समानता थी ही । इस सम्बन्धमें अधिक विश्वसनीय प्रमाण जबतक उपलब्ध न हों, तबतक भाष्यकार और वार्तिककारका मतैक्य सिद्ध नहीं हो सकता ।

तन्त्रवार्तिक आदि ग्रन्थोंसे कुमारिलके सम्बन्धमें जिन बातोंका अनुमान किया जा सका, वे ऊपर लिखी गयी हैं । कुमारिलके ग्रन्थोंका अधिक सूक्ष्म रीतिसे अध्ययन करनेपर अधिक बातें ज्ञात हो सकेंगी; परन्तु यह कार्य परिश्रम-साध्य है और इसके लिए समय भी चाहिये । सारांश, कुमारिलका समय ई० स० पूर्व २०० (वि० पू० १४३) वर्ष माना ही नहीं जा सकता । वे कालिदासके पश्चात् हुए, यह तो इसीसे स्पष्ट है कि उन्होंने कालिदासका—‘सतां हि सन्देशपदैषु वस्तुषु प्रमाणमन्तःकरण प्रवृत्तयः ।’ यह अवतरण अपने लेखमें उद्धृत किया है । कुछ लोगोंने कालिदासका समय ई० स० पूर्व ५७ माना है । यह समय मान लिया जाय, तो भी कुमारिलका समय इसी सन्तसे पूर्व माना नहीं जा सकता । हम लिख चुके हैं कि कुमारिलका समय ई० स० ६५०

से ७०० (वि० ७०७ से ७५७) के बीच है। उन्होंने बौद्ध धर्मका अध्ययन बुद्ध भिक्षुओंके निकट रहकर किया था और वे कई अनार्य भाषाएँ भी भली भाँति जानते थे। न्याय-मीमांसा आदि शास्त्रोंमें वे पारङ्गत थे और श्रद्धावस्थामें उन्होंने अपनी जीर्ण देह भस्मिको समर्पण कर दी थी। कुमारिलने बौद्ध मतका खण्डन कर वेदोंसे उचटी हुई लोगोंकी श्रद्धा फिर दृढ़मूल कर दी, यही उनके जीवनका सबसे महत्वपूर्ण कार्य है।

कुमारिल भट्टके लगभग १०० वर्ष पश्चात् श्री शङ्कराचार्यका उदय हुआ था। कुमारिल और शङ्कराचार्यकी भेंटकी कथा काल्पनिक है। शङ्कराचार्यके सम्बन्धमें कुमारिलकी अपेक्षा अत्यधिक विश्वास योग्य बातें ज्ञात हुई हैं, जिनसे दोनोंकी भेंट असम्भव सिद्ध होती है। कुमारिलकी अपेक्षा शङ्कराचार्यका पुरुषार्थ लोगोंको अधिक जँचता है, इससे यह न समझ लेना चाहिये कि कुमारिलके पुरुषार्थका महत्व कम है। उस समयके लोगोंकी अत्यन्त तीव्र आकांक्षाएँ शंकराचार्यने पूर्ण कीं, यही उनकी दिगन्तव्यापिनी कीर्ति और विजयका कारण है। इस बातको कदापि न भूलना चाहिये कि लोगोंकी अत्यन्त प्रिय भावनाओंके साथ समरस हो जाना ही लोकोत्तर पुरुषोंकी विजय और जगद्गव्यापिनी लोकप्रियताकी कुंजी है। शङ्कराचार्यको 'प्रच्छन्न बौद्ध' कहते हैं। कदाचित् उनके मायावाद और बौद्धोंके विज्ञानवादमें साम्य होनेके कारण ही लोग ऐसा करते हैं। यहाँ दोनोंके तत्त्वज्ञानका विचार नहीं करना है। देखना यही है कि कुमारिलके द्वारा बौद्धधर्मका उच्छेद हो जानेपर बौद्धों द्वारा स्वीकृत अहिंसा और संन्यासके प्रति शंकराचार्यने सहानुभूति प्रकट की थी। ई० स० पूर्व तीन सहस्र वर्षसे ही आर्योंमें संन्यासकी विशेष अभिरुचि उत्पन्न हो गयी थी और वैदिकी हिंसाके प्रति बौद्धमतके प्रचारसे लोगोंमें अनादर बढ़ गया था, इस कारण उन्हें कुमारिलका मीमांसामत सर्वथा मान्य होना सम्भव नहीं था। इसके अतिरिक्त कुमारिलकी उपासना-प्रणाली भी उस समयकी प्रचलित उपासना-प्रणालीसे भिन्न थी। उनकी उपासना-प्रणालीमें वेदोक्त अग्निहोत्र और हिंसायुक्त यज्ञादि क्रमोंकी ही प्रधानता थी। संन्याससे तो उन्हें बड़ी चिढ़ थी। संन्यासीको देखते ही

उनका माथा ठनक उठता था । वेदोंमें तो लोगोंकी श्रद्धा थी; पर उपासना-प्रणालीमें मतभेद था । पौराणिक कालसे अग्निहोत्रादि कर्मोंका प्रचलन कम हो गया था और शिव, विष्णु, गणेश, सूर्य, देवी आदिकी उपासना विशेष रूपसे प्रचलित हो गयी थी । वेदोंकी तरह इन उपास्योंमें भी लोग श्रद्धा रखते थे । हिंसात्मक यज्ञोंसे लोगोंने मुँह मोड़ लिया था । बौद्ध-जैन मतोंके चल निकलनेसे पहिले ही वेदान्तमतने आर्योंको हिंसासे विमुख कर दिया था । दक्षिणके आर्य मांस नहीं खाते थे । भला उन्हें हिंसात्मक कर्म-मार्ग क्योंकर प्रिय होने लगा ? यही कारण है कि कुमारिलका मत और तत्त्वज्ञान दक्षिणमें चल नहीं सका । यही क्यों; हजारों वर्षोंसे मांसभक्षणका त्याग किये हुए दक्षिणात्य ब्राह्मणोंमें ही कुमारिलके मतका विरोध करनेवाले एक ऐसे अद्वितीय महा-पुरुष उत्पन्न हुए, जिनमें वाद-विवाद करनेकी विलक्षणशक्ति, मनोहर संस्कृत-लेखन-पटुता, व्यवहार-चातुर्य, राजनीतिक कौशल आदि गुण पूर्ण रूपसे विद्यमान थे । यह महापुरुष श्री शंकराचार्य थे । उन्होंने वेदोंके ही प्रमाणोंसे वेदान्त सूत्रोंके आधारपर अपने नवीन तत्त्वज्ञानका प्रतिपादन किया और अग्निहोत्रादिको गौण वत्ता कर—जैसा लोग चाहते भी थे—संन्यासका महत्व स्थापित कर दिया । इसके अतिरिक्त उन्होंने शिव, विष्णु, देवी आदिकी उपासनाको प्रधानता न देते हुए भी लोगोंको उसकी अनुमति दे दी । इस प्रकार उनके द्वारा बौद्धमतकी ओर झुके हुए लोकमतको ही पुष्टि मिली; परन्तु वेदोंके प्रति श्रद्धा और वर्णधर्मके प्रति अनादर, बौद्धोंके इन दो मतोंका जो जनतामें फैल गये थे और जिन्हें वह पसन्द भी नहीं करती थी, उन्होंने भलीभाँति खण्डन कर डाला । सारांश, लोगोंकी अभिवृत्तिके अनुसार बौद्धोंके अहिंसा-सिद्धान्तका आदर कर, कुमारिल भट्टद्वारा प्रस्थापित वेद प्रामाण्यकी भित्तिपर ही शंकराचार्यने चर्तमान हिन्दू-धर्मकी विस्तृत, मनोहर और भव्य इमारत खड़ी की ।

शंकराचार्यके सम्बन्धमें कहा जाता है कि उनका जन्म केरल (मलबार) कालदी नामकी नगरीमें नम्बुद्री जातिके ब्राह्मणकुलमें ई० स० ७८८ (शक ८१०) में हुआ था । कालदीमें हालमें ही एक विशाल

मन्दिरके रूपमें उनका स्मारक बनाया गया है। कुछ पुराण मतवादी उनका समय ई० स० पूर्व पाँच छः सौ वर्ष और बुद्धका समय उससे भी एक-दो सौ वर्ष पूर्व मानते हैं परन्तु ऐसा मान लेनेके लिए कोई आधार नहीं है। प्राचीन इतिहासकी मोटी मोटी बातोंका समय अब प्रायः निश्चित हो चुका है। तत्कालीन ग्रीक इतिहाससे चन्द्रगुप्तका समय ई० स० पूर्व ३१२ (वि० पृ० २५२) स्थिर हुआ है और चन्द्रगुप्तके समयसे ही अन्य घटनाओंके समयका निश्चय करना आवश्यक हो गया है। जो लोग शंकराचार्यका समय शक-पूर्व मानते हैं, उनके मतका इससे अधिक खण्डन करना अनावश्यक है। सभी बातोंपर विचार करनेपर शंकरका जन्मकाल सन् ७८८ (वि० ८४५) असम्भव नहीं प्रतीत होता।

शंकराचार्यका चरित्र अनेक दिग्विजयोंमें वर्णित हुआ है। उस वर्णनों पर पूर्णतया विश्वास नहीं किया जा सकता। तो भी उनसे उनके जीवनकी साधारण रूपरेखा इस प्रकार खींची जा सकती है—शंकराचार्यके पितृ-देवका देहावसान उनकी बाल्यावस्थामें ही हो जानेंके कारण उनका लालन-पालन उनकी माताको करना पड़ा। ऐसी विपत्तिमें भी उन्होंने बहुत ही छोटी अवस्थामें विद्याध्ययन सफलताके साथ समाप्त किया, इसीसे उनकी तीव्र बुद्धिका परिचय मिलता है। उस समय बालविवाह प्रचलित था और शंकरकी माता अपने एकलौते पुत्रपर बहुत ही प्यार करती थी। वही उसके जीवनका आधार था। वह शंकरके विवाहका आयोजन करने लगी। परन्तु बाल्यकालमें ही शंकरने अपना लक्ष्य स्थिर कर लिया था और उसे सिद्ध करनेके उद्योगमें वे लग गये। वे गृहस्थाश्रम न पसन्द कर, संन्यास पसन्द करते थे। सम्भव है, इसका कारण उस समय मलावार प्रान्तमें बौद्धमतकी प्रबलता हो या कुमारिलके कर्ममार्ग के प्रति उनकी अरुचि हो। उन्होंने संन्यास ग्रहण करनेका अपना विचार मातासे प्रकट किया। उसे सुनकर माताके अन्तःकरणकी क्या दशा हुई होगी, यह तो सहृदय मनुष्य ही समझ सकते हैं। शंकरने बड़ी चतुरतासे यह अभिवचन देकर कि ‘जब आप स्मरण करेंगी, मैं आजार्जुन,’ मातासे संन्यासकी अनुमति ले ली और गृहत्याग कर दिया।

मलाबारसे चलकर सद्गुरुकी खोज करते करते शंकर विन्ध्याद्रिके निकट पहुँचे । वहाँ सांख्य कारिकाओंके सुप्रसिद्ध भाष्यकार गौड़ पादाचार्यके प्रधान शिष्य गोविन्द गुरुसे उनकी भेंट हुई । शंकरकी विलक्षण विद्वत्ता और त्यागशीलता देखकर गोविन्द गुरुने उन्हें संन्यासकी दीक्षा दी । यहाँ कुछ कालतक वेदान्त शास्त्रका अध्ययन करनेके अनन्तर वे काशी गये । विद्वत्तामें काशीके पण्डितोंकी बड़ी प्रसिद्धि थी और अब भी है । शंकरने अपनी लोकोत्तर विद्वत्ताके द्वारा काशीके पण्डितोंको चकित और पराजित किया । तबसे उनका और उनके तत्त्वज्ञानका महत्त्व बहुत बढ़ा और उनकी कीर्ति देशभरमें छा गयी । फिर उन्होंने प्रस्थानत्रयी (गीता, दशोपनिषद् और बादरायणके वेदान्त सूत्रों) पर अति प्रथनीय और चिरन्तन भाष्य लिखा । वह इतना विख्यात और महत्त्वपूर्ण हुआ कि बिना प्रस्थानत्रयीपर भाष्य लिखे किसीके लिए अपना नवीन मत प्रस्थापित करना ही असम्भव हो गया । शङ्कराचार्यने काशीमें रहकर और भी कई उपग्रन्थ संस्कृतमें लिखे । उनकी भाषा बड़ी ही सरल, सुगम, मनोहर और प्रतिभायुक्त है । शारीर भाष्यकी विवेचन शैली और युक्ति-वाद इतना विशद और गम्भीर है कि इस ग्रन्थकी गणना संसारके सर्वश्रेष्ठ ग्रन्थोंमें सदा होती रहेगी ।

इस प्रकार अनेक नवीन ग्रन्थ लिख कर और असाधारण बुद्धिमत्ता तथा बुद्धिवादके द्वारा काशीके पण्डितोंसे विजयपत्र प्राप्त कर शंकराचार्यने अपने मत-प्रचारार्थ समस्त भारतवर्षमें यात्रा की और हर एक प्रान्तके प्रसिद्ध विरोधी पण्डितोंको विवादमें हराकर अपना मत प्रस्थापित किया । विभिन्न ग्रन्थोंमें शंकराचार्यके विवादोंका वर्णन लिखा मिलता है । उसमें अतिशयोक्तिका होना असम्भव नहीं है; किन्तु यह निर्विवाद है कि शंकरने मण्डनमिश्रसे शास्त्रार्थ किया था और उसमें मण्डनकी हार हुई थी । मण्डन कुमारिल भट्टका कट्टर अनुयायी था; परन्तु उसे शङ्करका मत मानना पड़ा और विवादकी शर्तके अनुसार संन्यासदीक्षा ग्रहण करनी पड़ी । इस विवादमें ध्यान रखने योग्य बात यह है कि पञ्च या अध्यक्षका पद मण्डनकी पत्नीने ग्रहण किया था । इसीसे उस

समयकी महिलाओंकी श्रेष्ठता सिद्ध होती है। अस्तु, मण्डनने शंकरकी शिष्यता स्वीकार की। मंडनका संन्यासाश्रमका नाम सुरेश्वराचार्य था। शङ्करके पश्चात् शृंगेरी पीठकी गद्दी जगद्गुरु रूपसे सर्व प्रथम सुरेश्वरको ही मिली। ईसाके छेठे सेण्टीटीसकी तरह भारतमें पोप अथवा जगद्गुरु होनेका प्रथम मान शंकर शिष्य सुरेश्वरचार्यको ही प्राप्त हुआ था। शंकराचार्यने उज्जैनके पण्डितोंको भी शास्त्रार्थमें हरा दिया था। उज्जैन प्राचीन विद्यापीठ और पाशुपतादि भोपण पन्थवालोंका केन्द्र स्थान था। वहाँ महाकालेश्वरका प्रसिद्ध देवालय है। उसीके निकट पाशुपताचार्य नामक एक विख्यात पण्डित रहता था। उसे विवादमें हराकर शंकर विजयी हुए। आसाम प्रान्त भी उस समय विद्याके लिए प्रसिद्ध था। वहाँके पण्डितोंसे शास्त्रार्थ कर शंकरने जयपत्र प्राप्त किया। काश्मीरके पण्डितोंको भी आचार्यने निरुत्तर किया। वहाँ शारदा देवीका प्रसिद्ध देवालय है। उसका द्वार सदा बन्द रहता था, उनके सम्बन्धमें एक आख्यायिका प्रचलित थी कि संसारके सब पण्डितोंको जो हराकर आवेगा, वही देवालयका द्वार खोल सकेगा। शङ्कराचार्यने ही वह द्वार खोला था। उनके मठोंमें अबतक प्रवान उमासादेवी शारदास्वा ही मानी जाती हैं। फिर शंकराचार्य बदरी-ढेदार गये। वहाँ आचार्यका एक पीठ भी है। हम कह चुके हैं कि आचार्य व्यवहार-चतुर और राजनीति-कुशल थे। उनका स्वभाव दान्त था और सबपर समान रूपसे वे प्रेम करते थे। सब जीवोंपर उनकी समत्व बुद्धि होनेके कारण उनके प्रति देशके विभिन्न अर्थोंके लोगोंका अत्यन्त आदर था। लोगोंने उन्हें जगद्गुरुकी पदवी दी (जैसी तिलकको लोकमान्यकी पदवी दी गयी थी) और वह सर्वमान्य हुई। वास्तवमें जगतके पूज्य गुरु होनेके कारण यह पदवी आचार्यके सर्वथा उपयुक्त थी। लोगोंमें यह इतनी अधिक रूढ़ हुई कि शंकराचार्य एक सामान्य नाम बन गया और उसका अर्थ 'मुख्य गुरु' किया जाने लगा। इसीसे कितने ही लोग कभी कभी जैनाचार्योंके लिए जैन शंकराचार्य शब्दका प्रयोग कर बैठते हैं। अपने मतका प्रचार जारी रखने और जनतापर उसका प्रभाव बनाये रखनेके लिए कुछ स्थायी संस्थाओंका

निर्माण करना आवश्यक समझ कर शंकराचार्यने भारतकी चारों दिशाओंमें अपने चार धर्मपीठ स्थापन किये । इन पीठोंपर अबतक उनकी शिक्षणपरम्परा अविष्टङ्गल रूपसे चली आती है और पीठोंद्वारा आचार्यके तत्त्वज्ञानका प्रचार होता रहता है । यही नहीं, एक प्रकारसे इन मठों (पीठों) की धर्मसत्ता स्थापित हो गयी है और उनके द्वारा धर्मसम्बन्धी शंकाओं तथा विवादोंका निपटारा भी होता आया है । इसीसे शंकराचार्यके पुरुषार्थका महत्त्व ध्यानमें आ सकता है । आचार्यके चार मठोंमें दक्षिणका शृंगेरीमठ सर्वश्रेष्ठ है । पश्चिमका द्वारकामठ, पूर्वका पुरीमठ और उत्तरका बदरी-केदार-मठ प्रसिद्ध है ।

आचार्यने अपनी माताको अन्त समयमें मिलनेका अभिवचन दिया था । तदनुसार वे माताके पास गये । इस भेंटके कुछ ही दिनोंके अनन्तर शङ्कराचार्यकी माताका कैलासवास हो गया । मृतककी क्रिया आदि करनेका संन्यासीको अधिकार नहीं है, अथवा यों कहिये कि परिपाटी नहीं है । परन्तु मातृ-प्रेमके कारण शंकरने स्वयं माताका औदुर्ध्वदेहिक कर्म करनेकी इच्छा प्रकट की । उनके वन्धु-बान्धवोंने दाहकार्यमें सहायता देनेसे मुँह मोड़ लिया; इस कारण उन्हें माताके मृत शरीरका दहन अपने घरके आँगनमें ही करना पड़ा । कालदीर्घमें अबतक घरके आँगनमें ही शवदाह करनेकी प्रथा है । संभव है, आचार्यके पहिले भी यह प्रथा प्रचलित रही हो और इस प्रथाको विचित्र जानकर पीछेसे लोगोंने उक्त कथा गढ़ ली हो; क्योंकि शंकराचार्य जैसा विरक्त संन्यासी, मातृप्रेमके कारण ही क्यों न हो, शास्त्र-मर्यादाको त्याग देगा इसपर विश्वास नहीं होता । यह भी सम्भव है कि मलाबारमें मुसलमानोंके अत्याचारके कारण शवको श्मशानमें न ले जाकर घरमें ही दहन करनेकी प्रथा प्रचलित हो गयी हो ।

माताकी अन्त्येष्टिक्रिया करनेके पश्चात् शङ्कराचार्यने धर्म-प्रचारके लिए फिर एक बार समस्त भारतवर्षमें यात्रा की । आश्चर्यकी बात तो यह है कि शंकर जैसे लोकोत्तर और जगद्विख्यात महापुरुषके पुरुषार्थका तत्कालीन कोई लिखित प्रमाण उपलब्ध नहीं है । नेपालके कुछ अर्वाचीन लेखोंसे शंकरके पुरुषार्थका साधारण पता चलता है; वह इस प्रकार है—

“नेपाली लोगोंके मुख्य आराध्य देव पशुपति हैं। नेपालमें पशुपतिनाथका विशाल देवालय है। शङ्कराचार्यसे एक सहस्र वर्ष पूर्वके शङ्कराचार्यने पशुपतिनाथकी पूजा-अर्चाके सम्बन्धमें कुल नियम बना दिये थे। उनका यथोचित पालन होता है या नहीं, यह देखनेके लिए शङ्कराचार्य नेपाल पधारे थे। पशुपतिनाथके पुजारी महाराष्ट्रीय ब्राह्मण होते थे और अब भी महाराष्ट्रीय ब्राह्मणोंको ही पशुपतिनाथकी पूजा करनेका अधिकार है। क्योंकि नेपाली या उत्तरभारतके ब्राह्मण मांसभोजी हैं और महाराष्ट्रीय ब्राह्मण अत्यन्त प्राचीन कालसे निरामिषाहारी हैं। इसके अतिरिक्त महाराष्ट्रीय ब्राह्मण जैसे विद्वान् और वेदपारङ्गत होते हैं वैसे उत्तर भारत-के ब्राह्मण प्रायः नहीं होते। उस समय होते रहे हों, तो कहा नहीं जा सकता; इस समय तो देख नहीं पड़ते। सम्भव है, इसी विचारसे शङ्कराचार्यने नियम बना दिया हो कि पशुपतिनाथकी पूजा महाराष्ट्रीय ब्राह्मण ही करें। केदारनाथका सुप्रसिद्ध मन्दिर भी शङ्कराचार्यने ही बनवाया था। केदारनाथकी पूजाका अधिकार केवल केरल ब्राह्मणोंको ही है। अबतक वहाँके पुजारी केरल ब्राह्मण ही होते हैं। इन बातोंसे पता चलता है कि आचार्य अवश्य ही नेपाल गये थे।” ध्यानमें रखनेकी बात यह है कि उपर्युक्त लेख शङ्कराचार्यसे कई शताब्दियोंके पश्चात् लिखे गये हैं। यह आख्यायिका भी प्रसिद्ध है कि शङ्कराचार्यने अपना अवतारकार्य अल्पवयसमें, केवल ३२ वर्षकी अवस्थामें, ही समाप्त किया था। मेकडोनेल साहबके मतसे आचार्य ३२ वें वर्षमें संन्यास ग्रहण कर सांसारिक प्रपञ्चोंसे पृथक् हो गये थे। साहब बहादुर अपने संस्कृत साहित्यके इतिहासमें लिखते हैं—“शङ्कराचार्यका जन्म ई० स० ७८८ में हुआ और ८२० में उन्होंने संन्यास दीक्षा ग्रहण की। संन्यासाश्रम स्वीकार करने पर बहुत वर्षोंतक वे जीवित थे”। मेकडोनेल साहबने अपने इस मतकी पुष्टिमें कोई प्रमाण नहीं दिया। ७८८ में ३२ जोड़नेसे ८२० संख्या हो जाती है। लोग ८२० में शङ्कराचार्यका देहावसान होना मानते हैं और मेकडोनेल कहते हैं कि इस सन्में उन्होंने संन्यास ग्रहण किया था। हमारी समझमें आचार्यने ३२ वर्षोंमें अपना अवतारकार्य समाप्त

कर शेष जीवन बदरी केदारमें एकान्तमें गुप्त रूपसे योगाभ्यास और चिन्तन आदिमें बिताया था ।

शङ्कराचार्यके जीवनचरित्रके सम्बन्धमें यह संक्षिप्त विचार हुआ । अब उनके पुरुषार्थ और तत्त्वज्ञानके सम्बन्धमें भी कुछ विचार करना उचित होगा । भारतवर्षके धार्मिक इतिहासमें शङ्कराचार्यके पुरुषार्थको महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है । अर्वाचीन धर्म-कल्पनाओंका विस्तार शङ्कराचार्यके तत्त्वज्ञानसे ही हुआ है । वर्तमान धार्मिक परिस्थितिका विचार करते हुए शङ्कराचार्यके ग्रन्थोंका अध्ययन अवश्य ही करना होगा और आगेका इतिहास लिखते समय शङ्कराचार्यके तत्त्वज्ञानका बारंबार सिंहावलोकन करना पड़ेगा । शङ्कराचार्यके पुरुषार्थका विचार करते हुए चित्तमें स्वाभाविक रूपसे निम्नलिखित प्रश्न उठते हैं—इसमें सन्देह नहीं कि शङ्कराचार्यका 'मायावाद' मनुष्यकी बुद्धिको चकित कर देता है और वह जगन्मान्य हो गया है । भारतीय तो सबके सब मायावादको मानते हैं । परन्तु क्या मायावादसे भारतीय जनतामें शिथिलता आगयी है ? क्या भारतकी कर्तृत्वशक्ति क्षीण हुई है ? संन्यास मार्गको श्रेष्ठ मान लेनेका परिणाम क्या हुआ ? आचार्यने पौराणिक देवताओंकी पूजा अर्चाका विशेष रूपसे प्रचार किया है । प्राचीन अग्निहोत्र आदिके बदले इस समय सर्वत्र मूर्तिपूजाका प्रचार है । शालग्राम तो घर घर विराजते हैं । क्या लोग इस प्रकारकी मूर्तिपूजाके कारण तत्त्वविचारोंसे विमुख हो कर बावले बन गये हैं ? चित्तमें रुठनेवाले ऐसे ऐसे अनेक प्रश्नोंका निर्णय केवल तर्कसे नहीं, वर्तमान परिस्थितिका विचार करके ही किया जा सकता है । इसका अहापोह अग्रिम भागमें किया जायगा ।

विशेष बातें—श्रीमच्छङ्कराचार्यके समयके सम्बन्धमें सन् १९१६ (वि० १९७३) तक जितने जुदे जुदे मत ज्ञात हो सके, उनको सप्रमाण संग्रह कर श्रीशुत काशीनाथ कृष्ण लेले महाशयने 'आचार्य' नामक मासिक पत्रके तारीख १३ मई १९१६ के अंकमें प्रकाशित कराया था । आचार्यका जो समय हमने माना है, वही अर्थात् शक ७१० (ई० सन् ७८८) लेले महाशयको भी मान्य है । यह समय प्रथम प्रोफेसर पाठक

महाशयने प्रमाणों सहित लोगोंके सामने रखा था । प्रमाण इस प्रकार हैं—१-नीलकण्ठ कृत शङ्करभट्टारसौरभ २-कुडली मठकी परम्परामें लिखा है—“निधिनागे भवन्त्यब्दे विभवे शङ्करोदयः अर्थात् शङ्करका जन्म कलिके ३८८९ (शक ७१०) में हुआ ३-शृंगेरी मठकी परम्परामें यही समय एक स्तोत्रमें प्रथित है । ४ शङ्कराचार्यने यह (शृंगेरीका) मठ कलिवर्ष ३९०९ में स्थापित किया था । इसका उल्लेख मठ-परम्परा-स्तोत्रमें इस प्रकार है—

कल्यब्दे निधिर्वाकाशि शेष संवत्सरे मठम् ।

संस्थाप्य भारतीपीठं सङ्गमे तुङ्ग-भद्रयोः ॥

५-इसी स्तोत्रमें उक्त मठमें आचार्यका गुहाप्रवेश काल कलिवर्ष ३९२१ लिखा है । मैसोर प्रान्तके शिमोगा जिलेके कुडली मठमें ये ही परम्पराएँ मानी जाती हैं ।

प्रोफेसर पाठकने उक्त बाह्य प्रमाणोंके अतिरिक्त विम्बलिखित आन्तरिक प्रमाण भी दिये हैं—१-चीनी प्रवासी ह्वित्सगने अपने प्रयास-वर्णनमें व्याकरणकार भर्तृहरिके देहावसानका समय ई० स० ६५० (वि० ७०७) लिखा है । भर्तृहरिका एक वाक्य कुमारिलने अपने ग्रंथमें उद्धृत किया है । इससे स्पष्ट है कि कुमारिल और शंकर भर्तृहरिके पश्चात् हुए थे । २-शंकर शिष्य सुरेश्वराचार्यने अपने गृहदारण्यक वार्तिकमें बौद्ध आचार्य धर्मकीर्तिका नामोल्लेख कर उसका एक मत उद्धृत किया है । चीनी प्रवासी फाहियानके ई० स० ६९५ (वि० ७५२) में लिखे एक लेखसे पता चलता है कि धर्मकीर्ति उसका समकालीन था । अतः शंकर और सुरेश्वरका समय ई० स० ६९५ (वि० ९५२) से अधिक दूर नहीं माना जा सकता । ३-जैन पण्डित अकलङ्क देव ईसाकी आठवीं सदीके राष्ट्रकूट दन्तिदुर्ग साहस तुङ्गके राजत्वकालमें हुआ था । शङ्करने अपने ग्रंथमें उसके मतका खण्डन किया है । इससे स्पष्ट है कि शंकर ईसाकी आठवीं शताब्दीमें या इसके बाद हुए थे । ४-पाणिनि सूत्रकी प्रसिद्ध टीका काशिकावृत्ति ईसाकी सातवीं शताब्दीमें लिखी गयी है । उसका एक वाक्य शंकरने अपने ग्रन्थमें उद्धृत किया है । इन सब प्रमा-

योंसे शंकरा समय ई० स० ७०० (वि० ७५७) से पूर्व माना नहीं जा सकता । इसके विरुद्ध कामकोटि मठकी परम्परा मान्य नहीं हो सकती । विशेषतया शृंगेरी मठकी परम्पराकी तुलनामें वह ठहर नहीं सकती । कामकोटि मठने दो शंकर मानकर अपने मठके ईश्वरी स० के पूर्व माने हुए कालका शृंगेरी मठके कालसे मेल मिलानेका प्रयत्न किया है; परन्तु वह सन्देहास्पद है । स्वयं आचार्यने अपने ग्रन्थोंमें काशिकावृत्ति और अकलंक-के वाक्य उद्धृत किये हैं; इससे तो हमारा माना हुआ काल ही ठीक सिद्ध हो जाता है ।

कोचीनके राज-उयोत्तिषी श्रीयुत सी० पी० ऐयरने विद्यारण्यके शांकर दिग्विजय नामक ग्रन्थमें उल्लिखित शङ्करके जन्म समयके उच्च ग्रहोंसे गणित कर उनका जन्मकाल शक ७२८ (ई० स० ८०५) सिद्ध किया है । इसी शकको सही मान कर ए० वी० वेंकटेश्वरने १९१५ के रायल एशियाटिक सोसाइटी जर्नलमें एक लेख लिखा है । उसमें यह भी कहा है कि आचार्यके देहावसानका समय सन् ८२० न मानकर ६० वर्ष बाद अर्थात् ८८० माना जाना चाहिये । हमारे मतसे दोनों सिद्धान्त ठीक नहीं हैं । आचार्य के ५०० वर्ष पश्चात् विद्यारण्यके लिखे हुए शङ्कर-जन्म-समयके ग्रह काल्पनिक जान पड़ते हैं । आचार्यका जन्म हुआ तब वे अप्रसिद्ध थे, विशेष धनिक भी नहीं थे । अतः उनके जन्मके ग्रहोंका लोगोंके ध्यानमें रहना सम्भव नहीं प्रतीत होता । यह तो सभी जानते हैं कि कोई अप्रसिद्ध पुरुष प्रबल पुरुषार्थसे जब जगत्प्रसिद्ध हो जाता है, तब उसकी जन्मपत्री उच्च ग्रहोंसे सजा दी जाती है । शृंगेरी मठ स्थापनाका परम्परागत समय उक्त समयके विरुद्ध और विश्वासयोग्य है । शंकराचार्य कृत एक स्तोत्रमें लिखा है—“वयं पञ्चाशीते रथिकमपनीतेषु वयसि” । इससे कुछ लोग अनुमान करते हैं कि आचार्य ८५ वर्षोंसे अधिक समयतक जीवित थे । परन्तु यह अनुमान अमात्मक है । शंकराचार्यकी गद्दीपर जो शिष्य विराजते हैं, वे शंकराचार्य ही कहे जाते हैं । उक्त स्तोत्र आदि शंकराचार्यका नहीं, किन्तु किसी दूसरे शंकराचार्यका रचा हुआ है । इसके अतिरिक्त १२ वर्षोंमें वेदों और १८ वर्षोंमें शास्त्रोंमें पारङ्गत होकर

१२ वर्षोंमें भौतिक ग्रन्थ-रचना तथा जगद्गुद्गार करनेवाले अद्वितीय बुद्धिमान् और पुरुषार्थी लोकोत्तर पुरुषका होना असम्भव भी नहीं है। तन्त्री आदि विद्यापीठोंके इतिहासमें बीच-बीचमें ऐसे पुरुषोंके होनेका दखल है। अतः शृंगेरी मठकी परम्परा मानना ही उचित है और वह इतिहासके विरुद्ध नहीं है, यही हमारा निश्चित मत है।

पन्द्रहवाँ प्रकरण ।

सामाजिक स्थिति और वर्णव्यवस्था ।

इस प्रकरणमें हम ईसाकी नवीं और दसवीं सदीकी भारतकी सामाजिक परिस्थिति और उसके साथ ही वर्णव्यवस्थाकी दशाकी आलोचना करेंगे। वर्णाश्रमधर्म-व्यवस्था हिन्दू-समाज-शासन-पद्धतिका प्रधान आधार है। अतः वर्णाश्रमधर्मका विस्तृत विचार करनेसे उस समयके समाजकी स्थितिका ज्ञान अनायास हो सकेगा। परन्तु इस प्रकारके इतिहास-लेखनमें जिन साधनोंकी आवश्यकता होती है, वे बहुत ही थोड़े परिमाणमें उपलब्ध हैं। विदेशियोंके लिखे प्रवास-वर्णनोंपर ही प्रधानतया भरोसा रखना पड़ता है। क्योंकि अपने समाजमें प्रचलित रीति-नीतिकी विलक्षणता या बावलापन विदेशियोंके ध्यानमें जितना शीघ्र आता है, उतना देशवालोंके नहीं। पुराकालकी आलोचना करनेमें स्वदेशी ग्रन्थकारोंके ग्रंथोंका जैसा उपयोग किया गया है, वैसा इस आलोचनामें नहीं किया जा सकेगा। पूर्वकालमें बाणभट्ट जैसे विचक्षण ग्रन्थकार हुए; उनसे ग्रंथोंसे उस समयकी रीति-नीतिका साधारण पता चल

सका; किन्तु ईसाकी नवीं और दसवीं शताब्दीमें जो ग्रन्थकार हुए, उनके ग्रन्थ बहुत ही थोड़े मिलते हैं। अतः विदेशियोंके प्रवासवर्णनोंका आश्रय लेनेके सिवा अन्य कोई गति नहीं है। स्मृतिग्रन्थोंसे भी उक्त दो सदियोंकी परिस्थितिका अनुमान किया जा सकता है। पर इन ग्रन्थोंके कालनिर्णयमें बड़ी अड़चन है। स्थूलमानसे ही उनका कालनिर्णय हो सकता है। प्राचीन और अर्वाचीन स्मृतिग्रन्थोंको परस्पर मिलानेसे अनेक सामाजिक अन्तर देख पड़ते हैं और वे ही अन्तर तत्कालीन परिस्थितिके द्योतक हैं। स्मृतिग्रन्थोंके सूक्ष्म अध्ययनसे सामाजिक स्थितिका इतिहास लिखा जाना सम्भव है।

उस समयके वर्णाश्रम-धर्मकी स्थितिका विचार करने पर ज्ञात होता है कि मुख्यतः चार ही वर्ण थे और उनमें आजकलकी तरह अनेक शाखा-प्रशाखाएँ नहीं निकली थीं। वर्तमान समयमें प्रान्तभेद तथा अन्य कई कारणोंसे वर्णोंमें इतने अधिक भेद हो गये हैं कि ब्राह्मण ब्राह्मणमें भी रोटीवेटीका व्यवहार नहीं हो सकता। जब गुजराती ब्राह्मण दक्षिण ब्राह्मणके साथ बैठकर भोजन भी नहीं करता, तब दोनोंमें विवाह-सम्बन्ध होता तो असम्भव ही है। तत्कालीन लेखों और दानपत्रोंसे ज्ञात होता है कि उस समय ऐसे भेद नहीं थे। यदि होते, तो दानपत्रादिमें 'कान्यकुब्ज ब्राह्मण', 'द्राविड़ ब्राह्मण' आदिका उल्लेख अवश्य ही किया जाता। परन्तु उक्त दोनों शताब्दियोंके दानपत्रोंमें पूर्व शताब्दियोंके दानपत्रोंकी तरह केवल ब्राह्मणोंके गोत्रों और शाखाओंका उल्लेख है। गोत्रोंके पहिले 'स' और शाखाओंके पहिले 'सब्रह्मचारी' लिखा मिलता है। राष्ट्रकूटोंके अकालवर्ष राजाके ई० सं० ६४० (वि० ६६७) में लिखे वर्धादानपत्रमें प्रतिग्रहीताका

‘नन्दिधर्धन विनिर्गत भारद्वाज सगोत्र वाजिकारव सव्रह्मचारिणे’ इस प्रकार उल्लेख किया गया है । आजकलके अधिकांश ब्राह्मणोंको अपने वेदोंकी शाखा अथवा ‘सव्रह्मचारित्व’ का पता नहीं रहता और गोत्र ज्ञात हो भी, तो वे यह नहीं जानते कि गोत्रके पहिले ‘स’ प्रत्यय जोड़ना आवश्यक है । ब्राह्मणोंकी शाखाओं और गोत्रोंका उल्लेख प्रायः सब दानपत्रोंमें होनेसे उसके अधिक उदाहरण देनेका प्रयोजन नहीं प्रतीत होता । शाखाओं और गोत्रोंके उल्लेखसे स्पष्ट हो जाता है कि उस समय ‘गुजराती ब्राह्मण’, ‘दक्षिणी ब्राह्मण’ आदि ब्राह्मणोंके प्रान्तीय भेद नहीं थे । हाँ, प्रतिग्रहीताके जन्मस्थानका निर्देश हुआ करता था । उदाहरणार्थ, कर्कराजके दानपत्रमें ‘वलभी’ ग्रामका उल्लेख है (वलभी-विनिर्गत चातुर्विध सामान्य वात्स्यायन सगोत्र माध्यन्दिन सव्रह्मचारिणे) । काठियावाड़के अन्तर्गत वलभी ग्रामके ब्राह्मणको ‘लाट ब्राह्मण’ अथवा ‘सौराष्ट्र ब्राह्मण’ कहा जा सकता था; किन्तु ऐसा कहीं उल्लेख नहीं पाया जाता । सांगली दानपत्रका प्रतिग्रहीता पौण्ड्रधर्धन ग्रामका रहनेवाला है । वर्तमान प्रथाके अनुसार वह गौड़ माना जा सकता है । किन्तु दानपत्रमें केवल ‘कौशिक सगोत्र वाजिकारव सव्रह्मचारिणे’ इतना ही लिखा है । इन प्रमाणोंसे यह निर्विवाद सिद्ध हो जाता है कि उस समय ब्राह्मणोंमें उपभेद नहीं थे; सारे भारतके ब्राह्मण एक समान माने जाते थे, केवल उनके गोत्र भिन्न भिन्न हुआ करते थे । पराशरस्मृतिमें लिखा है कि अतिधिका गोत्र या अध्ययन नहीं पूछना चाहिये । ‘न पृच्छेद्रोत्रचरणे न स्वाध्यायश्रुते तथा’—इस वचनसे प्रमाणित है कि तब ‘गोत्र और चरण’ के अतिरिक्त ब्राह्मणोंमें आन्तरिक उपभेद नहीं थे ।

क्षत्रियोंमें भी ब्राह्मणोंकी तरह उपभेद नहीं थे । सब क्षत्रिय समान थे । 'खत्री', 'राजपूत', 'वैस', 'मराठा' आदि प्रान्तीय भेद नहीं माने जाते थे और सबमें परस्पर विवाह-सम्बन्ध हुआ करते थे । तबके ब्राह्मणों और क्षत्रियोंमें एक स्थूल भेद अवश्य ही देख पड़ता है । वह यह कि पूर्वकालके क्षत्रिय दानपत्रोंमें अपने गोत्रका अभिमानपूर्वक निर्देश करते थे । दक्षिणके चालुक्य राजा अभिमानसे अपनेको 'मानव्य-सगोत्र' और काशीके पल्लव राजा 'भारद्वाज सगोत्र' लिखते थे । परन्तु ईसाकी नवीं और दसवीं शताब्दीमें राजकुलोंमें गोत्रोंका उच्चार बहुत ही कम होता था । मालखेड़के राष्ट्र-कुटी, कन्नौजके प्रतिहारों अथवा मेवाड़के गुहिलोंके लेखोंमें गोत्रोंका उल्लेख नहीं है । परमारोंकी उत्पत्तिके सम्बन्धमें एक दन्तकथा प्रसिद्ध है; उसमें कहा गया है कि परमारोंका गोत्र वासिष्ठ है । चालुक्योंके गोत्रका भी इसी प्रकारकी दन्तकथासे पता चलता है । सम्भव है, उस समय गोत्रोंका महत्त्व घटकर कुलोंका बढ़ गया हो, क्योंकि कई स्थानोंमें कुलके लिख गोत्र शब्द प्रयुक्त हुआ है । एक शिलालेख (बुचकुला लेख, एपि० इंडि० ६. १६६) में प्रतिहार गोत्र (कुल) का उल्लेख देख पड़ता है और नरवाहन-लेखमें यण्णको 'गुहिलगोत्र नरेन्द्रचन्द्र' लिखा है । इससे यह प्रतीत होता है कि बौद्धोंके अहिंसा मतके प्रचारसे यज्ञादि वैदिक कर्म लुप्त हो चले और पौराणिक देवताओंकी उपासना-प्रणाली विशेष रूपसे प्रचलित हुई; जिससे क्षत्रिय अपने गोत्रों और प्रवरोंको भूलने लगे । वैदिक कर्मोंमें गोत्र-प्रवरोंका जितना महत्त्व है, उतना पौराणिक देवताओंकी उपासनामें नहीं है । फिर भी क्षत्रिय गोत्र-प्रवरोंको सर्वथा भूल नहीं गये थे । हिंसारहित वैदिक

कर्मोंका लोगोंमें प्रचार होनेके कारण गोत्र आदिका सर्वथा भूल जाना सम्भव नहीं था ।

वैश्य जातिमें भी उपभेद नहीं थे । आजकलकी तरह तब महेश्री, लाड आदि वैश्योंकी उपजातियाँ नहीं बनी थीं । बौद्धधर्मका प्रचार आरम्भसे वैश्योंमें ही अधिक होनेके कारण उन्हींको गोत्र-प्रवरोंका विस्मरण सबसे पहिले हुआ । वैश्योंमें बौद्धधर्मका प्रचार अशोकके समयसे विशेष हुआ, क्योंकि श्रौतसूत्रके प्रवराध्यायमें ब्राह्मण-क्षत्रियोंके गोत्र-प्रवरोंके साथ वैश्योंके गोत्रादिका विचार न कर, स्वतन्त्र रूपसे किया गया है और वैश्योंका एक ही गोत्र (वत्सप्री) और प्रवर माना गया है । बौद्धधर्मका हास होनेपर वैश्योंका भुकाव वेदप्रतिपादित धर्मकी ओर न होकर वैष्णवधर्मकी ओर अधिक हुआ । इसके कारणका विचार समयकी दृष्टिसे अग्रिम भागमें करना उचित होगा ।

ये तीन प्रधान जातियाँ थीं । इनके अतिरिक्त और भी कुछ उपजातियाँ थीं; किन्तु उनकी संख्या वर्तमान समयकी तरह अनन्त नहीं थी । उपजातियोंका उल्लेख अधिक तो नहीं, कहीं कहीं देख पड़ता है । कायस्थ लोग लेखनकुशल थे, इस कारण कहीं कहीं उनका उल्लेख है; किन्तु उनमें भी उपभेद नहीं थे । अन्य उपजातियोंमें भी उपभेद नहीं थे ।

अरबी प्रवासियोंके वर्णनोंसे जान पड़ता है कि उस समय प्रधानतः केवल सात जातियाँ थीं । मेगस्थनीजने भी सात ही जातियोंका उल्लेख किया है । खुर्दादवाने अपनी पुस्तकमें, जो ई० स० ६०० (वि० ६५७) में लिखी गयी थी, भारतकी जातियोंका इस प्रकार वर्णन किया है—“हिन्दुस्थानियोंमें सात जातियाँ हैं, यथा—(१) सबकत्रिय—यह राजाओंकी जाति है ।

इसकी गणना उच्च जातियोंमें होती है और सब जातिवाले इस जातिका आदर करते हैं । (२) ब्राह्मण—इस जातिके लोग मद्य आदि मादक पदार्थोंको बिलकुल निषिद्ध मानते हैं । (३) क्षत्रिय—इस जातिके लोगोंमें मद्यका निषेध नहीं है, किन्तु वे तीन प्यालेसे अधिक नहीं पीते । इस जातिको कुमारिकाएँ ब्राह्मणोंसे व्याही जाती हैं; किन्तु ब्राह्मण कुमारिकाओंके विवाह इस जातिके साथ नहीं होते । (४) सुदरीय—इस जातिकी जीविका खेतीसे चलती है । (५) वैसुर—इस जातिके लोग कारीगर और घर-गृहस्थोंके काम करते हैं । (६) संदलिया—इस जातिके लोग बहुत निम्न श्रेणीके काम करते हैं । (७) लाहुर—इस जातिकी स्त्रियाँ अलङ्कारप्रिय होती हैं और पुरुष मनोरंजन तथा कौशलके खेल दिखाया करते हैं ।” ईलाकी नर्वाँ और दसवीं शताब्दीका यह स्थूल वर्णन यथार्थ माना जा सकता है । विदेशी यात्रियोंके ध्यानमें यहाँकी रीति-नीतिका रहस्य नहीं आसका, किन्तु उसकी विलक्षणता अवश्य ही उन्हें देख पड़ी । उक्त वर्णनमें ‘सर्वक्षत्रिय’ जाति स्वतन्त्र और ब्राह्मणोंसे भी श्रेष्ठ मानी गयी है । कदाचित् राजपूतोंके उच्च मनोभावों, शौर्यशाली तेज तथा अरबोंके लगातार प्रतिरोधसे उन्हें यह उच्चता प्राप्त हुई हो । दूसरी श्रेणी स्पष्ट ही ब्राह्मणोंकी है । तीसरी श्रेणीमें सर्वसाधारण क्षत्रिय हैं । चौथी श्रेणी शूद्रोंकी है । सम्प्रति इस श्रेणीके लोग खेती करते हैं । वास्तवमें इस श्रेणीके लोगोंका स्थान वैसुरों (वैश्यों) के नीचे होना चाहिये । गीतामें भी वैश्योंका प्रधान कर्म ‘कृषिगोरक्ष-वाणिज्य’ कहा है । परन्तु प्राचीन कालसे ही वैश्योंने इस धन्धेका त्याग कर दिया था और उस समय जो वैश्य खेती करते थे उनकी गणना शूद्रोंमें ही हुआ करती थी । इसका

विस्तृत विचार हम पहिले भागमें कर चुके हैं। वैश्य कारीगर और घर-गृहस्थीके काम करनेवाले कहे गये हैं; किन्तु इसका कारण समझमें नहीं आता कि उनके प्रधान धन्धे-व्यापार-का उल्लेख क्यों नहीं किया गया। मेगस्थनीजने भी व्यापारियोंका समावेश कारीगरोंमें किया है। उनके मुख्य व्यवसाय 'वाणिज्य' का वर्णन किसी लेखकने नहीं किया, यह आश्चर्य है। छठी श्रेणीमें चाण्डाल गिने जाते हैं। ये सब प्रकारके जुद्ध कार्य करते थे। वाणके हर्षचरितमें भी लिखा है कि इनको सेनाके सईसोंका काम सौंपा गया था। सातवीं श्रेणीमें शारीरिक करतब दिखाते हुए भटकनेवाले नटों-जादूगरों-का समावेश किया जा सकता है। कहा नहीं जा सकता कि 'सबक-त्रिय' और 'लाहुर' ये शब्द किन संस्कृत शब्दोंके अपभ्रंश हैं। कदाचित् 'सबकत्रिय' शब्द 'सत्तत्रिय' का अपभ्रंश हो।

— हिन्दू धर्मशास्त्रके अनुसार हर एक जातिके व्यवसाय और विवाह सम्बन्धी कुछ निश्चित नियम हैं, किन्तु देश-कालानुसार वे बदलते भी रहते हैं। अब यह देखना है कि ईसाकी नवीं और दसवीं शताब्दीमें वे कितने शिथिल या दृढ़ थे। वैवाहिक रीति-नीतिके सम्बन्धमें खुर्दादबाके वर्णनसे कुछ पता चलता है। उसका आधार लेते हुए तत्कालीन स्मृतिवचनोंका विचार कर उस समयकी परिस्थितिका चित्र खींचना है। तब सवर्ण विवाह ही होते थे। परन्तु मेगस्थनीज और हन्नखुर्दादबाके वर्णनमें एक अपवाद यह देख पड़ता है कि ब्राह्मण स्त्रिय-कन्याओंसे विवाह कर लेते थे। सम्भवतः स्त्रिय भी वैश्य-कन्याओंसे विवाह कर लेते होंगे। उस समय या उसके पूर्व रची गयी व्यासस्मृतिमें अनुलोम विवाहके सम्बन्धमें लिखा है—

“ऊढायां हि स्ववर्णायामन्यां वा काममुद्वहेत् ।

तस्यामुत्पादितः पुत्रो न स्ववर्णात्प्रहीयते ॥

उद्वहेत्क्षत्रियां विप्रो वैश्यांश्च क्षत्रियो विशाम् ।

न तु शूद्रां द्विजः कश्चिन्नाधमः पूर्ववर्णजाम् ॥”

इस स्मृतिमें वर्णित स्थिति आलोच्य दो शताब्दियोंके पूर्वकी होनेपर भी एक अपवादको छोड़कर इस कालकी निदर्शक हो सकती है। मनुस्मृतिके समयमें ब्राह्मणोंको चारों वर्णोंकी कन्याओंसे विवाह करनेका अधिकार था; परन्तु उक्त शताब्दियोंमें शूद्र-कन्याओंसे उच्च वर्णवाले विवाह नहीं कर सकते थे। बाणके समयमें भी द्विज (ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य) शूद्रोंसे विवाह करते थे। बाणके पारशव आदि भ्राताओंका उल्लेख हम पहिले भागमें कर चुके हैं। प्राचीन कालमें वैश्य स्वजाति-की तथा शूद्र जातिकी कन्यासे विवाह कर लेता था परन्तु उक्त दो शताब्दियोंमें शूद्र की कन्या निषिद्ध हो गयी। क्षत्रिय अपनी जातिकी, वैश्यकी और शूद्रकी कन्यासे विवाह करता था; परन्तु उसके लिए भी शूद्र की निषिद्ध मानी गयी। हर एक वर्णका पुरुष अपने ही वर्णकी कन्यासे विवाह करे, यह कठोर नियम था। और इसीसे असवर्ण कन्यासे विवाह करनेकी प्रथा बन्द हो गयी। असवर्ण कन्यासे विवाह करनेकी प्रथा रुद्ध होनेपर भी ऐसे सम्बन्ध श्रीमान् और सत्ताधारी ब्राह्मण ही कर सकते थे। ईसाकी दसवीं शताब्दी (वि० ६५८-१०५७) में भी ऐसे सम्बन्ध कहीं कहीं होते थे। सुप्रसिद्ध राजशेखर-की स्त्री अन्य वर्णकी थी, यह तो इतिहासके पाठकोंको विदित ही है। काबुल और सिन्धमें ब्राह्मणोंके राज्य थे और वहाँके राजपुरुषोंको ब्राह्मण कन्याओंसे विवाह करनेका अधिकार था। यों उनके आचरण क्षत्रियों जैसे ही थे। अनुलोम विवा-

हका प्रचार समाजमें एकजीवता उत्पन्न करनेमें पोषक हो हुआ करता था। वह प्रथा बन्द होने पर समाजके विभिन्न अवयव एक दुसरेसे पृथक् हो चले और उसका पर्यवसान यह हुआ कि जातियोंमें परस्पर तीव्र मतसर उत्पन्न हो गया। असवर्ण विवाहका विचार करते हुए यह बात भी ध्यानमें रखनी चाहिये कि उस समय विवर्णोंके खानपानमें कोई अन्तर नहीं था।

अनुलोम विवाह होते थे सही, किन्तु समाजके आन्तरिक पार्थक्यका एक बन्धन और कारणीभूत हो रहा था। वह यह था कि अनुलोम विवाहसे उत्पन्न हुई सन्तान माताके वर्णकी मानी जाने लगी थी। व्यासस्मृतिके समयमें यह बन्धन नहीं था। उस समय इस प्रकारकी सन्तान पिताके वर्णकी मानी जाती थी—“तस्यामुत्पादितः पुत्रो न सवर्णात्प्रहीयते”। कुछ समयतक ऐसी सन्तानको लोग मिश्र जातिकी मानने लगे थे। इससे समाजमें अनन्त भेद उत्पन्न हो चले और कई प्रकारकी अड़चनें उत्पन्न होने लगीं। इस कारण मिश्र सन्तान माताकी जातिकी मानी जाने लगी। परन्तु इससे, जैसा कि हम पहिले लिख चुके हैं, समाजकी विष्टुंखलता बढ़ती ही गयी।

वैवाहिक बन्धनकी दृष्टिसे जातियोंका विचार करनेके अनन्तर अब हम उद्योग-धन्धोंके लिहाजसे उनका विचार करते हैं। ब्राह्मण उस समय जिस प्रकार स्वजातिके अतिरिक्त अन्य जातिकी स्त्रियोंसे विवाह कर सकते थे, उसी प्रकार अपने धन्धेके सिवा अन्य जातियोंके धन्धे भी कर सकते थे। श्रेष्ठ जातिको निम्न जातिके धन्धे करनेका अधिकार था, किन्तु निम्न जातियाँ उच्च जातियोंके धन्धे नहीं कर पाती थीं। उस

समय बहुतसे ब्राह्मणोंने क्षत्रिय-वृत्ति स्वीकार कर ली थी और वे राज्यके उच्च पदोंपर भी नियुक्त होते थे। शस्त्र और शास्त्र दोनोंमें ब्राह्मण प्रवीण थे। इन्हें खुर्दादवाकी तरह सुलेमान नामक व्यापारीने भी लिखा है कि हिन्दू राज्योंके सब सरदारोंका मानों एक ही कुल जान पड़ता है। विद्वान् और वैद्य भी एक ही कुलके प्रतीत होते हैं, क्योंकि ये लोग अपना धन्धा या विद्या दूसरे किसीको नहीं सिखाते (इलि० १, पृ० ६)। अबूजैद कहता है—“धर्म और शास्त्रोंका अध्ययन विशेषतया ब्राह्मण ही करते हैं। इनमें बहुतसे राजाध्यप्राप्त कवि, ज्योतिषी, तत्त्वज्ञानी और दैवज्ञ हैं। इस श्रेणीके बहुतेरोंको भविष्यज्ञान होता है और वे ऐंद्रजालिक विद्या भी जानते हैं जिसके प्रभावसे कभी कभी वे ऐसे चमत्कार कर दिखाते हैं कि आश्चर्यचकित हो जाना पड़ता है। कन्नौजके राज्यमें उनकी संख्या अधिक है।” इस वर्णनसे जान पड़ता है कि बुद्धि-प्रधान नाना प्रकारके धन्धोंमें उस समयके ब्राह्मण प्रवीण थे। बाणके समयमें जिस प्रकार कन्नौज अथवा साधारणतया उत्तर भारतके ब्राह्मण सब विद्या-कलाओंमें निपुण थे, उसी प्रकार ईसाकी नवीं और दसवीं शताब्दीमें भी थे। अल-मसूदीने अपने प्रवास-वर्णनमें लिखा है—“सब जातियोंमें ब्राह्मणोंका ही सबसे अधिक सम्मान और आदर होता है। राज्याधिकार किसी एक ही कुलके हाथ रहता है और प्रधान पद वंश-परम्परासे प्राप्त होता है।”

ब्राह्मणोंकी तरह क्षत्रिय भी शस्त्र-विद्याके साथ साथ शास्त्राध्ययन करते थे। ब्राह्मणोंकी मुख्य विद्या शास्त्र और क्षत्रियोंकी शस्त्र है; परन्तु उस समय ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों ही इन दोनों विद्याओंमें समान रूपसे पारङ्गत थे। क्षत्रियोंको

वेद-पठनका अधिकार था और कभी कभी शास्त्रोंमें उनकी अच्छी प्रवीणता देख पड़ती थी। राजपूत राजकुलोंमें दोनों विद्याओंका समान रूपसे अध्ययन होता था और दोनों विद्याओंमें उनकी सुख्याति थी। मेवाड़के महाराज अमरसिंहने एक बार हमसे बातचीतमें कहा था—“अंग्रेजी अमलदारीसे ही क्षत्रियोंका शास्त्रतेज और शस्त्रतेज नष्ट हुआ है।” निःसन्देह महाराजका यह कथन अक्षरशः सत्य है। उस समयके राजाओंमें परमार कुलके मुज और भोजराज दोनों विद्याओंमें पारङ्गत थे। इतर कुलोंके राजा भी दोनों विद्याओंमें प्रवीण होते थे। काश्मीरका हर्ष सुप्रसिद्ध विद्वान् था। चालुक्य वंशका विनयादित्य प्रसिद्ध गणितज्ञ था। उसे ‘गुणक’ की यथार्थ पदवी मिली थी। लेखोंमें विद्याके सम्बन्धमें बलभी राजाओंके उल्लेख पाये जाते हैं। सारांश, उस समयके राजपूत, शास्त्रोंकी तरह, शास्त्रोंमें भी अच्छी अभिरुचि रखते थे। वेद-मन्त्रोंका उन्हें उत्तम ज्ञान होता था और वेदोंके अन्तर्गत जो अनेक शास्त्र हैं, उनमें वे पारङ्गत होते थे।

पराशरस्मृतिका काल भी इसी समयके आसपास है। उससे पता चलता है कि उस समय बहुतसे ब्राह्मणों और क्षत्रियोंने खेती करना आरम्भ कर दिया था। इससे पहिले वैश्य ही खेती करते थे, किन्तु अब उन्होंने यह व्यवसाय छोड़ दिया था। इस समय प्रधानतया शूद्र ही इस व्यवसायमें रह गये थे, पर अब ब्राह्मण और क्षत्रिय भी इसे करने लगे। इसका कारण यह प्रतीत होता है कि बौद्धधर्मका उदय होने पर उसके अधिक अनुयायी वैश्य ही हुए। बौद्धधर्म अहिंसा-प्रधान है और कृषिकार्यमें कृमि-कीटोंकी बहुत हत्या होती है। इसी विचारसे वैश्योंने इस व्यवसायमें हाथ खींच लिया।

बौद्ध धर्मके हासके अनन्तर हिन्दूधर्मकी पुनः स्थापना होने पर वैश्योंके बदले ब्राह्मण-क्षत्रियोंने जीविकाके विचारसे खेती करना आरम्भ तो किया पर उन्हें यह व्यवसाय प्रिय नहीं जँचा । प्रायश्चित्तके मिथसे इस सम्बन्धमें पराशर अपनी स्मृतिमें लिखते हैं—

अतः परं गृहस्थस्य कर्माचारं कलौ युगे ।
धर्म साधारणं शक्यं चातुर्वर्त्यसमाश्रितम् ॥
तं प्रवक्ष्यामहं पूर्वं पराशरवचो यथा ।
यद्वर्कमसहितो विप्रः कृषिकर्म च कारयेत् ॥
क्षुधितं तृषितं ध्रान्तं बलीवर्दं न योजयेत् ।
वाहयेत् दिवसस्यार्धं पश्चात्स्नानं समाचरेत् ॥
स्वयं कृष्टे तथा क्षेत्रे धान्यैश्च स्वयमर्जितैः ।
निर्वपेत् पञ्चयज्ञांश्च क्रतुदीक्षां च कारयेत् ॥

खेतीके कार्यमें जीवहत्याका पाप होता है, इस बातको स्मृतिकार स्वीकार करते हैं—

संवत्सरेण यत्पापं मत्स्यघाती समाप्नुयात् ।
अथोमुखेन काष्ठेन तदेकाहेन लाङ्गली ॥

परन्तु पराशर कहते हैं कि दानादिसे इस पातककी निवृत्ति हो जाती है—

वृक्षं छित्वा मर्द्दी भित्वा हत्वा च कृमिकीटकान् ।
कर्षकः खलु यज्ञेन सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥

कृषिसे उत्पन्न हुई वस्तुका तीसवां भाग ब्राह्मणादिको दान करनेसे कृषिजन्य पाप नहीं लगता—

राज्ञे दत्त्वा तु षड्भागं देवानां चैकविंशकम् ।
विप्राणां त्रिंशतं भागं सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥

हमने अपनी पहिली पुस्तकमें लिखा है कि सिन्धु प्रान्तमें कृषिका तीन-शतांश भाग ब्राह्मणोंको दान करनेकी रीति प्रचलित थी और सुसलमानोंके राजत्वकालमें महम्मद कासिमने उसी रीतिके अनुसार एक कानून बना दिया था ।

सारांश, उस समय ब्राह्मणोंने कृषिकर्मका स्वीकार किया था और कुछ बन्धन रख कर स्मृतिकारोंने भी इसकी अनुमति दे दी थी ।

स्मृतिवचनोंसे यह भी प्रमाणित होता है कि ब्राह्मणोंकी तरह क्षत्रियादि जातियोंको भी कृषिकर्मका अधिकार था—

क्षत्रियोऽपि कृषिं कुर्यात् देवान् विप्रांश्च पूजयेत् ।

वैश्यः शूद्रस्तथा कुर्यात् कृषिवाणिज्यशिल्पकम् ॥

इससे यही सिद्ध होता है कि सभी वर्गोंको कृषिकर्मका अधिकार था, किन्तु प्रधानतया यह कर्म ब्राह्मण-क्षत्रिय ही किया करते थे । पर सभी क्षत्रिय खेती करते थे, यह नहीं कहा जा सकता । राजपूत क्षत्रिय खेती नहीं करते थे । उन्होंने अपने क्षात्रधर्मका वाजा नहीं छोड़ा था । वे दो दलोंमें विभक्त थे—(१) केवल क्षात्रधर्मका पालन करनेवाले और (२) क्षात्रधर्मके साथ कृषिकर्म करनेवाले । इन्ग्लुर्दादवाके वर्णनमें दोनों भेद स्पष्ट रूपसे दिखाये गये हैं और अबतक उत्तर भारतके राजपूतोंकी तरह दक्षिण भारतके मराठोंमें ये भेद देख पड़ते हैं ।

कृषिकर्म शूद्रादि करते थे । उसका अङ्गीकार जिस प्रकार ब्राह्मण-क्षत्रियादिने किया, उसी प्रकार क्षात्रवृत्तिका स्वीकार क्षत्रियोंके अतिरिक्त अन्य वर्गों अर्थात् ब्राह्मण-वैश्योंने भी किया । क्षात्रधर्मके सम्बन्धमें मनुस्मृति और

वशिष्टस्मृतिमें मतभेद है। मनुस्मृतिमें लिखा है कि धर्माचरणमें यदि बाधा होती हो, तो द्विजको शस्त्र धारण करना चाहिये (शस्त्रं द्विजातिभिर्ग्राह्यं धर्मो यत्रोपरुध्यते) । पर वशिष्टने इस नियमकी संकीर्णता इस प्रकार दूर कर दी है—
आत्मत्राणे वर्णसंकरे वा ब्राह्मणवैश्यौ शस्त्रमाददीयाताम् ।
क्षत्रियस्य तु तन्नित्यमेवरक्षणाधिकारात् । मनुस्मृतिमें 'द्विज' शब्द है, किन्तु वशिष्टस्मृतिमें 'ब्राह्मण-वैश्य, दोनोंका स्पष्ट उल्लेख है, और केवल धर्मरक्षणाके लिए ही नहीं, किन्तु आत्मरक्षाके लिए भी शस्त्र धारण करनेकी आज्ञा है। सिन्धु प्रान्तके इतिहाससे ज्ञात होता है कि उस समय प्राचीन कालके नियमोंका उल्लंघन नहीं किया जाता था। चंच राजाने जाटोंके शस्त्रास्त्र धारण करने और घोड़ेपर चढ़नेके अधिकार छीन लिये थे।

क्रय-विक्रय सम्बन्धी नियम भी ध्यानमें रखने योग्य है। आपद्धर्म जानकर ब्राह्मण वैश्योंका धग्धा करने लगे थे, परन्तु कुछ वस्तुएँ—यथा नमक, तिल (अपने खेतमें अपने ही परिश्रमसे उत्पन्न तिल बेचनेमें दोष नहीं), शहद, शराब, मांस, गोरस और इसी प्रकारकी अन्य वस्तुएँ—ब्राह्मण नहीं बेच सकते थे। (स्मृतियोंमें गोविक्रयका भी निषेध है।) द्विज और उच्च शूद्र मद्य नहीं बेच सकते थे। द्विजोंके लिए दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थ बेचना मना था। दूध सर्वोत्तम पदार्थ है, इसीसे उसकी विक्री रोकी गयी होगी। उच्च शूद्र दूध और उससे बने पदार्थ बेच सकते थे, हालां कि मद्य बेचनेकी उन्हें भी मनाई थी।

बहुत प्राचीन समयसे यह धर्माज्ञा चली आती है कि ब्राह्मण और क्षत्रिय सुदखोरो न करें। वशिष्टस्मृतिमें लिखा

है कि सूदमें मूलसे दुनी रकम या तिगुना धान्य लिया जाय । इसी तरह ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रोंके लिए सूदकी कमशः बढ़ती हुई दर बतायी गयी है । यथा—

द्विकं त्रिकं चतुष्कं च पंचकं च शते स्पृतम् ।

मासस्य वृद्धिं गृहणीयाद्वर्णानामनुपूर्वशः ॥

अब भी यही बात देखी जाती है । इसका कारण यह हो सकता है कि समाजमें उच्च जातियोंकी साख अच्छी रहती है । एक ऐसा भी वचन मिलता है कि तीस रुपयोंपर पांच रुपये सूद लिया जाय ('पंच माषांस्तु त्रिंशद्धर्मो न हीयते) । यह नियम, चाहे शूद्रोंके लिए ही क्यों न हो, असम्भव जान पड़ता है । आजकल शूद्र अधिकसे अधिक २) लैकड़ा सूद देते हैं । हो सकता है कि ३०) पर ५) की दर मासिक न हो कर वार्षिक रही हो ।

हिन्दू समाजके सम्बन्धमें अलमसूदीकी सम्मतिका उल्लेख कर विभिन्न जातियोंके परस्पर खानपान-व्यवहारका विचार करना उचित होगा । अलमसूदी कहता है—“जंजी और कृष्ण वर्णकी अन्य जातियोंमें हिन्दू लोग बुद्धि, शारीरिक बल और पवित्रतामें श्रेष्ठ हैं । उनकी शासन-प्रणाली और तत्व-ज्ञानमें भी यही अन्तर देख पड़ता है ।”

खान-पानका विचार करते हुए विदेशियोंको अधिकांश हिन्दुओंके मद्यमांस-त्यागपर बड़ा ही आश्चर्य होता था । अत्यन्त प्राचीन समयसे ब्राह्मण मद्यको निषिद्ध समझते ही थे, किन्तु क्षत्रिय राजा भी मद्यको वर्ज्य मानते थे, ऐसा प्रवासियोंने लिखा है । अलमसूदी कहता है—“हिन्दू लोग मद्यको छूते तक नहीं । किसी राजाका मद्यपान यदि सिद्ध

हो जाय, तो वह पदच्युत कर दिया जाता है, क्योंकि उनका विश्वास है कि शराबीका विवेक और विचार नष्ट हो जाता है" (इलियट १, २०) । इन्म खुर्दादबाका कथन इससे कुछ विचित्र है । वह कहता है—“हिन्दू लोग और हिन्दू राजा शराब बनाना पाप नहीं समझते, किन्तु शराब पीना पाप समझते हैं ।” इस वाक्यका उत्तरार्ध हिन्दू जातिके लिए गौरवास्पद है । धर्मशास्त्रने क्षत्रियोंको मद्यपानका सुभौता कर दिया है, किन्तु मेवाड़के सिसोदिया-राजाओं जैसे क्षत्रियोंने मद्यको निषिद्ध माना था और इस समय भी मानते हैं । सुलेमान कहता है कि क्षत्रिय लोग मद्यके तीन ही प्याले पीते थे । परन्तु सब क्षत्रियोंके लिए यह नियम लागू नहीं था । वैश्योंमें मद्यपानकी प्रथा नहीं थी, तो भी कुछ वैश्य मद्य पीते थे ।

मांसाशनका निषेध बौद्ध धर्मके प्रचारके कारण विशेष रूपसे हुआ और इसके लिए बौद्धमतानुयायी राजा हर्षने बहुत परिश्रम किया । उस समय ब्राह्मणोंमें भी मांस खानेकी प्रथा लुप्त हो चली थी, परन्तु समूल नष्ट नहीं हुई थी । इफूमसूरी कहता है—“वे (ब्राह्मण) लोग किसी जीवका मांस नहीं खाते ।” परन्तु यह वर्णन हिन्दू, बौद्ध और जैन संन्यासियोंपर लागू हो सकता है, अन्य गृहस्थोंपर नहीं । उक्त लोगोंका वह इस प्रकार वर्णन करता है—“पुरुष और स्त्रियाँ दोनों अपनी विशिष्ट जातिका सूचक पीला वस्त्र यज्ञोपवीतकी तरह गलेमें धारण करते थे ।” ब्राह्मण यज्ञोपवीत धारण करते हैं पर वह पीला नहीं होता और बौद्ध तथा जैन यति पीत वस्त्र पहिनते हैं, पर यज्ञोपवीत धारण नहीं करते । अतः उक्त वर्णन कुछ विशिष्ट ब्राह्मणोंका ही जान पड़ता है । अबतक उच्चर भारतके कुछ ब्राह्मण मांसको निषिद्ध

नहीं मानते । अर्वाचीन स्मृतिग्रन्थोंमें मांसाशनका निषेध है, परन्तु व्यासस्मृतिमें लिखा है कि श्राद्धमें निमन्त्रित हुआ ब्राह्मण अवश्य मांस भक्षण करे, नहीं तो वह पतित होता है ।

नाशनीयाद्ब्राह्मणो मांसमनियुक्तः कथंचन ।

कतौ श्राद्धे नियुक्तो वा नाश्नन्पतति वै द्विजः ॥

इससे जान पड़ता है कि वैमिश्रिक यज्ञादि और नित्य श्राद्धादि प्रसङ्गोंमें ब्राह्मणों, क्षत्रियों और वैश्योंके घर मांसयुक्त पदार्थ बनते थे । वैश्यके श्राद्ध-प्रसंगमें मांसाशन निषिद्ध नहीं था, यह इस श्लोकसे स्पष्ट होता है —

भृगयोपार्जितं मांसमभ्यर्च्य पितृदेवताः ।

क्षत्रियो द्वादशेन तत्कीत्वा वैश्योऽपि धर्मतः ॥

परन्तु साधारणतः यह नियम था कि ब्राह्मण हत्या न करे और मांस भी न खाये ।

द्विजो दग्ध्वा वृथा मांसं हत्वाप्य विधिना पशून् ।

निरयेष्वक्षर्यं वासमाप्नोत्या- चन्द्र- तारकम् ॥

इसके अतिरिक्त ब्राह्मण गाय और भैंसको छोड़ अन्य किसी प्राणीका दूध न पीये, प्याज तथा अन्य हीन शाक न खाये इत्यादि, बहुतसे नियम रूढ़ थे । गाय तथा व्याघ्रादिके मांसका भक्षण चारों वर्णोंके लिए निषिद्ध था, किन्तु चारण्डालादि इस निषेधको नहीं मानते थे, इस कारण उन्हें गाँवसे बाहर रहना पड़ता था । उनका स्पर्श अशुचिकर माना जाता था । यही नहीं, ऐसे बहुतसे स्मृति-वचन हैं कि चारण्डालादि मार्गके किनारेसे चलें और इस बातकी सावधानी रखें कि उनकी छाया किसी अन्य वर्णके मनुष्यको न छू जाय ।

उस समय उच्च वर्णके लोगोंमें परस्पर खानपानका व्यवहार प्रचलित था, यह बात विशेष रूपसे ध्यानमें रखने योग्य है। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य एक साथ बैठकर भोजन करते थे। यही नहीं, कुछ अच्छे शूद्रोंको भी वे साथ ले लेते थे। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यके एकत्र भोजनका कहीं निषेध नहीं है, उल्टे सम्मतिस्त्रिक विधिवाक्य ही अनेक स्मृतियोंमें पाये जाते हैं। व्यासस्मृतिमें लिखा है—

धर्मेणान्योन्य भोज्यान्ना द्विजास्तु विदितान्वयाः ।

एकत्र भोजन-प्रसङ्गमें केवल इतना जान लेना आवश्यक था कि हम जिनके साथ भोजन कर रहे हैं वे द्विज हैं। वशिष्ठ-स्मृतिमें लिखा है।

नापितान्वयमिन्द्राक्षीरिणो दास गोपकाः ।

शूद्राणामप्यमीषां तु भुक्तवान्नं नैव दुष्यति ॥

अर्थात् नार्द, अपने कुलके मित्र, शरीर, नौकर और चर-वाहा यद्यपि शूद्र हैं, तथापि उनके साथ खानपान करनेमें कोई हानि नहीं है। यह अवश्य ही ध्यानमें रखना चाहिये कि उस समय विभिन्न जातियोंके खानपानमें कोई भेद नहीं था और ब्राह्मण भी मांस खा सकते थे। अनुलोम विवाहकी तरह सहभोजके प्रचारसे उस समय समाजमें सजीवता और एक-जीवता विद्यमान थी, इसमें सन्देह नहीं।

✓ उस समयके पहनावे—घर, अलङ्कार, आभूषण आदि—का एतद्देशीय ग्रन्थोंमें विशेष वर्णन नहीं है। मूर्तियों और चित्रोंसे भी ठीक अनुमान नहीं किया जा सकता। केवल तत्कालीन अरबी प्रवासियोंके ग्रन्थोंसे इसका कुछ पता चलता है। उनके लेखोंसे ज्ञात होता है कि सिन्ध प्रान्त, मुलतान तथा पश्चिमके

जिन प्रान्तोंमें अरबोंका प्रभुत्व था वहाँके हिन्दुओंके पहनावेमें बहुत परिवर्तन हो गया था। अलइस्ताखरी लिखता है—“मन्सूरा प्रान्तके हिन्दुओंका पहनावा इराक-निवासियोंकी तरह हो गया है; किन्तु वहाँके राजाका पहनावा और केश-कलाप हिन्दुओं जैसा ही होता है” (इलियट १-२७)। इब्न हौकलने भी ऐसा ही वर्णन किया है। अन्तर केवल यही है कि उसने ‘केशकलाप’ के बदले ‘पाजामा’ लिखा है। बल्हारा राज्यके लोगोंके सम्बन्धमें वह लिखता है—“वहाँके हिन्दु-मुसलमानोंके पहनावेमें कोई अन्तर नहीं है। दोनों दाढ़ी बढ़ाते हैं और प्रखर उष्णताके कारण मलमलके कपड़े पहनते हैं। मुलतानी लोगोंकी पोशाक भी इन्हीं लोगोंकी सी होती है।” (इलियट १-३४) मन्सूरा (सिन्ध) प्रान्त और बल्हारा राज्यके लोगोंके केवल कटिवस्त्रोंमें ही भिन्नता थी। सिन्धके लोग पाजामा पहनते और पंजाब तथा दक्षिणके लोग पहि-लेकी तरह धोती ही धारण करते थे। इनकराम (परशियाके सोमा प्रान्त) के साधारण लोग चुस्त बगड़ी (मिरजई) पहिनते थे; किन्तु व्यापारी लोग कुरते, अंगे और लम्बे लबादे धारण करते थे।

भारतवासियोंमें अलङ्कारोंकी अभिरुचि बहुत प्राचीन कालसे पायी जाती है। अरबी प्रवासियोंको भारतीय राज-पुरुषोंके कर्णकुण्डलोंका बड़ा कौतूहल जान पड़ता था। अबू-ज़ैदने लिखा है—“भारतीय राजाओंमें रत्नजडित स्वर्णकुण्डल धारण करनेकी प्रथा बहुत प्राचीन समयसे चली आ रही है।” पेशवाओंके राजत्वकालतक यह प्रथा प्रचलित थी, यह नाना फड़नवीसके चित्रसे स्पष्ट हो रहा है। स्मृतियोंमें भी लिखा है कि गृहस्थाश्रमी पुरुष कुण्डलोंको धारण करे

(धारयेहुकम कुण्डले—वशिष्ठः) । पंजाबमें इस प्रथाका अवशेष अबतक देख पड़ता है । वही लेखक लिखता है—“वे (भारतीय राजपुरुष) माणिक और पन्नेके कण्ठे धारण करते हैं और मोतियोंकी मालाएँ पहिननेकी उनमें विशेष अभिरुचि होती है ।” मुक्तामालाओंके धारणकी अभिरुचि अबतक धनाढ्य व्यापारियों और राजाओंमें देख पड़ती है । तब धनिक स्त्रियों और पुरुषोंके कण्ठोंमें मोतियोंके कण्ठे देख पड़ते थे । राजशेखरके एक नाटकमें वर्मकुलसे कजौज-राजके बहुभूल्य मुक्तामाल खरीदनेका उल्लेख है । सारांश, इस समय तकके ग्रन्थोंमें सुहागिन स्त्रियोंका प्रधान सौभाग्यालंकार मानी जानेवाली नथका उल्लेख नहीं है । हमारा मत तो यह है कि नथ पहिननेकी रीति हिन्दुओंने मुसलमानोंसे ग्रहण की है ।

लोगोंकी यह धारणा ठीक नहीं है कि हिन्दुओंने मुसलमानोंकी देखादेखी परदेकी प्रथा चलायी है । रामायणमें लिखा है कि विवाहादि मङ्गल-कार्योंमें, यज्ञमें अथवा सङ्कटके समयमें स्त्रियाँ परदेसे बाहर रह सकती हैं । इससे यह स्पष्ट है कि वे और समय परदेमें रहती थीं । मुसलमानोंमें प्राचीन समयसे परदेकी प्रथा है । उनकी स्त्रियाँ किसी समय परदेसे बाहर नहीं आ सकतीं । किन्तु हिन्दुओंमें यह प्रथा इतनी कड़ी कभी नहीं थी । इस सम्बन्धमें अबू जैदका मत कुछ विचित्रसा जान पड़ता है । वह लिखता है—“भारतीय राजाओंकी सभाओंमें राजस्त्रियाँ अपने और पराये लोगोंके सामने स्वतन्त्रतापूर्वक व्यवहार करती (आती जाती) थीं ।” (इलियट) मल्लाबार प्रान्त और दक्षिणके कुछ भागकी राज-सभाओंमें स्त्रियोंको ऐसी स्वतन्त्रता रही होगी; क्योंकि वहाँ यह प्रथा कभी थी ही नहीं; किन्तु उक्त वर्णन उत्तर भारतकी राज-सभाओंके लिए

लागू नहीं हो सकता; क्योंकि वहाँ परदेकी प्रथा बहुत प्राचीन समयसे प्रचलित है। अबू जैदने सम्भवतः भारतीय राज-सभाओंकी स्त्री-सेविकाओंको देखकर ऐसा वर्णन किया है। बाणभट्टने हर्षकी राज-सभाकी स्त्री-सेविकाओंका मगोरञ्जक वर्णन किया है; परन्तु इससे यह नहीं कहा जा सकता कि उस समय पटरानियाँ भी परदा त्याग कर राज-सभाओंमें आती जाती थीं। उत्तर भारतकी तरह महाराष्ट्रमें भी परदा-प्रथा पुरानी है। परन्तु वह क्षत्रियोंमें ही विशेष रूपसे प्रचलित है, अन्य जातियोंमें नहीं।

बालविवाहकी प्रथाके सम्बन्धमें भी ऐसा ही भ्रम फैला हुआ है। प्रायः लोग कहा करते हैं कि जब मुसलमान भारतमें आये, तब वे हिन्दू कुमारिकाओंका बलपूर्वक अपहरण कर उनसे निकाह करने लगे; इसका प्रतिकार करनेके लिए ही बालविवाहकी प्रथा इस देशमें प्रचलित हुई; परन्तु इस धारणामें, हमारी समझमें, सत्यांश बहुत ही कम है। जेता जातिकी पाप-वासनाओंकी रोक विजित जातिकी स्त्रियोंके शीघ्र विवाहसे कैसे हो सकेगी? कामी पुरुष जिस स्त्रीपर आसक्त होता है उसके सम्बन्धमें यह विचार नहीं करता कि उसका विवाह हुआ है या नहीं। यह भी सम्भव नहीं कि जिस स्त्रीका बचपनमें विवाह हो गया हो उसका कोई बला-त्कारसे हरण कर ही नहीं सकता। हमारी समझमें बाल-विवाहका कारण कुछ और है। यह प्रथा मुसलमानी राज्यके समयसे नहीं किन्तु उससे बहुत पूर्व कालसे प्रचलित थी। बाणभट्टने राज्यश्रीके विवाहका जो वर्णन किया है, उससे ज्ञात होता है कि उसके समयमें प्रौढ़विवाह प्रचलित था। परन्तु पराशर और व्यासकी स्मृतियोंमें, जो इसी समय

लिखी गयीं, बालविवाहका समर्थन किया गया है। अतः यह अनुमान किया जा सकता है कि बाणभट्टके पश्चात् और मुसलमानी राजत्वकालसे पहिले बालविवाहकी प्रथा प्रचलित हुई। पराशर और व्यासस्मृतिमें कन्याके विवाहकी वयोमर्यादा आठसे दस वर्षतककी बतायी है। “विवाहयेदष्टवर्षामेवं धर्मो न हीयते”—यह पराशर स्मृतिका वचन है। व्यासके मतसे जबतक कन्या पूरी साड़ी न पहिनती हा, केवल लहंगा पहनती हो, तभी उसका विवाह कर देना चाहिये। “धृताधो-वसनां गौरी” यह ‘गौरी’ शब्दका व्यासकृत अर्थ है। पराशरके मतसे आठ वर्षकी कुमारी ‘गौरी’ कहलाती है। परन्तु अमरकोषमें जो रजस्वला न हुई हो, उस कुमारिकाको ‘गौरी’ कहा है। उक्त स्मृतिकारोंके समयमें ही बालविवाहकी प्रथा प्रचलित हुई, इसमें सन्देह नहीं; परन्तु इसका कारण बताना कठिन है। बौद्धधर्मके विरुद्ध जो आन्दोलन खड़ा हुआ, हमारे मतसे, उसीसे इसका सम्बन्ध है। बौद्धधर्मके अनुसार अविवाहित युवती स्त्रियाँ तपस्विनी हो सकती हैं। कन्याओंका विवाह बाल्यावस्थामें ही कर देनेसे वे तपस्विनी नहीं हो सकेंगी, यही विचार कर उस समय बालविवाह बढ़ हुआ होगा। अनार्य लोगोंमें बालविवाह बहुत प्राचीन कालसे प्रचलित था ही, समय पाकर उसी प्रथाका अनुकरण आर्योंने भी किया। अति पुरातन स्मृतियों और गृह्यसूत्रोंको बाल-विवाह सम्मत नहीं था। पुरानी स्मृतियों और गृह्यसूत्रोंमें कहा है कि विवाह-संस्कार होते ही गर्भाधान-संस्कार करना चाहिये। बाणभट्टने लिखा है कि राज्यश्रीका गर्भाधान-संस्कार विवाह होते ही किया गया था। सारांश, बौद्धधर्मको दवाने या उससे बचनेके लिए ही आर्योंमें बालविवाहकी प्रथा प्रच-

लित हुई। उस समयके क्षत्रियोंमें यह प्रथा थी या नहीं, यह नहीं कहा जा सकता। विल्हणके काव्यसे प्रतीत होता है कि क्षत्रियोंमें यह प्रथा नहीं थी, परन्तु उनमें इस प्रथाके प्रचलित होनेके अन्य प्रमाण दिये जा सकते हैं।

यालविवाहकी प्रथा उसी समय दृढ़मूल होनेके और भी कुछ प्रमाण मिलते हैं। व्यासस्मृतिमें लिखा है—

“यदि सा दातृवैकल्याद्भजः पश्येत्कुमारिका।

भ्रूणहत्याश्च यावताः पतितः स्यात्तदप्रदः॥”

विवाहसे पूर्व यदि कन्या ऋतुमती हो जाय, तो उसके पिताको भ्रूणहत्याका पाप लगता है। गृह्यसूत्रोंसे यह नहीं प्रतीत होता कि पूर्वकालमें कुमारिकाओंके विवाहके लिए रजोदर्शनका प्रत्यवाय माना जाता था। कालिदासके समयमें भी स्त्रियोंके विवाह रजोदर्शनके पश्चात् ही होते थे। शकुन्तलाका विवाह प्रौढ़ अवस्थामें हुआ था, यह तो शकुन्तला नाटकसे ही स्पष्ट है। शकुन्तला सयानी हो गयी थी, परन्तु करव ऋषिने कभी स्वप्नमें भी विचार नहीं किया कि उसका शीघ्र विवाह न कर देनेसे भ्रूणहत्याका पातक होगा। रजोदर्शनके पश्चात् कुमारिकाका विवाह करनेसे भ्रूणहत्याका पातक होता है, यह जबसे शास्त्रकारोंने निश्चित किया तभीसे समाजसे प्रौढ़-विवाहका लोप हो चला। पराशर-स्मृतिमें रजोदर्शनकी काल्पनिक मर्यादा बतायी गयी है। कुमारिकाका दसवाँ वर्ष आरम्भ होते ही उसे रजस्वला समझ लेनेका एक नया नियम इस स्मृतिमें लिखा है

पतिके निधनके पश्चात् वैधव्य दशामें जीवन बितानेकी प्रथा हिन्दू समाजमें बहुत प्राचीन कालसे प्रचलित है।

आलोच्य समयमें भी इस प्रथामें परिवर्तन नहीं हुआ । उलट्टे इसका दीनतासूचक और घृणित स्वरूप प्रकट हुआ । बाल-विवाहकी प्रथा प्रचलित होनेसे बालविधवाओंकी भी संख्या बढ़ गयी और वर्तमान समयकी तरह उनकी दशा भी कष्ट-जनक हो गयी । उक्त समयके शास्त्रकारोंने बालविधवाओंकी दशा सुधारनेका कुछ प्रयत्न किया । उन्होंने ऐसी विधवाओंको, जो रजस्वला होनेसे पूर्व विधवा हो गयी हों, पुनः विवाह करनेकी आज्ञा दे दी । इस आज्ञाले उस समयकी बालविधवाओंकी दशा आजकलकी अपेक्षा कुछ अच्छी हो थी । पतिके साथ सती होनेकी पुरानी प्रथा भी उस समय प्रचलित रही होगी । पहिले भागमें कहा गया है कि तब राजाके विश्वस्त नौकर भी राजाके साथ भस्मीभूत हो जाते थे । इस सम्बन्धमें अबू जैदने एक बड़ी ही मनोरंजक बात लिखी है । वह लिखता है—“भारतके कुछ राजवंशोंमें एक विचित्र प्रथा प्रचलित है । राजाके राज्यारोहणके अवसरपर वटके पत्तल-पर थोड़ासा भात परोसा जाता है । कुछ भात तो राजा खाता है और बाकी उसके विश्वासपात्र सेवक स्वेच्छासे खाते हैं । राजा जब मरता है, तब उसके वे सब विश्वासपात्र सेवक, जिन्होंने उक्त भात खाया है, राजाके शवके साथ अपना शरीर भी अग्निको अर्पण कर देते हैं ।”

अति वृद्ध हो जानेपर किसी तीर्थक्षेत्रमें जाकर आत्मघात करनेकी प्रथा भी उस समय प्रचलित थी । अरबी प्रवासियोंके ग्रन्थोंमें इसके प्रमाण मिलते हैं । एक ताम्रलेखका उल्लेख पहिले हो चुका है, जिसमें लिखा है कि चन्देल राजवंशके धंग-राजने अपनी जीर्ण देह प्रयागमें जाकर गंगामें विसर्जन की थी । अबूजैदने लिखा है—“स्त्रियों अथवा पुरुषोंके वृद्धावस्थाके कारण

विकल हुए शरीरोंको उनके कुटुम्बी चितामें जला देते अथवा जलमें बहा देते हैं” (इलियट १) । प्रयागके जिस वृत्तसे कूदकर वृद्ध लोग अपना शरीर गंगामें अर्पण करते थे, उस वृत्तका वर्णन आधुनिक अरबी प्रवासियोंने भी किया है । इससे प्रतीत होता है कि ईसाकी दसवीं शताब्दी (वि० ६५८-१०५७) में भी यह प्रथा प्रचलित थी । परन्तु इस प्रकार आत्मसमर्पण करनेकी घटना यदाकदा ही होती थी क्योंकि हिन्दूधर्मशास्त्रोंमें आत्महत्या करना पाप माना गया है ।

मृत देहका दहन करने और मृतकोंके लिए शोक तथा अशौच (सूतक) मनानेकी प्रथा हिन्दू समाजमें बहुत पुरानी है । अरबी प्रवासियोंके यात्रा-वर्णनोंमें इसका उल्लेख है । “हिन्दू लोग मृत देहको जला देते हैं, दफनाते नहीं । भारतके सुसलमान शवको रात्रिमें गुप्तरूपसे गाड़ते हैं और वे हिन्दुओंकी तरह मृतकके लिए विलाप नहीं करते ।”

गुजरात प्रान्तके लोगोंके आहारके सम्बन्धमें अल इद्रिसी लिखता है—“नहरवाड़के लोगोंका प्रधान आहार चावल है । कोई कोई मटर, बाजरा आदि निकृष्ट (मोटा) धान्य, खिचड़ी तथा मछली आदिपर भी निर्वाह करते हैं । कभी कभी मरे जीवोंके मांसको भी खाते हैं, परन्तु अपने आहारके लिए वे कभी किसी पशु अथवा पक्षीकी हत्या नहीं करते । गायों और बैलोंके प्रति उनमें बड़ा आदर है । मृत गाय-बैलोंको वे गाड़ देते हैं । थके वृद्ध बैलोंसे वे कभी काम नहीं लेते, अधिकन्तु उनका भलीभांति पालन करते हैं ।”

अन्तमें हिन्दुओंकी सच्चाईके सम्बन्धमें अरबी प्रवासियोंके लिखे वर्णनोंमेंसे एक अवतरण यहां देकर यह प्रकरण समाप्त किया जायगा । अत्यन्त प्राचीन समय, अर्थात् जब ग्रीकोंका

हिन्दुस्थानसे परिचय हुआ तबसे, ई० दसवीं शताब्दीतकके सब विदेशी पर्यटकों या व्यापारियोंने हिन्दू लोगोंकी सचाई और नीतिमत्ताकी प्रशंसा ही की है। गुजरातके लोगोंके सम्बन्धमें अल इद्रिसी लिखता है—“न्याय और नीतिमत्ता (सच्चरित्रता) की ओर हिन्दुओंकी स्वाभाविक रूपसे प्रवृत्ति होनेके कारण उनके आचरणमें सचाई और विश्वासपात्रता सर्वदा देख पड़ती है। इन गुणोंमें सुविख्यात होनेसे विदेशी लोग भी उनसे सहाजुभूति रखते हैं। हिन्दू लोगोंकी सचाई ही उनके वैभय और अभ्युदयका प्रधान कारण है।”

टिप्पणी—उस समयके हिन्दुओंके नाम ।

हिन्दुस्थानके विभिन्न प्रान्तोंके लोगोंके नामोंकी एक निश्चित सी रीति वर्तमान समयमें बन गयी है। प्रायः सब नाम देवी-देवताओंके ही होते हैं। महाराष्ट्रमें गणेश नाम रखा जाता है, तो सयुक्त प्रान्त या पंजाबमें गणेश-प्रसाद या गणेशीलाल नाम रखते हैं। बंगालके नाम देवताओंके ही होने पर भी उनमें काव्यकी छटा होती है। जैसे—श्यामसुन्दर, पार्थसारथी इत्यादि। देवी-देवताओंके नाम रखनेकी रीति दसवीं शताब्दीमें उतनी प्रचलित नहीं थी, जितनी इस समय है, किन्तु कुछ तो अवश्य ही थी। मालियर और सियाडोनीके शिलालेखोंमें कुछ व्यापारियों, मालियों और तेलियोंके नाम उनके व्यवसाय सहित विस्तारपूर्वक दिये गये हैं। वे जिज्ञासु पाठकोंके सुभीतेके लिए यहाँ उद्धृत किये जाते हैं।

१ चन्दुक—सौगतका पुत्र—व्यापारी ।

२ चन्दुक, साहस, माहप—सौगतके पुत्र—व्यापारी ।

३ नागक—व्यापारी । [इसने विष्णुमंदिरके लिए कुम्हारोंसे स्थिर सहायताका प्रबन्ध कराया। वह इस प्रकार था कि सब कुम्हार फी सीपा ‘अर्ध विग्रहपाल द्रम्म’ (एक प्रकारका सिक्का) की शराब

विष्णुमन्दिरके लिए दें। यदि शराब न दे सकें, तो 'अर्ध विग्रह-पाल द्रम्म' ही दे दें।]

४ नागक—चन्दुकका पुत्र ।

५ वासुदेव ।

६ केशव—तमोली, इसने अपनी बेगार दी थी ।

७ शिलुक—महापामरका पुत्र ।

१० नागक—चन्दुक नामक व्यापारीका पुत्र । (इसने कलवारोंको शराब बनानेके लिए १३५० 'आदिवराह द्रम्म' इस शर्तपर दिये थे कि वे फी पीपा 'अर्ध विग्रहपाल द्रम्म' अलग कर वह रकम मासके अन्तमें देवताकी सेवा-पूजाके लिए देंगे ।)

११ भैलु—गोविन्द नामक व्यापारीका पुत्र ।

१२ धमाक—तमोली ।

१३ शवर और माधव—तमोली । [इन्होंने पानकी फी 'पलेक' (गड्ढीया डोली) १/२० द्रम्म देव-सेवाके लिए देनेका प्रबन्ध किया था ।]

१४ शावस—इसने बीथी (?) दी थी ।

१५ नागक—यह कोलहूमें प्रत्येक बार पेरे जाने वाले तैल-बीजोंके पीछे एक पलिका (करछुल या पली) तेल देता था ।

१६ भालुवाकादि—संगतराश या शिलावट । (यह प्रत्येक गढ़ाईके पीछे अर्धद्रम्म देता था ।)

१७ महादित्य और मोहल—पप्पाके पुत्र—व्यापारी ।

१८ देवैक, वाली, रुदक,—जाजूके पुत्र; चित्रक—शावका पुत्र—इन सबोंने मिलकर चतुष्कहात 'बीथी' दी ।

१ वरजार—X

२ नागरभट्ट कुमार ।

३ वैलभट्ट ।

४ कामरुक (यह अल्ल है)

५ जज्जा (स्त्रीका नाम है)

६ अल्ल (पुत्रका नाम है)

७ कन्दुक ।

८ ववा (अल्लकी स्त्री)—ब्राह्मण ।

९ सोमटा (अल्लकी कन्या)

१० गोमगा (अल्लकी दूसरी स्त्री)

११ सिता (अलकी दूसरी स्त्री) बाह्य	३० जंवहरी—ये सब तेली हर एक
१२ इसटा " "	धानी (कोलुक) पीछे एक पत्नी
१३ वव्वीयाक—व्यापारी ।	तेल देवसेवाके लिए देते थे ।
१४ इच्छुवाक— "	३१ सिंघाक— तेली ।
१५ सोंगदाक—खेतिहर ।	३२ बलक— "
१६ दप्पक—(इच्छुवाकका पुत्र)	३३ लोहदाक— "
१७ मोचक—तेली ।	३४ महार्गलीक— माली ।
१८ सर्वस्वक—(मोचकका पुत्र)	३५ तिल्लक— "
१९ शिवधारी— "	३६ देदुक— "
२० सडुल्ल "	३७ जासक— "
२१ संग्राक— तेली ।	३८ बहुलाक— "
२२ गग्गीक— "	३९ सिदुक— "
२३ देलवाक— "	४० जंझक— "
२४ जजट— "	४१ सहदाक— "
२५ चाच्छटक— "	४२ दन्तिक— "
२६ गोगाक— "	४३ दुर्गाधारी— "
२७ देहक— "	४४ नन्नुमाक— "
२८ जंयीक— "	४५ वनमाक— "
२९ कदट— "	४६ दौतक— "
	४७ वंटाक— "

इन सब मालियोंने मिलकर फूलोंके पचास हार प्रतिदिन देवताको देना स्थिर किया था ।

टिप्पणी. २—अनुलोम विवाह और स्मृतिग्रन्थ ।

जुदे जुदे समयमें लिखे गये स्मृतिग्रन्थोंसे यह अनुमान किया जा सकता है कि उस समय अनुलोम विवाह कहाँतक प्रचलित थे और अनुलोम विवाहोंसे उत्पन्न सन्तानकी श्रेणियाँ कब कब किस प्रकार बदलती गयीं, इसी उद्देश्यसे स्मृतिग्रन्थ यहाँ उद्धृत किये जाते हैं । राष्ट्रके अनेक

उलट-फेरोंका विवरण लिख रखना जिस प्रकार इतिहास-लेखकोंका प्रधान कर्तव्य है, उसी प्रकार समाजके वैवाहिक बन्धनोंमें कैसे कैसे उलट-फेर होते गये, इसका ऊहापोह करना समाजशास्त्रज्ञोंका कर्तव्य है । परन्तु यहाँ समाजशास्त्रज्ञके नाते नहीं, केवल इतिहासकी दृष्टिसे स्मृतिवचनोंकी आलोचना की जाती है । इसमें सन्देह नहीं कि हिन्दू समाजमें अनुलोम विवाह प्रचलित थे । प्रतिलोम विवाहोंको सभी स्मृतिकारोंने निन्द्य माना है, इस कारण उनका विचार यहाँ नहीं किया गया । अनुलोम विवाहकी इस आलोचनासे पाठक समझ जायँगे कि यह प्रथा समाजसे किस प्रकार धीरे धीरे उठ गयी ।

अनुलोम विवाहके सम्बन्धमें मनुस्मृतिमें लिखा है—

स्त्रीपवनन्तर जातासु द्विजैरुत्पादितान्मुतान् ।

सदृशानेव तानाहुर्मानुशोषविगर्हितान् ॥ ६-१०

अनन्तरासु जातानां विधिरेष सनातनः ।

द्वयेकान्तरासु जातानां धर्म्यं विद्यादिर्मं विधिम् ॥ ७-१०

ब्राह्मणाद्वैश्यकन्यायामम्बष्ठोनाम जायते ।

निषादः शूद्रकन्यायां यः पारशव उच्यते ॥ ८-१०

“पतिके वर्णके निकटकी जातिकी पत्नीसे उत्पन्न हुई सन्तान (मातृ-पक्षकी ओरसे कुछ हीनता आजानेपर भी) पतिकी जातिकी ही मानी जानी चाहिये । यही रीति अनादिकालसे प्रचलित है । पति श्रेष्ठ जातिका हो और पत्नीका उससे एक या दो जातियों (वर्गों) का अन्तर हो, तो उसके लिए निम्न लिखित नियम हैं । ब्राह्मण पति और वैश्य पत्नीसे उत्पन्न हुई सन्तानको अम्बष्ठ और ब्राह्मण पति तथा शूद्रा पत्नीसे उत्पन्न हुई सन्तानको निषाद या पारशव समझना चाहिये ।” मिश्र विवाहकी यह प्रथा हिन्दू समाजमें ईसवी सन्के आरम्भतक प्रचलित थी । अब देखना चाहिये कि इसमें कैसे कैसे परिवर्तन होता गया ।

याज्ञवल्क्यस्मृतिमें शूद्रासे विवाह करनेका निषेध नहीं है, किन्तु याज्ञवल्क्यका अपना यही मत था कि श्रेष्ठ जातिके लोग शूद्रासे विवाह न

करें । पारशव बाणभट्टके आता थे, इससे प्रतीत होता है कि ई० स० ६०० (वि० ६५७) तक शूद्रासे विवाह करनेकी प्रथा बन्द नहीं हुई थी । इसके बाद जो स्मृतियाँ बनीं, उनमें शूद्रासे विवाह करनेका स्पष्ट निषेध है । उदाहरणार्थ, व्यासस्मृतिमें लिखा है—

“उद्वहेत् क्षत्रियां विप्रो वैश्यां च क्षत्रियो विशाम् ।

न तु शूद्रां द्विजः कश्चिन्नाधमः पूर्ववर्णजाम् ॥”

द्विज यदि शूद्राको व्याह ले, तो उसे वृषलीपति कहते थे और उसकी अनेक स्मृतियोंमें घोर निन्दा की गयी है । पराशरस्मृतिमें तो यहाँतक लिखा है कि उससे न कोई भाषण करे, न अन्नोदक-व्यवहार ही करे—
“असंभाष्योऽह्यपांक्तोयः स विप्रो वृषलीपतिः ।”

राजशेखर कविके विवाहसे स्पष्ट है कि क्षत्रिय-कुमारिकाओंके साथ ब्राह्मणोंके विवाह ईसाकी दसवीं सदी (वि० १०५७) तक होते थे । राजशेखरने स्वयं लिखा है कि उसकी पत्नी चाहमान क्षत्रिय कुलकी थी । मनुके समयमें ब्राह्मण पति और क्षत्रिय पत्नीसे उत्पन्न हुई सन्तान ब्राह्मण मानी जाती थी । याज्ञवल्क्य इससे सहमत नहीं हैं । उन्हें ‘एकान्तर’ अथवा ‘अन्यतर’ स्त्रीसे उत्पन्न हुई सन्ततिका भेद मान्य नहीं है । ऐसी सन्ततिको उन्होंने एक नयी संज्ञा दी है । उनका कहना है—
“सर्वर्णभ्यः सवर्णासु जायन्ते हि सजातयः ।” सवर्णा स्त्रीसे उत्पन्न हुई सन्तान ही अपने वर्णकी होती है । क्षत्रिय स्त्रीसे उत्पन्न हुई ब्राह्मण सन्तति ‘मूर्धावसिक्त’, वैश्य स्त्रीसे उत्पन्न हुई ‘अम्बष्ठ’ और शूद्रोंसे उत्पन्न हुई ‘निषाद’ अथवा ‘पारशव’ कहाती है ।

“विप्रान्मूर्धावसिक्तो हि क्षत्रियायां विशः स्त्रियाम् ।

अम्बष्ठो शूद्र्यां निषादो जातः पारशवोऽपि सः ॥”

व्यासने इस मतमें थोड़ा ही परिवर्तन किया है । वे कहते हैं—

“विप्रचद्विप्रविन्नासु क्षत्रविन्नासु क्षत्रवत् ।

वैश्यासु विप्रक्षत्राभ्यां ततः शूद्रासु शूद्रवत् ॥”

इस श्लोकका ठीक अर्थ समझमें नहीं आता । परन्तु तीसरे चरणसे प्रतीत होता है कि ब्राह्मण-क्षत्रियसे उत्पन्न हुई वैश्य स्त्रीकी सन्तति वैश्य जातिकी समझी जाती थी । इससे यह भी अनुमान होता है कि ब्राह्मण पुरुष और क्षत्रिय स्त्रीसे उत्पन्न हुई सन्तान क्षत्रिय मानी जाती थी । याज्ञवल्क्यने उसकी 'भूध्रवसिक्त' नामसे जो पृथक् श्रेणी बनायी है, वह नहीं बनी थी और उसे मनुके मतानुसार ब्राह्मण जातिके अधिकार भी नहीं थे । परन्तु उसी स्मृतिमें यह भी लिखा है कि ब्राह्मणों अथवा अन्य-वर्णके लोगोंने प्रथम सवर्णा स्त्रीसे विवाह कर, फिर यदि अन्य जातिकी स्त्रीसे विवाह किया हो और उससे यदि सन्तान उत्पन्न हो, तो उसे सवर्ण ही मानना चाहिये ।

“जढायां हि सवर्णायामन्यां वा काममुद्वहेत्” ।

यह वचन पूर्वोक्त वचनके कुछ विरुद्ध है । अतः, औपनस स्मृतिमें तो यह स्पष्टरूपसे कहा गया है कि ब्राह्मणकी क्षत्रिय स्त्रीसे उत्पन्न सन्तान क्षत्रिय ही समझी जानी चाहिये ।

“नृपायां विधिना जातो विप्रान्नृप इति स्मृतः ।”

व्यासस्मृतिकी तरह इस स्मृतिमें भी कुछ परस्पर विरुद्ध वचन हैं । इसमें यह भी लिखा है कि क्षत्रिय स्त्रीसे उत्पन्न ब्राह्मणकी सन्तान ‘सुवर्ण ब्राह्मण’के नामसे अभिहित होती है । परन्तु इस प्रकारके ब्रह्म-क्षत्र-विवाह-प्रसङ्गमें कुछ विधि यथोचित रूपसे कर लेनी चाहिये । परन्तु इसी स्मृतिमें सुवर्ण ब्राह्मणोंके जो धर्म बताये हैं, वे क्षत्रियोंके ही विशिष्ट धर्म हैं । यथा—

“अश्वं रथं हस्तिनं च वाहयेत् वा नृपाशया ।

सेनापत्यं च भैषज्यं कुर्याज्जीवेच्च वृद्धिषु ॥”

इससे स्पष्ट है कि इस प्रकारकी सन्तति क्षत्रिय ही कहलाती थी । निम्नलिखित वचनसे यह भी स्पष्ट हो जाता है कि क्षत्रिय स्त्रीसे उत्पन्न हुई ब्राह्मण-सन्तान जिस प्रकार क्षत्रिय समझी जाती थी उसी प्रकार वैश्य स्त्रीसे उत्पन्न हुई क्षत्रिय-सन्तान वैश्य ही मानी जाती थी ।

“नृपाज्जातोऽथ वैश्यायां गृह्यायां विधिना सुतः ।

वैश्यवृत्त्या हि जीवेत क्षत्रधर्मं न कारयेत्” ॥

यहाँ यह बात अवश्य ध्यानमें रखनी चाहिये कि असवर्ण स्त्रीसे विवाह करना केवल श्रीमान् क्षत्रियों अथवा अति विद्वान् या सत्साधारी ब्राह्मणोंके लिए ही सम्भव था; साधारण लोग असवर्ण विवाह कचिन् कर पाते थे ।

क्षत्रियोंमें वैश्य स्त्रियोंसे विवाह कर लेनेकी प्रथा प्रायः प्रचलित थी । व्यासस्मृतिमें लिखा है कि “प्रथम सवर्ण स्त्रीसे विवाह कर लेना चाहिये; फिर यदि इच्छा हो, तो हीन जातिकी स्त्रीके साथ भी विवाह कर लिया जा सकता है ।” इस वचनका पालन प्रायः क्षत्रिय ही किया करते थे । उनकी पहिली स्त्री क्षत्रिया और दूसरी वैश्य हुआ करती थी । जयपुरमें हमने सुना था कि इस प्रकारकी क्षत्रियकी व्याहता वैश्य भार्या-को “गूजरी” कहते हैं । सम्भवतः ऐसी परिणीता स्त्रियां सशक्त और सुडौल जाट अथवा गूजर जातिकी होती होंगी । हमने अपना यह तर्क पहिले ही प्रकट कर दिया है कि जाट अथवा गूजर पहिले वैश्य थे और प्राचीन कालसे वे कृषि और गोरक्षाका कर्म करते थे ।

सोलहवाँ प्रकरण ।

राजनीतिक परिस्थिति ।

राजनीतिक कल्पनाओंकी उत्क्रान्ति और अभिवृद्धि पाश्चात्य और पौर्वात्य देशोंमें भिन्न रीतिसे क्यों और कैसे हुई और भारतवर्षमें स्वराज्यनिष्ठाका उदय तथा विकास किन विशिष्ट कारणोंसे हुआ, इसका सविस्तर विवेचन हमने इस ग्रन्थके प्रथम भागके सातवें प्रकरणमें किया ही

है। प्रत्येक प्रजाजन राष्ट्रका घटकावयव है और उसपर राष्ट्रहितकी जवाबदेही है, ऐसी कल्पना भारतमें कभी दृढ़-मूल नहीं हुई। प्रजाके कल्याणकी दृष्टिसे राष्ट्रको शासन-प्रणाली स्थिर करनेकी भी कल्पना नहीं थी। हाँ, अत्यन्त प्राचीन कालमें यह धारणा अवश्य ही रूढ़ थी कि राष्ट्र जनताका है। इस देशमें प्रजासत्तात्मक राज्यकी कल्पना कभी पूर्णावस्थाको प्राप्त नहीं हुई। यह कल्पना भी आरम्भमें उदित नहीं हुई थी कि राजाका ही राज्य होता है। हर एक देश वहाँके राजाके नहीं बल्कि वहाँके निवासियोंके नामसे ही प्रसिद्ध था। आगे चलकर राष्ट्रमें शूद्रोंकी भरमार हुई, जिनका राष्ट्रकी शासन-प्रणालीमें कुछ भी हाथ नहीं था। इसीसे राज्यशासनके अधिकार विशिष्ट कुलोंके ब्राह्मणों और क्षत्रियोंके ही हाथमें रहे और अन्तमें वे पूर्णरूपसे क्षत्रिय राजकुलोंके ही हाथमें आ गये। इस प्रकार आरम्भमें राजशासनका क्षेत्र अत्यन्त विस्तृत होते हुए भी राष्ट्रमें शूद्रोंका समावेश होनेके कारण वह बहुत संकुचित और अनियन्त्रित हो गया। आरम्भमें लोगोंकी यह धारणा थी कि उन्होंने अपनी रक्षाके लिए अपनी अनुमतिसे राजाको शासनाधिकार दिये हैं; उसे प्रजाके कल्याणके लिए उनका उचित उपयोग करना चाहिये। पर आलोच्य समयमें यह धारणा बदल गयी और लोग यह समझने लगे कि पूर्वजन्मकी कठोर तपस्यासे ही इस जन्ममें मनुष्यको राजपद प्राप्त होता है। राजा विष्णुका अंश होता है, देवताओंकी कृपासे ही उसे राजपद मिलता है और उसके अधिकार अनियन्त्रित होते हैं। ऐसी धारणाएँ ज्यों ज्यों दृढ़मूल होती जाती हैं, त्यों त्यों लोगोंका राष्ट्रप्रेम और देशाभिमान क्षीण होता जाता है; क्योंकि ऐसी ही धारणाओंसे स्वामिभक्तिका

परिपोष होता है। परिणामतः एक ओर तो विशिष्ट कुलके प्रति कुछ लोगोंका आदर बढ़ता जाता है और दूसरी ओर गुप्त रीतिसे कुछ लोगोंमें मत्सरबुद्धि, अराजकता तथा स्वार्थपूर्ण महत्वाकांक्षाकी अभिवृद्धि होती जाती है। 'जिसकी लाठी उसको भैंस' इस कहावतके अनुसार महत्वाकांक्षासे प्रेरित होकर जो आगे बढ़ता था, कुछ विश्वासघाती उसके साथी बन जाते थे और विजयी होनेपर वह राजा कहा जाने लगता था, क्योंकि राजाके चुनावमें प्रजाकी सम्मति अपेक्षित होती है, यह भावना विलकुल नष्ट हो चुकी थी और राजद्रोही अभिकारियोंके विश्वासघातसे नये नये राजवंशोंकी स्थापना होती जाती थी। यह निश्चित है कि कोई भी राजवंश क्यों न हो, सौ दो सौ वर्षोंमें उसकी कर्तृत्व-शक्ति नष्ट हो जाती है। संसारकी अन्य वस्तुओंकी तरह राजवंशोंके लिए भी जीर्णता और मृत्यु अपरिहार्य है। अतः यदि कोई जीर्ण वृत्तोंको उखाड़ कर उनके स्थानमें नये वृत्तोंका बीजारोपण करे, तो इसमें अनुचित क्या है? समय समयपर नये पुरुषार्थशील राजवंशोंकी स्थापना लाभजनक ही होती है। (ईसाकी नवीं शताब्दी (वि० ८५८-६५७) के आरम्भमें भारतमें पुराने राजवंश जन्मिल और नये कर्तृत्वशालीविश स्थापित हुए, यह अन्तर्गत हो गया। उस समय जो नये राज-पूतवंश स्थापित हुए, वे पूर्ण स्वतन्त्र और एकसत्तात्मक हो थे। उन्होंने अपनी सत्ता लोगोंकी सम्मतिसे नहीं, किन्तु तलवार, पुरुषार्थ और भाई-बन्धोंकी सहायतासे स्थापित की थी। कुलके जो लोग इस प्रकारकी राजसत्ताके आधारस्तम्भ होते हैं, उन्हें राजपूत लोग 'भाई-बन्द' कहते हैं। अंग्रेजीमें उन्हें 'क्रान्समन' कह सकते हैं। अस्तु, उस समय भारतमें जो राजकीय सत्ता-

के सिद्धान्त प्रचलित थे, उनके अनुसार चाहे जो राजकुल स्थापित हो सकता था। केवल उस कुलका प्रतापी और भाग्य-सम्पन्न होना ही अपेक्षित था। फिर भी, जैसा कि अरबी प्रवासियोंने बखान किया है, लोगोंमें कुछ राजसत्ता अब भी अवशिष्ट थी और किसी नये राजकुलके प्रति राजभक्तिकी शपथ लेते समय अथवा उसकी सत्ता स्वीकार करते समय वे उसका उपयोग करते थे। सारांश, लोगोंमें अब भी कुछ जान रह गयी थी।

ये सब प्रमाण अरबी प्रवासियोंके प्रवासवर्णनसे ही मिलते हैं और प्रायः सभी प्रवासी किसी एक मूलस्रोतकी ही नकल करते हैं। सबसे पुराना प्रवासी सुलेमान लिखता है—“हिन्दु-स्थानके राजा दूसरे देशोंको जीतनेकी इच्छाले कभी कभी युद्ध करते हैं; पर ऐसे अवसर बहुत कम होते हैं। मैंने ऐसा कभी नहीं देखा कि किसी एक देशके लोगोंने दूसरे देशके लोगोंपर आधिपत्य जमाया हो। मित्र देशके निकट भलावार देश अपवाद स्वरूप है। जब एक देशका राजा दूसरे देशके राजाको जीत लेता है, तब विजित राजाके किसी सम्बन्धीको ही वह गद्दीपर बैठा देता है और नया राजा जेता राजाके अधीन हो कर राजकाज करता है। “इसके विरुद्ध कोई व्यवस्था वहाँके लोग चलने नहीं देंगे।” (इलियट भाग १, पृष्ठ ७) हम कई-बार लिख चुके हैं कि प्राचीन अथवा मध्ययुगीन भारतमें साम्राज्य-स्थापनाके लिए कोई किसी राज्यको जीतकर अपने राज्यमें मिला नहीं लेता था। जेता सम्राट् विजित राजा अथवा उसके सम्बन्धीको गद्दी देकर उससे कुछ निश्चित कर भर ग्रहण करता था। राज्य-प्रबन्ध यथापूर्व चलता था। कन्नौजके प्रतिहारोंका साम्राज्य इसी प्रकारका था। उस

समयके शिलालेखोंसे प्रतीत होता है कि कन्नौज साम्राज्यके अन्तर्गत कितने ही माण्डलिक थे। उदाहरणार्थ, बट्टवानके चावोटक या भारणके चालुक्योंने शिलालेखोंमें अपनेको कन्नौजका माण्डलिक ही कहा है। इसी तरह राष्ट्रकूटोंके साम्राज्यमें भी बहुतसे माण्डलिक राज्य थे। अरबी प्रवासियोंने भी यह बात लिखी है; पर सुलेमानके इस वाक्यसे कि इसके विरुद्ध कोई व्यवस्था वहाँके लोग चलने नहीं देंगे, यह अनुमान होता है कि अबतक लोगोंमें कुछ तेज बच रहा था; अपने हाथमें भी कुछ सत्ता है, यह भावना उनमें जागरित थी। सुलेमानने अपवाद स्वरूप मिरा देशके निकटके लोगोंका उल्लेख किया है। अर्थात् मलाबारके आस पासके चोल, पाण्ड्य, केरल आदि देशके लोग चाहे जिस राजाके अधीन रह सकते थे। उनका यह हठ नहीं था कि राजा स्वदेशी ही हो। यह मत आश्चर्यजनक है। इससे तो यही स्पष्ट होता है कि दक्षिणके अनार्य द्रविड़ोंके राज्यकी प्रजा में थोड़ी भी स्वराष्ट्र-भावना अथवा “नैशनेलिटी” बच नहीं रही थी। हमारी समझमें आर्योंमें स्वराष्ट्र-भावना सबसे अधिक और उनके बाद मंगोलियनोंमें होती है। सम्प्रति ये ही दो मनुष्यवंश संसारमें अग्रगण्य हैं। द्रविड़ और नीग्रो वंशके लोगोंकी संस्कृति इतनी पिछड़ी हुई है कि उक्त मनोभावना उनमें अबतक उत्पन्न नहीं हुई है। विदेशियोंके शासनके प्रति अबतक उनमें उतना तिरस्कार-भाव नहीं देख पड़ता, जितना आर्यों अथवा पीतवर्णके लोगोंके स्वभावमें देख पड़ता है। दक्षिण-उत्तर भारतमें आर्यों और अनार्योंका मिश्रण हो जानेसे उनमें स्वराष्ट्र-भावनाकी केवल क्षीण ज्योति बच रही है और यही प्रधान कारण है कि हिन्दुस्थान सदाके लिए पराधीन हो

थी। यूरोपके लोग भी यही मानते थे कि राजवंशोंको पीढ़ी दर पीढ़ी राज्य करनेका अधिकार ईश्वरदत्त है। भारतमें यदि यही भावना कढ़ हो गयी हो, तो इसमें आश्चर्य ही क्या है ?

पाश्चात्य और प्राच्य देशोंमें एक अंतर अवश्य था। पाश्चात्य देशोंके लोग अपनी प्रतिनिधि-सभाओंके द्वारा राजनीतिक उलट-फेरोंपर दृष्टि रखते थे और उनका नियन्त्रण करते थे। भारतवर्षमें ऐसी संस्थाएँ कभी स्थापित नहीं हुईं। राजा मान लेने अथवा नया राजा चुननेका यहाँके लोगोंको जो आधा-बिहारी अधिकार था, उसे वे किस प्रकार काममें लाते थे, यह एक महत्वपूर्ण जटिल प्रश्न है। सुलेमानके इन वाक्योंसे यह समस्या हल हो सकती है—“हिन्दु-स्थानके राजाओंके पास बड़ी सेना होती है, किन्तु उसे सरकारसे घेतन नहीं मिलता। जब कभी धर्मके लिए युद्ध होता है, तो सेना बुलायी जाती है। राजा उसे निमंत्रित करता है, किन्तु उसे अपना व्ययभार आप उठाना पड़ता है।” (इलियट भा० १, पृ० ७) भारतवर्षकी यह परिस्थिति उस समयकी यूरोपकी परिस्थितिके सदृश ही थी। उस समय भारतवर्षमें अथवा यूरोपमें वैतनिक सेनाएँ नहीं थीं। हर एक राज्यमें कुछ लड़ाके सेनानी और राजाके भाई-बन्ध (जिन्हें कुलपुत्र कहते थे) रहा करते थे, जो काम पड़नेपर दलबल सहित इकट्ठे हो जाते थे। कभी वे अपना खर्च आप सहते और कभी लूटपाटसे काम चलाते थे। इसी शर्तपर उन्हें भूमि अथवा ग्राम दिये जाते थे। इस प्रकारकी भूमि अथवा ग्रामोंका उपभोग करनेवाली और सरकारसे घेतन न लेनेवाली सेनाका अधिकार नये राजवंशकी स्थापनाके समय बहुत होता

था। नये राजाको मानना न मानना उसके अधिकारमें था। इससे खुलेमानके इस कथनकी, कि लोग यह आग्रह कर सकते थे कि हमारा अमुक ही राजा हो, सत्यता सिद्ध होती और मीमांसा भी हो जाती है।

भारतवर्षमें सरकारसे वेतन पानेवाली सेनाएँ नहीं थीं, इस साधारण स्थितिके कुछ स्थूल अपवाद भी हैं जिनका अरब लेखकोंने ही उल्लेख किया है। वे लिखते हैं—“बदहारा अर्थात् राष्ट्रकूटोंके पास स्थायी सेना थी और उसे नियमित रूपसे वेतन मिलता था।” ईसवी अठारहवीं सदीके मराठोंके लिए जो बात असाध्य थी (सेनाको नियमित रूपसे वेतन देना) वह ईसवी नवीं सदीके उनके पूर्वजोंको सुसाध्य थी, अरबी प्रवासियोंके इस प्रशस्तिपत्रको पढ़कर सन्नमुच आनन्द होता है। यह भी प्रमाणित होता है कि कन्नौजके प्रतिहारों और बंगालके पालोंकी सेनाओंको भी नियमित रूपसे वेतन मिलता था। ये तीनों साम्राज्य थे और इनके अधीन कितने ही माण्डलिक राजा थे। कन्नौजके विषयमें अरबोंने लिखा है कि पूर्व, पश्चिम, दक्षिण और उत्तरमें उसकी चार सेनाएँ सदा प्रस्तुत रहती थीं, किन्तु पश्चिमकी सेना विशेष सुसज्जित थी। इसका कारण यह था कि उक्त राज्यकी पश्चिमी सीमा अरबोंके मुलतान राज्यसे मिली हुई थी और अरब हिन्दुपर (सिन्धके अतिरिक्त शेष हिन्दुस्थानको अरब ‘हिन्द’ कहते थे) आक्रमण करनेको सदा तत्पर रहते थे। दक्षिणकी सेना बल्हारा (वल्लभराय राष्ट्रकूट)से सामना करनेके लिए सज्ज रहती थी, क्योंकि वह अरबोंका मित्र और सहायक था। पूर्व और उत्तरकी सेनाओंको अधिक काम नहीं था। दोनों दिशाओंसे—बंगालके पाल और काश्मीरके राज्यसे—भी भय था,

किन्तु अरब लेखक लिखते हैं कि ये सेनाएँ इधर उधर भी जाया करती थीं। उनके वर्णनसे यह भी पता चलता है कि कन्नौजकी प्रधान सेना बुड़सवारोंकी थी। दक्षिणियोंकी सेनामें पदाति, अश्वदल और गजदल तीनों थे। बंगालकी सेनामें हाथी अधिक थे, क्योंकि हिमालय और विन्ध्याचलमें हाथी बहुत होते हैं। अरब लेखकोंने बंगालकी सेनाके हाथियोंकी संख्या पचास हजार लिखी है, परन्तु यह अधिक जान पड़ती है।

इन सब बातोंका उस समयके शिलालेखोंमें उल्लेख न मिलना स्वाभाविक है, क्योंकि शिलालेख प्रायः ब्राह्मणों और देवालयोंके दानके लिए ही लिखे गये हैं। अतः अरब लेखकोंके लेखोंपर ही अधिक भरोसा रखना पड़ता है। फिर भी भागलपुरके शिलालेखमें लिखा है कि बंग सेनामें खस, मालव, हण, कर्णाट, लाट आदि देशोंके सैनिक थे। (ई० पू० भा० १५, पृ० ३०५)

यहां यह लिखना अनुचित न होगा कि विदेशियोंकी सेनासे राजसत्ताके स्वरूपमें सदा भय रहता है। जब किसी देशके लोग आत्मरक्षा और परराज्यपर चढ़ाई करनेका भार विदेशियोंको सौंपते हैं, तब वे अपनी शूरतासे हाथ धो बैठते हैं और क्रमशः दास्यमें फँसते जाते हैं। इसके अतिरिक्त वहांका राजकुल परायी सेनाके हाथकी कठपुतली बन जाता है और उसके नामपर परायी सेना लोगोंपर घोर अत्याचार करती और उन्हें लूटनेका भी साहस कर बैठती है। इसका अनुभव आधुनिक यूनाईटेड इतिहासमें, दिल्लीके मोगलोंके इतिहासमें और कुस्तुनियोंके तुर्कोंके इतिहासमें प्राप्त हो चुका है। प्राचीन इतिहासमें रोमके रोमनों और मध्यकालीन इतिहासमें बगदादके अरबोंको भी यही अनुभव प्राप्त हुआ है। अतः उस समय

भारतवर्षकी विभिन्न सेनाएँ किल प्रकारकी थीं, इसका विचार करना महत्वका विषय है। राष्ट्रकुटुंबोंकी सेनामें प्रायः अराजकोंकी और कन्नौजके प्रतिहारोंकी सेनामें मारवाड़ी राजपूतोंकी संस्था अधिक थी। बंगालकी सेनामें विदेशी अधिक थे, यह उपर्युक्त शिलालेखसे प्रतीत होता है। उसमें भारतवर्षकी प्रसिद्ध युद्ध-निपुण जातियोंके सैनिकोंका समावेश हुआ था। बंगालके राजा बौद्ध थे और अधिकांश प्रजा भी जिसने हालमें ही हिन्दू धर्म (वैदिक धर्म) स्वीकार किया था, पहले बौद्ध ही थी।

बंगालमें बौद्ध धर्मका अधिक दिनोंतक प्राबल्य रहा और इस संबंधमें उसका अलिप्त प्रभाव इस समय भी वहाँ पड़ रहा था। संभवतः इसीसे वहाँके लोगोंमें सामान्यतः क्षात्र-तेजकी कमी हुई। तथापि इतिहास बता रहा है कि प्राचीन हिन्दू राजाओंके समय मगध अपनी ही सेनाके अग्रेसे लगभग ८०० वर्षतक अर्थात् चन्द्रगुप्तके समयसे (ई० सन् के ३०० वर्ष पूर्व) बुधगुप्तके समयतक (ई० सन् ५००) सारे भारतपर अपना साम्राज्य कायम रख सका।

उस समय भारतके सब राज्य पूर्णतया एकतंत्र होते हुए भी उनमें एक गुण था। भारतीय राजशास्त्रके अनुसार राजाको नये कानून बनानेका अधिकार नहीं था। लोगोंका विश्वास था कि राज्यके लिए जिन कानूनोंकी आवश्यकता होती है वे सब स्मृतिमें बना दिये गये हैं तथा किसी भी मानवी संस्थाको ईश्वरनिर्मित स्मृतिके कानून बदलनेका अधिकार नहीं है। हम भारतीयोंका विश्वास है कि सृष्टिके आरंभमें ब्रह्माने मनुष्योंके व्यवहारके लिए कानून बनाकर मनुको दिये जो मन्वादि स्मृतियोंमें प्रथित हैं तथा उनमें परिवर्तन या परिवर्धन करनेका किसीको अधिकार नहीं है। ऐसा

विश्वास करना हमारी श्रृंखला हो सकती है, पर यह मानना पड़ेगा कि राजाओंके अनियंत्रित शासनके लिए ईश्वर-निर्मित कानूनोंका प्रतिबंध होना आवश्यक ही था। राजाओंको स्वेच्छानुसार कानून बनानेका अधिकार मिल जानेपर अनियंत्रित शासनके अत्याचार और भी बढ़ जाते, पर इस प्रतिबंधसे वैसा न होने पाता था। स्मृत्युक्त कानून अनेक बातोंमें अधूरे या अयोग्य हो सकते हैं पर वे सदसद्विवेक-बुद्धि और अनुभवके आधारपर बनाये गये हैं। इस कारण वे सामान्यतः समाजके लिए हितकर ही हैं। इसी प्रकार उस समय राज्यका खर्च भी बहुत कम था जिससे किसी राज्य या राजाको स्मृत्युक्त करोंसे, अर्थात् जमीनकी उपजके छठवें भाग और व्यापारके लाभके पचासवें भागसे, अधिक कर वसूल करनेकी आवश्यकता ही न प्रतीत होती थी। राजाके लिए इतना ही बस था कि वह खोरी रोकनेका पूरा प्रयत्न कर दे (और यही राजाका मुख्य कर्तव्य हुआ करता था जैसा कि प्रतिहारोंके राज्यमें लोग स्वीकार करते थे)। अतः अनियंत्रित शासकोंके अधीन होते हुए भी भारतीय राज्य सुव्यवस्थित और सुखी थे।

भारतके ये राज्य प्रायः आपसमें लड़ा करते थे। उनका कभी कोई संघ न बना और न वे किसी एक सम्राटकी अधीनतामें ही आये। बहुतोंका खयाल है कि पेसा न होनेसे तथा छोटे छोटे राज्योंमें आपसमें युद्ध होते रहनेके कारण मुसलमानोंने भारतको पददलित किया। पर इस संबंधमें हमारा मत भिन्न है। पहले भागमें हम अपने विरुद्ध मतपर विस्तारके साथ विचार कर चुके हैं इसलिये यहाँ कुछ और बातें देनेके सिवा इस विषयपर अधिक लिखनेकी आवश्यकता नहीं। सदा

युद्ध होते रहना अनिष्टकर है पर बीच-बीचमें युद्ध हो जाना समाजके लिए हितकर ही होता है और इससे समस्त मानवजातिकी उन्नति होती है। युद्धसे लोगोंमें जाग्रतेज बना रहता है, इतना ही नहीं, समाजकी बौद्धिक प्रगति भी होती है। बीच-बीचमें होनेवाले इन्हीं युद्धोंके कारण आज यूरोपकी उन्नति हो रही है, यह हम देख ही रहे हैं। इसी प्रकार प्रासंगिक युद्धोंसे भारतके मध्ययुगीन राज्योंका उत्कर्ष हुआ। राष्ट्रकूटोंने प्रतिहारोंके विरुद्ध युद्धमें कभी कभी विदेशी अरबोंकी सहायता ली तो भी कुछ न बिगड़ा अर्थात् प्रतिहारों या देशकी इससे कोई हानि नहीं हुई।

भाग १, प्रकरण ७ में हम कह चुके हैं कि फ्रान्सके राजा प्रथम फ्रान्सिसने जर्मन युद्धके समय तुर्कोंसे सहायता ली थी। जर्मन उसके धर्मवन्धु और तुर्क धर्मशत्रु थे। इसी तरह राष्ट्रकूटोंने अरबोंसे सहायता ली थी। इसमें कोई आश्चर्य या हानि नहीं है। अन्तर इनका ही है कि फ्रान्स अथवा जर्मनीको तुर्क या अरब पादाकान्त न कर सके; किन्तु राष्ट्रकूटों और प्रतिहारों तथा उनके वंशजोंको मुसलमानोंने पादाकान्त कर डाला। यूरोपीय राष्ट्र अबतक अरबों (सेराखों) अथवा तुर्कोंके मुकाबलेमें वैसे ही, किबहुना अधिक, प्रयत्न हैं, किन्तु हिन्दुस्थानी दुर्बल हो गये। इसका कारण यह है कि यूरोपीय राष्ट्रोंके लोगोंमें राष्ट्रीय भावना (नेशनैलिटी) अत्यन्त तीव्रतासे जागरित है। अरब लेखकोंके वर्णनोंसे विदित होता है कि भारतके मध्ययुगीन राष्ट्र यद्यपि आपसमें लड़ा-झगड़ा करते और कभी कभी अरबोंसे सहायता भी लेते थे, तथापि उनमें कुछ राष्ट्रीय भावना अवश्य ही जीवित थी। इसीसे वे राष्ट्र बलसम्पन्न थे।

हमारी समझमें हिन्दुस्थानकी साधारणतया स्वाभाविक परिस्थिति ही ऐसी है कि हर एक प्रान्तमें जुदा जुदा ही राज्य रहे। अशोक अथवा हर्षके समयमें समस्त देशमें एकलुवी राज्य रहा, पर वह भारतकी अस्वाभाविक स्थिति थी। हर एक प्रान्तके लोकस्वभाव, भाषा, जलवायु, प्राचीन इतिहास-परम्परा, मानसिक और शारीरिक शक्तियाँ आदि सभी भिन्न होने-के कारण यहाँ प्रति प्रान्तका एक राष्ट्र होना ही अपरिहार्य है। आजकल समग्र भारतवर्ष एक देश है और उसकी दृढ़ सुरक्षित चतुःसीमाएँ भी हैं। परन्तु राष्ट्रगठनके लिए नैसर्गिक भौगोलिक सीमाओंकी विशेष आवश्यकता नहीं होती। उदाहरणार्थ हालैंड और जर्मनीके बीचकी सीमा एक धागेसे अधिक दृढ़ नहीं है। बेल्जियम और फ्रांसके बीचकी सीमाकी भी यही अवस्था है। परन्तु हालैंड और बेल्जियमने अपनी स्वतन्त्रता प्रबल जर्मनों और फ्रेंचोंसे अनेक युद्ध कर सहस्र वर्षोंसे अवतक सुरक्षित रखी है। भारतमें सिन्ध, पंजाब, अवध, राजपूताना, संयुक्त प्रान्त और बंगालकी सीमाएँ विशेष सुदृढ़ नहीं हैं। इन प्रान्तोंमें मध्ययुगीन समयमें विभिन्न बलवाज् राज्य थे। यदि उनमें बलवती राष्ट्रीय भावना भी जागरित रहकर वृद्धिगत होती रहती, तो निःसन्देह वे राज्य आज भी जीवित दशामें देख पड़ते।

वर्तमान समयमें समस्त भारतवर्षमें ब्रिटिश लोगोंका साम्राज्य है। इस कारण भारतवासियोंमें एक-राष्ट्रीयताकी भावना जागरित हो रही है। इस भावनाने प्रान्तीय सीमाओंका उल्लङ्घन कर दिया है। इससे भारतका एक राष्ट्र अथवा अमेरिकाकी तरह समस्त प्रान्तोंका संयुक्त राष्ट्र यहाँ स्थापित होना सम्भव है। अनेक प्रान्त मिलकर एक राष्ट्र होनेके लिए

जो आवश्यक गुण होते हैं, वे भी यहाँ उत्पन्न हो रहे हैं। परन्तु ये गुण मध्ययुगीन समयमें नहीं थे। “होली रोमन एम्पायर” के समयमें यूरोपकी जैसी स्थिति थी, अधिकांश और महत्वपूर्ण बातोंमें मध्ययुगीन समयमें हिन्दुस्थानकी भी वैसी ही थी। यूरोपियन लोग मानववंशकी दृष्टिसे एक ही वंशके अर्थात् आर्य हैं। भारतवासी भी उसी अर्थात् आर्य अथवा आर्य-अविड़-वंशके हैं। यूरोपकी तरह भारतके हर एक प्रान्तकी पृथक् भाषा थी। यूरोपमें जिस प्रकार धर्मसम्बन्धी एक ही लेटिन भाषा थी, उसी प्रकार हिन्दुस्थानमें भी संस्कृत भाषा सब प्रान्तोंमें प्रचलित थी। उसे सब प्रान्तोंके परिचित जानते और बोल सकते थे। यूरोपमें धर्मग्रन्थ ‘बाइबिल’ सर्वमान्य था। भारतमें सभी लोग वेदानुयायी थे। यूरोपमें रोमन कैथोलिक धर्मके कारण मेरी, ईसा आदिकी भूर्तियां पूज्य मानी जाती थीं। भारतमें भी वेदानुयायी शिव-विष्णुकी भूर्तियोंको पूज्य मानते थे। भारतमें सब लोग एक ही धर्मशास्त्र (कानून) —मनु-याज्ञवल्क्यादि स्मृतियों—को प्रमाण मानते थे। यूरोपमें भी सब राष्ट्रोंको ‘रोमन होली एम्पायर’ के कानून मान्य थे। भारतमें विभिन्न राष्ट्रोंकी सीमाएं यूरोपके राष्ट्रोंकी तरह प्रायः कल्पित और अस्थिर थीं। दोनों ओर ऐसे राष्ट्रोंकी संख्या कम नहीं थी। इस प्रकारकी समान परिस्थितिमें भी यूरोपमें “पवित्र रोमन साम्राज्य” के नामपर जैसे एक राष्ट्र निर्माण न हो सका, उसी प्रकार भारतके मध्ययुगीन राष्ट्रोंका भी एक राष्ट्र नहीं बन सका। इसका कारण यह है कि प्रान्तीय अभिमान और भिन्न राष्ट्रीय भावनाएं उस समय इतनी तीव्र थीं कि एक-राष्ट्रीयत्वकी भावनाका सुपरिणाम उनके मस्तिष्कमें पैठ ही नहीं सकता था। इसीसे अनेक राष्ट्रोंका एकीकरण

उस समय असम्भव था । इसमें खेद करनेकी अथवा दोषा-
स्पद कोई बात दोनों राष्ट्रों (पूर्व-पश्चिम) के लिए नहीं थी ।
यूरोप और हिन्दुस्थानके राष्ट्र एक दूसरेसे परस्पर भिन्न ही
थे । परन्तु यूरोपमें राष्ट्रीयत्वकी भावना जैसी दृढ़मूल
होती गयी, वैसी यदि भारतमें भी होती गयी होती, तो आज
यूरोप और भारतकी स्थिति भिन्न न होती । तीसरे भागमें हम
यह सिद्ध करेंगे कि आगेके (१००० ई० स० के बादके) समयमें
विभिन्न प्रान्तोंके लोगोंकी राष्ट्रीय भावना शिथिल हो बली
और ईसाकी बारहवीं सदीके अन्तमें सभी राष्ट्र अफगान और
तुर्कोंके आक्रमणोंके सामने ठहर न सके । कुछ यह बात नहीं
है कि परायी सत्ता और पराये धर्मके विरुद्ध इन भारतीय
राष्ट्रोंने संघटन करनेका प्रयत्न न किया हो । इन्होंने दो बार
अरबों और तुर्कोंके विरुद्ध उतना ही प्रयत्न किया जितना
यूरोपने किया था; परन्तु राष्ट्रीय भावना प्रबल होनेके कारण
जहाँ यूरोपको सुयश मिला वहाँ भारतको उसके अभावके
कारण अपमानित होकर अपयशभाजन बनना पड़ा । दोनों
ओर संघटनके द्वारा और एक यत्न सफल हुआ । हिन्दुस्थानके
सभी राष्ट्र राजपूतोंकी सत्ता मानते थे । अरबोंके वर्णनानु-
सार तब राजपूतोंकी एक स्वतन्त्र जाति ही बन गयी थी ।
काबुलसे कामरूप और काश्मीरसे कोंकणतक सब देश राज-
पूतोंके अधिकारमें था । इन्हींके ३६ कुलोंका उल्लेख चन्दके
ग्रन्थमें है और उससे पहिले दक्का उल्लेख राजतरङ्गिणीमें
हो चुका है । इन ३६ कुलोंमें विवाह-सम्बन्ध होते थे । वह
परिस्थिति यूरोप जैसी ही है । वहाँके भिन्न राष्ट्रोंके राजवंश
समान-धर्मी और समान-वंशीय होनेसे उनमें विवाह-सम्बन्ध
होते थे । दोनों ओर भिन्न-धर्मी और भिन्न-वंशीय सुसंलग्नता-

के विस्तृत संवर्धन करनेमें कोई बाधा नहीं थी । इस प्रकारका संवर्धन होनेपर भी राष्ट्रीय भावनाके अभावसे हिन्दुस्थानका पतन हुआ । यह शोचनीय घटना कैसे घटी, इसका विचार तीसरे भागमें किया जायगा ।

सत्रहवाँ प्रकरण ।

मुल्की और फौजी व्यवस्था ।

(अ) मुल्की व्यवस्था

ईसाकी सातवीं और आठवीं शताब्दी (वि० ६५८-८५७) में भारतके विविध प्रान्तोंमें मुल्की और फौजी व्यवस्था कैसी थी, इसका सविस्तर वर्णन हम पहिले भागमें कर चुके हैं । नवीं और दसवीं शताब्दी (वि० ८५८-१०५७) की व्यवस्था भी प्रायः वैसी ही थी । तत्कालीन शिलालेखों, अर्थात् देवस्थानों और ग्राहणोंको दिये गये दानपत्रोंके आधारपर उस समयके राज्य-प्रबन्धका थोड़ा-बहुत अनुमान किया जा सकता है । पूर्वशतकोंके इतिहासकी खोजमें जिस प्रकार हुएनसङ्गके लेखोंसे सहायता मिलती है, उसी प्रकार नवीं और दसवीं शताब्दीकी परिस्थिति जाननेमें अरबी प्रवासियोंके लेखोंसे मिलती है । इस प्रकरणमें हम ईसाकी नवीं और दसवीं शताब्दीकी मुल्की और फौजी व्यवस्थाका संक्षिप्त वर्णन करेंगे ।

समग्र भारतवर्षमें सब मिलाकर लगभग पचास राज्य थे । प्रत्येक राज्य देश कहा जाता था और वहाँ अनियन्त्रित

राजसत्ता प्रस्थापित थी। प्राचीन परिभाषाके अनुसार कुछ राज्य साम्राज्य कहलाते थे। इनके अन्तर्गत कुछ राज्य होते थे, जो स्वतन्त्र होनेपर भी साम्राट् का प्रभुत्व स्वीकार करते थे। इस प्रकारके साम्राज्य दो या तीन थे—पहिला उत्तर भारतमें कन्नौजका, दूसरा दक्षिणमें मालखेड़का और तीसरा पूर्वमें मुंगेरके पालोंका। इन साम्राज्योंमें अनियन्त्रित राज्यसत्ता अवश्य थी, किन्तु राज्यप्रबन्ध उत्तम था। पहिले भागमें हम कह चुके हैं कि हिन्दू राजनीति राजाओंको कानून बनाने का अधिकार नहीं देती। इससे कोई राजा मनमाने और हानिकर कानून नहीं बना सकता था। ऐसे कानूनोंसे राज्य-प्रबन्धमें अव्यवस्था उत्पन्न होती है। यहाँ कानून ईश्वरनिर्मित समझे जाते थे और राजाको केवल उन्हें काममें लानेभरका अधिकार था। जो राजा ईश्वरनिर्मित कानूनोंका उल्लंघन करता, उसपर जनता और धर्मगुरु रुष्ट हो जाते थे, जिससे उसका राज्य अधिक दिनोंतक टिक नहीं सकता था। अपवादस्वरूप काश्मीरके शङ्करवर्मा जैसे राजा भी थे, किन्तु अधिकांश राजा धर्मके भयसे स्मृतिप्रणीत कानूनोंका यथार्थ रूपसे पालन करते थे। इस प्रकार भारतीय राज्योंमें अनियन्त्रित राजसत्तात्मक राज्यप्रणाली होनेपर भी वे राज्य सुव्यवस्थित और सुखी थे।

स्मृतिप्रणीत कानूनोंके अनुसार भूमिकी उपजका छुट्टाँ भाग और व्यापारसे होनेवाले लाभका पचासवाँ भाग राजा करके रूपमें लोगोंसे ग्रहण करता और उसके बदलेमें विदेशियोंके आक्रमणों और चोरों तथा लुटेरोंसे जनताका संरक्षण करता था। कन्नौजके प्रतिहार राजा अपना यह कर्तव्य किस खूबीसे पालन करते थे इसका वर्णन अरब यात्रियोंने अपने

लोगोंमें किया है, जिनके अवतरण हम पहिले देख चुके हैं। उनसे यह भी स्पष्ट होता है कि तब गुर्जर देशमें खोरों और डाकुओंका भय बिलकुल नहीं था। कन्नौजकी तरह अन्य देश भी उनके उपद्रवसे बचे हुए थे।

तत्कालीन दानपत्रोंसे यह भी प्रतीत होता है कि आलोक्य शताब्दियोंमें मुश्की और फौजी प्रबन्धके लिए भुक्ति (जिला) और विषय (तहसील) की योजना की गयी थी। उदाहरणार्थ, महेन्द्रपालके (विक्रम शक ८५१ के) दिव्वाडुगौलीके प्रतिहार साम्राज्यके दानपत्रमें इस प्रकारका उल्लेख है—
“आवस्तिभुक्तौ आवस्ति-मण्डलापतः पाति बालयिक विषय-सम्बद्ध पाणियक ग्रामः।” अर्थात् पाणियक नामक गाँव आवस्तिमण्डलके अन्तर्गत तहसील बालयिक जिला आवस्तिमें है (इ० पृ० १५, पृ० ११३)। इसमें भुक्ति और विषयके बीच मण्डल नामक एक विभागका उल्लेख है, जिसे हम ‘सब-डिविजन’ कह सकते हैं। मण्डल शब्द दक्षिणमें भुक्तिके अर्थमें पहिलेसे प्रचलित था। ईसाकी नवीं-दसवीं शताब्दीमें यह उत्तरमें भी प्रचलित हो गया। मण्डलपति अथवा मण्डलोई शब्द मालवामें अब तक प्रचलित है।

विभिन्न राज्योंके दानपत्रोंसे देश-विभागोंके नामोंमें भी कुछ अन्तर जान पड़ता है। महाराष्ट्रके राजा राष्ट्रकूट अपने दानपत्रोंमें केवल देश-विभाग-सूचक ‘विषय’ का ही उल्लेख करते थे। उदाहरणार्थ, शक ६६२ (सन् ७७०) के द्वितीय गोविन्द-राजके ‘आलास’ दानपत्रमें भुक्तिका नहीं, केवल विषयका ही उल्लेख है। अधिकारियों और ग्रामकी आयका विवरण उसमें नहीं है। कोंकण और कर्णाटकके दानपत्रोंमें विषय, भुक्ति या मण्डलके बदले केवल ग्रामोंकी संख्या लिखी गयी है। उदाह-

रणार्थ, वरेगलके भुवराजाके दानपत्रमें बनवासीका उल्लेख 'द्वादश सहस्र बनवासी' (एपि० इंडि० ६ पृ० १६१) इस प्रकार किया गया है। इसी तरह गुजरातके दन्तिवर्माके दानपत्रमें लाट देशके बयाझीस गाँवोंमेंसे एक, निलगुण्डके दानपत्रमें बेलवल त्रिशती तथा उसके उपविभाग भूलगुण्ड द्वादश (ए० इ० ६, पृ० २८७ और १०७) का निर्देश है। कर्णाटक, लाट, कोंकण और दक्षिण प्रान्तमें संख्या-सूचक नामोस्त्रोंकी विशेषता पायी जाती है और षट्पष्टि अर्थात् साष्टी आदिके रूपमें वह अवतक विद्यमान है। राधनपुरके तृतीय गोविन्द-राजके दानपत्रमें (ए० इ० पृष्ठ २४५) केवल भुक्तिका ही उल्लेख है (रासीयन भुक्त्यन्तर्गत रहुजत नामग्राम)। इस दानपत्रका सम्बन्ध गुजरातके एक गाँवसे है। इसी तरह सन् ७६४ (वि० ८५१) के राष्ट्रकूटोंके पैठणके दानपत्रमें केवल प्रतिष्ठान भुक्तिका ही उल्लेख है (ए० इ० ३, पृ० १०८)।

राज्यप्रबन्धके स्वरूप और बहुतसे अधिकारियोंके नामोंका बड़ा ही मनोरंजक उल्लेख कुछ दानपत्रोंमें है। पहिले कहे अनुसार कन्नौजके दानपत्र हर्षके समयसे लिखे गये हैं। उनके शब्द गिने गिनाये और आवश्यकतासे अधिक नहीं हैं। अधिकारियोंके नामनिर्देश भी अस्पष्ट हैं (सर्वानिव यथास्थान-नियुक्तान्)। परन्तु नारायणपालके भागलपुर-दानपत्रमें,—बाणद्वारा उल्लिखित बंगालकी शब्दाडम्बर-प्रवृत्तिके कारण,—बहुत सी उपयुक्त बातें अवगत होती हैं। उसमें गाँवके दानका जिन अधिकारियोंसे सम्बन्ध है, उनकी गणना इस प्रकार की गयी है (अधिकारियोंके पदोंका भाषान्तर इ० पृ० १५ में नहीं किया गया है, किन्तु हम इसका साहस करते हैं)—

१—राजराजानक (माण्डलिक)

- २—राजपुत्र (राजाके आस क्षत्रिय योधा)
- ३—राजामात्य (प्रधान मंत्री)
- ४—महासन्निविग्रहिक (सन्निधि और शुद्ध-विभागका मन्त्री)
- ५—महाक्षपटलिक (प्रधान मुल्की अधिकारी)
- ६—महासामन्त (सरदारोंका अधिकारी)
- ७—महासेनाधिपति (सेनाधिपति) उ० सरलशकर
- ८—महाप्रतिहार (मुख्य द्वाराधिपति, अ० ए. डी. काँग)
- ९—महाकर्ताकृतिक (?)
- १०—महादौसाध्य-साधनिक (किलेपर कब्जा करनेवाला)
- ११—महादण्डनायक (प्रधान न्यायाधीश)
- १२—महा कुमारामात्य (राजकुमारोंका मुख्याधिकारी)
ये राज्यके मुख्याधिकारी हुए । जिलोंमें इनके प्रतिनिधि इस प्रकार थे—
- १३—राजस्थानीयोपरिक (जिलाधीश)
- १४—दशापराधिक (दस अपराधोंका दण्ड देनेवाला मजिस्ट्रेट)
- १५—चौरोद्धरणिक (चोरोंका पता लगानेवाला पुलिस अधिकारी)
- १६—दारिडक (जेलका अधिकारी)
- १७—दण्डपाशिक (दण्डाज्ञाको अमलमें लानेवाला)
- १८—शौलिकक (कर-विभागका अधिकारी)
- १९—गौलिमक (पुलिस चौकियोंका अधिकारी)
- २०—क्षेत्रप (कृषि-विभागका अधिकारी)
- २१—प्रान्तपाल (जिलेकी सीमाका संरक्षक)
- २२—कोटपाल (किलोंका संरक्षक)

- २३—खरडरक्तक (?)
- २४—आयुक्तक—नियुक्तक (प्रतिनिधि और कारकून)
- इसके बाद फौजी अधिकारियोंके नाम इस प्रकार दिये गये हैं—
- २५—हाथियों, घोड़ों, किलों और नौकाओंका अधिकारी ।
- २६—गाय, बैल, भेड़ आदिका अधिकारी
- २७—दूत प्रेषणिक (जासूस)
- २८—गमागमिक (?)
- २९—अभित्वरमान (?)
- ३०—तहसीलका प्रधान अधिकारी
- ३१—ग्रामाधिकारी (पटेल = पटवारी)
- ३२—पुलीस सिपाही (चाटभट)

ये सभी अधिकारी लाट, कर्णाट, कुलिक, हुण, खश, मालख और गौड़ देशके हैं। शिलालेखके लेखकने उक्त अधिकारियोंकी सूची देकर भी लिखा है—“इनके अतिरिक्त अनुलिखित अन्य अधिकारी !”

दानपत्रका इन अधिकारियोंसे क्या सम्बन्ध है, इसकी कल्पना की जा सकती है। वर्तमान राज्यप्रणालीमें गजट द्वारा जिस प्रकार राजाज्ञा सब अधिकारियोंतक पहुँचायी जाती है, उसी प्रकार दानपत्रों द्वारा उस समय राजाज्ञा घोषित की जाती थी। उदाहरणार्थ किसी दानपत्रमें यह आज्ञा हो कि अमुक गाँवमें पुलीस या सिपाही प्रवेश न करें, तो इसका फौजी अधिकारियों तथा पुलीस और न्याय-विभागके अधिकारियोंको विदित हो जाना आवश्यक है। अधिकारियोंकी इस सूचीसे प्रतीत होता है कि हिन्दुस्थानकी मुल्की और फौजी व्यवस्था उस समय पूर्णताको प्राप्त हो चुकी थी और वर्तमान समुन्नत राज्यप्रणालीके सब विभाग तथा अङ्ग उसमें समा-

विष्ट थे। अधिकारियोंके नाम बंगालके राज्यके हैं, किन्तु थोड़े फेरफारके साथ वे अन्य सब राज्योंमें भी प्रचलित थे। पहिले भागमें हमने बलभी शासनकालके गुजरातके अधिकारियोंके नाम दिये हैं। उनसे उक्त नामोंमें बहुत भेद नहीं है।

विभिन्न राज्योंके दानपत्रोंके नमूने भिन्न होनेपर भी यह नहीं कहा जा सकता कि सब राज्योंकी राज्यप्रणाली भी भिन्न भिन्न थी। देश-भेदके कारण जो थोड़ा भेद है, उसका उल्लेख कर देना उचित होगा। राष्ट्रकुटोंके दानपत्र राष्ट्रपति, विषयपति, ग्रामकुट, आयुक्तक, नियुक्तक और महत्तरको लक्ष्य कर लिखे गये हैं। राष्ट्रपति दक्षिणापथका विशिष्ट अधिकारी होता था। हम कई बार कह चुके हैं कि देशविभाग-सूचक राष्ट्र शब्द महाराष्ट्रमें ही बरता जाता था। मुसलमानी राजत्वकालमें इस विभागका अधिकारी सूबा और उसके मातहत तहसीलदार हुआ करता था (ए० इ० ६ पृष्ठ २४५)। महत्तर पटेलको कहते थे। कोंकणमें 'म्हातरे' के रूपमें अब तक यह शब्द प्रचलित है। गुजरातके दन्तिवर्माके दानपत्रमें उपर्युक्त नामोंके अतिरिक्त 'बासापक' शब्द भी आया है। उसका किसीने भाषान्तर नहीं किया और उसका समझना भी कठिन है। सन् १३३ (वि० ११०) के सांगली दानपत्रमें (इ० ए० भा० १२) 'राष्ट्रपति विषयपति ग्रामकुट महत्तर आयुक्त नियुक्तकाधिकारान्' ये ही चिरपरिचित शब्द हैं। कर्णाटकमें सामपुरी गाँव होनेसे 'सात सौमें-से एक' ऐसा उसका वर्णन किया गया है। सन् १७२ (वि० १०२६) के कर्डा-दानपत्रमें भी इन्हीं अधिकारियोंके नाम हैं और लिखा गया है कि यह गाँव तीन सौमेंसे एक है। (इ० ए० भा० १२, पृष्ठ २६३)।

दानपत्रोंमें आमवासियोंका वर्णन विभिन्न प्रकारका है । बंगालके ताम्रपत्रका वर्णन अधिक सविस्तर है । गाँवके लोगोंमें ब्राह्मण (महत्तम), व्यापारी (उन्नम), पुरोधसे लेकर मेद, चाण्डाल, भंगी, डोम तकके नाम हैं (इ० ए० भा० १५, पृ० ३८६) । राष्ट्रकूटोंके दानपत्रोंमें केवल “महत्तर आदि” इतना ही लिखा है । महत्तर शब्द कौकणमें अबतक प्रचलित है, किन्तु दक्षिणी घाटमें कहीं सुनाई नहीं देता । वाक्पति और भोजके समयमें परमारोंके दिये मालवाके दानपत्रमें “प्रतिशान्तिनः पट्ट किलजनपदादींश्च बोधयति” शब्द हैं । इनका अर्थ है—“निवासी, पट्टकिल और गाँवके अन्य मनुष्योंको राजा सूचित करता है ।” सन् १००० (वि० १०५७) के लगभग मालवाके दानपत्रमें पट्टकिल शब्द सर्वप्रथम लिखा गया, परन्तु अब वह देशभरमें प्रचलित हो गया है । पंचाबसे महाराष्ट्रतक यह शब्द ‘पटेल’के रूपमें गाँवके मुख्याधिकारीके लिए बरता जा रहा है । पट्टकिल शब्द कहाँसे आया और उसका अर्थ क्या है ? हमारी समझमें हर्षके समयमें प्रयुक्त हुए ‘अक्षपटलिक’ शब्दका यह संक्षिप्त रूप है । पट्टलिकसे पट्टकिल और फिर उसका अपभ्रंश पटेल बन गया है । गाँवका दान करते हुए—“सोद्वं सपरिकर सद-शापराध सभूत वाटप्रत्यायसात्पञ्चमानविष्टिक सधान्य हिर-रयादेय अर्चादभट प्रवेश सर्वराजकीयानाम हस्तप्रक्षेपणीय” इत्यादि शब्द पिछली शताब्दियोंके दानपत्रोंकी तरह इन शताब्दियोंके दानपत्रोंमें भी लिखे गये हैं । इनसे गाँवकी आयके सम्बन्धमें दानरूपमें गाँव पानेवालोंके अधिकार सिद्ध हो जाते हैं । दानों समर्थोंके वर्णन प्रायः समानार्थक हैं । उद्भंगका अर्थ है—कर स्वरूप भूमिकी उपजका षष्ठांश ।

कभी कभी उद्वंगके स्थानपर भोग शब्द भी प्रयुक्त हुआ है। हिरण्यका अर्थ है—ध्यापारसे हुए लाभका पचा-सवां भाग। अन्य विशेषण हर एक गाँव और उसके स्वामीके अधिकार-निर्देशक हैं; जैसे उस गाँवमें पुलीस या सेपाही प्रवेश न करें, इत्यादि। अपनी सोमामें चौपायोंके ब्राने, आम तोड़ने, (साधुकी जगह 'साधु' समझना चाहिये), मधूक अर्थात् मधुवेका उपयोग करनेका अधिकार ग्रामके स्वामीको था। गुजरातकी तरह बंगालमें भी तब प्रभुवा एक आमदनीका जरिया था। सारांश, जंगल-विभागके अधिकारीको दान किये गाँवोंमें घुसने अथवा चरीकी भूमि संरक्षित रखनेका अधिकार नहीं था। गाँवके साथ 'तल और तार्ताघर' अर्थात् ऊबड़-खाबड़ भूमि भी दी जाती थी। बंगालमें ऐसी भूमि बहुत है और खालसामें वह सरकारके अधिकारमें होगी। इसी तरह आम और मधुवेके पेड़ किसीने रोपे हों, परन्तु उसकी अपनी भूमिमें न हों, तो वे सरकारी माने जाते हैं, ग्रामके स्वामीके नहीं। यह भी कह देना उचित है कि उस समय सरकार किसी ग्रामसे एक निश्चित सीमातक बेगार ले सकती थी। अर्थात् वर्षमें कुछ निश्चित दिनतक ही सरकार प्रजूरोंसे काम ले सकती थी और बेगारके सब अधिकार दान पाये हुए ग्रामोंके स्वामियोंके ही हुआ करते थे। यही कारण है कि अधिकतर दानपत्रोंमें "सोत्पद्य मानविष्टिक" ये शब्द मिलते हैं। मालवाके दानपत्रोंमें भी इसी प्रकारका अर्थात् "स्वसीमातृणकाष्ठगोचर पर्यन्तः सवृत्तमालाकुलः सहिरण्य भागभोगः सोपरिकरः सर्वादायसमेतः" इन शब्दोंमें वर्णन मिलता है। गोचरके साथ काष्ठ अर्थात् जलानेकी लकड़ी देने वाले वृक्ष तथा अन्य मूल्यवान् या अल्प मूल्यवत् वृक्ष देनेका भी

दानपत्रोंमें उल्लेख है। “देव तथा ब्राह्मणको पहलेसे ही दिये गये दानके अतिरिक्त” ये शब्द भी दानपत्रोंमें प्रायः रहते हैं। यह श्रपवाद आजकलकी सनदोंमें भी रखा हुआ दिखाई देता है। इस कालके तथा प्राचीन कालके दानपत्रोंमें दान की हुई वस्तुओंकी सूचीमें “भूतवादप्रत्यादये” ये शब्द प्रायः मिलते हैं पर इनका अर्थ लगाता कठिन है।

ग्रामोंके मुल्की अधिकारी वंशानुगत हुआ करते थे पर इसमें सन्देह नहीं कि तहसील तथा भुक्ति अर्थात् जिलेके (परमारोंके मालवाके दानपत्रोंमें भुक्तिके स्थानपर “पथक” शब्द प्रयुक्त हुआ है और उसमें दक्षिणी, पूर्वी आदि उपविभाग किये गये हैं) अधिकारियोंको राजा जब चाहते नियुक्त करते और जब चाहते निकाल देते। शिलालेखोंमें इस प्रकारकी नियुक्तियोंके उल्लेख हैं। उदाहरणार्थ खियाडोनोके दानलेखसे (पृ० इ० भा० १) हमें यह ज्ञात होता है कि वह प्रान्त ई० सन् ६१२ (वि० ६६६) में महाराज दुर्लभके और ई० सन् ६६० (वि० १०१७) में महाराज निष्कलंकके अधिकारमें था। ग्वालियरके वल्लभ खामीके शिलालेखमें (पृ० इ० भा० १, पृ० ६५७) यह उल्लेख है कि आदिवराह अर्थात् कन्नौजके भोज राजाने गुजरातके आनन्दपुर नगरके नागर ब्राह्मण अल्लके गुणोंको देखकर उसे ग्वालियरका किलेदार नियुक्त किया (श्री मदादिवराहेण त्रैलोक्यविजिगीषुणा । तद्गुणान्यः परिणाय कृतो गोपाद्रिपालने ॥)। अल्लका बाप राजा भोजके पिता रामभद्रके शासनकालमें एक अधिकारी था। इससे हमें यह बात मालूम होती है कि गुजरात और ग्वालियर दोनोंपर कन्नौजके राजाओंका अधिकार था, इतना ही नहीं गुजरातका निवासी

ग्वालियरमें अधिकारी भी नियुक्त किया जा सकता था। कन्नौजके लोगोंको गुजरातमें अधिकारी नियुक्त करनेकी बात भी शिलालेखोंमें आयी है। इसी प्रकार राष्ट्रकुटीके राज्य-कालमें कर्णाटकमें (उदाहरणार्थ महोली खाममें) नाहरी लोग अधिकारी नियुक्त होते थे। इन्हें सब प्रकारके अधिकार होते थे। वे एक प्रकारसे अपने जिलेके छोटे मोटे राजा ही हाते थे। इन्हें पंच महाशब्दोंका अर्थात् शंख, नगाड़े आदिका प्रयोग करनेका अधिकार मिलता था (समभिगत पंच महाशब्दः)। जान पड़ता है कि सुगत तथा मराठी रियासतोंके सूबेदारोंकी तरह इन्हें धार्मिक दानोंकी मंजूरी देनेका भी अधिकार था। वे अधिकारी वंशानुगत नहीं होते थे पर बहुधा वे स्वामंत बनकर वंशानुगत अधिकारी हो जाते थे। इनके वेतनका क्या प्रबंध था, यह बात शिलालेखोंसे स्पष्ट नहीं होती। संभव है कि किसी पूरे नगर या तहसीलकी आय इन्हें वेतन स्वरूप देनेका मनुकालीन नियम इस समय भी प्रचलित हो। कुछ भी हो, वे धनवान् अवश्य होते थे क्योंकि शिलालेखके आधारपर यह कहा जा सकता है कि ग्वालियरमें पत्ताके नामसे मन्दिर बनवा कर उसके खर्चके लिए निश्चित व्यवस्था कर देनेकी हैसियत अल्ल नामके अधिकारीकी थी। जिलाधीशके बहुतसे अधिकार होते थे पर सेना उसके अधिकारमें न रहती थी, उसपर एक स्वतंत्र अधिकारी होता था। उदाहरणार्थ, ग्वालियरके शिलालेखमें (पृ० ६० भा० १, पृ० १५६) किलेदारके पदपर अलुकी नियुक्तिका उल्लेख है पर सैनिक अधिकारीके स्थानपर दूसरे व्यक्तिका नाम है। इस निजी शिलालेखका पतद्विषयक अंश यहाँ उद्धृत करने योग्य है जो इस प्रकार है—“परमेश्वर श्री

भोजदेवे तदधिकृत—कोट्टपाल अल्लो बलाधिकृत तत्तके (तत्तक सैनिक अधिकारी था) स्थानाधिकृत श्रेष्ठिवाकियके (वाकियक नामका व्यापारी नगरका अधिकारी था ।)” आदि ।

उत्तरणके अन्तिम अंशसे पता चलता है कि नगरके माननीय लोग नगरके (म्युनिसिपल) अधिकारी नियुक्त किये जाते थे । संभवतः इनका एक स्थानीय अधिकारी—मण्डल होता था जो नगरका प्रबन्ध किया करता था । ये महाजन कहते थे और श्वालियरके वाकियककी तरह अपना मुख्य अधिकारी नियुक्त करते थे । शिलालेखोंमें नया बाजार खोलकर उसपर नये महाजनकी नियुक्ति करनेके उल्लेख मिलते हैं जिनसे मालूम होता है कि नगरके बाजार महाजनोंके अधिकारमें होते थे ।

नगरोंकी ये म्युनिसिपलिटियाँ तथा बाजार प्रायः विविष्ट कर बैठाते और यह आय मन्दिरोंका धर्मार्थ दी जाती थी । स्वेच्छासे लगाये गये ऐसे करोंका अनेक शिलालेखोंमें उल्लेख है । इस सम्बन्धका अत्यन्त महत्वपूर्ण शिलालेख वह है जो श्वालियरकी सीमामें ललितपुरके समीप मिला है । यह शिलालेख स्वतंत्र रूपसे अध्ययन करने योग्य है (पृ० इ० भा० २ पृ० १७४) । इसमें ऐसे अनेक कर लगाकर उनकी आय एक विष्णुमन्दिरको, जो किसी व्यापारी तथा एक और मनुष्यका बनवाया हुआ था, कई वर्षोंतक देनेका उल्लेख है । ऐसा इसी उद्देश्यसे किया जाना था कि अक्षयनीमिका अर्थात् स्थायी आय मन्दिरको मिला करे । इस प्रकार अनेक विधिकार्य मन्दिरको दी गयी थीं । विधिकाका अर्थ भलीभाँति समझमें नहीं आता । संभवतः इसका अर्थ बाजारकी एक दूकान होगा

जिसका किराया मन्दिरको दिया जाता था। इसी प्रकार घर भी मन्दिरोंको दिये जाते थे। पर इसमें विशेष आश्चर्यकी कोई बात नहीं है। हाँ, यह देखकर आश्चर्य अवश्य होता है कि दो स्थानोंपर शराब बेचनेवालोंने आधा द्रम्म या रुपया प्रति-मद्यपात्रके हिसाबसे अपने ऊपर कर बैठा लिया था। इस सम्बन्धमें शिलालेखके शब्द इस प्रकार हैं—“समस्त कल्लपालानां मध्ये यस्य यस्य सत्क मद्य भांडं निष्पद्यते विक्रयं याति स चाचंद्रार्कं यावद् विग्रहपाल सत्कद्रम्मार्धिका ताली दातव्या।” (अर्थात् कलारोंकी दुकानोंमें बिकनेवाली शराब-पर आधा द्रम्म प्रति मद्यपात्र मिलनेवाला कर मन्दिरको देनेकी व्यवस्था तबतकके लिए की जाती है जबतक सूर्य-चन्द्रका अस्तित्व है)। संभवतः कुछ वर्षोंतक इस शिलालेखके अनुसार व्यवस्था रहती है और फिर सदियों अज्ञात अवस्थामें पड़े रहनेके बाद यह पत्थर एक यूरोपियन अन्वेषक द्वारा संसारके सम्मुख लाया जाता है। मानवी इच्छाकी व्यर्थताका यह कैसा अच्छा उदाहरण है ! आज न वह मन्दिर है, न वह कर है। पर इस शिलालेखसे इन बातोंका अवश्य पता लगा है कि कलार शब्दकी व्युत्पत्ति कल्लपाल शब्दसे हुई है। दसवीं सदीमें भारतमें शराब बनती थी तथा एक विष्णुमन्दिरके खर्चके लिए शराबपर स्वेच्छासे कर लगाया गया था। इस प्रकारके करके उल्लेखके आधारपर, अर्थ करनेमें गलती होनेके कारण, यह मान लिया गया है कि विष्णुके मन्दिरको करके रूपमें शराब दी जाती थी। पर यह सरासर भूल है। शराबकी बिक्रीसे होनेवाली आयपर कर लगानेमें उस समय भी किसीको आपत्ति न हुई होगी। आज भी तो शराबसे होनेवाली आय शिक्षा-विभागको दी

जाती है ! उस समय ऐसा कर वसूल भी किया जाता था । कुम्हारको भी कर देना पड़ता था । पेहेवा (पंजाब) के एक शिलालेखमें उल्लेख है कि कशौजके तीन तथा पेहेवा या पृथूदकके सरस्वती-तटवर्ती एक मन्दिरके खर्चके लिए घोड़ोंकी विक्रीपर कर लिया जाता था और उसका एक निश्चित भाग प्रत्येक मन्दिरको मिलता था ।

मन्दिरोंको मुख्यतया दो चीजें आवश्यक होती हैं—तेल और फूल । जिस समय विजली या किरासन तेल नहीं था उस समय तेलियोंका भी बड़ा महत्व था । भारतके प्रत्येक नगर और ग्राममें तेलियोंकी गणना प्रतिष्ठित आदमियोंमें होती थी और वे पूँजी अमानतमें रखकर उसके लाभसे रोज घान पीछे कुछ तेल देना स्वीकार करते थे । इस प्रकार मन्दिरोंके रोजके खर्चके लिए तेल मिलनेका कई शिलालेखोंमें उल्लेख है । इस सम्बन्धमें उपर्युक्त खियाडांकी शिलालेखके अतिरिक्त चेदीका बिलहौरी शिलालेख भी (ए० ई० भा० १, पृ० २६३) देखने योग्य है । इसके एतत्सम्बन्धी वाक्यका ठीक तरहसे अर्थ नहीं लगता । वह इस प्रकार है—“पत्तनमण्डपिकायां तवणस्य खण्डिकायां षोडशिकघाणके च षोडशिका । तैलस्य मासि मासि दिनमनु च युगे युगे च षौर ।” इस वाक्यका मण्डपिका शब्द अन्य शिलालेखोंमें भी आया है और जान पड़ता है कि इसका अर्थ नगरका चुंगीका नाका है । नमकके बाजारोंमें तथा तेलको घानोंपर षोडशिका नामका कर लिया जाता था । तेली यह कर स्वेच्छासे देते थे तथापि समस्त तेली जातिसे यह कर दितानेवाली एक संस्था भी मौजूद थी । यही क्या, प्रत्येक व्यवसायका एक मण्डल था और मण्डलके विरुद्ध चलनेवालेको दण्ड दिया जाता था ।

माली भी आमका एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हुआ करता था और वह देवालयोंको फूल दिया करता था। फूलोंके लिए भक्त लोग मन्दिरोंको जमीन भी देते थे (सियाडोनी तथा ग्वालियर शिलालेख)। देव-ब्राह्मणोंको मिलनेवाला यह दान व्यापारियोंतक ही परिमित नहीं था। समाजका अन्य-त महत्वपूर्ण अङ्ग अर्थात् कृषकवर्ग भी उनके साथ था। आज तक मिले हुए शिलालेखोंमें इस सम्बन्धका उल्लेख नहीं मिलता पर कलिचुगसे सम्बन्ध रखनेवाली पराशरस्मृतिमें एक श्लोक इस प्रकार है—“राज्ञे दत्त्वा तु षड्भागं देवानां चैक विशकम् । विभ्राणां त्रिशकं भागं सर्व पापैः प्रमुच्यते ॥” अर्थात् राजाको आयका छठवाँ भाग, देवताको इक्कोसवाँ भाग तथा ब्राह्मणको तीसवाँ भाग देनेवाला कृषक सब पापोंसे मुक्त होता है। आयका तीसवाँ भाग ब्राह्मणका देनेके इस नियमके कार्यान्वित होनेका पता सिंध प्रान्तमें प्रचलित प्रथासे लगता है। दाहिरके समयमें कृषकोंकी आयका तीन शतांग ब्राह्मणोंको मिलना था। मुसलमानोंके राज्य-कालमें भी महम्मद कासिमने यह प्रथा जारी रखी थी। सिंध प्रान्तमें इस करके स्वेच्छासे लगाये जानेका कारण तबतक हमारी समझमें न आया था जबतक हमारा ध्यान पराशरस्मृतिके इस श्लोककी ओर न गया था और यही दिखानेके लिए कि उस समय लोग यह कर स्वेच्छासे देते थे हमने पाठकोंका ध्यान इस ओर आकृष्ट किया है।

उस समय वसूली विभागकी व्यवस्था दूरदर्शितापूर्ण थी और उसका कड़ाईसे पालन होता था। इसका प्रमाण कन्नौजके प्रतिहार राजा भोजके दौलतपुरवाले दानपत्रमें मिलता है। इस दानपत्रमें कहा गया है कि “भोजके पितामह

वत्सराजने इस समय दोन लेनेवाले व्यक्तिके पितामह वासु-
देव भट्टको अन्नहार दिया था जिसका वह उपभोग करता
था । वासुदेव भट्टने उसका पष्ठांश दानपत्र करके भट्ट विष्णु-
को दिया जिसके लिष्ट महाराज नागभट्टने मंजूरी दी थी ।
मूल दानपत्र तथा सरकारकी मंजूरीका पत्र खो जानेके कारण
मूल पत्र, भोगबन्धक तथा उसकी मंजूरीके बारेमें इतमीनान
कर यह नयी आज्ञा दी गयी है ।” इस मजमूनके आधारपर
कहा जा सकता है कि लोग दानमें मिले गाँव बेचा करते थे,
सरकारसे इसकी मंजूरी मिलती थी, सरकारी दफ्तरमें इसकी
चाहे जब जाँच की जा सकती थी तथा कानूनी काररवाई
होते समय ये प्रमाणपत्र तथा दखलीके आवश्यक कागज या
सबूत देखे जाते थे । ऐसी अवस्थामें कहा जा सकता है कि
वसूली विभागके दफ्तरमें बड़ी व्यवस्था थी और कशौज
साम्राज्यमें कानून तथा वसूली विभागके सामान्य परिष्कृत
सिद्धान्त विचारपूर्वक बारीकीसे पाले जाते थे ।

यह देखना भी मनोरञ्जक होगा कि ये प्रमाण कागजपर
लिख रखे जाते थे या कोई दूसरा पदार्थ इस काममें लाया
जाता था । उपर्युक्त लेखमें बार बार ‘पत्र’ शब्दका प्रयोग किया
गया है जिससे यह अनुमान होता है कि अवश्य कोई
न कोई कागज ही इस काममें लाया जाता होगा । उत्तरमें
संभवतः भुर्जपत्र तथा दक्षिणमें ताड़पत्रका प्रयोग किया
जाता था । सन्दर्भ प्रायः ऐसे ही पत्रोंपर लिखी जाती
थी और उनकी नकलें टिकाऊ होनेकी दृष्टिसे ताम्रपत्र-
पर दी जाती थीं । शिलाहारोंके शक सं० ६३० (ई० सन्
१००६) के एक दानपत्रमें निम्नलिखित श्लोक है जिससे
ज्ञात हो जायगा कि वसूली विभाग कैसा व्यवस्थित

था । श्लोक इस प्रकार है—“मुद्राशुद्धं क्रियाशुद्धं भुक्तिशुद्धं सचिन्हकम् । राजस्य हस्तशुद्धं च शुद्धिं मायाति शासनम् ।” अर्थात् सरकारी आज्ञापत्रपर उचित मुद्रा (मोहर) होकर, तदनुसार चिन्ह लगकर कब्जा मिला हो और राजाके हाथके हस्ताक्षर उसपर हों तब उसे शुद्ध समझना चाहिये । अन्तिम शर्तके कारण आज्ञापत्रका किसी कागज या पत्तेपर लिखा जाना आवश्यक है । इस समयके (गुप्त राजाओंके कार्य-कालके नहीं) ताम्रपत्रोंकी शुद्धता उपर्युक्त नियमोंके अनुसार ही देखी जाती है और इन ताम्रपत्रोंपर दान देनेवाले राजाका चिन्ह और किनारेकी ओर उसकी मुद्रा तथा हस्ताक्षर सदा मिलते हैं । कब्जा स्थानीय अधिकारी दिलाया करता था । (चिन्ह शब्दका यथार्थ अर्थ समझमें नहीं आता ।)

उस समय जमीनकी पैमाइश हुआ करती थी, जैसा हम पहले भागमें कह आये हैं, और इसके लिए सरकारी माप थी । इस मापका नाम निर्वतन था । (यह माप डंडोंसे की जाती थी ।) जमीनके छोटे टुकड़े हाथसे नापे जाते थे । ग्वालियरके एक दूसरे शिलालेखमें (ए० इ० भा० १, पृ० १५६) ऐसी मापोंका उल्लेख है । उसमें “परमेश्वरीय हस्त” अर्थात् सरकारी हाथकी चर्चा है (लग्नाई २७०, चौड़ाई १८७) । आगे चलकर दो जमीनोंकी पैमाइश नहीं दी है, प्रत्युत कहा है कि इतनी जमीन जिसमें ग्यारह दोना बीज बोया जा सके । (ब्रिटिश राज्यके आरंभतक कोंकणमें इस प्रकार जमीनकी माप बतानेकी प्रथा थी ।) खेतोंके प्रायः विशिष्ट नाम हुआ करते थे । दानपत्रोंमें खेतोंके नाम और उनकी चतुःसीमाका (सीमाके अर्थमें आधार शब्दका प्रयोग किया गया है) उल्लेख होता था । ग्रामोंकी भी चतुःसीमा दी जाती थी

जो निश्चित हुआ करती थी। दीवानी भागड़ोंमें सीमा संबंधी बहसको विशेष महत्व दिया जाता था।

कर मुख्यतया धान्यके रूपमें वसूल होता था। यह धान्य सरकारी गोदामोंमें जमा होता था। मुल्की कर्मचारियों तथा सैनिकोंका वेतन मुख्यतः धान्यके तथा अंशतः द्रव्यके रूपमें दिया जाता था। व्यापार सम्बन्धी करोंसे द्रव्य एकत्र होता था। ऐसी अवस्थामें यह बात साफ ध्यानमें आने योग्य है कि सरकारी खजानेमें रोकड़ बहुत कम रहती होगी और व्यापार भी अधिकतर वस्तु-विनिमय द्वारा होता होगा। विनिमयका साधन साधारणतः धान्य ही रखा जाता होगा। हम पहले भागमें काश्मीरके सम्बन्धमें यह बात दिखा चुके हैं। ब्रिटिश राज्यके आरम्भतक भारतके प्रत्येक भागमें यही प्रथा प्रचलित थी।

सिक्कोंकी अधिक आवश्यकता न होनेसे भारतमें स्वभावतः बहुत कम टकसालें थीं और उनमें सिक्के भी बहुत कम बनते थे। इस सम्बन्धमें शिलालेखोंसे अधिक जानकारी नहीं मिलती तथापि जो थोड़ी बहुत बातें हमें उनसे मालूम होती हैं वे यहाँ दी जाती हैं। सियाडोनी शिलालेखमें (ए० ई० भाग १) कई सिक्कोंके नाम आये हैं, जिनका उल्लेख करना उचित होगा। उनमें मुख्य सिक्का द्रम्म है। यह शब्द निःसन्देह विदेशी है। द्रम्म भी दो प्रकारका बताया गया है—श्रीमदादिवराह द्रम्म और विग्रहपालीय द्रम्म। यह आदिवराह अवश्य ही कन्नौजका प्रसिद्ध प्रतिहार राजा भोज है। उसका सिक्का उसके पुत्र और पौत्रके राज्यकालमें चलता था। हर्षचरितमें बाणके उल्लेखसे जान पड़ता है कि प्रत्येक राजा राज्याभिषेकके समय अपने नामके सिक्के जारी करता था और यह

प्रथा काश्मीरमें भी प्रचलित थी। संभव है कि पेशे से शवसरो-
पर नाम मात्रके लिए कुछ सिक्के ढालकर रख अदा कर ली
जाती हो और इतने सिक्के न निकलते हों कि जनतामें प्रच-
लित हो सकें। आदियराह द्रम्म सौ धर्पतक प्रचलित था।
उपर्युक्त शिलालेखमें जिस विग्रहपाल राजाके द्रम्मका बार बार
उल्लेख आया है वह विग्रहपाल कौन है, यह बताना कठिन
है। ऐसा जान पड़ता है कि विदेशी सिक्कोंके चलनेमें कहीं
कोई रुकावट नहीं थी। विदेशी तथा अन्य भारतीय राज्योंके
सिक्के इन्धरके राज्योंमें चलते थे। सियाडोनीके आस पास
विग्रहपालीय द्रम्म बहुत चलता था। पेशवाओंके समयमें भी
महाराष्ट्रमें विभिन्न सिक्के प्रचलित थे और पेशवाओं या
मराठोंका कोई अपना सिक्का नहीं था। वहाँ चांदवड तथा
हल्ली सिक्कोंका बहुत प्रचार था पर उनके साथ ही दूसरे
सिक्के भी चलते थे।

अब हम थोड़ा विषयान्तर करते हैं। सिक्के बनानेकी
कला विदेशी मालूम होती है। निश्चय ही यह कला भारती-
योंने अत्यन्त प्राचीन कालमें अर्थात् अलेक्जेंडरके समय या
उसके भी बहुत पूर्व यूनानियोंसे सीखी। चन्द्रगुप्तके समयके
कौटिलीय अर्थशास्त्रमें टकसालके सम्बन्धमें खास तौरसे
अलग नियम दिये हैं। यूनानियों तथा शकोंके राज्यकालमें
लोग सिक्केका पुराना संस्कृत नाम “निष्क” भूल गये और
“दीनार” यह नया शब्द प्रचलित हुआ। यह शब्द निश्चय
ही विदेशी है। आगे चलकर हिन्दुओंके राज्यकालमें “द्रम्म”
शब्द प्रचलित हुआ। यह शब्द भी विदेशी है। इस शताब्दीमें
भी कहीं “रुपया” शब्दका पता नहीं लगता पर यह शब्द भी
विदेशी ही है। इससे हम अनुमान कर सकते हैं कि सिक्के

बनानेकी कला विदेशोंसे ली गयी है। इस कलाका रसायन-शास्त्रसे सम्बन्ध है और भारतमें सृष्ट पदार्थविषयक शास्त्रोंका विशेष अध्ययन नहीं होता था। सिक्कोंपर लेख या चित्र अंकित करना तथा उनके किनारे काटना कठिन होता है। पेशवाओंके हल्ली सिक्कों और मुसलमानोंके सिक्कोंमें बहुत कम अन्तर था। मुसलमानोंके सिक्कोंमें अपने राज्यका निदर्शक एक अक्षर बढ़ा कर पेशवाओंको सन्तोष करना पड़ा था।

इनके अलावा जिन छोटे सिक्कोंका उल्लेख आया है वे अर्ध-द्रुम, त्रिशोपिका (अर्थात् द्रुमका बीसवाँ भाग), कपर्दिका, काकिनी तथा वराटका हैं। इनमेंसे अन्तिम तीनोंका द्रुमसे क्या सम्बन्ध था, इसका पता नहीं चलता। रुपयेको सोलह भागोंमें विभक्त करनेकी प्रथा उस समय प्रचलित नहीं थी और द्रुमके बीस भाग किये गये थे। मुसलमानोंके राज्यकालमें भी इस प्रकार मुख्य सिक्कोंके बीस भाग करनेकी प्रथा थी। कपर्दिका सम्भवतः सबसे छोटा या कम कीमतका सिक्का रही होगी।

(ब) फौजी व्यवस्था ।

अब आइये उस कालकी सैनिक व्यवस्थापर विचार किया जाय। उस समय प्रायः राजा लोग स्थायी सेना नहीं रखते थे, सरदार तथा अन्य धनवान या अधिकारप्राप्त व्यक्तियोंके नौकर-चाकरों या अधीनस्थ लोगोंमेंसे समयपर सैनिक भरती कर सेना तैयार कर ली जाती थी। अरबी यात्रियोंके वर्णनसे मालूम होता है कि बल्हारा राज्यको छोड़कर और किसी भी राज्यमें स्थायी सेना रखने तथा सैनिकोंको मासिक वेतन देनेकी प्रथा नहीं थी। इतिहास देखनेसे मालूम होता है कि इस कालके बाद फिर कभी बल्हारा राज्यमें

स्थायी सेना नहीं रखी गयी। हाँ, शिवाजीने यह प्रथा पुनः चलायी पर वह अन्ततक न चल सकी। हमारा खयाल है कि बल्लहारोंके अलावा बङ्गालके पाल राजाओंके या कन्नौजके प्रतिहार राजाओंके पास भी स्थायी सेना रही होगी।

इन सेनाओंके तीन मुख्य अङ्ग हुआ करते थे—पैदल, घुड़सवार तथा हाथी। मालूम होता है कि प्राचीन कालकी चतुरंगिणी सेनाके चतुर्थ अंग रथका इसके पहले ही लोप हो चुका था। पर भागलपुरके शिलालेखसे विदित होता है कि कमसे कम बङ्गाल प्रांतमें सेनाके चतुर्थ अंग की यह कमी जंगी जहाजोंने पूरी कर दी थी। बंगाल प्रांतमें बहुतसी नदियाँ होनेके कारण वहाँ नावों द्वारा आसानीसे व्यापार हो सकता था। ऐसी अवस्थामें वहाँ व्यापारी तथा जंगी जहाजोंका होना संभव जान पड़ता है। कमसे कम नाविक डाकुओंसे व्यापारकी रक्षा करनेके लिए ही सरकारी जंगी बेड़ा रखना जरूरी था।

उस समयके तीनों साम्राज्योंमें सेनाके इन तीन अंगोंमेंसे किसी एक अंगकी विशेष रूपसे उन्नति हुई थी। कन्नौजकी सेना अश्वदलके लिए प्रसिद्ध थी, तो बंगालकी सेना गजदलके लिए प्रसिद्ध थी। महाराष्ट्रीय सेनामें पैदल सैनिकोंकी ही प्रधानता थी। एक अरबी यात्रीने इसका यह कारण बताया है कि महाराष्ट्र प्रांत पहाड़ी होनेके कारण इस प्रांतमें पैदल सेनाका होना अत्यावश्यक था। पर आजकलकी तरह उस समय भी पैदल सेनाका विशेष महत्व न होनेके कारण राष्ट्रकुटोंकी शक्ति विशेष कर पैदल सेनापर ही निर्भर रही होगी, ऐसा नहीं मालूम होता। राष्ट्रकुटोंकी सेनामें अश्वदल और गजदल भी काफी बड़ा रहा होगा।

दूसरी बात यह कि दक्षिणमें मलाबार प्रदेशके जंगलोंमें, कारवार प्रान्त और अपरान्त अर्थात् थाना जिलेमें हाथी बहुतायतसे होनेके कारण राष्ट्रकूटोंके लिए गजदल रखना बहुत कठिन नहीं था। महाभारतमें भी इस आशयका उल्लेख मिलता है कि अपरान्त प्रान्तमें अच्छे हाथी पैदा होते हैं। बंगालके राज्यको विंध्य पर्वत तथा महेन्द्र पर्वतके आस पासके प्रदेशसे बहुत हाथी मिलते थे। पर बंगाल राज्यमें अश्वदलकी सदा ही कमी रहती थी, क्योंकि इस प्रान्तमें घोड़े शायद ही कभी मिलते थे। भागलपुरके शिलालेखमें तो ऐसा बर्णन है कि उत्तरके राजाओंसे उपहारस्वरूप मिले हुए घोड़ोंसे बंगालके राजाओंकी सेनाका अश्वदल तैयार किया जाना था। दक्षिणमें, और उसी प्रकार मारवाड़ प्रदेशमें, ऐसे घोड़े बहुत मिलते थे जो अश्वदल बनाने योग्य हों। पञ्जाब तथा अफगानिस्तानके घोड़े तो प्रसिद्ध ही हैं। यही कारण है कि राष्ट्रकूट तथा प्रतिहार राजाओंके लिए सदा अश्वदल तैयार रखना संभव था। विदेशी वस्तुओंके संबन्धमें लोगोंके मनमें सदा ही कुतूहल रहता है, इसलिये अरबी तथा ईरानी घोड़ोंकी बड़ी तारीफ होती थी, और यह मानना पड़ेगा कि अरबी घोड़ोंमें वैसे गुण होते भी हैं। अरबसे आनेवाले घोड़े संभवतः समुद्रके मार्गसे ही आते होंगे। भारतमें इन घोड़ोंका बहुत बड़ा व्यापार चलता था और यही कारण है कि अधिकांश राजदरबारोंमें अरबी व्यापारियोंको महत्व प्राप्त हुआ था।

सेनामें आत्मीय जनोंकी अधिकता होनेसे शत्रुका बहुत भय नहीं रहता। कारण, उनके शत्रुसे मिल जाने या लड़नेसे जी चुरानेकी बहुत कम संभावना रहती है। इसके अलावा

उनमें स्वदेशप्रेम तथा स्वामिनिष्ठा भी अधिक दिखाई देती है। वेतनभोगी सेनामें विदेशियोंके भर जानेकी अधिक संभावना होती है और ये किरायेके टट्टू कब विश्वासघात कर दें, इसका कोई ठिकाना नहीं रहता। इस संबंधमें हम पिछले भागमें विचार कर ही चुके हैं। प्रतिहार तथा राष्ट्रकूट राजाओंकी सेनामें आत्मीय जनोंकी ही अधिकता रहती थी। राजपूत तथा मराठे पहलेसे ही सैनिक प्रकृतिके लिए प्रसिद्ध हैं और उन दिनों उन्हें अपनी उस प्रकृतिका परिचय देनेके मौके अक्सर आते थे। बंगालके राज्यमें बिलकुल उलटी स्थिति थी। भागलपुरके शिलालेखसे तो ऐसा मालूम होता है कि बंगालकी सेनामें गौड़के अतिरिक्त खस, मालव, हूण, कुलंक, कर्नाट, लाट आदि विभिन्न जातियोंके सैनिकोंकी भरमार थी।

इस सूचीमें राजपूतों या मराठोंका नाम नहीं है, और यह ठीक भी है। कारण, इन वीरोंको अपने ही देशमें काफी काम था। इस सूचीमें वर्णित सभी देशोंके सैनिक वीरताके लिए प्रसिद्ध रहे हों, यह बात नहीं थी। उदाहरणार्थ, मालवा तथा लाट अर्थात् दक्षिण गुजरातके लोग वीरताके लिए कभी प्रसिद्ध नहीं हुए। संभव है कि लेख लिखनेवालेने सेनाका गौरव बढ़ानेके विचारसे ये नाम भी सूचीमें जोड़ दिये हों। यह भी संभव है कि उस कालमें ये लोग वीरताके लिए प्रसिद्ध भी रहे हों और आगे चलकर मुसलमानोंके राज्यकालमें उनकी वीरश्री नष्ट हो गयी हो। विभिन्न राष्ट्रोंका इतिहास देखनेसे मालूम होता है कि कभी कभी विदेशियोंके अत्याचारसे देशके मूल निवासियोंका स्वभाव तक बदल जाता है। इस शिलालेखसे बंगालके लोगोंमें चात्र-तेज होनेकी बात नहीं दिखाई देती। पर आज कलके परिवर्तन-

कालमें बंगालियोंने गुप्तरूपसे वास करनेवाली अपनी वीर-ताका परिचय दिया है। प्रत्येक सेनामें नियमित पदाधिका-रियोंके अतिरिक्त एक सेनाधिपति होता था। भागलपुरवाले दानपत्रमें 'महासेनापति' के नामसे उसका स्वतंत्र रूपसे उल्लेख किया गया है। सारी सेनाका वही अधिनायक होता था और राजाके साथ उसका प्रत्यक्ष सम्बन्ध होता था। उसकी अधीन-तामें कितने ही अधिकारी होते थे। प्रधान सेनापति महासेना-पतिके अधीन रहता था। राजा युद्ध-सम्बन्धी नीति महा-सेनापतिके परामर्शसे ही निश्चित करता था। 'दौःसाध्य-साधनिक' नामक एक और अधिकारी होता था। उसका यथार्थ काम क्या था, समझमें नहीं आता; परन्तु साधारण-तया यही जान पड़ता है कि शत्रुओंके घेरोको तोड़ने, बारूदसे उनके आश्रय-स्थानोंको उड़ा देने और यदि शत्रु किसी किलेमें पहुँच गये हों, तो उनमें आतङ्क फैलाने जैसे काम ही उसे सौंपे जाते थे। सैनिकोंको सरकारी कोषसे नियमित वृत्ति और कोठारसे अनाज मिलता था। सेनाध्यक्ष और सेनाके अन्य अधिकारियोंको नकद् वार्षिक वेतन दिया जाता था या आयका कुछ अंश दिया जाता था, तत्कालीन लिखित प्रमाणके अभावसे इसका निश्चय नहीं किया जा सकता। सम्भवतः मनुस्मृतिमें वर्णित वेतन और पुरस्कारकी प्रथा ही इस समयमें भी प्रचलित थी।

सैनिकोंको सैनिक सामग्री पहुँचाने, सेनाके कूच करनेपर उसके लिए भोज्यान्न और जलका प्रबन्ध करने, जानवरोंके लिए घासकी व्यवस्था करने, दूत भेजने, शत्रुके शिविरमें जाकर गुप्त बातें जानने आदिके लिए भी अनेक अधिकारी नियुक्त किये जाते थे, जिससे लश्करका प्रबन्ध सुगुंजल रहे। भाग-

लपुरके लेखमें वर्णित अधिकारियोंकी सूचीमें इस प्रकारके एक अधिकारीका उल्लेख है। काश्मीरके इतिहासमें भी 'महासाधनिक' नामक एक ऐसे अधिकारीका वर्णन है। इसका प्रधान काम अच्छी नसलके घोड़ोंका पैदा करना और उनका चुनाव करना था। इसी इतिहासमें दूतोंके अधिकारीका नाम 'दूतप्रेषणिक' लिखा है। भागलपुरके लेखमें 'गमागमिक' और 'अभिप्रतप' नामक दो अधिकारियोंका भी उल्लेख है, परन्तु यह नहीं कहा जा सकता कि वे किस कार्यपर नियुक्त किये जाते थे।

उस समय आज कलकी तरह राजा सेनाके पीछे नहीं, किन्तु आगे रहा करता था और अपनी शूरता तथा दृढ़ताका उदाहरण सैनिकोंके सामने उपस्थित करता था। युद्धमें सबसे आगे रहना इस देशमें राजाका कर्तव्य समझा जाता है। अन्तिम पेशवा बाजीरावके अतिरिक्त अन्य सभी पेशवाओंने हर एक युद्धमें आगे रहकर कैसा पराक्रम प्रकट किया था, यह इतिहासप्रसिद्ध ही है। आजकलकी सेनाका स्वरूप एक यंत्रके समान होनेके कारण प्रधान सेनापतिको सूत्रधारकी तरह पीछे ही रहना पड़ता है। तबके युद्ध कैसे होते थे, इसकी अब कल्पना भी नहीं की जा सकती। तोपों, आकाशयानों, पनडुब्बियों आदिने आजकल युद्धका स्वरूप विलकुल बदल दिया है। तोपोंके अभावसे उस समय प्रायः बाणयुद्ध ही हुआ करते थे। गजदलका युद्ध सबसे भयंकर होता था। राजा हथिनीपर सवार होकर युद्ध करता था। विभिन्न लेखोंमें राजाके पराक्रम और कौशलके काव्यमय वर्णन मिलते हैं। इन्द्र जिस प्रकार कृष्णवर्ण मेघोंसे जलकी मूसलधार वर्षा करता है, उसी प्रकार यह भूतलका राजेन्द्र मेघोंके समान

हाथियोंके गएडखलोंसे मानो मोतियोंकी वर्षा कर रहा है’—ऐसे अनेक वर्णन हैं और उनसे प्रतीत होता है कि आजकल यूरोपमें तोपखानोंका जैसा महत्व है, वैसा ही उस समय यहाँ गजदलका था । इस देशमें गजदल द्वारा गजदलसे जूझनेकी कला पूर्णवस्थाको पहुँच गयी थी, इसमें सन्देह नहीं । उस समयसे पहिले ही तोपोंका प्रयोग लोगोंने जान लिया था, किन्तु हिन्दुस्थानमें उसका अवलम्बन क्यों नहीं किया गया, इसका सखेद आश्चर्य होता है । इस सम्बन्धमें तीसरे भागमें विस्तारपूर्वक विचार किया जायगा ।

इस देशके युद्धोंमें विलक्षणता यह थी कि राजा अथवा प्रधान सेनापतिके शाहत या हत होनेपर सेना निरुत्साह होकर इधर उधर भागने लगती थी । ऐसी अवस्थामें शत्रुदल यदि उसके धुरें उड़ा दे, तो आश्चर्य ही क्या है ? इससे यह नहीं समझ लेना चाहिये कि सेनाके काम यथायोग्य व्यक्तियोंके सिपुर्द नहीं किये जाते थे अथवा राजाके अतिरिक्त कोई जवाबदेह नहीं रहता था । बात यह थी कि सेना स्वामिमन्त्रिसे प्रेरित होकर लड़ती थी, राष्ट्रप्रेमके कारण नहीं । प्रारम्भसे ही हमारे देशमें यदि किसी बातकी न्यूनता रही है तो वह राष्ट्रप्रेमकी है । राष्ट्रके संबन्धमें अपना कुछ दायित्व है, यह विचार यहांके लोगोंके मनमें कभी उत्पन्न ही नहीं हुआ । ‘राज्य राजाका है, उसके मरनेपर किसके लिए लड़ें ?’—यह भावना ऐसी दृढ़मूल हो गयी थी कि जिससे इस देशके लोगोंके पराक्रमका तेज लुप्त होजाता और शत्रुको विजय प्राप्त होती थी । राष्ट्रप्रेमके अभावसे भारत पराक्रम, वैभव और विद्यामें पूर्ण होते हुए भी आजतक पराधीनताके पंक्रमें सड़ रहा है ।

अठारहवाँ प्रकरण ।

भारतके इतिहासमें अत्यन्त सुखसमृद्धि का समय ।

ई० स० ८००—१००० (वि० ८५७—१०५७)

(समालोचन)

भारतके आजतकके इतिहासमें इन दो शताब्दियों जैसा वैभवसम्पन्न, समृद्ध और सुखका काल किसी अन्य शताब्दीमें देख नहीं पड़ता । इन शताब्दियोंमें भारत पूर्ण स्वतंत्र था और देशभरमें समृद्धि और शान्तिका साम्राज्य था । धार्मिक परिस्थिति निर्दोष थी । समग्र देशमें एक ही धर्म प्रचलित होनेसे जनतामें वैमनस्यका अभाव और एकता देख पड़ती थी । विभिन्न जातियोंमें भेदभाव न होनेके कारण विरोधकी गुंजाइश नहीं थी । सेनाका प्रबन्ध उत्तम था, इस कारण विदेशी आक्रमणका भय नहीं था और राज्यव्यवस्था भी प्रजाके लिए सुखकर थी । ऐसा समृद्धि और शान्तिका समय कदाचित् वैदिक युग अथवा बुद्धके पूर्व रहा हो । परन्तु बौद्ध कालसे लेकर आजतकके बीचमें इस प्रकारके सुवर्ण-कालका पता नहीं चलता ।

इस सर्वाङ्गसुन्दर समयके हर एक पहलुपर विचार करना आवश्यक है । इस समयकी सबसे अधिक महत्वकी बात यह है कि समग्र देशमें एक ही धर्म का प्रभाव था । किसी एक देशमें यदि अनेक धर्मोंके लोग बसे हों, तो वहाँ शान्ति रहना अधिक सम्भव नहीं है और यह भी निश्चय नहीं किया जा सकता कि वहाँके लोग राष्ट्रके लिए मिलकर काम करेंगे ही । आगे चलकर यह अवस्था न रह सकी ।

अबतक मुसलमानोंका प्रवेश सिन्धमें ही हुआ था, अन्य प्रान्तोंमें उनका पता नहीं था। इस कारण धार्मिक कलह अथवा उससे उत्पन्न होनेवाली राजनीतिक अस्वस्थताको अवकाश ही नहीं था। ज्यों ज्यों मुसलमान हिन्दुस्थानमें फैलने लगे, त्यों त्यों अन्धाधुन्धी और अराजकता बढ़ने लगी। आज बड़े बड़े नगरोंमें ही नहीं, छोटे छोटे ग्रामोंमें भी लुट्ट कारणोंको लेकर दोनों धर्मोंके लोग परस्पर लड़ने-भगड़ने लगते हैं और कभी कभी उन भगड़ोंका स्वरूप अत्यन्त उग्र होजाता है। उस समय मुसलमानोंकी मसजिदें हिन्दुओंके देवाल्योंके शिखरोंसे स्पर्धा नहीं करती थीं; क्योंकि उनका अस्तित्व ही नहीं था। परन्तु आगे चलकर हिन्दुओंके मन्दिरोंकी तरह देशभरमें मसजिदें बन गयीं और उनके ऊँचे धरहरे हिन्दुओंके मन्दिरोंके उच्च शिखरोंसे स्पर्धा करने लगे। तभीसे हिन्दु-मुसलमानोंके वैमनस्यका मानों भण्डा खड़ा कर दिया गया। उस समय जिस प्रकार इस्लामका उद्भव इस देशमें नहीं हुआ था, उसी प्रकार बौद्ध धर्मका अत्यन्त हास हो जानेके कारण उस ओरसे भी धार्मिक फूट होनेका भय नहीं रह गया था। कुमारिल भट्ट और शङ्कराचार्यने वैदिक धर्मका (वैदिक विधि और वैदिक तत्त्वज्ञान दोनोंका) पुनरुज्जीवन कर दिया था। इस नवीन धर्ममतमें साम्प्रदायिक मत-भेद भी उत्पन्न नहीं हुए थे। इससे समस्त जनताकी एक ही वैदिक धर्ममें अटल श्रद्धा थी। वह इस हदतक पहुँच गयी थी कि देशमें कहीं बौद्ध देवालय नहीं देख पड़ते थे। हुएनसंग जिस समय भारतमें आया, उस समय सर्वत्र उसे बौद्ध मन्दिर और स्तूप देख पड़े, परन्तु अब परिस्थिति इतनी बदल गयी थी कि बौद्ध धर्मावलम्बियोंके कारुकायों तथा मूर्तियोंको

देखनेके लिए लोगोंको निर्जन गिरिकन्दराओंमें जाना पड़ता था । आश्चर्य इस बातका है कि अनगिनती बौद्ध मन्दिर अल्पावधिमें ही एकाएक कैसे लुप्त हो गये, क्योंकि हिन्दू लोग परमत-सहिष्णु थे; मुसलमानोंकी तरह मूर्तिभंजक नहीं थे । मुसलमानोंने हिन्दुस्थानमें आकर जो अलंख्य देवालय नष्ट किये और कहीं कहीं उनके स्थानमें मसजिदें भी बनवायीं, वे सब देवालय हिन्दुओंके थे । सम्भव है कि बौद्धधर्मका पतन होनेपर बौद्धमन्दिरोंके जीर्णोद्धारकी ओर किसीने ध्यान न दिया हो और वे आप ही धीरे धीरे उध्वस्त हो गये हों अथवा मुसलमानोंने जिस प्रकार हिन्दू देवालयोंको मसजिदोंके रूपमें परिवर्तित किया, उसी प्रकार हिन्दुओंने बौद्धमन्दिरोंका हिन्दू-मन्दिरोंमें रूपान्तर कर दिया हो । अस्तु, बौद्धधर्मकी तरह जैन धर्मका पूरा पतन नहीं हुआ था । इस कारण उसका प्रभाव कहीं कहीं देख पड़ता था । गुजरात, दक्षिण महाराष्ट्र, पंजाब अथवा राजपूतानेमें प्रचार न होनेसे उसका कोई महत्व नहीं था । सारांश, उस समय भारतवर्षभरमें एक ही धर्मका—वैदिक धर्मका—प्रभाव था । साम्प्रदायिक पन्थ, मतभेद या कलह उत्पन्न नहीं हुआ था । शङ्कराचार्यका अद्वैतमत सर्वमान्य था और समाजमें यद्यपि शिव, विष्णु, भगवती, आदित्य अथवा गणपतिकी विभिन्न उपासनाएँ प्रचलित थीं, तथापि विभिन्न देवताओंके उपासकोंमें द्वेष-बुद्धि अथवा अपने ही उपास्य देवके विषयमें हठ या दुराग्रह उत्पन्न नहीं हुआ था ।

इसका कारण यह है कि बौद्धधर्मका पतन होनेके पश्चात् हिन्दूधर्मके पुनरुज्जीवनकी जो लहर उठी वह देशभरमें फैल गयी, लोगोंको उन्नीपर इतराते रहनेमें नवजीवनके आनन्दका

अनुभव होने लगा । उस आनन्दमें उन्हें गौण भेदोंका भान ही नहीं रहा । कालान्तरमें उस प्रचण्ड तरङ्गके सम्बन्धमें लोगोंकी विस्मय-बुद्धि शिथिल पड़ गयी और व्यक्ति-माहात्म्य बढ़ चला । वेदान्त मतमें द्वैत-भाव उत्पन्न होनेपर रामानुज और मध्वने सगुणोपासनाका विशेष प्रचार किया । जब सगुणोपासना ही लोगोंका लक्ष्य बन गयी, तब उपास्योंके सम्बन्धमें दुराग्रह होने लगा । कोई तो कट्टर शिवोपासक और कोई कट्टर विष्णु-उपासक बन गया । साम्प्रदायिक अभिमानसे परस्पर विद्वेष बढ़ने लगा और देशमें सुख और शान्तिको रक्षा होना असम्भव हो गया । इसी परिस्थितिमें मुसलमानोंका प्रभाव बढ़ जानेसे लोग 'ब्राहि भगवन् !' पुकारने लगे । ग्राम-ग्राम, नगर-नगरमें, धार्मिक दुराग्रहके कारण लड़ाई-झगड़े और मारपीट होने लगी । अत्याचारोंकी वृद्धि हुई और समग्र भारतवर्षमें धर्मरक्षकी दुंदुभि बजने लगी । परन्तु जिस समयका हम विचार कर रहे हैं, उस समय इस प्रकारके लड़ाई-झगड़ोंका उदय ही नहीं हुआ था । यही नहीं, लोगोंका धार्मिक विषयमें बुद्धिभेद नहीं था और सब एक ही धर्मसूत्रमें आबद्ध थे । इस कारण सर्वत्र धार्मिक शान्तिका साम्राज्य विद्यमान था ।

इस परिस्थितिके सम्बन्धमें यह आक्षेप किया जा सकता है कि तत्कालीन हिन्दू धर्मका स्वरूप परिष्कृत और पूर्ण नहीं था । उसमें ज्ञानियोंसे लेकर परम मूर्खों तकका समावेश हुआ था । तर्कशास्त्र और शास्त्रीय विचारोंकी कसौटीपर उसकी उचित परीक्षा नहीं हुई थी । यदि हुई होती, तो विद्वानोंमें अवश्य ही मतभेद होता अथवा उस समयके धर्ममतोंको पंगु जातकर उनकी ओर विद्वज्जन दृष्टिपात ही न करते । इस

आक्षेपमें कुछ तथ्यांश हो सकता है। संसारके सब धर्मोंका तात्विक विचार एक साथ करनेपर जो सर्वसामान्य सिद्धान्त निष्पन्न होता है उसके अनुसार तत्कालीन हिन्दू धर्मके तत्त्वोंमें विशुद्धता देख पड़े, तो कोई आश्चर्यकी बात नहीं है। परन्तु हमारी तो दृढ़ धारणा है कि संसारके सब धर्मोंके मूलमें एक ही अबाधित तत्व भरा हुआ है। देश, काल, परिस्थितिके अनुसार भिन्न भिन्न धर्मोंके स्वरूप भिन्न भिन्न हो सकते हैं, किन्तु सब धर्मानुयायियोंकी 'आन्तरिक' वृत्ति एक सी हो होती है, इसीसे विभिन्न धर्मोंके बहिरंग परीक्षणकी उत्पन्नमें हम पड़ना नहीं चाहते। सभी धर्मोंका अन्तरङ्ग तो उत्तम होता है किन्तु उनके बहिरङ्गमें बहुतसी ना-समझीकी बातें भी होती हैं धर्मोंके बहिरङ्गोंकी विचित्रताके कारण ही हर एक धर्ममें दुराग्रहको उत्तेजना मिलती है और कलहाग्निमें इन्धन डाला जाता है। बहिरङ्गके इन गौण दोषोंकी उपेक्षा करनेसे यह अवश्य ही निश्चय हो जाता है कि तत्कालीन हिन्दू एक ही धर्मकी छत्रच्छायामें थे, चाहे उस धर्मका स्वरूप कैसा ही क्यों न रहा हो। इसमें सन्देह नहीं कि उस समयका धार्मिक वातावरण शान्तिमय था और इसीसे देश सुखी था। उस समयके वैभवका यही प्रबल कारण था।

इस प्रकार उक्त आक्षेपका निराकरण हो जाता है। अब तत्कालीन हिन्दुओंकी धार्मिक परिस्थितिके गुणस्थलोंका भी दिग्दर्शन करा देना उचित होगा। हिन्दूधर्मकी वर्तमान और तत्कालीन परिस्थितिमें एक अत्यन्त महत्वपूर्ण भेद है, जिसके कारण तत्कालीन लोग हमारी अपेक्षा अधिक सुखी थे। हिन्दू धर्मकी सामाजिक इमारत बहुत प्राचीन कालसे

वर्णाश्रम-व्यवस्थाकी भित्तिपर खड़ी की गयी है । परन्तु उस व्यवस्थाका स्वरूप इस समय बहुत अव्यवस्थित और उद्वेगजनक हो गया है । वास्तवमें मूल जातियाँ चार ही हैं, किन्तु इस समय भारतमें उनकी दो हजारसे अधिक उप-जातियाँ बन गयी हैं, जो अत्यन्त हानिकर हैं । सभी उपजातियाँ संकुचित हैं और उनके निर्वन्ध कठोर तथा समाजका शरीर जर्जर कर देनेवाले हैं । समाज-पुरुषके सब अवयव छोटे-बड़े पाशोंसे ऐसे जकड़ दिये गये हैं कि उसे हिलना-डोलना कठिन हो गया है और उसकी नाड़ियोंका रुधिराभिसरण रुक गया है । उस समय ब्राह्मणों-ब्राह्मणों अथवा क्षत्रियों-क्षत्रियोंमें कोई भेद-भाव नहीं था । वैश्योंमें भी भेदभाव उत्पन्न नहीं हुआ था । हम पहिले बता चुके हैं कि उत्तर भारतके राजपूत क्षत्रियों और दक्षिणके महाराष्ट्रीय क्षत्रियोंमें बराबर रोटी-बेटीका व्यवहार प्रचलित था । यही नहीं, तब राजपूतोंके ३६ कुलोंकी गिनती तक नहीं हुई थी । जातियोंमें भेदभाव न होने और उनकी अनेक उपजातियाँ न बननेसे उस समय देशमें सुख-शान्ति विद्यमान थी । तब ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं हुई थी कि कनौजिया ब्राह्मण श्रीमाली ब्राह्मणोंसे झगड़ा करें और दोनों मिलकर महाराष्ट्रीय ब्राह्मणोंपर धावा बोल दें अथवा कर्नाटकी और दक्षिणियोंमें घोर विद्वेष होते हुए भी दोनों तामिलोंको निगल जानेपर उतारू हो जायँ । उस समय एकताका भाव जागरित था । इस कारण विदेशी आक्रमणका अनायास निवारण हो जाता था और अन्तर्राष्ट्रीय युद्धोंकी गति भी किसी प्रान्तपर नाम मात्रके लिए अधिकार कर लेनेसे आगे नहीं बढ़ती थी । सब क्षत्रियोंमें ऐक्य होनेके

कारण विदेशियोंको देशमें फूट डालनेका अवसर ही नहीं मिलता था ।

उपजातियोंके न बननेसे हर एक जातिमें परस्पर सौहार्द और प्रेमभाव बना रहता था । हम कह चुके हैं कि उस समय उत्तरके क्षत्रियों और दक्षिणके क्षत्रियोंमें अनवन होनेका कोई कारण ही नहीं था । यह आपत्ति हो सकती है कि एक ही जातिमें कलहका कोई कारण न होने पर भी यह कैसे मान लिया जा सकता है कि ब्राह्मण-क्षत्रियों अथवा वैश्य-क्षत्रियोंमें परस्पर अनवन नहीं थी ? इसका समाधान यह है कि तब ब्राह्मण क्षत्रिय-वैश्योंमें अनुलोम विवाह प्रचलित थे । इससे पारस्परिक प्रेम-बुद्धिमें सहायता मिलती थी । प्राचीन समयमें तो शूद्रोंके साथ भी त्रिवर्ण अनुलोम विवाह करते थे; किन्तु जिस समयकी हम आलोचना करते हैं, उस समय ऐसे विवाह बन्द हो गये थे । हमारे विचारसे यह अच्छा ही हुआ, क्योंकि शूद्र लोग भूल द्रविड़ अनार्य और त्रिवर्णके लोग आर्य हैं । आर्यों और अनार्योंके वंश सम्मिश्र हो जाने पर किसी वर्णकी शुद्धता नहीं रह सकती । आर्यों-आर्योंमें सम्बन्ध होनेसे यह भय नहीं रहता । अतः ऋषियोंने जो शूद्रोंके साथ अनुलोम विवाह करनेका निषेध किया, वह उचित ही था । अस्तु, उस समय ब्राह्मणगण क्षत्रिय-वैश्यों और क्षत्रियगण वैश्योंकी बेटी व्याह्र सकते थे । अनुलोम विवाहसे उत्पन्न हुई सन्तान माताके वर्णकी समझी जाती थी, उसकी कोई स्वतन्त्र जाति नहीं बनी थी । यदि ऐसी जातियाँ बनतीं, तो उसी समय कितनी ही उपजातियाँ हो जातीं । कहीं कहीं तो एक ही विप्रकी ब्राह्मणी, क्षत्राणी और वैश्य जातिकी स्त्रियाँ और उनकी तीनों वर्णोंकी सन्तान देख पड़ती थी । सब

सन्तान एकत्र लालित-पालित होनेसे उनमें भेद भाव नहीं उत्पन्न होता था । सब कुटुम्बी एक साथ बैठ कर भोजन करते थे । मांस-भक्षणका निषेध न होनेसे सबका आहार एक था । एक ही पात्रसे सब पानी पीते थे, अतः स्पर्श-स्पर्शका भी विचार नहीं था । सब सन्तानके व्रतबन्ध आदि संस्कार एकत्र और समान रूपसे होते और सब वेदाध्ययन करते थे । तब लोगोंकी यह धारणा नहीं थी कि वेदाध्ययनका अधिकार केवल ब्राह्मणोंको हो है । आजकल ब्राह्मणोंके लुआलूत, वेदाधिकार आदिके हठसे क्षत्रियादि उनसे भीतर ही भीतर विद्वेष रखते हैं, चाहे ऊपरसे भले ही आदर प्रकट करते हों । तब ऐसी दशा नहीं थी । तब तीनों जातियोंको वेदाधिकार था, तीनोंका खानपान एक था, अनुलोम विवाह प्रचलित थे और लुआलूतका आडम्बर नहीं था । इससे वैर-विरोधके लिए कहीं अवकाश ही नहीं रह गया था और समाजके प्रेम-बन्धन सुदृढ़ तथा सुस्थिर थे ।

उस समय शूद्रोंके साथ सामान्यतः विवाह-सम्बन्ध निषिद्ध होने पर भी कुछ शूद्रोंके साथ त्रिवर्णोंका खान-पान-सम्बन्ध था । शूद्र बहिष्कृत नहीं समझे जाते थे । आजकल पवित्र ब्राह्मण शूद्रको छुआ भी स्पर्श नहीं करता, खान-पानकी तो बात ही दूर है । तब यह बात नहीं थी । पञ्चम अथवा अतिशूद्रोंको छोड़, अन्य शूद्रोंके साथ,—जिनका कृषि-कर्मादिके अवसरपर निकट सम्बन्ध आता था,—तीनों वर्णोंके लोग खान-पानादि व्यवहार करते थे । हमारा यह मत विचित्र सा जान पड़ेगा, परन्तु किया क्या जाय ? इस मतकी पुष्टिके लिए शिलालेखादिका प्रमाण न होनेपर भी अर्वाचीन स्मृति-ग्रन्थोंसे अनेक प्रमाण दिये जा

सकते हैं। स्मृतियोंके अनेक विषयोंका हमने सूक्ष्म परिशीलन किया, तो उससे, समाजकी रीतिनीतिमें किस प्रकार धीरे धीरे परिवर्तन होता गया, यह बात हमारे ध्यानमें आगयी। बड़ी कठिनाई तो स्मृति-ग्रंथोंके रचनाकालका निश्चय करनेमें है। वह यदि सुलभ जाय, तो समाजके छोटे-मोटे परिवर्तन आदर्शभूत स्मृति-ग्रंथोंसे जाने जा सकते हैं। स्मृति-ग्रंथोंके देखनेसे यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि कुछ विशिष्ट शूद्रोंके साथ बहुत प्राचीन समयसे त्रिवर्ण अन्न-पानादि व्यवहार करते थे। अब इस सम्बन्धमें बड़े कड़े सामाजिक नियम बन गये हैं। इस समय यदि कोई ब्राह्मण किसी शूद्रके साथ खान-पान करे, तो वह जातिव्युत्त हो जायगा। पहिले ऐसे कड़े नियम नहीं थे; यह बात परिशिष्टकी टिप्पणीमें दिये वचनोंसे स्पष्ट हो जायगी। उक्त टिप्पणीमें विभिन्न स्मृतियोंके विशिष्ट वचन एकत्र किये गये हैं। उनसे यह ज्ञात हो सकता है कि पहले अन्नोदक-सम्बन्धका रूप क्या था और उसमें कैसे कैसे परिवर्तन होता गया। हमारी समझमें 'व्यास-स्मृति' अत्यन्त आधुनिक स्मृति है। उसमें लिखा है कि यदि कोई ब्राह्मण नाई, अपने कुलका मङ्गलाकाँची, कुलागत मित्र, खेतीमें सहायता करनेवाला, सेवक और ग्वाला इनके साथ,—इनके शूद्र होते हुए भी,—अन्नोदक-व्यवहार करे, तो उसे पाप नहीं लगता। ❀ यह मानी हुई बात है कि ब्राह्मणोंके व्यवसायमें उक्त प्रकारके शूद्रोंका काम पड़ता ही है। साथ ही इस वचनसे तत्कालीन ब्राह्मणोंके व्यवसायका भी पता चल जाता है। पराशर-स्मृति कलियुगके आचार्योंके सम्बन्धमें

❀ नापितान्धगमिनार्द्धसीरिणो दासगोपकाः ।

शूद्राणामप्यमीषान्धु शुक्लजं नैव दुष्पति ॥

प्रमाण मानो जाती है। उसमें लिखा है कि ब्राह्मण और क्षत्रिय अपने आचार्योंका पालन करते हुए जीविका-निर्वाहके लिए खेती कर सकते हैं। उत्तर भारतके कृषकोंमें जो अधिकांश ब्राह्मण-क्षत्रिय और दक्षिण भारतके कृषकोंमें अधिकांश मराठा क्षत्रिय देख पड़ते हैं, इसका कारण यही है। ब्राह्मण-क्षत्रिय खेती करें, तो शूद्रोंका उनसे सम्पर्क होगा ही और जब सम्पर्क होगा, तब थोड़ा-बहुत उनसे खान-पान-व्यवहार हुए बिना कैसा रहेगा ? इस प्रकार ब्राह्मण-क्षत्रियोंका शूद्रोंसे निकट सम्बन्ध होनेके कारण परस्पर प्रेमभाव बना रहता था। ब्राह्मण-क्षत्रियोंसे पहिले वैश्य खेती करते ही थे। परन्तु बौद्ध-कालमें खेतीका धम्मा गौण माना जाने लगा। तबसे खेती करनेवाले वैश्योंकी गणना शूद्रोंमें होने लगी। सम्भवतः वैश्योंके समावेशसे ही शूद्रोंमें 'उच्च-नीच' का भाव उत्पन्न हुआ है। अजिस्मृतिमें स्पष्ट लिखा है कि कुछ विशिष्ट शूद्र आद्यादि कर्मके अधिकारी हैं और उनका पौरोहित्य ब्राह्मण कर सकते हैं। शूद्रोंके साथ अन्नपानादि व्यवहार करनेमें उन्हें कोई रुकावट नहीं है। इसी स्मृतिमें शूद्रोंके दो भेद बताये गये हैं—१. आद्यके अधिकारी और २. आद्यके अनधिकारी। ❀ इससे भी वर्तमान और तत्कालीन परिस्थितिका अन्तर साफ समझमें आजायगा। वर्तमान समयमें यदि कोई ब्राह्मण शूद्र, वैश्य अथवा क्षत्रियसे भी जल ग्रहण करे—अन्न-ग्रहणकी तो बात ही दूर है—तो वह निन्द्य समझा जाता है। ब्राह्मणोंके इस नये संकुचित बर्त्तावसे यदि जातियोंमें परस्पर प्रेमभाव घटता जाय, तो इसमें आश्चर्य ही क्या है ? जब ब्राह्मण-क्षत्रिय,

❀ शूद्रोऽपि द्विविधोऽयः आद्वीचैवेतरस्तथा ।

आद्वी भोज्यस्तयोक्तो अभोज्यस्त्वितरः स्मृतः ॥

वैश्य और शूद्रोंमें खान-पान-व्यवहार प्रचलित था, तब सामाजिक कलहके लिए अवकाश ही नहीं था ।

आगे चलकर अन्नपानादिके सम्बन्धमें बड़े कठोर नियम बने । क्यों बने ? इसका विचार अग्रिम भागमें किया जायगा । इसका परिणाम यह हुआ कि ब्राह्मणोंकी शुचिता भले ही सुरक्षित रही हो, पर उनका सामाजिक गौरव घट गया । सम्प्रति क्षत्रिय-वैश्य आदि ब्राह्मणोंसे पानी भराने, रसोई बनवाने जैसे काम करा लिया करते हैं । ब्राह्मण शब्द विशिष्ट अधिकार-वाचक है, परन्तु इस समय रसोइया, पनभरा और भिखारीके अर्थमें वह रुढ़ हो चला है । 'पीर-बबरची-भिश्ती-खर' यह कहावत ब्राह्मणोंको लक्ष्य करके ही बनी है । ब्राह्मण रसोइया वैश्य आदिके घर रसोई बनाता है, किन्तु उसके घरके लोगोंसे अपना स्पर्श नहीं होने देता । इसी लुआछूतकी कल्पनामें वह अपनी प्रतिष्ठा और पवित्रता समझता है । क्या यह आश्चर्यकी बात नहीं है ?

जिस समयका हम विचार कर रहे हैं, उस समय भिक्षा-वृत्तिसे जीविका-निर्वाह करनेवालोंका अभाव था । क्या यह उस समयकी सुस्थितिका निदर्शक नहीं है ? बौद्ध-धर्मके उदय-से देशमें जो भली-बुरी प्रथाएं प्रचलित हुईं, उनमें सबसे बुरी प्रथा भिक्षावृत्तिकी थी । बौद्ध धर्मसे इस वृत्तिको उदय हुआ, यह कहनेकी अपेक्षा, बौद्धधर्मने इस वृत्तिको अकारण उत्तेजन दिया, यह कहना अधिक युक्तियुक्त होगा । हर एक वर्णके मनुष्य बौद्ध धर्मकी दीक्षा ले सकते थे । उनके निवास-के लिए बड़े बड़े विहार बने हुए थे । इससे लाभ उठाकर सभी आलसी बौद्धधर्मकी दीक्षा ग्रहण करने लगे । ऐसे धर्मान्तर करनेवालोंमें तत्त्वान्वेषी और धर्मपरायण लोग

बहुत ही कम थे, पेढारथी लोगोंकी ही संख्या अधिक थी। बौद्ध धर्मके हासका यह एक विशेष कारण है। यूरोपमें “मोनास्टरियों” की जो दशा हुई, ठीक वही दशा “विहारों” और बौद्ध भिक्षुओंकी हुई। बौद्ध धर्मके उत्कर्ष-कालमें बौद्ध विहारोंमें हजारों भिक्षु बसते और गांवोंमें भिक्षा माँग कर उदर-पूर्ति करते थे। बौद्धोंके समयमें जहाँ तहाँ भिक्षारियोंकी भरमार हो गयी थी। आरम्भमें भिक्षुओंके प्रति लोगोंका कुछ आदर होनेके कारण प्रायः भिक्षुओंसे कोई उकताता नहीं था। पर आगे चल कर जब बौद्ध भिक्षुओंकी संख्या बहुत बढ़ गयी और वे लोगोंको भिक्षाके लिए सताने लगे, तब लोगोंका भी उनके प्रति आदर घट गया। इन बौद्ध भिक्षुओंमें ब्राह्मण-क्षत्रियोंकी अपेक्षा शूद्रादिकोंकी ही संख्या अधिक होनेसे भी लोगोंकी इनपर श्रद्धा नहीं रही। ब्राह्मण-क्षत्रिय तो प्रायः मठाधिकारकी आकांक्षासे ही बौद्ध धर्ममें प्रवेश करते थे। अस्तु काल-प्रभावसे बौद्ध धर्मका हास होने पर भिक्षुओंकी संख्या कम हुई और उनसे होनेवाले लोगोंके कष्ट कम तो हो गये पर एकबार ही नष्ट नहीं हुए। बौद्ध भिक्षुओंका पन्थ नष्ट हुए एक दो शताब्दियाँ भी नहीं बीती थीं कि शैव और वैष्णव गुसाइयों तथा वैरागियोंके पन्थोंका उदय हुआ। ये लोग भी बौद्ध भिक्षुओंकी तरह अविवाहित रहकर मठों और मन्दिरोंमें निवास करते और भिक्षा-वृत्तिसे जीविका-निर्वाह करते थे। विचारणीय समयमें इन पन्थोंका दौर-दौरा नहीं था और बौद्ध भिक्षुओंका अस्त हो गया था। इस कारण देशमें भिक्षाचर्यका उपद्रव बहुत ही कम था।

प्राचीन समयसे भिक्षा-वृत्ति निन्दनीय मानी गयी है। कुछ विशिष्ट ब्राह्मणोंकी ही भिक्षाका अधिकार दिया गया

था, किन्तु उनकी भी धार्मिक वृत्ति देखी जाती थी। सब ब्राह्मण भिक्षा नहीं माँग सकते थे। अधर्मी या अशिक्षित ब्राह्मण भिक्षा माँगनेके अधिकारी नहीं थे। एक स्मृतिमें ऐसे ब्राह्मणोंको भिक्षा देनेवाले ग्रामको दण्ड देनेकी व्यवस्था है, क्योंकि इस प्रकारकी भिक्षा या दानसे चोरोंका समर्थन होता है (“तं ग्रामं दण्डयेद्वाजा चोरभक्तप्रदो हि सः”)। जब ब्राह्मणोंके लिए इतना कड़ा नियम था, तब अन्य वर्णोंके लिए तो कहना ही क्या है। भिक्षावृत्तिके सम्बन्धमें इतना कड़ा बन्धन होनेके कारण ही सब वर्णोंके लोग अपने पूर्वपरम्परागत धन्धोंसे ही जीविका-निर्वाह करते थे; उन्हें अन्य कोई उपाय नहीं था। ब्राह्मण प्रायः धर्माचरणमें ही अपना कालक्षेप करते थे, नहीं तो छात्रवृत्तिसे जीविका-निर्वाह करते और विवश होकर ही खेती करते थे। अस्तु, उस समय भिक्षावृत्ति निषिद्ध मानी जानेके कारण कोई निकम्मा नहीं रहने पाता था। जिस देशमें निरुद्योगियोंका आदर कम होता है, उस देशके उत्कर्षमें सन्देह ही क्या रह जाता है ?

बौद्धधर्मसे हिन्दू समाजको लाभ भी कम नहीं हुए हैं। हिन्दू धर्मके ही कुछ मूल सिद्धान्तोंपर बौद्धधर्मने इतना अधिक जोर दिया कि लोग उन्हें बौद्ध सिद्धान्त ही समझने लगे। बहुत प्राचीन कालसे हिन्दूतत्त्वज्ञानमें पुनर्जन्म और कर्मवादके सिद्धान्त रुढ़ हैं। बौद्धधर्मने दोनोंका ऐसा सुन्दर और प्रभावशाली मेल मिलाया कि यह नीतिके संवर्धनमें बहुत ही उपयोगी सिद्ध हुआ। इन दो तत्त्वोंकी ही नींवपर बौद्धधर्मने नीतिका भव्य मन्दिर निर्माण किया, जिससे हिन्दू-समाज नीतिके अत्युच्च शिखरपर विराजमान है। तत्कालीन विदेशी व्यापारियों और प्रवासियोंने हिन्दुओंकी ईमानदारीकी

भूरि भूरि प्रशंसा की है। यह कहनेकी आवश्यकता नहीं कि सर्वसाधारण लोगोंकी उत्तम नीतिमत्ता ही समाजका बहु-मूल्य सद्गुण समझी जाती है।

बौद्धधर्मने हिंसायुक्त याग-यज्ञोंका निषेध किया, यह उसका दूसरा चिरंतन और अनुकूल परिणाम है। बौद्ध-धर्मका अन्त होगया, परन्तु उसके अहिंसा-धर्मका लोगोंपर इतना अधिक प्रभाव पड़ा कि अब हिंसायुक्त याग-यज्ञोंका पुनः प्रचार होना असम्भव हो गया है। बौद्धधर्मने वेदोंके सम्बन्धमें लोगोंकी श्रद्धा शिथिल की थी, वह भीमांसकोंने फिर दृढ़मूल कर दी, परन्तु उनसे वेदप्रणीत हिंसायुक्त याग-यज्ञोंका पुनरुज्जीवन करते न बना। हमारे कथनका यह तात्पर्य नहीं कि अग्निहोत्र सहित सभी यज्ञादि कर्म लुप्त हो गये थे। हमारे कथनका आशय यह है कि हिंसाप्रधान वैदिक कर्मोंका बौद्धोंके समयमें जो हास हुआ, उसका फिर उदय न हो सका। अग्निहोत्रादि कर्मोंका व्यक्तिके सम्बन्ध रहता है, समाजके लिए उनका कुछ भी महत्व नहीं। किन्तु बड़े बड़े यज्ञोंके सम्बन्धमें यह बात नहीं है। बड़े यज्ञोंका बड़ा आडम्बर होता है। उनमें शक्ति और धनका बहुत व्यय होता है। उनकी क्रियाएँ (विधियाँ) भी बहुत पेचीली होती हैं। केवल धनी लोग ही यथासाङ्ग याग-यज्ञ कर सकते हैं। अश्वमेध, राजसूय जैसे यज्ञ राजाओंके सिवा कोई कर ही नहीं सकता। इन यज्ञोंके लिए संग्राम भी हो जाते और समाजमें अकारण अशान्ति उत्पन्न होती है। परलोकमें इन यज्ञोंसे जितना पुण्य-लाभ होना संभव है, उससे कहीं अधिक लोगोंकी प्राण-हानि यहीं हो जाती है। ऐसे याग-यज्ञोंके अन्त होनेसे देशका निरर्थक धन-व्यय और हिंसा-

कर्म रुक गया और इससे देशमें सुख-समृद्धिकी वृद्धि हुई । यहाँ यह बात ध्यानमें रखने योग्य है कि उस समयके नये राजपूत राजाओंने अश्वमेधादि यज्ञ नहीं किये थे ।

ईसाकी नवीं और दसवीं शताब्दीकी धार्मिक परिस्थिति सामाजिक उन्नतिमें किस प्रकार कारणीभूत हुई, इसका विवेचन अबतक किया गया है । इसका सारांश यह है कि समस्त समाजका एक ही धर्म होने और पन्थों तथा सम्प्रदायोंकी उत्पत्ति न होनेके कारण धार्मिक फूटके लिए अवकाश नहीं था । जाति-बन्धन वर्तमान कालके समान अधिक कठोर न होनेके कारण उस समय जाति-द्वेष इतना तीव्र नहीं था । समाजका शोषण करनेवाला निरुद्योगियोंका दल नष्ट हो जाने और समाजकी नीतिमत्ता उच्च श्रेणीकी होनेके कारण समाजकी परिस्थिति सब तरहसे विभवानुकूल थी और राजसूय-अश्वमेधादि भगड़ेवाले यज्ञोंके बन्द हो जानेके कारण देशमें अकारण युद्ध नहीं होते थे । धार्मिक परिस्थितिकी आलोचना करनेके पश्चात् अब देशकी आर्थिक दशापर दृष्टिपात करना उचित होगा ।

तत्कालीन समाजकी आर्थिक अवस्था भी सन्तोषजनक थी । उस समयके वैभवका वर्णन करनेके बदले यदि वैभव-घातक बातोंके अभावका वर्णन किया जाय, तो वर्तमान समयमें वैभव नष्ट करनेवाली कौन सी बातें प्रचलित हैं, इसका ज्ञान पाठकोंको हो जायगा । उद्योग-धन्धोंकी अभिवृद्धि और खराज्य-साधनसे ही हर एक देश समुन्नत होता है । उद्योग-धन्धोंकी न्यूनतासे देशकी उतनी हानि नहीं होती, जितनी देशका धन-धान्य विदेश चले जानेसे होती है । पराये लोगोंका राज्य अथवा सत्ताधिकार ही स्वदेशकी

विपत्तिका प्रमुख कारण है, फिर चाहे वे पराये लोग स्वदेशी हों या विदेशी । संसारके इतिहासका अवलोकन करने पर एक यही सिद्धान्त अबाधित रूपसे निकलता है कि जिस देशपर किसी दूसरे देशके लोगोंका, किसी रूपमें, अधिकार हो जाता है उस देशकी सम्पत्ति क्षीण हो जाती है । फिर वह देश या तो धीरे धीरे दुर्दशाग्रस्त हो जाता है या एक बार ही नष्ट हो जाता है । पराये लोग देशका धन केवल कर या राजस्वके ही रूपमें नहीं ले जाते; बड़े बड़े पुष्ट वेतनके पद उन्हींके हाथमें होनेके कारण वे सधन होकर व्यापार तथा अन्य उपायोंसे भी विजित राष्ट्रको निःसत्त्व और निर्धन बना डालते हैं । परायी सत्ता देशकी सम्पत्तिको नाना तरहसे थो वहाती है । इस बातको विस्तारसे सिद्ध करनेकी आवश्यकता नहीं है । एक ही देशके परप्रान्तीय लोगोंकी सत्तासे भी कुछ हानि होती ही है । उत्तरके मौर्य दक्षिणमें शासन करें अथवा दक्षिणके आन्ध्रभृत्य उत्तरमें शासन करें, तो दोनोंका परिणाम समान रूपसे हानिकारक ही होगा । परन्तु जिस समयका हम विचार कर रहे हैं, उस समय सिन्ध प्रान्तके अतिरिक्त भारतके किसी भागमें ऐसा अन्याय नहीं था । उत्तर, दक्षिण और पूर्वमें स्वतन्त्र राज्य थे । कन्नौज, मालखेड़ और मुंगेरके साम्राज्य स्थानीय वंशोंके ही अधिकारमें होनेके कारण उन प्रान्तोंके हितसंबर्धक थे । मराठोंका प्रभुत्व बंगालपर अथवा बंगालका प्रभुत्व आसामपर नहीं था । काठियावाड़ और उत्तर गुजरात कन्नौजके अधिकारमें था, किन्तु अन्तमें गुजरातमें “चावडा” राजपूत घरानेकी स्वतन्त्र स्थापना होनेपर काठियावाड़ गुजरातका भी स्वाधीन राज्य हो गया । कन्नौजका प्रभुत्व अन्यत्र

भी निकटवर्ती स्थानोंपर था, पर उसे कोई पराया नहीं समझता था। दक्षिणके राज्योंकी भी यही अवस्था थी। दक्षिणमें राष्ट्रकूटोंका सम्राट्-कुल था और उसका प्रभुत्व समस्त दक्षिण प्रान्तपर था। उसकी छत्रच्छायामें अनेक माण्डलिक राजा थे पर वे आन्तरिक राज्य-प्रबन्धमें पूर्णतः स्वतन्त्र थे। उन्हें केवल विशेष अवसरपर सम्राट्के दरबारमें उपस्थित होना और युद्धके समय सम्राट्की सहायता करनी पड़ती थी। एक अरबी प्रवासीने तो यहाँतक लिखा है कि भारतके प्रत्येक प्रांतमें उस प्रांतके राजा ही राज्य करते हैं। स्वर्गीय दादा-भाई नौरोजीने विदेशी शासनसे होनेवाले देशकी सम्पत्तिके हासका जैसा मार्मिक वर्णन किया है, वैसी अवस्था किसी राज्यमें नहीं थी। सब राज्य समृद्धिशाली थे। अरबी प्रवासियोंने उसका दिग्दर्शन यह कहकर कराया है कि देश धन-धान्यसे पूर्ण है और देशके लोग अत्यन्त सन्तुष्ट हैं।

देश भरमें जिस प्रकार परायी सत्ताका कहीं बन्धन नहीं था, उसी प्रकार जनताको क्लेशमें डालनेवाली अव्यवस्थित राज्यप्रणाली भी नहीं थी। इसका प्रधान कारण उस समयकी कर-ग्रहणकी सुन्दर रीति है। आजकल कर एक बार निश्चित कर दिया जाता है और वह नकूद वसूल किया जाता है। अवर्षण होने पर यह निश्चित नहीं रहता कि छूट मिलेगी ही, इससे कृषक दोहरे कष्ट पाते हैं। तब यह दशा नहीं थी। कृषक उत्पन्न हुए धान्यका कुछ भाग सरकारको देते थे और फसल तैयार होनेपर सरकारी अधिकारी उसे वसूल करते थे। अवर्षण आदिके कारण यदि पैदावार कम हुई, तो सरकारको भी उसी हिसाबसे अन्न मिलता था। नकूद कर-वसूलीमें सरकारको सुभीता रहता है, किन्तु धान्यके रूपमें

कर देना किसानोंको नहीं अखरता और वे नंगे-भूखे नहीं रहने पाते । उस समय कृषिके अतिरिक्त अन्य कोई कर नहीं था । यह हम कह चुके हैं कि जङ्गल या आबकारी का विभाग तब नहीं बना था । अन्य करोंके न होनेसे जनता कर-भारके तले दबी नहीं थी । उस समय बेगारकी प्रथा अवश्य थी, किन्तु उससे कृषकोंको कोई कष्ट नहीं था । अरबी प्रवासियोंके वर्णनोंसे सबसे महत्वकी बात यह मालूम होती है कि राज्यके अन्तस्थ शत्रु चोर-डाकुओंका देशमें बिलकुल भय नहीं था । कन्नौज राज्यमें इनको कड़े दण्ड दिये जाते थे । अतः वह राज्य इन उपद्रवियोंसे बिलकुल निश्चिन्त था । इनके उपद्रवसे बचनेका प्रबन्ध पूर्व और दक्षिणके राजाओंने भी कन्नौजके अनुकरणपर ही किया था ।

देशके अनर्थका सबसे प्रबल कारण उसपर होनेवाला विदेशियोंका आक्रमण है । भारतवर्षपर अनादि कालसे आजतक बराबर विदेशियोंके आक्रमण होते आये हैं । प्राचीन कालमें ग्रीक, शक, कुशान, मुण्ड और आधुनिक कालमें तिब्बती, हूण तथा अरब लोगोंने क्रमशः भारतपर आक्रमण कर इसे जर्जर कर डाला । इधर तुर्क, मोगल, पारसी और अफगान लोगोंने हिन्दुओंके नाकों दम कर दिया था । परन्तु ईसाकी नवीं और दसवीं शताब्दीकी विशेषता यह है कि इन दोनों शताब्दियोंमें किसी भी विदेशीने भारतपर चढ़ाई नहीं की । अरबोंने सिन्धु प्रान्त अपने अधिकारमें कर लिया था, परन्तु वे आगे नहीं बढ़ सके; क्योंकि उनकी शक्ति आपही क्षीण हो चली थी । तब तुर्क मध्य एशियामें ही थे; उन्हें भारतकी अद्भुत सम्पत्तिका पता नहीं था । परचक्रोंसे उस समय भारत बिलकुल बचा हुआ था । यदि कोई यह आक्षेप करे कि देशके अन्दर तो युद्ध

होते ही थे; जुर्ज़ और बल्हारा, राष्ट्रकूट और पाल, इनमें चिरन्तन वैर-विरोध था; फिर कैसे कहा जा सकता है कि उस समय युद्ध शान्त थे ? इसपर हमारा यह उत्तर है कि आप-सकी चढ़ाईयों या लड़ाईयोंसे विदेशियोंके आक्रमणों जैसी कभी हानि नहीं होती और न लोगोंको ही विशेष पीड़ा पहुँचती है । क्योंकि अन्तर्राष्ट्रीय युद्धमें दोनों दलोंके लोग एक ही धर्म और जातिके होते हैं और दोनोंकी संस्कृति एक ही होनेके कारण उनमें परस्पर कुछ तो सहानुभूति रहती ही है । विधर्मियों और विदेशियोंके आक्रमण बड़े ही भयानक और उपद्रवकारक होते हैं, क्योंकि दोनों दलोंमें किसी प्रकारकी सहानुभूति नहीं होती, उलट्टे तीव्र द्वेष ही होता है । विदेशी आक्रमणकारी केवल यही नहीं चाहते कि प्रतिपक्षीका पराभव हो, बल्कि वे उसका सर्वनाश करनेकी बुद्धिसे प्रेरित हो जाते हैं । राष्ट्रकूट अथवा पालोंके बीच जो युद्ध या आक्रमण हुए, उनमें किसीका यह उद्देश्य नहीं था कि विपक्षीका राज्य ही हड़प लिया जाय अथवा प्रजाको पीड़ा पहुँचायी जाय; वे एक दूसरेपर केवल अपना प्रभुत्व स्थापन करना चाहते थे । एक दल जब हार स्वीकार कर लेता तो युद्ध उसी समय बन्द होजाता था । यूरोपमें ईसाकी पन्द्रहवीं और सोलहवीं शताब्दीमें इंग्लैण्ड, फ्रान्स, जर्मनी और स्पेनमें अपना अपना प्रभुत्व स्थापित करनेके लिए जैसे युद्ध हुए, ठीक वैसे ही युद्ध भारतमें नवीं और दसवीं शताब्दीमें हुए थे । यूरोपपर तुर्कों द्वारा किये गये आक्रमणोंकी तरह उनका भी यह अभिप्राय नहीं था कि किसीके प्रान्त हड़प लिये जायँ; वे उनपर अपना प्रभुत्व जमाना चाहते थे । यह बात नहीं कि प्राचीन युद्धनीतिकी कभी उच्छेद नहीं होता था । कभी कभी होता भी था । कृषिकी

हानि होती ही थी और कभी कभी कदाचित् विजित प्रदेश भी उध्वस्त हो जाते थे । परन्तु ग्रीकोंके आक्रमणोंके पश्चात् ही यहाँ ऐसी बातें हुई थीं । बहुत प्राचीनकालसे भारतीय युद्धोंमें अनीतिका वर्ताव अपवादके रूपमें ही होता था । शत्रुको जर्जर करना, उसके प्रान्तोंको उध्वस्त कर उसकी शक्ति नष्ट कर देना आदि बातें भारतवासियोंने ग्रीकोंसे सीखी थीं । राष्ट्र-कूटोंके गोविन्दराजने कन्नौजको ऐसा उध्वस्त किया कि वहाँके सुन्दर प्रासादोंके स्थानपर घासका जंगल होगया और उसका कुशस्थली नाम सार्थक (अन्वर्थक) होगया । ध्यानमें रखने योग्य बात यही है कि ऐसी घटनाएँ पहिले नहीं, मुसलमानोंके आक्रमणोंके पश्चात् ही हुई ।

युद्धोंसे अनेक हानियाँ हैं, परन्तु इस बातको भी न भूलना चाहिये कि मर्यादित युद्ध राष्ट्रके अभ्युदय और उन्नतिके कारण होते हैं । छोटे मोटे युद्धोंसे जनतामें वीर्यस्फूर्ति बनी रहती और शौर्यवृत्ति जागरित रहती है । लोगोंमें धैर्यदि गुणों और कल्पनाशक्तिकी वृद्धि होती है । परन्तु युद्धमें अनुदारता अथवा क्रूरता न होनी चाहिये । ईसाको नवीं और दसवीं शताब्दीमें इस प्रकारके (अनुदार और क्रूर) युद्ध विशेष नहीं हुए, इस कारण हम इन दोनों शताब्दियोंका काल तेजस्वी और बलशाली मान सकते हैं ।

अत्यन्त समृद्धिके इस समयमें भी हिन्दुओंका एक राष्ट्र क्यों न बन सका और शीघ्र ही उनका उत्कर्ष क्यों रुक गया, ये प्रश्न बड़े ही विकट हैं और इनके सुलभानेके लिए भवर्त्ती इतिहासका ज्ञान आवश्यक है । अतः इनका विचार हम आगे करेंगे ।

परिशिष्ट ।

(१) सूर्यवंशी और चन्द्रवंशी आर्योंका वेदोंमें उल्लेख ।

हमने अपनी पुस्तक ३, प्रकरण ३, में लिखा है कि सूर्यवंशी और चन्द्रवंशी क्षत्रियोंका उल्लेख उतना ही प्राचीन है, जितना वैदिक साहित्य । इसका विस्तृत रूपसे समर्थन करना आवश्यक जानकर हम यह टिप्पणी लिख रहे हैं । इस विषयका एक निबन्ध हमने सन् १९१४ में रायल एशियाटिक सोसाइटीकी बम्बईकी शाखामें पढ़ा था । उसके कुछ मुख्य सिद्धान्त हम यहाँ लिखेंगे । वह निबन्ध इस पुस्तकमें उद्धृत करना एक प्रकारसे ठीक भी होगा । क्योंकि वैदिक आर्योंका सम्बन्ध ईसाकी आठवीं और नवीं शताब्दीके ब्राह्मण-क्षत्रियोंसे है और यदि मान भी लिया जाय कि सूर्य-शशिवंश कविकल्पित हैं, तो भी ऐतिहासिक छान-बीनसे यह सिद्ध किया जा सकता है कि यह कल्पना बहुत प्राचीन कालसे चली आ रही है ।

रायल एशियाटिक सोसाइटीके जर्नलकी अप्रैल सन् १९१४ की संख्यामें मिस्टर पार्गिटरने एक लेख लिखा है । उसमें उन्होंने यह भली भाँति बताया है कि पुराणोंसे क्षत्रियोंके वंशक्रम कैसे सिद्ध और निश्चित होते हैं । आरम्भमें यह कह देना अनुचित न होगा कि उस लेखमें ग्रथित पार्गिटर साहबके एक दो मत अमात्मक हैं । उनका यह कहना आन्तिपूर्ण है कि सूर्यवंशी क्षत्रिय द्रविड़ वंशके हैं और चन्द्रवंशी क्षत्रियोंका आदि निवास-स्थान प्रयाग (इलाहाबाद) है । इतिहास यह मत स्वीकार नहीं करता । इन भूलोंका कारण यह है कि उन्होंने पुराणोंपर ही अधिक भरोसा रखा और अपने लेखमें रामायण-महाभारतके ही वचन विशेष रूपसे संगृहीत किये हैं, वेदों और पुराणोंके वचनोंका मेल उन्होंने नहीं मिलाया । हमने अपने लेखमें वैदिक साहित्यमें प्राप्त होनेवाली बातोंका संग्रह किया है ।

वैदिक साहित्यका हमने पूर्ण परिशीलन नहीं किया है। मैक्डानलके "वैदिक इण्डेक्स" से हमारा कार्य सुकर हुआ है। जहाँ हमारा और मैक्डानलका मतभेद है, वहाँ उसका हमने उल्लेख कर दिया है। परन्तु पाश्चात्य विद्वानोंने अन्वेषक बुद्धिसे वैदिक साहित्यका जो अनुशीलन किया है, उसके लिए उनको धन्यवाद देना हम आवश्यक समझते हैं।

पार्गिटर साहब कहते हैं कि ब्राह्मणों द्वारा सुरक्षित ज्ञानकी अपेक्षा क्षत्रियों द्वारा सुरक्षित परम्परा अधिक विश्वास-योग्य है। हमारी समझमें पार्गिटर साहबकी यह विचारसरणी भ्रान्त है। पुराणोंकी वंशावलियोंको वे 'यत्नपूर्वक सुरक्षित क्षत्रिय-परम्परा' समझते हैं और इसीसे अपने लेख-में उन्होंने पुराणोंका ही आधार लिया है। वास्तवमें ब्राह्मणों और क्षत्रियोंकी परम्पराएं भिन्न नहीं हैं और उनके सम्बन्धमें यह नहीं कहा जा सकता कि एक अधिक विश्वसनीय है और दूसरी कम। प्राचीन कालमें यद्यपि कभी कभी ब्राह्मणों और क्षत्रियोंमें विरोध हो जाता था, पर प्रायः वे परस्पर मित्र और सहायकके ही रूपमें रहे हैं। पौराणिक वंशावलियोंसे ही यह बात सिद्ध हो जाती है कि दोनों आर्यवंशके और एक ही कुटुम्बके थे। जर्मन इतिहासमें यह बात पायी जाती है कि वहाँके सरदार कुटुम्बका बड़ा पुत्र 'ग्रिन्स' अर्थात् सरदार और छोटा 'ग्रेलेट' अर्थात् धर्माध्यक्ष होता था। प्राचीन समयमें भारतवर्षके ब्राह्मण-क्षत्रियोंकी भी यही अवस्था थी। पौराणिक वंशावलियोंके देखनेसे ज्ञात होता है कि कई क्षत्रिय राजपुत्र ब्राह्मण हो गये थे। यह स्पष्ट है कि अतिशयोक्ति करनेमें दोनोंका स्वार्थ था। क्षत्रिय ब्राह्मणोंके तपकी और ब्राह्मण क्षत्रियोंकी शूरता और उदारताकी प्रशंसा किया करते थे। अतः यह नहीं सिद्ध किया जा सकता कि क्षत्रिय-परम्परा अधिक विश्वास-योग्य है और ब्राह्मण-परम्परा कम। मनुष्य-स्वभावकी विश्वसनीयताकी कसौटीपर दोनों ही परम्पराओंकी परीक्षा करनी चाहिये और अन्य सानत्र समाजोंकी परम्पराओंकी ही दृष्टिसे इन परम्पराओंको भी देखना चाहिये, क्योंकि प्रायः सभी ओर प्राचीन कथाओंमें अतिशयोक्ति होती है और सब देशोंकी पुरानी दन्तकथाओंमें कवि-कल्पना भरी रहती है। उन्हींमेंसे साधक-

परिशिष्ट ।

(१) सूर्यवंशी और चन्द्रवंशी आर्योंका वेदोंमें उल्लेख ।

हमने अपनी पुस्तक ३, प्रकरण ३, में लिखा है कि सूर्यवंशी और चन्द्रवंशी क्षत्रियोंका उल्लेख उतना ही प्राचीन है, जितना वैदिक साहित्य । इसका विस्तृत रूपसे समर्थन करना आवश्यक जानकर हम यह टिप्पणी लिख रहे हैं । इस विषयका एक निबन्ध हमने सन् १९१४ में रायल एशियाटिक सोसाइटीकी बम्बईकी शाखामें पढ़ा था । उसके कुछ मुख्य सिद्धान्त हम यहाँ लिखेंगे । वह निबन्ध इस पुस्तकमें उद्धृत करना एक प्रकारसे ठीक भी होगा । क्योंकि वैदिक आर्योंका सम्बन्ध ईसाकी आठवीं और नवीं शताब्दीके ब्राह्मण-क्षत्रियोंसे है और यदि मान भी लिया जाय कि सूर्य-राशिवंश कविकल्पित हैं, तो भी ऐतिहासिक ज्ञान-बीनसे यह सिद्ध किया जा सकता है कि यह कल्पना बहुत प्राचीन कालसे चली आ रही है ।

रायल एशियाटिक सोसाइटीके जर्नलकी अप्रैल सन् १९१४ की संख्यामें मिस्टर पार्गिटरने एक लेख लिखा है । उसमें उन्होंने यह भली भाँति बताया है कि पुराणोंसे क्षत्रियोंके वंशक्रम कैसे सिद्ध और निश्चित होते हैं । आरम्भमें यह कह देना अनुचित न होगा कि उस लेखमें ग्रथित पार्गिटर साहबके एक दो मत अमात्मक हैं । उनका यह कहना आन्तिपूर्ण है कि सूर्यवंशी क्षत्रिय द्रविड़ वंशके हैं और चन्द्रवंशी क्षत्रियोंका आदि निवास-स्थान प्रयाग (इलाहाबाद) है । इतिहास यह मत स्वीकार नहीं करता । इन भूलोंका कारण यह है कि उन्होंने पुराणोंपर ही अधिक भरोसा रखा और अपने लेखमें रामायण-महाभारतके ही वचन विशेष रूपसे संगृहीत किये हैं; वेदों और पुराणोंके वचनोंका मेल उन्होंने नहीं मिलाया । हमने अपने लेखमें वैदिक साहित्यमें प्राप्त होनेवाली बातोंका संग्रह किया है ।

वैदिक साहित्यका हमने पूर्ण परिशीलन नहीं किया है। मैक्डानलके “वैदिक इण्डेक्स” से हमारा कार्य सुकर हुआ है। जहाँ हमारा और मैक्डानलका मतभेद है, वहाँ उसका हमने उल्लेख कर दिया है। परन्तु पाश्चात्य विद्वानोंने अन्वेषक बुद्धिसे वैदिक साहित्यका जो अनुशीलन किया है, उसके लिए उनको धन्यवाद देना हम आवश्यक समझते हैं।

पार्गिटर साहब कहते हैं कि ब्राह्मणों द्वारा सुरक्षित ज्ञानकी अपेक्षा क्षत्रियों द्वारा सुरक्षित परम्परा अधिक विश्वास-योग्य है। हमारी समझमें पार्गिटर साहबकी यह विचारसरणी भ्रान्त है। पुराणोंकी वंशावलियोंको वे ‘यत्नपूर्वक सुरक्षित क्षत्रिय-परम्परा’ समझते हैं और इसीसे अपने लेख-में उन्होंने पुराणोंका ही आधार लिया है। वास्तवमें ब्राह्मणों और क्षत्रियोंकी परम्पराएं भिन्न नहीं हैं और उनके सम्बन्धमें यह नहीं कहा जा सकता कि एक अधिक विश्वसनीय है और दूसरी कम। प्राचीन कालमें यद्यपि कभी कभी ब्राह्मणों और क्षत्रियोंमें विरोध हो जाता था, पर प्रायः वे परस्पर मित्र और सहायकके ही रूपमें रहे हैं। पौराणिक वंशावलियोंसे ही यह बात सिद्ध हो जाती है कि दोनों आर्यवंशके और एक ही कुटुम्बके थे। जर्मन इतिहासमें यह बात पायी जाती है कि वहाँके सरदार कुटुम्बका बड़ा पुत्र ‘ग्रिन्स’ अर्थात् सरदार और छोटा ‘मैलेट’ अर्थात् धर्माध्यक्ष होता था। प्राचीन समयमें भारतवर्षके ब्राह्मण-क्षत्रियोंकी भी यही अवस्था थी। पौराणिक वंशावलियोंके देखनेसे ज्ञात होता है कि कई क्षत्रिय राजपुत्र ब्राह्मण हो गये थे। यह स्पष्ट है कि अतिशयोक्ति करनेमें दोनोंका स्वार्थ था। क्षत्रिय ब्राह्मणोंके तपकी और ब्राह्मण क्षत्रियोंकी शूरता और उदारताकी प्रशंसा किया करते थे। अतः यह नहीं सिद्ध किया जा सकता कि क्षत्रिय-परम्परा अधिक विश्वास-योग्य है और ब्राह्मण-परम्परा कम। मनुष्य-स्वभावकी विश्वसनीयताकी कसौटीपर दोनों ही परम्पराओंकी परीक्षा करनी चाहिये और अन्य मानव समाजोंकी परम्पराओंकी ही दृष्टिसे इन परम्पराओंकी भी देखना चाहिये; क्योंकि प्रायः सभी ओर प्राचीन कथाओंमें अतिशयोक्ति होती है और सब देशोंकी पुरानी दन्तकथाओंमें कवि-कल्पना भरी रहती है। उन्हींमेंसे साधक-

बाधक प्रमाणों और माननी सम्भवनीयताका विचार कर ऐतिहासिक सत्य खोज निकालना पड़ता है। यदि दोनों परम्पराओंमें भेद ही करना हो, तो ब्राह्मण-परम्परा अधिक विश्वसनीय माननी पड़ेगी; क्योंकि हजारों वर्ष पूर्व ऋषियोंने सूक्तों अथवा 'ब्राह्मण'-ग्रन्थोंमें जो कुछ लिख रखा है, ब्राह्मणोंने आजतक उसका जतन किया है। वैदिक साहित्यमें प्रक्षिप्त कुछ भी नहीं है। सूक्तों अथवा 'ब्राह्मण' ग्रन्थोंमें प्रारम्भमें ऋषियोंने ही चाहे जो अतिशयोक्ति अथवा कविकल्पना की हो; उसमें किसीने अपना लेख नहीं मिलाया है। सारांश, प्राचीन भारतीय आर्योंकी कल्पना और विचारोंको ब्राह्मणोंने धैर्यकी मुहरबन्द थैलीमें रख कर आजतक जतनसे रख छोड़ा है। इसके लिए उन्हें जितना धन्यवाद दिया जाय, थोड़ा होगा। यहाँ उल्लेख करने योग्य एक बात यह है कि वैदिक ग्रन्थोंकी तरह पुराण ग्रन्थ भी प्राचीन हैं और उनकी सुरक्षाकी व्यवस्था आर्योंकी पुरानी समाज-व्यवस्थामें पायी जाती है। वेद कण्ठाग्र कर उनको जीवित रखनेका दायित्व जिस प्रकार ब्राह्मणोंपर था, उसी प्रकार पुराण अर्थात् वंशावली और राजकथाओंकी सुरक्षाका भार सूतोंपर था। लोमहर्षण आदिकी कथाओंसे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि प्राचीन कालमें भी पुराणकथन करने और वंशावलियोंको सुरक्षित रखनेवाले सूत थे। इन्हीं सूतोंके वंशज वर्तमान भाट हैं, जो आजकल वंशावलियोंकी रक्षा करते हैं। भारतमें सूतोंने ही इतिहास-पुराणोंका ग्रन्थसमूह वेदोंकी तरह बिना क्षेयके हजारों वर्षोंसे सुरक्षित रखा है। मिश्र, शैल्लिङ्ग अथवा फीलस्तीन जैसे प्राचीन देशोंने जिस प्रकार वंशावलियोंको सुरक्षित रखा था, उसी प्रकार भारतवासियोंने भी उन्हें सावधानीपूर्वक बचा रखा। इतिहास-पुराण तो सूतोंके नित्य अभ्यासका विषय था। उपनिषदोंसे ज्ञात होता है कि ब्राह्मण भी इस विषयको सीखते थे। इतिहास-पुराणोंका यह अविच्छिन्न प्रवाह बौद्ध धर्मकी प्रबलतासे विच्छिन्न हो गया। बौद्धोंके समयमें जातिव्यवस्था ढीली पड़ गयी और क्षत्रिय राजाओंका नाश होकर म्लेच्छ और शुद्र राजाओंका प्रभाव भारतपर जमा। इन्हें भला प्राचीन क्षत्रिय वंशावलीका अभिमान क्यों कर हो ?

किंवदुना उन्होंने उन वंशावलियोंको नष्ट कर दिया होगा । इसीसे चन्द्र-गुप्तके समयमें मेगस्थनीज़को जो वंशावलियाँ मिलीं उनसे वर्तमान पुराणोंकी वंशावलियोंका मिलान करने पर बहुत अन्तर देख पड़ता है । ई० स० ३०० के पश्चात् गुप्त राजाओंके राजत्वकालमें पुराणोंके जो नये परिवर्द्धित संस्करण तैयार हुए, उनमें अटकलसे ही विच्छिन्न वंशावलियोंकी परम्परा पूरी कर दी गयी है । हरि (हिराविक्रज) से लेकर उस समय तकका काल ६४५१ वर्ष और ३ महीना मेगस्थनीज़ने बताया है और यह भी लिखा है कि इस अवधिमें १३८ पीढ़ियाँ हुईं । पुराणोंमें परीक्षितसे लेकर नन्द तककी ५२ पीढ़ियाँ और एक सहस्र वर्ष ही मोटे तौरसे लिखे गये हैं । नन्दके पश्चात्की पीढ़ियाँ दौढ़ोंने निश्चित की हैं, इस कारण वे ग्रामाणिक हो सकती हैं, किन्तु पुराणोंमें लिखी पीढ़ियाँ विश्वास-योग्य नहीं हैं । हमारा मत है कि पुराणोंकी प्राचीन राजवंशावलियाँ विच्छिन्न और काल्पनिक हैं, किन्तु ब्राह्मणोंकी यत्नपूर्वक रखी हुई परम्परा सर्वथा विश्वसनीय है ।

पाणिंदर और हमारे दृष्टिकोणमें एक और महदन्तर है, उसका भी यहाँ उल्लेख कर देना उचित होगा । हमारे विचारसे प्रमाणके लिहाजसे पुराणोंका मूल्य बहुत कम है; क्योंकि पुराणोंकी परम्पराएं विच्छिन्न, बनावदी और आधुनिक कल्पनाओंसे मिलती-जुलती बना ली गयी हैं । यवन-ग्रीकादिसे पहिलेकी ऐतिहासिक घटनाओंके सम्बन्धमें निम्नलिखित प्रामाण्यका क्रम विश्वसनीय माना जा सकता है । व्याकरणशास्त्रकी भाषामें कहा जा सकता है कि यही पूर्वप्रामाण्य है ।

(१) ऋग्वेद सबसे प्राचीन और अविकृत ग्रन्थ है । इसका प्रामाण्य सर्वश्रेष्ठ है ।

(२) कालक्रमसे इसके बाद यजुर्वेद और सामवेदका प्रामाण्य माना जा सकता है । (अथर्व वेदका इसी तिलसिलेमें विचार नहीं किया जा सकता; क्योंकि इसका काल अनिश्चित है ।)

(३) तीनों वेदोंकी मन्त्र-संहिताओंके पश्चात् उनके 'ब्राह्मण'-ग्रन्थोंका, प्रामाण्यकी दृष्टिसे, विशेष महत्त्व है, क्योंकि जिन ऋषियोंने मन्त्र बनाये,

उनकी कल्पनाओंसे ब्राह्मण-ग्रन्थोंके रचयिता अधिक परिचित थे । अतः आधुनिक लेखकों अथवा ग्रन्थकारोंके मतोंकी अपेक्षा 'ब्राह्मण'-ग्रन्थोंके मतोंका महत्त्व अधिक है ।

(४) वेदाङ्ग इसके बादके हैं । वेदाङ्गोंके रचना-कालमें संहिताएँ और 'ब्राह्मण'-ग्रन्थ बहुत पुराने हो गये थे । आजकलके विद्वानोंकी तरह वेदाङ्गोंके रचयिता भी वेदोंके अर्थ समझनेमें चक्रमें आजाते थे । परन्तु जिस समय वेदाङ्ग रचे गये, उस समयके ऐतिहासिक प्रामाण्यके लिए उनका महत्त्व सबसे बढ़कर है । सब वेदाङ्ग बुद्धके पूर्व कालीन हैं । इनमें ज्योतिष, निरुक्त, कल्पसूत्र और व्याकरणका समावेश होता है ।

(५) गृह्यसूत्र और धर्मसूत्र कुछ तो प्राचीन हैं और कुछ बादके हैं ।

(६) इसके बाद कालक्रमानुसार ग्रामाण्य ग्रन्थ अलेग्जण्डरके साथ आये हुए पुराण आदि ग्रीक ग्रन्थकारों और मेगस्थनीजके हैं । उन्होंने स्वयं देखी और भलीभाँति सुनी हुई जो बातें अपने ग्रन्थोंमें लिखी हैं, उनके समयके लिए वे अत्यन्त विश्वसनीय हैं ।

(७) इसके बाद महाभारतका प्रामाण्य है । यह ग्रन्थ ईसवी सन्के लगभग २५० वर्ष पूर्व अर्थात् अशोकके समयमें लिखा गया है । उस समयके लिए यह ग्रन्थ प्रामाणिक है ।

(८) इसी समयके बौद्धों और जैनोंके प्राचीन धर्मग्रन्थ त्रिपीटक आदि हैं । इनके प्रमाण भी महत्वपूर्ण हैं ।

(९) इसके बाद अर्थात् ईसवी सन्के १०० वर्ष पूर्व वाल्मीकि-रामायण, पातञ्जल महाभाष्य, वादरायण सूत्र और हरिवंश—ये ग्रन्थ लिखे गये हैं । ये चारों समकालीन हैं और इनमें उस समयके प्रमाण मिलते हैं ।

(१०) ज्योतिष-ग्रन्थ और बौद्ध-जैनोंके ग्रन्थोंके बादके अर्थात् ईसवी सन्के प्रारम्भके ग्रीक लोगोंके लिखे भारतीय राज्य-सम्बन्धी इतिहास हैं ।

(११) सबसे पीछे पुराण लिखे गये हैं । इस समय जो पुराण उपलब्ध हैं, वे ईसवी सन् ३०० से ९०० तकके लिखे जान पड़ते हैं । अतः

इनका प्रामाण्य ऊपर उल्लेख किये हुए ग्रन्थोंकी अपेक्षा निम्न श्रेणीका है ।

इन सब ग्रन्थोंसे जो कुछ ऐतिहासिक बातें ज्ञात हों, उनका संग्रह करना आवश्यक है; किन्तु प्रामाण्यके विचारसे ग्रन्थोंका क्रम उक्त प्रकारसे ही रखना होगा । यदि विभिन्न ग्रन्थोंमें मतभेद हो, तो पूर्वप्रामाण्य मानना ही उचित है ।

प्रमाणोंकी सूची यहीं समाप्त नहीं होती । सम्प्रति दो महत्वपूर्ण शास्त्रोंका उदय हुआ है । १—शीर्षमापनशास्त्र (कपालशास्त्र) और २—भाषाविज्ञान । ग्रन्थोंके परस्पर मतभेदका निर्णय करते समय इन शास्त्रोंके सिद्धान्तोंका भी ध्यान रखना होगा । मानव-जातिके विभिन्न वंशों और इतिहासोंके सम्बन्धमें मनुष्योंके चेहरों (मुखोंके आकारों) और भाषाओंकी तुलना करनेसे जो अनुमान निष्पन्न होते हैं, वे बहुत ही महत्त्वके और प्रायः अबाधित होते हैं । इधर तो ये शास्त्र बहुत कुछ उन्नत अवस्थाको प्राप्त हो गये हैं और इनकी सहायतासे पाश्चात्य विद्वानोंने भारतवासियोंकी भाषाओं और चेहरोंका सूक्ष्म परीक्षण किया है । इन विद्वानोंने भारतवासियोंके वंशोंके सम्बन्धमें जो अनुमान स्थिर किये हैं, उन्हें स्वीकार कर लेनेमें कोई हानि नहीं है ।

हमारी समझमें प्रस्तुत विषयके प्रतिपादनमें एक उपमान प्रमाणका भी उपयोग हो सकता है । भारतका प्राचीन इतिहास अमेरिकाके अर्वाचीन (उसका पता लगा तबसे लेकर उसके बस जाने तकके समयके) इतिहाससे बहुत कुछ मिलता-जुलता है । प्राचीन कालमें भारतवर्ष भी अमेरिकाकी तरह निविड़ वनोंसे भरा हुआ एक विलुप्त भूखण्ड था । यहाँ हीन संस्कृतिके द्रविड़ लोग छिट-फुट बसे हुए थे । यूरोपीय आर्योंके अमेरिका जानेके समय अमेरिकाकी जैसी स्थिति थी; भारतीय आर्योंके यहाँ आनेके समय भारतकी भी स्थिति ठीक वैसी ही थी । 'वेदिवाद' नामक पारसी पुराण-ग्रन्थमें लिखा है कि आर्य लोग उत्तरकी ओरसे विभिन्न दक्षिणी देशोंमें आये हैं । जब वे सप्तसिन्धुमें आये, तब अग्रसन्धुने उस देशको सर्पी और अत्यन्त उष्णतासे व्याप्त कर डाला । इस

कारण आर्य वहाँसे लौटकर ईरान चले गये । वहीं उन्हें बसने योग्य उत्तम स्थान मिला । इस कथाके आधारपर लोकमान्य तिलकने भी अपने 'आर्कटिक होम' नामक ग्रन्थमें यह सिद्ध किया है कि आर्य लोग उत्तरकी ओरसे ही आरम्भमें भारतवर्षमें अर्थात् पंजाबमें आये थे । इसके बाद हिन्दुस्थानमें आर्योंके बस जानेका इतिहास अमेरिकामें उनके बस जानेके इतिहासके सदृश ही है । जैसे अमेरिकाके कुछ आदिम निवासी जंगली और नरमांस-भक्षक भी थे, वैसे हिन्दुस्थानमें भी थे । इन लोगोंके साथ आर्योंके भयालक युद्ध हुए थे । कुछ लोग शान्त प्रकृतिके भी थे, जिन्होंने आर्योंको सहायता दी । इसके अतिरिक्त इन देशोंमें बसनेके लिए आयी हुई आर्योंकी विभिन्न शाखाओंमें भी लड़ाई-भगड़े हो जाना स्वाभाविक था । अमेरिकामें पहिले स्पेनिश और फ्रेंच तथा पीछे इंग्लिश और डच पहुँचे थे । आरम्भमें दोनों दलोंमें अनेक युद्ध हुए । भारतके प्राचीन इतिहासमें भी ऐसे युद्धोंका होना प्रमाणित होता है । सारांश, दोनों देशोंके इतिहासोंमें बहुत कुछ साम्य है ।

इस प्रकार हिन्दुस्थानके प्राचीन इतिहासका स्वरूप निश्चित करनेमें किन किन प्रमाणोंका उपयोग हो सकता है और उनका क्रम कैसे स्थिर किया जाना चाहिये, इसका विचार हो गया । अब ऋग्वेदसे हम यह निश्चित करेंगे कि सूर्यवंशी और चन्द्रवंशी आर्योंके भारतमें प्रवेश करनेका इतिहास कैसा है ।

पहिली बात तो यह है कि आर्य लोगोंके दो दल जुदे जुदे समयमें और जुदे जुदे मार्गोंसे हिन्दुस्थानमें आये थे । उनके दो नामों अथवा माने हुए दो वंशोंसे यही बात सिद्ध होती है । ऐतिहासिक परम्परा, शीर्ष-मापनशास्त्र और भाषाविज्ञानके प्रमाणोंसे भी इस बातकी पुष्टि होती है । आर्योंके दो दलोंके आनेका सिद्धान्त प्रथम डाक्टर होर्नलने संसारके सामने रखा और डाक्टर ग्रियर्सनने भारतकी संस्कृतोत्पन्न भाषाओंकी तुलना कर उसे मान्य किया (देखो-इम्पीरियल गजेटियर भाग १, पृष्ठ ३५८) । सन् १९११ की सेन्सस रिपोर्टका यह अवतरण महत्वपूर्ण है—“ये (हिन्दु-स्थानकी संस्कृतोत्पन्न) भाषाएँ, डाक्टर होर्नलके मतसे, आर्योंकी दो

टोलियों द्वारा हिन्दुस्थानमें आयी हैं । उत्तर भारतकी समतल भूमि (गंगोत्तर) में आर्योंकी पहिली टोली आकर जब बस गयी, तब आर्योंकी दूसरी टोली आयी और पहिली बसी हुई टोलीके प्रदेशके बीचमेंसे रास्ता बना कर तथा वहाँकी पुरानी भाषाको दबाकर अम्बालेसे बढ़ती हुई दक्षिणमें जबलपुरतक और नैर्ऋत्यमें काठियावाड़से ईरानमें नैपालतक फैल गयी । दूसरी टोलीकी भाषाका वर्तमान रूपान्तर पश्चिमी हिन्दी और पहिली टोलीकी भाषाका रूपान्तर वर्तमान राजस्थानी, पंजाबी, पहाड़ी और पूर्वी हिन्दी है ।^{१२} (सेन्सस रिपोर्ट १९११, पृष्ठ ३२५)

वर्तमान संस्कृतोत्पन्न प्रचलित भाषाओंकी तुलनासे सिद्ध होनेवाला यह सिद्धान्त शीर्षमापनशास्त्रसे सिद्ध होनेवाले सिद्धान्तसे मिलता-जुलता है । सन् १९०१ (वि० १९५७) की मनुष्यगणनाके समय सर एन्० रिस्लेने अनेक स्थानोंमें लोगोंके सिर नापकर यह निश्चय किया कि पंजाब और राजस्थानके लोग निःसन्देह आर्य हैं । उनके सिर लम्बे और नासिकाएँ ऊँची उठी हुई तथा सरल हैं । संयुक्त प्रान्तके लोगोंका सिर मध्यम और नाक मध्यम ऊँचाईकी है । इससे रिस्लेने अनुमान किया है कि वे आर्य-द्रविड़-मिश्रित लोग हैं । परन्तु रिस्ले साहबने यह जो मान लिया है कि पहिलेके आर्य लम्बे सिरके थे, यह उनकी भूल है; क्योंकि द्रविड़ लोगोंके सिर भी लम्बे ही होते हैं, यह सिद्ध हो चुका है । आर्यों और द्रविड़ोंकी मुखाकृतिमें प्रधान अन्तर यह है कि द्रविड़ोंकी नासिकाएँ चिपटी और आर्योंकी उठी हुई होती हैं । नासिकाओं और सिरोंके परिमाणसे संयुक्त प्रान्तके जिन आर्योंको आर्य-द्रविड़-मिश्रित सिद्ध किया जा रहा है, वे वास्तवमें पंजाब-राजस्थानके आर्योंकी शाखासे भिन्न शाखाके आर्य ही हैं । उनके सिर मध्यम परिमाणके हैं । पंजाब-राजस्थानके लोगोंके सिर लम्बे और नासिकाएँ ऊँची तथा सरल हैं । ये लोग आर्योंकी पहिली टोलीके हैं । यहाँ यह भी कह देना चाहिये कि यूरोपमें भी लम्बे और चौड़े सिरोंके लोग हैं और दोनोंकी नासिकाएँ ऊँची उठी हुई हैं । इंग्लिश, जर्मन, स्कैंडिनेवियन आदि द्यूटानिक लोग लम्बे सिरके और आयरिश, फ्रेंच आदि केल्ट लोग चौड़े सिरके हैं । हिन्दुस्थानमें भी दोनों

प्रकारके सिरोंके लोग हों, तो आश्चर्य क्या है ? संयुक्त प्रान्त, गुजरात, काठियावाड़ और महाराष्ट्रके लोग जंची नासिका और चौड़े सिरके हैं । सारांश, शीर्षमापन-शास्त्र और भाषाविज्ञानसे यही ऐतिहासिक अनुमान निष्पन्न होता है कि लम्बे सिर वाले आर्योंकी पहली टोलीके पंजाबसे लेकर मिथिलातक बस जाने पर चौड़े सिरके आर्योंकी दूसरी टोली गंगा-पार कर सरस्वतीके तटसे होती हुई अम्बालेसे लेकर दक्षिणतक फैली । यह आर्य-शाखा आदि द्रविड़ोंसे मिश्रित हुई और संयुक्त प्रान्त, मध्यप्रान्त, वरार, महाराष्ट्र, गुजरात तथा काठियावाड़में बस गयी । इसके मध्यम सिर और मध्यम जंची नासिकाएँ होती हैं ।

शीर्षमापन-शास्त्र और भाषाविज्ञानसे निष्पन्न होनेवाले अनुमान हिन्दुस्थानकी पौराणिक परम्परासे अधिक पुष्ट होते हैं । महाभारत, हरिवंश तथा अन्य पुराण-ग्रन्थोंमें, जिनमें पुरानी दन्तकथाएँ संकलित हुई हैं, सूर्यवंशी और चन्द्रवंशी दो प्रकारके क्षत्रियोंका उल्लेख है । हमारे विचारसे जुदे जुदे समयमें आये हुए ये ही दो आर्यवंश हैं । महाभारतमें श्रीकृष्णने अपने भाषणमें इसका स्पष्ट उल्लेख किया है । सभापर्वमें श्रीकृष्णसे युधिष्ठिर पूछते हैं—“मैं राजसूय यज्ञ करूँ या न करूँ ?” श्रीकृष्ण उत्तर देते हैं—“ऐल और ऐक्ष्वाक अथवा चन्द्र और सूर्यवंशसे उत्पन्न क्षत्रियोंके इस समय आर्यावर्तमें एकसौ-एक कुल हैं । उनमें भोज-कुल सबसे अधिक फैला हुआ है और मध्य देशमें बसा है ।” इससे यह स्पष्ट है कि महाभारत-कालमें क्षत्रियोंके दो वंश माने जाते थे । उनमें चन्द्रवंश अधिक अग्रतर था और मध्य देशमें उसका राज्य था । पहिले आये हुए और विशेषतया पञ्जाबमें बसे हुए आर्य सूर्यवंशी तथा कुरु, पञ्चाल-चेदि आदि यमुनातट-प्रान्तमें राज्य करनेवाले आर्य चन्द्रवंशी माने जाते थे । अयोध्या, मिथिला आदि गंगोत्तर प्रान्तमें राज्य करनेवाले सूर्यवंशी ही माने जाते थे किन्तु उनका प्रभाव अधिक नहीं रहा था । अब देखना चाहिये कि ऋग्वेदके प्रमाणोंसे इस मतको किस प्रकार पुष्टि मिलती है ?

ऋग्वेदमें जिन आर्योंका बार बार उल्लेख हुआ है, उन्हें ‘भरत’ कहा है । इस नाम (भरत) के सम्बन्धमें प्राच्य और पाश्चात्य विद्वानोंकी भ्रम

हुआ है । भ्रम होना स्वाभाविक भी है । साधारणतया लोग भरत शब्दसे दुष्यन्त-पुत्र भरत अथवा उसके वंशजोंका ही अर्थ ग्रहण करते हैं । महाभारती युद्ध और भारती ग्रन्थके दृढ़ परिचयसे यह भ्रम हुआ है । जब हम यह सिद्ध कर चुके हैं कि पुरुवंशके अर्थात् चन्द्रवंशके लोग कुरुक्षेत्रमें बसने पर यमुनातटके प्रान्तोंमें धीरे धीरे फैल गये, तब पंजाबमें बसे हुए लोगोंका ही ऋग्वेदमें भरत शब्दसे क्यों कर उल्लेख हुआ ? मैक्डानल आदि पाश्चात्य विद्वानोंने इस बातका विचार न कर महा-भारतके भरतको ही भरत मान लिया । परन्तु पुराणोंके वचनोंसे ही यह सिद्ध किया जा सकता है कि उनका मत भ्रान्त है । कितने ही पुराणोंमें लिखा है कि दुष्यन्त-पुत्र भरतसे भिन्न एक भरत राजा मनुके कुलमें उत्पन्न हुआ था । उदाहरणार्थ भागवत-शुकादश स्कन्धके बारहवें अध्यायमें लिखा है—

“प्रियव्रतो नाम सुतः मनोः स्वायम्भुवस्य यः ।
तस्याग्नीध्रस्ततो नाभिकर्षभस्तत्सुतः स्मृतः ॥
तमाहुर्वासुदेवांशं मोक्षधर्मं विवक्षया ।
अवतीर्णं पुत्रशतं तस्यासीद्ब्रह्मपारगम् ।
तेषां वै भरतो ज्येष्ठो नारायणपरायणः ।
विख्यातं वर्षमेतत्तन्नाम्ना भारतमुत्तमम् ॥”

भागवत—पंचम स्कन्धके ७ वें अध्यायमें भी लिखा है—“अज-नाभं नामैतद्वर्षं भारतमिति यत आरभ्य व्यपदिशन्ति ।” इससे स्पष्ट है कि हिन्दुस्थान जिस भरतके कारण भारतवर्ष कहा जाने लगा, वह भरत प्रथम (स्वायम्भुव) मनुका प्रपौत्र था । वायुपुराणमें भी यही परम्परा लिखी है । प्रियव्रतने सप्तद्वीपा वसुन्धरा अपने सात पुत्रोंको बाँट दी । उनमेंसे अग्नीध्रको जम्बुद्वीप मिला । अग्नीध्रने उसे अपने पुत्रोंको दे डाला । उनमें नाभिको जो भूभाग मिला, वह उसके पुत्र ऋषभने अपने पुत्रोंमें बाँट दिया । तब भरतके हिस्सेमें हिमालयके दक्षिणका देश आया । इसी पुराणके ३३ वें अध्यायमें लिखा है—

हिमाद्रेर्दक्षिणं वर्षं भरताय न्यवेदयत् ।

तस्मात्तं भारतं वर्षं तस्य नाम्ना विदुर्बुधाः ॥५२॥

पुराणोंकी परम्परासे तो यही जान पड़ता है कि जिस भरतके कारण हिन्दुस्थान भारतवर्ष कहा जाने लगा, वह दुष्यन्त-पुत्र नहीं, किन्तु स्वायम्भुव मनुका प्रपौत्र था ।

वायुपुराणमें भारतवर्ष शब्दकी एक और व्युत्पत्ति लिखी है, जिसमें भरतको ही मनु कहा है । यथा—

“वर्षोऽयं भारतो नाम यत्रेयं भारती प्रजा ।

भरणाच्च प्रजानां वै मनुर्भरत उच्यते ॥

निरुक्तवचनाच्चैव वर्षं तज्भारतं स्मृतम् ॥”

(श्लोक ७६, अध्याय ४९)

मत्स्यपुराणमें यही कल्पना और शब्दशः ये ही श्लोक हैं । मनु ही भरत कहा जाता था और निरुक्तमें यही लिखा है । पुराण-परम्परा बता रही है कि हिन्दुस्थानका भारतवर्ष नाम जिस भरतके कारण पड़ा, वह दुष्यन्त-पुत्र भरत नहीं, किन्तु उससे सहस्रों वर्ष पूर्व उत्पन्न हुआ मनुका प्रपौत्र अथवा साक्षात् मनु ही था । वायु और मत्स्य पुराणोंमें निरुक्तका जो हवाला दिया है, वह साधारण है । यास्कने भरतका अर्थ आदित्य किया है । भारती शब्दका अर्थ बताते हुए “भरतः आदित्यस्तस्य भा भारती” इस प्रकार उसने निरुक्ति की है । निरुक्त और पुराणोंकी यह कल्पना ऋग्वेदसे चली आ रही है । ऋग्वेदमें जिन भरतोंका बार बार उल्लेख है, वे उक्त भरतके ही वंशज हैं, दुष्यन्त-पुत्र भरतके नहीं; यह बात आगेके विवेचनसे ध्यानमें आ जायगी ।

यहाँ उपमान स्वरूप अमेरिकाके इतिहासका तुलनात्मक विचार कर लेना उचित होगा । हिन्दुस्थानकी तरह अमेरिकामें भी पाश्चात्य आर्योंकी दो टोळियाँ भिन्न भिन्न समयमें जाकर बसी हैं । स्पेनिश, पोर्तुगीज़, इटालियन और फ्रेंच पहिले पहुँचे । ये चारों लातिन (लैटिन) वंशके हैं । इनके बाद गये हुए डच और इंग्लिश लोग हैं, जो जर्मन वंशके

हैं। सर्वप्रथम अमेरिगो नामक एक इटालियन दक्षिण अमेरिकामें चतरा। वह कोलम्बसका समकालीन था। कोलम्बसको एक टापूका ही पता लगा था, अमेरिका खण्डका नहीं। इस कारण कोलम्बसके नामसे नहीं, किन्तु अमेरिगोके नामसे ही समग्र खण्ड सर्वानुमतिसे प्रसिद्ध हुआ। यही बात हिन्दुस्थानकी है। हिन्दुस्थानमें सबसे प्रथम आये हुए भरत राजाके कारण ही इस देशका नाम भारतवर्ष हुआ। पुराणोंमें जिन सूर्यवंशी क्षत्रियोंका उल्लेख है, वे इसी भारतके वंशज थे और पंजाबसे मिथिलातक फैल गये थे। ऋग्वेदसे भी यही सिद्ध होता है।

मैकडानलने अपने 'वैदिक इण्डेक्स' नामक ग्रन्थमें भरत शब्दके सम्बन्धमें लिखा है—“भरत नाम एक महत्वपूर्ण विशिष्ट श्रेणीके लोगोंका है। यह नाम ऋग्वेदके तीसरे और सातवें मण्डलमें बार बार आया है। इन मण्डलोंमें सुदास और त्रित्सुके सम्बन्धमें यह नाम आया है और छठे मण्डलमें इनका सम्बन्ध द्विवेदास राजासे बताया गया है।” (भाग २ पृष्ठ ९५) इस उल्लेखके ऋग्वेदसूक्त हमने देखे। उनसे पहिली बात यह जान पड़ी कि भरतोंके पुरोहित वसिष्ठ थे। पुराण-परम्पराके अनुसार वसिष्ठ सूर्यवंशी क्षत्रियोंके पुरोहित थे, चन्द्रवंशियोंके नहीं। इससे सिद्ध है कि प्रथम आये हुए आर्योंके पुरोहित वसिष्ठ थे और उन आर्योंको ऋग्वेदमें भरत और पुराणमें सूर्यवंशी क्षत्रिय कहा है। बहुवचनात्मक वसिष्ठ शब्द वसिष्ठ-कुलोत्पन्न-वाचक है और उसीको ऋग्वेदमें त्रित्सु कहा है। ऋग्वेदके सातवें मण्डलमें सभी सूक्त वसिष्ठकुल ऋषियोंके हैं। अतः स्वामाधिक रीतिसे ही उसमें बार बार भरतोंका उल्लेख हुआ है। इस मण्डलका २२ वां सूक्त विशेष महत्त्वका है। उसमें दाशरान युद्धका इस प्रकार विवरण है—

“दण्डा उवेदो अजनास आसन्

परिच्छिन्ना भरता अर्भकासः ।

अभवच्च पुरत वसिष्ठ आदित्सुना

विशो अप्रथन्त ॥”

भरतोंका पराभव होनेसे वे छितरी हुई लकड़ियोंकी तरह तितर बितर हो गये। तब वसिष्ठने इन्द्रकी स्तुति कर उन्हें जिता दिया। इसी सूक्तमें

एक वर्णन यह है कि मैत्रावरुण नामक दो देवताओं द्वारा उर्वशीके गर्भसे वसिष्ठकी उत्पत्ति हुई है । इससे ज्ञात होता है कि इस सूक्तके रचना-कालमें वसिष्ठ देवपरम्परामें गिने जाते थे । ऋग्वेदके कितने ही सूक्तोंमें भरतकी अग्नि का वर्णन है । ऋग्वेदसे यह भी जान पड़ता है कि भरत अर्थात् भार्यलोग अग्निपूजक थे और दास अर्थात् भारतके आदिनिवासी इसके विरोधी थे । अनेक राजाओं द्वारा पूजित और संबंधित अग्नियोंका उल्लेख भी ऋग्वेदमें है । इससे यही लक्षित होता है कि भरतोंकी अग्नि ही आर्योंकी धर्म-सूचक थी । ऋग्वेद मण्डल ७, सूक्त ८ में इस प्रकारकी अग्नि और भरत राजाका स्पष्ट निर्देश है । यथा—“प्रप्रायमग्निर्भरतस्य शृण्वे अभिधः पूरं पृतनासु तस्थौ ।” अर्थात् भरतकी यह वही अग्नि है जिसने पूरका पराभव किया था । पूर कौन था ? यह एक विवादग्रस्त प्रश्न है । पूर शब्दका विचार करते हुए मैकडानलने उक्त सूक्तका उल्लेख किया है और सूचित किया है कि यह पूर संभवतः दुष्यन्तके पूर्वज ययातिकका पुत्र था । पूरका उल्लेख बहुतसे ऋग्वेदसूक्तोंमें बहुवचनमें हुआ है । वहाँ ‘पूर’ से तात्पर्य पूरवंशी लोगोंसे है । परन्तु शतपथ ब्राह्मणमें लिखा है कि इस सूक्तमें उल्लिखित पूर एक असुर था । इस सम्बन्धमें मैकडानल कहते हैं—“शतपथ ब्राह्मणके समयमें लोग पूरको इतने भूल गये थे कि उन्होंने उसे असुरमें परिणत कर लिया । मैकडानलका यह मत बिल्कुल गलत है । हम कह चुके हैं कि ऋग्वेदके बाद ब्राह्मण-ग्रन्थ ही प्रमाणभूत हैं । अतः मैकडानलकी कल्पनाकी अपेक्षा शतपथका मत ही अधिक विश्वसनीय और मान्य है । शतपथ-कर्ता याज्ञवल्क्य आदि ऋषियोंको ऋग्वेदसूक्तोंका जितना यथार्थ अर्थ अवगत था, क्या उतना अर्थ जाननेका हम कभी गर्व कर सकते हैं ? फिर जिस पूरका पराभव भरतने किया, अवश्य ही वह कोई असुर अर्थात् द्रविडवंशी दास राजा रहा होगा । वह ययातिकका पुत्र और दुष्यन्तका पूर्वज हो नहीं सकता । क्योंकि भरत पहिले आये हुए सूर्यवंशी क्षत्रियोंका राजा था, वह पूरका समकालीन नहीं हो सकता । पर इस उक्तिसे यही प्रमाणित होता है कि यह भरत दुष्यन्तका पुत्र नहीं था । यदि होता, तो दुष्यन्त-पुत्र भरतके कितनी ही पीढ़ियों पहिलेके

पूर्वज पूरुसे उसका लड़ना कैसे सम्भव होता ? पूरुका पराभव करनेवाला सूर्यवंशी प्राचीन भरत राजा था और उसीकी अग्निकी प्रशंसा उक्त सूक्तमें की गयी है । यह थोड़ा विषयान्तर अवश्य हुआ है, परन्तु इससे ज्ञात हो सकता है कि केवल नाम-सादृश्यके कारण पाश्चात्य विद्वान् कभी कभी ब्राह्मण-ग्रन्थोंकी भी परवाह न कर कैसा अन्धेर कर बैठते हैं । पहिले और दूसरे भरत और पूरुका मेल मिलाकर भारतके वेदकालीन इतिहासमें पाश्चात्य विद्वानोंने बड़ी बड़ी भूलें की हैं ।

उक्त विवरणमें यह स्पष्ट हो गया कि ऋग्वेद मण्डल ७, सूक्त ३३ और ८ में भरतोंका उल्लेख है और उनके पुरोहित वसिष्ठ थे । भरत प्राचीन आदि-राजा था, अग्नि-पूजक था और उसके वंशज भरत कहे जाते थे । उसने इस देशके आदिम निवासियोंके राजा पूरुका पराभव कर यहां अपना राज्य स्थापन किया था । उसके वंशजों अर्थात् भरतोंसे एक घोर दशराज युद्ध हुआ । उसमें भरत हार रहे थे, किन्तु वसिष्ठने इन्द्रकी स्तुति कर उन्हें विजयी किया । दशराज युद्ध परुष्णी नदीके तटपर पंजाबमें हुआ था । भरतोंके सुदास नामक राजासे दस राजा लड़नेको आये थे । उनसे लड़ते हुए हार कर सुदास और भरत परुष्णी नदी लाँव गये, तब उन्हें नदीने रास्ता दिया । परन्तु उनका पीछा करनेवाले दसों राजा नदी पार न कर सके । नदीके प्रवाहमें दसों राजाओंकी सेना छितरा कर बह गयी । अन्तमें सुदास राजा विजयी हुआ और उसे लूटमें बहुतसा धन मिला । यह मनोरंजक कथा ऋग्वेद मण्डल ७, सूक्त ३३ में है । “यदङ्ग त्वा भरताः सत्तरेयुः गव्यन् ग्राम इषिते इन्द्रजुत ।” —आदि ऋचाएँ देखने योग्य हैं । भरतसे लड़नेवाले दस राजा कौन थे, इसका विचार आगे चलकर किया जायगा । भरतोंका उल्लेख करनेवाला तीसरे मण्डलका ५३ वाँ सूक्त महत्वपूर्ण है । इसमें वर्णन है कि विश्वामित्रने (किसी अन्य प्रसङ्गमें) इन्द्रकी स्तुति कर सुदासकी सहायता की थी । यथा—“विश्वामित्रो अदधत्सुदासमग्निघ्रायत कुक्षिकेमिरिन्द्र ।” इस सूक्तकी—“विश्वामित्रस्य रक्षति ब्रह्मेदं भारतं जनम् ।” यह ऋचा बहुत महत्वकी है । विश्वामित्रका यह ब्रह्म (ईशस्तोत्र) भारतोंका

रक्षण करता है' इस वाक्यसे तीन चार अनुमान किये जा सकते हैं। प्रथमतः, उस समय भरतकी सन्तान बहुत फैल गयी थी और उसे भारतजन कहते थे। यहाँ भारतवर्षका स्मरण हो आता है। द्वितीयतः, भारतोंका राजा सुदास था और विश्वामित्रने ईश-स्तुतिसे उसे बचाया था। विश्वामित्रके कुलकी कुशिक कहते थे। वसिष्ठ और विश्वामित्रकी पौराणिक कथाके भगड़ेका यहाँ मूल सूत्र देख पड़ता है। वसिष्ठ और विश्वामित्र दोनों सुदासके हितैषी और देवताओंकी स्तुति करनेवाले पुरोहित थे। अतः वे आपसमें कभी कभी झगड़ते भी होंगे। रामायणमें वसिष्ठ और विश्वामित्र दोनोंको रघुकुलके हितैषी बताया है। सूर्यवंशी क्षत्रियोंकी कथाओंमें सुदास, राम, दशरथ और हरिश्चन्द्रके साथ वसिष्ठ और विश्वामित्र दोनोंका सम्बन्ध है। हरिश्चन्द्रने अपना पुत्र वरुणको अर्पण करनेकी प्रतिज्ञा की थी; परन्तु वह प्रतिज्ञा पालन न कर सका, इस कारण उसे उदर-रोग हुआ। आगे चलकर शुनःशेफ नामक ब्राह्मण-पुत्रको खरीद कर अपने पुत्र (रोहित) के बदले उसे वरुणके प्रीत्यर्थ बलि देनेके विचारसे उसने यज्ञ आरम्भ किया। तब शुनःशेफने वरुणसे प्रार्थना कर अपना छुटकारा कर लिया और विश्वामित्रने उसे अपना पुत्र मानकर अपने कुलमें उसे देवराज नामसे सम्मिलित कर लिया। यह कथा ब्राह्मण-ग्रन्थ और पुराणोंमें प्रसिद्ध है। शुनःशेफका वरुण-स्तोत्र ऋग्वेद मण्डल १ में है। सारांश, वेदमें विश्वामित्र भरतोंका और पुराणोंमें सूर्यवंशियोंका एक ऋषि माना गया है। सुदास-कल्माषपादकी कथा रामायण-उत्तरकाण्ड, अध्याय ६५ में है। वाल्मीकिने यह कथा शत्रुघ्नसे कही है। इस कथामें कहा है कि सुदास शत्रुघ्नका पूर्वज था। कुलगुरु वसिष्ठसे भिड़ जानेके कारण उनके शापसे वह कल्माषपाद हुआ और विश्वामित्रकी सहायतासे उसे छुटकारा मिला। पुराणोंकी तरह ऋग्वेद-सूक्तोंमें भी वसिष्ठ-विश्वामित्रकी स्पर्धा देख पड़ती है। दाशराज युद्धमें वसिष्ठने सुदासकी सहायता की थी। इसी तरह पूर्वकी विपाशा और शतद्रु नदियोंको लौंघते समय विश्वामित्रने भी सुदासकी सहायता की थी। पुराणोंमें सूर्यवंशी क्षत्रियोंकी कथाओंमें वसिष्ठ-विश्वामित्रका उल्लेख है,

[परन्तु चन्द्रवंशी क्षत्रियोंकी कथाओंमें नहीं है । सारांश, ऋग्वेद मण्डल ७।३ का भरत सूर्यवंशी आर्य था, यह मत साधार और दृढ़ है । (तीसरा मण्डल विश्वामित्रका है ।)

भरतोंका छठे मण्डलमें भी उल्लेख है । इस मण्डलमें भरद्वाज और तरङ्ग-लोत्पन्न ऋषियोंके सूक्तोंका संग्रह किया गया है । बार्हस्पत्य भरद्वाजका मुख्य सूक्त १६ चाँ है । यह बहुत बड़ा सूक्त है । इसमें भरत राजा, भारतजन, भरतकी अग्नि और दिवोदास राजाका कई बार उल्लेख हुआ है । पूर्वके सूक्तमें जैसा वसिष्ठाका उल्लेख है, वैसा इस सूक्तमें भरद्वाजका है । यथा—

त्वमिमा वार्या पुन दिवोदासाय सुन्वते ।

भरद्वाजाय दाशुपे ॥

अग्निरगामि भारतो वृत्रहा पुरुचेतनः ।

दिवोदासस्य सत्पतिः ॥

प्रदेव देववीतये भरता वसुवित्तमम् ।

आस्वे यो नौ निषीदतु ॥

इस सूक्तमें दिवोदास और भरद्वाज तथा पूर्वोक्त मण्डलोंमें दिवो-दासके पुत्र सुदास और वसिष्ठ-विश्वामित्रका सम्बन्ध देखकर पाश्चात्य विद्वान् आश्चर्य करते हैं । परन्तु आश्चर्यका कोई कारण नहीं है । पुराणों और ऋग्वेदसे यह स्पष्ट है कि भरतोंके पुरोहित वसिष्ठ थे । परन्तु इससे यह कैसे कहा जा सकता है कि भरतोंका अन्य ऋषियोंसे सम्बन्ध नहीं था ? विश्वामित्रका जिस प्रकार सुदाससे सम्बन्ध था, वैसा ही भरद्वाजका दिवोदाससे था । रामायणमें भी विश्वामित्रकी तरह भरद्वाजसे भी दशरथ और रामका सम्बन्ध बताया है । राम और भरतकी भरद्वाजने सहायता की थी । एक स्थानपर भरद्वाजने यह भी कहा है कि मैं दशरथका मित्र हूँ । सारांश, इस मण्डलके सूक्तोंसे यही प्रतीत होता है कि भरत सूर्यवंशी क्षत्रिय थे ।

पुराणों और ऋग्वेदकी कथाओंसे स्पष्ट है कि पुराणोंके सूर्यवंशी क्षत्रिय और ऋग्वेदके भरत एक ही थे । ये ही प्रथम हिन्दुस्थानमें आये

रक्षण करना है' इम वाक्यसे तीन चार अनुमान किये जा सकते हैं। प्रथमतः उस समय भरतकी सन्तान बहुत फैल गयी थी और उसे भारतजन कहते थे। यहाँ भारतवर्षका स्मरण हो आता है। द्वितीयतः, भारतीका राजा सुदास था और विश्वामित्रने ईश-स्तुतिसे उसे बचाया था। विश्वामित्रके कुलको कुशिक कहते थे। वसिष्ठ और विश्वामित्रकी पौराणिक कथाके भगड़ेका यहाँ मूल सूत्र देख पड़ता है। वसिष्ठ और विश्वामित्र दोनों सुदासके हितैषी और देवताओंकी स्तुति करनेवाले पुरोहित थे। अतः वे आपसमें कभी कभी भगड़ते भी होंगे। रामायणमें वसिष्ठ और विश्वामित्र दोनोंको रघुकुलके हितैषी बताया है। सूर्यवंशी क्षत्रियोंकी कथाओंमें सुदास, राम, दशरथ और हरिश्चन्द्रके साथ वसिष्ठ और विश्वामित्र दोनोंका सम्बन्ध है। हरिश्चन्द्रने अपना पुत्र वरुणके अर्पण करनेकी प्रतिज्ञा की थी; परन्तु वह प्रतिज्ञा पालन न कर सका, इस कारण उसे उदर-रोग हुआ। आगे चलकर शुनःशेफ नामक ब्राह्मण पुत्रको खरीद कर अपने पुत्र (रोहित) के बदले उसे वरुणके प्रीत्यर्थ बलि देनेके विचारसे उसने यज्ञ आरम्भ किया। तत्र शुनःशेफने वरुणसे प्रार्थना कर अपना छुटकारा कर लिया और विश्वामित्रने उसे अपना पुत्र मानकर अपने कुलमें उसे देवराज नामसे सम्मिलित कर लिया। यह कथा ब्राह्मण-ग्रन्थ और पुराणोंमें प्रसिद्ध है। शुनःशेफका वरुण-स्तोत्र ऋग्वेद मण्डल १ में है। सारांश, वेदमें विश्वामित्र भरतोंका और पुराणोंमें सूर्यवंशियोंका एक ऋषि माना गया है। सुदास-कल्माषपादकी कथा रामायण-उत्तरकाण्ड, अध्याय ६५ में है। वाल्मीकिने यह कथा शत्रुघ्नरं कहरी है। इस कथामें कहा है कि सुदास शत्रुघ्नका पूर्वज था। कुलगुरु वसिष्ठसे भिड़ जानेके कारण उनके शापसे वह कल्माषपाद हुआ और विश्वामित्रकी सहायतासे उसे छुटकारा मिला। पुराणोंकी तरह ऋग्वेद सूक्तोंमें भी वसिष्ठ-विश्वामित्रकी स्पर्धा देख पड़ती है। दाशराज्य युद्धमें वसिष्ठने सुदासकी सहायता की थी। इसी तरह पूर्वकी विपाशा और शतद्रु नदियोंको लौघते समय विश्वामित्रने भी सुदासकी सहायता की थी। पुराणोंमें सूर्यवंशी क्षत्रियोंकी कथाओंमें वसिष्ठ-विश्वामित्रका उल्लेख है

(परन्तु चन्द्रवंशी क्षत्रियोंकी कथाओंमें नहीं है । सारांश, ऋग्वेद मण्डल ७।३ का भरत सूर्यवंशी आर्य था, यह मत साधार और दृढ़ है । (तीसरा मण्डल विश्वामित्रका है ।)

भरतोंका छठे मण्डलमें भी उल्लेख है । इस मण्डलमें भरद्वाज और तरङ्ग-लोत्पन्न ऋषियोंके सूक्तोंका संग्रह किया गया है । बार्हस्पत्य भरद्वाजका मुख्य सूक्त १६ वाँ है । यह बहुत बड़ा सूक्त है । इसमें भरत राजा, भारतजन, भरतकी अग्नि और दिवोदास राजाका कई बार उल्लेख हुआ है । पूर्वके सूक्तमें जैसा वसिष्ठका उल्लेख है, वैसा इस सूक्तमें भरद्वाजका है । यथा—

त्वमिमा वार्या पुरु दिवोदासाय सुन्वते ।

भरद्वाजाय दाक्षुषे ॥

अग्निर्गामि भारतो वृत्रहा पुरुचेतनः ।

दिवोदासस्य सत्पतिः ॥

प्रदेव देवधीतये भरता वसुवित्तमम् ।

आस्वे यो नौ निषीदतु ॥

इस सूक्तमें दिवोदास और भरद्वाज तथा पूर्वोक्त मण्डलोंमें दिवोदासके पुत्र सुदास और वसिष्ठ-विश्वामित्रका सम्बन्ध देखकर पाश्चात्य विद्वान् आश्चर्य करते हैं । परन्तु आश्चर्यका कोई कारण नहीं है । पुराणों और ऋग्वेदसे यह स्पष्ट है कि भरतोंके पुरोहित वसिष्ठ थे । परन्तु इससे यह कैसे कहा जा सकता है कि भरतोंका अन्य ऋषियोंसे सम्बन्ध नहीं था ? विश्वामित्रका जिस प्रकार सुदाससे सम्बन्ध था, वैसा ही भरद्वाजका दिवोदाससे था । रामायणमें भी विश्वामित्रकी तरह भरद्वाजसे भी दशरथ और रामका सम्बन्ध बताया है । राम और भरतकी भरद्वाजने सहायता की थी । एक स्थानपर भरद्वाजने यह भी कहा है कि मैं दशरथका मित्र हूँ । सारांश, इस मण्डलके सूक्तोंसे यही प्रतीत होता है कि भरत सूर्यवंशी क्षत्रिय थे ।

पुराणों और ऋग्वेदकी कथाओंसे स्पष्ट है कि पुराणोंके सूर्यवंशी क्षत्रिय और ऋग्वेदके भरत एक ही थे । ये ही प्रथम हिन्दुस्थानमें आये

और सिन्धुनदीसे लेकर सरयूनदी तक फैल गये । ऋग्वेदके सूक्तोंमें सरयू-का उल्लेख है । भरतोंके ऋषि वसिष्ठ, विश्वामित्र और भरद्वाज थे । उनका राजा अर्थात् पूर्वज भरत, फिर दिवोदास और अनन्तर सुदास था । देवश्रवा और देववात तथा पुरुकुत्स और व्रसदस्युका उल्लेख ऋग्वेदमें है । इक्ष्वाकुका तो है ही, किन्तु हमारे मतसे दसवेँ मण्डलमें रामका भी उल्लेख है । निरुक्त भरतकी सूर्य और पुराण मनु कहते हैं । परन्तु साधारणतया पुराणोंके मतसे भरत मनुका पौत्र था, जिसे हिस्सेमें हिन्दु-स्थान देश मिला था । ऋग्वेद और पुराणोंसे स्थूलमानसे यह एक बात अवश्य सिद्ध हो जाती है कि हिन्दुस्थानमें सबसे पहिले आया हुआ आर्य राजा भरत था । रामायणमें लिखी हुई सूर्यवंशकी वंशावलीमें सुदासका नाम है और यह भी कहा गया है कि सोदास कल्माषपाद था । पुराणोंने दिवोदासको सुदासका पिता नहीं माना है; किन्तु ऋग्वेदसे बढ़कर पुराणोंका प्रामाण्य माना नहीं जा सकता । दिवोदासका नाम सूर्यवंशमें है और चन्द्रवंशमें भी । ऋग्वेदमें दिवोदासके पिताका नाम पित्रवत लिखा है । दिवोदासको पैजवन भी कहा है । पैजवन नाम अब तक सूर्यवंशी कछवाहोंमें पैजवनसिंह (पञ्जनसिंग) के रूपमें पाया जाता है । पुरुकुत्स और व्रसदस्युके नाम सूर्यवंशमें पुराणोंने सन्निविष्ट किये हैं, चन्द्रवंशमें नहीं । शतपथ ब्राह्मणके बचनोंसे भी इस मतकी पुष्टि होती है । शतपथमें लिखा है कि पुरुकुत्स और व्रसदस्यु इक्ष्वाकुके वंशज थे । (देखो—वैदिक इण्डेक्स) ब्राह्मणमें हरिश्चन्द्रको भी इक्ष्वाकु-का वंशज कहा है । पुराणोंने उसे सूर्यवंशी माना है । सारांश, वैदिक साहित्यमें भरतोंके जो राजा और उनके ऋषि उल्लिखित हैं, वे और रामायण, महाभारत तथा पुराणोंमें लिखे हुए सूर्यवंशी क्षत्रिय राजा और उनके ऋषि एक ही हैं । भरत ऋग्वेदके समयसे ही पंजाबसे लेकर सरयू तक फैल गये थे । इसीसे ऋग्वेदमें रामका उल्लेख है । मिथिलाके जनकका

ॐ सरयूका उल्लेख ऋग्वेदके तीन सूक्तोंमें है । मैकुडानलके मतसे वह अयोध्याकी ही नदी है । किन्तु ही वेदवेत्ता पाश्चात्य विद्वान् उसे क्रमु मानते हैं । परन्तु ऋग्वेदमें क्रमुका स्वतन्त्र उल्लेख है । इसके अतिरिक्त

उल्लेख ऋग्वेदमें नहीं है, किन्तु उसके पुरोहित गौतमका है । रामायणमें लिखा है कि यही गौतम अहल्याका पति था । अहल्याका उल्लेख ऋग्वेदमें हैं । गौतम ऋषि सूक्तोंका कर्ता था । यहां तक हिन्दुस्थानमें प्रथम आये हुए आर्यों अर्थात् भरतों अथवा सूर्यवंशी क्षत्रियोंका इतिहास ऋग्वेदमें पाया जाता है ।

इससे यह सिद्ध है कि जिसके नामसे यह देश (भारतवर्ष) प्रसिद्ध हुआ, वह भरत सूर्यवंशी क्षत्रियोंका मूल राजा था । उसके बाद दिवोदास, सुदास, पुरुकुत्स और त्रसदस्यु राजा हुए । इन राजाओंके ऋषि वसिष्ठ, विश्वामित्र, भरद्वाज और गौतम थे । अब चन्द्रवंशी क्षत्रियों अथवा पीछेसे इस देशमें आयी हुई आर्योंकी शाखाके सम्बन्धमें ऋग्वेदमें क्या लिखा है, यह भी देख लेना चाहिये । चन्द्रवंशियोंका उल्लेख ऋग्वेदमें है और उस उल्लेखसे स्पष्ट होता है कि वे पीछेसे आये थे । परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि वे आर्यवंश और आर्य धर्मके ही लोग थे और आर्य भाषा बोलते थे । उनका इतिहास अमेरिकामें पीछेसे जाकर बसे हुए इंग्लिश और डच लोगोंके इतिहास जैसा ही है । अमेरिकामें पहिले जाकर बसे हुए फ्रेंच और स्पेनिश लोगोंकी तरह इंग्लिश और डच वहांके आदिम निवासियोंसे लड़े नहीं, किन्तु मिलजुल कर रहे । इंग्लिश और डच लोगोंने उनसे सुलह कर ली थी । इन्हें उत्तर अमेरिकाके इतिहासमें पंचजन^३ कहा है । परन्तु पहिले जाकर बसे हुए फ्रेंच और स्पेनिशोंके साथ इंग्लिश और डचोंने भयंकर संग्राम किये थे । उस समय इंग्लिश और डचोंको वहांके आदिम निवासियोंसे बहुत कुछ सहायता मिली और अन्तमें फ्रेञ्च-स्पेनिशोंका पराभव कर इंग्लिश-डचोंने उत्तर अमेरिकामें अपनी सत्ता प्रस्थापित की । इस समय उत्तर अमेरिका क्यूटानिक है, मध्य अमेरिका स्पेनिश है और दक्षिण अमेरिका पोर्तुगीज है । यह भूभाग लैटिन अमेरिकाके नामसे प्रसिद्ध है । दोनोंका धर्म (ईसाई) एक होने पर भी दोनोंमें कुछ साधारण

आ० ६४ में सरस्वती और सिन्धुके साथ उसका उल्लेख है । इससे जान पड़ता है कि वह एक महानदी है ।

* Five Nations.

अन्तर भी है। अमेरिकाका यह अर्वाचीन इतिहास आँखोंके सामने रखने पर भारतके प्राचीन इतिहासपर अच्छा प्रकाश पड़ता है और कितने ही उलझनके प्रश्न हल हो जाते हैं।

हिन्दुस्थानकी भाषाओंका विचार कर यह सिद्ध किया जा चुका है कि ऋग्वेदके भरत और पुराणोंके सूर्यवंशी क्षत्रिय एक ही थे और इन्हींकी टोली पहिले इस देशमें आयी थी। पश्चिमी हिन्दी बोलनेवालाके पूर्वज आर्य पुराणोक्त चन्द्रवंशी थे और उन्हींकी टोली पहिली टोलीके पश्चात् यहाँ आयी थी, यह अब सिद्ध करना है। यह देखकर बड़ा आश्चर्य होता है कि पुराणोंमें वर्णित ययातिके यदु, तुर्वसु, अदु, दुह्यु और पूरु नामक पाँचों पुत्रोंका ऋग्वेदमें एक साथ एक स्थानपर उल्लेख है। भिन्न भिन्न स्थलोंमें भी उल्लेख है, किन्तु यदु-तुर्वसुओंका एक साथ उल्लेख कई स्थानोंपर हुआ है। यह निर्विवाद है कि पाँचों एक ही वंशके थे। उनमें भी यदु और तुर्वसु अति निकटके सम्बन्धी थे। कहीं इनका निर्देश एक-वचनमें और कहीं बहुवचनमें किया गया है। इससे सिद्ध है कि ये जातियाँ थीं और मूलपुरुषके नामसे विख्यात हुई थीं। महाभारत और रामायणमें वर्णित ययातिकी कथाका ऋग्वेदमें आधार मिलता है। ऋग्वेदमें कहा है कि ययातिके देवयानीसे यदु और तुर्वसु तथा शर्मिष्ठासे अदु, दुह्यु और पूरु नामक पुत्र हुए थे। ऋग्वेदमें तुर्वश और पुराणोंमें तुर्वसु लिखा है। यही दोनोंमें अन्तर है। विशेष ध्यानमें रखने योग्य बात यह है कि ऋग्वेदसूक्तोंमें यदु-तुर्वशोंका कहीं तो प्रेम और सम्मान-युक्त और कहीं तिरस्कारयुक्त उल्लेख हुआ है। कुछ वैदिक ऋषि तो भगवान्से उनका मङ्गल मनाते और कुछ उनका नाश चाहते हैं। इससे स्पष्ट है कि पीछेसे आये हुए इन आर्योंको पहिले आये हुए आर्योंके साथ स्पर्धायुक्त शत्रुत्व करना पड़ा था। परन्तु अन्तमें विजयी होकर जब वे यहाँ बस गये, तब एक वंशी एक धर्मी और एक भाषाभाषी होनेके कारण सबके प्रिय हो गये। इस अनुमानकी अनेक पौराणिक कथाओंका भी आधार है। पुराणोंमें सूर्यवंशी और चन्द्रवंशी क्षत्रियोंमें परस्पर युद्ध होनेके अनेक वर्णन हैं। उनसे ज्ञात होता है कि यमुनाके दक्षिण तटपर

चन्द्रवंशियोंने अपने राज्य प्रस्थापित किये थे । स्थूलमानसे यही चन्द्र-वंशियोंका इतिहास है । अब ऋग्वेदके उन प्रमाणोंको देखना है, जिनसे आर्योंके इस देशमें प्रवेश होनेसे लेकर यमुनातटपर राज्य स्थापन करने तकके इतिहासका पता लगे ।

पुराणोंमें लिखा है कि चन्द्रवंशियोंका आदिपुरुष पुरूरवा था । उसका उल्लेख ऋग्वेदमें है । ऋग्वेदने उसे बहुत प्राचीन माना है । वह हिमालय-में रहता था । उसे उर्वशीसे ययाति नामक पुत्र हुआ और ययातिका पुत्र नहुष था । दोनोंका उल्लेख ऋग्वेदमें है । ब्राह्मणमें लिखा है कि पुरूरवाने गन्धर्वोंसे अश्विको उत्पन्न करना सीखा था । इससे स्पष्ट है कि वह वैदिक धर्मो अग्निपूजक था और उत्तर कुरु अर्थात् गंगा-यमुनाके उत्तर—तिब्बत—में रहता था । आयु, नहुष और ययातिका निवास-स्थान भी वहीं था । ययातिका उल्लेख ऋग्वेदमें है । उसकी एक पत्नी शुक्राचार्यकी कन्या देवयानी और दूसरी असुरराज वृषपर्वीकी कन्या शर्मिष्ठा थी । असुर-सम्बन्धसे भी प्रतीत होता है कि उसका निवास हिमालयके उत्तर ही था । उसके पुत्र और वंशज पीछेसे हिन्दुस्थानमें गंगाकी दरीसे होते हुए सरस्वती-तटपर कुरु देशमें आ बसे, जहाँ पहिलेके आर्य बस गये थे । पुराणोंमें कथा है कि ययातिका राज्य समग्र भारतवर्षमें था । प्रयागमें उसकी राजधानी थी । जब उसने भारतवर्ष अपने पाँचों पुत्रोंको बाँट दिया, तब मध्यदेश अर्थात् प्रयाग प्रिय पुत्र पुरूको मिला । यह कथा आधुनिक परिस्थितिसे मिलती जुलती पीछेसे गढ़ी हुई जान पड़ती है । पार्श्वदरने इसपर अधिक विश्वास किया है । परन्तु हम पहिले कह चुके हैं कि ऋग्वेदसे जिन पौराणिक कथाओंका मेल हो, वे ही अधिक विश्वास-योग्य हैं । जहाँ दोनोंमें विरोध हो, वहाँ ऋग्वेदका ही प्रामाण्य माना जाना चाहिये । ऋग्वेदमें स्पष्ट उल्लेख है कि पुरूका सरस्वतीके दोनों तटोंपर राज्य था । (ऋग्वेद मण्डल ७, सूक्त ९६) पुरूकी तट्यदेश अर्थात् प्रयाग मिला, यह कल्पना पीछे की गयी है । पुराणोंके शतसे सरस्वतीका प्रदेश किसी दूसरेको ही मिला था । जहाँ पुरूका राज्य ज्यों था । पुराणोंके समयमें लोग इस बातको भूल गये थे कि आर्य लोग हिन्दुस्थानमें बाह्रसे

आकर बसे हैं । मनुके समयसे सूर्यवंशी क्षत्रियोंका मूलस्थान जैसे अयोध्या माना गया है, वैसेही ययातिके समयसे चन्द्रवंशियोंका मूल-स्थान प्रयाग माना गया है । चन्द्रगुप्तसे पहिले हिन्दुस्थानमें प्रधान पराक्रमी राजा पौरव वंशका उदयन था और उसका राज्य कौशाम्बी अर्थात् प्रयागके आस-पासके भूभागमें था । इसीसे पुराणोंने स्थिर किया कि चन्द्रवंशी इसी देशके आदिम निवासी हैं । ययातिने पाँच पुत्रोंमें भारतवर्षका बँटवारा किया, यह पौराणिक वर्णन प्राचीन इतिहासके विरुद्ध है । पाणिंदर साहबने भी इस बातको स्वीकार किया है । पुराणोंकी रचना ईसवी सन् पूर्व ५०० (वि० पू० ४४३) वर्षोंसे अरम्भ हुई और उनके नये संस्करण, जो इस समय उपलब्ध हैं, ईसवी सन् ३०० (वि० ३५७) के लगभग तैयार हुए । उस समय लोग बुद्धपूर्वकालीन बातोंको भूल गये थे । महाभारतमें एकाध स्थानपर उल्लेख है कि प्रयाग प्रान्तमें उदयन पौरव राजा राज्य करता था । यदुको नैर्ऋत्यका भाग मिला और मथुरासे काटियावाड़ तक यादवोंका ही राज्य था । तुर्वशोंको आग्नेयका भाग मिला । पुराणोंने आग्नेयके पाण्ड्य समेत सब द्रविड़ राजाओंको तुर्वशु आर्य बना डाला । द्रुह्यको पश्चिम और अनुको उत्तरके भूभाग मिले । द्रुह्य सैन्धवोंका पूर्वज माना गया है और आनवक्षत्रिय अचतक पंजाबमें कहीं कहीं हैं । पाणिंदरके मतसे यह बँटवारा पिछली परिस्थितिके अनुकूल है, परन्तु बात ऐसी नहीं है । पिछली परिस्थितिको देखकर पुराणकारोंने वैदिककालीन ययातिके राज्यका बँटवारा किया है । नये पुराणकारोंको यह कल्पना ही नहीं थी कि आर्य पंजाबसे होते हुए दक्षिणमें फैले हैं । फिर भी प्राचीन पुराण-परम्परा बता रही है कि पुरुखा हिमालयके उत्तर गन्धमादन पर्वतपर रहता था । अस्तु, ऐतिहासिक दृष्टिसे देखनेपर ऋग्वेदके प्रमाणोंसे यही प्रतीत होता है कि ययातिपुत्र भारतमें गंगाकी दरीसे होकर आये और पुरुने प्रथम सरस्वती-तटपर राज्य स्थापन किया । फिर धीरे धीरे वे दक्षिणमें फैल गये । इन्हींकी भाषा वर्तमान पश्चिमी हिन्दी है । डाक्टर ग्रियर्सनके मतसे यह भाषा अवधी, पंजाबी और राजस्थानी भाषासे भिन्न है ।

ऋग्वेद मंडल ९, सूक्त ९६ से यह सिद्ध है कि पूरने प्रथम अपना राज्य सरस्वती-तटपर स्थापन किया था । वहीं दुबारा आये हुए आर्योंका उत्कर्ष हुआ । कुरुक्षेत्र उनका प्रधान और पवित्र स्थान था । वैदिक धर्मकी वहीं उन्नति हुई और वहीं बोली जानेवाली संस्कृत भाषा टकसाल मानी गयी । ब्राह्मणमें लिखा है कि उत्तर कुरु और कुरुपांचालोंकी भाषा एक ही थी । इसी आधारपर हमने कहा है कि दूसरी आर्योंकी टोली वायव्यके खैबर घाटसे नहीं, किन्तु गिलजिट-चित्रालके रास्ते गंगाकी खाईसे होकर इस देशमें आयी थी (वैदिक इण्डेक्समें कुरु शब्द देखिये) । अब भी डाक्टर प्रियत्नका कथन है कि गिलजिट और चित्रालमें प्रचलित भाषाके कितने ही शब्दोंके रूप ठीक वैदिक सूक्तोंके शब्दोंके समान हैं । भारतकी समस्त भूमिमें प्रचलित भाषाओंमें वैसे शब्द नहीं सुन पड़ते । (इन्डो-रियल गेजेटियर भा० १, पृ० ३५६) सारांश, वैदिक सूक्तों, ब्राह्मण-वचनों और गिलजिट आदि प्रान्तोंकी भाषासे वही अनुमान होता है कि चन्द्रवंशी आर्य इसी रास्तेसे सरस्वती-तटपर आये थे । दूसरी टोलीके ये आर्य प्रथम सरहिन्द, अम्बोला आदि प्रान्तोंमें बसे और धीरे धीरे दक्षिणमें फैल गये । अब ऋग्वेद-सूक्तोंसे इसकी छानबीन करना उचित होगा ।

पहिली महत्वकी ऋग्वेदकी ऋचा वह है, जिसमें यदु आदि पाँचोंका एक साथ उल्लेख हुआ है । इन्द्राग्नि देवताओंकी स्तुति करनेवाली वह ऋचा इस प्रकार है—

“यदिन्द्रामो यदुषु तुर्वशेषु

यदु दुह्युष्वनुषु पूरुषु स्थः ।

अतः परिवृषणावाहि यातजया

सोमस्य पिवतं सुतस्य ॥” मं. १ सू. १०८

अर्थात् “आप यदि यदुतुर्वशों, दुह्युओं, अनुओं, पूरुओंके पहाँ हों, तो भी मेरे यहाँ आओ और मेरे दूध सोमरसका पान करें ।” इससे प्रतीत होता है कि ऋग्वेदके समयमें यदुतुर्वशों आदिके कुल वर्तमान गुहिलोंतों, शठोरों आदिकी तरह बन गये थे । उनका धर्म इन्द्राग्निकी पूजा करना था

और इन्द्राग्नि उनसे बहुत सन्तुष्ट थे । इस सूक्तके ऋषि क्रुत्स आंगिरस हैं । इसका महत्त्व आगे चलकर बताया जायगा ।

पहले जो भरत आर्य इस देशमें आकर बसे थे, उनके साथ उनके बाद आये हुए चन्द्रवंशी आर्योंका झगड़ा भी हुआ था । पहले पहल भरतोंके दिवोदास राजासे हुआ । दिवोदास बड़ा ही दानशील था । उसे ऋग्वेदमें अतिथिग्व भी कहा है । अर्थात् उसके यहाँसे अतिथि आनन्दपूर्वक लौटते थे । दिवोदास और यदुतुर्वंशोंके युद्धका वर्णन करनेवाली ऋग्वेद मण्डल ६१, सूक्त २ की ९ वीं ऋचा महत्वकी है । इसमें ऋषि कहते हैं—

“पुरत्सद्य इत्थान्विये दिवोदासाय शम्बरम् ।

अधत्वं तु शं यदुम् ॥”

अर्थात् “दिवोदासके लिए इन्द्रने शम्बरके किलों और नगरको उद्ध्वस्त किया तथा यदुतुर्वंशोंका नाश किया ।” इस ऋचासे जान पड़ता है कि यदुतुर्वंश एक साथ थे, दिवोदासके शत्रु और यहाँके आदिम निवासी शम्बरान्तिके मित्र थे । दूसरा उल्लेख भरतों और यदुतुर्वंशोंके युद्धका मण्डल ४, सूक्त ३० में इस प्रकार है—

“उत त्या तुर्वंशायदु आस्त्रांतारा शचीपतिः ।

इन्द्रो विद्रां अपारयत् ॥

उत त्या सद्य आर्या सरयोरिन्द्र पारतः ।

अर्णाच्चित्रथावधीः ॥”

यह युद्ध सरयू-तटपर हुआ था । इससे स्पष्ट है कि यदु-तुर्वंश पूर्वमें सरयू-तटतक फैल गये थे । सबसे महत्त्वका पूर्वोल्लिखित दाशराज युद्ध हुआ था । इस युद्धका उल्लेख ऋग्वेद मण्डल ७ के वसिष्ठके तीन सूक्तोंमें हुआ है । यह युद्ध भरतोंके राजा सुदास (पुरोहित वसिष्ठ सहित) और पाँच आर्य तथा पाँच अनार्योंके बीच हुआ था । पाँच आर्य राजाओंमें यदु, तुर्वंश, अमु, तुह्यु और पूरु थे । अर्थात् यह युद्ध अमेरिकामें फ्रेंच-अंग्रेजोंके युद्धके समान सूर्यवंशियों और चन्द्रवंशियोंमें हुआ था । पहिले कहा जा चुका है कि यह युद्ध परुष्णी नदीके तटपर हुआ था । परुष्णी वर्त-

मान रावी (पेरावनी) नदी है। पहिला सूक्त, ७ वें मण्डलका १८ वाँ है। यहाँ ध्यानमें रखने योग्य बात यह है कि वैदिक सूक्त देवताओंकी स्तुतिमें बनाये गये हैं, ऐतिहासिक बातोंके संग्रहके लिए नहीं। वैदिक ऋषियोंने प्रवाह-रूपसे जहाँ तहाँ अपने समयकी और उससे पहिलेकी बातोंका गलेख कर दिया है। उन्हींसे हम अत्यन्त प्राचीन इतिहासका कुछ पता लगा सकते हैं। १९ वाँ सरयू सूक्त वसिष्ठका है और उसमें दाशराज युद्धका बड़ा ही सुन्दर वर्णन किया गया है। परुष्णीके तटपर सुदासका प्रायः पराभव हो ही चुका था, किन्तु वसिष्ठने इन्द्रकी स्तुति की, जिससे नदीने सुदासको तो पार कर दिया, और यदु-तुर्वशोंको डूबा दिया। इस कथासे अनुमान किया जा सकता है कि सुदास और उसके पुरोहितको ज्ञात था कि नदीका पानी कहाँ कम है और कहाँसे नदी पार करनेमें सुभीता होगा। इसीसे वे चिन्तणी हुए। उनके शत्रु इन देशमें गये थे। उन्होंने असुविधाके स्थानसे नदी पार करनेका प्रयत्न किया। परिणामतः वे हारे और डूब गये। इस सूक्तमें यह भी लिखा है कि सुदासके शत्रु नदीका प्रवाह रोककर पार होनेके प्रयत्नमें लगे थे। अर्थात् बन्दूबंशी आर्य युद्धशास्त्र तथा संस्कृतिमें बहुत कुछ अप्रसर हो चुके थे। परन्तु इस प्रयत्नमें वे यशस्वी नहीं हुए। सुदासकी वे लूटना चाहते थे, किन्तु सुदासने ही उन्हें लूट लिया। इस सूक्तमें यह भी कहा गया है कि पशुओंको लूटकर ले जाते हुए छः हजार अनु और दुह्यु धराशायी हो गये थे। अस्तु, पाँच आर्य राजाओंमें अनु, दुह्यु, यदु, तुर्वश और पूरु थे। यदुका स्वप्न उल्लेख इस सूक्तमें नहीं है, किन्तु तुर्वशोंके साथ वे सदा रहा करते थे। अनार्य पंखजनोंमें पक्थ, भलान, भगन्तलिन, विषाणि और शिवके नाम आये हैं। इन नामोंसे विद्वान् संशोधक नाना प्रकारके अनुमान निकालते हैं। डाक्टर ग्रियर्सन कहते हैं कि 'पक्थु' शब्दका उच्चारण अबतक वायव्य सीमाप्रान्तके लोग 'पक्थ' की तरह करते हैं। इससे ज्ञात होता है कि सीमाप्रान्तके पहाड़ी अकमान ही 'पक्थ' थे। 'शिव' शब्दसे भी कुछ अनुमान किये जा सकते हैं, किन्तु वे नाम पीछेसे आर्योंके रहे प्रतीत होते हैं। अमेरिकाके रेडइण्डियन लोग कृत्रिम साँग

सिरमें बाँधते थे, इसी तरह यहाँके लोग भी बाँधते हों और उनका नाम आर्योंने 'विपाणि' रख दिया हो ! इसमें सन्देह नहीं कि ये नाम अनार्योंके हैं ।

“ये पक्वासो भलानसो भनन्तालिनसो विपाणिनः शिवासः ।”

इस कच्चाका अर्थ भी सरल है । जो हो, इस युद्धमें पाँच आर्य और पाँच अनार्य राजा सुदासके विरुद्ध थे, यह निश्चित है । मण्डल ७, सूक्त ८३ में इसका स्पष्ट निर्देश है । वह भी वसिष्ठका ही सूक्त है । उसमें लिखा है—

“दासा च वृत्रा हतमार्याणि च ।

सुदास मिन्द्रावरुणावसावतम् ॥”

अर्थात् दास और आर्योंने मिलकर जब सुदासपर चढ़ाई की, तब इन्द्र और वरुणने उसकी सहायता की थी । इसी सूक्तमें दस राजाओंके आक्रमणका भी उल्लेख इस प्रकार है—

“यत्र राजभिर्दशभिर्निवाधितम् ।

प्र सुदासमावतं तृत्सुभिः सह ॥”

अर्थात् पाँच आर्य और पाँच अनार्य राजा इस युद्धमें सुदासके विरुद्ध थे । नये आर्यों अर्थात् चन्द्रवंशियोंने एतद्देशीयोंकी सहायतासे पहिले आकर वसे हुए सूर्यवंशियोंसे सरस्वती-तटपर—पंजाबमें—युद्ध कर उन्हें हरानेका प्रयत्न किया था, किन्तु वह सफल न हो सका । अमेरिकाके युद्धमें फ्रेंचोंके विरुद्ध वहाँके पञ्चजनो ने अंग्रेजोंकी जैसी सहायता की थी, वैसी ही सूर्य-वंशियोंके विरुद्ध चन्द्रवंशियोंकी यहाँके पाँच अनार्य राजाओंने सहायता की । अमेरिका और हिन्दुस्थानके इतिहासका यह सादृश्य देखकर आश्चर्य होता है । अमेरिकामें अंग्रेज जैसे विजयी हुए, वैसे यहाँके चन्द्र-वंशी प्रारम्भमें विजयी नहीं हो सके, ती-थी जाते-काल तक भारतीय युद्धमें उत्तर अमेरिकाकी तरह चन्द्रवंशी पूर्ण विजयी हुए और पंजाबमें अन्तही सत्ता प्रस्थापित हो गयी । फिर भी पञ्जाबमें पहिले जाये हुए आर्य ही अधिकतर दसे हुए थे ।

ऋग्वेद मण्डल ७, सूक्त १९ में वसिष्ठने पूरुके अनुकूल कुछ कहा है सही, किन्तु यह भी कहा है कि द्रुपदासने यदु-तुर्वंशोंका पराभव कर दिया । कुछ वैदिक विद्व १२ इस सूक्तसे यह सिद्ध करते हैं कि राजा पुरु-कुत्स पूरुकुलमें उत्पन्न हुआ था । अतः तत्सम्बन्धी ऋचाओंका यहाँ अधिक विस्तारपूर्वक विचार करना आवश्यक है ।

‘त्व’ धृषणोष्टृषता वीतहव्यं प्रावो

विश्वाभिरुतिभिः सुदासम् ।

प्रपौरुकुत्सि त्रस दस्युमानः

क्षेत्रसाता वृत्रहत्येषु पूरुम् ॥’

‘हे इन्द्र ! आपने अपनी समस्त रक्षा-शक्तियोंके द्वारा वीतहव्य, सुदास और त्रसदस्यु पुरुकुत्सके पुत्र तथा पूरुकी वृत्रके साथ हुए युद्धोंमें सुरक्षा की है ॥’ यहाँ त्रसदस्युको ही पूरु न समझ कर दोनोंको पृथक् मानना चाहिये । पूरु शब्दको पुरुकुत्सका विशेषण मान लेने पर ब्राह्मण-वचनसे विरोध हो जाता है । क्योंकि ब्राह्मणमें पुरुकुत्सको स्वष्टया गेक्ष्वाक कहा है । पुराणोंमें भी ऐसा कहीं उल्लेख नहीं है कि त्रसदस्यु और पुरुकुत्स चन्द्रवंश थे । भरतोंकी तरह यह नाम दो राजाओंका नहीं है । अतः पुरुकुत्स पूरुवंशी माना नहीं जा सकता । इसी सूक्तमें अन्य आर्य राजाओंकी वृत्र अर्थात् दासोंके विरुद्ध सहायता करनेके कारण इन्द्रकी स्तुति की गयी है । उ, चुसुरि और धुनि दासोंके विरुद्ध कुत्स और दभीति-की तथा अतिथिव द्रुपदासकी यदु-तुर्वंशोंके विरुद्ध सहायता करनेका इसमें उल्लेख है । इससे प्रतीत होता है कि पूरुवंशके चन्द्रवंशी क्षत्रिय धीरे धीरे कुरुक्षेत्रमें भली भाँति बस गये थे और प्राचीन आर्य ऋषि उन्हें मानने भी लगे थे । परन्तु यदु-तुर्वंशोंको बसने योग्य अच्छा स्थान न मिलनेसे वे सूर्यवंशियोंको सताया करते थे । आगे चलकर दक्षिणमें यमुना-तटपर वे फैल गये । ‘भारत-उपसंहार’ में हमने कहा है कि भारती युद्ध-प्रसङ्गमें पूरुकुलके चन्द्रवंशी क्षत्रिय और यदु-पाण्डु-पांचा-लादि अन्य चन्द्रवंशी क्षत्रियोंमें अनबन हो जानेके कारण पूरुकुलके दुर्योधनके पक्षमें सूर्यवंशी क्षत्रिय ही अधिक थे । सारांश, यद्यपि इस

सूक्तमें वसिष्ठने कहा है—“नितुर्वशं नि याद् शिशोःस्तुतिथिगत्राय शंस्यं करिष्यत् ।” तथापि उनका पूरके सम्बन्धमें अनुकूल कहना भी असम्भव नहीं है । उक्त श्रवाका पूर शब्द पृथक् ज्ञाननेसे ब्राह्मण-ग्रन्थके विरुद्ध न होगा ।

पूर सरस्वती के तटपर और यदु-तुर्वशादि वसुना-तटपर जब भली भाँति बस गये, तब ऋषिगण भी उनके अनुकूल हो गये; क्योंकि वे आर्य ही थे । ऋग्वेदके कितने ही सूक्तोंमें उन्हें आशीर्वाद दिये गये हैं । यह ध्यानमें रखना चाहिये कि ऐंसे वचन ८ वे अर्थात् कण्वके मण्डलमें है । ‘वैदिक इण्डेक्स’ के लेखानुसार आठवें मण्डलके ये सूक्त ४, ७, ९, १० और ४५ हैं । इनमेंसे पहिला अर्थात् चौथा सूक्त देवातिथि काण्वका है । इस सूक्तमें कण्व ऋषि और यदु-तुर्वश दोनोंका उल्लेख है । एक तुर्वश राजासे कण्वको लः हजार गायें दानमें मिली थीं, ऐसी दान स्तुति इस सूक्तमें है । ७ वाँ सूक्त पुनर्वसु काण्वका है । इसमें यदुतुर्वशों और कण्वपर कृपा करनेके कारण माहताँकी स्तुति की गयी है । यथा—

“येनात्र तुर्वशं यदुं येन कण्वं धनस्पृतम् ।

राये सुतस्य धीमहि ॥”

जबम सूक्तमें शशकर्ण काण्व अश्विनोसे यदुतुर्वश और कण्वपर कृपा करनेकी याचना करता है । यथा—

“हमेसोमासो अश्वितुर्वशे यदाविमे कण्वेषु वासथ ॥१४॥

दशम सूक्तमें प्रगाथ काण्व अश्विनोसे विभिन्न दिशाओंमें अनु, तुष्टु, यदु और तुर्वशोंपर कृपा करनेकी प्रार्थना करता है । अन्तिम ४१ वे सूक्तमें त्रिशोक काण्व इन्द्राश्विनी स्तुति करता हुआ कहता है—“आपने यदु-तुर्वशोंको अनिर्वचनीय शक्ति प्रदान की है ।” यथा—

“सत्यं तत्तुर्वशे यदौ विदानो अन्हवायाम् ॥२७॥”

ये सभी सूक्त कण्वकुल ऋषियोंके हैं और इनमें यदुतुर्वशों, किम्बहुना, यदुतुष्टुओंके लिए भी ईश्वरीय कृपाकी याचना की गयी है । इससे प्रतीत

होता है कि चन्द्रवंशियोंके कुल-पुरोहित काण्व थे । इसका प्रमाण पुराणोंमें भी मिलता है । दुष्यन्त, भरत आदिके कुल-गुरु कण्व थे । उनका आश्रम भी उन्हींके राज्यमें था और कण्वके ही आश्रममें दुष्यन्तकी शकुन्तलाका लाभ हुआ था । सूर्यवंशियोंका जैसा वसिष्ठसे सम्बन्ध है, वैसा ही यदु, तुर्वश, अयु, द्रुह्यु आदि चन्द्रवंशियोंका कण्वसे है । पुराण-वंशावलीसे तो सिद्ध होता है कि कण्व भी चन्द्रवंशी थे । इस सम्बन्धमें पुराणों और ऋग्वेदमें मतभेद नहीं है । एक प्रमाण पहिले मण्डलके २६ वें सूक्तमें मिलता है । इसमें घोर ऋषिने यदुतुर्वश और कण्वका कई बार उल्लेख किया है । यथा—

“अग्निर्वद्रे सुवीर्यमग्निः कण्वाय सौभागम् ।

अग्निः प्रावन्मेभ्यतिथिमग्निः साता उपस्थितम् ॥१७॥

अग्निना तुर्वशं यदुं परावत उप्रादेव हवामहे ॥१८॥

इससे हमारा अनुमान अधिक पुष्ट होता है । हरिवंशमें पूरुकुलमें उपपन्न हुए भरतके चौथे पूर्वज सतिनारसे कण्वकी उत्पत्ति बताया है ।

प्रथम मण्डलके ५४ वें सूक्तमें भी यदुतुर्वशोंके अनुकूल लेख है । यदुतुर्वशोंकी इन्द्रने सुरक्षा की, इसलिये सब्य आंगिरस इस सूक्तमें इन्द्रकी स्तुति करता है । यथा—

“त्वमाविथ नयं तुर्वशं यदुं त्वं तुर्वीति वरयं शतक्रतो ।”

१०८ वें सूक्तका उल्लेख हम पहिले कर चुके हैं । उसमें कुत्स आंगिरसने यदु, तुर्वश, अयु, द्रुह्यु और पूरु इन पाँचोंके नाम प्रथित किये हैं । हमने यह भी कहा था कि कुत्स आंगिरस सूक्तकर्ता था, इसका महत्व आगे चलकर बताया जायगा । अतः इस प्रसङ्गमें उसका उल्लेख करना उचित जान पड़ता है । कण्वकुल ऋषियोंकी तरह आंगिरसकुल ऋषियोंका भी चन्द्रवंशियोंके साथ सम्बन्ध था । मण्डल १, सूक्त ३६ का ऋषि घोर और आगेके सूक्तका ऋषि घोर काण्व है । इससे पहिला घोर आंगिरस जान पड़ता है । मं० १, सू० ५४ का ऋषि सब्य आंगिरस और मं० १, सू० १०८ का कुत्स आंगिरस है । छान्दोग्योपनिषद्में वर्णन है कि देवकी-पुत्र

कृष्णको घोर आंगिरसने एक उपनिषद् विद्या सिखायी थी। यह निर्विवाद है कि यह देवकी-पुत्र कृष्ण महाभारतमें गीताका उपदेश देनेवाले श्रीकृष्ण ही हैं। सारांश, काण्वोंकी तरह आंगिरस भी यदु-तुर्वंशादि चन्द्र-वंशियोंके ऋषि थे।

‘वैदिक इण्डेक्स’ के लेखानुसार और भी निम्नलिखित सूक्त हैं, जिनमें यदु-तुर्वंशोंका उल्लेख है। अगस्त्यका इन्द्रसूक्त १-१७४, वामदेवका सूक्त ४-३०, अवस्थु आत्रेयोंका सूक्त ५-३१, शंखु बार्हस्पत्यका सूक्त ६-४५ और इन्द्रवैकुण्ठका सूक्त १०-४९, अन्तिम सूक्तमें नहुष और यदु-तुर्वंशोंका एक साथ उल्लेख हुआ है। यथा—

“अहं सप्तहा नहुषो नहृष्टरः प्राश्रावयं शवसा तुर्वंशयदुम्” ॥ ८ ॥
यहाँ पहिले अर्थात् १-१७४ सूक्तका अधिक विचार करना आवश्यक है। क्योंकि इसमें यदु-तुर्वंशोंके साथ समुद्रका उल्लेख है। यथा—

“त्वं धुनिरिन्द्र धुनिमतीर्त्तणोरपः सीरा न चवन्तीः ।

प्रयत्समुद्रमति शूर पर्वि पारथा तुर्वंशं यदुं स्वस्ति ॥९॥”

इसका यदि यह अर्थ हो कि यदु-तुर्वंशोंको इन्द्र सुरक्षित समुद्रके पार ले जावे, तो मानना पड़ेगा कि ऋग्वेद-प्रसिद्ध अश्विनोंके प्रिय राजा भुज्युकी तरह यदु-तुर्वंश भी समुद्रमें संचार करने लगे थे। भुज्युके सम्बन्धमें ऋग्वेदमें कई बार ऐसा वर्णन किया गया है कि समुद्रमें जब वह डूबने लगा, तब अश्विन उसे सोनेकी नौकामें बैठाकर पार ले गये। इसमें तो सन्देह ही नहीं कि ऋग्वेदके समयमें भारतीय आर्य पश्चिमी समुद्रतक पहुँच गये थे। समुद्रका उल्लेख ऋग्वेदमें कई बार हुआ है और यदु-तुर्वंश दक्षिणकी ओर बढ़ते हुए काठियावाड़तक फैल गये थे। परन्तु इस सूक्तके समुद्र शब्दका अर्थ आकाश किया गया है। ऋग्वेदीय ऋषियोंकी कल्पना थी कि आकाशमें दिव्य जल भरे हुए हैं। अस्तु, सूक्त ५-३१ में वर्णन है कि यदु-तुर्वंशोंके लिए इन्द्रने सुदुघाकी बाढ़ रोक दी थी। यथा—

“त्वमपो यदये तुर्वंशायात्पगः सुदुघाः पार इन्द्र ।”

सारांश, धीरे धीरे यदु तुर्वंश आर्य ऋषियोंको मान्य और प्रिय हुए तथा अनेक नदियोंको पार कर समुद्रतक फैल गये।

अबतक यदु, तुर्वश, अनु, द्रुह्य और पृथक् समष्टि-रूपसे विचार किया गया; अब प्रत्येकके कुलका पृथक् पृथक् विचार किया जायगा । 'वैदिक इण्डेक्स' में लिखा है कि यजु और सामवेद तथा ब्राह्मण-ग्रन्थोंमें यदुओंका उल्लेख नहीं है । (हमने समग्र वैदिक साहित्यका प्रत्यक्ष रूपसे अध्ययन नहीं किया है ।) पञ्जाबमें उनका पराभव होने पर वे दक्षिणकी ओर गढ़ और झरसेन (मथुरा) से काठियावाड़ तक दक्षिण नैऋत्य दिशामें बस गये । महाभारतके समयमें भी वे इन्हीं प्रान्तमें बसे थे । इस प्रान्तमें बसने योग्य बहुत भूमि थी । क्योंकि पहिलेके सूर्यवंशी आर्य पञ्जाबमें और पूर्वकी ओर हिमालयकी तरहटीमें मिथिलातक बस गये थे । यदुओंके स्वतन्त्र राज्य स्थापित नहीं हुए थे । मथुरामें वे भोजकी अधीनतामें ही रहते थे । इन्हींसे कथा रची गयी कि ययातिके शापके कारण यदुओंको राज्याधिकार नहीं है । पौराणिक कथाओंमें लिखा है कि मथुरा मधु नामक दैत्यके अधिकारमें थी । उसका पराभव कर शत्रुघ्नने उसपर अधिकार किया और शत्रुघ्नका वंश निर्मूल होने पर यादव-भोज वहाँ जाकर बस गये । पार्श्विकके मतसे मधु नामक दैत्य नहीं, किन्तु यादव था । उसीके 'शज आगे चलकर माधव कहलाये । परन्तु यह भूल है । रामायण और पुराणोंकी कथाएँ इतिहाससे सम्बद्ध हैं । प्रथम यमुनातट राक्षसों अर्थात् हिन्दुस्थानके आदिम निवासियोंके अधिकारमें था । फिर गंगाके उत्तर प्रान्तमें बसे हुए सूर्यवंशी आर्योंने वहाँ बसनेका यत्न किया और अन्तमें आर्योंकी दृष्टी टोली अर्थात् चन्द्रवंशियोंने उसपर अधिकार कर लिया । यह अनुमान अस्वाभाविक या इतिहासके विरुद्ध नहीं है । अबतक यादव पशुपालोंकी स्थितिमें ही थे । आगे चलकर श्रीकृष्णके अतुल बुद्धि-कौशल और शौर्यसे उन्हें चिरस्थायी तेज और यश प्राप्त हुआ । ऐसा न हुआ होता तो पुराणोंमें कोई उनके गुणोंका वर्णन न करता । पहिले कहा जा चुका है कि श्रीकृष्णका उल्लेख वैदिक संहितामें न होने पर भी छान्दोग्योपनिषद्में है ।

यह हुई यदुओंकी बात । अब तुर्वशोंके सम्बन्धमें विचार करें । ऋग्वेदमें यदुके साथ और स्वतन्त्र रूपसे भी इनका उल्लेख है, किन्तु महाभारत

अथवा पुराणोंमें कहीं उल्लेख नहीं है। सम्भवतः यह कुल नष्ट हो गया था। शतपथ ब्राह्मणमें भी लिखा है कि यह कुल नष्ट होकर पाञ्चालोंमें विलीन हो गया। हरिवंश अध्याय ६२ में लिखा है कि दक्षिणके चोल, पाण्ड्य आदि राजा तुर्वश-कुलके थे। परन्तु पुराणोंकी यह नयी उपज जान पड़ती है। चोल, पाण्ड्य, केरल आदि राजा आदि-द्रविड़वंशी थे। आगे जब सभी हिन्दू राजा सूर्य-चन्द्रवंशियोंसे सम्बन्ध करने लगे, तब इन्होंने भी तुर्वशोंसे सम्बन्ध स्थापित कर लिया। पुराणोंकी कथा ब्राह्मण-ग्रन्थकी कथासे भी विरुद्ध है। पुराणोंके जित समय (ईसवी सन् ३०० से ९०० तक) नये संस्करण बने, उस समय भारतवर्षमें जो राजवंश प्रसिद्ध थे, उनका सम्बन्ध महाभारत-रामायणके प्रसिद्ध पुरुषोंके साथ जोड़नेका उद्योग किया गया हो, तो आश्चर्य ही क्या है? अङ्ग, वङ्ग, कलिङ्ग आदि दक्षिण-पूर्व प्रान्त पहिलेसे ही अनार्य माना गया है। इसी तरह चोल, केरल पाण्ड्य भी अनार्य ही थे।

अब अनु, तुह्यु और पूरुके सम्बन्धमें भी विचार कर लेना उचित होगा। पूरु तो वैदिक कालमें ही बहुत प्रसिद्ध हो गये थे। इसीसे महाभारतमें पूरुको ययातिसे आशीर्वाद प्राप्त होनेका उल्लेख है। पौरवोंका भारतवर्षमें इतना अधिक विस्तार हो गया था कि उनके सम्बन्धमें यह लिखा गया कि “अपौरवा तु हि मही न कदाचिद्विष्यति।” (चाहे सूर्य-चन्द्रसे रहित पृथ्वी हो जाय, किन्तु पौरवोंसे रहित नहीं हो सकती।) वे पहिले सरस्वतीतटपर बसे थे, यह ऋग्वेद-सूक्तोंमें भी कहा गया है। वहाँसे धीरे धीरे पूर्व, दक्षिण और पश्चिममें उन्होंने अपनी सत्ता प्रस्थापित की और पाण्डवोंके समयमें वे सार्वभौम हो गये थे। पौरवोंको प्रथम यहाँके आदिम निवासी राक्षसोंसे भगड़ना पड़ा था। इसका उल्लेख ऋग्वेदके १-५९, १३१, १७४; ४-२१, २८; ६-२०; ७-५ और ८-१९ सूक्तमें है। १-५९ वाँ सूक्त नोधा गौतमका है। उसमें लिखा है—“वृत्र अथवा यहाँके आदिम निवासी जंगली अनाथोंका अग्निदेव नाश करते हैं, इसीसे पूरु उनकी पूजा करते हैं।” (यं पूरवो वृत्रहर्षं सचन्ते।) १-१३१ वाँ सूक्त परुच्छेपका है। उसमें कहा है—“यह सामर्थ्य प्राचीन कालमें पूरुओंको

ज्ञान थी ।” (विदुष्टे अस्य वीर्यस्य पूरवः पुरो ।) १-१७४ का यहाँ मैक्डानलने भूलसे उल्लेख किया है । इसमें पहिले कहे अनुसार यदु-
तुर्वशोंका उल्लेख है, पूरुओंका नहीं । पुरुकुत्सका इसमें उल्लेख होनेसे
सम्भवतः उसका निर्देश किया गया होगा; परन्तु हमारी समझमें
पुरुकुत्स पूरु नहीं है; दोनोंमें अन्तर है । यह निश्चित है कि पुरुकुत्स
सूर्यवंशी था । ४-२१ इन्द्रस्तुतिपूर्ण वामदेवका सूक्त है । इसमें प्रश्न है
कि “पूरुके लिए वृत्रका वध कर किसने स्वातन्त्र्य प्रदान किया ? ”
(हन्ता वृत्रं धरियः पूरवे कः ।) ६-२० वे भरद्वाजके सूक्तमें कहा है—
“हे इन्द्र ! पूरु आपकी स्तुति करते हैं कि पुरुकुत्सके लिए आपने दासों-
की मृत गदियोंको ढाह दिया ।” यथा—

“सनेम तोयसा नम इन्द्र प्रपूरवः स्ववन्त पुना यज्ञैः ।

सप्त यत्पुतः शर्म शारदीर्द्धन्दासीः पुरुकुत्सायशिक्षन्, ” ॥ १० ॥
७-५ वे वसिष्ठके अग्निसूक्तमें लिखा है—“हे अग्निदेव ! पूरुके लिए आपने
दासोंके किले ढाह दिये ।” (वैश्वानर पूरवे शोशुवानः पुरो यदग्ने
दुरयन्नदीदेः ।) अन्तिम ८-१९ वे सूक्तमें (पहिले कहा भी गया है)
वसिष्ठ कहते हैं—“हे इन्द्र ! आपने वृत्रके युद्धमें पुरुकुत्स, त्रसदस्यु
और पूरुकी रक्षा की ।” (प्रपौहकुत्सं त्रसदस्युमावः क्षेत्रलात्ता वृत्रहयेषु
पूरुम् ।) उक्त सूक्तोंसे दो तीन बातें स्पष्टतया देख पड़ती हैं । त्रसदस्युमें
वृत्र शब्द आदिमनिवासियोंके अर्थमें बार बार आया है । इन लोगोंके
साथ आर्योंके बार बार युद्ध भी हुआ करते थे । उस समय आर्य लोग
उनके गढ़ या सुरक्षित पुर बार बार ढाह देते थे । दोनों आर्योंको
ऐसे युद्ध करने पड़े थे और पूरुने भी किये थे । ७-१९ वे सूक्तमें पूरु
इन्द्रसे प्रार्थना करता है कि आपने पूर्वकालमें जैसी पुरुकुत्सकी सहा-
यता की थी, वैसी इस समय मेरी भी करें । इससे स्पष्ट है कि
पुरुकुत्स पूरुसे पहिले हुआ था । आगे चलकर पूरुओंका इतना विस्तार
हुआ कि यास्कको लिखना पड़ा कि पूरु शब्दसे साधारण मनुष्यका
अर्थ ग्रहण करना चाहिये । कई सूक्तोंकी टीका करते समय टीकाकारोंने
पूरु शब्दका अर्थ साधारण मनुष्य किया भी है । परन्तु मैक्डानलने

मतसे पूरु शब्दका अर्थ पौरव (अर्थात् दूसरी टोलीके आर्थ) नी करना चाहिये । जो हो, यह निश्चित है कि प्रथम आये हुए सूर्यवंशी आर्योंका विस्तार होनेपर जिस तरह हर एक क्षत्रिय भरत अथवा भारत कहा जाने लगा, उसी तरह पश्चात् आये हुए चन्द्रवंशी आर्योंका विस्तार होनेपर पूरु शब्द साधारण मनुष्य-वाचक बन गया ।

पौरवोंने अनार्योंसे अनेक युद्ध कर विजय-लाभ किया और सरस्वती-तटपर अपना दबदबा जमा लिया । पहिले आकर पंजाबमें बसे हुए आर्योंसे लड़कर वे हारे सही, किन्तु कुरुक्षेत्रमें उनका अच्छा उत्कर्ष हुआ । पौरवोंके राजा अजमीढका उल्लेख ऋग्वेदमें है और बहुवचनमें है । इससे स्पष्ट है कि अजमीढका कुल बहुत विस्तृत हो गया था । पौरवोंका दूसरा पुराणप्रसिद्ध राजा दुष्यन्त-पुत्र भरत हुआ । उसका उल्लेख ऋग्वेदमें नहीं, किन्तु शतपथ ब्राह्मणमें है और लिखा है कि उसने गंगा, यमुना और सरस्वतीके तटोंपर अनेक अश्वमेध यज्ञ किये थे । उनका राज्य पूर्व और दक्षिणमें फैल गया था । शतपथमें उसे सर्वत्र दौष्यन्ति भरत लिखा है; इससे आदि-भरत और इस भरतका पार्थक्य स्पष्ट होता है । भरतके बाद प्रसिद्ध राजा कुरु हुआ, जिसके नामसे देश प्रसिद्ध है, इसका नाम भी ऋग्वेदमें न होनेसे यह नहीं कहा जा सकता कि भरत और कुरु वेदकालके पश्चात् हुए थे । ऋग्वेद स्तुतिग्रन्थ है । उसमें इन राजाओंका उल्लेख होना अनिवार्य नहीं है । ब्राह्मणकालमें इनकी विशेष क्वाति हुई । ब्राह्मणमें जहां तहां कुरु-पाण्डवोंका संयुक्त उल्लेख हुआ है । क्योंकि महाभारतके समय दोनों कुल एक हो गये थे और उसके पश्चात् ब्राह्मण-ग्रन्थोंकी रचना हुई थी । ब्राह्मणमें जनमेजय, परीक्षित और उनके किये अश्वमेधका वर्णन कई स्थानोंमें किया गया है । यह बात सही जान पड़ती है कि कृष्णद्वैपायन व्यासने ऋग्वेदकी रचना अर्थात् संघटना की है । ऋग्वेदकी रचनाके पश्चात् भारती युद्ध हुआ और उसके बाद ब्राह्मण-ग्रन्थ बने । कालक्रमसे यह स्पष्ट ही है ।

पाञ्चालोंके सम्बन्धमें कुछ अधिक स्पष्टीकरण आवश्यक है । पौराणिक वंशावलीके अनुसार पाञ्चाल पूर्ववंशी एक छोटी शाखाके लोग

थे और उनका आदि राजा सृजय था । इसका उल्लेख ऋग्वेदमें है । ६-२७ में लिखा है कि सृजय देववात, अर्थात् देववातका पुत्र, था । यथा—

“स सृजयाय तुर्वशं परारादाद्गुचीवतो दैववाताय शिक्षन् ।”

इस ऋचामें भरद्वाज कहते हैं कि “इन्द्रने ऋचीवतों और तुर्वशोंको दैववात सृजयके अधीन कर दिया ।” ४-१५ में सृजयका इससे महत्त्वका उल्लेख है । इसमें सृजयकी अग्निकी स्तुति की है । इससे ज्ञात होता है कि यह राजा परम आर्यधर्मी था । (अर्थ यः सृजये पुरो दैववाते समिध्यते ।) इस सूक्तकी अन्तिम चार ऋचाओंमें सृजयवंशोत्पन्न सोमक साहदेव्य राजाकी दानस्तुति की गयी है और विपुल दान देनेके कारण वामदेवने उसे आशीर्वाद दिये हैं । आजकल श्रोत्रिय ब्राह्मण आशीर्वादके समय उन्हीं आशीर्वादात्मक मन्त्रोंका उच्चार करते हैं । यथा—

“एष वां देवावश्विना कुमारः साहदेव्यः ।

दीर्घायुरस्तु सोमकः ॥

तं युवं देवावश्विना कुमारं साहदेव्यम् ।

दीर्घायुष्यं कृणोतन ॥१०॥

पुराणोंकी वंशावलीके अनुसार सहदेव और उसका पुत्र सोमक सृजयके कुलमें अर्थात् पांचालोंमें उत्पन्न हुआ था । द्रुपदका चौथा पूर्वज यही सोमक था । ऐतरेय ब्राह्मणमें वर्णन है कि इसने राजसूय यज्ञ कर बहुत कीर्ति सम्पादन की थी । ऋग्वेद-कालमें पांचालोंको सृजय कहते थे । ब्राह्मण-कालमें वे पांचाल कहे जाने लगे । महाभारतमें सृजय, सोमक और पांचाल तीनों नाम आये हैं । इस इतिहाससे यह उल्लेख सुलभ जाती है कि तीनों नामोंका एक ही अर्थ क्यों है । किसी एक राजाके पाँच पुत्रोंसे पांचाल शब्दको व्युत्पत्ति हरिवंशमें कही गयी है; परन्तु यह निरी कविकल्पना है । कदाचित् पाँच जातियाँ एकत्र होकर पांचाल नामसे प्रसिद्ध हुई हों ! इतिहासमें ऐसी अनेक जातियोंके मिश्रित हो जानेके प्रमाण पाये जाते हैं । एक जाति दूसरी जातिके राजाको मान लेती

अथवा एक जाति दूसरी जातिपर अधिकार जमा लेती है, तब प्रायः ऐसा हुआ करता है। आधुनिक इतिहासमें कनाडामें अंग्रेज और फ्रेंच, आस्ट्रिया-हंगरीमें जर्मन और हन अथवा ग्रेट ब्रिटेनमें अंग्रेज, स्कॉट और वेल्स परस्पर मिल गये हैं। इसी तरह हिन्दुस्थानके प्राचीन इतिहासमें कुरु और पांचाल एक हो गये थे। ऋग्वेदके लेखानुसार संजनोंमें तुर्वश मिल गये थे और शतपथ ब्राह्मणमें क्रिवियोंके पांचालोंमें सम्मिलित होने की कथा है। सारांश, पाँच जातियोंके एक होनेसे ही वह सजष्टि जाति पांचाल कही जाने लगी।

इस प्रकार वैदिक साहित्यके प्रमाणोंसे सिद्ध है कि आर्योंकी दूसरी शाखाके पुरु वड़े ही बालाढ्य थे और उनका विस्तार बहुत हो गया था। कुरु-पांचाल उन्हींके वंशज थे और महाभारत तथा महाभारतकालमें ये बहुत प्रसिद्ध हो गये थे। समस्त भारतखण्डमें उन्हींका साम्राज्य था। पंजाबमें प्रथम आये हुए सूर्यवंशी क्षत्रिय थे, किन्तु उनका कोई राज्य नहीं था। वहाँ भी कुरु-पांचालोंकी ही सत्ता थी। अलेग्जण्डरके समयमें पंजाबमें उसका सामन्त पौरव (पोरस) राजासे ही हुआ था। इससे कोई कोई यह अनुमान करते हैं कि पुरुवंशी क्षत्रिय प्रथम वायव्यकी ओरसे पंजाबमें आये और फिर पूर्वकी ओर फैल गये। हम पहिले कह चुके हैं कि प्रामाण्यकी दृष्टिसे ग्रीक इतिहास चौथी श्रेणीका है। ऋग्वेदसे उसका विरोध हो, तो ऋग्वेदका प्रामाण्य ही माना जाना चाहिये। ऋग्वेदसे तो यही सिद्ध होता है कि पुरु उत्तरकी ओरसे अर्थात् उत्तर कुरुसे सरस्वतीके तटपर आये और वहाँसे पश्चिमकी ओर उन्होंने अपनी सत्ता अभ्यापित की। इस ऐतिहासिक परम्पराको महाभारतका भी आधार है। महाभारतमें वर्णन है कि जनमेजयने हस्तिनापुरमें राज्यस्थापना करनेके उपरान्त पश्चिममें तक्षशिलापर विजय-लाभ किया था। रामायणमें वर्णन है कि तक्षशिलाकी स्थापना सूर्यवंशी रामचन्द्रके भ्राता भरतके पुत्र तक्षने की थी। पंजाबमें सूर्यवंशी ही पहिलेसे बसे थे। ऋग्वेदके समयमें पुरुओंने पंजाबपर चढ़ाई की, परन्तु तब वे सफल नहीं हुए, भारतीय युद्धके उप-

रान्त हुए थे । उसके बाद श्रीकोंके समयमें, पंजाबमें अलेग्जण्डरका पौरव राजासे मिलना स्वाभाविक ही है ।

ब्राह्मणकाल और महाभारतकालमें सूर्यवंशी क्षत्रियोंके राज्य केवल पूर्वमें ही बच रहे थे, जो कोसल-विदेहके नामसे प्रसिद्ध थे । ब्राह्मणमें जिस प्रकार कुरु-पांचालोंका साभिमान बार बार उल्लेख हुआ है, उसी प्रकार कोसल-विदेहका भी हुआ है । कुरुपांचालोंसे ये लोग भिन्न थे । इनमें तत्वज्ञानका अच्छा प्रचार था । परन्तु डाक्टर ग्रियर्सनने आपाओंकी तुलना कर सिद्ध किया है कि इनकी आपा पंजाबी लोगोंकी साधारण आपासे मिलती-जुलती और पश्चिमी हिन्दीसे भिन्न है । मैकडानलने यह मत स्वीकार किया है और कुरु शब्दकी टिप्पणीमें लिखा है कि कुरु-पांचालोंने कोसल-विदेहोंको पंजाबके सीमाप्रान्तसे पूर्वकी ओर खदेड़ा था । हगारा मत इससे भिन्न है । प्रथम शाखाके आर्य हिन्दुस्थानमें आकर पंजाबसे मिथिलातक अर्थात् सिन्धु नदीसे सदानीरा नदी तक हिमालयकी तरहटीमें फैल गये और दूसरी शाखाके अर्थात् चन्द्र-वंशी आर्य हिन्दुस्थानमें आकर सरस्वतीके तटसे भीतर घुसे और यमुना-तटसे होते हुए दक्षिणमें फैल गये । पंजाब और अयोध्या-मिथिला अर्थात् पूर्व और पश्चिममें बसनेका उन्हें अवकाश ही नहीं मिला । अस्तु, कुरु-पांचालों और कोसल-विदेहोंमें भेद था, यह बात मैकडानलने भी स्वीकार कर ली है । कुरु शब्दकी टिप्पणीमें उसने थोड़ी शंका प्रदर्शित की है और उसे शतपथ ब्राह्मणकी उस कथाका आधार दिया है, जिसमें लिखा है कि सरस्वती-तटसे पूर्वमें सदानीरा-तटतक आर्योंकी अग्नि पहुँचायी गयी थी । मैकडानलने इस कथासे यह अनुमान किया है कि ये (कुरुपांचाल और कोसल-विदेह) लोग एक ही थे, दो नहीं थे । किन्तु यह अनुमान ठीक नहीं है । हो सकता है कि यह कथा पहिले आये हुए आर्योंके बसनेके समयकी हो । शतपथ ब्राह्मण अ० ४-१-१० में कथा यह है कि विदेहका राजा माठन्य मुँहमें अग्नि रखकर सदानीरा नदीके तटतक गया, वहाँ गोतम रहूगणके एक प्रश्न करनेके कारण उसे मुखसे अग्नि निकाल कर नीचे रखनी पड़ी । फिर वह आगे नहीं बढ़ा । तबसे कोई ब्राह्मण

सदासीरा नदी नहीं लांघता । पुराणोंसे यह सिद्ध है कि कोसल-विदेह राजा सूर्यवंशी थे और रामायणसे प्रमाणित होता है कि मिथिलाधिपोंके पुरोहित गोतमकुलके ऋषि थे । अतः यह कथा पहिलेके आर्योंसे सम्बन्ध रखती है । इसके अतिरिक्त उसमें कुरु-पांचालोंका उल्लेख नहीं है । यह भी नहीं कहा है कि माठव्य विदेह कुरुवंशी या पूरुवंशी था । कोसल-विदेहोंकी भाषा और पौराणिक प्रमाणोंसे यही सिद्ध होता है कि वे सूर्यवंशी क्षत्रिय थे और पञ्जाबके क्षत्रियोंसे सम्बद्ध थे । ब्राह्मण-कथाका इस सिद्धान्तसे विरोध नहीं है । कोसल-विदेह तत्त्वज्ञानमें कैसे भ्रमसर थे, यह उपनिषद्के याज्ञवल्क्य-जनकके संवादसे ही स्पष्ट हो जाता है । आगे चलकर बुद्ध-महावीर जैसे वेद-विरुद्ध नये मतोंके संस्थापकोंकी जन्म-भूमि और कर्मभूमि कोसल-विदेह ही रही । उल्टे कुरु-पाञ्चाल-भूमि वैदिक विद्या और वेद धर्मका पालन करनेवाले कर्मठ तथा आस्तिक्य सताभिमानियोंकी भूमि थी, यह ब्राह्मण-महाभारतादि ग्रन्थोंसे सिद्ध है ।

अनु और दुह्युके वंशोंका वृत्तान्त लिखना शेष रह गया है । दुह्यु-ओंका स्वतंत्र उल्लेख ऋग्वेद सण्डल ८, सूक्त १० में और पूरु तथा दुह्यु दोनोंका एक साथ उल्लेख ६-४६ में हुआ है । (यद्वा तृक्षो मववन्दुह्य-विजने यत्पूरौ यच्च वृण्यम् ॥ ८ ॥) यह उल्लेख दोनोंके अनुकूल है । इससे प्रतीत होता है कि दुह्यु राजा भी पूरुओंकी तरह ऋग्वेदके ऋषियोंको मान्य हो गये थे । ऋग्वेद अथवा ब्राह्मण-ग्रन्थोंमें इनका इससे अधिक कहीं उल्लेख नहीं है । महाभारतमें गान्धारोंका उल्लेख है । पुराणोंने गान्धारोंको दुह्यु-कुलोत्पन्न माना है । इस मतके मान लेनेमें कोई हानि नहीं । गान्धारोंका राज्य सिन्धु नदीके उस पार था । जब कि पञ्जाबमें धीरे धीरे चन्द्रवंशियोंके राज्य स्थापित हो गये थे, तब सिन्धु-के उस पारतक उनका फैलना असम्भव नहीं कहा जा सकता । ग्रीकोंके समयमें जैसे मद्र, केकय आदि सूर्यवंशियोंके राज्य थे, वैसे पौरव आदि कुछ चन्द्रवंशियोंके भी थे । तब कोई आश्चर्य नहीं कि ब्राह्मण-कालके मध्यात्त दुह्युका वंश गान्धारमें प्रस्थापित हुआ हो । अनुका वंश ऋग्वेद-

कालमें ही प्रबल हो गया था । उसकी अग्रिका ८-४६ में स्वतन्त्र उल्लेख है । यथा—

“आगन्म वृत्रहन्तमं ज्येष्ठप्रश्निमानवम् ।”

इस सूक्तका कर्ता आत्रेय ऋषि है और इसमें आर्क्षश्रुतर्वाकी दान-स्तुति की गयी है । अब देखना चाहिये कि ऋक्षपुत्र श्रुतर्वा किस वंशमें उत्पन्न हुआ था । उत्तर वैदिक साहित्यमें आनवोंका उल्लेख नहीं है । पुराणोंके वर्णनोंसे ज्ञात होता है कि अनुवंशमें बहुतसे प्रसिद्ध कुल हुए हैं । त्रिवि औशीनरका नाम प्रसिद्ध है । महाभारतमें लिखा है कि वह १६ प्रसिद्ध अश्वमेध-कर्ताओंमेंसे एक था । यहाँतक चन्द्रवंशी क्षत्रियों अर्थात् यदु, सुर्वश, अनु, दुह्यु और पूरके वंशोंका ऋग्वेदके आधारसे विचार किया गया है । अब उसका सिंहावलोकन कर लेना उचित जान पड़ता है ।

भाषाविज्ञान और शीर्षभाषन शास्त्रके सिद्धान्तोंके अनुसार डाक्टर ग्रिगर्सन और सर एच० रिस्लेने भारतवासियोंकी जो जाँच की, उससे डाक्टर होर्नलके मतको पुष्ट कर इम्पीरियल गेजेटियरने यह निचोड़ निकाला कि हिन्दुस्थानमें प्राचीनकालमें आर्योंकी दो टोलियाँ जुदे जुदे रास्तोंसे जुदे जुदे समयमें आयीं और विभिन्न भूभागोंमें बस गयीं । पहिली टोलीके लोगोंके सिर लम्बे थे । वे पंजाबसे मिथिलातक फैल गये । उनके वंशज वर्तमान समयमें पंजाब, राजपूताना, अवध और बिहारमें विद्यमान हैं । पूर्वी हिन्दी, अवधी और बिहारी भाषा है, जो पंजाबी और राजस्थानी भाषासे मिलती जुलती है । पश्चिमी हिन्दी इससे भिन्न है । आर्योंकी दूसरी टोली चौड़े सिरके लोगोंकी थी । वह वायव्यसे नहीं, किन्तु उत्तरसे यहाँ आयी और प्रथम सरस्वतीके तटपर बस गयी । पश्चिम और पूर्व अर्थात् पंजाब और अवधमें बसनेका उसे अवकाश न मिलनेके कारण वह दक्षिणमें बढ़ी और यहाँके आदिम निवासी द्रविड़ोंसे अधिक मिश्रित हो गयी । वर्तमान समयमें युक्त प्रान्त और मध्य प्रान्तके लोग आर्योंके द्रविड़मिश्रित वंशज हैं । अम्बाला, काठियावाड़ और जबलपुरसे बने त्रिकोणमें वे अधिक पाये जाते हैं । उनकी भाषा पश्चिमी हिन्दी है ।

पौराणिक कथाओंसे भी यही ज्ञान पड़ता है कि हिन्दुस्थानमें दो आर्य-वंश आये थे—पहिला सूर्यवंश और दूसरा चन्द्रवंश। सूर्यवंश पहिले आया और चन्द्रवंश पीछेसे। अवध-बिहारके कोसल-विदेह राजा सूर्यवंशी और कुरु, पांचाल, शौरसेन, चेदि आदि सरस्वती तथा यमुनाके तटोंपर बसे हुए क्षत्रिय चन्द्रवंशी थे। पुराणोंसे भी सिद्ध है कि यहाँ पहिले सूर्यवंशी और पश्चात् चन्द्रवंशी आर्य आये थे। इस प्रकरणमें देखना गढ़ था कि इस सिद्धान्तकी ऋग्वेद और उसके बादके वैदिक साहित्यमें कहाँ तक आधार मिलता है। ठीक विचार करने पर वेदोंसे जैसा कुछ यह सिद्धान्त पुष्ट हुआ है, उसका सारांश नीचे दिया जाता है।

ऋग्वेदमें भरत नामका बार बार उल्लेख हुआ है। ये कौन थे और आगे इनका क्या हुआ, इसका पता लगानेमें पाश्चात्य विद्वान् वैदिक ध्वक्तरमें आ गये हैं। मैकडानलने 'वैदिक इण्डेक्स' में कुरु शब्दपर जो टिप्पणी लिखी है, उसमें बताया है कि बहुतसे लोगोंके मतसे भरत कुरुओंमें सम्मिलित हो गये थे। परन्तु भाषाविज्ञान, शीर्षसापन शास्त्र और पुराण-परम्परासे यही सिद्ध होता है कि यहाँ प्रथम आये हुए सूर्यवंशी क्षत्रिय आर्य ही ऋग्वेदके भरत हैं। भरत और सूर्यवंशी क्षत्रिय एक ही होनेके अनेक प्रबल प्रमाण मिलते हैं। प्रथमतः भरतोंके पुरोहित वसिष्ठ कुलके त्रित्सु थे। पुराणोंमें सूर्यवंशी क्षत्रियोंके पुरोहित वसिष्ठ-कुलोत्पन्न ही कहे गये हैं। द्वितीयतः, ऋग्वेदमें भरतोंका राजा सुदास माना है। रामायणमें रामके पूर्वजोंमें सुदास नाम है और पौराणिक सूर्यवंशावलीमें भी सुदासका नाम है। ऋग्वेदमें सुदासका पिता दिवोदास बताया है, पुराणोंमें यह बात नहीं है। ऋग्वेदमें सुदासके पूर्वजोंका क्रम सुदास पैजवन, दिवोदास और वध्यथ इस प्रकार बताया है। जिनके नामके पीछे अथ शब्द हो, ऐसे नाम प्रायः सूर्यवंशमें हैं। उनका 'अस्पीज' इस अर्धयुक्त पर्शियन नामोंसे सम्बन्ध है। ऋग्वेद ६-६१ और १०-१९ में वर्णित वध्यथ सूर्यवंशी राजा था। तृतीयतः, ऋग्वेदमें विश्वामित्रको भरतोंका ऋषि कहा है और पुराणोंमें भी वह सूर्यवंशसे सम्बन्ध-युक्त है। परन्तु पुराणोंसे रामायणका विरोध है। रामायणमें कहा है

कि विश्वामित्रका पूर्वज कुशिक साक्षात् प्रजापतिका पुत्र था । कुशिकका नाम ऋग्वेदमें भी है । पुराणोंमें विश्वामित्रकी चन्द्रवंशमें दो प्रकारसे उत्पत्ति वर्णन की गयी है । पुराणोंकी यह परम्परा पीछेसे गढ़ी गयी है और रामायणसे विरुद्ध होनेके कारण त्याज्य है । चतुर्थतः, पुरुकुत्स और त्रसदस्यु भरतोंके राजा थे । ब्राह्मणमें उन्हें ऐक्षवाक कहा है और पुराणोंमें वे सूर्यवंशमें ही गिने गये हैं । पंचमतः, कुरुश्रवण त्रसदस्यव (त्रसदस्युका पुत्र) था । कुरु शब्दसे उसे कोई कोई कुरुवंशी मानते हैं, परन्तु यह ठीक नहीं है । इन पाँच कारणोंसे ऋग्वेदके भरत और पुराणोंके क्षत्रियोंके हम एक ही समझते हैं । भरत शब्दसे बड़ा भ्रम हो जाता है । कुछ पाश्चात्य विद्वान् सूर्यवंशी भरतको महाभारतका भरत मान लेते हैं । परन्तु ब्राह्मणमें जहाँ तहाँ महाभारतके भरतको दौष्यन्ति भरत कहा है । पुराणोंमें भी लिखा है कि यह देश (भारतवर्ष) जिसके नामसे प्रसिद्ध हुआ, वह भरत स्वायम्भुव मनुका प्रपौत्र था । निरुक्तकारने भरत का अर्थ मनु अथवा सूर्य किया है । अतः ऋग्वेदके भरत सूर्यवंशी ही थे । आगे चलकर वे इतने फैल गये कि ऐतरेय ब्राह्मणमें भरत शब्द सामान्य वीरके अर्थमें प्रयुक्त हुआ है । निरुक्तकारके मतसे ऋग्वेदमें भरत शब्द कुरु शब्दकी तरह सामान्य ऋत्विज् (याजक)-वाचक है और यज्ञ-प्रसङ्गमें, कुरुके बदले भरत शब्दको रखकर भी मन्त्रोच्चार किया जा सकता है (वेदिक इण्डेक्स) । सूक्तकारके इस वचनका अर्थ मैकुडानलकी समझमें नहीं आया । इसका अर्थ यह है कि यज्ञमें कुरुकी तरह भरत भी सम्मिलित किये जा सकते हैं । इससे यह भी सिद्ध होता है कि दोनों भिन्न वंशोंके थे और भरत सूर्यवंशी आर्य थे ।

दूसरी टोलीके आर्यों अर्थात् चन्द्रवंशियोंके सम्बन्धमें बहुत मतभेद नहीं है । उनकी यदु, तुर्वश, अनु, वृह, और पूर इन पाँच प्रमुख शाखाओंका उल्लेख ऋग्वेदमें है । पूरका आगे चलकर इतना उत्कर्ष हुआ कि भरतकी तरह पूर शब्द भी साधारण वीर अथवा ऋत्विज्-वाचक बन गया । रामका उल्लेख ऋग्वेदके एक सूक्तमें है । ❀ श्रीकृष्णका उल्लेख

❀ रामका नाम १० वें सूक्तमें है । मैकुडानलके मतसे यह एक अज्ञात पुरुष है । परन्तु वेन आदि राजाओंके साथ रामका उल्लेख होनेसे

छान्दोग्योपनिषद्में है। यह निर्विवाद है कि श्रीकृष्ण ऋग्वेदके पश्चात् हुए थे। भारती युद्धसे कुछ ही वर्ष पूर्व व्यासने वेदोंका संकलन किया था, यह अनुमान यथार्थ है। इसीसे भारती युद्धके प्रसिद्ध व्यक्तियोंके नाम ऋग्वेदमें नहीं, ब्राह्मण ग्रन्थोंमें आये हैं। ब्राह्मणमें कुरु-पांचाल, उत्तराष्ट्र, जनमेजय, परीक्षित और श्रीकृष्णके नाम हैं। ये सभी चन्द्रवंशी थे। जब यदु, पुरु आदिका उल्लेख ऋग्वेदमें है, तब इनके पूर्वज पुरुरवा, गहुष और ययातिका भी उल्लेख हो तो आश्चर्य ही क्या है? इनका पूर्वज ययाति था, इसमें मैकडानलको सन्देह है। (वेदिक इण्डेक्समें ययाति शब्द देखो) यह सही है कि ऋग्वेदमें कहीं स्पष्ट नहीं लिखा है कि यदु, पुरु आदि ययातिके पुत्र थे, परन्तु १-२५ सूक्तसे ऐसा सम्बन्ध प्रतीत होता है। यह सूक्त हिरण्यस्तूप आंगिरसका है और आंगिरसका सम्बन्ध चन्द्र-वंशियोंसे अधिक था। इस सूक्तकी चौथी ऋचासे पुराणोंकी चन्द्र-सूर्य-वंशकी कल्पना समुचित जान पड़ती है। इसमें कहा गया है कि अग्नि प्रथम आंगिरसके निकट और फिर मनु तथा पुरुरवस्के निकट प्रकट हुई थी, यथा—“त्वमग्ने मनवे यामवाशयः पुरुरवसे सुकते सुकृत्तर ।” इससे स्पष्ट है कि मनु और पुरुरवम् प्रसिद्ध अग्निर्जक और सूर्यचन्द्रवंशीय थे। १७ वीं ऋचा अधिक महत्त्वकी है। उसमें पहिली ऋचाओंके सिलसिलेमें कहा है—“मनुष्वदग्ने आङ्गिरस्वदङ्गिरो ययातिवत्सदने पूर्ववच्छुचे ।” “हे अग्ने ! आप मनु ही तरह, आङ्गिरसकी तरह, ययातिकी तरह अमुक कार्य करें ।” इस कथनमें पहिलेके पुरुरवस्के स्थानपर ययातिका उल्लेख हुआ है। अर्थात् वंशीके वंशका होनेसे वह योग्य है। आजमीडका नाम ऋग्वेदमें है और महाभारतमें कौरव-पाण्डवोंको आजमीड कहा है। सारांश, ऋग्वेदमें चन्द्रवंशके सब प्राचीन प्रसिद्ध राजाओंके नाम आ गये हैं। उन्हींको पुराणोंमें चन्द्रवंशी कहा है।


ऋग्वेदमें दो वंशोंके आयोंका तो उल्लेख है, किन्तु चन्द्रसूर्यवंशोंका नाम नहीं है। ये पुराणोंके गढ़े नाम हैं और आजतक माने जा रहे हैं।

यह निश्चित है कि वह एक राजा था। पुराणोंमें एक मात्र अयोध्याका ही राम राजा वर्णित है, अन्य नहीं।

ये कैसे रुढ़ हुए, इसका थोड़ा विचार कर लेना उचित है। प्रसिद्ध वीर पुरुषोंकी उत्पत्ति देवताओंसे, विशेषतया सूर्यचन्द्रादि प्रत्यक्ष देवताओंसे हुई है, यह धारणा प्राचीन लोगोंकी, किम्बहुना अर्वाचीन लोगोंकी भी है। यह प्रसिद्ध है कि ग्रीक लोग आकिलीज आदि वीरोंकी उत्पत्ति सूर्यादि देवताओंसे मानते थे। आधुनिक समयमें अजटेक लोग स्वानिशोंको सूर्यपुत्र समझते थे। तब यदि पुराणोंने आर्योंकी दो शाखाओंको सूर्य-चन्द्रवंशी मान लिया, तो आश्चर्यकी क्या बात है? ऋग्वेदमें मनुको विवस्वान्का पुत्र और भरतको मनु अथवा साक्षात् सूर्य कहा है। इस वैदिक कल्पनासे सिद्ध है कि ऋग्वेदीय भरत सूर्यवंशी थे। उनके विरोधके कारण पुरूरवाके वंशज चन्द्रवंशी माने गये। दूसरी कल्पना इस प्रकार हो सकती है कि पुराणकालमें पहिली आर्य टोलीके राज्य अवध-मिथिलामें—पूर्वमें—थे, इस कारण उस टोलीके लोग पूर्व दिशाके अधिपति (सूर्य) के वंशके और दूसरी टोली उत्तरसे अथवा उत्तर कुरुसे आयी थी, इस कारण उस टोलीके लोग उत्तर दिशाके अधिपति सोम अथवा चन्द्रके वंशके माने गये। तीसरी उपपत्तिका विवरण हमने अपने 'महाभारतका उपसंहार' नामक ग्रन्थमें विस्तारपूर्वक लिखा है। एक टोलीके लोग वर्षमान सौर और दूसरी टोलीके लोग चान्द्र मानते थे (भारती युद्धके आरम्भिक भगड़ेसे यह बात स्पष्ट है)। इस भेदसे भी सूर्यचन्द्रवंशोंकी कल्पना की जा सकती है। यजुर्वेदसे ज्ञात होता है कि वैदिक समय अर्थात् भारती युद्धके समयमें दोनों प्रकारके वर्षमान (३५४ दिनोंका चान्द्र और ३६५ दिनोंका सौर) भारतवर्षमें प्रचलित था। सम्प्रति भारतवर्षमें चान्द्र मान और सौर मान दोनों प्रचलित हैं। परन्तु पाण्डवोंने चान्द्र वर्षमानके अनुसार तेरह वर्षोंका वनवास पूर्ण किया था। पाण्डवोंके सब सहायक और सब चन्द्रवंशी क्षत्रिय इसी वर्षमानको मानते थे। परन्तु महाभारतसे ज्ञात होता है कि उनके शत्रु पंजाब और अवधके राजा प्रायः सौर वर्ष ही मानते थे। इससे भी अनुमान होता है कि चन्द्र-सूर्यवंशोंके नामकरणका यही कारण होगा।

(२) थानेके शिलाहारोंका एक नवीन ताम्रपट ।

प्रोफेसर वेलनकर (विलसन कालेज) को थानेके शिलाहारोंका—
 शक ९१५ अर्थात् ईसवी सन् ९९३ (वि० १०५०) का अपराजित देव
 राजाके समयका एक ताम्रपट मिला है, जिसे वे शीघ्र ही प्रकाशित करने-
 वाले हैं। इस लेखमें राष्ट्रकूटोंकी पूरी विश्वसनीय वंशावली है। थानेके
 शिलाहार राष्ट्रकूटोंके माण्डलिक थे और राष्ट्रकूटोंके माण्डलिक होनेमें उन्हें
 अभिमान था। उन्होंने अपने सम्राटके वंशका गुणवर्णन इस लेखमें
 किया हो, तो क्या आश्चर्य है? अन्तमें ककल राजाको हराकर तैलप
 चालुक्यने रट्ट राज्य नष्ट किया, इसलिये लेखमें दुःख प्रकट किया है।
 इस पुस्तकमें जो वंशावली हमने दी है, उससे उक्त लेखकी वंशावली भिन्न
 नहीं किन्तु पोंगक ही है। अतः वह वंशावली हम यहाँ उद्धृत करते हैं।
 नामोंके साथ दिये हुए १, २, ३ आदि अंक क्रमसूचक हैं।



इस प्रकार यह वंशावली है । केवल ध्रुवपुत्र गोविन्द इसमें अधिक है । शेष पूरी वंशावली इस पुस्तकमें पहिले दी हुई वंशावलीके समान ही है । ताम्रपटमें ११ वें राजा कृष्णका बहुत वर्णन है । एक श्लोकमें कहा है कि तम्रय भारतवर्ष अर्थात् हिमालयसे लंकातक और पश्चिमाद्रिसे पूर्वोदितक इसके अधिकारमें था । उससे पहिलेके श्लोकमें यह बताया है कि उस समय भारतवर्षमें कौन कौनसे बड़े राज्य थे । हमने उस समय के राज्योंकी स्थितिका जैसा वर्णन किया है, वह इस श्लोकसे ठीक मिलता है । वह श्लोक इस प्रकार है—

“चोलो लोलो भिया भूद्वजपति रपतजाह्नवीगह्वा रान्तः ।

वाजीशस्त्रासशेषः समभवदभवच्छैलरन्ध्रे तथान्ध्रः ॥

पाण्ड्येशःखण्डितोऽभूदनुजलधिजलं द्वीपपालाः प्रलीनाः ।

यस्मिन्दत्तप्रयागे सकलमपि सदा राजकं न व्यराजत् ॥”

जो राजा गङ्गीपर विराजमान हो, उसका अतिशयोक्तिपूर्ण गुणवर्णन तो प्रायः किया ही जाता है; किन्तु कङ्कल-राज्यके नष्ट-भ्रष्ट हो जाने पर उसके माण्डलिकने कृष्णराजका जब कि अभिमानयुक्त वर्णन किया है, तब उसमें विशेषता अवश्य ही है । श्लोकमें प्रथम पूर्वकी ओरके चोलोंका वर्णन है । उस समय चोल प्रबल थे । फिर कहा है कि गजराज जाह्नवीके गङ्गामें छिप गये । यह बंगालके पालोंको लक्ष्य कर कहा है । तब बंगालके पाल पूर्वमें प्रबल थे और उनके पास गजसेना विपुल थी, यह तो अरबी लेखकोंने भी लिखा है । फिर वाजीशों अर्थात् कन्नौजके प्रतिहारोंका वर्णन है । उनके पास अश्वदल बहुत था । वे मारवाड़की मरुभूमिके मूलनिवासी होते हुए भी उस समय उत्तरके सम्राट् थे । दक्षिणमें पाण्ड्य प्रबल थे और आन्ध्रोंका राज्य पूर्वी घाटके निकट अर्थात् वर्तमान निजाम राज्यके पूर्व भूभागमें था । सारांश, इस श्लोकमें उस समयके राज्योंकी स्थिति भली भाँति प्रतिबिम्बित हुई है । गजपति और हयपति विशेषण बंगाल और कन्नौजके हैं जो सार्थक हैं । आगे चलकर उनके ये ही विरुद्ध रूढ़ हो गये ।

इस दानपत्रमें रट्ट राज्य मालखेड़के राष्ट्रकूटोंके राज्यके लिए लिखा गया है । वह ठीक भी है । रट्ट राज्य मराठोंका प्राचीन राज्य था और एक

सहस्र वर्ष बादके मराठी राज्यकी तरह भारतवर्ष भरमें फैल गया था । स्कन्द पुराणमें रट्ट राज्यका उल्लेख है । अन्यत्र कहीं यह शब्द नहीं देख पड़ा, केवल इसी लेखमें देख पड़ता है । इससे प्रतीत होता है कि यह शब्द महाराष्ट्रके लिए रूढ़ हो गया था । 'मराठाराज्य' शब्दका प्रयोग अबोंने किया है और इस दानपत्रमें भी है । अतः स्कन्द पुराणका रट्ट राज्य यही मराठा राज्य है । एक बात और निश्चित हो जाती है कि स्कन्द पुराणका उपलब्ध संस्करण राष्ट्रकुटोंके पश्चात् अथवा उनके पतनके समय अर्थात् ईसाकी दसवीं शताब्दी (वि० ९५८—१०५७) में तैयार हुआ है । दन्तिवर्माके पूर्व अर्थात् ईसवी सन् ७५३ (वि० ८१०) से पहिले रट्ट राज्य नहीं था, न रट्ट शब्द ही रूढ़ हुआ था । इससे सिद्ध है कि स्कन्द पुराण इसके बाद बना है ।

अन्तिम बात यह है कि शिलार क्षत्रिय समझे जाते थे । चन्द्रकी ३६ क्षत्रिय कुलोंकी सूचीमें यह नाम है । शेलार इस समय मराठोंमें हैं, राजपूतोंमें नहीं । सूचीके ३६ कुलोंमेंसे कुछ कुल—राठौर, चालुक्य आदि—मराठोंमें भी हैं; किन्तु शेलार क्षत्रिय केवल मराठोंमें ही हैं । इससे स्पष्ट है कि दसवीं सदी तक मराठा राजा क्षत्रियोंमें गिने जाते थे । देश-भेदसे ब्राह्मण-क्षत्रिय-वैश्योंमें भिन्नता और नीच-ऊँचका भाव दसवीं शताब्दीके पश्चात् उत्पन्न हुआ । पंच-द्राविड़, पंच-गौड़, राजपूत-मराठा, वैश्य-बनियाँ आदि भेद दसवीं शताब्दीके पश्चात् हुए हैं । उक्त लेख और अन्य लेखोंसे जान पड़ता है कि शेलार अपनेको जीमूतवाहनके 'शज मानते हैं । सूर्य-चन्द्र वंशोंसे यह एक भिन्न वंश है । परन्तु यह लेख चन्द्रसे तीन सौ वर्ष पहिलेका है । जीमूतवाहन नागवंशी नहीं था । नाग खानेवाले गरुड़से नागोंको छुटानेवाला शिवका एक गण था । इस लेखमें जिस ब्राह्मणको भूमि दान की है, उसके गोत्र और शाखाका उल्लेख है । तबतक देशस्थ, कोंकणस्थ (अथवा सरवरिया, कनौजिया) आदि भेद उत्पन्न नहीं हुए थे ।

अस्तु, इतना और कह कर कि इस लेखमें पूना, खेड़ और कोंकणके चिपलूख गाँवका भी उल्लेख है, हम यह टिप्पणी समाप्त करते हैं ।

(३) अर्वाचीन भाषाओंकी उत्पत्ति ।

भारतवर्षकी वर्तमान समयमें प्रचलित भाषाओंका साहित्य कितना पुराना है, इस सम्बन्धमें डाक्टर ग्रियर्सनने अपने लिंग्विस्टिक सर्वे आव इण्डिया के नामक ग्रन्थमें जो विवेचन किया है, उसके कुछ अवतरणोंका अनुवाद यहाँ प्रकाशित किया जाता है ।

कानड़ी—इस भाषाके सबसे प्राचीन ग्रन्थ १० वीं शताब्दीके हैं । जैन ग्रन्थकारोंके प्रयत्नसे कानड़ी साहित्यका प्रारम्भ हुआ । पहिलेके कानड़ी साहित्यिक ग्रन्थ संस्कृत साहित्यके अनुकरणसे रचे गये । कानड़ी साहित्यके, कालक्रमके अनुसार, तीन भाग हैं । (१) पुरानी कानड़ीके ग्रन्थ १० वीं सदीसे १३ वीं सदीतक बने । इस समयके प्रधान ग्रन्थ संस्कृत छन्दःशास्त्र और व्याकरण शास्त्रके आधारपर ही लिखे गये । वे अत्यन्त कृत्रिम भाषापद्धतिके ग्रन्थ हैं और उनमें साम्प्रदायिकता ओतप्रोत है । उनकी भाषा पुरानी कानड़ी है और उसमें संस्कार बहुत किया गया है । संस्कृतके तत्सम शब्द बहुत हैं, उच्चारण भिन्न हैं और नामोंके रूप भी वर्तमान कानड़ीसे भिन्न हैं । इस साहित्यका उत्कृष्ट उदाहरण पंचका आदिपुराण है, जो ईसवी सन् ९४१ (वि० ९९८) में लिखा गया था । (२) मध्यकालीन कानड़ी १३ से १५ वीं सदी (वि० १२५८-१५५७) तककी है । इसमें नामोंके पुराने विभक्ति-प्रत्यय और वाक्यरचनाके प्रकारको बदल कर नये प्रत्ययों और वाक्यरचनाकी योजना की गयी है । (३) वर्तमान कानड़ीके साहित्यका आरम्भ १६ वीं सदी (वि० १५५८-१६७७) से हुआ है । इसमें वैष्णव मतकी कविताओंका अधिकांश भाग मध्यकालीन कानड़ीकी प्रणालीपर लिखा गया है । इसका साहित्य प्रधानतः शैव और लिंगायतोंके मतका है ।

(२) **तेलगू**—परम्परा बता रही है कि तेलगू भाषाका आदि ग्रन्थकार कण्व था । उसका ग्रन्थ उपलब्ध नहीं है । सम्प्रति जो सबसे

पुराना ग्रन्थ मिला है, वह लगभग सन् ९०० का है। उस समय चेंगूका राजा विष्णुवर्धन उर्फ राजराज नरेन्द्र तेलगू साहित्यका बड़ा अभिमानी था। तब भट्ट उसके दरबारमें था, जिसने तेलगू व्याकरण लिखा है और महाभारतका तेलगूमें भाषान्तर किया है। उसके ये दोनों ग्रन्थ उपलब्ध हैं (देखो, जिल्द ४ पृष्ठ ५८०)। हुणसंगका कथन है कि आन्ध्रोंकी भाषा भिन्न थी, किन्तु लिपि उत्तर भारतकी लिपिसे विशेष भिन्न नहीं थी। कुमारिलने आन्ध्रद्राविड़ी भाषाका उल्लेख किया है। (यह मत भ्रान्त जान पड़ता है, क्योंकि कुमारिलने केवल द्राविड़ी भाषाका उल्लेख किया है।)

(३) बङ्गाली—इसमें सन्देह नहीं कि प्राच्य मागधी भाषासे वर्तमान बङ्गाली भाषाकी उत्पत्ति हुई है। बङ्गालियोंके पूर्वज ८०० वर्ष पूर्व जिन शब्दोंका उच्चारण नहीं कर सकते थे, उनका उच्चारण वर्तमान बंगाली भी कर नहीं सकते ! 'क्षप्र' का उच्चारण पहिलेके बंगाली नहीं कर सकते थे, आजके बंगाली भी नहीं कर पाते ! 'स' का उच्चारण भी वे 'प' करते हैं। 'छ' यह संयुक्त व्यंजन उन्हें चक्रमें डाल देता है। इसके बदले उनके मुखसे 'फ' उच्चारण होता है। साहित्य-क्षेत्रमें उनका आदि ग्रन्थकार चण्डीदास १४ वीं सदी (१३५८-१४५७) में हुआ। उसने कृष्णकी स्तुतिमें गीत रचे हैं। (जि० ५, पृ. १५ देखें)

(४) पूर्वी हिन्दी—बहुत प्राचीन कालसे अवध प्रान्त साहित्यिक उलट-फेरोंका केन्द्र है। यहाँके साहित्यका वर्णन करना असम्भव है। इसके लिए अनेक ग्रन्थोंका अभ्यास करना होगा। परन्तु तुलसीदासजीने जब अपने अमूल्य ग्रन्थकी रचना की, तबसे अवधी भाषाको स्थिरता प्राप्त हुई है। (गोस्वामीजीके देहान्तका सन् १६२३—संवत् १६८०—है) इनके बादके सभी ग्रन्थकारोंने इन्हींका अनुकरण किया है। इनसे पहिले (सन् १५४०—वि० १४९७ में) मलिक महम्मद जायसीने पद्मावत महाकाव्य लिखा था। इसमें चित्तौड़के राणा रतनसिंहके पराक्रम तथा अलाउद्दीनके चित्तौड़पर किये आक्रमण और लूटका वर्णन है। (जि० ६ पृ. १३)।

(५) पश्चिमी हिन्दी—(राजपूताना और खानदेशके भील यद्यपि द्राविड़ी वंशके हैं, तथापि उन्होंने अपनी द्राविड़ी भाषा त्याग दी है । वे एक प्रकारकी पश्चिमी हिन्दी ही बोलते हैं, जो 'भीली' कही जाती है ।) राजस्थानी और मारवाड़ी भाषाका प्राचीन साहित्य बहुत है, परन्तु अबतक उसकी छानबीन अधिक नहीं हुई है । चन्द बरदाईका 'पृथ्वीराज रासो' सबसे प्राचीन ग्रन्थ समझा जाता है, परन्तु उसके सम्बन्धमें भी अभी सन्देह है । मारवाड़ी भाषाके साहित्यको डिंगल साहित्य कहते हैं । भीरा बाईकी कविता ब्रजभाषामें लिखी गयी है । यह 'पिंगल भाषा' के नामसे प्रसिद्ध है । (जि. ९ पृ. १५)

(६) मराठी—रामतर्क वागीश और क्रमदीश्वर दोनों प्राकृत ग्रन्थकारोंने 'दाक्षिणात्या' नामक महाराष्ट्र अपभ्रंशका उल्लेख किया है । परन्तु साहित्यदर्पणकारने 'दाक्षिणात्या' का अर्थ 'वैदर्भिका' किया है । वर्तमान मराठी इतनी पुरानी है कि उसीको दाक्षिणात्या और वैदर्भिका कदाचित् कहते हों । वर्तमान समयमें उपलब्ध सबसे पुराना मराठी शिलालेख सन् १११५ का है । इससे बहुत बड़ा और पुराना मराठी लेख (सन् १२०७ का) एपिग्राफिका इण्डिका जिल्द १ पृष्ठ ३४३ और जि० ९ पृ० १०९ में दिया गया है । (देखो जि० ७ पृ० १५)

(४) मनु और याज्ञवल्क्य इन दो स्मृतियोंके अतिरिक्त शेष महत्वपूर्ण स्मृतियोंके मध्ययुगीन समयकी सामाजिक अकृष्ट परिस्थितिके निदर्शक अवतरण ।

अत्रि—

१ राजन्यैः श्रपचैर्वापि बलाद्विचलितो द्विजः ।

पुनः कुर्वीत संस्कारं पश्चात्कृच्छ्रत्रयं चरेत् ॥

२ (यतिः) चरन्माधुकरीं वृत्तिमथ म्लेच्छकुलादपि ।

एकाग्रं नैव भोक्तव्यं बृहस्पति समो यदि ॥

- ३ गोकुले कतुशालायां तैलयन्त्रेक्षुयन्त्रयोः ।
अमीमांस्यानि शीचानि स्त्रीणां च व्याधितस्य च ॥
- ४ देवयात्रा विवाहेषु यज्ञप्रकरणेषु च ।
उत्सवेषु च सर्वेषु स्पष्टास्पृष्टिर्न विद्यते ॥
- ५ आरनालं तथा क्षीरं कन्दुकं दधिसक्तु च ।
स्नेहपक्वं च तर्कं च शूद्रस्यापि न दुष्यति ॥
- ६ आर्द्रमांसं घृतं तैलं स्नेहाश्च फलसम्भवाः ।
अन्त्यभाण्डस्थिता ह्येते निष्क्रान्ताः शुचिमाप्नुयुः ॥

विष्णु—

- १ परिणीयत्तु पण्मासान् वत्सरं वा न संविशेत् ।
औदुम्बरायणो नाम ब्रह्मचारी गृहे गृहे ॥
- २ शूद्रोपि द्विविधो ज्ञेयः श्राद्धी चैवेतरस्तथा ।
श्राद्धी भोज्यस्तथोरुक्तो अभोज्यस्त्वितरौ मतः ॥
- ३ त्रिदण्डलिङ्गमाश्रित्य जीवन्ति बहवो द्विजाः ।
न तेषामपवर्गोऽस्ति लिङ्गमात्रोपजीविनाम् ॥

उशना—

- १ विधिना ब्राह्मणः प्राप्य नृपायान्तु समन्त्रकम् ।
जातः सुवर्ण इत्युक्तः सानुलोमद्विजः स्मृतः ॥
- २ नृपायां विधिना निप्राजातो नृप इति स्मृतः ॥

आपस्तम्ब—

- ब्राह्मण्यासह योऽश्रीया दुच्छिष्टं वा कदाचन ।
न तत्र दोषं मन्यन्ते नित्यमेव मनीषिणः ॥
- २ उच्छिष्टमितरस्त्रीणामश्नीयात् स्पृशतेपि वा ।
प्राजापत्येन शुद्धिः स्याज्जगदानङ्गिरोऽब्रवीत् ॥
- ३ ब्राह्मणस्य सदा भुङ्क्ते क्षत्रियस्य तु पर्वणि ।
वैश्यस्य यज्ञदीक्षायां शूद्रस्य न कदाचन ॥
- ४ आममांसं मधु घृतं धानाः क्षीरं तथैव च ।
गुडस्तर्कं रसा ग्राह्या निवृत्तेनापि शूद्रतः ॥

- ५ शाकं मांसं मृगालानि तुम्बुरुः सक्तवस्तिलाः ।
रसाः फलानि पिण्याकं प्रतिग्राह्याहि सर्वतः ॥

संवर्त—

तस्याद्विवाहयेत्कन्यां यावन्नर्तुमती भवेत् ।
विवाहोष्टमवर्षायाः कन्यायास्तु प्रशस्यते ॥

कात्यायन—

अजात व्यंजनालोस्नी न तया सह संविशेत् ।
अयुग्मः काकबन्ध्याया जाता तां न विवाहयेत् ॥

बृहस्पति—

- १ बहुभिर्बसुधा दत्ता इत्यादि
दशहस्तेन दण्डेन त्रिंशदण्डाशिवर्तनम् ।
दशतान्येव विस्तारो गोचर्मैतन्महाफलम् ॥
(निवर्तन = ३०० हाथ और गोचर्म = ३००० हाथ)
२ वीरासनं वीरशय्या वीरस्थानमुपाश्रितः ।
अक्षय्यास्तस्य लोकाः स्युः सर्वकामगमास्तथा ॥

पराशर—

- १ अन्नता ह्यनधीयाना यत्र भैक्षचरा द्विजाः ।
तं ग्रामं दण्डयेद्वाजा चोरभक्तप्रदो हि सः ॥
२ षट्कर्मलहितो विप्रः कृषिकर्म च कारयेत् ।
क्षुधितं तृषितं श्रान्तं बलीवर्द्धं न योजयेत् ॥
३ राज्ञे दत्त्वा तु षड्भागं देवानां चैव विशकम् ।
विप्राणां त्रिशकं भागं सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥
४ क्षत्रियोपि कृषिं कृत्वा देवान् विप्रांश्च तोषयेत् ।
वैश्यः शूद्रस्तथा कुर्यात् कृषिवाणिज्यशिल्पकम् ॥

श्यास—

- १ ब्राह्मणक्षत्रियविश्वश्रयो वर्णाः द्विजातयः ।
श्रुतिस्मृतिपुराणोक्तधर्मयोग्यास्तु नेतरे ॥

- २ शूद्रो वर्णश्चतुर्थस्तु वर्णत्वाद्धर्ममहति ।
वेदमन्त्रस्वधास्वाहा वषट्कारादिभिर्विना ॥
- ३ वर्धकिर्नापितो गोपः आशायः कुम्भकारकः ।
वणिक्किरातकायस्थमालाकार कुटुम्बिनः भोज्यान्नाः ॥
- ४ ऊढायां हि सवर्णायामन्यां वा काममुद्वहेत् ।
तस्यामुत्पादितः पुत्रो न सवर्णात्प्रहीयते ॥
- ५ उद्वहेत्क्षत्रियां विप्रो वैश्यां च क्षत्रियो विशाम् ।
न तु शूद्रां द्विजः कश्चिन्नाधमः पूर्ववर्णजाम् ॥
- ६ नापितान्बन्धुमित्रान्द्वं स्त्रीणि दासगोपकाः ।
शूद्राणामप्यस्त्रीणां तु भुक्त्वान्नं नैव दुष्यति ॥
- ७ नास्त्रीयाद्वाह्याणो मांसमग्नियुक्तः कथंचन ।
कतौ श्राद्धे नियुक्तो वा अनश्नन्पतति द्विजः ॥
- ८ मृगयोपार्जितं मांसमभ्यर्च्य पितृदेवताः ।
क्षत्रियो द्वादशोर्न तत्क्रीत्वा वैश्योपि धर्मतः ॥

शंख—

- १ आपद्यपि न कर्तव्या शूद्रा भार्या कथंचन ।
तस्यां तस्य प्रसूतस्य निष्कृतिर्न विधीयते ॥

दक्ष—

- १ एको भिक्षुर्यथोक्तस्तु द्वौ चैव मिथुनं स्मृतम् ।
त्रयो ग्रामः समाख्याता ऊर्ध्वं तु नगरायते ॥
- २ नगरं नैव कर्तव्यं ग्रामो वा मिथुनं तथा ।
एतत्त्रयं तु कुर्वाणः स्वधर्माच्चयते यतिः ॥
- ३ नीरुजश्च युवा चैव भिक्षुर्नावसथार्हणः ।
स दूषयति तत्स्थानं वृद्धादीन्पीडयत्यपि ॥

गोतम—

- १ व्यवहारप्राप्तेन सार्ववर्णिकं भिक्षाचर्यमभिशास्तं पतितवर्जम् ।
- २ राज्ञे बलिदानं कर्षकैर्दशममष्टमं षष्ठं वा पशुहिरण्ययोरप्येके पञ्चाक्ष-
ज्ञागं विधाति भागः शुल्कः पण्ये मूले फलमधुमांसपुष्पौषधतृणेन्धनानां
षष्ठं तद्वक्षण्यत्रैतत्प्राप्तेषु तु नित्ययुक्तः श्यावः ॥

- ३ प्रशस्तानां स्वकर्मसु द्विजातीनां ब्राह्मणो भुंजीत प्रतिगृह्णीयात् ॥
 ४ वृत्तिश्चेन्नान्तरेण शूदान् पशुपालक्षेत्रकर्षककुलमंगतकारयितृपरि-
 चारका भोज्यान्ना वणिक् चाशिल्पी ॥

वसिष्ठ—

- १ आत्मन्नाणे वर्णसंकरे वा ब्राह्मणवैश्यौ शस्त्रमाददीयाताम् । क्षत्रियस्य
 तु नित्यमेव रक्षणाधिकारात् ।
 २ अष्टो ग्रासा मुनेर्भक्तं वानप्रस्थस्य षोडश ।
 द्वात्रिंशच्च गृहस्थस्य अमितं ब्रह्मचारिणः ॥
 ३ न मृगयोरिषुचारिणः परिवर्जमन्नम् । विज्ञायते ह्यगस्त्यो वर्षसाहस्रिके
 सत्रे मृगयो चचार तस्यासंस्तु । रसमयाः पुरोडाशा मृगपक्षिणां प्रश-
 स्तानामपि ह्यन्नम् ।
 ४ राजा सह नागरैश्च कार्याणि कुर्यात् ।
 ५ पाणिग्राहे मृते वाला केवलं मन्त्रसंस्कृता ।
 साचेदक्षतथोनिः स्यात्पुनः संस्कारमर्हति ॥

(५) महाराष्ट्रके मध्ययुगीन राजवंश मराठा क्षत्रिय थे ।

क्षत्रपति श्री शिवाजी महाराजके पिता शहाजीके समकालीन जयराम
 पिछयेकृत 'राधामाधवविलासचम्पू' नामक एक काव्य उपलब्ध हुआ
 है । उसका संशोधन करते हुए सुप्रसिद्ध इतिहाससंशोधक वि० का०
 राजवाड़ेने प्रस्तावनामें शहाजीका बहुत ही उत्कृष्ट चरित्र लिखा है ।
 उसके अन्तमें मराठा लोग महाराष्ट्रमें क्यों और कब आये और उनकी
 संस्कृति हीन होनेके कारण ईसवी सन् पूर्व २५० (वि० पू० १९३) से सन्
 १५०० (वि० १५५७) तक उन्हें पराधी सत्ताके अधीन कैसे रहना पड़ा,
 इसका उन्होंने विस्तारपूर्वक विद्वत्तापूर्ण विवेचन किया है । हम राज-
 वाड़ेजीकी बहुतसी बातोंसे सहमत नहीं हैं । विशेषतया उनके "महा-
 राष्ट्रियोंको उत्तरके उच्च संस्कृतिके लोगोंकी अधीनतामें लगभग १६००
 वर्ष पड़े रहना पड़ा" (पृष्ठ १७३) इस मतके हम विरोधी हैं और इस

पुस्तकमें इसका उत्तर देना आवश्यक समझते हैं । हमारे मतसे चालुक्य, राष्ट्रकूट, यादव आदि सच्चे मराठा क्षत्रिय वंश हैं । राजवाड़ेजी उन्हें उत्तरके पराये क्षत्रिय कहते हैं और लिखते हैं कि “चालुक्य आदिको हम पराये कहते हैं, इससे पाठकोंको आश्चर्य होगा ।” हमें इससे आश्चर्य ही नहीं सखेद आश्चर्य हुआ है । राजवाड़े जैसे महाराष्ट्राभिमानी, चिकित्सक, बुद्धिमान् संशोधकका यह विचित्र मत जानकर मराठी भाषाभाषी मात्रको सखेद आश्चर्य हुआ बिना न रहेगा । ध्यानमें रखना चाहिये कि डाक्टर भाण्डारकरने भी चालुक्य, राष्ट्रकूट आदि राजवंशोंको मराठा क्षत्रिय ही माना है । पुरानी परिपाटीके शास्त्री पण्डितोंके मतसे ये राजवंश मराठा हैं, किन्तु क्षत्रिय नहीं हैं । इसके विपरीत राजवाड़ेजी कहते हैं कि ये क्षत्रिय हैं, किन्तु मराठा नहीं हैं । पहिले पक्षके मतका हमने इस पुस्तकके पहिले भागमें और इस भागमें भी खण्डन किया है । दूसरे पक्षके मतका इस टिप्पणीमें खण्डन करना उचित होगा । अन्तमें पहिले पक्षके मतके खण्डनका भी उपसंहार कर दिया जायगा । यों देखा जाय तो महाराष्ट्रके ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य सभी उत्तरसे भाये हुए आर्य हैं । तब चालुक्य, राष्ट्रकूट, यादव आदि उत्तरके क्षत्रिय कहे जायँ, तो आक्षेपका कोई कारण नहीं है । परन्तु सब मराठे उत्तरके क्षत्रिय हैं, इसलिये उन्हें ‘पराये’ कैसे कहा जा सकता है ? मराठा आर्योंने जेताके नाते महाराष्ट्रमें अस्थायी निवास नहीं किया है, किन्तु यहां उन्होंने स्थायी उपनिवेश स्थापन किया है । वे विदेशी नहीं, महाराष्ट्रीय ही कहे जायँगे । दूसरी बात यह है कि विदेशी राजा अपनी सेना और प्रधान अधिकारी स्वदेशसे लाते हैं और उनका अन्तिम हेतु स्वदेश लौट जानेका ही होता है । ऐसा राज्य पूर्णतः पराया ही कहा जायगा । वर्तमान अंग्रेजी राज्य इसी तरहका है । अंग्रेजोंके सैनिक और अधिकारी प्रायः उन्हींके देशके होते हैं, जो यहाँ बस जाना पसन्द नहीं करते; स्वदेश लौट जाना ही चाहते हैं । मुसलमानोंका राज्य भी पराया ही था । उनके सिपाही, सरदार और राजनीतिज्ञ अरबस्थान, सीरिया, ईरान, ख़ुरासान और मोगल देशके हुआ करते थे । मुसलमान बादशाह और उनके बहुतसे

अधिकारी यहाँ बस गये, इस कारण उन्हें हम अंग्रेजोंकी तरह एकदम विदेशी तो नहीं कह सकते, फिर भी उनके फौजी और मुल्की अधिकारियों तथा व्यापारियोंका यहाँकी सम्पत्ति अपने देशमें ले जानेका ही लक्ष्य रहा । अतः उन्हें अधिकांशमें विदेशी मानना ही उचित है ।

प्राचीन और अर्वाचीन समयमें महाराष्ट्रका मौर्य राज्य, मगधका आन्ध्रमृत्योका राज्य अथवा दिल्ली और बंगालका मराठोंका राज्य, देश-वालोंका देशमें ही होनेपर भी, पराया ही था । उदाहरणार्थ, अर्वाचीन मराठा साम्राज्यके मुल्की और फौजी अधिकारी महाराष्ट्रके ही हुआ करते थे और उनकी दृष्टि महाराष्ट्रकी ओर ही रहा करती थी । वर्तमान गायकवाड़, होलकर, सिन्धिया आदिके गुजरात और उत्तर भारतके राज्य पराये नहीं कहे जा सकते; क्योंकि ये लोग उन्हीं देशोंमें रहते हैं, जहाँ उनके राज्य हैं । वे देश महाराष्ट्रसे बाहर हैं । उनके मुल्की और फौजी अधिकारी भी तद्देशीय ही होते हैं । उनकी दृष्टि महाराष्ट्रकी ओर कभी नहीं रहती । फिर भी उनके विवाह-सम्बन्ध महाराष्ट्रमें होते हैं, उनकी भाषा मराठी है और उनके बहुतसे सरदार और फौजी अफसर मराठा हैं । इस कारण उन्हें चौधार्ह पराये कहनेमें अत्युक्ति न होगी । पराये राज्यकी यही मीमांसा है । अब देखना चाहिये कि चालुक्य, राष्ट्रकूट, यादव आदि राजवंश और उनके उत्तरकी ओरके राज्य पराये थे या नहीं ।

उक्त मीमांसाके अनुसार चालुक्य-राष्ट्रकूट-यादवोंके राज 'श और राज्य कदापि पराये नहीं कहे जा सकते । सिन्धिया, होलकर, गायकवाड़की तरह वे चौधार्ह पराये भी नहीं थे । उनके फौजी और मुल्की अधिकारी महाराष्ट्रके बाहरसे नहीं आते थे । वे महाराष्ट्रमें स्थायी रूपसे रहते थे और उनकी दृष्टि कभी महाराष्ट्रके बाहर नहीं गयी । उनके विवाह-सम्बन्ध महाराष्ट्रमें ही होते थे । कभी कभी उत्तरके क्षत्रियोंके साथ भी वे विवाह-सम्बन्ध करते थे । परन्तु हम महाराष्ट्रके नहीं, उत्तर भारतके क्षत्रिय हैं, यह भावना उनमें कभी जागरित नहीं हुई । उन्हें पराये कहना निराधार है और उन्होंने जो पुरुषार्थ प्रकट किया, वह मराठा क्षत्रियोंका ही था । यह कहा जा सकता है कि इन राजवंशोंके सब साधन और दृष्टि स्वदेशी

होनेपर भी उनकी प्रचण्ड सम्बन्धी बुद्धि विदेशी वंशकी थी। वे नया उत्साह लेकर उत्तरकी ओरसे आये हुए उच्च संस्कृतिवाले क्षत्रिय थे। इसी दृष्टिसे राजवाड़ेजीने उन्हें क्षत्रिय माना है। परन्तु हम ऐसा मान लेनेको तैयार नहीं हैं। उत्तरके आर्य ईसवी सन् पूर्व लगभग ६०० में महाराष्ट्रमें आकर बसे। वे पाणिनिके पश्चात् और कात्यायनसे पहिले महाराष्ट्रमें आये, इसमें हमारा और राजवाड़ेजीका मतभेद नहीं है। दोनोंके मतोंमें अन्तर इतना ही है कि हमारे मतसे वे बुद्धपूर्व कालमें आये और राजवाड़े कहते हैं कि वे बुद्धके पश्चात् आये। परन्तु यहां यह विवाद वृथा है। इस सम्बन्धमें हमने अपना मत १९२३ के जनवरी मासके 'चित्रमयजगत्' में विस्तारपूर्वक प्रकाशित किया है। यहां विचार इस प्रश्नपर करना है कि ईसवी सन्के पूर्व जो प्रथम आर्य उत्तरसे महाराष्ट्रमें आये और यहां आकर मराठा बन गये, उन्हींमेंसे चालुक्यादि राजवंश हैं या वे नये उत्साहके उत्तरीय क्षत्रिय हैं जो अपने अपने राज्योंकी स्थापनाके समय महाराष्ट्रमें आये थे? इसलिये हरएक राजवंशकी छानबीन करना आवश्यक है।

प्रथम पूर्व चालुक्योंके पुलकेशी आदि राजवंशोंका विचार करें। इन्होंने महाराष्ट्रमें ईसवी सन् ५०० (वि० ५५७) के लगभग राज्य स्थापन किया। राजवाड़ेके मतसे ये नये आये हुए अवधके क्षत्रिय थे। परन्तु जिन लेखोंके आधारपर यह कहा जाता है, वे लेख बहुत पीछेके हैं और यह कल्पना नवीन है। पूर्व चालुक्योंके किसी लेखमें यह कल्पना नहीं है। इसका विस्तारपूर्वक विचार हमने इस इतिहासके पहिले भागमें (पुस्तक २, प्रकरण ९ में) किया है। चालुक्योंके अवधसे आनेकी कथा प्राच्य चालुक्योंकी वेंगी शाखाके लेखमें पीछेसे मिला दी गयी है। वह मनमदन्त है और पुराणोंके सूर्यचन्द्रवंशकी कल्पनाके अनुसार बनायी गयी है। वहां हमने सिद्ध किया है कि ये चालुक्य नये आये हुए क्षत्रिय नहीं, किन्तु पहिले आये हुए मराठा क्षत्रिय हैं। वह प्रकरण पाठकोंको पढ़ लेना चाहिये। शिला-ताम्रलेखोंकी सभी बातें सच्ची नहीं होतीं; विशेष-तया प्राचीन समयकी बातें काल्पनिक और दन्तकथान्मक होती हैं। उनके खरे-खोटेपनकी छानबीन कर लेनी चाहिये। महाराष्ट्रके चालुक्य मानव्य

गोत्री हैं और उत्तरके चालुक्योंसे भिन्न हैं। उनका गोत्र भारद्वाज है। उन्होंने यह कहीं नहीं लिखा है कि हम अवधसे आये हैं। दो-दाईं सौ वर्षोंके उनके राजत्व-कालमें यह बात कहीं नहीं लिखी गयी है। यह कल्पना प्रथम प्राच्य चालुक्योंके 'रणस्तिपुंडी' लेखमें सन् १०११ (वि० १०६८) में समाविष्ट की गयी है। अर्थात् यह कल्पना पूर्व चालुक्योंके राउयारम्भसे ५०० वर्ष पश्चात् प्रचलित हुई है। पल्लव, राष्ट्रकूट, कदम्ब, सेन्द्रक आदि विजुद्ध मराठा राजवंशोंसे इन चालुक्योंके सम्बन्ध हुए थे। इससे यह प्राचीन मराठाकुल था, इसमें सन्देह नहीं रह जाता।

दूसरा राजवंश राष्ट्रकूटोंका था। उसका राज्य सन् ७५० (वि० ८०७) के लगभग स्थापित हुआ। यह भी विदेशी क्षत्रिय घराना नहीं कहा जा सकता। राजवाड़ेके मतसे ये राष्ट्रकूट चेदि देशके रतनपुरसे आये हुए विदेशी क्षत्रिय थे। राष्ट्रकूटोंके लेखोंमें 'लट्ठूर परमेश्वर' शब्द रहता है। परन्तु यह नाम उन्हें कैसे प्राप्त हुआ, इसका निर्णय आज तक किसीने नहीं किया; यह हम इसी भागके पृष्ठ १४५ में लिख चुके हैं। राजवाड़े कहते हैं कि लट्ठूर चेदि देशका रतनपुर है। परन्तु हम इस बातको नहीं मानते। संस्कृत लेखोंमें मालखेड़का जिस प्रकार मान्यखेट रूप बनाया गया है, उस प्रकार लट्ठूरका रतनपुर रूप हो सकता है। परन्तु इस विवादप्रसक्त विषय-को हम यहीं छोड़ते हैं। अब यदि राष्ट्रकूटोंको चेदि देशसे आये हुए मान भी लें, तो यह महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठता है कि वे कब आये थे। उनका साम्राज्य सन् ७५० (वि० ८०७) के आसपास प्रस्थापित हुआ। उसी समय उनका आना सम्भव नहीं है। राष्ट्रकूटोंसे पूर्व-चालुक्योंने राज्य छीन लिया, इस सम्बन्धके अनेक लेख हैं। पूर्वचालुक्योंके ही लेखोंसे ज्ञात होता है कि महाराष्ट्रमें सन् ५०० (वि० ५५७) के आसपास राष्ट्रकूटोंका राज्य था (पहिला भाग-पुस्तक १, प्रकरण ९ देखें)। राष्ट्रकूटोंके लेखोंसे भी यही बात झलकती है। चालुक्योंसे पूर्व हमारा राज्य था और वह हमने फिर प्रस्थापित कर लिया, यह भावना इनमें जागरित थी। नित्यवर्षके शक ८३४ (सन् ९१२ = वि० ९६९) के एक लेखमें (जरनल बम्बई प्रांच, रायल एशियाटिक सोसाइटी-भाग १८, पृष्ठ २६०) राष्ट्रकूटोंके पहिले दम्तिदुर्गके सम्बन्धमें लिखा है—

“निमगनां यश्चलुक्वाब्धौ रटराज्यश्रियं पुनः ।

पृथ्वीमिवोद्धरन्धीरो वीर नारायणोऽभवत् ॥”

इससे स्पष्ट है कि पूर्व-चालुक्योंसे पहिले राष्ट्रकूटोंका राज्य था और सन् ४०० के आसपास वे महाराष्ट्रमें ही रहते थे। साम्राज्यस्थापनासे ३५० वर्ष पूर्व वे महाराष्ट्रमें ही थे। अतः उन्हें नये आये हुए उत्तरीय क्षत्रिय नहीं मान सकते। लेखोंसे यह स्पष्ट है कि उनके सम्बन्ध दक्षिणके चालुक्य आदि मराठोंसे हुआ करते थे। कई लेखोंसे यह भी जान पड़ता है कि पूर्व चालुक्य राष्ट्रकूटोंके सम्बन्धी थे।

हमारे मतसे राष्ट्रकूट सन् ४०० से भी पहिलेके महाराष्ट्रके निवासी हैं। जिन राष्ट्रकोंका अशोकके लेखमें उल्लेख है, वे ये ही राष्ट्रकूट थे। रट अथवा राष्ट्रकूटोंके ही कारण वह देश ‘महाराष्ट्र’ नामसे प्रसिद्ध हुआ। मराठोंका मूल शब्द राष्ट्र है। राष्ट्रसे ही वे रट अथवा राष्ट्रिक कहलाये। इनके लेखोंमें कहा है कि सातत्यकके वंशमें रट नामक एक राजपुरुष हुआ; उसके पुत्रका नाम राष्ट्रकूट था। उसीके नामसे यह वंश विख्यात हुआ। यह पीछे गढ़ी हुई कल्पना जान पड़ती है। वास्तवमें राष्ट्रकोंमें जो मुख्य हों, वे ही राष्ट्रकूट कहलाये। पिछले भागमें हमने कहा है कि यह शब्द साधारण रीतिसे प्रचारमें था। यह भी हमने बताया है (भाग १, पुस्तक ३, प्रकरण ११) कि प्राच्य चालुक्योंके लेखोंमें राष्ट्रकूट शब्द ‘मराठा पटेल’ के अर्थमें प्रयुक्त हुआ है। सारांश, राष्ट्रकूट अथवा रट बहुत पुराना शब्द है और इस शब्दसे राष्ट्रकोंका ही बोध होता है। पहिले उद्धृत किये हुए श्लोकसे यह सिद्ध है कि इनके राज्यको ‘रट राज्य’ कहते थे। कर्नाटकके विरोधके कारण ये मराठा कहाते थे। पहिले भागमें हमने यह भी कहा है कि कर्नाटकके ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य वास्तवमें मराठा अथवा महाराष्ट्रीय ही हैं। कर्नाटकी और मराठोंमें भेद नहीं है। यहाँ यह कह देना आवश्यक है कि पूर्व चालुक्य राज्य अन्तमें कर्नाटक राज्य माना जाने लगा। इसीसे राष्ट्रकूटोंके लेखमें उल्लेख है कि दन्तिदुर्गने चालुक्य कर्नाटकोंका राज्य थोड़े ही प्रयत्नसे ढाह दिया। (इस भागका पृष्ठ २३० और २५० देखें।) सारांश, चालुक्योंको, विशेषतया उत्तर चालुक्योंको,

कर्नाटकी कहा जा सकता है, राष्ट्रकूटोंको नहीं। वे असल मराठा थे। अस्तु, मजा यह है कि कितने ही लोग चालुक्य-राष्ट्रकूटोंको कर्नाटकी सिद्ध करना चाहते हैं, राजवाड़े उत्तरीय क्षत्रिय कहते हैं और हम उन्हें असल मराठा मानते हैं। सर्वानुमतिसे वे आर्य क्षत्रिय हैं, इसमें सन्देह नहीं। भेद इतना ही है कि उन्हें राजवाड़े उत्तरसे आये हुए कहते हैं और कितने ही इतिहासज्ञ दक्षिणसे आये हुए बताते हैं। हम तो उनकी गणना महाराष्ट्रमें आये हुए प्रथम आर्योंमें करते हैं।

अस्तु, हमारे मतसे राष्ट्रकूट क्षुद्र मराठा हैं। यादवोंके विषयमें भी यही बात है। वे श्रीकृष्णके वंशज थे, इसमें किसीका मतभेद नहीं है। उनका राज्य सन् ११०० (वि० ११५७) के लगभग स्थापित हुआ; इससे यह प्रश्न कठता है कि क्या वे नये आये हुए उत्तरीय क्षत्रिय थे? हेमाद्रिकी प्रशस्तिसे तो वे नये आये हुए नहीं जान पड़ते। हेमाद्रिका श्लोक इस प्रकार है—

“सर्वेपि पूर्वं मथुराधिनाथाः

कृष्णादितो द्वारवतीश्वरास्ते ।

सुबाहुसूनोरनु दक्षिणाशा—

प्रशासिनो यादववंशवीराः ॥”

इससे ज्ञात होता है कि सुबाहुके वंशज दक्षिणमें राज्य करने लगे। उनके कई वंशजोंके राज्य करनेपर सेऊण आदि राजाओंका उल्लेख है। अतः ये नये आये हुए उत्तरीय घोर नहीं माने जा सकते। जाधवोंका दक्षिणके चालुक्य आदि कुलोंसे सम्बन्ध था। अतः वे मराठा थे अथवा मराठा हो गये थे, यह सिद्ध है। ध्यानमें रखने योग्य बात यह है कि चालुक्य, राष्ट्रकूट, यादव ये कुलनाम दक्षिणी हैं, और न भी हों, तो उत्तरके कुल भिन्न हैं। उत्तरके चालुक्य भारद्वाज गोत्रके, राठौर सूर्यवंशी गोतम गोत्रके और जाधव भी भिन्न गोत्रके हैं।

चालुक्य, राष्ट्रकूट और यादव वंशोंको और उनके राज्योंको राजवाड़े पराये समझते हैं, तो शिवाजीके कुल और राज्यको वे पराया क्यों नहीं समझते? राजवाड़े इस बातको मानते हैं कि शिवाजीका जन्म सिसो-दिशा कुलमें हुआ था। जयराम पिङ्गयेने भी चंपूमें शहाजीका कुल सिसो-

दिया ही बताया है। अतः यह कहना कि यह कल्पना मंत्रियोंने शिवाजीके राज्याभिषेकके समय प्रचलित की, नितान्त भूल है। राजवाड़ेने यह बात भली भाँति सिद्ध की है, अतः सन्देहके लिए अवकाश ही नहीं रह जाता। हमने भी अपना यही मत इस भागके प्रथम प्रकरणमें ही प्रकट किया है। उक्त ग्रन्थ हमारे सामने नहीं था। परन्तु जब कि यह धारणा बहुत पुरानी है और शिवाजीसे पूर्वकी मराठोंकी सूचीमें भोंसले वंशका नाम नहीं है, तब यह बात ठीक जँचती है कि भोंसले महाराष्ट्रमें नये आये हुए राजपूत थे। भोंसलोंका गोत्र कौशिक और सिसोदियोंका वैजवाप है। एक ही वंशमें दो गोत्रोंका होना आश्चर्यजनक है। परन्तु हमारी समझमें यह गोत्र-भेद किसी अन्य कारणसे हुआ है। दक्षिणमें विज्ञानेश्वरके लेखसे लोगोंकी यह धारणा हो गयी है कि क्षत्रियोंका अपना कोई गोत्र नहीं है। वे पुरोहितके गोत्रका स्वीकार कर सकते हैं। भोंसलोंने भी इसी धारणाके अनुसार दक्षिणके अपने प्रथम पुरोहितका कौशिक गोत्र ग्रहण किया है। यह इस कारण भी ठीक जान पड़ता है कि शिवाजीके राज्यारोहणके समयमें उनका नवीन सिसोदिया वंश नहीं माना गया था। माना गया होता, तो उसका वैजवाप गोत्र भी स्वीकार कर लिया जाता। शहाजीके समयमें भी नये वंशकी कल्पना नहीं की गयी थी। उस समय उदयपुरका राज्य भी बहुत समृद्ध नहीं था, जिससे भोंसले सिसोदियोंने अपना सम्बंध सिद्ध करनेकी आवश्यकता समझते। इसमें सन्देह नहीं कि शिवाजीका भोंसला कुल सिसोदियोंके ही वंशके अन्तर्गत है; परन्तु यह कुल दो तीन सौ वर्षोंकी अवधिमें मराठाकुल बन गया था। उसके विवाह-सम्बन्ध मराठोंके साथ ही हुआ करते थे। भोंसलोंने राजपूतानेका कभी अभिमान नहीं किया और महाराष्ट्रमें ही स्वराज्यकी स्थापना करनेकी शिवाजीकी इच्छा थी। सारांश, भोंसलोंका महाराष्ट्र राज्य स्व-राज्य था, पर-राज्य नहीं। फिर जब कि राजवाड़ेजी चालुक्योंके राज्यको पर-राज्य मानते हैं, तब भोंसलोंके राज्यको पर-राज्य क्यों नहीं मानते ?

राजवाड़ेजीकी सबसे बड़ी भूल यह है कि वे मराठोंको संस्कृतिहीन समझते हैं। हमारे मतसे महाराष्ट्रके मराठा आर्य क्षत्रियों और नागवंशि-

योंकी मिश्र सन्तान हैं। नागवंशी आर्य हैं या नहीं, इस प्रश्नका विचार न करें तो भी यह निर्विवाद है कि वे द्रविड़ोंसे कुछ भिन्न हैं और उनकी शूरता तथा पुरुषार्थ-शक्ति द्रविड़ोंसे अधिक है। दक्षिणके तामिल लेखों और महाभारतसे भी यही बात सिद्ध होती है। महाभारतसे ज्ञात होता है कि नागोंका पाण्डवोंके साथ विद्वेष तक्षकसे आरम्भ हुआ और जनमेजयतक वह बराबर बना रहा। सर्पसत्रके समय बहुतसे नाग कुल नष्ट हुए और बहुतसे वच भी गये। राजवाड़े स्वयं कहते हैं कि महाभारतमें जिन नागकुलोंके नाम लिखे हैं, वे मराठोंके कुल-नामोंसे बहुत कुछ मिलते हैं। उनके और सूर्य-चन्द्रवंशी क्षत्रियोंके मिश्रणसे वर्तमान मराठा हुए हैं। उत्तरके क्षत्रियोंमें भी इस प्रकारका मिश्रण हुआ है। अस्तु, वताना यह है कि असल मराठा हीन संस्कृति अथवा हीन बुद्धिके नहीं थे। कौन कह सकता है कि राणोजी सिन्धिया अथवा मन्हारराव होलकर असाधारण राजनीतिकुशल नहीं थे? राजनीतिमें महादजी सिन्धिया सबसे अधिक प्रवीण थे, यह तो सभी मानते हैं। आज भी देखा जाता है कि शूर जातियोंमें मराठा ही सबसे अधिक राजनीतिकुशल हैं।

शिवाजी महाराजका भोंसला कुल दक्षिणमें तब आया, जब उत्तरमें मुसलमानोंका प्रभाव बढ़ रहा था। समय समयपर अन्य उत्तरीय क्षत्रिय भी महाराष्ट्रमें आकर बस गये हैं; क्योंकि तब महाराष्ट्रमें पराक्रम प्रकट करनेका अवसर था। ऐतिहासिक प्रमाणोंसे यह बात सिद्ध की जा सकती है। उदाहरणार्थ, 'राष्ट्रौदकाव्य' में लिखा है कि वागलानके बागुल उत्तरके गौतमगोत्री राठौर हैं। इसी तरह पाटणकर उत्तरके भारद्वाजगोत्री सोलंखी (चालुक्य) हैं। उन्होंने दक्षिणमें आकर चालकों (सम्भवतः मानव्य-गोत्री पूर्व चालुक्यों) को हराकर उनका राज्य छीन लिया था। कहाड़के हुवल भी भारद्वाज गोत्री चालुक्य हैं। म्हसबड़के माने अत्रिगोत्री गौर हैं। निम्बालकर सुप्रसिद्ध वसिष्ठगोत्री परमार हैं। सारांश, जब मुसलमानोंका प्रभाव उत्तरमें बढ़ रहा था, उस समय या उससे पहिले बहुतसे उत्तरीय क्षत्रिय महाराष्ट्रमें आकर बस गये। स्मरण रखना चाहिये कि वे

सब मराठोंसे सम्बन्धयुक्त होकर मराठा बन गये । उनकी दृष्टि न तो उत्तर की ओर रही और न उन्होंने उत्तरीय क्षत्रियोंसे कोई नाता ही रखा । ऐसे भी ऐतिहासिक प्रमाण मिलते हैं कि मुसलमानोंके प्रभावसे पहिले—विशेषतया राष्ट्रकुटोंके समयमें—समस्त भारतवर्षमें महाराष्ट्रीय क्षत्रियोंका ही प्रभाव था और वे दक्षिणसे उत्तरकी ओर भी गये थे । १८ वीं शताब्दीमें मराठोंका जैसा उत्कर्ष हुआ—जिससे गायकवाड़ गुजरातके और पवार, होलकर, सिन्धिया आदि मालवा तथा उत्तर भारतके बहुतसे भूभागके अधिपति बन गये—वैसा उत्कर्ष एक सहस्र वर्ष पूर्व राष्ट्रकुटोंके समयमें भी हुआ था । इतिहाससे सिद्ध है कि गुजरातमें चालुक्यों और राष्ट्रकुटोंके माण्डलिक राज्य थे । इस पुस्तकके तीसरे भागमें राठोरीकी परम्परासे हम यह सिद्ध करेंगे कि वर्तमान उत्तरीय सुप्रसिद्ध राठोरीका घराना दक्षिणके राष्ट्रकुटोंका घराना है और वह दक्षिणसे ही उत्तरमें जाकर बसा है । इस शाखाके सब लोग उत्तरीय क्षत्रियोंमें मिल गये । इन बातोंसे स्पष्ट है कि उत्तरीय क्षत्रियोंके दक्षिणमें आनेके प्रमाण मिलनेसे दक्षिणके मराठा क्षत्रियोंका अस्तित्व नष्ट नहीं होता; न उनकी शक्तिमत्ता तथा राजनीतिक तेजस्वितामें ही सन्देह रह जाता है । दक्षिणके मराठा क्षत्रिय-वंशोंमें चालुक्य, राष्ट्रकुट और यादव वंश इतिहासप्रसिद्ध हैं । वर्तमान समयके शिर्के, शेलार, महाडिक, गूजर आदि मराठा प्राचीन क्षत्रिय ही हैं । इस सम्बन्धमें अधिक विचार अन्यत्र किया जायगा ।

अन्तमें, महाराष्ट्रीय मराठोंके क्षत्रियत्वके सम्बन्धमें जो ऐतिहासिक प्रमाण इस पुस्तकमें दिये गये हैं, उनका सारांश यहाँ लिख देना उचित होगा । महाराष्ट्रमें क्षत्रिय हैं, इसका प्रथम प्रमाण नासिकके कारुकायोंमें शातवाहनके लेखके 'क्षत्रिय दममान दमनस्स' इन शब्दोंसे मिलता है । यह प्रमाण ईसवी सन् १०० के आसपासका है । दूसरा प्रमाण शबरभाष्य (इसका समय सन् ४०० के आसपास है) के 'जनपदपुररक्षण-वृत्ति मनुपजीक्यपि क्षत्रिये राजशब्दमान्धाः प्रयुज्यन्ते' इस वाक्यसे मिलता है । इसमें शबर स्वामीने, जो मीमांसा-सूत्रोंके भाष्यकार थे, स्वीकार

क्रिया है कि दक्षिणमें क्षत्रिय हैं । तीसरा प्रमाण हुपुनसंग (सन् ६४०) का है । उसने महाराष्ट्रके राजा चालुक्य पुलकेशीको स्पष्ट रूपसे क्षत्रिय कहा है । कांचीके पल्लवोंको भी वह क्षत्रिय कहता है, जिन्हें हम पहिले भागमें महाराष्ट्रीय मराठा सिद्ध कर चुके हैं । सबसे बढ़कर प्रमाण कुमारिलभट्ट (सन् ७०० = वि० ७५७ के आसपास) का है । कुमारिल शबर भाष्यके सुप्रसिद्ध वृत्तिकार (टीकाकार) थे । भाष्यकारके उक्त वचनकी टीका करते हुए कुमारिल कहते हैं—“आन्ध्रानामिति दाक्षिणात्य सामान्येन भाष्यकारेणोक्तम् ।” भाष्यकारका अभिप्राय यह है कि आन्ध्र अर्थात् साधारण दक्षिणी (महाराष्ट्रीय) क्षत्रियगण नगर अथवा जनपदका रक्षण भले ही न करते हों, किन्तु राजा कहाते हैं । इससे ज्ञात होता है कि महाराष्ट्रमें चाहे क्षत्रियोंका राज्य भले ही न हो, किन्तु साधारण जनतामें क्षत्रिय थे और वे राजा कहाते थे । अर्थात् महाराष्ट्रके पटेलों (पटवारियों) तथा अन्य कृषिजीवियोंमें बहुतसे क्षत्रिय थे जो अपने आपको राजा कहते थे । इसके बादका प्रमाण हेमाद्रिके ‘यादव कुलवंशति’ (सन् १२०० के आसपास) का है । इसमें रामदेव-रावके कुलको कृष्णकुलोत्पन्न कहा है । किंबहुना, ज्ञानेश्वर महाराजने रामदेवरावकी ‘यदुकुलवंशतिलक’ कहकर प्रशंसा की है । अतः उसका क्षत्रियत्व ज्ञानेश्वर मानते थे और सन् १३०० तक मराठोंका क्षत्रियत्व अच्छे अच्छे धर्मशास्त्रज्ञ पण्डित भी स्वीकार करते थे । चालुक्य पुलकेशीने अश्वमेध यज्ञ कर अपना क्षत्रियत्व सिद्ध किया है । राष्ट्रकूट यादवोंने अपने लेखोंमें अपनेको ‘यदुकुलोत्पन्न’ कहा है । इससे यह स्पष्ट है कि वे अपनेको क्षत्रिय मानते थे । पल्लवों और शिलाहारोंके लेखोंमें भी ‘क्षत्रिय जूड़ामणि’ आदि विशेषण पाये जाते हैं । सारांश, धर्मशास्त्रकार ब्राह्मणों और राजवंशोंके लेखोंसे महाराष्ट्रीय मराठोंका क्षत्रियत्व सिद्ध है । ‘कलावाच्यन्तयोः स्थितिः’ यह वाक्य पीछे बना है और इसे उत्तरीय क्षत्रियोंने कभी नहीं माना । अब प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि उत्तरीय क्षत्रिय मराठोंको अपनेसे निम्न श्रेणीके क्यों समझते हैं और उनसे बेटी-भयवहार क्यों नहीं करते ? तीसरे भागमें इसका विस्तारपूर्वक उत्तर दिया जायगा ।

संक्षेपमें कहा जा सकता है कि १२ वीं सदी के पश्चात् जातिबन्धन इस देशमें बड़े कड़े हो गये जिससे वृत्तीय क्षत्रियोंने ववा, ब्राह्मणोंने भी दक्षिणके ब्राह्मणोंसे विवाह-सम्बन्ध करना बन्द कर दिया। जब कि कनौजिया आदि पंचगौड़ दक्षिणी ब्राह्मणोंको अपनेसे निम्न श्रेणीके समझते हैं, उनसे रोटी-व्यवहार भी नहीं करते; किन्तु इससे दक्षिणी ब्राह्मणोंका ब्राह्मणत्व नष्ट नहीं होता; तब मराठोंसे उत्तरीय क्षत्रिय घेटीव्यवहार न भी करें, तो उनका (मराठोंका) क्षत्रियत्व कैसे नष्ट हो सकता है ?

मराठा क्षत्रिय हैं, इसीसे उनके अपने गोत्र भी हैं। प्राचीन शिलालेखोंमें उनके गोत्रोंका उल्लेख है। पल्लवों (पालवे) का भारद्वाज गोत्र, चालुक्यों और कदम्बों (कदम्ब) का मानव्य गोत्र तो चौथी-पाँचवीं सदी के लेखोंमें भी देख पड़ता है। आगे चलकर राष्ट्रकूट, यादव और शिलाहारोंके लेखोंमें गोत्रोंका उल्लेख नहीं है। आठवीं, नवीं शताब्दीके सभी शिलालेखोंकी यही बात है। उस समयके उत्तरीय प्रतिहार, चालुक्य, सिसोदिये आदिके लेखोंमें भी गोत्रोंका उल्लेख नहीं है। इसीसे अर्वाचान कुलोंके प्राचीन गोत्रोंका पता नहीं चलता। अनुसन्धान और लेखोंसे जिनके गोत्रोंका पता चला है, उनका उल्लेख कर दिया जाता है। भोंसले (दानपत्रोंसे) कौशिक गोत्री, पाटणकर और हुवल (खोलुंकी) भारद्वाज गोत्री, निबालकर और पंवार वशिष्ठ गोत्री, गायकवाड़ भार्गवगोत्री और माने (गौर) अत्रि गोत्री हैं। शिवपूर्वकालीन मराठोंकी यह उपलब्ध वंशावली महत्वपूर्ण है।

(६) बाप्पारावलके विषयमें रा० व० पं० गौरीशंकर ओझाका लेख ।

मध्ययुगीन भारतका दूसरा भाग प्रकाशित हो चुकनेपर सुदैववशा हमें (काशी) नागरी प्रचारिणी पत्रिका भाग १ सं० ३ में बाप्पारावल विषयक भिन्न भिन्न प्रश्नोंके सम्बन्धमें रायबहादुर पंडित गौरीशंकर हीराचन्द ओझाके मत देखनेका अवसर मिला। रायबहादुरजीको हालमें बाप्पारावलके सोनेके सिक्के मिले हैं, उन्हींके विशदीकरणके लिए यह लेख

लिखा गया है । इसमें बाण्पारावत्तसे सम्बन्ध रखनेवाले सभी विवादग्रस्त प्रश्नोंकी सम्पूर्ण आधारों सहित विस्तारसे समीक्षा की गयी है । ओझाजीके राजपूताने तथा समस्त भारतके प्राचीन लेखोंके गम्भीर अध्ययनकी बात इतनी प्रसिद्ध है कि उनके मतोंका सदा ही अतिशय भादर होना चाहिये । अतः बाण्पारावत्त सम्बन्धी उनके मतोंका दिग्दर्शन इस पुस्तकके परिशिष्टमें हो जाना आवश्यक है । कुछ थोड़ी सी बातोंके सम्बन्धमें ओझाजीके मत इस पुस्तकमें प्रतिपादित मतके विरुद्ध हैं, फिर भी हम उन सब मतोंको, उनके आधारों सहित, यहाँ दे रहे हैं और उनके मतों तथा युक्तियोंको पढ़कर भी एक दो विषयोंमें अपना मत क्यों बदल न सके, इसकी विवेचना भी कर रहे हैं ।

१—क्या बाण्पारावत्त ब्राह्मण था ?

बाण्पारावत्त ब्राह्मण था अथवा क्षत्रिय, यही प्रश्न सबसे पहला है और अत्यन्त महत्वपूर्ण है । वड़े ही सन्तोषकी बात है कि ओझाजीकी रायमें बाण्पारावत्त ब्राह्मण नहीं किन्तु सूर्यवंशी क्षत्रिय था । उन्हें जो बाण्पाके सोनेके सिक्के मिले हैं और जिनका सूक्ष्म विवरण उन्होंने उक्त ग्रंथमें दिया है, उनमें आगेकी ओर सूर्यविम्ब अंकित है । बाण्पाका क्षत्रियत्व सिद्ध करनेके लिए ओझाजीका यह पहला आधार है । पर उन्होंने एक ही हेतु देकर सन्तोष नहीं कर लिया है । वे लिखते हैं—“आटपुराके विक्रम संवत् १०३४ के शिलालेखके प्रथम श्लोकमें महीदेव शब्द आया है और यह ठीक है कि इस शब्दका अर्थ राजा भी हो सकता है और ब्राह्मण भी । यह भी सही है कि इसके बाद आवू और चित्तौड़ दोनों स्थानोंके शिलालेखोंमें प्रारम्भमें ही बाण्पाका ब्राह्मण (विप्र) होना स्पष्ट लिखा हुआ है । तथापि हमारा मत है कि आटपुराके लेखसे भी पहलेका सं० १०२८ वी० का नरवाहनका जो शिलालेख है उसमें एकलिंगके महान्तके सम्बन्धमें प्रयुक्त 'रघुवंशाकृतिं दिशुजाः' विशेषगसे इस प्रश्नका निर्णय हो जाता है । इस लेखको डाक्टर भांडारकरने भी पुनः वी० बी० भार० ए० एस० जिल्द २२ पृष्ठ १६७ पर प्रकाशित किया है । आगे चलकर

ओझाजी लिखते हैं—“डाक्टर भांडारकरने इस लेखके आरम्भमें ही नर-वाहनके निलालेखका जो खुलासा दिया है उसमें भूलसे इस विशेषणको छोड़ दिया है। डाक्टर महाशयने १५२ पृष्ठपर उक्त खुलासा देते हुए लिखा है कि इन महन्तोंकी कीर्ति हिमालयसे रामेश्वरतक फैल गयी।” यह गलत है। ठीक अर्थ यह है कि “इन महन्तोंने हिमालयसे रामेश्वर अर्थात् कन्याकुमारीतक रघुवंशकी कीर्ति फैलायी।” इस लेखको ध्यानपूर्वक देखनेसे स्पष्ट मालूम होता है कि डाक्टर भांडारकरने जान बूझकर अथवा बिना जाने यह भूल यहाँ की है और अपने भाषान्तरमें रघुवंश शब्दको बिल-कुल रखा ही नहीं। हम लिख आये हैं कि इस प्राचीनतम लेखमें पहले पहल बाप्पाका उल्लेख हुआ है और वह गुहिलगोत्र नरेन्द्रोंमें खन्ध-वत्त कहा गया है। इस लेखसे स्पष्ट प्रकट होता है कि एकलिंगके महन्त गुहिलगोत्रके गुरु थे और वे गुहिलवंशीय राजाओंकी कीर्ति फैलावेमें कारणीभूत हुए। नरवाहनके लेखके शब्द इस प्रकार हैं—“योगितः । बापानुग्रह भूमयो हिमशिखान्धोऽबलादागिरेरासेतो रघुवंशकीर्तिपिशु-गस्तीर्ष तप (स्तेपिरे)।” पिशुन शब्दका अर्थ प्रसारक अथवा सूचक होता है। (देखिये आपटेका कोष) फलतः इस पदका अर्थ कीर्तिमान नहीं हो सकता, कीर्तिसूचक ही होगा; और रघुवंश शब्दको तो डाक्टर भांडार-करने बिलकुल छोड़ ही दिया है। अस्तु। इस पदसे निश्चित होता है कि नरवाहनका लेख लिखे जानेके समय, सं० १०२८ वै० में बाप्पा सुप्रसिद्ध गुहिलवंश-संस्थापक राजा मान लिया गया था। यही नहीं, यह भी माना जाता था कि गुहिलवंश वाले सूर्यवंशी क्षत्रिय हैं। बाप्पाके शुद्ध सूर्यवंशी क्षत्रिय होनेका यह प्रबल प्रमाण जगतके सामने प्रस्तुत करनेका श्रेय रायबहादुर पं० गौरीशंकर हीराचन्द्र ओझाको है और इसके आधार नर-वाहनवाला शिलालेख तथा खुद बाप्पाके सोनेके सिक्के हैं। (पृ० २६०)

इससे स्वभावतः ही यह बात सिद्ध होती है कि नरवाहनके लेखके छः ही वर्ष बाद लिखे गये भाटपुरा वाले लेखके प्रथम श्लोकमें जो महीदेव शब्द रखा गया है वह राजाके अर्थमें व्यवहृत हुआ है, ब्राह्मणके अर्थमें नहीं। परन्तु प्रश्न यह उपस्थित होता है कि तब चित्तौड़ और आबूके

शिलालेखोंमें बाप्पा स्पष्ट रूपसे विप्र अर्थात् ब्राह्मण कैसे कहा गया है ? ओभाजी कहते हैं और ठीक कहते हैं कि इन लेखोंमें भूतसे ऐसा लिखा गया है । पर यह भूल क्यों हुई इसकी चर्चा उन्होंने विस्तारसे नहीं की है । अवश्य ही यह बात कही जा सकती है कि महीदेव शब्दके कारण लेखकों-को भ्रम हुआ । पर जैसा कि इस पुस्तकके ८३ वें पृष्ठपर हम लिख आये हैं, तीन सौ वर्ष बाद भाटोंके सामने यह समस्या उपस्थित हुई कि क्षत्रियोंके ब्राह्मण गोत्र क्यों हैं और उनकी यही कठिनाई उक्त भ्रमका कारण हुई होगी । इस समस्याकी हल करनेके लिए उन्होंने अनेक राजपूत कुलोंकी नवीन व्युत्पत्ति कल्पित कर ली और उनके गोत्र-ऋषियों—ब्राह्मणों—से ही उन कुलोंकी उत्पत्ति होने की कथाएँ गढ़ डालीं । उदाहरणार्थ, हम दिखा चुके हैं कि यद्यपि चाहमान कुल प्रारंभसे ही सूर्यवंशीय क्षत्रिय प्रसिद्ध था, पर इस समय इस कथाकी सृष्टि हुई कि एक वत्सगोत्री ब्राह्मणसे सामन्त नामक व्यक्तिकी उत्पत्ति हुई जो चाहमान कुलका प्रवर्तक हुआ । यही नहीं, शिलालेखोंमें यह कथा भी मिलती है कि सबसे पहला चाहमान क्षत्रिय वत्स ऋषिके नेत्रोंसे निर्गत आनन्दाश्रुसे उत्पन्न हुआ । इसी तरह परमारोंके वसिष्ठ गोत्री होनेसे उनके मूल-पुरुषके वसिष्ठ ऋषिके होम-कुण्डसे, चालुक्य क्षत्रियोंके मूल-पुरुषके द्रोण भारद्वाजके हाथके चुल्लूसे उत्पन्न होनेकी कथा भी इस कालमें प्रचलित हुई । गोत्र और प्रवर-प्रकरणमें (पृष्ठ ६३-७४) हमने, ब्राह्मण और क्षत्रियोंके गोत्र एक ही क्यों हैं, इसका समाधान किया है । परन्तु मध्ययुगके भाटोंको वैदिक सूत्रोंका परिचय प्रायः न था, इसीसे उन्होंने क्षत्रिय कुलोंकी उत्पत्ति ब्राह्मणोंसे ही होनेकी कथा गढ़ ली । १०वीं शताब्दीमें रचित भोज-प्रशस्तिमें प्रतिहार क्षत्रियोंके सूर्य-वंशी लक्ष्मणसे उत्पन्न होनेकी बात लिखी है, फिर भी १३वीं शताब्दीके एक शिलालेखमें ब्राह्मण पिता तथा क्षत्रिय मातासे उनकी उत्पत्ति बतायी गयी है । सार यह कि नरवाहनके लेखके बाद आजू चित्तौड़ वाले लेखोंके कालतक ३०० वर्षोंमें, महीदेव शब्दके कारण बाप्पाके ब्राह्मण होनेकी कल्पना की गयी और वही आजू तथा चित्तौड़ वाले लेखोंमें प्रकट की गयी है । पर जिस तरह पृथ्वीराज राखोके एक दोहेके भ्रान्त अर्थसे उत्पन्न हुई भ्रि-

कुलकी कल्पना, उसकी अपेक्षा अधिक प्राचीन लेखोंके आधारपर, अब निर्मूल सिद्ध होगयी है उसी प्रकार आबू-चित्तौड़ वाले लेखोंमें जो बाप्पाके ब्राह्मण होनेकी बात लिखी है वह भी नरवाहनके प्राचीनतर लेख तथा खुद बाप्पाकी स्वर्ण मुद्राओंसे खण्डित हो जाती है। चित्तौड़वाले लेखके बादके सब लेखोंमें, एकलिंग पुराणमें भी, उक्त लेखकी ही मकल की गयी है, अतः इस विषयमें वे सभी गलत ठहरते हैं। वंशभास्करमें दी हुई चाहमान कुलकी उत्पत्ति जिस तरह चाहमानोंके ही हर्षशिलालेख आदि प्राचीनतर लेखोंके प्रमाणसे भ्रान्त सिद्ध होती और फलतः त्याग देनी पड़ती है, उसी तरह यह आधुनिक कल्पना भी कि बाप्पाका जन्म तो क्षत्रिय कुलमें ही हुआ था, पर वह एक ब्राह्मणको पालन-पोषणके लिए दे दिया गया था, अग्राह्य ठहरती है और नरवाहनके अत्यन्त प्राचीन लेखमें जो बाप्पाके सूर्यवंशी क्षत्रिय होनेकी बात लिखी है वह मान्य होने योग्य है।

यहाँ चाटसुके लेखपर कुछ विस्तारसे विचार कर लेना उचित होगा; क्योंकि डाक्टर भाण्डारकरने इस लेखके दो शब्दोंको भी, उनका गलत अर्थ लगाकर, गुहिल वंशके ब्राह्मण होनेका आधार बनाया है। ओझाजीने पृष्ठ २८३ पर भिन्न प्रसंगमें इस शिलालेखकी चर्चा की है, पर डाक्टर भाण्डारकरने इनका भ्रान्त अर्थ किया है यह बात कदाचित् उनके ध्यानमें नहीं आयी, अन्यथा 'रघुवंशकीर्ति पिशुना' की तरह इसका अर्थ करनेमें भी डाक्टर भाण्डारकरकी भूल उन्होंने अवश्य दिखायी होती। यह चाटसुमें (यह स्थान जयपुर राज्यमें एक तहसीलका कसबा है, जयपुर नगरके दक्षिण ओर पड़ता है) प्राप्त लेख एक गुहिल वंशीयका अवश्य है, पर इस गुहिल कुल और उदयपुरके गुहिल कुल दोनोंका एक ही वंशका होना निश्चित नहीं है। अतः यह कहा जा सकता है कि चाटसुके लेखका गुहिल कुल-विषयक वर्णन अथवा शब्द उदयपुरके गुहिल कुल-पर नहीं लगते। तथापि इन दोनों कुलोंका समान-वंशीय होना भी संभव है, इसीसे हम इस शिलालेखपर यहाँ विस्तारसे विचार करते हैं। इस शिलालेखके कालका निश्चय नहीं होता; क्योंकि इसके अन्तमें संवत्

शब्द तो है पर उसके भागे कोई अर्थ अथवा शब्द नहीं है । इस लेखमें गुहिल वंशीय किसी भर्तृपट्टसे प्रारंभ करके १२ राजाओंकी क्रमगत नामावली दी हुई है । पहले श्लोकमें कहा गया है कि प्रथम भर्तृपट्ट रामके समान था । इसपर डाक्टर भांडारकर (ए० ई० भाग १२ पृष्ठ ११) लिखते हैं—“इस श्लोकका राम शब्द परशुरामका वाचक है । इस श्लोकका भाव यह है कि जिस तरह परशुराम जातिसे ब्राह्मण होते हुए कर्म क्षत्रियके करते थे उसी प्रकार भर्तृपट्ट जन्मना ब्राह्मण होकर भी क्षत्रियोंके पराक्रमयुक्त कार्य करता था । दूसरे शब्दोंमें यों कह सकते हैं कि भर्तृपट्ट ब्रह्मक्षत्र—आज कलके अर्थमें—था ।” इस अवतरणसे पता चलता है कि गुहिलोत् क्षत्रियोंके ब्राह्मणसे उत्पन्न होनेकी बात डाक्टर भांडारकरके दिमागमें किस तरह जमकर बैठ गयी थी । क्योंकि पहले तो इस कल्पनामें केवल एक नाम ही ब्राह्मण माना गया है, उसके बादका प्रत्येक गुहिलवंशी ब्राह्मण था, यह बात कहीं भी नहीं कही गयी है, फलतः भर्तृपट्टका ब्राह्मण होना भी कहीं नहीं माना गया है । यही नहीं, आगे चलकर हम विस्तारसे दिखावेंगे कि उसका ब्राह्मण होना संभव ही नहीं है । दूसरे, यह भी मान लें कि इस श्लोकके रामका अभिप्राय परशुरामसे है तो भी इससे यह नहीं निकलता कि वह ब्राह्मण था । ‘साधर्म्य उपमा भेद’-सम्मतके किये हुए उपमाके इस लक्षणको ध्यानमें रखना चाहिये । अर्थात् उपमा वहीं होती है जहाँ कुछ विषयोंमें साधर्म्य और कुछमें वैधर्म्य हो । अतः भर्तृपट्ट परशुरामके समान पराक्रमी था इतना कह देने मात्रसे भर्तृपट्टका ब्राह्मण होना नहीं सिद्ध हो सकता । ऐसा माननेके लिए उसके ब्राह्मण होनेका स्पष्ट उल्लेख होना चाहिये । तीसरे, इससे भी बड़ी बात यह है कि यहाँ डाक्टर महाशयने “असमे” शब्दपर ध्यान न देनेकी भूल जान कर या बिना जाने की है । इस शब्दसे उपमेय उपमानका भेद स्पष्ट बता दिया गया है । ❀

❀ उक्त श्लोक इस प्रकार है—

अस्त्रप्राप्तोपदेशैरत्रनतनृपतीन् भूतलं भूरिभूत्या
गुदेवान् भूमिदानेखिदिवमपि मखैर्नन्दयन्नन्दितात्मा ।

श्री भांडारकरने इस लेखके जिस दूसरे शब्दका अर्थ करनेमें ऐसी ही भूल की है वह है शंकरगणपुत्र श्रीहर्षराजके सम्बंधमें प्रयुक्त द्विज शब्द । इस शब्दके सम्बन्धमें वे १२ वें पृष्ठपर लिखते हैं—“इस कालके उत्कीर्ण लेखोंमें, जहांतक मुझे मालूम है, द्विज शब्द केवल ब्राह्मण-वाचक है ।” पर यह बात प्रसिद्ध है कि द्विज शब्दसे तीनोंमेंसे किसी भी वर्णके पुरुषका बोध होता है और विशेषण होनेसे उसका अर्थ द्विजन्मा होगा । हमारी रायमें इस श्लोकमें वह विशेषण है और उसका अर्थ द्विजन्मा है। यह और इसके पहलेका श्लोक दोनोंको मिलाकर पढ़नेसे अर्थ स्पष्ट हो जाता है। ये श्लोक इस प्रकार हैं—‘महामहीभृतः पुत्री शिवानन्दित मानसा । तेनोढा पार्वती-मुखा यज्ञा नाम यशस्विनी ॥... (अष्टपट्) ...निश्चलमति, शक्ति दधानंपराम् । सेनारक्षणदक्षमुग्र-महसं व्यावृत्तविद्वेषिणम् ॥ सानन्दं शिखिनः परिग्रहतया श्रीहर्षराजं द्विजम् । तन्यां वीरमजीजनत्स तनयं स्कन्दोपमम् भूभुजम् ॥” पहले श्लोकमें कहा गया है कि शंकरगणकी परिणीता पत्नी यज्ञा पार्वतीके समान है। महामहीभृतः पुत्री और शिवानन्दित मानसा ये दोनों विशेषण स्पष्टतः द्व्यर्थी हैं और यज्ञा तथा पार्वती दोनोंको लागू हैं। फलतः अगले श्लोकमें, जिसके विषयमें वाद है—उनका पुत्र स्कन्दके समान है—यह उपमा स्वभावतः ही आती है। और पुत्र श्रीहर्षराजके विशेषण भी द्व्यर्थी हैं जो स्कन्दके लिए भी आ सकते हैं। अतः यहां द्विज द्विजन्मा अर्थमें विशेषण जान पड़ता है। जिस प्रकार स्कन्द शिखि अर्थात् अग्निके उन्हें आनन्दपूर्वक ग्रहण करनेसे द्विजन्मा हुए उसी प्रकार शंकरगण भी अग्नि-का ग्रहण करनेसे मौज्जीबन्धनके अनन्तर द्विज हुआ। क्षत्रिय राजाओंके मध्ययुगमें, बहिक आजकल भी, मौज्जीबन्धनके अनन्तर अग्नि-परिग्रह करनेकी बात प्रसिद्ध है। अतः श्रीहर्षराज भी “शिखिनः” (इसे यहाँ कर्मणि षष्ठीका प्रयोग मानना चाहिये) अर्थात् अग्निका परिग्रह करनेके

ऋशभनाम्नितोऽस्मिन् सत्यमादृत्यो राभतुल्यो विशल्यो

शौर्योऽसौ भर्तृपटः रिपुभट्टविटपिच्छेदकेलीपतीश्वरः ।

(पवित्रागिका इंडिका निबन्ध १२ पृष्ठ १३)

अनन्तर द्विज हो गया—ऐसा दुहरा अर्थ इस श्लोकके विशेषणोंसे निकलता है। इस श्लोकके 'शक्ति दधानम्, सेनारक्षणदक्ष' शब्द भी दुहरे अर्थवाले हैं और स्कन्द तथा श्रीहर्षराज दोनोंको स्पष्टतः लगते हैं। तथापि तीसरे चरणके शिखि और द्विज शब्द द्वयार्थी हो कर भी सन्दिग्ध हैं। पर इस चरणका अर्थ कुछ भी क्यों न हो, यह बात निश्चित है कि द्विज शब्दका अर्थ यहां ब्राह्मण नहीं है। कारण यह कि भर्तृपट्टके १२ वंशजोंमेंसे एक हर्षराजके विषयमें ही यह कहनेकी आवश्यकता क्यों हुई कि वह ब्राह्मण था। फिर जयतक यह न कहा जाय कि शंकरगण और यज्जो ये दोनों भी ब्राह्मण थे तबतक उनका पुत्र ब्राह्मण नहीं हो सकता। यहां तो बस इतना ही बताया गया है कि यज्जो एक बड़े राजाकी बेटी थी। ध्यान रहे, उस समयकी वर्ण-व्यवस्थाका विचार करनेसे श्रीहर्षराजका ब्राह्मण होना नहीं कहा जा सकता।

यहाँ यह बात कह देना उचित होगा कि उस समयकी वर्णव्यवस्था सम्प्रति प्रचलित व्यवस्थासे भिन्न थी और इस भेदको ध्यानमें रखनेसे कितने ही भ्रमोंका निवारण हो जायगा। ५ वीं पुस्तकके दूसरे प्रकरणमें हमने उस समयकी सामाजिक स्थितिका विस्तारसे वर्णन किया है। एक पृथक् दिग्गुणीयें यह भी दिखाया है कि अनुलोम विवाह-पद्धति उस समय प्रचलित थी (पृष्ठ ३३१-३५)। तथापि पुनरुक्ति दोषकी परवाह न कर यहाँ पुनः यह कह देना चाहिये कि आजकल ब्राह्मणोंको केवल ब्राह्मण स्त्री ग्रहण करनेका ही अधिकार है, पर मध्ययुगमें ऐसा न था, उस समय ब्राह्मणोंको क्षत्रियाका पाणिग्रहण करनेका भी अधिकार था और वे ऐसा करते भी थे। परन्तु प्राचीन कालमें जहाँ ऐसे विवाहकी सन्तति प्रारम्भमें ही ब्राह्मण मानी जाती थी, और परवर्ती कालमें मिश्र वर्णोंकी मानी जाती थी, यहाँ इस मध्ययुगमें ब्राह्मण पिता और क्षत्रिय मातासे उत्पन्न संतति क्षत्रिय मानी जाती थी। इस परिस्थितिके कारण यदि तत्कालीन भाटोंने वाप्याको ब्राह्मण मान लिया तो इससे गुहिलकुल ब्राह्मण नहीं हो गया। ऐसा तो तथ्य होता जब यह भी कह दिया गया होता कि वाप्याके बाद इसके प्रत्येक शतके ब्राह्मण स्त्रीसे ही विवाह किया और

अगली पीढ़ीका जन्म उस ब्राह्मण स्त्रीके ही अंदरसे हुआ । इसके विरुद्ध भाटोंने स्पष्ट लिखा है कि बाप्पाने अनेक स्त्रियोंसे विवाह किया था और उनमें अधिकतर राजकन्याएँ थीं । फलतः बाप्पा सचमुच ब्राह्मण रहा भी हों तो उसका पुत्र अथवा नाती गुहिल किंवा भोज ब्राह्मण नहीं हो सकता । जब गुहिलकी माताका ब्राह्मण होना कहीं भी लिखा नहीं मिलता, बल्कि उसके क्षत्रिय-कन्या होनेकी ही पूर्ण संभावना है, तब उसका क्षत्रिय होना ही निर्विवाद है । आटपुरावाले लेखमें भिन्न भिन्न राजाओंकी माताओंका अलग अलग उल्लेख नहीं है । केवल तीन स्थानोंपर है, वहाँ राष्ट्रकूट, चाहमान और हूणराजकन्या लिखा है, (हूण म्लेच्छ कुल नहीं, क्षत्रिय कुल है । देखो जे० गु० बी० जिवद ३१, पृष्ठ ११७, नोट ११) फलतः इनके पुत्र क्षत्रिय ही होने चाहिये । इस चाटसुके लेखमें दो रानियाँ चोहमान और परमार कुलकी बतायी गयी हैं, अतः उनके पुत्र क्षत्रिय ही होंगे । सार यह कि चाटसु अथवा आटपुराके शिलालेखके लेखककी दृष्टिसे गुहिलकुल ब्राह्मणकुल कदापि न था, सूर्यवंशी क्षत्रियकुल ही था । गुहिलकुलके ब्राह्मणकुल होनेकी प्रसिद्धि अथवा धारणा भी कहीं नहीं दिखाई देती । उस समय किसी राजकुलके ब्राह्मणकुल होनेकी प्रसिद्धि किसी प्रकार हीनतासूचक अथवा अयुक्त नहीं मानी जाती थी । सिंधका सच राजकुल ब्राह्मण था और मुसलमान इतिहासकारोंने लिख रखा है कि दाहरके मरनेपर ब्राह्मणोंने नंगे सिर आकर महम्मद कासिमसे कहा कि हम लोग दाहरके सम्बन्धी हैं और हमें सूतक लगा है । इसी तरह अलवरुनीने लिखा है कि ललित द्वारा स्थापित काबुलका राजवंश ब्राह्मण था । अतः बाप्पा द्वारा स्थापित राजवंश भी यदि ब्राह्मण होता तो वैसी प्रसिद्धि अवश्य होती । इसी प्रकार क्षत्रिय-कुल ही ब्रह्मक्षत्र समझा जायगा (ब्राह्मण-कुल ब्रह्मक्षत्र नहीं कहा जायगा), यदि उस कुलका आचार भुक्ति-मृत्तिके अनुसार शुद्ध क्षत्रियका हो । उदयपुरके राजवंशकी ब्रह्मक्षत्र-कुलीय कहनेसे उनकी ब्राह्मणत्व नहीं प्राप्त होता, न इसमें कुछ दोष ही है, बल्कि ऐसा कहनेमें ही इस कुलकी शोभा है, क्योंकि यह कुल सदा सत्यपात्रसे वत्न रहा है और अरबी प्रवासियोंने उस समयके राजपूत

राजाओंके सम्बन्धमें जो कुछ लिख रखा है वह इस कुलके विषयमें आज भी सत्य है ।

तात्पर्य यह कि यद्यपि आवू (१३३१ वै०) और चित्तौड़ (१३४२ वै०) के शिलालेखोंमें बाप्पाको स्पष्टतः विप्र लिखा है तथापि इससे गुहिलवंशका ब्राह्मण होना नहीं सिद्ध होता । इन लेखोंमें कहीं भी इस कुलको ब्राह्मण-कुल नहीं कहा है । यह ध्यान देनेकी बात है । पण्डित गोरीशंकर ओझाको इस सम्बन्धमें उपर्युक्त प्रकारका भ्रम हुआ दिखाई देता है; क्योंकि उन्होंने २६६ पृष्ठपर आवू-चित्तौड़के लेखोंमें “गुहिलवंशजोंको ब्राह्मण लिखा है”—इस संदिग्ध तथा व्यापक वाक्यका व्यवहार किया है । अतः यह बात यहाँ स्पष्ट रूपसे कह देनी चाहिये कि इन दोनों लेखोंमें और इनका अनुसरण करनेवाले अन्य लेखोंमें भी केवल बाप्पाको ही ब्राह्मण कहा है, समस्त गुहिल-कुलको नहीं कहा है और उस समयकी सामाजिक प्रथाके अनुसार गुहिल-कुल ब्राह्मण नहीं हो सकता । यद्यपि उस समयके भाटोंने गोत्र-प्रवरकी भ्रान्त कल्पनावश महीदेव शब्दका गलत अर्थ कर बाप्पाको ब्राह्मण मान लिया, तथापि गुहिल-कुलको वे क्षत्रिय—सूर्य वंशी क्षत्रिय—ही मानते रहे; बाप्पाको ब्राह्मण मान लेनेसे उनकी इस धारणामें बाधा नहीं पड़ी । हम आज भिन्न सामाजिक स्थितिमें रहते हैं, इसलिये कहीं इतना ही लिखा देख लेनेसे कि बाप्पा ब्राह्मण था, भ्रममें पड़ जाते हैं और इससे गुहिल-वंशका रूप ही बदल देनेको तैयार हो जाते हैं । हम ऊपर दिखा आये हैं कि बाप्पाके ब्राह्मण होनेके उल्लेख मात्रसे गुहिलवंशके क्षत्रियत्वमें बाधा नहीं आती । यह बात सही भी मान ली जाय तो भी प्रत्येक राजाकी माताके ब्राह्मणी होनेसे ही यह कुल क्षत्रिय-कुलके बदले ब्राह्मण-कुल होता । पर अब तो, जैसा कि ओझा जीने दिखाया है, गुहिल-कुलके सबसे प्राचीन लेख—नर-वाहनके शिलालेख—में उसे स्पष्टतः सूर्यवंशी क्षत्रिय (रघुवंश) लिखा होनेकी बात प्रकट हो जानेसे बाप्पाके ब्राह्मण होनेकी कल्पना ही अर्वाचीन और अयथार्थ सिद्ध हो रही है । ऐसी दशामें इस ब्राह्मण-कुल-कल्पनाका आधार ही नहीं रहा, फिर इमारत किसके सहारे खड़ी रहेगी ?

यहाँ इतना और भी कह देना है कि 'महीदेव' शब्दका अन्यथा अर्थ कर लेनेसे यह जो मिथ्या प्रवाद प्रारंभ हुआ उसको 'आनन्दपुर' शब्दकी भ्रान्त कल्पनासे और भी पुष्टि मिली । यह शब्द भी आटपुरावाले शिलालेखके प्रथम श्लोकमें आया है । (पहले श्लोकका पूर्वार्द्ध इस प्रकार है— "आनन्दपुरविनिर्गत विप्रकुलानन्दनां महीदेवः") आजकल आमतौरसे आनन्दपुरसे बड़नगरका मतलब लिया जाता है । फलतः आनन्दपुर-विनिर्गत महीदेवका अर्थ बड़नगरका ब्राह्मण सहजही निकाल लिया जाता है । पर आटपुरावाले शिलालेखके पहले श्लोकमें जिस आनन्दपुरका उल्लेख है वह नागहृद नगर है । चित्तौड़वाले लेखमें यह बात साफ लिखी है । डाक्टर आंडारकरने भी स्वीकार किया है कि आटपुरावाले लेखमें आनन्दपुर नागहृदका बोधक है । इस नगरके सिवाय अन्य अनेक नगरोंका नाम आनन्दपुर है । अत्यन्त आश्चर्य है कि पंडित गौरीशंकर ओझाने आनन्दपुरका भाषान्तर बड़नगर ही किया है और आनन्दपुरके ब्राह्मणका अर्थ नागर ब्राह्मण किया है (पृष्ठ २९७) । "आनन्दपुरके महीदेव" का अर्थ गलतीसे बड़नगरका ब्राह्मण मान लिये जानेसे यह कल्पना रूढ़ हुई कि उदयपुरके गुहिलवंशको एक नागर ब्राह्मणने स्थापित किया । हम दिखा चुके हैं (पृष्ठ १२८) कि आबू और चित्तौड़के शिलालेखोंका लेखक खुद ब्राह्मण था, तथापि उसने बाप्पाको नागर ब्राह्मण नहीं लिखा है । बाप्पा नागर ब्राह्मण रहा होता तो इस लेखकने बड़े हौसिलेसे जोर दे कर यह बात लिखी होती । उसने स्पष्टतः नागहृदको ही आनन्दपुर नाम दिया है । उसने पहले श्लोकमें नागहृदका वर्णन कर दूसरेके प्रारंभमें ही कहा है— "जीयादानन्दपूर्वं तदिहपुरभिलाखण्डसौन्दर्यशोभि ।" बाप्पाके नागर ब्राह्मण होनेकी बात एकलिंगपुराण और उसके पीछेके लेखोंमें कही गयी है, अतः वह भ्रान्त और त्याज्य है । तात्पर्य यह कि बाप्पाके नागर ब्राह्मण होनेकी दन्तकथा अश्विकुलकी कल्पनाकी तरह एक श्लोकके पदका गलत अर्थ समझ लेनेसे उत्पन्न हुई और जिस प्रकार प्राचीनतर लेखोंके देखनेसे अश्विकुलकी कल्पना मिथ्या सिद्ध होती है उसी प्रकार, जैसा कि ओझाजीने दिखाया है, बाप्पा रावलका ब्राह्मण न होकर सूय-

वंशी क्षत्रिय होना उसीके सोनेके सिके तथा नरवाहनके प्राचीनतम लेखसे निश्चित रूपसे सिद्ध हो जाता है ।

अब आगेके प्रश्नपर विचार करें । वह यह है कि क्या चलभी वंशकी कोई शाखा नागदामें स्थापित हुई और उसी शाखामें बाप्पाका जन्म हुआ ? इतिहासकी दृष्टिसे बाप्पाका प्रधान पराक्रम सुसलमानोंको हराकर चित्तौड़में मोरी राजवंशकी जगह अपने वंशका राज्य स्थापित करना है । इस महापराक्रमके आसपास विविध दन्तकथाओंका इकट्ठा हो जाना स्वाभाविक ही है । इस विषयमें बाप्पा और शिवाजीकी कथाओंमें बड़ी ही समानता है । चार सुसलमान राज्योंको हराकर शिवाजीने जब स्वतंत्र हिन्दू राज्यकी स्थापना की तब उनकी अत्यन्त प्रशंसा हुई और बख्शकार, इतिहासलेखक तथा मंत्रिमण्डलको स्वभावतः ही यह इच्छा हुई कि उनकी वंशावली ऊँची होनी चाहिये । अतः उस समय जो क्षत्रिय-कुल उत्तम माना जाता था उससे उनका सम्बंध जोड़ा गया अथवा सचमुच ही हँड़ निकाला गया । इसके फलस्वरूप शिवाजीका सम्बंध उनके जीवनकालमें ही उदयपुरके सिसोदिया कुलसे निश्चित हो गया । इसी प्रकार बाप्पाका सम्बंध भी उस समय उत्तम माने हुए क्षत्रिय-कुल चलभीके सूर्यवंशी मैत्रक घरानेसे जोड़ा जाना स्वाभाविक था । चलभीके राजकुलके उत्तम होनेकी बात हुएनसंगने लिखी है । यह भी प्रसिद्ध बात है कि श्रीहर्षने इस कुलमें अपनी बेटी दयाही थी । यह भी कह सकते हैं कि बाप्पाका सम्बंध इस कुलसे जोड़ा गया, इसीसे साबित है कि यह घराना उस समय (७५० ई०) उत्तम क्षत्रिय-कुल समझा जाता था । यहाँ यह बात कह देनी चाहिये कि हमारे मतसे उदयपुरके राजवंशके साथ शिवाजीका सम्बंध कल्पित नहीं, सच्ची बात है और शाहजीके समयमें भी यह बात प्रसिद्ध थी । इसी प्रकार चलभी वंशके साथ बाप्पाका सम्बंध जोड़ना भी हमारी रायमें कल्पना नहीं किन्तु तथ्य है । हमारे मतसे इस कुलकी एक शाखा नागदामें स्थापित हुई और उसीमें बाप्पाका जन्म हुआ ।

२—बाप्पाका जन्म, राज्यारोहण और राज्यत्याग ।

बाप्पाके सम्बन्धमें दूसरा वादग्रस्त विषय उपर्युक्त बातोंका समय है । सौभाग्यवश इस विषयमें भी हमने इस पुस्तकमें जिस मतका प्रतिपादन किया है वही मत रायबहादुर पं० गौरीशंकर हीराचन्द ओझाका भी है । कुछ छोटी बातोंमें हमारा मतभेद है, उनकी यहां थोड़े विस्तारसे चर्चा कर देनी चाहिये ।

बाप्पाके जन्म-समयके सम्बन्धमें विचार करते हुए हमने उसे ७०० ई० (वि० ७५७) माना है । इस अनुमानका मुख्य आधार मेवाड़में प्रसिद्ध परम्परा है । टाडने लिखा है कि इस परम्पराको ठीक माननेमें कितनी ही भड़चनें हैं, परन्तु मेवाड़के भाट और तत्कालीन महाराणा साहब इसे छोड़नेको राजी नहीं थे । परम्परा यह है कि बाप्पाका जन्म संवत् १९१ में हुआ । फलतः यह परम्परा ग़ुफ़ पहली है । यह संवत् विक्रम संवत् नहीं है, यह तो स्पष्ट ही है । तब यह कौनसा संवत् है ? टाडने इस संवत्का आरंभ बलभी वंशके राज्यके नाशसे मानकर इस कालकी संगति इतिहाससे बैठानेका प्रयत्न किया है । परन्तु बलभी वंशके राज्यके नाशका काल उन्होंने भूलसे २०० साल पहले मान लिया है । शिलालेखों और साम्प्रदायिकोंसे यह बात अलीभांति प्रमाणित हो चुकी है कि बाप्पाके अभ्युदयके अनन्तर जब चित्तौड़में उसका राज्य स्थापित हुआ उस समय वहाँ भी वंशका राज्य कायम था । इस कारण टाडकी दी हुई संवत् १९१ की उपपत्ति अग्रगण्य हो जाती है । इन श्रंकांकी जो उपपत्ति हमने इस पुस्तकमें दी है वह इस प्रकार है कि इस संवत्का आरंभ बलभी वंशके राज्यके नाशसे न मानकर भट्टार्कने ५०९ ई० में जब बलभी कुलका राज्य स्थापित किया, जो उसीके लेखोंसे सिद्ध है, तबसे मानना चाहिये । अर्थात् संवत् १९१ का अर्थ ५०९ ई० + १९१ = ७०० ई० समझना और यही बाप्पाका जन्मकाल मानना चाहिये । इस कालका इतिहाससे पूरा मेल है । मानभोरीका चित्तौड़का शिलालेख संवत् ७७९ विक्रमीका है । अतः उस समय तक चित्तौड़में इस वंशका राज्य कायम होना निश्चित है ।

इसके बाद अर्थात् ७१३ ई० के अनन्तर किसी समय बाप्पाने मोरी राज्यका नाश कर वहाँ अपना राज्य स्थापित किया होगा, यह अनुमान सर्वथा इतिहाससंगत है ।

यहाँ यह बात पाठकोंको बताना आवश्यक है कि रायबहादुर गौरीशंकर ओझाने दिखाया है कि मेवाड़की परम्परामें यह काल बाप्पाके जन्मका नहीं, उसके राज्यारोहणका है और हम स्वीकार करते हैं कि ओझाजीका यह मत ठीक है । बल्कि हमारा कहना है कि यह भूल मूलतः टाडकी है । क्रुक्ने हालमें टाड राजस्थानकी जो संशोधित आवृत्ति निकाली है उसमें भी यह ग़लती वैसी ही रह गयी है । हमने टाडकी प्रथम संस्करणकी प्रति निकाल कर देखी तो उसमें भी यह काल बाप्पाके जन्मका ही दिया हुआ है (पृ० २२९) । क्रुक महाशयको चाहिये था कि मूल वैसा ही रहने दे कर टिप्पणीमें बता देते कि यह काल बाप्पाके जन्मका नहीं, राज्यारोहणका है । पर कदाचित् उनका ध्यान इस ओर नहीं गया और ओझाजीका लेख पढ़नेके पूर्वतक हमारा ध्यान भी इस भूलकी ओर नहीं गया था । पर अब वारीकीसे देखनेसे मालूम हुआ कि इसे बाप्पाका जन्मकाल न मानकर राज्यारोहण-काल माननेके लिए केवल दन्तकथाका ही आधार नहीं है, बल्कि 'भावनगर इन्स्क्रिप्शन्स' नामक पुस्तकमें दिये हुए एक शिलालेखमें भी यह बात वर्णित है । पंडित गौरीशंकर ओझाने २७२ पृष्ठपर इस लेखको उद्धृत किया है । राजप्रशस्तिमें (भावनगर ई० पृ० १५२) दिये हुए ये श्लोक इस प्रकार हैं—

“प्राप्येत्यादिवरान् बाप्पः एकस्मिन् शतके गते ।

एकाग्रनवतिसृष्टे माघे पक्षवलक्षके ॥

सप्तमी दिवसे बाप्पः सपञ्चदशवत्सरः ।

एकलिंगेशहारीत प्रसादाङ्गाग्यवानभूत् ॥

अर्थ—इस प्रकार अनेक वर प्राप्त करनेके अनन्तर १९१ वर्ष बीतने पर माघ शुद्ध ७ को एकलिंग महादेव तथा हारीत ऋषिके प्रसादसे, १५वें वर्षमें बाप्पाका भाग्य उदय हुआ ।” अतः शिलालेख और दन्तकथा

दोनोंमें संवत् १९१ बाष्पाका जन्मकाल नहीं, किन्तु राज्यारोहण-काल बताया गया है और इसे मान लेना चाहिये ।

पर यह संवत् कौन सा है, यह समस्या अब भी हल नहीं हुई । श्री गौरीशंकर ओझाका अनुमान है कि किसी लेखमें मूल संवत् ७९१ रहा होगा । परवर्ती लेखकोंने उसे १९१ पढ़ लिया होगा और फिर वही चलने लगा । उनका कहना है कि प्राचीन लेखोंमें कहीं कहीं ७ का अंक १ जैसा लिखा दिखाई देता है । अतः बाष्पाका राज्यारोहणकाल सं० ७९१ वै० अर्थात् ७३४ ई० ठहरता है । और चूँकि राजप्रशस्ति तथा दन्तकथामें जो कहा गया है कि राज्यारोहणके समय बाष्पाका वय १५ वर्षका था वह अतिशयोक्ति है, अतः दाडका यह मत मान लेना चाहिये कि बाष्पाका जन्म ७६९ वै० (७१२ ई०) में हुआ, इस प्रकार राज्यारोहणके समय उसका वय कमसे कम २२ वर्षका ठहरता है । अर्थात् ओझाजीके मतसे बाष्पाका जन्मकाल ७१२ ई० है ।

इस मतके विरुद्ध यह कहा जा सकता है कि १९१ के अंककी यह उपपत्ति यह मान लिये बिना कि किसी मूल लेखमें वह ७९१ था, पर १९१ पढ़ लिया गया अथवा वह लेख प्रत्यक्ष देखे बिना प्राप्त नहीं हो सकती । दूसरी बात यह कि प्राचीन लेखोंमें अंकोंके अतिरिक्त शब्दोंमें भी काल दिया रहता है और संस्कृत श्लोकोंमें प्रायः कालबोधक अन्य शब्दोंका भी व्यवहार किया जाता है । यस्तुतः जिस शिलालेखमें उक्त काल दिया हुआ है उसमें अंक न देकर संख्यावाचक शब्द ही रखे गये हैं । अतः अंक पढ़नेमें भूल हुई, इस तर्कके लिए स्थान नहीं रहता । और फलतः ओझाजीकी उक्त उपपत्ति काल्पनिक प्रतीत होती है । उसके बदले हम दूसरी उपपत्ति पाठकोंके सामने रखते हैं और वह यह है कि इस संवत्का आरंभ गुहसेनके राज्यारोहणके समयसे मानें । भट्टार्कके बादके बलभीके इस तीसरे राजाके समय गुहिलवंशकी एक शाखा ईडरसे निकली, ऐसा माना जाता है । भाग १ में गुहसेनका राज्यारोहण-काल ५३९ ई० दिया गया है । इसमें १९१ जोड़नेसे ७३० ई० आता है । बाष्पाका वय इस समय ३० का मानें तो उसका जन्मकाल

७०० ई० उहरता है, २२ मानें तो ७०८ ई० और १८ मानें तो ७१२ । ये तीनों ही वय १८, २२ और ३० साल, संभव हैं । इतिहासज्ञोंको यह बतानेकी आवश्यकता नहीं है कि कमसे कम १८ और अधिकसे अधिक ३० सालका वय माना जा सकता है ।

यहाँ यह कह देना आवश्यक है कि १९१ के अंककी ऊपर हमने जो उपपत्ति दी है, वह रायसागरके शिलालेखसे संभव दिखाई देती है । इस लेख अर्थात् राजप्रशस्तिमें संवत् शब्द आया ही नहीं है—बस इतना ही कहा गया है कि “१९१ वर्ष बीतनेपर बाप्पाका भाग्योदय हुआ ।” अतः लेखक कबसे लगाकर १९१ वर्षका व्यतीत होना कहना चाहता था, इसका निश्चय करनेके लिए जिस सर्गमें यह वर्षाङ्क दिया है उसके आरम्भसे वर्णित वृत्तान्तकी ओर ध्यान देना चाहिये । इसके पूर्वके सर्गमें कनक-सेनके अयोध्यासे निकलनेका वृत्तान्त देकर कहा गया है कि उसका वंशज विजयसेन जब दक्षिणमें पहुँचा तब आकाशवाणीके रूपमें उसे आज्ञा मिली कि सेन उपपद (अह) छोड़कर आदित्य उपपद ग्रहण करो (भावनगर इन्स्क्रिप्शन्स पृ० १४९) । अनन्तर इस सर्गके आरम्भमें कहा गया है कि विजयसेनका पुत्र पद्मादित्य राजा हुआ और उसके १४ आदित्य उपपदधारी वंशजोंके राज्य कर चुकनेपर अन्तिम गुहादित्यसे बाप्पाका जन्म हुआ । इस पूर्वसन्दर्भके विचारसे साफ मालूम होता है कि बलभी अथवा ईडरमें आदित्य उपपदधारी राजाओंके १९१ वर्ष राज्य करते बीत चुकनेपर और इनकी १४ पीढ़ियोंके अनन्तर बाप्पाका भाग्योदय हुआ । १४ पीढ़ियोंके लिए १९१ वर्षका समय सम्भव दिखाई देता है । अतः यह बात निस्संशय होकर कही जा सकती है कि बलभी अथवा ईडरमें जयसे आदित्य उपाधिकी परम्परा प्रारंभ हुई तभीसे १९१ वर्ष गिने गये हैं । हम उपपत्तिने भी बाप्पाका उस समयके इतिहाससे संगत काल निकलता है । ओझाजीकी कल्पनाके अनुसार मान लें कि ७९१ के बदले कहीं १९१ पढ़ लिया गया तो बाप्पाके राज्यारोहणका काल ७३४ ई० आता है । दोनोंमें केवल ४ वर्षका अन्तर है । यदि यह मान लें कि गुहादित्य (उर्फ गुहसेन) ने राज्यारूढ़ होनेके चार वर्ष पहले ही ईडर शाखाकी

स्थापना की तो यही सन् ठीक मालूम होता है। तात्पर्य यह कि ओभा-
जीने बाप्पाके राज्यारोहणका जो काल-निर्णय किया है, हमारे निश्चित किये
हुए समयसे उसका अधिक अन्तर नहीं है, तथापि हमने १९१ की जो
नयी उपपत्ति दी है वह अधिक युक्तिसंगत और रायसागरके शिलालेखसे
समर्थित है। बाप्पाके राज्यारोहणका काल निश्चित हो जानेपर उसका जन्म-
काल, उसका वय अनुमानसे उस समय जितना मानें उसी हिसाबसे आगे
पीछे पड़ेगा। दन्तकथा इसे १५ वर्ष बताती है, पर वह अग्राह्य है। उसकी
उम्र उस समय १८ से ३० वर्षके बीच मानी जा सकती है, अतः उसका
जन्मकाल ७१२ ई० से ७०० ई० के बीच मानना होगा। इससे अधिक
निश्चित काल-निरूपणके लिए अभी साधन उपलब्ध नहीं हैं।

उपर्युक्त विवेचनमें बाप्पाके राज्यारोहणका सन् निश्चित किया जा चुका
है, फिर भी एक दो बातोंका और स्पष्टीकरण कर देना उचित होगा।
दन्तकथामें और रायसागरके शिलालेखमें १९१ वर्ष राज्यारोहणका
काल बताया गया है। उक्त लेखके पूर्व-संदर्भका विचार कर-
नेसे मालूम होता है कि विजयभूपके पुत्रने जयसे सेन उपाधि छोड़कर
आदित्य उपाधि ग्रहण की तबसे आरंभ कर यह वर्ष-गणना की गयी है।
यह निर्देश बलभी कुलके विषयमें हो है, यह बात स्पष्ट है। इस
कुलमें पहले सेन उपाधिवाले राजा हुए, पर पीछे सभी शीलादित्य
नामके राजा हुए। (देखिय बलभी वंशावली, प्रथम भाग) दुर्भाग्यसे
बलभी वंशावलीमें विजयसेन नाम नहीं है और दूसरी परम्परामें जो १४
नाम आदित्यांत दिये हैं उनमें भी पद्मादित्य, शिवादित्य आदि कई नाम
छूटे हुए हैं। केवल एक शीलादित्य नाम है (यह नाम बलभी राज-
वंशमें ७ बार आया है, ६ बार लगातार)। रायसागरके लेखमें जो पद्मा-
दित्य आदि नाम दिये हुए हैं उनके विषयमें विस्तारसे आगे लिखा
जायगा। पर यहाँ इतना कह देना उचित है कि हमारे मतसे ये नाम ईडर
अथवा नागादा (नागहृद) के राजाओंके हैं और ऐसा मानते हैं कि यह
शाखा बलभी कुलके गृहसेनसे निकली। इस धारणाकी पुष्टिके लिए कोई
लेखादि उपलब्ध नहीं है, हम केवल दन्तकथाके आधारपर ऐसा लिख

रहे हैं। पर यह शाखा ईडरमें रही हो अथवा नागदामें, इस बातका विशेष महत्व नहीं है। इतना निश्चित है कि रायसागरका लेख १७३२ वै० (१६७५ ई०) का है, उस समय तक उदयपुर राजकुलको जो कुछ मालूम था और जो उसकी धारणा थी वह इस लेखमें प्रकट की गयी है। उसके अनुसार जिस समय वलभी कुलके साथ उदयपुरके घरानेका सम्बंध मिलता है, तबसे बाष्पातक १९१ वर्ष बीत जाना माना जाता था। दन्तकथामें यह सम्बन्ध वलभी वंशके गुहसेनसे जोड़ा गया है और उसे ही गुहिल भी कहा है। इसका राज्यारोहण-काल ५३९ ई० है, उसमें १९१ जोड़नेसे ७३० ई० बाष्पाका राज्यारोहण-काल ठहरता है और यह काल इतिहाससे सुसंगत है। पहले कहा जा चुका है कि मानमोरीका ७७० वै० अर्थात् ७१३ ई० का शिलालेख उपलब्ध है। अरबोंने ७१२ ई० में सिंध विजय कर जब राजपूतानेपर चढ़ाई की तब ७३० ई० में बाष्पाने उन्हें हराकर मेवाड़की गद्दीसे मोरी राजाको हटाया और वह स्वतः राज्यारूढ़ हुआ।

अन्तमें हमें बाष्पाके राज्यत्यागका सन् निश्चित करना है। मेवाड़की दन्तकथाके आधारपर टाडने यह काल ८२० वै० माना है। परन्तु रायबहादुर गौरीशंकर हीराचन्द ओझाने, अनेक लेखोंके श्रकोंसे ही नहीं, बल्कि “खचन्द्रदिग्गज” इस स्पष्ट शब्दसे भी दिखाया है कि यह काल ८१० वै० है। (एकलिंग माहात्म्य तथा अन्य लेख प्रमाणमें दिये हैं। पृ० २७०) पर उन्होंने यह भी लिखा है कि बीकानेरके शिलालेखमें यह काल “नाक पञ्चाष्टपट” (६८५) दिया हुआ है। इसमें ७८ मिलानेसे ७६३ ई० आता है। और भी ५७ साल जोड़ देनेसे विक्रम संवत् ८२० ही आ जाता है। (डाक्टर टेसिटोरी द्वारा सम्पादित भाटोंके तथा अन्य लेखोंकी वर्णनात्मक सूची, भाग २, पृ० ६३) इस प्रकार मेवाड़ और बीकानेरके लेखोंमें फर्क होनेसे इस कालके ८१० अथवा ८२० विक्रमानन्द होनेका संशय रह जाता है। हमारे मतसे इनमें ८२० वै० ही ग्राह्य है। कारण यह कि यह दन्तकथा सर्वमान्य है कि बाष्पाने बहुत बरसोंतक राज्य किया और अन्तमें प्राचीन कालके राजाओंकी तरह पुत्रको राज्य सौंपकर श्री एकलिंगके

स्थापना की तो यही सन् ठीक मालूम होता है। तात्पर्य यह कि ओझा जीने बाप्पाके राज्यारोहणका जो काल-निर्णय किया है, हमारे निश्चित किये हुए समयसे उसका अधिक अन्तर नहीं है, तथापि हमने १९१ की जो नयी उपपत्ति दी है वह अधिक युक्तिसंगत और रायसागरके शिलालेखसे समर्थित है। बाप्पाके राज्यारोहणका काल निश्चित हो जानेपर उसका जन्म-काल, उसका वय अनुमानसे उस समय जितना मानें उसी हिसाबसे आगे पीछे पड़ेगा। दन्तकथा इसे १५ वर्ष बताती है, पर वह अग्राह्य है। उसकी उम्र उस समय १८ से ३० वर्षके बीच मानी जा सकती है, अतः उसका जन्मकाल ७१२ ई० से ७०० ई० के बीच मानना होगा। इससे अधिक निश्चित काल-निर्णयके लिए अभी साधन उपलब्ध नहीं हैं।

उपर्युक्त विवेचनमें बाप्पाके राज्यारोहणका सन् निश्चित किया जा चुका है, फिर भी एक दो बातोंका और स्पष्टीकरण कर देना उचित होगा। दन्तकथामें और रायसागरके शिलालेखमें १९१ वर्ष राज्यारोहणका काल बताया गया है। उक्त लेखके पूर्व-संदर्भका विचार करनेसे मालूम होता है कि विजयभूषके पुत्रने जबसे सेन उपाधि छोड़कर आदित्य उपाधि ग्रहण की तबसे आरंभ कर यह वर्ष-गणना की गयी है। यह निर्देश बलभी कुलके विषयमें हो है, यह बात स्पष्ट है। इस कुलमें पहले सेन उपाधिवाले राजा हुए, पर पीछे सभी शीलादित्य नामके राजा हुए। (देखिय बलभी वंशावली, प्रथम भाग) दुर्भाग्यसे बलभी वंशावलीमें विजयसेन नाम नहीं है और दूसरी परम्परामें जो १४ नाम आदित्यांत दिये हैं उनमें भी पद्मादित्य, शिवादित्य आदि कई नाम झूठे हुए हैं। केवल एक शीलादित्य नाम है (यह नाम बलभी राज-वंशमें ७ बार आया है, ६ बार लगातार)। रायसागरके लेखमें जो पद्मादित्य आदि नाम दिये हुए हैं उनके विषयमें विस्तारसे आगे लिखा जायगा। पर यहाँ इतना कह देना उचित है कि हमारे मतसे ये नाम ईदर अथवा नागदा (नागहद) के राजाओंके हैं और ऐसा मानते हैं कि यह शाखा बलभी कुलके गुहलेनसे निकली। इस धारणाकी पुष्टिके लिए कोई लेखादि उपलब्ध नहीं हैं, हम केवल दन्तकथाके आधारपर ऐसा लिख

रहे हैं । पर यह शाखा ईडरमें रही हो अथवा नागदामें, इस बातका विशेष महत्व नहीं है । इतना निश्चित है कि रायसागरका लेख १७३२ वै० (१६७५ ई०) का है, उस समय तक वदयपुर राजकुलकी जो कुछ मालूम था और जो उसकी धारणा थी वह इस लेखमें प्रकट की गयी है । उसके अनुसार जिस समय बलभी कुलके साथ उदयपुरके घरानेका सम्बंध मिलता है, तबसे बाप्पातक १९१ वर्ष बीत जाना माना जाता था । दन्तकथामें यह सम्बन्ध बलभी वंशके गुहसेनसे जोड़ा गया है और उसे ही गुहिल भी कहा है । इसका राजयारोहण-काल ५३९ ई० है, उसमें १९१ जोड़नेसे ७३० ई० बाप्पाका राजयारोहण-काल ठहरता है और यह काल इतिहाससे सुसंगत है । पहले कहा जा चुका है कि मानमोरीका ७७० वै० अर्थात् ७१३ ई० का शिलालेख उपलब्ध है । अरबोंने ७१२ ई० में सिंध विजय कर जब राजपूतानेपर चढ़ाई की तब ७३० ई० में बाप्पाने उन्हें हराकर मेवाड़की गद्दीसे मोरी राजाको हटाया और वह स्वतः राज्यालङ्घ हुआ ।

अन्तमें हमें बाप्पाके राज्यत्यागका सन् निश्चित करना है । मेवाड़की दन्तकथाके आधारपर टाडने यह काल ८२० वै० माना है । परन्तु रायबहादुर गौरीशंकर हीराचन्द ओझाने, अनेक लेखोंके श्रंकोसे ही नहीं, बल्कि “खचन्द्रदिग्गज” इस स्पष्ट शब्दसे भी दिखाया है कि यह काल ८१० वै० है । (एकलिंग माहात्म्य तथा अन्य लेख प्रमाणमें दिये हैं । पृ० २७०) पर उन्होंने यह भी लिखा है कि बीकानेरके शिलालेखमें यह काल “शक पञ्चाष्टषट्” (६८५) दिया हुआ है । इसमें ७८ मिलानेसे ७६३ ई० आता है । और भी ५७ साल जोड़ देनेसे विक्रम संवत् ८२० ही आ जाता है । (डाक्टर टेसिटोरी द्वारा सम्पादित भाटोंके तथा अन्य लेखोंकी वर्णनात्मक सूची, भाग २, पृ० ६३) इस प्रकार मेवाड़ और बीकानेरके लेखोंमें फर्क होनेसे इस कालके ८१० अथवा ८२० विक्रमाब्द होनेका संशय रह जाता है । हमारे मतसे इनमें ८२० वै० ही ब्राह्म है । कारण यह कि यह दन्तकथा सर्वमान्य है कि बाप्पाने बहुत बरसोंतक राज्य किया और अन्तमें प्राचीन कालके राजाओंकी तरह पुत्रको राज्य सौंपकर श्री एकलिंगके

निकट तप करते चला गया । यदि ओझाजीके स्वीकार किये हुए कालको ठीक मानें तो बाप्पाका जन्म ७१२ ई० में, राज्यारोहण ७३४ ई० में और राज्यत्याग ७५३ ई० (८१० वै०) में पड़ता है । इसका अर्थ यह हुआ कि राज्य-परित्यागके समय उसकी उम्र कुल ४१ वर्षकी थी और उसने केवल १९ वर्ष राज्य किया । इस कारण हमारा दिया हुआ सन् अधिक संगत है । बाप्पाका जन्म ७०० ई० में, राज्यारोहण ७३० ई० में और राज्य-त्याग ७६३ ई० में (८२० वै०) माननेसे उसका राज्यकाल ३३ वर्ष और राज्यपरित्यागके समय उसका वय ६३ वर्षका ठहरता है और यह इस दन्तकथासे अधिक संगत है कि बाप्पा ने बहुत वर्ष राज्य करके उत्तर वयमें सिंहासन-त्याग किया । तात्पर्य यह कि बाप्पाके राज्यत्यागका सन् बीकानेरकी लिखित परम्परा तथा टाडकी दी हुई मेवाड़की दन्तकथान्तक परम्पराके अनुसार ८२० ही मानना ठीक है । इस प्रकार यद्यपि ओझाजीका और हमारा मतभेद है, पर वह बहुत थोड़ा है और यह बात तो निर्विवाद है कि ओझाजीने दो तीन भूलें स्पष्ट रूपसे दिखाकर अनेक लेखोंका आधार जिज्ञासु पाठकोंके सामने रख दिया है, जिससे प्रत्येक पाठकको इस सम्बन्धमें अपना मत उचित प्रकारसे स्थिर करनेका साधन प्राप्त हो गया है । अस्तु, मतभेदकी बातोंको छोड़ दें तो यह बात निश्चित रहती है कि ७५० ई० में बाप्पा चित्तौड़की गद्दीपर था ।

३—गुहिलोत वंशावलीमें बाप्पाका स्थान ।

यह प्रश्न बाप्पा सम्बन्धी प्रश्नोंमें अत्यन्त वादग्रस्त है और दुर्भाग्यसे इस विषयमें श्रीगौरीशंकर ओझाके साथ हमारा गहरा मतभेद है । उनके मतसे गुहिलोत वंशावलीका कालभोज बाप्पा है और हमारे मतसे इस वंशावलीका प्रथम पुरुष गुहदत्त ही बाप्पा है । इस वंशावलीकी अन्य बातोंके सम्बन्धमें अधिक मतभेद नहीं है । डाक्टर भांडारकरने हालमें ही जो आटपुराका शिलालेख प्रकाशित किया है वह सर्वमान्य है और उसमें दी हुई वंशावली इस समय प्रायः सर्वस्वीकृत है । इस शिलालेखके

भारम्भके श्लोकका महीदेव शब्द वादग्रस्त है जिसके विषयमें विस्तारसे इस भागमें लिखा जा चुका है। इस श्लोकका गुहदत्त कोन है, इस विषयमें बहुत मतभेद है। श्लोक इस प्रकार है—

आनन्दपुरविनिर्गत विप्रकुलान्दजो महीदेवः ।

जयतिश्रीगुहदत्त प्रभवः श्रीगुहिलवंशस्य ॥

अर्थ—“विप्रकुलको आनन्द देने वाले आनन्दपुरसे आये हुए श्री गुहिलवंश-संस्थापक श्रीगुहदत्तकी जय हो।” इसके बाद इस लेखमें राजाओंके नाम दिये हैं जो इस प्रकार हैं—२ गुहिल, ३ भोज, ४ महेन्द्र, ५ नाग, ६ शील, ७ अपराजित, ८ महेन्द्र द्वितीय और ९ कालभोज। श्रीभाजी इनमेंसे कालभोजको बाप्पा मानते हैं, पर हम पहले गुहदत्तको ही। हमारे ऐसा माननेका आधार केवल दस्तकथा ही नहीं, किन्तु आबू और चित्तौड़के शिलालेखोंमें दी हुई वंशावलियाँ भी हैं। श्रीभाजीने २७५ पृष्ठपर भिन्न भिन्न ५ शिलालेखोंसे ५ वंशावलियाँ कोष्ठकके रूपमें उद्धृत की हैं। ये पाँच लेख हैं—१ आटपुराका लेख (१०३४ वै०), २ चित्तौड़का लेख (१३३५ वै०), ३ आबूका लेख (१३४२ वै०), ४ बाणपुरका लेख (१४३६ वै०) और ५ कुमारगढ़का लेख (१५१७ वै०)। इनमेंसे तीन—चित्तौड़, आबू और बाणपुरके—लेखोंमें बाप्पा मूलपुरुष और गुहिल उसका पुत्र बताया गया है। भोज, शील और कालभोज उसके वंशज बताये गये हैं। कुमल गढ़के लेखमें शीलकी जगह बाप्पाका नाम है और उसकी चौथी पीढ़ीमें कालभोजको रखा है। आटपुरा वाले लेखमें बाप्पाका नाम दिया ही नहीं है। पर चूँकि इसके छः ही वर्ष पहलेके अर्थात् १०२८ वै० के नरवाहनके लेखमें बाप्पाका नाम प्रारंभमें ही दिया गया है इसलिये यह बात असंदिग्ध जान पड़ती है कि इस लेखके लेखकने गुहदत्तको ही बाप्पा माना है। यही नहीं, उसने जो केवल गुहदत्तका ही जयकार किया है और उसे गुहिल-वंशका जनक कहा है इससे भी यही अनुमान निकलता है कि गुहदत्त और बाप्पा एक ही व्यक्तिके नाम हैं।

अब यह भी देख लीजिये कि किन भड़चनोंके कारण ओझाजीको सरल सार्ग छोड़ कर कालभोजको बाप्पा मानना पड़ा और क्या वे भड़चन अपरिहार्य हैं। पहली भड़चन शील और अपराजित राजाओंके शिलालेखोंसे उत्पन्न होती है। इस वंशावलीमें ये नाम आये हैं और इनके शिलालेखोंका काल क्रमसे ७०३ और ७०८ विक्रमाब्द है। अर्थात् इन राजाओंका समय ६४६ ई० और ६६१ ई० ठहरता है और बाप्पाके राज्या-रोहणका काल ७३० ई० एक प्रकारसे निश्चित हो चुका है, अतः ये राजा बाप्पाके वंशज नहीं हो सकते, बल्कि बाप्पाको ही इनका, कमसे कम इनसे तीन पीढ़ी बादका, वंशज मानना पड़ेगा। पर ये राजा इसी गुहिलवंशके अन्तर्गत हुए हैं, ऐसा निश्चय करनेका इनके लेखोंमें कुछ भी मसाला नहीं है। ये गुहिलवंशी हैं—बस इतना ही निश्चित हो सकता है। पर गुहिल नाम भी अनेक राजाओंका है, और गुहिल-वंश भी एकाधिक हैं। चारसके लेखमें गुहिल नाम दो बार आया है और वर्तमान कालमें उदयपुरके गुहिलवंशी तथा भावनगरके गुहिलवंशी दो सर्वथा भिन्न राजकुल हैं। और यदि इन सबको एक ही गुहिलवंशके राजा मानें तो भी यह बात हो सकती है कि जिन राजाओंके ६४६ ई० और ६६१ ई० के शिलालेख मिले हैं वे बाप्पाके पूर्वज दूसरे ही राजा हों और पुनः वही नाम बाप्पा (७३० ई०) के बाद इस वंशमें आये हों। अतः यह कठिनाई अनिवार्य नहीं है।

पहला कारण यह है कि गुहिल बाप्पाका पुत्र था और वह स्वयं भी गुहिलवंशमें जन्मा था, अर्थात् उसका एक पूर्वज गुहिल था। चित्तौड़ और आनंदके शिलालेख स्पष्ट रूपसे बताते हैं कि बाप्पाका पुत्र गुहिल था, और वह उसके बाद गद्दीपर बैठा तथा उसीके नामसे आगे वंश चला। (यस्य नामकलितं किल जातिं भूभुजो दधति नत्कुलजाताः) यह नाम गुहिल वंश है, जिसे आजकलकी भाषामें गुहिलपुत्र अथवा गुहिलोत्त कहते हैं। अतः इतने पुराने लेखों (१३३२ और १३४१ वै०) को अमान्य कर बाप्पाको कालभोज और उसका पुत्र कोई मनमाना किस लिए मान ले ? नरवाहनके लेख (१०२८ वै०) के 'गुहिलगोत्रनरेन्द्रचन्द्र'

पदका अर्थ दो प्रकारसे हो सकता है । या तो गुहिल गोत्रसे बाप्पाके बादके सब राजाओंका अभिप्राय समझकर उन्हें तारासमूह और बाप्पाको चन्द्र मानें अथवा बलभीके गुहसेनसे नागदामें जो गुहिलगोत्र चला और जिलमें बाप्पाका जन्म हुआ उस गोत्रके राजतारकोंके मध्य बाप्पाके चन्द्रवत् होनेका अर्थ करें । तात्पर्य यह कि दोनों गुहिल इसी कुलमें हुए—एक बाप्पाका पुत्र और दूसरा उसका पूर्वज—इस विषयमें हमारे मनमें शंका नहीं है । बाप्पाके पूर्वके राजाओंकी गुहिल संज्ञा थी और बाप्पाके बादके राजाओंके लिए गुहिलीय संज्ञा रख हुई । सम्भवतः यह दूसरी संज्ञा पिछले राजाओंसे भेद दिखानेके लिए ही प्रचलित हुई होगी ।

इस रीतिसे आटपुरा और चित्तौड़के लेखोंकी संगति भलीभाँति हो जाती है । इसके बादके लेखोंमें कुछ राजाओंके नाम नहीं हैं, महस्वहीन होनेके कारण छोड़ दिये गये हैं । परन्तु आटपुरा-लेखके गुहदत्त और गुहिलको एक ही मानने और आगे कई पीढ़ियोंके बाद होने-वाले कालभोजको बाप्पा मान लेनेसे इन दोनों लेखोंमें प्रारंभमें ही बड़ा भारी विरोध पड़ जायगा । हमारे विचारसे आटपुरा-लेखके प्रथम श्लोकके गुहदत्तको गुहिलसे भिन्न माननेमें कोई बाधा नहीं । 'गुहदत्तः प्रभवः श्री गुहिलवंशस्य' इन पदोंसे गुहदत्त और गुहिलका एक ही होना सूचित नहीं होता । कारण यह कि गुहिलवंशका जनक गुहदत्त था—इस कथनमें इस कथाका अन्तर्भाव है कि गुहिल गुहदत्तका पुत्र था और उसीके नामपर उसके कुलकी संज्ञा बनी । इसके सिवाय गुहदत्तका जयजयकार हो, इस कथनसे ध्वनित होता है कि गुहदत्त अत्यन्त पूज्य और महस्वशाली राजा था । यदि गुहदत्तको बाप्पा न मानकर उसकी कई पीढ़ी पीछे होने वाले कालभोजको बाप्पा मानें तो यह भी मालूम करना होगा कि गुहदत्तने कौनसा सर्वातिशय पराक्रम किया था । फिर चित्तौड़में गुहिलोंका राज्य स्थापित करनेका श्रेय वंश-संस्थापकको न मिल कर कई पीढ़ी बाद होनेवाले कालभोजको प्राप्त होगा !

जान पड़ता है, यह दोष श्रीगौरीशंकर ओझाके ध्यानमें भी आ गया था । क्योंकि उन्होंने यह दिखानेके लिए कि वंश-संस्थापक गुहदत्त उर्फ

गुहिल प्रबल पराक्रमी था, कहा है कि उसके सिक्के आगराके पास मिलनेसे प्रकट होता है कि उसके राज्यकी सीमा आगरा तक थी (पृ० २८३)। ये सिक्के दस पांच नहीं, एकदम दो हजार मिले हैं। अतः यह नहीं कहा जा सकता कि कोई मेवाड़से इन्हें ले गया होगा। कनिंगहम आर्कियालॉजिकल सर्वे रिपोर्ट, भाग ४ के सम्पादक श्री कार्लाइल कहते हैं कि ये सिक्के नहीं प्रचलित थे (पृ० ९५)। हमने यह रिपोर्ट निकाल कर देखी तो मालूम हुआ कि श्री कार्लाइलके मतसे यह गुहिल आठपुराके शिलालेखका गुहिल नहीं हो सकता। ओझाजी इसे शील और अपराजितका पूर्वज मानते हैं। पेसी दशामें इसका समय ५९८ ई० के आसपास पड़ता है। हम आगे दिखायेंगे कि आठपुरावाले लेखमें दी हुई वंशावलीके प्रत्येक राजाके राज्यकालका औसत १२ वर्ष आता है, २० वर्ष नहीं। शीलका शिलालेख ६४६ ई० का है। गुहिलका स्थान इससे ऊपरकी चौथी पीढ़ीमें है। अतः इसमें से ४८ वर्ष घटा देनेसे ५९८ ई० आता है। इस समय भारतवर्षमें यानेश्वरका प्रतापवर्द्धन अत्यन्त शक्तिशाली राजा था। अतः इस समय गुहिलका राज्य उत्तर भारतमें आगरातक विस्तृत होना संभव नहीं। यदि प्रत्येक पीढ़ीका औसत राज्यकाल २० वर्ष मान लें और गुहिलका समय और भी ४० साल पीछे ले जायें तो उसका समय ५५८ के आसपास पड़ेगा। पर यह गुहिल बलभी वंशके गुहसेनसे भिन्न नहीं हो सकता। श्री कार्लाइलने उसीका नाम सुझाया भी है। ये लिखते हैं—“आगराके पास १८६९ ई० में दो हजार सिक्के मिले हैं। उनपर संस्कृतकी एक प्राचीन पश्चिमी लिपिमें ‘गुहिल श्री’ अथवा ‘श्री गुहिल’ लिखा हुआ मैंने स्पष्ट पढ़ लिया है। ये सिक्के मेवाड़के गुहिलोत वंशके संस्थापक श्री गुहदत्त अथवा गुहिलके ही (७५० ई०) माने गये हैं, पर इनपरके अक्षर इतने इधरके नहीं हैं, बल्कि बहुत प्राचीन कालके हैं। तब ये सिक्के बलभी अथवा सौराष्ट्र राजवंशके शीलदित्यके पुत्र गुहिल अथवा गुहादित्य अथवा ग्रहादित्यके हो सकते हैं। उसका समय निश्चित नहीं हुआ है पर वह छठी ईसवी शताब्दीके आसपास मालूम होता

है।" बलभी अथवा सौराष्ट्रका इतिहास कालांडलके समयतक पूर्ण रूपसे उपलब्ध नहीं हुआ था, तथापि उन्होंने उक्त सिक्कोंको छठी शताब्दीके आसपासका बताया है और ये सिक्के गुहिलवंश शाखाके संस्थापक बलभीके प्रथम गुहदत्तके हैं, यह अनुमान उन्होंने भी किया है। हमें आज निश्चित रूपसे मालूम है कि गुहसेनका राज्यकाल ५३९ से ५६९ ई० तक है और इसीने पहले पहल नामशेर गुप्तवंशका आधिपत्य अस्वीकार कर स्वाधीनताकी घोषणा की। गुप्तवंशके पतनकालमें इसका राज्य आगरेतक फैल जाना संभव है, क्योंकि अभीतक धानेश्वरके वर्द्धन अथवा कन्नौजके मौखरि राजा प्रबल नहीं हुए थे। इस प्रकार यह बात निश्चित होती है कि गुहिल नामके दो राजा प्रसिद्ध हुए—एक बाप्पाका पूर्ववर्ती और दूसरा उसका पुत्र गुहिल जिसके नामपर उसके वंशका नाम गुहिलोत्त पड़ा। हमारा कहना है कि जिन शील तथा अपराजितके ६४६ और ६६१ ई० के शिलालेख मिले हैं वे बाप्पाके पूर्वज तथा पूर्व-गुहिलवंशी थे, और आटपुराके लेखमें जिन शील और अपराजितके नाम आये हैं वे दूसरे हैं तथा बाप्पाके वंशज हैं। एक ही वंशमें बारम्बार वही नाम आता है, यह सभी जानते हैं।

यहाँ चाटसुके लेखपर पुनः विचार करना आवश्यक है, क्योंकि उसमें गुहिलवंशका उल्लेख है और यह गुहिलवंश तथा मेवाड़का गुहिलवंश एक मान लिया गया है। इस शिलालेखमें सर्वपट्टसे प्रारम्भ कर बारह राजाओंके नाम दिये गये हैं और वे इस प्रकार हैं—१ ईशानभट, २ उपेन्द्रभट, ३ गुहिल, ४ धनिक, ५ ओक, ६ कृष्णराज, ७ शंकरगण, ८ हर्षराज, ९ गुहिल, १० भट्ट, ११ भटादिल और १२ विग्रह राज। इनमेंसे हर्षराजके सम्बन्धमें लिखा है कि इसने उत्तरके राजाओंको जीत लिया और भोजराजको बड़ा नज़र किया। इससे सूचित होता है कि वह भोजराजका समकालीन और उसके अधीन था। उसका समय ८४० ई० ठहरता है। डाक्टर भाण्डारकरके कथनानुसार इस भोजको कन्नौजका सम्राट् भोज प्रतिहार मान कर यह समय दिया गया है। अब हम वंश-संस्थापक सर्वपट्टका समय श्रीहर्षसे आठ पीढ़ी ऊपर मानें

तो यह $८४० - १६० = ६८०$ ई० के लगभग आता है। बाप्पाका निश्चित समय ७५० ई० है और कालभोजको ही बाप्पा मान लें तो आटपुराकी वंशावलीमें भी भर्तृपट्ट कालभोजके ६ पीढ़ी नीचे रखा गया है। फलतः वह भर्तृपट्ट यह नहीं हो सकता। चाटसुके लेखका भर्तृपट्ट गुहिलवंशी अवश्य है, पर वह ६८० ई० के आसपासका है और आटपुराके लेखका भर्तृपट्ट (७५० ई०) बहुत वर्ष बाद हुआ। अतः यही मानना ठीक है कि भर्तृपट्ट नाम इस वंशमें दो तीन बार आया और एक भर्तृपट्ट बाप्पाके पहले और एक पीछे हुआ। इसी प्रकार बाप्पाके पूर्वके भर्तृपट्टका गुहिलवंश आटपुरावाले लेखमें कथित गुहिलवंशसे भिन्न है। गुरुदत्त अथवा गुहिल और कालभोजके बीच कोई भर्तृपट्ट नहीं हुआ। फलतः ऐसा दिखाई देता है कि चाटसुके शिलालेखमें वर्णित गुहिलवंश बाप्पाके पहलेका है जिसमें शील (६४६ ई०) तथा अपराजित, ये दो राजा हुए और इस वंशका आरम्भ बलभीके गुहसेन अथवा गुहिल राजासे हुआ। तात्पर्य यह कि चाटसु शिलालेखका गुहिलवंश, और आटपुरा शिलालेखका गुहिलवंश, जैसा कि श्री गौरीशंकर ओझा मानते हैं, एक नहीं हैं। (पृ० २०३)

इस प्रकार शील और अपराजितके शिलालेखोंसे उत्पन्न होनेवाली कठिनाईका परिहार हो जाता है। अब दूसरी अड़चन यह उपस्थित होती है कि यदि गुरुदत्तको ही बाप्पा मानें तो आटपुरा-लेखकी वंशावलीके राजाओंका औसत राज्यकाल बहुत कम ठहरता है। बाप्पाने ७६३ ई० में राज्य-त्याग किया, यह हम स्थिर कर चुके हैं। इसके बादकी वंशावलीके शील और अपराजितको पहलेके शील-अपराजितसे भिन्न मानें तो भर्तृपट्ट द्वितीय, जिसका १००० विक्रमाब्द (९४३ ई०) का शिलालेख मिला है, १६ वीं पीढ़ीका राजा ठहरता है। अतः १५ पीढ़ियोंके लिए १८० वर्षका ही समय बचता है। अर्थात् प्रत्येक पीढ़ीके राज्य-कालका औसत १२ साल आता है। यह बहुत ही कम है। इसीसे डाक्टर भांडारकरने काल-भोजके पुत्र प्रथम सोमनाथको ही बाप्पा बना दिया है। इससे प्रत्येक पीढ़ीका औसत काल २०-२० वर्ष पड़ जाता है। पर साधारणतः माने

हुए औसतको कायम रखनेके लिए स्पष्टतः वर्णित वंशावलीमें उलट-पुलट करना कदापि उचित नहीं है । कारण यह कि पहले तो हम इसी वंशावलीमें देखते हैं कि भर्तृपट्ट द्वितीय (१००० वै०) के बादके चार राजाओंमें से प्रत्येकके लिए १२ वर्षसे भी कम समय पड़ता है । शक्तिकुमारका शिलालेख १०३८ वै० का मिला है । इस प्रकार आदपुराके लेखमें ही ३८ वर्षमें चार पीढ़ियोंका होजाना बताया गया है । अर्थात् प्रत्येक पीढ़ीके लिए ९ ही वर्ष दिये गये हैं । फिर, यदि कालभोजको ही बाप्पा मानें और जिस शीलका ६४६ ई० का शिलालेख मिला है उसे उसका पूर्वज मानें तो जब बाप्पाका राज्यारोहण-काल ७३० ई० निश्चित हो चुका है तब आगे शीलतक तीन ही राजा होते हैं और उनका राज्यकाल ८६ वर्ष—प्रत्येक पीढ़ीका २९ वर्ष—रखना पड़ता है । ओभाजीकी रायमें ऐसा होना असम्भव नहीं है, क्योंकि अर्थाचीन इतिहासमें अकबर, जहाँगीर, शाहजहाँ और औरङ्गजेब लगातार चार राजाओंका दीर्घ कालतक राज्य करते जाना मिलता है । पर इसपर हमारा निवेदन यह है कि जैसे लगातार दीर्घकालतक राज्य करनेवाले राजाओंका दृष्टान्त इतिहासमें मिलता है वैसेही अल्प कालतक राज्य कर चल बसनेवाले राजाओंकी परम्परा भी उसमें उपलब्ध है । उदाहरणार्थ, पेशवाओंने लगभग १०० वर्ष राजकाज किया और इतने ही समयमें उनकी ७ पीढ़ियाँ हो गयीं (१ बालाजी, २ बाजीराव, ३ नाना साहब, ४ माधवराव, ५. नारायण राव, ६ सवाई माधवराव और ७ बाजीराव द्वितीय; बीचमें ग्धुनाथ राव और अमृतराव जो आ कूदे थे वह अलग ही है) । इनका औसत १४ वर्ष पड़ता है । तब यह कि केवल २० वर्षका निश्चित औसत निकालनेके ही लिए शिलालेख-वर्णित वंशावलीमें उलट-पुलट करना अनुचित है ।

यहाँ यह कहा जा सकता है कि आदपुरावाले शिलालेखके प्रथम श्लोकमें जिस गुहदत्तका वर्णन है उसे हमारे मतानुसार गुहिलसे भिन्न मानें और उक्त लेखमें जो १ गुहदत्त, २ गुहिल, ३ भोज, ४ महेंद्र, ५ नाग, ६ शील—इस क्रमसे वंशावली दी है, उसमें छठे शीलको वही शील मानें जिसका ७०३ विक्रमाब्द (६४६ ई०) का शिलालेख मिला है तथा उसके

ऊपरकी ५ पीढ़ियोंमेंसे प्रत्येकका समय २०—२१ वर्षका रखें तो गुहदत्त-
का समय १०० वर्ष आगे जाकर ५४६ के आसपास ठहरता है और इस
प्रकार वह बलभी राजवंशका गुहसेन ठहरता है। यही नहीं, कालभोज-
को ही बाप्पा मान कर गुहसेनसे कालभोजतककी पीढ़ियोंको ही लें तो भी
निष्कर्ष यही निकलता है। क्योंकि कालभोज उर्फ बाप्पाका राज्यारोहण-
काल तो ७३४ ई० निश्चित हो चुका है। उससे पहलेकी पीढ़ियाँ आटपुरा-
लेखमें इस प्रकार दी हुई हैं—१ गुहदत्त, २ गुहिल, ३ भोज, ४ महेन्द्र, ५
नाग, ६ शील, ७ अपराजित, ८ महेन्द्र द्वितीय। आठ पीढ़ियोंमेंसे प्रत्येकका
राज्यकाल २५ वर्ष रखें तो गुहदत्तका समय २०० वर्ष पीछे जाता है
तो बलभीके गुहसेनका ही समय (५३९ ई०) है। यह निष्कर्ष एक
दृष्टिसे हमें अनुचित नहीं जान पड़ता। कारण यह कि बलभी वंशके
जैसे राजासे नागदावाली शाखा निकली, आटपुरावाले लेखमें उसका
प्रथम उल्लेख होना ठीक ही है। परन्तु पंडित गौरीशंकर ओझा आटपुरा-
वाले लेखके गुहदत्तको ही बलभीका गुहसेन मानते हैं, ऐसा स्पष्ट नहीं
देखाई देता। उनके मतसे किसी अनिश्चित राजाके सिक्के आगरेके पास
मिले हैं और वही गुहदत्त है। पर ओझा जी अथवा दूसरा कोई व्यक्ति कहे
कि गुहदत्त और बलभीके गुहसेन एक ही थे तो वह यद्यपि उपर्युक्त रीतिसे
ठीक होगा, परन्तु आटपुरा और चित्तौड़वाले लेखोंकी अभिज्ञताका
विचार रखते हुए हमारे मनमें यह बात नहीं बैठती, कारण यह कि ऐसा
होनेसे आटपुरावाले लेखमें बाप्पाके स्रसाधारण पराक्रम—मुसलमानोंको
हरा कर चित्तौड़की गद्दी हस्तगत करने—की उपेक्षा होती है, जो वहां
उल्लेखनीय है। फिर कालभोजका नाम लेनेके समय कुछ तो उसकी बड़ाईकी
चर्चा होनी ही चाहिये थी। पहले श्लोकका जयजयकार गुहसेनके हिस्से
पड़ा। बीचमें कहीं कुछ भी उल्लेख नहीं। १०३८ वै० के शिलालेखमें
बाप्पाके पराक्रम बालक नामतकका उल्लेख न होना असंभव बात है। ६ वर्ष
पहलेके नरवाहनके लेखमें बाप्पाका नाम भी आया है और उसकी बड़ाई
भी उचित प्रकारसे गायी गयी है (“गुहिल गोमत्ररेन्द्रचन्द्रः”)। दूसरी
बात यह कि “आनन्दपुरचिनिर्गत” विशेषणका गुहसेनके विषयमें प्रयोग

नहीं हो सकता । चल्भीका ही नाम आनन्दपुर होनेकी बात अभीतक प्रसिद्ध नहीं हुई है । यह सही है कि आनन्दपुर नाम कई नगरोंको मिल चुका है और आजकल विशेषतः बड़नगरका नाम है और यदि गुहदत्त ब्राह्मण रहा होता तो उसके लिए आनन्दपुरका महीदेव अर्थात् बड़नगरका ब्राह्मण कहना ठीक ही होता । पर हम पहले ही दिखा आये हैं कि गुहदत्त न तो ब्राह्मण था और न बड़नगरका निवासी । क्योंकि आबू और चित्तौड़के शिलालेखोंमें आनन्दपुरसे नागदाका अभिप्राय होना स्पष्ट है । अतः “आनन्दपुरविनिर्गत” (नागदासे आया हुआ) विशेषण बाप्पाके लिए ही प्रयुक्त हो सकता है । वह मूलतः नागदा-निवासी था और उसने चित्तौड़के गुहिलवंशकी स्थापना की । डाक्टर भांडारकर अपनी आदत्तके अनुसार चित्तौड़के शिलालेखका भाषान्तर देते समय भी “तद्” शब्दका अर्थ करना छोड़ गये हैं । “जीयादानन्दपूर्व तदिहपुरमिलाखण्ड सौन्दर्यशोभि” का अनुवाद (बंगाल रा० पृ० सो० म्यूसिरीज, जिल्द ५, पृष्ठ ७०) उन्होंने केवल “मे आनन्दपुर बां विकटोरियस विह्व शाह्वज्ज” इ० ७ दिया है । वास्तवमें “मे दैद आनन्दपुर” † होना चाहिये था । ‘तद्’ (वह) से पूर्व श्लोकमें वर्णित नागहृदका मतलब है । चित्तौड़वाले लेखके इस श्लोकसे स्पष्टतः यह अर्थ निकलता है कि बाप्पा नामधारी विप्र आनन्दपुर अर्थात् नागहृदका रहनेवाला था । आशय यह कि चित्तौड़ और आटपुरा दोनों स्थानोंके लेखोंसे यह बात स्पष्ट है कि बाप्पाका मूलस्थान आनन्दपुर अर्थात् नागहृद था और नागहृदका दूसरा नाम आनन्दपुर होनेकी बात प्रसिद्ध ही है । अतः हमारा कहना यह है कि आटपुरावाले लेखका “आनन्दपुरविनिर्गत” विशेषण गुहसेनके लिए नहीं व्यवहार किया जा सकता, बाप्पाके ही लिए किया जा सकता है, क्योंकि उसने वहाँसे आकर चित्तौड़ विजय किया और वहाँ स्थापित हुआ । ‘विनिर्गत’ शब्दका अर्थ यही होता है कि एक मनुष्य एक स्थानका निवासी था, पर उसे छोड़ कर वह अन्यत्र जा बसा । इसी प्रकार “विप्र कुलानन्दन” विशेषणका भी

* May Anandpur be victorious which shines etc.

† May that Anandpur

बाप्पाके लिए उचित रीतिसे प्रयोग किया जा सकता है। अवश्य ही इस शब्दका प्रयोग अनुप्रास (आनन्दपुर और आनन्दन) लानेके लिए किया गया है, फिर भी उसमें कुछ अर्थ तो होना चाहिये। अतः उसमें बाप्पाकी अतिशय ब्राह्मण-भक्ति और हारीत मुनिकी उचित सेवाका निर्देश दिखाई पड़ता है। हमारे मनसे सारी बातोंका बाप्पाके चरित्रसे पूरी तरह मेल है। जिस आटपुरा-लेखमें मेवाड़के समस्त राजकुलकी वंशावली दी हुई है उसमें बाप्पाके पराक्रम और वड्डपनकी चर्चातक न होना असंभव है, अतः यही जान पड़ता है कि इस श्लोकके पूर्वार्द्धमें बाप्पाका ही उल्लेख है। तात्पर्य यह कि नरवाहनके शिलालेख और थानू-चित्तौड़वाले शिलालेखोंकी संगति आटपुरावाले लेखसे बैठानेसे यह बात निश्चित जान पड़ती है कि इस (आटपुरा) शिलालेखके प्रथम श्लोकमें वंशसंस्थापक बाप्पाका ही जय-जयकार तथा गुहदत्त शब्दसे उसीका निर्देश किया गया है।

अन्तमें इस बातका विचार करना है कि उक्त श्लोकमें बाप्पाके लिए गुहदत्त नामका प्रयोग कैसे किया गया। हम इसी भागमें अन्यत्र (पृष्ठ ११४) लिख आये हैं कि बाप्पा मूल नाम था, वंशसंस्थापक होनेके कारण “बाप” (पिता) के अर्थमें इसका प्रयोग नहीं चला था। अब कहना यह है कि सम्पूर्ण वंशपरम्पराको देखते बाप्पाका दूसरा नाम भी होना संभव है, वह नाम गुहदत्त है, और वंशपरम्पराका सम्बन्ध दिखानेके लिए वह आटपुरावाले लेखमें दिया गया है। हमारे सिद्धान्तानुसार वलभी राजवंशकी एक शाखा नागदामें स्थापित हुई और उसीमें बाप्पाका जन्म हुआ। रायसागर वाले शिलालेखमें लिखा है कि इस शाखाके राजा ‘आदित्य’ उपपदवाले नाम ग्रहण किया करते थे। इस लेखमें ये नाम दिये हैं और उनका क्रम यह है—१ पद्मादित्य, २ शिवा-दित्य, ३ हरदत्त, ४ सुजसादित्य, ५ सुमुखादित्य, ६ सोमदत्त, ७ शील-दित्य, ८ केशवादित्य, ९ नागादित्य, १० भोगादित्य, ११ देवादित्य, १२ आसादित्य, १३ कालभोजादित्य, १४ गुहादित्य (भावनगर ई० ५४ १५०)। यह लेख सत्रहवीं सदीका है और मालूम होता है कि उस समय कितने ही नाम विस्मृत हो गये थे जिनकी जगह दूसरे नाम कल्पित

कर लिये गये हैं। पर इसमें एक नाम शीलादित्य आया है। यह वही शीलादित्य होगा जिसका ७०३ वै० का शिलालेख मिला है—ग्रो० रि० वेस्टर्न सर्किल १९०९, पृष्ठ ४८ पर जिस शीलादित्यका उल्लेख है उसका, (भांडारकर डी० आर० ई० ऐ० भाग ३९) केवल शील नामवाले राजाका नहीं। यहां यह बात ध्यानमें रखनी चाहिये कि मेवाड़में ऐसी दन्तकथा है कि वलभीसे वंशशाखा चल निकलने पर १४ पीढ़ियोंतक तो आदित्य उपवद बना रहा, पर जब बाप्पा ने नया वंश चलाया तब यह उपपद त्याग दिया गया और इसीसे आटपुरावाले लेखमें कोई नाम आदित्यान्त नहीं है। इस कारण हमारा कहना है कि इस लेखमें उल्लिखित शील भिन्न है और ७०३ वै० के शिलालेखका शीलादित्य भिन्न पुरुष है। पर जो बात हमें यहां मुख्यतः कहनी है वह यह है कि १४ नामोंमें अन्तिम नाम गुहादित्य है। दूसरी बात इस रायसागरवाले लेखसे यह भी दिखाई देती है कि दो चार नामोंके अन्तमें आदित्यके बदले केवल दत्त पद हैं और इसका कारण उच्चारणकी सुविधा होगा। अतः आटपुरावाले लेखका गुहदत्त नाम गुहादित्यके बदले लिखा जाना संभव है और श्लोककी वृत्त-मर्यादाकी रक्षाके लिए ऐसा किया गया होगा। बाप्पा नागदाके आदित्यान्त नामवाले राजाओंमें अन्तिम था। उसने चित्तौड़में अपना राज्य स्थापित किया और उससे एक अतिशय शौर्यशाली तथा प्रसिद्ध वंशका आरंभ हुआ। उसके पुत्रका नाम गुहिल होनेसे उस वंशको गुहिलीत नाम मिला। आटपुरा वाले प्रथम नागमण श्लोकका अर्थ हम ऐसा ही करते हैं और श्री गौरीशंकर नागमण श्लोकका अर्थ हमारा मतभेद होनेसे हम कुछ डरते डरते यह अर्थ पाठकोंके सामने रख रहे हैं। अन्तमें हम फिर कहना चाहते हैं कि आटपुरावाले लेख (१०३८ वै०) का अर्थ आबू और चित्तौड़ गढ़वाले लेखोंसे (१३३२ तथा ४१ वै०) मेल बैठकर ही करना उचित है। इन्हीं लेखोंकी पुनरुक्ति बाणपुरावाले लेख (१४९८ वै०)में हुई है। इन तीनों लेखोंमें दी हुई वंशावली इस प्रकार है—१ श्री बाप्पा, २ श्री गुहिल, ३ भोज, ४ महेन्द्र, ५ शील, ६ कालभोज, ७ भर्तृपट्ट, ८ सिंह आदि। इस अर्वाचीन लेखमें यदि वंशावलीमें थोड़ा अदल-बदल होगया हो तो उसका

पुराने लेखोंसे संशोधन कर लेनेसे ही काम हो जायगा । शिलालेखोंके पूर्व-
प्रामाण्यका नियम अवश्य होना चाहिये । पर जब अर्वाचीन लेखका पुराने
लेखसे विरोध न हो तब वह अवश्य माननीय है । अतः हम चित्तौड़ और
बाणपुरके तथा सर्वोपरि आटपुरावाले लेखको अग्राह्य कर कालभोज
अथवा खोम्भाणको बाण्पा मान लेनेके लिए तैयार नहीं हैं । फलतः हम
आटपुरावाले लेखकी विस्तृत वंशावलीके प्रारंभमें बाण्पाका नाम
रखते हैं ।


(७) हालकी ऐतिहासिक खोज और इस कालके इतिहासके सम्बन्धमें उससे उपलब्ध तथ्य ।

१—कन्नौजका प्रतिहार राजवंश ।

रायबहादुर गौरीशंकर ओझाने हालमें ही प्रतिहार राजवंशका एक
नया शिलालेख प्रकाशित किया है । इससे इस वंशके राजाओंकी सूचीमें
एककी वृद्धि होती है । इस राजाका नाम महेन्द्रपाल द्वितीय मालूम
होता है (प्रतापगढ़का शिलालेख, एपि० इ० भाग १४, पृष्ठ १८२७) ।
ओझाजीने इस लेखकी मिति १००३ पढ़ी है । उसे विक्रम संवत् माननेसे
इस लेखका काल ९४६ ई० ठहरता है । इस लेखमें वंशावलीका आरंभ
महाराज देवशक्तिसे किया गया है और प्रत्येक राजाकी माता और इष्ट-
देवका नाम भी दिया है । यह विशेषता प्रतिहार राजाओंके लेखोंकी
साधारण प्रथाके अनुरूप ही है । सम्राट् प्रतिहार धरानेकी जो वंशावली
हमने १७६—७७ पृष्ठपर दी है उसमें महेन्द्रपाल द्वितीयका नाम नहीं है ।
प्रतापगढ़में उपलब्ध दानपत्रका कर्ता यही है । उसमें यह विनायकपालका
पुत्र कहा गया है । खजुराहोके शिलालेखमें (एपि० इ० भाग १) हेरब-

पालके पुत्र हयपति देवपालका उल्लेख मिलता है और सियाडोनीका शिलालेख (एपि० इ० भाग १) भी “क्षितिपाल पादानुध्यात देवपाल” कहकर उसका १००५ विक्रमाब्द अर्थात् ९४८ ई० में उल्लेख करता है। ये दोनों देवपाल एक ही माने गये हैं (अर्थात् देवपालके पिता क्षितिपालका ही दूसरा नाम हेरम्बपाल होना मान लिया गया है), परन्तु पंडित गौरीशंकर ओझाकी राय है कि ये दोनों देवपाल एक नहीं किन्तु भिन्न भिन्न व्यक्ति हैं, क्योंकि प्रतिहार सम्राटोंकी उपाधि हयपति होना नहीं दिखाई देता। पर इस विषयमें हमारा मत यह है कि हयपति विशेषणसे कन्नौजके प्रतिहार राजाओंका ही बोध होता है। हम लिख चुके हैं कि अरबी प्रवासियोंके वर्णनोंसे प्रकट होता है कि कन्नौजके प्रतिहार राजा अपनी युद्धसवार सेनाके लिए प्रसिद्ध थे (देखो पृ० २५६)। दूसरे परिशिष्टमें उद्धृत शिलालेखोंके नवीन शिलालेखमें भी “वाजीश” शब्द स्पष्टतः कन्नौजके प्रतिहारोंके लिए लिखा हुआ मिलता है (पृ० ४४९)। अतः यह सिद्ध है कि कन्नौजके प्रतिहार राजाओंने चाहे स्वरूपसे हयपति पदवी ग्रहण न की हो अथवा अपने शिलालेखोंमें उसका व्यवहार न किया हो, परन्तु अन्य राष्ट्रों तथा उनके लेखोंमें उन्हें यह उपाधि दी गयी है। प्रतिहारोंने अपने लेखोंमें अपने आपको गुर्जर नहीं कहा है, परन्तु राष्ट्रकूट और अरब लेखकोंने उन्हें गुर्जर कहा है। इसी तरह यह पदवी भी दूसरोंके द्वारा उन्हें मिली हुई दिखाई देती है। अतः यह बात निश्चयपूर्वक कही जा सकती है कि खजुराहोवाले दूसरे राष्ट्रके लेखमें हेरम्बपालके पुत्र जिस हयपति देवपालका उल्लेख है वह कन्नौजका प्रतिहार राजा देवपाल ही है और उसीसे यशोवर्माको वैकुण्ठकी (विष्णुकी) मूर्ति प्राप्त हुई और सियाडोनीका लेख प्रतिहारोंका ही लेख है इसलिये उसमें “क्षितिपाल पादानुध्यात” मात्र कह कर उसीका (देवपालका) उल्लेख किया गया है। इन दोनों देवपालोंकी भिन्न भिन्न व्यक्ति मानकर ओझाजीने जो वंशावली दी है उसे यहाँ देनेकी आवश्यकता नहीं जान पड़ती, पर दोनोंको एक मानकर जो नयी वंशावली दी है उसे उद्धृत कर देना आवश्यक है। वह इस प्रकार है—

८ महेन्द्रपाल प्रथम
(लेख ९०३ और ९०७ ई०)



पंडित गौरीशंकर ओझाकी दी हुई इस वंशावलीके सम्बन्धमें हम अपने दो विचार पाठकोंके सामने रखना चाहते हैं। पहला यह कि यह बात संभव है कि देवपालका ही दूसरा नाम महेन्द्रपाल रहा हो। उसके समय ९४६ और ९४८ में बहुत ही थोड़ा अन्तर है। और महेन्द्र देवका ही एक विशिष्ट रूप है। दूसरा यह कि खजुराहोका पूर्वोक्त शिलालेख ९५४ ई० का है और उसके अन्तमें “विनायकपालके राजत्वमें” शब्द लिखे हैं, जिससे हमने यह निष्कर्ष निकाला है कि ९५४ ई० तक चन्देल राजा नामधारी प्रतिहार सम्राटोंका साम्राज्य स्वीकार करते थे। पर इस दशामें यह मानना पड़ेगा कि तबतक विनायकपाल जीवित था। परन्तु विनायकपाल उर्फ महीपाल इस समय मर चुका था, ९४८ ई० के सियाडोनीवाले शिलालेखमें उसके पुत्र देवपालका उल्लेख हुआ है। अब यह मान लें कि ९५४ ई० तक जीवित रहनेवाला विनायकपाल दूसरा था और मरणोन्मुख मुगल साम्राज्यका अधिकार जिस तरह मराठे और अंग्रेज मानते थे उसी प्रकार उसका (विनायकपालका) आधिपत्य चन्देल राजा स्वीकार करते थे, तो वंशावलीमें पुनः संशोधन कर यह मानना होगा कि देवपालके विनायकपाल नामका पुत्र था, वंशावलीमें

उसका १३ वाँ स्थान था और वह बहुत ही थोड़े दिन राज्य कर सका और उसके बाद उसका चचा विजयपाल गद्दीपर बैठा । मथनदेवके राजोर स्थानके शिलालेखसे इसका काल ९६० ई० निश्चित हो गया है (एपि० ई० भाग ३) । दादाका नाम पोतेको देनेकी प्रथा सभी कहीं है । प्रतिहार वंशावलीमें भी वह दिखाई देती है और तदनुसार विनायकपालके पुत्र देवपालका नाम पुनः विनायकपाल पड़ना क्रमप्राप्त है । तथापि और खोजसे जबतक इस सम्बन्धमें अधिक जानकारी नहीं होती तबतक हमारी राय ओझाजीका संशोधन स्वीकार कर लेनेकी है ।

एक और महत्वपूर्ण बात कहनी है और वह यह कि इस नवप्रकाशित दानपत्रपर महेन्द्रपालकी सही केवल 'श्रीविदग्ध' अथवा 'विदग्ध' लिखकर की हुई है । संभव है, भविष्यमें इस पदवीके सहारे देवपालसे उसकी एकता अथवा भिन्नता सिद्ध की जा सके । खुद देवपालका कोई लेख अभीतक नहीं मिला है । खिथने प्रतिहारोंके लेखोंकी जो सूची दी है (ज० रा० ए० सो० १९०९ ई० पृ० ३३) उसमें देवपालका उल्लेख खजुराहो और सियाडोनीके शिलालेखोंके आधारपर किया गया है । देवपालका शिलालेख मिलनेसे यह समझना संभव होगा कि प्रतिहार सत्ताओंकी प्रथाके अनुसार उसने अपनी सही करते समय कौनसी पदवी ग्रहण की थी । जबतक उसका स्वास लेख नहीं मिलता तबतक यह विषय अनिर्णीत ही रहेगा ।

२—परमार राजवंश ।

पूर्वोक्त प्रतापगढ़के शिलालेखसे एक प्रश्न और भी उपस्थित होता है और वह धारके परमार राजाओंके सम्बन्धमें है । इस लेखसे मालूम होता है कि इन्द्रराज नामक किसी चौहान माण्डलिक राजाने प्रतापगढ़में ही सूर्य-मन्दिर बनवाया था और उसकी विनतीपर श्रीविदग्ध सम्राट् अर्थात् द्वितीय महेन्द्रपालके महासामन्त महादण्डनाथक दामोदर-पुत्र माधवने उस मन्दिरको एक गाँव दान किया । यह दान उज्जैनमें किया गया और दानपत्रपर माधव तथा श्रीविदग्ध दोनोंकी सही है । इस दानकी मिति

नहीं लिखी है, पर इसका काल उक्त घटनाके समय ९४६ ई० (१००३ बै०) के पास ही होना चाहिये । इससे यह भी प्रकट होता है कि ९४६ ई० तक मालवा और उसकी राजधानी उज्जैनपर कन्नौजके सम्राटोंका अधिकार था । परन्तु परमारोंके प्रकरणमें (पृ० १९०) हम लिख चुके हैं कि कृष्ण परमारने ९१० ई० के लगभग मालवा और उज्जैनपर अपना अधिकार स्थापित किया । ऐसी स्थितिमें ९४६ ई० में कन्नौजके प्रतिहार सम्राट्के प्रतिनिधि माधवका उज्जैन जाना कैसे संभव होगा । इससे यह बात तो सिद्ध होती है कि हमारा यह कहना ठीक है कि कृष्णराजके पहले मालवापर परमारोंका अधिकार नहीं स्थापित हुआ था । परन्तु प्रस्तुत प्रतापगढ़वाले लेखके कारण यह भी मानना पड़ता है कि ९१० ई० का कृष्णराज परमार भी मालवाका स्वतंत्र राजा न हो सका था । वह वस्तुतः पूर्ण स्वतंत्र रहा हो तो भी पूर्व प्रथाका अनुसरण कर कन्नौजके सम्राट्के प्रतिनिधि (गवर्नर) को उज्जैन आने देता था । इतिहास बताता है कि विनाशोन्मुख साम्राज्यके प्रतिनिधि (वायसराय) कुछ दिन चलाये जाते हैं । लोगोंके समाधानके लिए यह स्वांग, बंगालकी दीवानगिरीकी तरह, कुछ दिन बनाये रहना पड़ता है । अंग्रेजोंने प्रत्यक्षतः बंगालपर अधिकार कर लिया था, फिर भी मुसुर्पु मुगल साम्राज्यसे कुछ दिनोंके लिए उसकी दीवानीका ठेका ले लिया और जब कुछ दिनोंमें धीरे धीरे लोगोंका मन बदल गया तब मुगलोंका अधिकार खुल्लम-खुल्ला अस्वीकार कर दिया ।

३—राष्ट्रकूटवंश ।

एपिग्राफिका इंडिका भाग १४ पृष्ठ १२५ में एक नया लेख प्रकाशित हुआ है । उसमें डाक्टर भाण्डारकरके मतके आधारपर श्री सुखठाणकर लिखते हैं कि “दन्तिदुर्गके पश्चात् कृष्णने सरल उत्तराधिकारके मार्गसे ही गद्दी प्राप्त की, दन्तिदुर्गका उच्छेद करके नहीं जैसा कि बड़ोदाके दान-पत्रसे डाक्टर फ्रीट अनुमान करते हैं । इस भागमें पृष्ठ ३०-३१ पर हमने कृष्णपर लगाये गये इस अपवादकी चर्चा की है और यह मत दिया है

कि कृष्णने दन्तिदुर्गका वध करके राज्य हस्तगत किया तथा यह भी कहा है कि यह बात एक ही दानपत्रमें मिलती हो तो भी वह मान लेने लायक है। यह दानपत्र खुद कृष्णका ही है जिसका काल शकाब्द ६९४ = ईसवी ७७२ है। उसे प्रकाशित करते हुए श्री सुखठाणकर लिखते हैं—“चूँकि कृष्ण दन्तिदुर्गकी किसी बुराईकी चर्चा नहीं करता है इसलिये यह बात विश्वासके योग्य नहीं है कि आगे चलकर दन्तिदुर्गके कुपथगामी होनेपर कृष्ण उसका उन्मूलन कर स्वयं राज्यारूढ़ हुआ।” इस विषयमें भिन्न भिन्न लेखोंकी समीक्षा करनेके अनन्तर हमारी राय है कि इस मतको थोड़ासा बदल कर स्वीकार कर लेना चाहिये। इस घटनाके ४० ही वर्ष बाद लिखे गये (८१२ ई०) बड़ौदाके दानपत्रमें इस बातका उल्लेख हुआ है। अतः वह सर्वथा अपेक्षणीय नहीं है। कृष्णकी मृत्युके इतने थोड़े दिन बाद उसके सम्बन्धमें बड़ौदाके दानपत्रमें झूठी बात लिखी जानेका कोई कारण नहीं है। साधारणतः इतने प्राचीन लेखकी प्रत्येक बात-को सच ही मानना चाहिये, मिथ्या तभी मानना चाहिये जब ऐसा समझ-नेके लिए उचित कारण हो। बादके शिलालेखादिमें जो इस बातकी पुनः चर्चा नहीं की गयी इसका कारण यह होगा कि यह घटना लोगोंको भूल गयी होगी अथवा इस अप्रासंगिक बातका उल्लेख अनावश्यक समझा गया होगा। इसी प्रकार दो सौ साल पीछे कर्णाटके दानपत्रमें (९७२ ई०) इस गलत बातका लिखा जाना संभव है कि दन्तिदुर्गके पुत्र न था इसलिये उसका चचा कृष्ण गद्दीपर बैठा, क्योंकि इतने दिन बाद यह बात भूल गयी होगी कि कृष्णने किस प्रकार राज्य प्राप्त किया था।

अतः सब लेखोंकी संगति मिलानेके लिए हम इस घृत्तान्तमें इस प्रकार थोड़ासा संशोधन कर लेनेकी सलाह देते हैं कि दन्तिदुर्गके काल-गतिसे परलोक गमन करने पर उसके पुत्रके दुराचारी होनेके कारण कृष्णने उसे हटाकर राज्यको स्वाधिकृत कर लिया। बड़ौदावाले दानपत्रके शब्द कुछ अनिश्चितार्थक हैं और उनसे यह अर्थ निकाला जा सकता है। वे शब्द हैं—“यो वंश्यसुन्मूल्य विमार्गभाजं राज्यं स्वयं गोत्रं हिताय चक्रे” इनमें ‘वंश्य’ सामान्य शब्द है जिसका अर्थ दन्तिदुर्गका पुत्र भी हो

सकता है । इसके सिवा इस उक्ति द्वारा राजनीतिका एक तत्व भी सूचित किया गया है और वह यह कि राज्यका वास्तविक उत्तराधिकारी यदि दुराचारी होनेके कारण राजा होनेके अयोग्य हो तो उसके बादके उत्तराधिकारीको चाहिये कि “गोत्र हिताय” उसे हटाकर स्वयं राज्यासूद हो जाय । राष्ट्रकूट राजवंशकी भगली पीढ़ीमें इसी तत्वका अनुसरण हुआ दिखाई देता है । कारण यह कि आगेके दानपत्रमें लिखा है कि कृष्णका बड़ा लड़का विषयभोगमें निमग्न हो गया था इसलिये उसके छोटे भाई ध्रुवने उससे राज्य छीन लिया (देखिये देवलीका दानपत्र) । पैठणके लेखमें (एपि० इ० भाग ३ पृ० १६७) तो यहांतक लिखा है कि कांची, गंग, वेंगी और मालव राजाओंने गोविन्दकी सहायता की, तिसपर भी ध्रुवने उसको हरा दिया । इससे पता चलता है कि राजनीतिका सदाका ढंग उस समय भी प्रचलित था और उस समय भी पास-पड़ोसके राजा भाई भाईके अग-डेमें दखल देनेके मौकेकी ताकमें रहते थे । परन्तु इन दोनों प्रसंगोंसे यह भी प्रकट होता है कि इस समयके राजपूत राजा राजनीतिमें पक्के थे और साधारण लोग भी शुद्धाचारी तथा तेजस्वी राजाका ही पक्ष लेते थे । अस्तु, हमारा मत यह है कि इस नवीन लेखका अर्थ यह न करना चाहिये कि वह खुद आगे चलकर दुराचारी हो गया और कृष्णने उसका वध किया, बल्कि यह करना चाहिये कि उसके पुत्रकी ऐसी गति हुई । बड़ौदाके दानपत्रका अन्य लेखोंसे मेल बैठाने हुए ऐसा माना जा सकता है । ॐ

ॐ राष्ट्रकूटोंके दानपत्र कालानुक्रमसे इस प्रकार हैं—१. हालमें प्रकाशित कृष्ण प्रथमका भांडक स्थानका दानपत्र, ७७२ ई० (एपि० इ० १४); २. पैठणका दानपत्र, ७९४ ई० (एपि० इ० भाग ३, पृ० १६७); ३. बड़ौदाका दानपत्र, ८१२ ई० (इ० पृ० भाग १२ पृष्ठ १८२); ४. बगुल्लाका दानपत्र, ८६७ ई० (इ० पृ० भाग १२, पृ० १८७); ५. गोविन्द तृतीयका अल्लास स्थानका दानपत्र (एपि० इ० भाग ६ पृ० २०९); ६. सामनगढ़का लेख (तथा ई०) और ७. कर्डाका लेख (इ० पृ० भाग १२ पृष्ठ २६७), ९७२ ई० आदि ।

४—बंगालका पाल वंश ।

श्रीयुक्त बनर्जीने विग्रहपाल तृतीयका आमगाड़ी स्थानका लेख पुनः प्रकाशित किया है । अनेक वर्ष पूर्व डाक्टर कीलहार्नने इस लेखका आधा भाग प्रकाशित किया था । हालमें प्रकाशित प्रतिमें (पृष्ठ ० ई० भाग १५ पृष्ठ २९५) पूर्व प्रकाशित वंशावली ही, जो इस पुस्तकमें भी दी गयी है, दी हुई है, केवल एक राजाका नाम अधिक है और वह जयपाल है । यह जयपाल धर्मपालके भाई वाक्पालका पुत्र बताया गया है (इसी भागमें पृष्ठ २२८ पर दी हुई वंशावली देखिये) । इसका पुत्र विग्रहपाल प्रथम हुआ । इसके आगेकी वंशावलीमें कोई फर्क नहीं हुआ है । एक बात और उल्लेखनीय है और वह यह कि इस दानपत्रके कर्ता तीसरे विग्रहपालके बौद्ध होनेकी बात इस लेखमें स्पष्ट रूपसे लिखी है ।

५—मलखेड ।

दक्षिणके राष्ट्रकुटीकी राजधानी मान्यखेड अर्थात् मालखेड समझी जाती है । इस स्थानको मैं स्वतः जाकर देख आया हूँ । इसका शुद्ध नाम मलखेड है, इस भागमें वह मलतीसे मालखेड लिख दिया गया है । राष्ट्रकुटीके लेखोंमें वह “अमरपुरीसे स्पर्धा करनेवाला मान्यखेड” कहा गया है, परन्तु ऐसे विशाल नगरका उस स्थानपर कुछ भी अवशेष अथवा निशान नहीं मिलता । हमारी रायमें उस स्थानपर किसी विशाल नगरका होना सम्भव भी नहीं । कारण यह कि मलखेडके पाससे बहनेवाली कांगिणी नदी भी गरमीमें सूख जाती है और वहाँ कुएँ भी नहीं हैं । कुआँ खोदना भी सम्भव नहीं है, क्योंकि ज़मीन पथरीली है, पत्थर बहुत ऊपर ही मिलता है और बहुत गहराईतक मिलता जाता है । केवल एक ही बात अनुकूल है और वह यह कि यहाँ कांगिणी नदीमें एक नाला मिलता है और इनके सङ्गमके समीप ही एक ऊँचा तथा विस्तीर्ण टीला है, जिसपर आज भी एक विशाल दुर्ग विद्यमान है । प्राचीन कालमें जब तोपें न थीं, आसपासके चौरस मैदानपर इस किलेमें रह कर अधिकार चलाना सुगम था । पर कहते हैं कि वर्तमान किला मुजफ्फर नामके मुसलमान सरदारका बनवाया हुआ

है और उसका नाम भी मुजफ्फर किला है। यह किला अत्यन्त विस्तीर्ण है। भीतर लगभग ५ हजार आदमियोंकी बस्तीके लायक जगह है। वर्तमान मुसलमान जागीरदार किलेमें ही रहता है। किलेके भीतर गिरे हुए मकानोंके पत्थर सर्वत्र बिखरे हुए हैं। एक जैन मन्दिरका अवशेष और एक परित्यक्त वैष्णव मठ आज भी विद्यमान है। यह मठ तेरहवीं शताब्दीका बना मालूम होता है। दन्तकथा है कि मुजफ्फरने यह किला कौशल द्वारा एक जैन सरदारसे ले लिया था। इससे अनुमान होता है कि यहाँ किला पहलेसे था, मुजफ्फरने उसको मरम्मत करा कर ठीक किया। राष्ट्रकूटोंने उस पुराने किलेको सुदृढ़ देख कर वहाँ अपनी राजधानी बनायी होगी। जिस प्रकार शिवाजीने रायगढ़के किलेको, उसके बाहर बड़े नगरका बसना संभव न होते हुए भी, अपनी राजधानी बनाया, उसी प्रकार राष्ट्रकूटोंने भी कर्नाटककी गुल्बर्गा पर सुदृढ़ स्थान देख कर, वहाँ विस्तीर्ण नगर न होने पर भी, राजधानी बना ली होगी। पुराने समयमें मजबूत किला ही राजधानीका मुख्य श्रंग था, नगरकी आवश्यकता न थी। अरब पर्यटकोंने लिख रखा है कि मान्यखेट पहाड़ोंसे घिरा हुआ है। पर यह वर्णन मलखेडसे बिलकुल नहीं मिलता। यह बसती बिलकुल चौरस मैदानपर बसी है। हाँ, मूल अरबीमें 'पथरीली जमीन' लिखा हो, अनुवादकने भूलसे इसकी जगह 'पहाड़ियाँ' लिख दिया हो तो अवश्य ही यह वर्णन मलखेडके लिए बिलकुल ठीक उतरेगा। क्योंकि किलेके बाहर घुड़सवारोंका सेनासे काम लेने लायक स्थान बिलकुल ही नहीं है, इस किलेपर आक्रमण भी पैदल सेनासे ही हो सकेगा और रक्षा भी वसीसे की जा सकेगी। सब बातोंका विचार करनेसे यह बात अब भी संशययुक्त जान पड़ती है कि मलखेड ही राष्ट्रकूटोंका मान्यखेट है।

यहाँ यह कह देना आवश्यक है कि मलखेड वैष्णव लोगोंका तीर्थ-स्थान है। किलेमें पहले वैष्णवोंका मठ था, उसे छोड़ कर वैष्णव गुरु टीका स्वामी (इन्होंने मध्वाचार्यके ग्रंथोंपर टीका की है) बसतीसे एक मीलकी दूरीपर क्रांतिगुप्तोंके किनारे जाकर रहने लगे। वहीं आजकल मुन्दावन है और पतिव्रत यात्रा होती है। किलेमें जैन मन्दिरका अवशेष

है और बसतीमें भी एक पुराना जैन मंदिर है। इससे अनुमान होता है कि पूर्वकालमें यहाँ राज्य था और वह किसी राष्ट्रकूट सरदारका रहा होगा। राष्ट्रकूटोंका झुकाव आगे चलकर जैन धर्मकी ओर हो गया था, यह बात प्रसिद्ध है। किलेमें जैनों और वैष्णवोंके प्राचीन स्थानोंका होना इस बातका सूचक है कि प्राचीन समयमें भी इस स्थानको राजनीतिक महत्व प्राप्त था।

अन्तमें हम प्रस्तुत तथा आगेके कालके संबंधमें एक महत्वपूर्ण ग्रन्थ उपस्थित करनेवाली बातकी चर्चा करना चाहते हैं जिसकी ओर हमारा ध्यान पीछेसे गया है। गुलबर्गा जिला निजाम राज्यमें है। मलखेड इसी जिलेमें है। इस जिलेके अधिकतर लोग कानड़ी भाषा बोलते हैं। परन्तु पटेल, पटवारी गाँवका स्याहा, जमाबन्दी आदि मराठी तथा मोड़ी लिपिमें लिखते हैं। यही नहीं, बाजारके कानड़ी बोलनेवाले व्यापारी भी अपना जमा-खर्च मराठी-मोड़ीमें ही रखते हैं। यह प्रथा कैसे चली, इस विषयमें पूछताछ करनेसे लोगोंने बताया कि यहाँ बीजापुरवालोंका राज्य था, तभीसे यह रिवाज चला आ रहा है। हमें मालूम हुआ कि केवल इसी जिलेमें ऐसा रिवाज नहीं है, बल्कि बेलगाँव, धारवाड़ और मैसूर तकके कानड़ी-भाषी प्रदेशमें यही प्रथा है। अवश्य ही इन सब स्थानोंमें बीजापुरके बादशाहका राज्य था। परन्तु मुसलमान बादशाहने मराठीमें हिसाब-किताब रखनेकी प्रथा क्यों चलायी? बहमनी राज्यका विभाग भाषानुसार हुआ, यह स्पष्ट दिखाई देता है। कानड़ी-भाषी प्रदेशमें बीजापुरकी आदिलशाही, मराठी प्रदेशमें नगरकी निजामशाही और तेलंगनामें हैदराबाद (गोलकुंडा) की कुतुबशाही स्थापित हुई। इस प्रकार बीजापुरके बादशाहका सम्बंध महाराष्ट्रसे न होने पर भी उसने कानड़ी प्रदेशमें-मराठी मोड़ीमें हिसाब-किताब रखनेकी प्रथा चलायी, यह एक पहली ही है। हमारे विचारसे इस प्रथाका सूत और भी दूर तक जाता है। बहमनी राज्यकी राजधानी पहले पहल गुलबर्गामें स्थापित हुई थी और इस राज्यकी स्थापना करनेवाला दौलताबाद निजामों दिल्लीका सूबेदार था। महाराष्ट्रमें आनेवाला यह राज्यतः पहला मुसल-

मान सरदार था । इसके दौलताबादका होनेके कारण संभव है कि इसीके समयसे उक्त प्रथा चली हो । पर इसको भी आखिर कानड़ी प्रदेशमें मराठी-मोड़ी लिपि चलानेकी अनिवार्य आवश्यकता क्यों जान पड़ी ? अतः इस प्रथाको और भी आगे ले जाकर यह मान सकते हैं कि यह देवगिरि (दौलताबाद) के यादव राजाओंके समय चली होगी । देवगिरि-के यादव पक्के मराठे थे । यह प्रसिद्ध बात है कि उनके विख्यात मंत्री हेमाद्रि उर्फ हेमाडपन्तने मालगुजारीका बन्दोबस्त किया और मोड़ी लिपिका आविष्कार किया । अतः यह अनुमान अधिक संभव दिखाई देता है कि यादव राजाओंके समय हेमाडपन्तने यह प्रथा चलायी होगी । अगले भागमें यह बात दिखाई जायगी कि यादवोंके राज्यकी सीमा कृष्णा नदीके पार तक चली गयी थी । अतः गुलबर्गा आदि प्रदेशमें जनताकी भाषा कानड़ी होते हुए भी राज्यकी सुविधाके लिए पटवारीके काराजपत्र और व्यापारियोंका हिसाब-किताब मराठी तथा मोड़ीमें लिखा जाना उचित ही था । आज भी तो कितने ही दफ्तरोंमें अंग्रेजीका चलन है । भूकर और व्यापार-शुल्क उस समय राज्यको प्राप्य था, अतः इनके सम्बन्धके काराजपत्रोंका मराठी तथा मोड़ीमें लिखा जाना आवश्यक था । आशय यह कि यादव राजाओंके समयसे यह प्रथा चलनेका अनुमान ठीक बैठता है ।

इससे भी आगे जानेपर दिखाई देगा कि राष्ट्रकूटोंका मराठी राज्य गुलबर्गा जिलेके मलखेड स्थानमें था । अतः जनसाधारण कानड़ी बोलते थे अथवा मराठी, इस प्रश्नका उत्तर इस भागमें सन्निध दिया है । मुसलमानोंने जिसे किरिया भाषा कहा है वह कानड़ी है अथवा मराठी, यह बात अभी 'दिग्ध ही है । महाराष्ट्रमें कृष्णाके इस पार कानड़ी भाषाका प्रवेश कब हुआ, यह एक मनोरञ्जक ऐतिहासिक प्रश्न है । आजकलका गुलबर्गा जिला सोलापुरके दक्षिण कानड़ी भाषाकी सीमापर स्थित है, इससे वहाँ प्रायः दोनों भाषाएँ समझी जाती हैं । परन्तु वहाँके मूल निवासियोंकी भाषा कौनसी थी यह नहीं मालूम होता । प्राचीन राष्ट्रकूट राजाओंके समयके काराजपत्र मिलनेसे इस विषयपर बहुत प्रकाश पड़ता । परन्तु

दुर्भाग्यवश देशमुख और देशपाण्डे लोगोंके यहां हूंदनेसे अभीतक सुगलोंसे पहलेका कोई कागजपत्र नहीं मिला । मलखेडके पास हेलंब नामक एक बड़े तालुके (तहसील) का स्थान है । वहां एक प्राचीन शिव-मंदिर है । इसके सामने एक स्तम्भ है जो एक ही पत्थरका बना हुआ है । इसकी ऊँचाई लगभग ७५ फुट और मोटाई डेढ़-दो फुट होगी । यह आश्चर्यजनक स्तम्भ किसने कब खड़ा कराया ? इस विषयके लेखादि मिलनेसे इन अनेक प्रश्नोंपर अच्छा प्रकाश पड़ेगा । ऐतिहासिक खोज करनेवालोंको उक्त हिसाब-किताब और कागजपत्र प्राप्त करनेका प्रयत्न अवश्य करना चाहिये ।

महाराष्ट्रकी राजधानियाँ प्राचीन कालसे प्रायः इसी भागमें रही हैं, अतः यह अनुमान होता है कि यहाँ आदिमें मराठी भाषा रही होगी । पूर्व चालुक्योंकी राजधानी बदामी बीजापुरके पास कृष्णाके उत्तर ओर है । तुर्कूटोंकी राजधानी यहीं कहीं रही होगी । मलखेड अथवा उत्तर चालुक्य राजाओंकी राजधानी कल्याण गुलबर्गासे उत्तर और यादवोंकी राजधानी देवगिरि इसके भी उत्तर है । इसके बाद मुसलमानोंका वहमनी राज्य स्थापित हुआ तो इमने भी गुलबर्गाको और फिर कल्याणके समीपस्थ बेदरको राजधानी बनाया । आशय यह कि यह भूभाग मध्यवर्ती तथा दक्षिणके पांड्य, चोल, करल, गौंग आदि राज्योंके लुकाड़पर होनेसे राजधानीके लिए उपयुक्त समझा जाता था और ठीक ही समझा जाता था । इतना कहकर हम यहाँ लेख समाप्त करते हैं ।

अनुक्रमणिका

अ

अंगिरस, गोत्र-कृषि ६४, ४३६
अंग्रेजोंकी स्पर्द्धा, मोगल राज्यके
लिए १५९

अंतर्राष्ट्रीय युद्ध ३८१, ३९३

अकबर ४८३

अकबरनामा २११

अकलंक देव ३०२

अग्निकुल १५—का गोत्र-प्रवर ५५;—
की आख्यायिका १७, १९, २०;—
की उत्पत्ति १२८, १४८;—की
कल्पना ४६८;—की मान्यता
२५, २६

अग्निपूजा २७३, २७९, ४०८

अचलगढ़ (अचलेश्वर) का लेख
११०, ११५—१९, १२१, १२७—
२९, १३४,

अजमीद ४२८, ४३६

अत्रि ४४३

अत्रिस्मृति ३८५

अधिकारियोंका चेतन, राजकीय
३६०, ३६७

अधिकारी, फौजी ३६०;—, मुलकी
३५९, ३६०;—म्युनिसिपल ३६१

अनंगपाल तोमर २५०

अनहिल, चाहमानवंशका संस्थापक
१३९

अनहिलपट्टण २१

अनहिलपुरका बसाया जाना १८३

अनहिलवाड राज्यका अंत १८४

अनियंत्रित राजसत्ता ३४४, ३४५,
३५०, ३५१

अनुलोम विवाह ३३, ३५, ३३१—३५,
३८२, ४६५;—की सन्तति ३५,
३१२, ३८२, ३८३, ४६५;—से
लाभ ३१२

अपराजितका लेख ४८१—८२

अबुलफ़ज़ल २११

अबूजैद, परदेके सम्बन्धमें ३२३,
३२४;—, राजभक्तोंके सम्बन्धमें
३२७;—, वणोंके पेशेके सम्ब-
न्धमें ३१३;—, वेशभूषाके
सम्बन्धमें ३२२

अमरसिंह, क्षत्रियोंके सम्बन्धमें ३१४

अमितगति कवि १९६

अमेरिकाका अर्वाचीन इतिहास
४०१, ४०२, ४०६, ४१३, ४३०
अमेरिगो ४०७

अमोघवर्ष (पहला) २३३-३५;

(दूसरा) २२६, २२७; (तीसरा)

२४१, २४६

अरबी प्रवासी—कन्नौजकी सेनाके सम्बन्धमें ३४२, ३४३;—, खान-

पानके सम्बन्धमें ३१८;—

जातियोंके विषयमें ३०८-१०;

—, तीर्थ-स्थानोंमें देह-त्यागके

सम्बन्धमें ३२७;—, प्रतिहारोंके

सम्बन्धमें ४८९;—भारतीय

भाषाओंके सम्बन्धमें २६५;—

मान्यखेटके सम्बन्धमें ४९६

अरबों, और राष्ट्रकुटोंमें मेल २४२;—

का अधिकार, सिन्धपर १५४,

१५५;—की दिग्विजय ८; की

पराजय १७०, २४१;—की

विजय, राजपूतोंपर ९;—के

आक्रमण ११२, ११८-१९, १५५,

२४१, २४२

अरिकेसरी १६७

अर्जुन ९४

अर्जुन पर्वतकी कथा ९८, ९९

अलंकारप्रियता, भारतीयोंकी ३२२-२३

अल इद्रिसी १७३, ३२८, ३२९

अल इस्ताखरी २६१, ३२२

अलबेखरी २४७

अलमसूदी ३१८;—का प्रवास-वर्णन

१६५;—, भारतीय भाषाओंके

सम्बन्धमें २६७;—, भारतीय

राज्योंके सम्बन्धमें २५९-६१;

—, मछपानके सम्बन्धमें ३१८—

१९;—, वणोंके पेशेके सम्बन्धमें

३१३

अलास लेख २३०, २७०-७१, ३५२

अलीनाका लेख १२४

अलेग्जण्डर ४३०

अल्लुट १२०

अवन्तिभूपति १५८, २२३

अवैतनिक सेना ३४१

अशोकका साम्राज्य ३४७

अश्वमेध ३८९

असनाका लेख १६८

अहिंसा २९५, ३८९

अहिच्छत्रकी अवस्थिति ४८

आ

आंध्र २५२, २९३, ४३९, ४४२

आगमका अध्ययन तथा प्राधान्य

२७८-७९

आगमवेद २३६

आटपुराका लेख ११६, ११७, ११९,

१२१, १२७, १२९, १३०, १३३,

१३५, १३६, ४५९, ४६६, ४७६,

४७९, ४८१-८७

आत्मघात, तीर्थस्थानोंमें ३२७, ३२८

आदिवराह १७२, ३६०

आदिवराह द्रुम १७२, २०४, २५६,
३६८

आनन्दपुरकी अवस्थिति १२८, ४८४-
८५;—के सम्बन्धमें अम ४६८

आनन्दचिह्न संवत् २९, ३०

आनन्द ९४

आपस्तम्ब ४४४

आलूका लेख ४५९-६२, ४६७, ४७७,
४७८, ४८५-८७

आमगाछी ताम्रपट २२२, २२६, ४९५
'आर्कटिक होम' ४०२

आर्थिक स्थिति, भारतकी ३९०

आर्यधर्मकी पुनः स्थापना २६६

आर्योंका आदि-स्थान २०९;—का
पेशा ९३;—की टोलियाँ ४०३,
४१४, ४१७, ४३१, ४३३

इ

इल्लैडका नामकरण ४३

इंडोससेनियन सिक्का २०४

इन्द्रराजका पराभव १६१

इन्द्रराज (तीसरा) १६७, २०१,
२३६, २४३; (अन्तिम) २३९

इन्द्रायुध १५८, १७५, १९८

इर्लिसग ३०२

इफूमसूरी, भारतीय भोजनाच्छादनके
सम्बन्धमें ३१९

इवन खुदादवा २५८, ३०८, ३१०, ३१३

इवन हौकल २६२, ३२२

'इलियड' १२०

ई

ईडर शाखाकी स्थापना १०९, ४७३

ईलियड २५४, २५७

उ

उड़ीसाका राज्य २५२

उत्तक सेवकी कथा ९५

उत्तर पुराण, जैनग्रंथ २३४

उत्पल वंश २४९

उदयन ३१, ४१२

उदयपुरका राजवंश ४६६

उदयपुर-प्रशस्ति २३, ५६, १८८,
१८९, १९३

उद्योग-प्रश्ने, भिन्न भिन्न वर्णोंके
३१२-१८

उद्भंग ३५७

उपजातियाँ ३०८, ३८१-८२

उपजातियोंकी उत्पत्ति ५, ६

उपासना, देवताओंकी ३४८;—की
प्रणाली, कुमारिलकी २९४

उशाना ४४४

ऋ

ऋग्वेदकी संघटना ४२९

ऋषियोंकीउर पत्ति १३१

घ

एकराष्ट्रीयताकी भावना, भारतमें

३४७-४८

एकलिंगका लेख १२७-२८

एकिलीजकी उत्पत्ति २०७

एपिग्राफिका इण्डिका—प्रायः

प्लापुरका कैलासेश्वर मन्दिर २३१

औ

औरंगज़ेब ४८३

औचनस स्मृति, अनुलोम विवाहके

सम्बन्धमें ३३४

क

कन्दहारका राज्य २४८, २६०

ककुत्स्थ १५५, १५६

ककलकी पराजय ४३८

कबकुक १७३

कण्व, चंद्रवंशके पुरोहित ४२२-२३

कथासरित्सागर १९४

कर्निगहम ८७;—, अहिच्छत्रके सम्बन्ध-

में ४८;—, वारहूत तोरणके

सम्बन्धमें ५८;—, मालवोंके

सम्बन्धमें १००;—, वासुदेवके

सम्बन्धमें ४६

कन्नौज का उद्धर्ष ३९५;—का परा-

भव २२४;—का साम्राज्य १५७,

३३८, ३३९, ४९२;—के दान-पत्र

३५३;—पर आक्रमण १५६,

१६०-६१, १६७-६८, १९०,

२४३

कन्नौज साम्राज्यका अंत १६९;—

का विस्तार २६०;—का शासन

१७०;—का हास १६७-६९,

२२०;—की सीमा १६३;—की

सेना २५६

कमलाकर भट्ट ९०

करका स्वरूप ३६७

कर-ग्रहण-प्रणाली ३९२-९३

कर्क राजका दानपत्र १८९, १९२, ३०६

कर्कोट वंश २४८

कर्जालेख २३४-३६, २३८-३९, ३५६,

४९३

कर्नाटकका दानपत्र ३५२;—का

नामकरण ४३, ४४

कर्नाटकी भाषा २७०

कर्मवाद ३८८

कलचूरियोंका राज्यविस्तार २१३;—

का वैभव २१७;—का स्वतंत्र

राज्य २१३-१४;—की प्राची-

नता २१७;—की वंशावली

२१८

कलसूरी शाखा, हैहयोंकी २१३

'कलावाच्यन्तयोः स्थितिः' ९०, ९१

कल्हण ७४, २५०

कविकल्पनाकी विश्वसनीयता १८

कशबिनका राज्य २५८

कांगड़ाकोटका राज्य २४९

कांचीके पल्लव २५३

कात्यायन ४४५

कात्यायन लौगाक्षि सूत्र, प्रवर-
सम्बन्धी ७३

कानड़ी भाषाका उदय और प्रचार
२७०-७१

कानड़ी साहित्यका आरंभ ४४१

कानून बनानेका अधिकार ३५१

काबुलका राज्य २४७

कामकोटि मठ ३०२

कामन राज्य २६१

कामरूपका राज्य २५१, २६१

कायस्थ जाति ३०८

कायस्थ प्रभु ३७

कार्ताइल, गुहदत्तके सम्बन्धमें ४८०

कालभोज ११८, ४७६, ४७८, ४८८

कालिंजर २०१, २०३, २१३;—पर

अधिकार, यशोवर्माका २००

कालिदास ३२६;—का समय २९३

कावी लेख २३२

काव्यका स्थान, इतिहासकी दृष्टिसे

१२०

काशीका लेख १६४, १६८, १९९

काशीनाथ कृष्ण लेले १९७, ३०१

काश्मीर राज्य २४८, २५९-६०

किर्जका राज्य २५८

किरिया भाषा २६७, २६८, ४९८

कीलहार्न १४०;—, कोकलके सम्ब-

न्धमें २१४;—, गूवकके सम्ब-

न्धमें १४४;—, चैदी शकके

सम्बन्धमें २१३;—परबलके

सम्बन्धमें २२४;—, पालोंके

सम्बन्धमें २२२-२३;—, विना-

यक पालके सम्बन्धमें २०५

कुंडका २३८

कुडलगी मठ ३०२

कुमारगढ़का लेख ४७७

कुमारपाल चरित ७५, २०८

कुमारपाल-प्रशस्ति १९६

कुमारिल भट्ट ८८, ९२, ३७७;—और

शंकरकी भेंट २८७-८८, २९४;

—का कर्म-सम्प्रदाय २८६;—

का ग्रंथ, मीमांसा-विषयक

२९२;—का देहत्याग १९०;—

का निवास स्थान २८९, २९१;

—का समय २८६-८९, २९३;

—की असफलता, दक्षिणमें

२९५;—की योग्यता २९४;—

सम्बन्धी आख्यायिका २९०

कुरु ४२८

कृषिसम्बन्धी नियम, सिन्धका ३१६

कृष्ण (राष्ट्रकूट) २१५, २३१ (द्वि०)

२३५; (तृ०) २३८, ४३८-३९

४९२-९३

कृष्णराज (परमार) १६२, १८८,

१९०-९१

केदारनाथका मन्दिर ३००

केनारी लेख २३३

केयूर वर्ष २२, २१७

कैशरी वंश २५२

कौकिल यवन २५२

कैयट ९१, ९२

कैलासेश्वर मन्दिर, पुलापुरका २३१

कौकणका दानपत्र ३५२

कोकिल (राष्ट्रकूट) २३९, ४३८, ४३९

कोकिल देव १६४, २००, २१४-२१६

कोलम्बस ४०७

कोसलका राज्य २५३

कोसलविदेह-का राज्य ४३१-३४;

—का महत्व ४३१-३२

कौटिलीय अर्थशास्त्र ३६८

क्रमशुका संग्राम २०२

कथविक्रय सम्बन्धी नियम ३१७

क्रुक, विलियम, राजपूतोंके सम्बन्ध-
में १४-१६

क्षत्रिय—'राजपूत' भी देखिए ।

क्षत्रियकुलोंकी उत्पत्ति ४६१

क्षत्रिय परंपराकी विश्वसनीयता
३९७

क्षत्रिय प्रवर-वर्षि ६९

क्षत्रिय राजकुल २९२

क्षत्रियोंका लोप, कलिमें ८६-९२

क्षितिपाल (महीपाल) १६८

ख

खजुराहोका लेख १६८, २०१, २०४,
४८८-९०

खानपान—के सम्बन्धमें भरवी

प्रवासी ३१८, ३२८;—, शूद्रों-

के साथ ३८३-८५

खारेपाटनका लेख २३४, २३६, २३७

खालिमपुरका लेख २२०, २२३, २२७

खिज़र लोग १६, ४६

खोद्विग—का दानपत्र १९२;—का

पराभव १९२, २३९;—की

प्रसिद्धि २३९

खोम्माण ११९, ४८८

खोम्माण रासा ११९-२०

ग

गजदलका महत्व ३७५

गजपति २०४, ४३९

गहरवार २०४

गांगेयदेव २१७

गांधार, कुह्युके वंशज ४३२

गांधारोंकी उत्पत्ति ४३२

गिवन ९;—, कविकल्पनाके संबंधमें
१८, १९

गुजरातका नामकरण ४२, ४३;—के
लेख २८४

गुजराती भाषा ४२

गुर्जरीकी उत्पत्ति १४-१६ ('गुजर'
भी देखिये)

गुह्यदत्त १२४, १२९, ४८५;—का समय
४८४;—, बाप्पाका नामान्तर
४७७, ४७९, ४८६

गुहसेन ४७२, ४८१

गुहिल और गुहिलोतमें भेद ४७९

गुहिल—का राज्यारोहण ११८;—

वाग्पाका पुत्र १३४, ४७८

गुहिलवंश १०९, ४८१;—, भाटपुरा

लेखका ४८२;—का नामकरण

४७९;—की वर्षगणना ४७०;—की

स्थापना ४६८;—, चाटसु

लेखका ४८२

गुहिलोत और गुहिलमें भेद ४७९

गुहिलोत नाम ४८७

गुहिलोत राजपूत ८—गुहिल भी देखिये

गुहिलोत वंश १०५, १०९, ११८,

१२८-३०, १३३;—और चौहान

कुल १३८;—का उद्गम १०१;—

का राज्य, चित्तौड़में १११,

११५;—का वर्ष ४६६;—के

नरेश १२२-२३;—शिलालेखों-

में ४७७

गूजर ३६—गुर्जर भी देखिए

गूजर आलखान राज्य २५०

गूजरों के विदेशी होनेका भ्रम ३२-

४०

गूवक २१, १४१-४२ —और वाग्पा

रावल १४५;—का समय १४४

गोत्र-अधि ६६

गोत्र-प्रवर—का महत्व ५५;—की

विस्मृति, क्षत्रियों और वैश्योंमें

३०७-०८—, के सम्बंधमें

विदेशियोंका भ्रम ५७—, पूर्व-

कालीन ५५;—राजपूतोंके ५४-

६२, ६६;—सम्बन्धी कथाएँ

५९, ६०

गोत्रोत्पत्ति का अभाव, राजपूत लेखों-

में ३०७

गोनदीय वंश, काश्मीरका १३४

गोपालराज—का आधिपत्य, बंगालपर

२२१;—का समय २२३;—की

चढ़ाई, कन्नौजपर १६०;—की

जाति २२२;—की पगजय,

राष्ट्रकूटों द्वारा १६०;—के युद्ध

२२३

गोमक्ति ५, ३२८;—, हिन्दू मुसल-

मानोंके कलहका कारण ५

गोरीके साथ संग्राम, पृथ्वीराजका

१२०

गोविंद (शांकाके दीक्षागुरु) २९७

गोविंदराज २३०

गोविंदराज, चतुर्थकी विलासप्रियता

२३७

गोविंदराज, तृतीय २३२

गौड़में विस्थापिता २२०

गौतम ४१३, ४६६

गौरीशंकर भोक्ता ४५८, ४८३-८४,

४८८;—, परिहारोंकी वंशावली-

के सम्बन्धमें ४९०;—, बाप्पा-
के सम्बन्धमें ४५९-६७, ४७०
-७२; —, सिन्धुराजके सम्ब-
न्धमें १९६
ग्रियर्सन २७२, ४३३;—, आर्योंकी
टोलियोंके सम्बन्धमें ४०२;—
आर्योंके सम्बन्धमें १८, १९;—,
कोसलविदेहके सम्बन्धमें ४३१;
—, पक्ष जातिके सम्बन्धमें
४१९;—, भारतीय भाषाओंके
सम्बन्धमें ४५१

ग्वालियरका लेख २१, ३२९, ३५९—
६१, ३६६

घ

घटिआला लेख १७२-७३
घुड़सवारी, मराठोंकी २४४

च

चंडीदास, बंगालाका आदिकवि ४४२
चंदकवि १९-२१, २३, २६, २७, १३९,
१४०, २००, २०६, २०८;—की
सूची, राजपूत-कुलोंकी ७४-७८,
१८८, ३४९, ४४०

चंदेलवंशका अभ्युदय १९९

चंदेलोंका निवास-स्थान २०६;—का
लेख २१७;—का विवाह-सम्बन्ध
२०८;—की उत्पत्ति १३, ७९
२०५-१२;—की कुलदेवी २१०;
—के वर्तमान वंशधर २०८;—

के संबंधकी दंतकथा २०६,
२०७;—के सिक्के २०४

चंद्रगुप्त २९२, २९६
चंद्रवंशका उल्लेख, पुराणोंमें ४१५,
वेदोंमें ३९६, ४१३-१४;—का
नामकरण ४३६-३७;—की
शाखार्ण ४३५

चंद्रवंशियोंका मूलस्थान ४१६;—
की सत्ता, पंजाबमें ४२०

चंद्रवंशी क्षत्रिय ४०४

चच राजकुल ४६६

चांडालोंका कर्म ३१०;—के प्रति
व्यवहार ३२०

चांदवड सिका ३६८

चाटसुका लेख ४६२, ४६६, ४७८,
४८१-८२

चापवंश १८५;—का अंत १६७

चापोंकी उत्पत्ति १८६

चार्ल्स दि ग्रेट १११

चार्ल्स मार्टेल ८, १०८, ११०, १११

चार्वक पंथ २८१

चालुक्य राज्यकी स्थापना १६७, ४५०

चालुक्य वंश ३२, १३०, १३२

चालुक्योंका गोत्र २१, २२;—की
उत्पत्ति १५, २१, २४, २१६;
—की पराजय २३०-३१

चावडाका स्वाधीन राज्य, गुजरातमें
३९१

चावडे, अनहिलवाडके १८१

चावडोंका धर्म १८५;—का स्थान १८२

चाहमाण, चाहमान वंशका प्रवर्तक
१३९

चाहमान ८,—वंश ३२, ४४, १३२

चाहमानोंका उदय १०१;—का नि-

वासस्थान ४५-४७,—का मूल

स्थान १४०;—की उप्पत्ति १५,

१९, २१, २२, २४, १४१, १४८,

४६१-६२;—की वंशावली

१४३;—की विजय, तोमरोंपर

१४६;—की शाखा, नाडूलकी

१४४, १४६

चित्तौड़का आक्रमण, अरबों द्वारा

१०९, ११०;—का लेख ११५,

११८, १२१, १२७-२९, १३६,

४५९-६२, ४६७-७०, ४७५-

७९, ४८४-८७

चित्रकूटोंकी पराजय २४५

चेदियोंका पराभव २००

चेदी २१;—शक २१३

चोर-डाकुओंका दमन ३९३

चोल राज्य, दक्षिणका २५३

छत्तीसगढ़ २१२

छत्तीस राजकुल ७४-८१, २०६, ३४९

ज

जगत्तुंग (तु० गोविन्द) २३२;

(द्वि०) २३६

जगद्गुरुकी उपाधि, शंकरकी २९८

जम्नोतीका राज्य १९८

जनक ४१२

जयपालका संग्राम, सुबुक्तगीनके

साथ १६९, २०३

जयराम पिड्ये ४५३

जयशक्ति १९९

जरासंध ९४

जहाँगीर ४८३

जातियाँ, भारतकी २५८;—भेद-

भावरहित ३८१

जातियोंका रूपान्तर ६९, ७०;—

का स्वरूप, मध्य युगीन

कालमें ८५

जाति-व्यवस्था, बौद्धोंके समयमें

३९८;—मेगस्थनीजके समयमें

३४, ३५

जायसी, मलिक मुहम्मद ४४२

जालंधरका राज्य २४९

जिनसेन, जैनाचार्य २३४

जुर्ज राज्य ४०, २५६;—का विस्तार

२५६—'कनौज' भी देखिए

जेजाकमुक्ति १९८

जैक्सन १७

जैनधर्म २७४, ३७८;—का प्रचार

२८३, २८४;—राष्ट्रकूट राज्यमें

२४४

जोगराज १८४

ज्वालामुखी देवी २७७

ट

टाड—की वृष्टियाँ १०७;—की भूल,
राजपूत कुलोंके सम्बन्धमें ७५-
७७;—, खोस्माणके सम्बन्धमें
११९;—, परमारोंके सम्बन्धमें
१८६;—, प्रतिहारोंके सम्बन्धमें
१५२;—, बाण्णाके संबंधमें ११२,
४७०, ४७१, ४७५;—, मेवाड़-
के राजघरानेके संबंधमें १०५;—
राजपूतोंके संबंधमें १२, १३, २०,
२५, ५५;—लिखित इतिहास
१०६

टेक्क राज्य २५०

त

तंत्रपाठ २५१

तंत्रवार्तिक २८९, २८३

तन्त्रभट्ट, तेलगू ग्रंथकार ४४२

तपस्याका प्रचलन, अनार्योंमें २७८

ताफन राज्य २५९-६०

ताफिक राज्य २५६;—की अवस्थिति
२५७

तिलक, आर्योंके सम्बन्धमें ४०२

तुरुष्क प्रांत १७५

तुर्कोंका आक्रमण, यूरोपपर ३९४

तुर्वर्षोंका वंश ४२५-२६

तुलसीदास ४४३

तेलगू—का आदि ग्रंथकार ४४१;—का

उद्गम २७१;—का साहित्य ४४२

तेलियोंका स्थान, समाजमें ३६३

तेलप चालुक्य २१७, ४३८

तोमर राज्यकी स्थापना, दिल्लीमें
२५०

तोमरोंकी पराजय १४६

त्रसदस्यु ४१२, ४१३, ४१८-२०

त्रिपुरराज्य २१३

द

दंतकथाएँ, वीरपुरुष सम्बन्धी १९३,
२०७दंतकथाओंका स्थान, इतिहासमें
१०७, १९८दंतकथा, चंद्रेलोंके सम्बन्धकी २०६-
७;—, पृथ्वीराज संबंधी १९३-
४;—, बाण्णा संबंधी १०७,
१२६-७;—, मुंज संबंधी
१९४;—, वनराज संबंधी
१८२;—, चलभी वंश संबंधी
४८७

दंतिदुर्ग (वर्म) २२९, २४२

दंतिवर्माका वध २३०

दक्ष ४४६

दक्षप्रतका वंश २११

दशरथ ४११

'दस्यु' शब्दका अर्थ ९४

दादाभाई नौरोजी ३९६

दानपत्रों,—का उपयोग ३५५, ३५८;—
 का रूप ३५७;—की उपयुक्तता,
 इतिहासके लिए १९०;—की
 नकल ३६५;—की शुद्धता ३६६;
 —में वर्णका उल्लेख ३०५-६
 दाशराज युद्ध ४०७-१०
 'दिविजय' का अर्थ १६१
 दिग्वा-डुबौलीका दानपत्र १६६,
 १७०, ३५२
 दिहा वंश २४९
 दिविर वंश २४९
 द्विवोदास ४१०, ४११, ४१८;—का
 युद्ध, यदु-तुर्वर्षाके साथ ४१८
 दीनार ३६८
 दुर्गावती २० ६, २१०-१२
 दुर्लभ १४३, १४७
 देवदत्त रामकृष्ण भांडारकर—
 भांडारकर देखिए
 देवपाल (प्रतिहार) १६८, २०१,
 २०२, ४८९-९०
 देवपाल (बंगाल) २२४
 देवपूजाकी नयी पद्धति २७७, २७८
 देवाल्यों—का बाहुल्य २७५-७७;—
 पर विदेशियोंकी दृष्टि २७५
 देश-विभाग ३५२-५३
 देश-सूची, बराहमिहिरकी ८८
 दौलतपुरका लेख १७०, १७४, ३६४
 द्रम्म ३६८

दुह्यु वंश ४३२
 द्वारका मठ २९९
 ध
 धंगराज २०३;—का राज्य-विस्तार
 २०२-३;—की जल-समाधि
 २०३;—की धर्मभावना २०४;
 —के लेख २०२
 धनपाल कवि १९२
 धरणीविराह १६७;—का दानपत्र
 १८५
 धर्मकीर्ति ३०२
 धर्मपाल १६३, २२०, २२३, २२४
 धर्मपीठोंकी स्थापना २९९
 धर्मभावना, भारतीयोंकी २१६,
 २७२, २७३
 धर्मशास्त्र ३४८
 धर्म सम्बन्धी भाषा ३४८
 धर्मोंकी आन्तरिक वृत्ति ३८०, ३९०
 धार्मिक स्थिति ३६६, ३७७, ३८८-९०
 धुंध-बधकी कथा ९५-६
 ध्रुवनिरूपण १६०, १६४, ४९४;—का
 राज्यप्रबंध २३२;—की विजय,
 गंग आदिपर २३२
 न
 नंद ३०
 नंद वंश २९२
 नन्तुक १९५

- नयपाल २२६
 नरवाहनका लेख १२०, १२१, १३०
 १३५, ३०७, ४५९-६१, ४६७,
 ४७९, ४८४, ४८६
 नवसरी लेख ११०, ११३, १८३,
 २३५, २३६, २४६
 नवसाहसार्क १९१
 नहुष ४३६
 नागकुल ४५५
 नागदा १०९, १२८
 नागदाकी शाखा, वलभी वंशकी ४८६
 नागपुर-प्रशस्ति १८९, १९३
 नागपूजा २७३, २७६
 नागमठ ३८, १५३, १८३;—का
 आक्रमण, कन्नौजपर १६१;—
 का पराभव १६३;—का समय
 १७३
 नागर ब्राह्मण १२४, १२५, ३५९
 नागोजी भट्ट, वेदाधिकारपर ९२
 नाटकीय भाषा २६८-६९
 नाडूलकी शाखा, चाहमानोंकी १४४,
 १४६
 नाम, हिन्दुओंके ३२९-३१
 नामोंकी आवृत्ति, एक ही वंशमें
 ४८१, ४९१
 नाविक सेना ३७०
 नारायणपाल २२५, १२७
 नाविकका शिलालेख ८७
 नाहररायके साथ युद्ध, पृथ्वीराजका
 १५४
 निलगुण्डका दानपत्र २३३, २४४-
 ४५, ३५३
 निष्क (मुद्रा) ३६८
 नैपाल—का राज्य २५१;—का शिला-
 लेख ११४
 नैसर्गिक सीमार्ग ३४७
 नोहलादेवी २२, २१६
 नोहलेश्वरका मंदिर २१६
 प
 पंचमहाशब्द ३६०
 पंचायतनपूजा १७१;—का समर्थन,
 शंकर-द्वारा २८५
 पंथोंकी एकरूपता २७४
 पंप, कानड़ी कवि १६७
 पठानोंकी स्पष्टी, मोगलराज्यके लिए
 १५९
 पदाधिकारी,—फौजी ३७३;—राज-
 कीय ३५३-५६
 पद्मगुप्त १९५
 परदेकी प्रथा ३२३-२४
 परबल (गोविन्दराज) २२४
 परमार वंश ३२, ४०, ४१, ४४
 परमारोंका उद्गम १०१, १८६-८९;—
 का निवासस्थान १८६;—का
 राजचिह्न १९२;—की उत्पत्ति
 १५, १५, २३, २४, १३२, ३०७,

४६१:—की विधाविशेष १८७;

—के शिलालेख १८८

परशुराम ४६३

पराया कासन ३९१, ४४८-४९

पराशर ४४५

पराशर-स्मृति ८२, ३०६, ३८४:—का
काल ३१४;—, क्षत्रिके सम्बन्ध-
में ३१५;—, क्षत्रिय-वैश्योंके
सम्बन्धमें ८९;—, बाल विवाहके
सम्बन्धमें ३२४-२६;—, राजस्वके
संबंधमें ३६४;—, वर्ण-व्यवस्थाके
संबंधमें ३१४;—, वृषलीपतिके
सम्बन्धमें ३३२

परिहारोंकी उत्पत्ति १५, १९, २४

पल्लव, काँचीके २५३

पशुपतिनाथकी पूजाधिधि ३००

पशुपतके प्रति लोगोंका भाव ३, ४

पाँचाल ४२८-३०

पाँडव राज्य, दक्षिणका २५३

पाटनारायणका लेख ५६

पाटलिपुत्रका साम्राज्य १५७

पाठक, प्रोफेसर ३०१

पाणिनि ८३, ८४

पातंजल महाभाष्य ९१-२

पानीपतका युद्ध १३८

पाण्ड्यात्रकी अवस्थिति ५२

पार्गिटर—क्षत्रियोंके सम्बन्धमें ३९६,
३९९;—, गोत्रोंके सम्बन्धमें

३३

६७, ६८;—, मधुके संबंधमें

४२५;—ययाति-पुत्रोंके सम्ब-
न्धमें ४१६

‘पाल’ उपाधि २२२

पालनरेश २२४-५

पालवंश २१९;—का पतन २२६;—
के लेख २२०

पालों—का राज्यप्रबन्ध २२७;—का
राज्यविस्तार २२७;—की जाति
२२६;—, की धर्मभावना
२२६;—, की वंशावली २२२-
२३, २२८

पाशुपताचार्यकी पराजय २९८

पाश्चात्य विद्वान्, वैदिक नामोंके
संबंधमें ४०९

पाश्चात्योकी प्रभुत्ति, राजतोंके
संबंधमें २०५

पुनर्जन्मकी कल्पना २८१, ३८८

पुराणों—का रचनाकाल ४१६;—की
वंशावलियाँ ३९९, ४२६;—के
नये संस्करण २७४, ३९९

पुरी मठ २९२

पुरुकुत्स ४१२-१३

पुरु ४०८, ४२१;—के सम्बन्धमें
मैकुडानल ४०८;—शतपथ
ब्राह्मण ४०८;—द्वारा राज्य-
संस्थापन ४१६-१७

पुरुवरवा ४१५, ४२१, ४२७, ४३६

सुहवंश ४०८, ४२१-२२, ४२६-२७
 सुलकेशिम् २३५
 सुष्कर तीर्थ २७
 सुष्कर सरोवरका नामकरण १४७-८
 पूर्वसीमांसाके साथ बौद्धधर्मका
 संघर्ष ३

पृथ्वीराज १९, २१, १२८, २१६:—का
 युद्ध, नाहररायके साथ १५४,
 मुहम्मद गोरीके साथ १२०:—
 का वंश २१:—के सम्बन्धकी
 दन्तकथा १९३-४

‘पृथ्वीराज रासो’—‘रासो’ देखिए

‘पृथ्वीविजय काव्य’ २१, ४५

पेशवाओंका राज्यकाल ४८३

पेहवालख १७४, २६३

पैठणका लेख २७०, ३१३, ४९४

पैमाइश, जमीनकी ३६६

‘पैयलच्छि’, प्राकृत काव्य १९२

पौरख ४३०

पौर्यों—का उल्लेख, वेदमें ४२६:—का
 विस्तार ४२६-७:—की विजय,
 अनार्योंपर ४२८

पौराणिक देवता २१०:—की उपा-
 सना ४, २७४, २९५, ३०७,
 ३७८

पौराणिक परम्परा, आर्योंकी
 टोलियोंके सम्बन्धमें ४०४

प्रताप १०५

प्रतापगढ़का लेख ४१८, ४९१

प्रतापवर्धन ४८०

प्रतिनिधि सभाएँ, प्रजाकी ३४१

प्रतिलोम विवाह,—आर्योंमें २०७,
 ३३२:—का निषेध ३३

प्रतिहार २०, २२

प्रतिहार वंश १९-२१, ३२, ३८, ४१,
 १३१

प्रतिहार वंश, सांडोरका १७३-४

प्रतिहार सचाट्ट, कन्नौजके ४०

प्रतिहारोंका अधिकार, कन्नौजपर

१५२:—का उद्भव १०१:—का

लेख ३६, १७२:—की उत्पत्ति

४६३:—की उपाधि ४८९:—की

धर्मभावना २७५:—की राज-

धानी १५५:—की वंशावली

१७२, १७६:—की सेना १६५

‘प्रबंध चिंतामणि’ १०, १८१, १९१

प्रवर-कृषि ६६

प्रवास-वृत्तान्त, अरब यात्रियोंका
 २५३:—की विश्वसनीयता ३०५

प्रस्थानत्रयीपर भाष्य २९७

प्रांतीय भेद-भावका अभाव, वर्णोंमें
 ३०५-८

प्रांतीय राज्य ३४७

प्राकृत भाषाओंका लोप २६१

प्राचीन इतिहासके साधन १८१

प्रामाण्य, ऐतिहासिक ३९९-४०१

फ

फरिश्ता, कश्मु युद्धके संबंधमें २०३
फाहियान ३०२
फलीट ४९२;—अमोववर्षके संबंध-
में २१५;—इन्द्रराजके संबंधमें
२३६;—चौथे गोविंद राजके
संबंधमें २३७

व

बंगलाकी सृष्टि २७२, ४४२
बंगाल—की दीवानगिरी ४९२;—पर
बौद्ध धर्मका प्रभाव ३४४
बखरोंकी विश्वसनीयता १८१
बघुल्लाकी सनद ११४, १६४
बड़ोदाका दानपत्र २३०-१, ४९२,
४९४
बदरी-कैदार पीठ २९८-९
बनारस ताम्रपट २१४
बलवर्मका ताम्रपट १६६
बलहरा राज्य—(राष्ट्रकूट भी
देखिए) —२५४, २५९, २६१-
२;—का विस्तार २५५;—
की मुद्रा २५५;—की सेना
२५५;—की रणद्वी, जुर्जके साथ
२५६
बहमनी राजका विभाग ४९७
बाउराका राज्य २५९—'कलौज' भी
देखिए

बाजीराव, अंतिम पेशवा ३७४
बाणपुराका लेख ४७७, ४८७
बाणभट्ट ३०४, ३२४
बादामीके चालुक्य २५३, २७१
बाप्पय १४७
बाप्पा ८, १०६, १०८, १२८-३०,
१४५, १८३, ४८१-८८;—और
चार्ल्स मार्टेल १०८, ११०;—
और शिवाजी १०९, ४६९;—
का उल्लेख, नरवाहनके लेखमें
४६०;—का जन्म ४७३;—का
जन्मकाल ४७०, ४७२, ४७४,
४७६;—का भारथोदय ४७३;—
का मूलस्थान ४८५;—का
राज्यत्याग ४७५-६, ४८२;—
का राज्याशेष्टकाल ४७२-६,
४७८, ४८३;—का वंश ४६१,
४६९;—का वर्ण १२६, १२८,
१३१-३, ४५९, ४६५-८;—का
संन्यास-ग्रहण १११, १३६;—
का समय ११२-४;—का स्थान,
गुहिलोत वंशावलीमें ४७६;—
की ब्राह्मण-भक्ति ४८६;—की
विजय, अरबोंपर ११०;—के
सम्बन्धकी कथाएँ १०७, १२६-
७;—के सिक्के ४५९

'बालभारत नाटक' १६७
बालविधवा-विवाह ३२७

बालविवाह ३२४-५;—के सम्बन्ध-

में स्मृतियाँ ३२४-६

बिजोलियाका लेख ५६, १३२, १४१

२, १४६, १५०

बिलहारीका शिलालेख २२, १६४,

२१४, २१६, ३६३

बीकानेरका शिलालेख ४७५

बुंदेलखंडका इतिहास १९८

बुचकला लेख १६२, ३०७

बंगीका राज्य २५३

बेगारकी प्रथा ३५८, ३९३

बीधादेवी २१७

बौद्ध देवालय ३७७-८

बौद्ध मत २७४;—का उच्छेद १५,

२६६, २१४-५;—का प्रचार

२६६;—का प्रभाव, कृषिवर

३१४, बंगालपर ३४४;—की

पराजय २८७-८;—का लोप,

भारतमें ३;—का संघर्ष, पूर्व

मीमांसाके साथ ३;—का ह्रास

१७१, २१६, ३७७, बंगाल और

मगधमें २२१;—के ह्रासका

कारण ३८६-७;—से लाभ

३८८-९

ब्यूलर,—खोहिके सम्बन्धमें १९२;

—, नामोंके सम्बन्धमें १८६;

—, परमारोंके संबंधमें १९१;

—, सिन्धुराजके सम्बन्धमें १९६

ब्रह्मक्षत्रकुलीन ७३

ब्रह्मक्षत्रिय ७३

ब्राह्मण ग्रंथ ३९८

ब्राह्मण ग्रंथोंकी रचना ४२८

ब्राह्मण परंपराकी विश्वसनीयता ३९७

ब्राह्मण राजकुल ४६६

ब्राह्मणोंका स्थान, समाजमें ३८६

भ

भंडी १७५

भंडीकुल १७५

भगदत्त वंश २५१

भटार्क, वल्लभीवंशका संस्थापक ११४,

१२६

भट्टी वंश २४८

भरतके सम्बन्धमें शरवैद ४०४—

११;—पुराण ४०५, ४११-१२;—

मैकडानल ४०५, ४०७, ४३४;—

के सूर्यवंशी होनेका प्रमाण

४३४-५

भरत, दुष्यन्तपुत्र ४०५-६, ४२८,

४३५

भरद्वाज ४११

भर्तृपट्ट ११८, ४८१, ४८२

भर्तृपट्ट, द्वितीय ४८२-८३

भर्तृभट्ट, प्रथम ४६३

भर्तृहरिका समय ३०२

भवभूति २८९

भंडारकर ४५९, ४८१, ४८५;—
 अकाल वर्षके सम्बन्धमें २३६;
 —, अमिकुलके सम्बन्धमें ३६-
 ९, १२८;—की भूल, लेख
 सम्बन्धी ४६०, ४६४-५;—
 कृष्णराजके सम्बन्धमें २३८;—,
 गुजरातके सम्बन्धमें ३९;—,
 गुर्जरोंके सम्बन्धमें १५;—,
 गुहदत्तके सम्बन्धमें १२९;—,
 गुहिलोत्त वंशके सम्बन्धमें ११२,
 ४८२;—, चालुक्योंके सम्बन्धमें
 ४२;—, चाहमानोंके सम्बन्ध-
 में ४४-९, १३७;—, जातियोंके
 सम्बन्धमें ३४-६;—, दस्यु
 तथा श्लेच्छके सम्बन्धमें ९४;
 —, परमारोंके सम्बन्धमें ४४;
 —, प्रतिहारोंके सम्बन्धमें ४१,
 १५२, १७४;—, बाणपाके सम्ब-
 न्धमें ११२, ४८२;—, मराठा
 वंशके सम्बन्धमें ४४८;—,
 राजपूतोंके सम्बन्धमें १४-१६,
 ३२;—, 'रावल' शब्दके सम्ब-
 न्धमें १०८;—राष्ट्रकूटोंके
 सम्बन्धमें २२९-३०;—हूणोंके
 सम्बन्धमें ३८
 भाई-बन्ध, राजपूतोंके ३३७
 भागलपुरका दानपत्र २२३-५, २२७,
 ३४३, ३५३, ३७०-४

भागवत २५२
 भाग्यवती २२५
 भारत—का नामकरण ४०७;—का
 बँटवारा, यथाति-पुत्रोंमें ४१६;
 —की पराधीनता ३३९-४०;
 —के छोटे राज्य २४७;—,
 नवी तथा दसवीं सदीमें ३७६-
 ९५;—मध्ययुगीन कालमें ३४८
 भारतीय देशोंकी सूची ४९
 भारतीय राज्य ३४५
 भारतीय राष्ट्रोंकी पराजय, विदे-
 शियों द्वारा ३४९
 भारद्वाज गोत्र २१, १३२, ७११
 भावनगर इन्सिक्प्शनस ४७१
 भाषा—नाटककी २६८-९;—, धर्म-
 सम्बन्धी ३४८;—, लारीय २६७
 भाषाएँ—अनार्थ २६५;—, अर्वाचीन
 ४३३;—, प्रचलित २६५, २७०,
 २७२;—, भारतीय २६५;—
 संस्कृतप्रचुर २६७
 भाषाओंकी उत्पत्ति, आधुनिक ६
 भाषाविज्ञान ४०१
 भिक्षावृत्ति ३८६-८
 भीम १०५
 भुक्तिकी योजना ३५२
 भूयुद्ध १८४
 भृगु ६४
 भोंसले वंश ४५४-५

भोज, चित्तौड़-नरेश ११८
 भोज (परमार) १८९, १९५, १९६,
 १९७, २१५
 भोज (प्रतिहार) २०, १५३, १६४,
 १७२, २३५, ४८१;—का दान-
 पत्र १८९;—का पराक्रम १९४;
 —का पराभव १६४;—का
 लेख १५३, १५८, १६०,
 १७०, २१५;—की योग्यता,
 शास्त्र-शास्त्रमें ३१४;—की विद्या-
 भिरुचि १९४;—के सम्बन्धमें
 अलमलूदी १६५;—के सिक्के
 १७२

‘भोजप्रबंध’ १९७

भोजप्रशस्ति १७७-८०, ४६१

म

मंडन मिश्रकी हार, शंकरसे २९७
 मंडपिका ३६३
 ‘मंडल’ नामक देश-विभाग ३५२
 मंदिरोंकी आय ३६१-६२, ३६४
 मराठ प्रांत २२१
 मराठ साम्राज्य ३४४
 मणिया, चन्देलोंकी कुलदेवी २०६
 मध्यपर कर ३६२
 मध्यपान—का निषेध २८२, ३१८—
 ९;—का प्रचार २८२
 मद्रास प्रान्तके राज्य २५३

मनुस्मृति,—अनुलोम विवाहके
 सम्बन्धमें ३३२-४;—, क्षात्र-
 धर्मके सम्बन्धमें ३१७—,
 विवाहके संबंधमें ३११-२;—,
 वंशके संबंधमें ३७३

मराठा राजाओंकी जाति ४४०

मराठी भाषा २६५, २६७-६९, ४४३;
 —का प्रचलन, मलखेड़ आदिमें
 ४९७-२

मराठों—का यागभवन, दक्षिणमें
 ४५०;—का उत्कर्ष ४५६;—का
 क्षत्रियत्व ४५६;—का वंश
 ४४८;—का शासन ४४९;—
 की उत्पत्ति २९१;—की संस्कृति
 ४५४;—की स्फूर्ति, मोगल
 राज्यके लिए १५९

मरुदेश ९५, ९७

मलखेड़ ४९५-६;—का वर्तमान
 किला ४९५-६;—की प्रचलित
 भाषा ४९७

मलिक मुहम्मद जायसी ४४२

महमूद गज़नवी ४०, १२०, १७५,
 १९५;—का आक्रमण १२१,
 १४७, १६९, २१७, २२६, २४९

महम्मद कालिम ३६४

महाकालेश्वरका मन्दिर २९८

महाजनकी निशुक्ति ३६१

महादेवी २३५

- महाभारत—और राखोमें साम्य २७,
२८;—का वर्तमान रूप २७;
—में देशोंकी सूची ४९, ५२;
में राजपूत शब्द ८३;—में राज-
पूतोंका उल्लेख ९३, ९५
- महाराष्ट्र—का नामकरण ४५२;—
की स्वाधीनता २३०
- महाराष्ट्री भाषा २६९, २७०
- महिलाओंकी श्रेष्ठता, शांकर कालमें
२९७
- ‘महीदेव’ का अर्थ १२९-३०, १३६
- महीपालका शासनकाल २२५-२६
- महेंद्रपाल १६५-६६
- महेंद्रपाल, द्वितीय ४८८
- मझोबा २००, २०९
- मंडलिक राजे ३९२
- मंडोर,—प्रतिहारोंकी राजधानी
१५४;—का प्रतिहार वंश
१७३-४;—का लेख ७९
- मांसाशन २८०-८३, २९१, २९५;
—का निषेध ३१९-२०; के
सम्बन्धमें स्मृतियाँ २८३, ३२०
- माठव्य ४३१
- मानमौर्यका शिलालेख ११२
- मान्यखेट नगर (मालखेड़) २७६;
—का वर्तमान रूप ४९६-७;
—की अवस्थिति ४९५;—की
लूट १९२-३
- माप-प्रणाली ३६६
- मायावाद, शंकराचार्यका २९४
- मार्टेल, चार्ल्स—‘चार्ल्स मार्टेल’ देखो
- मालवाका दानपत्र ३५७-८
- मालियोंका महत्त्व ३६४
- मिश्र विवाह ३६
- मिहिर—‘भोजराज’ देखिए
- मुंज—का दानपत्र १८९, १९०, १९३;
—का राजप्राप्तिके १९०;—का
समय १९६;—की योग्यता,
बाह्य-शास्त्रमें ३१४;—की विद्या-
भिरुचि १९३;—के सम्बन्धकी
वृत्तकथा १९४
- मुंडराज (भूयड) १८४
- मुग्ध तुंग २१६
- मुद्रा—दलद्वारा राजपूतकी २५५;—
विग्रहपालकी ३६८;—‘सिक्रे’
भी देखिए
- मुसलमानोंका आधिपत्य, भारतपर १०
- मुरोंका पराभव, यूरोपमें ९
- मूर्तिपूजा २७३, २७६;—का प्रचार
२८०;—का प्रभाव, राष्ट्रपर
२७६-७
- मूलभार्योंके घराने ६४, ६५
- मृतक संस्कार ३२८
- मेगस्थनीज ३९९;—, जातियोंके
सम्बन्धमें ३०८;—, जाति-
व्यवस्थाके सम्बन्धमें ३४

मेदपाट, मेवाड़का पूर्व नाम ११८
मेवाड़—कालेख ४७५;—की महत्ता
का कारण १०५;—की वंशा-
वली ४८६
मैकुडानल ३९७;—, कोखल-विदेह-
के सम्बन्धमें ४३१;—, पुरुके
संबंधमें ४०८;—पौरवोंके
सम्बन्धमें ४२७;—, भारतके
सम्बन्धमें ४०५, ४०७;—,
शंकरके सम्बन्धमें ३००

मैत्रक वंश १२५

मोड़ी लिपिका आविष्कार ४७८

मोरी राज्यका नाश ४७१, ४७५

मोहनलालकी भूल, सूची सम्बन्धी
७८;—रासीके सम्बन्धमें २६,
२९, ३०

मौखरी घराना १७५

मौर्योंका राज्य, चित्तौड़में १८८

म्युनिसिपलिटियाँ, नगरोंकी ३६१

'म्लेच्छ' शब्दका अर्थ ९४, ९५

य

यज्ञादि कर्म २८०

यदु-तुर्वशादि ४१४-३०

ययाति ४३६;—की कथा ४१४-१५

यशस्करदेव २४९

यशस्विलक २३८

यमोवर्मा (जैदेल) १६८;—का

पराक्रम २००-१, ४८९-९०;

—का पराभव २४३

यागपत्र, हिमालयक ३८१

याज्ञवल्क्य स्मृति—अनुज्ञात विवा-
हके सम्बन्धमें ३३३-३५;—,
गोचधके संबंधमें ५७

यादव, कृष्णके वंशज ४५३

यादवोंका उत्कर्ष व निवास ४२५;—

युद्ध—की आवश्यकता ३९५;—की
अर्थाचीन प्रणाली ३७४;—

से लाभ ३४६

युद्ध-नीति ३९५

युधिष्ठिरका काल ३०

यूरोप, होली रोमन एम्पायरके समय
३४८

योगराज १८४

र

रट्ट राज्य ५१, ४३८-४०

रणदेवी २२४

रणस्तिपुंडीका लेख ४५१

रहमी राज्य २५८-५८, २६१

राजकुलोंकी सूची २४, ७४, १३८,
१३९, २०८

राजचिन्ह, परमारोंका १९२

राजतरंगिणीके राजपूतकुल ७४, २४७

राजपद सम्बन्धी कल्पना ३३६

राजपूत कन्याओंका विवाह २११

राजपूत घराने ७, ८
राजपूत वंश १०, १६, १७, १४, ५९;—

की शुद्धता ८१, ८६

‘राजपूत’ शब्द ८१;—का अर्थ
८३;—का प्रचलन ८५;—
की प्राचीनता ८२, ८४;—,
भिन्न भिन्न अर्थोंमें ८१-८४,
९३, ९५

राजपूताना-के राष्ट्रकूट २४०;—पर
आक्रमण ११२, ४७५;—में
आर्योंकी पहली बस्ती ९७;—
में बौद्धोंका अभाव १०१;—में
राजपूतोंका निवास ९९, १००;
—, राजपूतोंका आश्रय-स्थान
९९-१०१;—, रामायण और
महाभारतमें ९३, ९५

राजपूतों-का पराभव ९;—का विभाग,
व्यवसायकी दृष्टिसे ३१६;—
की विशेषता ८;—के गोत्र ८९;
के सम्बन्धमें वेसफील्ड आदि
११, १२, १५, १६

राजवंशका अभिमान, प्रजामें १५९

राजवंशोंका परिवर्तन ३३७

राजवाड़े,— मराठोंके सम्बन्धमें
४४७-८;—मराठोंकी संस्कृतिके
सम्बन्धमें ४५४;—गद्गोंके
सम्बन्धमें ४५३;—, राष्ट्रकूटोंके
सम्बन्धमें ४४१

राजशेखर ३८, १६५, १६७, २६९,
३३३

राजपूतोंका भाव, जनतामें ३३८,—९

राजस्थानका वृत्तान्त १४, १०६

राजा-का कर्तव्य, युद्धक्षेत्रमें ३७४;—
का लक्षण २९२

‘राजा’ शब्दका अर्थ ८८

राजेंद्र लाल, धर्मके संबंधमें २०३

राजोरका लेख ३९, १६९, ४९१

राज्यकर ३४५

राज्यकी कल्पना, भारतमें ३३६

राज्यकृति, धर्मोद्य राजाकी ४९४

राजप्रपाल (बंगालका) १६९, २२५,

राज्य, भारतके ३५०

राज्यव्यवस्था ३७६

राज्यस्थापनकी प्रवृत्ति, राजपूतोंमें
२०९

राज्याधिकार, क्षत्रियों तथा राज्य-
स्थापक वंशजोंका ३४०

राठोर घराना ४-९६

राधनपुरका लेख २३१-२, ३५३

‘राधामाधव-विलास चम्पू’ ४४७

राम ४४१;—ऋग्वेदमें ४१२, ४३५

रामचंद्र (प्रतिहार) १६४

रामायणमें राजपूतानाका उल्लेख
९३, ९६

रायसागर शिलालेख ४७३-५,
४८६-७; की नामावली ४८६

‘रावल’ शब्दका मूल अर्थ १०९

राष्ट्रकूट २४, २४०;—नाम २३९,
२४१, ४५२;—वंश २१९—का
अंत २३९—का आरंभ २२९
—का ताम्रपट ४०;—नरेश
२४०;—साम्राज्यका अंत २३९

राष्ट्रकूट, मालखेड़के २४०

राष्ट्रकूट, राजपूतानाके २४०

राष्ट्रकूटों और भरवोंमें मेल २४२;

—का आक्रमण, कन्नौजपर
१६०;—का आगमन, महा-
राष्ट्रमें ४५२;—का उत्कर्ष
२४२;—का ध्वज-चिह्न २४५;

—का पराभव १९३;—का
प्रयत्न, सत्ता बढ़ानेका २४०;
—का राजवंश ४५१;—का
राज्यप्रबंध २४४;—का सेना-
प्रबंध २४४;—की उत्पत्ति २२९;
—की उपाधि २४५;—की धर्म-
भावना २४४;—की वंशावली
२४५-६, ४३८;—की विजय
१६०, २३०; की विरुद्धावली
२४३;—के नाम २४२

राष्ट्रपति ३५६

राष्ट्रप्रेमका अभाव, सैनिकोंमें ३७५

राष्ट्रभावना ३४७-९;—आर्यों आदि-
में ३३९;—की जागृति ३४६-७

‘राष्ट्र’ शब्द २४१

राष्ट्रोंकी सीमाएँ ३४८

‘रासो’ १९, २६-२८, ७५, १२८,
१३९, २१०, ४४३;—और
महाभारतमें साम्य २७, २८,—
का वर्तमान रूप २७;—की
मौलिकता २६-३१, ७९;—की

रचना २३

राहड़ा देवी २१७

राहिलका पराक्रम २००

रेपसन, वासुदेवके संबंधमें ४६

रिस्ले, आर्योंके सम्बन्धमें ४०३,
४३३

ल

लकुलीशका आगम २८५

लकुलीश मत १४६, २१६, २२६

लक्ष्मण (कलहूरी) २१७

लक्ष्मणराज १४४, १४६

लक्ष्मणकी सत्ता, कालुलपर २४७

लक्ष्मण वंश २४७, २४८, ४६६

लारीय भाषा २६७

लाहौरके राजा २५०

लिंग पूजाकी प्रणाली २८५

‘लिंगविष्टिक सर्वे आव ह्रडिया’

२७२, ४४१

लिच्छविवंश २५१

लेखोंमें संवत् ४७२

ले ले १९७, ३०१

लोहर वंश २४९

ख	वशिष्ट २३, ६४, ९८, ४०७, ४३४, ४४७;—की उत्पत्ति ४०८
वंशाधिपतिका परामत्र १६१-४	वशिष्ट-स्मृति—क्षेत्र धर्मपर ३१७;— सहभोजके सम्बन्धमें ३२१;— सूदखोरीके सम्बन्धमें ३२०
‘वंश आस्कर’ २४, १३२	वसूली विभागकी व्यवस्था ३६४-५
वणी-दिहोरीका लेख २३१-२	वाक्पतिराज १४३, १४४, १४६, २५१
वत्सराज ३८, १५६;—का आक्रमण, कन्नौजपर १५६-८;—का परा- भव, भुव द्वारा १६०	वाक्पतिराज (परमार) १८९, १९३
वनराज १८२;—का अभ्युदय १८२- ३;—का राज्यकाल १८४;—की जन्मकथा १८२	वाल्मीकि ४१०
वराहमिहिरकी देश-सूची ४९, ८८	वासुदेव, चाहमान वंशका संस्था- पक ४५
वरेगलान दानपत्र ३५३	विलेंट सिन्ध, राजसूतोंके सम्बन्धमें ७, १०, १२, १३-१६
वर्णका उल्लेख, दानपत्रोंमें ३०५-६	विक्रम संवत् १७४
वर्ण-परिवर्तन ६१-२	विग्रह १४३, १४४, १५१; (वैताल) २२२, २२४
वर्णशेदका अभाव, आर्थोंमें ७४	विग्रहपालीय द्रुम्स ३६८
वर्णसंकर जातियाँ ३५	विजय २००
वर्णसंकरताका आरंभ ३२	विजयपाल १६९
वर्णश्रम-व्यवस्था ३२, ३०४, ३८१, ४६५	विजेताके कार्य, भारतीय १६१
वर्धा ताम्रपत्र २२९, २३१, २३४-८, ३०५	विज्ञानवाद, बौद्धोंका २९४
वर्मवंश—का आरंभ १७५;—का हास १५७	विज्ञानेश्वर—का अमात्मक अर्थ, सूत्रका ५७, ५९, ६१, ६३, ७२; —का मत १३२;—का लेख ४५४;—का समय ५९
वर्षमान, प्राचीन आर्योंका ४३७	विदेशियोंकी दृष्टि, जनसम्पन्न संदि- रोंपर २७५
वलभी राजाओंकी विद्याभिरुचि ३१४	
वलभी वंश ११३, १२४, १२७, १३५, ४६९;—का समय ४७०	

विदेशी आक्रमण ३९३
 विदेशी सेनासे हानि ३४३
 विधवा-विवाह ३२७
 विधान-रचना, भारतीय राज्योंमें
 ३४४-५
 विनयादित्यका गणितज्ञान ३१४
 विनायक पाल १६६, १६८, ४९०
 विनिमय-प्रथा ३६७
 विभाग, भारतके २१९-२०
 विवाह-प्रथा १३३, १३४, ३१०;—
 के सम्बन्धमें स्मृतियाँ ३१०-
 ११;—, दक्षिणात्यकी ३९१
 विवाह-सम्बन्ध, विशिष्ट प्रान्तीय
 क्षत्रियोंमें ८६, ८९
 विश्वनाथ-मन्दिर, काशीका २७७
 विश्वामित्र ६४, ४१०-११, ४३४;—
 की उत्पत्ति ४३५
 'त्रिपय' की योजना ३५२
 विष्णु ४४४;—की मूर्ति १६८, २०१,
 ४८९
 'विष्णुपुराण' २५२
 वीरलदेव १३८
 वृहस्पति ४४४
 वैकुण्ठेश्वर, शंकरके सम्बन्धमें ३०३
 'वेदिदाद,' पारसियोंका पुराण ४०१
 वैतनभोगी सेना २२७-वैतनिक
 सेना' भी देखिए
 वैतन, सैनिक पदाधिकारियोंका ३७३

वैदिक ईडेक्स ३९७, ४२२, ४२४-५,
 ४३४-५
 वेदों—का आदर ३;—का संकलन
 ४३६;—में क्षत्रियोंका उल्लेख
 ३९६
 वेरुलका कारुकाय २४२
 वेरुलकर ४३८
 वेशभूषा ३२१
 वैतनिक सेना ३६९;—, गिना भिन्न
 साम्राज्योंकी ३४२;—से हानि
 ३७२
 वैदिक आर्यधर्म—का लोप ३;—
 का पुनरुज्जीवन ३७७-७८;—
 की उन्नति ४१७;—की पुनः
 स्थापना, कुमारिल द्वारा २८७
 वैदिक विधियोंके प्रति श्रद्धा, अन्य
 सतवालोंकी २८०
 वैधव्यकी प्रथा ३२७
 वैरागियोंका पंथ ३८७
 वैश्यों—का कर्म, गीताके अनुसार
 ३०९;—की उदासीनता, क्षत्रिय-
 कर्मके प्रति ३१५
 व्यवसायमंडल ३६३
 व्यास ४३६, ४४५
 व्यासस्मृति ३८४;—अनुलोम विवाह-
 के सम्बन्धमें ३३३-५;—बाल
 विवाहके सम्बन्धमें ३२४-२६;—
 मांसके सम्बन्धमें ३२०;—विवा

हके सम्बन्धमें ३१०-११;—
सहभोजके सम्बन्धमें ३२१
ब्रणकूपकी कथा ९६

श

‘शंकर मंदार-खोरम’ ३०२
शंकराचार्य ९२, ३७७;—और कुमा-
रिलकी भेंट २८७-८, २९४;—
का गृह-त्याग २९६;—का
जन्म-स्थान २९५;—का तत्त्व-
ज्ञान ३०१;—का देहान्त
३०१;—का शिक्षाप्रणयन २९६;
—का शास्त्रार्थ, संडन मिश्रके
साथ २९७;—का समय २८६,
२५४-६, ३००-४;—का
स्थान, भारतके आर्थिक इति-
हासमें ३०१;—का स्मारक
२९६;—की द्विविजय २८७,
२९७;—की नेपाल-यात्रा
३००;—की भारत-यात्रा २९७-
९;—की साताका देहांत
२९९;—की योग्यता २९५;—
की विजय, आलाम और उजैन-
के पंडितोंपर २९८, काशीके
पंडितोंपर २९७;—की विजयके
कारण २९४;—के ग्रंथ २८७;—
के मतका प्रचार २६७

शंख ४४६

शक्तिकुमार १२१;—का लेख ४८३
शहर, क्षत्रियोंके सम्बन्धमें ८८
शहर भाष्य ४५८
शाहजुद्दीन १२३, १९५—‘सुहभरद
गोरी’ भी देखिए
शंकर मतका प्रचार २६७
शातकर्णी ८७
शातवाहनका लेख ४५६
शारीर भाष्य २९७
शालिवाहन १२१;—का संवत् १७४
शासनप्रणाली, भारतीय राज्योंकी
३५०-६९
शाह आलमपर आक्रमण १६२
शाहजहाँ ४८३
शाही राज्य, कालुका २४७
शिलाहार, धानेके ४३८
शिलाहारोंका दानपत्र ३६५, ४३८
शिव—का महत्व राजकुलोंमें २७५;—
की उपासना, काठियावाड़में
१८६, राज-कुलोंमें २८४, शंकर
सम्प्रदायमें २८६
शिवाजी ९०, १०९, १८२, ४४७;—
और बाप्पा ४६९;—का कुल
९, ४५३, ४६९
शिवि औशीनर ४३३
शीर्षमापन शास्त्र ४०१
शील ११८;—का लेख ४८०-३
शीलादित्य ४८७

शुचिकुमारका शिलालेख १२१

शुचिधर्मा १२४

शृङ्ग कसलाकर ८५, ९०

शृंगेरी मठ २९८-९, ३०२-४

शैवसम्प्रदाय ४

श्यामलदास, रासांके संबंधमें
२६, २९

श्राद्ध इत्यादिका पुनः प्रचार २८३

श्रीकृष्ण ९४-१, ४०४, ४२४-१,

४३५;—का मथुरा-त्याग ९४;—

क्षत्रिगवर्णोंके सम्बन्धमें ४०४

श्रीचंद्र १४२

श्रीहर्ष २५९

स

संन्यासका प्राधान्य २९५

संवत् ४४५

संस्कृत—का पुनरुज्जीवन २६६;—का

प्रभाव, आर्य भाषाओंपर २७०

संस्कृतप्रचुर भाषाएँ २६७

सगरका पराभव, हैहयों द्वारा २१२

सगुणोपासनाका प्रचार ३७९

सती प्रथा ३२७

सपादलक्षकी अवस्थिति ४६-८, ५१,
१४०

सम्राट् पद, भारतमें १५६-७

सहभोजका प्रचलन ३२१

सहस्राब्देन, हैहयोंका पूर्वज २१२

सांगली लेख २३६, २५६

सांप्रदायिकताका भाव ३७९

सागरवालका लेख १५३, १६४, १७५

सामंतदेव १८३;—का समय १४४

सामनगढ़का साम्रपट २२९

साम्राज्यकी कल्पना, भारतमें २५५

साम्राज्य, भारतके ३५१

‘साम्राज्य’ शब्द, महाभारतमें १५६

साम्राज्य-स्थापन ३३८

सारनाथका दानपत्र २२५

सिंघपर अधिकार, भारवोंका ११२,

११७, १५४-५५, ३९३, ४७५

सिंधुराज्य १९४-९७

सिंदरज ११८, १४७

सिद्धा बनानेकी कला ३६९

सिक्के,—मांगेय देवके २०४;—मुह-

दत्तके ४८१, ४८४;—, जेदलोंके

२०४;—, पाँदवड ३६८;—

बलशरा राजके २५५;—बाण्वाके

४५९;—भोजराजके १७२;—

विग्रहपालके ३६८;—, हल्लों

३६८-९; (‘मुद्रा’ भी देखिए)

सिक्कोंका प्रचलन ३६७-८

सियाडोनोंका लेख १६६, १७२, ३२९

३५९, ३६३-७, ४७९

सिशोही १३८, १४७

सिसोदिया ८

सीमाएँ, नैसर्गिक ३४

- सी. वी. मेयर, शंकरके सम्बन्धमें ३०३
- सुंढाका लेख १३२, १४०
- सुकृत संकीर्तन १८१
- सुखठाणकर, दन्तिदुर्गके सम्बन्धमें ४९२
- सुदास ४१०, ४३४
- सुवुक्तगीन और जयपालका सम्प्राम १६९
- 'सुभाषित-रत्न-जन्दोह' १९६
- सुरेश्वराचार्य, मंडनका संन्यासाश्रम-का नाम २९८
- सुलेमान २५४;—, अग्निहोत्रके संबंधमें २७९-८०;—, कशमिर, किरंज आदि राज्योंके संबंधमें २५८;—, गुर्जर राज्यके सम्बन्धमें २५६;—, तपस्विणोंके संबंधमें २७९;—, ताफिक राज्यके सम्बन्धमें २५६-७;—, भारतकी राजनीतिक परिस्थितिके संबंधमें ३४१-२;—, भारतीय राज्योंके संबंधमें २५४;—, मल्लके संबंधमें ३१९;—, रहसी राज्यके संबंधमें २५७;—, राजसत्ताके सम्बन्धमें ३३८-९;—, वरुणोंके पेशेके सम्बन्धमें ३१३
- सूची—भारतीय देशोंकी ४९;—चंदकी (राजपूतकुलोंकी) ७४-
- ८, १८८, ३४९, ४४०;—, स्कंदपुराणकी (देशोंकी) ४९, ५१-३
- सूत, प्राचीन कालके ३९८
- सूदखोरीका निषेध ३१७
- सूरजमल भाट,—अग्निकुलके संबंधमें २४;—, राजपूत वंशोंके संबंधमें ७८
- सूर्यमंदिर, सुळतानका २७५, २७७
- सूर्यवंश-का उल्लेख, वेदोंमें ३९६-४१२;—का नाशकरण ४३६-७
- सूर्यवंशी क्षत्रिय ४०४
- सेनापुं, भारतीय राज्योंकी ३४२-४
- सेना-का अधिकार, नये राजवंशकी स्थापनाके समय ३४१;—का प्रबन्ध, बलहारा राज्यमें २५५-६, २६०;—के मुख्य अंग ३७०;—, भिन्न भिन्न साम्राज्योंकी ३७०-७२;—, नाविक ३७०;—, स्थायी ३६९-७०
- सेमूर (चेजल) २६१
- सेरंदीव राज्य २५८
- सैनिक व्यवस्था ३७६
- सौराष्ट्रका इतिहास ४८१
- स्कंदपुराण २७७;—का समय ४४०;—की सूची, (देशोंकी) ४९, ५१-३;
- स्टेल केनाऊ १४५

श्यायी सेना ३६९-७०

रपक्षास्पर्षा ३८३

सिमथ—गुजरात के संबंधमें १५;—

—, चंदेल राज्यके सम्बन्धमें

२०१;—, चंदेल सिकोंके सम्ब-

न्धमें २०४;—, चंदेलोंकी

उत्पत्तिके संबंधमें २०५-१२;

—, गुरुष्क शब्दके सम्बन्धमें

१७५;—, रत्नपत्रके सम्बन्धमें

२११;—, नन्नुकके सम्बन्धमें

१९९;—, नागभटके सम्बन्धमें

१५५, १६३;—, प्रतिहारोंके

सम्बन्धमें १५२, ४९१;—, राजगु-

लोंकी उत्पत्तिके सम्बन्धमें

१२;—, राज्यपालके सम्बन्धमें

१६९;—, रासोंके सम्बन्धमें २७;

—, हर्ष चंदेलके सम्बन्धमें १९९

स्मृति—ग्रंथ, प्राचीन और अर्वाचीन

३०५

स्मृति—ग्रंथोंका रचनाकाल ३८४

स्वतंत्र राज्य, भारतके २१९-२०

स्वराज्य, देशोन्नतिकका मुख्य साधन

३९०

ह

हंसोट लेख १४५

हद्दाल लेख १६७

'हम्मीर महाकाव्य' २१, १४७

'हयपति' उपाधि, प्रतिहारोंकी

२०२, ४७९

हरविलास सारडा,—पृथ्वीराजके

संबन्धमें २१;—, सपादलक्षके

सम्बन्धमें ४९

हरिवंश ३७, ४२३

हरिश्चन्द्र ४१२

हर्ष ३५, १००, १७१, २३५, २८८,

२९२, ४८१;—का पराभव २४३;

—का वर्ण ४६४-५;—का

साम्राज्य ३४७;—की मृत्यु ४;

—की विद्वत्ता ३१४

'हर्ष वरित' ३६

हर्ष देव (चाहसानोंके कुलदेवता)

१४५

हर्ष-शिलालेख २१, १३९-४०,

१४२, १४४, १४५, १४८,

१७२, १९५, ४६२;—का काल

१४७

हर्ष संवत् १७४

हल्ली सिका ३६८-९

हारीत स्वामी ११०, १३५, ४८६

हार्नल ४३३;—, आर्योंकी टोखियोंके

सम्बन्धमें ४०२

हाहज २६०

हिंदी,—पश्चिमी ४४३;—, पूर्वी ४४२

हिंदुओंका ग्रंथविश्वास २६१,

२७६-७;—की सच्चाई और

न्यायप्रियता २८१, ३२८-९,	कुल ८०, ८१
३८९	हूण १४, ३६-८
हिंदुस्थानका प्राचीन इतिहास	हूणोंका पराभव, सीयक द्वारा १९२;
२०५—'भारत' भी देखिए	—का प्रवेश, भारतमें १५७;—
हिंदू धर्म—का आरंभ ४;—का	का वर्ण ८०
प्रचार, बंगालमें २२१;—का	हेमचंद्र, जैन पंडित २८४
महत्त्व २७३;—का स्वरूप	हेमाडपंत ४९८
३७९;—की सहिष्णुता १७१	हेमाद्रिकी प्रशस्ति ४५३
हिंदू-मुसलमानोंका घैमनस्य ३७७	हेलंबका स्तंभ ४९८
हिंदू राजत्वकालका आरंभ, अर्वा-	हैहयों—का निवासस्थान २१२;—
चीन ५	का पराक्रम २१२;—का परा-
हुएनसंग ७, ३४, ४८, ८७,	भव, मुंज द्वारा १९३;—का
१८८, १९८, २४७, २७०-	वंश ३७;—का शिलालेख २१,
७१, २८६, २८९, ३५०, ३७७;—	५६, ६०;—की उत्पत्ति २१२
के समयमें जातिका रूप ३४;—	होमरका इलियड १२०
जमीतीके संबंधमें १९९;—	होयसल राज्य, दक्षिणका २५३
राजघरानोंके संबंधमें ८५;—	होर्नल, डाक्टर ४०२, ४३३
चलभी कुलके संबंधमें ४६९	होली रोमन एम्पायर ३४८